संस्करण 1.7

मुसलमान इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं?

एक्स-मुस्लिम बनने के मूल कारण

(क़ुरआनवाला, सलीम, साहिल, समीर)

पुस्तक का उद्देश्य

मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में हुई, जहाँ मैं विभिन्न धर्मों और जातियों के बच्चों के साथ पढ़ता था। हम रमज़ान मनाते, ईद मनाते और शुक्रवार की नमाज़ पढ़ना अनिवार्य था। कुरआन की तिलावत बिना अर्थ समझाए केवल एक रीति के रूप में सिखाई जाती थी, क्योंकि कुरआन पूरा करना अनिवार्य माना जाता था। बचपन में मैं अपने कुछ हिंदू मित्रों के साथ होली और दीपावली भी मनाता था। एक दिन, एक मुस्लिम मित्र ने मुझसे कहा तुम्हें पता है कि केवल मुसलमान विशेषकर उसकी संप्रदाय से संबंधित लोग ही जन्नत में प्रवेश करेंगे और बाकी लोग अल्लाह के सही मार्गदर्शन से भटक गए हैं और उन्हें परलोक में सजा मिलेगी। मैंने कई रातें यह सोचते हुए बिताईं कि केवल गैर-मुस्लिम होने के कारण किसी व्यक्ति को सजा क्यों दी जाएगी, भले ही वह ईमानदार और नैतिक रूप से सही जीवन जी रहा हो। चूंकि मेरे परिवार में कभी भी अन्य धर्मों के बारे में बुरा नहीं कहा जाता था, इसलिए मैं इस बात को समझ नहीं पाया।

समय बीतता गया और मैंने एक बड़े विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसी समय अमेरिका में 11 सितंबर के हमले हुए। कई सहपाठी मुझसे पूछने लगे कि मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कुछ मुसलमानों से इस विषय पर चर्चा की, जिन्होंने बताया कि चरमपंथी लोग दिमागी रूप से प्रभावित होते हैं और सच्चे इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि मुस्लिम देशों के प्रति कुछ वैश्विक नीतियों के कारण निराशा और आतंकवाद पैदा हुआ।

उलेमा से सवाल ना पूछ मैंने स्वयं खोजबीन शुरू की। मैंने कई धार्मिक किताबें, कुरआन के अनुवाद और हदीस संग्रह खरीदे। फिर भी, मुझे निष्कर्ष निकालने में कठिनाई हुई। एक तरफ ये ग्रंथ ईश्वर के प्रति भक्ति को बढ़ावा देते थे; दूसरी ओर, इनमें युद्ध, दंड और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन था, जिससे मैं भ्रमित हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी शुरू की। थोड़े दिन बाद, भारत में संसद पर हमला हुआ। शर्मिंदगी और बेचैनी महसूस करते हुए, मैंने अपने मुस्लिम रूममेट से इस हिंसा के कारण पूछे। उसने बताया कि इन घटनाओं का धर्म से संबंध नहीं है और कुछ एजेंसियां जिम्मेदार हैं। उसने यह भी कहा कि कई मुसलमान इस्लाम की सही समझ नहीं रखते, जिससे इसकी गलत छवि बनती है।

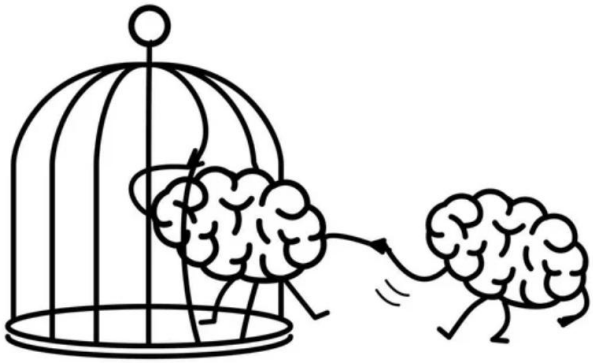

एक दिन उसने मुझे ऐसा तथ्य बताया, जिसने मुझे झकझोर दिया: उसने बताया कि कुछ हदीस ऐसी हैं जिन्हें उलेमा जानबूझकर आम मुसलमानों से छुपाते हैं नहीं तो उनका विश्वास (ईमान) चला जाएगा। जब मैंने और जानकारी मांगी, तो उसने कहा, "आप जानते हैं, हमारे पैगंबर (स.) के एक पुत्र का जन्म उनकी एक दासी से हुआ था"। स्वतंत्र समाज में पले-बढ़े होने के कारण यह बात मेरे लिए पूरी तरह अप्रत्याशित थी, क्योंकि मैं हमेशा पैगंबर (स.) का अत्यंत सम्मान करता था। धीरे-धीरे, मैंने कुरआन, हदीस और फ़िक़्ह का गहन अध्ययन शुरू किया। मैंने यह महसूस किया कि हालांकि इस्लाम एक व्यवस्थित धार्मिक प्रणाली है, इसके ग्रंथों का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह साबित नहीं करता कि यह स्वभाव से आदर्श या पूरी तरह शांतिप्रिय धर्म है। फिर भी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करता हूँ और मैं उससे जुड़ाव महसूस करता हूँ और लोगों को उनके नैतिक मूल्यों के आधार पर परखता हूँ, न कि उनके धर्म के आधार पर। इस पुस्तक का उद्देश्य मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना नहीं है, बल्कि जागरूकता बढ़ाना और विचारशीलता को प्रोत्साहित करना है, ताकि लोग एक समावेशी धर्म की ओर बढ़ सकें। गैर-मुसलमानों के लिए यह पुस्तक संवाद और जाँच का एक साधन हो सकती है, जिससे वे इस्लामिक विद्वानों तथा मुसलमानों से सार्थक बातचीत कर सकें।

पाठकों को निष्कर्ष निकालने से पहले प्रामाणिक किताबों या विश्वसनीय वेबसाइटों से सत्यापन करना उचित है। हदीस की संख्या विभिन्न संस्करणों में भिन्न हो सकती है। यदि आपको इस कार्य में कोई सार्थक जानकारी मिले, तो इसे कम से कम एक अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना ही लेखक के लिए पर्याप्त इनाम है।

— एक सामान्य भारतीय मुस्लिम

अध्याय 1. दीन इस्लाम कैसे समझें

दीन का अर्थ है जीवन जीने का तरीका, नियम और आचरण।

मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले कुछ अभ्यास स्वयं अवश्य करें:

* बाइबिल और क़ुरआन – दोनों के अनुवाद के पहले 20 पृष्ठ पढ़ें और यह समझने का प्रयास करें कि कौन-सी पुस्तक अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्ट है।
* प्रारंभिक इस्लामी पुस्तकों से पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के जीवन का विवरण पढ़ें–जैसे उनकी पत्नियाँ, बनू क़ुरैज़ा की घटना, ग़ज़वात (युद्ध), और महिला बंदियों की बिक्री से संबंधित विवरण।
* दुनिया में मौजूद क़ुरआन के विभिन्न संस्करणों और उनके आपसी अंतर के बारे में इंटरनेट पर खोज करें।
* क़ुरआन में किए गए किसी भी वैज्ञानिक तथ्य या चमत्कार के दावों को देखें कि प्रारंभिक इस्लामी विद्वानों ने उन्हें तफ़सीरों (व्याख्याओं) में कैसे समझा है।
* क़ुरआन में नस्ख़ (यानी आयतों के रद्द होने) की अवधारणा क्या है, इसे समझें।

क्या आप इस्लामी विद्वानों पर भरोसा कर सकते हैं?

इस्लामी क़ानूनी सिद्धांतों के अनुसार, छोटे नुकसान सहन किए जा सकते हैं ताकि बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकें। साथ ही, हर प्रकार का ज्ञान भले ही वह सत्य ही क्यों न हो सार्वजनिक करना या फैलाना आवश्यक नहीं है।

तकइय्या (झूठ बोलना)

तकइय्या को सामान्यतः उस कार्य के रूप में माना जाता है जिसमें अपने विश्वासों को गोपनीय रखना या रहस्यपूर्ण बनाना शामिल होता है जब किसी के जीवन या संपत्ति को खतरा होता है। **कितमान** का शाब्दिक अर्थ है "छिपाना"; धार्मिक संदर्भ में, इसका अर्थ है सत्य के उन हिस्सों को जानबूझकर छिपाना जो इस्लाम के 'मिशन' या 'छवि' के लिए असुविधाजनक हों। यह विचार मुसलमानों का गैर-मुसलमानों से झूठ बोलने को जायज ठहराता है यदि यह इस्लाम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

दीन का संदेश फैलाते समय तकइय्या और कितमान ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सब सच सच बता दिया (पैग़म्बर मुहम्मद स. के विवाह, यौन-दासता, जिहाद, ग़ुलामी) तो लोग इसका सीधे इनकार कर देंगे। एक बार कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाए, तो वह न इस्लाम की आलोचना कर सकता (मुनाफ़िक़ कहलाएगा या गुस्ताख़ी-ए-रसूल मानी जाएगी) और न ही वह इस्लाम छोड़ सकता है (धर्मत्याग के लिए मृत्यु-दंड)। इस प्रकार असहमति व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाती है।
****अगर कोई धर्म सत्य और ईश्वर की ओर से है, तो उसमें ऐसी बातें क्यों हैं जिन्हें छुपाने या चुप्पी की ज़रूरत पड़े?"**

इब्न इसहाक सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 367: ...फिर उसने मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपमानजनक प्रकृति की आयतें लिखीं। पैगंबर ने कहा-'कौन मुझे इब्न-ए-अशरफ से छुटकारा दिलाएगा?' बिन अब्दुल-अशहाल के भाई मुहम्मद बिन मसलमा ने कहा, 'मैं आपके लिए उससे निपटूंगा, हे अल्लाह के रसूल, मैं उसे मार डालूंगा।' उन्होंने कहा, 'अगर तुम कर सकते हो तो ऐसा करो:... उसने कहा, 'हे अल्लाह के रसूल, हमें झूठ बोलना पड़ेगा।' उन्होंने उत्तर दिया, 'जो चाहो करो, तुम इस मामले में स्वतंत्र हो।'

हदीस तिर्मिज़ी 1939: अल्लाह के रसूल ने कहा: "तीन मामलों को छोड़कर झूठ बोलना जायज़ नहीं है: 1. कुछ ऐसा जो आदमी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कहे, 2. युद्ध के दौरान झूठ बोलना, 3. और लोगों के बीच शांति लाने के लिए झूठ बोलना।" (सहीह) **[साहिह मुस्लिम 6633, यही जानकारी]**

तफ़सीर कुरान 3:28 (इब्न कथिर): विश्वासियों (मुस्लिम) को बाहरी तौर पर अविश्वासियों से दोस्ती दिखाने की अनुमति है, लेकिन कभी भी आंतरिक रूप से नहीं। उदाहरण के लिए, अल-बुखारी ने दर्ज किया कि अबू अद-दर्दा ने कहा, "हम कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराते हैं, हालांकि हमारे दिल उन्हें शाप देते हैं।" अल-बुखारी ने कहा कि अल-हसन ने कहा, " तकइय्या (झूठ बोलना) की क़यामत के दिन तक की अनुमति है।"

इब्न माजा 2544: पैगंबर (स.) ने कहा ... जो कोई मुसलमान की (गलतियों और पापों) को छुपाता है, अल्लाह इस दुनिया में और उसके बाद (उसके) दोषों और पापों को छुपाएगा। **[सहीह मुस्लिम 6853, यही जानकारी]**

यात्री की निर्भरता: इस्लामी पवित्र कानून की क्लासिक मैनुअल (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 744-746: "झूठ बोलना जायज़ है...
..... यदि लक्ष्य अनिवार्य है... सभी मामलों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना धार्मिक रूप से एहतियाती है ताकि भ्रम की स्थिति पैदा हो... झूठ बोलने से होने वाले परिणामों की तुलना सच बोलने से होने वाले परिणामों से करनी चाहिए, और यदि सच बोलने के परिणाम अधिक हानिकारक हैं, तो व्यक्ति झूठ बोलने का हकदार है।... चाहे उद्देश्य युद्ध हो, असहमति को सुलझाना हो, या पीड़ित की सहानुभूति प्राप्त करना हो, कानूनी रूप से किसी के खिलाफ़ जवाबी कार्रवाई करने का हकदार, वह झूठ बोल सके। झूठ बोलना तब भी अवैध नहीं है जब इनमें से कोई भी लक्ष्य केवल झूठ बोलने के ज़रिए ही प्राप्त किया जा सकता है।"

हदीस सहीह बुखारी 120: अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है कि: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) से दो तरह का ज्ञान याद किया है। उनमें से एक को मैंने तुम्हारे पास प्रचारित कर दिया है और यदि मैंने दूसरा प्रचारित किया तो मेरा गला कट जाएगा।
"समझने वाले के लिए इस कथन में बहुत कुछ छिपा है"...

इस्लाम के अनुसार, मुसलमान का एकमात्र लक्ष्य आख़िरत है, यह दुनिया सिर्फ़ इम्तिहान है, सच बोलने पर अगर नुकसान भी हो, तो आख़िरत में उसका बदला मिलेगा, तो फिर कूटनीति, या रणनीतिक चुप्पी क्यों सिखाई जाती है? **अगर आख़िरत की सफलता निश्चित है, तो इस दुनिया में नुकसान से डरने की ज़रूरत ही क्या है?**

इस्लाम की आम मुसलमान में समझ

आम मुसलमान अक्सर अपने दीन के बारे में केवल चुनिंदा बातें ही जानते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं।

1. रीति-रिवाजों और इबादत पर ज्यादा ध्यान - मुसलमानों को मुख्य रूप से नमाज़, रोज़ा और हज के बारे में पढ़ाया जाता है।
2. ज्ञान तक सीमित पहुँच- भारतीय मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन इन्हें हर सूरह का मतलब समझाया नहीं जाता। अगर अनुवाद भी पढ़ा जाए, तो बिना संदर्भ जाने बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। भारत में, इस्लामी धर्मग्रंथ कुछ समय पहले तक केवल अरबी और उर्दू में उपलब्ध थे। अधिकतर लोगों के पास इन पुस्तकों को इकट्ठा करने और उन पर शोध करने का समय नहीं है। बहुत से मुसलमान सरल पुस्तकों, व्याख्यानों या मीडिया पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर सिर्फ व्यावहारिक इस्लाम सिखाते हैं।
3. विवादास्पद विषयों से दूर रखना- इस्लाम के कई विषय जटिल या विवादास्पद हैं; भ्रम या आलोचना से बचने के लिए, मौलवी या इस्लामी विद्वान अक्सर इन विषयों को छोड़ देते हैं। हालाँकि, इस्लामी विद्वान सच्चाई को विस्तार से जानते हैं; वे कभी नहीं चाहेंगे कि आम जनता इसे जाने। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, फ़ोटोग्राफ़ी और फिर टेलीविज़न का विरोध किया, हालाँकि आज के समय में वे इसके आदी हो चुके हैं।

दीन पर सवाल करना मना है

कई उलेमा यह मानते हैं कि लोगों के सवाल शक पैदा कर सकते हैं और शक आस्था को कमज़ोर कर देता है, इसलिए "सवाल मत करो" को सुरक्षा उपाय की तरह अपनाया गया।

क़ुरआन 5:101-102: ऐ तुम जो ईमान लाए हो! उन चीज़ों के बारे में न पूछो अगर वे तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें परेशानी में डाल दें (तुम्हारे ईमान के बारे में)। लेकिन अगर तुम उनके बारे में क़ुरआन के नाज़िल होने के दौरान पूछोगे तो वे तुम्हारे सामने दिखाई जाएँगी। अल्लाह ने जो बीत गया उसे माफ़ कर दिया है। और अल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला, सहनशील है। तुमसे पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे सवाल पूछे थे, फिर वे उनके कारण काफ़िर हो गए।

हदीस अन- नसाई 2620: अल्लाह के रसूल ने लोगों को संबोधित किया और कहा: 'अल्लाह ने तुम्हें हज का आदेश दिया है।" एक आदमी ने पूछा: 'हर साल?' वह (स.) तब तक चुप रहे जब तक उसने इसे तीन बार नहीं दोहराया। फिर उन्होंने कहा: 'अगर मैंने हाँ कहा, तो यह अनिवार्य होगा, और यदि यह अनिवार्य होगा तो आप इसे करने में सक्षम नहीं होंगे। जब तक मैंने तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ, तुम भी तब तक मुझे अकेला छोड़ दो। जो लोग तुमसे पहले आए वे नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और अपने पैगंबर के साथ मतभेद किया। अगर मैं तुम्हें कुछ करने का आदेश देता हूं तो जितना हो सके उसका पालन करो, और अगर मैं तुम्हें कुछ करने से मना करता हूं तो उससे बचो ।' (सहीह) **[सहीह बुखारी 7288, इब्ने माजा 2: यही जानकारी]**

एक मुसलमान के लिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना हतोत्साहित किया जाता है जो यह संकेत दे सकता है कि इस्लाम ग़लत हो सकता है। सच्चाई को जानने की कोशिश करने के बजाय क़ुरआन पर बिना प्रश्न किए विश्वास बनाए रखना बेहतर समझा जाता है।

हदीस सहीह बुखारी 2408: पैगंबर (स.) ने कहा, "अल्लाह ने तुम्हारे लिए मना किया है ..... **बहुत अधिक प्रश्न पूछना (विवादित धार्मिक मामलों में)..**

हदीस अन-नसाई 2093: अनस ने कहा: "हमें कुरान में पैगंबर (स.) से किसी भी चीज़ के बारे में पूछने से मना किया गया था जो अनिवार्य (महत्वपूर्ण) नहीं थी,.....

** क़ुरआन अविश्वासियों से बार-बार अक़्ल का इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन क़ुरआन मोमिनों को सवालों से रोकता है।
क़ुरआन 16:11: निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं **जो सोच-विचार करते हैं।**
क़ुरआन 8:22: अल्लाह के निकट सबसे बदतर जीव वे हैं जो बहरे और गूँगे हैं, **जो अक़्ल से काम नहीं लेते।**

अल्लाह पर बहस करना मना है

क़ुरआन 7:33: "कह दो: मेरे रब ने केवल अश्लीलता (फवाशीश), जो बाहर दिखे और जो भीतर छुपी हो, पाप और अन्याय (बिना हक़ के) और यह कि तुम अल्लाह के साथ जिसका कोई अधिकार नहीं उसके साथ उसे साझेदार ठहराओ और **अल्लाह के बारे में जो तुम नहीं जानते वह बोलो**, सब को **हराम किया है।**"

मिश्कातुल-मसाबीह 65: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "शैतान तुममें से किसी एक के पास आता है और कहता है: 'किसने यह बनाया? किसने वह बनाया?' यहां तक कि वह कहता है: 'तुम्हारे रब को किसने बनाया?' जब वह इसी सीमा तक पहुँच जाए, तो उस इंसान को चाहिए कि वह अल्लाह की पनाह मांगे और इस सोच को रोक दे।"

सहीह मुस्लिम 343-349: हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "लोग आपस में बार-बार सवाल करते रहेंगें, यहाँ तक कि कहा जाएगा: 'अल्लाह ने सारी मखलूक़ पैदा की है, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया?' जो व्यक्ति अपने दिल में ऐसा कोई सवाल पाता है, उसे चाहिए कि कहे: 'मैं अल्लाह पर ईमान लाया।'"

मुसलमानों की शंकाओं को दबाना

शुरू से ही मुसलमानों को सिखाया जाता है कि इस्लाम के खिलाफ़ कुछ भी सुनना बंद कर दें, क्योंकि इससे उनका **ईमान** (आस्था) खत्म हो सकता है। और अगर उनका ईमान खत्म हो जाता है, तो वे नर्क में जाएंगे। दूसरे, जो कोई भी उन्हें तार्किक बातें बता रहा है, शायद उस पर **शैतान** का साया है जो उन्हें धोखा दे रहा है। शैतान का अर्थ इस्लाम में एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से है जो इंसानों को पाप करने के लिए उनके दिलों में फुसफुसाते हैं (**वसवसा डालना**)।

दरअसल, इस्लाम में तर्क को हतोत्साहित किया जाता है... तर्क का मतलब है शैतान या कुफ्र (**अल फ़िक्र अल कुफ्र**)। आपको सिर्फ़ इस्लाम की कही बात पर यकीन करना चाहिए, न कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़े-लिखे मुसलमानों के लिए भी इस ब्रेन-वॉशिंग से बच पाना मुश्किल होता है।

अगर कोई इस्लाम के खिलाफ़ तर्क के साथ बहस करता है और पूरी तरह से इसके खिलाफ़ हो जाता है... तो कहा जाता है कि अल्लाह ने उसके दिल पर **मुहर** लगा दी है, इसलिए उसने सच्चाई की समझ खो दी है (**दिल का टेढ़ा होना**)। जो लोग इस्लाम की अमानवीय बातों को स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हें यह तर्क दिया जाता है कि **इंसानी समझ सीमित** है; हम ईश्वर की मसलहत (हिकमत/योजना) को नहीं जान सकते या इंसान सब कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए सवाल मत करो, यह ख़ुदा की मर्ज़ी है।

लेकिन असल में शैतान, इंसान का दिमाग़ है, जो इस्लाम के तर्कहीन और अमानवीय बातों के खिलाफ बोलता है। इसीलिए इस्लाम में इसे निंदा करके दबाया जाता है ("**औज़ु बिल्लाह मिन-श-शैतान निररजीम, इसका मतलब है "मैं शैतान से अल्लाह की शरण मांगता हूँ**")

इस्लामी विद्वान: इस्लाम के कॉस्मेटिक सर्जन

पहले लोगों को मज़हब या किताब की सिर्फ़ वही जानकारी मिलती थी जो मौलवी बताते थे। आम लोग अरबी या उर्दू नहीं जानते थे । आज के दौर में इंटरनेट की वजह से कोई भी चीज़ (चाहे वो मज़हबी हो, ऐतिहासिक हो) छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज के उलेमा अक़्ल या तर्क का सहारा लेकर अपनी बात को सही साबित

करने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने वाला कितने भी सबूत दे। ये लोग बेहतरीन वकील और जलेबी बनाने में माहिर होते हैं।

दूसरे लोगों के सवालों से बचाव की रणनीतियाँ

1 - उद्देश्य भटकाएँ (विषय बदलें)

- मीडिया हमेशा इस्लाम के खिलाफ बोलती है?
- सभी धर्म एक जैसे हैं.. बाइबिल में भी सख़्त सज़ाएँ थीं।
- अगर सारे मुसलमान आतंकवादी होते, तो आप सभी मर जाते।
- जातिवाद, धर्म से भी बड़ा ख़तरा है?

2- छलावा (झूठ, छिपाना, आधा सच, कम आंकना)

- लोगों के सामने शांतिपूर्ण आयतों का हवाला देना।
- "एक व्यक्ति को मारना पूरी मानवता को मारने जैसा है" आयत को उद्धृत करना, "जो कोई भी अपना धर्म बदलता है, उसे मार डालो" को अनदेखा करना
- पैगंबर मुहम्मद (स.) के बारे में झूठी कहानियाँ उद्धृत करना, जैसे बुढ़िया द्वारा कचरा फेंकना
- किसी सख़्त आयत के लिए कहा जाएगा कि वो सिर्फ़ जंग के वक़्त के लिए उतरी थी।
- जिहाद जंग नहीं, नफ़्स से आंतरिक संघर्ष है
- जिहाद असली इस्लाम नहीं है
- मुहम्मद (स.) के सभी युद्ध रक्षात्मक थे
- इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है
- इस्लाम महिलाओं को अधिकार देता है, इस्लाम गुलामों को आज़ाद करता है
- लोगों को भ्रमित करने और अर्थ बदलने के लिए कुरान के अनुवाद के साथ खेलना।
- यह गलत व्याख्या है, असली कुरान पढना चाहिए ।
- अरबी में असली मानी कुछ और हैं, तर्जुमा (अनुवाद) में ग़लती हुई है।
- यह आयत किसी दूसरी बात/प्रसंग के लिए है (यहां तक कि महिलाओं की पिटाई भी), इसका सही मानी तब समझ में आएगा जब आप पूरा संदर्भ पढ़ेंगे।
- ये बात शाब्दिक नहीं संकेतिक है, इसका मतलब गहरा है। इन बातों को केवल धार्मिक विद्वान ही समझ सकते हैं।
- कई पारंपरिक हदीसें जो शर्मनाक हैं, उन्हें कमज़ोर घोषित करना।
- हम मानते हैं कि यह केवल हदीस में है, लेकिन कुरान में नहीं है।
- इस्लामी शरिया कानून शांतिपूर्ण है और समाज में न्याय लाता है।

3-अजीब बातों को तर्कसंगत बनाना

- शादी की उम्र (इस्लाम के ज़माने में अरब में बाल विवाह आम था, उस वक्त बालिग़ होने का पैमाना अलग था)
- यहूदियों की हत्या उनके ही धार्मिक कानून के अनुसार थी
- एक से ज़्यादा शादियाँ (युद्ध काल में मजबूरी थी ताकि विधवाएँ, औरतें बेसहारा न रहें)।

4 - पीड़ित होने का दिखावा

- अमेरिका और इज़राइल निर्दोष मुसलमानों को मार रहें है, हमें हमेशा टार्गेट किया जाता है।
- जब भी कोई एक मुसलमान कुछ गलत करे, पूरी दुनिया सारे मुसलमानों को दोष देती है।

जब मुसलमान अपनी ख़राब हालत के बारे में मौलवी से पूछते हैं, तो आम तौर पर जो जवाब दिए जाते हैं:

1. हम इस्लाम से दूर हो गए हैं:

सारी ज़िम्मेदारी आम मुसलमानों पर डाल दी जाती है।

"पहले के मुसलमान बहुत मजबूत थे क्योंकि ईमान मजबूत था, हमारा नहीं है ।"

"क़ुरआन और सुन्नत छोड़ दी, इसलिए अल्लाह की मदद उठ गई।"

अगर मुसलमान पैग़म्बर (स.) के बताए हुए तरीक़े पर चलें (शरीअत और जिहाद), तो उन्हें दुनिया में और आख़िरत में सम्मान मिलेगा, जैसा कि पहले के समय में मुसलमानों का ऐसा प्रभाव था कि लोग उनका सम्मान करते थे।

2. यह अल्लाह की आज़माइश है:

दुख और नाकामी को ईश्वरीय परीक्षा बता दिया जाता है।

हदीस जामे तिर्मिज़ी 2260: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उस समय अपने दीन पर सब्र से क़ायम रहना ऐसा होगा जैसे कोई आदमी अपनी हथेली में अंगारे को पकड़े हुए हो।"

3. दुश्मनों की साज़िश:

हर नाकामी का दोष बाहर वालों पर, "यहूदियों, ईसाइयों, पश्चिम और मीडिया की साज़िश है"। एक साधारण मुसलमान यह विश्वास नहीं

कर पाता कि उनके धर्म के लोग ही कई आतंकवादी कार्य क्यों करते हैं। मुल्ला उन्हें षड्यंत्र के सिद्धांत बताकर भ्रमित करते हैं, जैसे कि इस्लाम को बदनाम करना इज़राइल या अमरीका का काम है।

दूसरों से नफ़रत के लिए इस्लामी विद्वानों द्वारा दिए जाने वाले तर्क

1. आपकी विदेश नीतियाँ ही हमारी नफ़रत का कारण हैं।

2. हम आपसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ किए गए अपराधों के कारण नफ़रत करते हैं।
3. हम आपसे इस्लाम के ख़िलाफ़ किए गए अपराधों के कारण नफ़रत करते हैं, आप हमारे धर्म और पैग़म्बर का मज़ाक उड़ाते हैं।

4. हम आपसे नफ़रत करते हैं क्योंकि आपके धर्मनिरपेक्ष समाज उन बातों की अनुमति देते हैं जिन्हें अल्लाह ने हराम ठहराया है।

5. हम आपसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि आप अविश्वासी हैं; आप अल्लाह की एकता (तौहीद) को नकारते हैं।

ऊपर बताए गए कारण सिर्फ़ बाहरी हैं। यदि आप शांति के मिल-जुलकर रहना चाहते हैं, तब भी हम आपसे नफ़रत करते रहेंगे, जब तक आप इस्लाम को स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन अगर आप इस्लाम के किसी दूसरे संप्रदाय में चले भी जाओ, तब भी हम आपसे नफ़रत करेंगे। इस्लाम में आने के बाद अगर आप शरीअत या जिहाद का विरोध करोगे, तो हम आपको मुनाफ़िक़ कहेंगे और आपसे नफ़रत करेंगे।

आख़िर सही इस्लाम क्या है?

सही इस्लाम वह है **"जो पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के समय में था और जो कुरान और हदीस में लिखा है",** न कि जो मौलवी मीडिया पर बताते हैं।

इस्लाम के प्रारंभिक 150 वर्ष:

- 7वीं सदी की कोई मूल हस्तलिपि सुरक्षित नहीं
- समकालीन इतिहास में कोई सबूत नहीं
- मक्का-मदीना में भौतिक अवशेष अनुपस्थित

अधिकांश सामग्री 100–300 साल बाद लिखी गई। प्रचलित इस्लाम का रूप अब्बासी काल में पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। सभी मूल विषय हदीस, सीरह, फ़िक़्ह, तफ़्सीर इसी काल में स्थायी रूप से संकलित और व्यवस्थित किए गए।

इस्लाम की जानकारी (पुराने ग्रंथ अधिक विश्वसनीय)

1. कुरान और इसके कई अनुवाद -

2. कुरान की तफ़सीर (व्याख्याएँ) - इमाम अल-तबरी, इमाम इब्न कसीर, इमाम अल-क़ुर्तुबी

3. हदीस (पैगंबर के जीवन की घटनाएँ) - सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम, सुन्नन नसाई, जामे तिर्मिज़ी, सुन्नन अबू दाऊद, सुन्नन इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद

4. सीरा (पैगंबर का जीवन) - इब्न-हिशाम, इब्न-इशाक़

5. तारीख़-ए-इस्लाम (इस्लामी इतिहास) - अल-तबरी, अल-बिदाया वन्-निहाया – इब्न कसीर

क़ुरआन को समझना कठिन है!

सामान्यतः क़ुरआन की सूरहों की व्यवस्था लंबी से छोटी की ओर है। क़ुरआन अवतरण (नुज़ूल) के क्रम में नहीं है, न ही विषय-वार है। इसलिए दो आस-पास की सूरा आम तौर पर पूरी तरह अलग विषयों पर होती हैं ।

एक उदाहरण, सूरह 40 अल-ग़ाफ़िर

आयत 1–9: वही, तौबा और फ़रिश्तों की दुआ
आयत 10–17: क़ियामत और न्याय
आयत 18–52: नबी मूसा (अ.) और फिरऔन का टकराव
आयत 53–57: रसालत की निरंतरता और क़ियामत की हक़ीक़त,
आयत 58–66: अक़्ल वाले और अंधे बराबर नहीं
आयत 67–77: इंसानी पैदाइश और सब्र की तालीम
आयत 78–85: रसूलों का इतिहास और इनकार का नुक़सान

यहाँ "नुज़ूल का समय/ संदर्भ" उल्लेखित नहीं होता है। सिर्फ़ अनुवाद पढ़ने से सही मानी नहीं मिलता, क्योंकि हर आयत किसी घटना, सवाल या विशेष परिस्थिति में उतरी होती है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए असबाब-उन-नुज़ूल या तफ़सीर जैसे विशेष ग्रंथों की आवश्यकता होती है। क़ुरआन काव्यात्मक शैली और अत्यंत पुरानी अरबी भाषा में है, जो आज की बोली जाने वाली अरबी से अलग है। जो लोग अरबी नहीं जानते उनके लिए इसे सीधे समझ पाना लगभग असंभव होता है। क़ुरआन में कई जगह रूपक, प्रतीकात्मक कथन और इशारों का इस्तेमाल हुआ है। इन अर्थों को

समझने के लिए गहरे अध्ययन की ज़रूरत होती है। अलग विद्वानों का अलग दृष्टिकोण होने के कारण अनुवाद कभी-कभी अर्थों में अंतर पैदा कर देता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए हर अनुवादक अपने समझ के अनुसार अर्थ लेता है।

क़ुरआन को समझने के लिए शाने नुज़ूल (सूरा के अवतरण का कारण) और तफ़्सीर के साथ पढ़ना जरूरी है और पुराने अनुवाद ग्रंथों का उपयोग किया जाए, जिनमें बातें साफ-साफ लिखी हों।

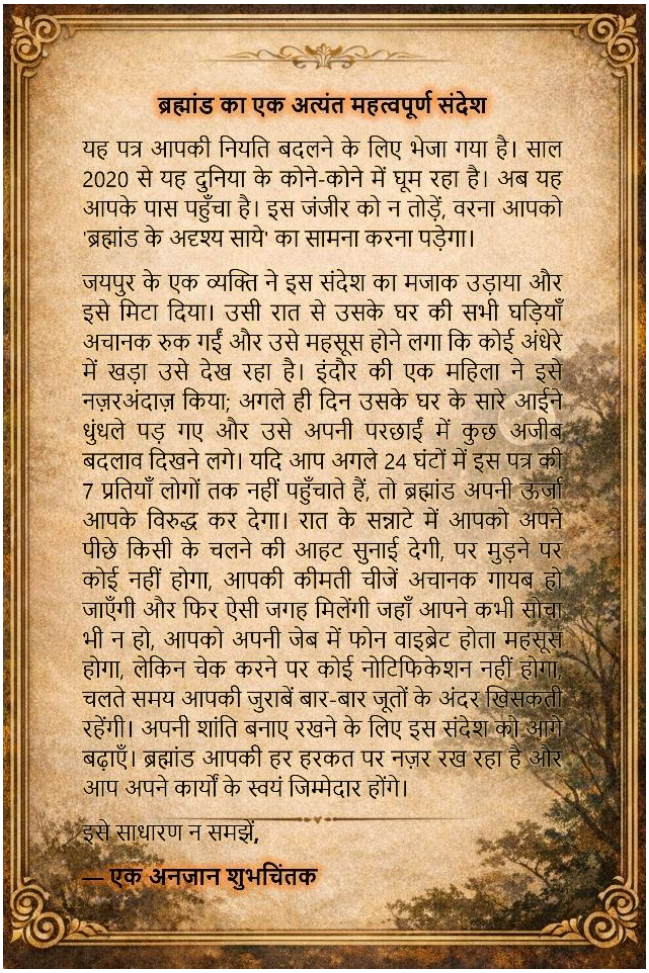
ब्रह्मांड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश
यह पत्र आपकी नियति बदलने के लिए भेजा गया है। साल 2020 से यह दुनिया के कोने-कोने में घूम रहा है। अब यह आपके पास पहुँचा है। इस जंजीर को न तोड़ें, वरना आपको 'ब्रह्मांड के अदृश्य साये' का सामना करना पड़ेगा।
जयपुर के एक व्यक्ति ने इस संदेश का मजाक उड़ाया और इसे मिटा दिया। उसी रात से उसके घर की सभी घड़ियाँ अचानक रुक गईं और उसे महसूस होने लगा कि कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा है। इंदौर की एक महिला ने इसे नज़रअंदाज़ किया; अगले ही दिन उसके घर के सारे आईने धुंधले पड़ गए और उसे अपनी परछाईं में कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे। यदि आप अगले 24 घंटों में इस पत्र की 7 प्रतियाँ लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं, तो ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा आपके विरुद्ध कर देगा। रात के सन्नाटे में आपको अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देगी, पर मुड़ने पर कोई नहीं होगा, आपकी कीमती चीजें अचानक गायब हो जाएँगी और फिर ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ आपने कभी सोचा भी न हो, आपको अपनी जेब में फोन वाइब्रेट होता महसूस होगा, लेकिन चेक करने पर कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, चलते समय आपकी जुराबें बार-बार जूतों के अंदर खिसकती रहेंगी। अपनी शांति बनाए रखने के लिए इस संदेश को आगे बढ़ाएँ। ब्रह्मांड आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा है और आप अपने कार्यों के स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इसे साधारण न समझें,
— एक अनजान शुभचिंतक

चेन लेटर: डर और लालच का खेल

कुछ धर्मों की संरचना चेन लेटर जैसी प्रतीत होती है, जिनमें यह दावा किया जाता है कि यदि पर्चे की तय संख्या में प्रतियाँ आगे नहीं भेजी गईं, तो पढ़ने वाले के साथ अशुभ घटनाएँ, बीमारी, दुर्भाग्य या मृत्यु हो सकती है। इनका उद्देश्य लोगों के डर, अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग कर संदेश को फैलाना है।

चेन लेटर कैसे काम करता है —

1. डर - निर्णय-क्षमता को कमजोर करता है और तर्क को पीछे धकेल देता है।

2. समय का दबाव- अक्सर इसमें लिखा होता है: 24 घंटे के भीतर, तुरंत भेजें; इसका उद्देश्य पाठक को सोचने का समय न देना है, ताकि वह जाँच-पड़ताल किए बिना आगे भेज दे।

3. प्रमाण - वाक्य जैसे: कई लोगों ने इसे भेजकर सफलता पाई, जिन्होंने नहीं भेजा, उनके साथ बुरा हुआ, यह तकनीक पाठक को यह विश्वास दिलाती है कि "सब ऐसा कर रहे हैं।"

4. मुक्ति का रास्ता - चेन लेटर पाठक को एक आसान विकल्प देता है भेज दोगे तो सुरक्षित रहोगे। पाठक सोचता है: "भेज देने में क्या ही नुकसान है?"

5. अंधविश्वास और नियंत्रण - ऐसे संदेश सत्यापन योग्य नहीं होते, लेकिन भावनात्मक रूप से प्रभावी होते हैं

डिजिटल गिरफ्तारी की तकनीक

भय और चिंता:

जेल का डर, सामाजिक प्रतिष्ठा का डर, पीड़ित में पैनिक पैदा करता है, जिससे सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है।

तत्काल परिणाम का डर

"आपको कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा"

लगातार निगरानी

कॉल काटने से मना, कैमरा ऑन रखने को कहा जाता है

"डिजिटल अरेस्ट" का नाटक

नकली सबूत दिखाना, वीडियो कॉल पर फर्जी यूनिफॉर्म या बैकग्राउंड के इस्तेमाल से भरोसा जीता जाता है

समाधान का लालच: "अभी जुर्माना भर दें, मामला रफा-दफा हो जाएगा"

सामाजिक अलगाव: "अगर किसी को बताया तो गिरफ्तारी पक्की"

इस्लाम और नार्सिसिज़्म

इस्लाम का अध्ययन करने से पहले नार्सिसिज़्म को समझना ज़रूरी है; इसके बिना इस्लाम के कई पहलुओं को समझ पाना कठिन होगा। **नार्सिसिज़्म (अहंकेन्द्रित प्रवृत्ति)** एक मानसिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप में इतना खो जाता है कि दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देता है।

महानता और ख़ास होने का भ्रम

खुद को अत्यंत महान, असाधारण और विशेष मिशन के लिए चुना गया समझना ।

घमंड और आत्म-केंद्रित सोच

व्यवहार में अकड़, आत्म-महत्त्व और दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति होना।

खुद को पीड़ित मानना

खुद को पीड़ित या शिकार के रूप में देखना, और मानना कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं।

सहानुभूति की कमी

दूसरों की भावनाओं, तकलीफ़ों या दुख का कोई ख़ास अहसास न होना।

आलोचना सहन न कर पाना

यदि कोई गलती बताए या अस्वीकार करे तो तुरंत गुस्से या प्रतिशोध में उतर आना।

चालाकी से लोगों को नियंत्रित करना

अपनी बात मनवाने के लिए भावनात्मक रूप से दबाव डालना, अपराधबोध में डालना, तर्कों से अपने अपराध को सही ठहराना।

अलग विचारधारा के परिवार/ दोस्तों से दूर करना

अनुयायी को उनके परिवार और दोस्तों से अलग करना जो अलग विचारधारा के हैं ।

विश्वसनीय इस्लामी वेबसाइटें

https://sunnah.com/, https://quran.com/

https://www.islamweb.net/en/

https://www.searchtruth.com/

https://www.altafsir.com/

इस्लाम के प्रमुख फ़िर्क़े

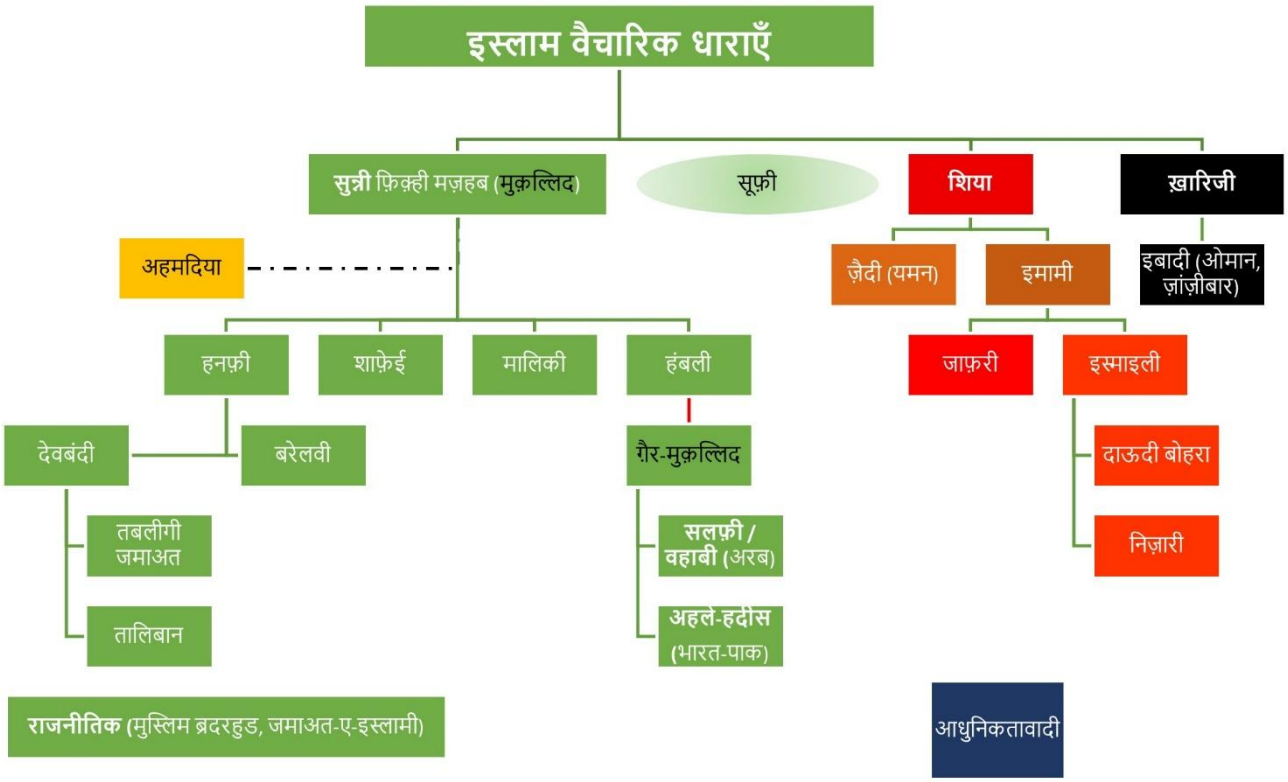

अध्याय 2. दावा: इस्लाम का एकमात्र उद्देश्य इंसानों को एक अल्लाह की ओर बुलाना है।

अगर इस्लाम का उद्देश्य सिर्फ़ लोगों को ईश्वर (अल्लाह) की ओर बुलाना है, तो फिर यहूदियों के प्रति नफ़रत या कठोर रवैया क्यों, जबकि वे भी एक ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर में आस्था उस वैचारिक ज़ंजीर (इस्लाम) की केवल एक कड़ी है, जिसके ज़रिए एक मुसलमान को बाँध दिया जाता है। लेकिन ईश्वर की उपासना पर इतनी कड़ियाँ जोड़ दी जाती हैं ताकि मुस्लिम–गैर मुस्लिम के बीच दरार पैदा हो जाए, और धार्मिक नेता मुसलमानों का मनचाहे ढंग से प्रयोग कर सकें।

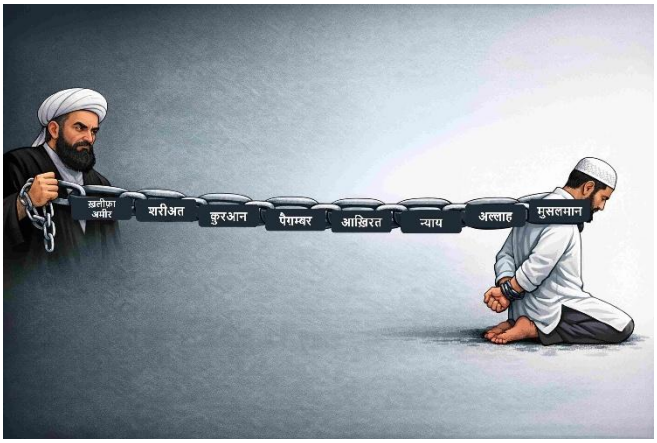

"**इस्लाम**" शब्द का मतलब शांति नहीं, "**समर्पण**" है

यद्यपि 'इस्लाम' का अर्थ अल्लाह की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण बताया जाता है, किंतु व्यवहारिक स्तर पर यह समर्पण पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के आदेशों के प्रति और वर्तमान समय में धार्मिक विद्वानों (मुल्लाओं) की के प्रति समर्पण के रूप में सामने आता है। इसी 'पूर्ण समर्पण' की मांग के कारण इस्लाम धर्म एक 'अंधभक्त' पैदा करता है।

कुरान 4:65: वे तब तक ईमान नहीं ला सकते, जब तक कि वे अपने बीच के सभी विवादों में आपको (हे मुहम्मद) न्यायाधीश न बना लें, और अपने अंदर आपके निर्णयों के विरुद्ध कोई प्रतिरोध न पाएं, और उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करें ।

कुरान 24:51: ईमानवाले जब अल्लाह (कुरान) और उसके रसूल की ओर बुलाए जाते हैं ताकि वह उनके बीच फ़ैसला करे, तो उनका कहना बस इतना ही है कि: "हम सुनते हैं और मानते हैं।" और वही लोग सफल हैं (जो हमेशा जन्नत में रहेंगे)।

इस्लामी आस्था (ईमान)

ईमान, इस्लाम में आस्था, विश्वास और दृढ़ यकीन को कहा जाता है। ईमान कुछ बुनियादी विश्वासों पर आधारित है,

1. अल्लाह पर विश्वास- यह यकीन कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझेदार नहीं है।

2. पैग़म्बरों पर विश्वास - सभी नबियों (आदम से लेकर पैग़म्बर मुहम्मद {स.} तक) पर ईमान लाना।

3. अल्लाह की किताबों पर विश्वास- कुरआन

4. क़यामत के दिन (आख़िरत) पर विश्वास- यह यकीन कि मरने के बाद फिर ज़िंदा किया जाएगा और हिसाब होगा (जन्नत और जहन्नम) ।

ईमान (धार्मिक विश्वास) को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल

क्योंकि ईमान ऊपर बताई गई चीज़ों पर केवल एक यक़ीन (विश्वास) है, जिसकी सीधी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए यह जीवन की परिस्थितियों के अनुसार कभी बढ़ और कभी घट सकता है।"

ईमान मजबूत होता है: जब इंसान जीवन में कोई चमत्कार महसूस करे, जब दुआ कबूल हो, जब दीन की कोई बात दिल को छू जाए
ईमान कमज़ोर महसूस होता है: जब दिल सवालों से भर जाए

मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ईमान, इंसान की सोच, व्यवहार, भावनाओं और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। 1400 से अधिक वर्षों में इस मनोवैज्ञानिक कला को सिद्ध किया गया है।

1. अल्लाह के अस्तित्व और धार्मिक कथा का उपयोग: बचपन से ही विश्वासों से भावनात्मक लगाव विकसित कर दिया जाता है। अल्लाह के अस्तित्व और अल्लाह की एकता (एकेश्वरवाद) पर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। कहानी सुनने से विश्वास भावनात्मक स्तर पर मजबूत होता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क कहानी को तर्क की तुलना में अधिक आसानी से स्वीकार करता है।

2. मृत्योपरांत जीवन (आख़िरत) का भय

जीवन को अर्थ प्रदान करने के लिए आख़िरत की धारणा में विश्वास जगाया जाता है और नरक में दिए जाने वाले भयानक दंड का

विस्तार से वर्णन किया जाता है। मृत्योपरांत जीवन एक अपरिवर्तनीय मामला है, और इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है (मृत्यु के बाद कोई सुधार संभव नहीं) ।

3. जल्दबाज़ी की भावना - चूंकि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है (क़ियामत आने वाली है), इसलिए बहुत कम समय बचा है। साथ ही, कोई कभी भी मर सकता है, इसलिए उसे जल्द से जल्द और अपनी मृत्यु से पहले एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आप मर जाते हैं, तो आपकी किस्मत तय हो जाती है और कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता।

4. जन्नत की उम्मीद: इनाम की उम्मीद बनाए रखना

5. धार्मिक अभ्यासों की पुनरावृत्ति: नमाज़, कलिमा, दुआ, ख़ुतबा (धार्मिक भाषण), दर्स, जमाअत, बार-बार सुनना और करना विश्वास को स्थायी बनाता है।

6. भावनात्मक माहौल: तर्ज़ वाली तिलावत, नातें, दुआ में रूहानी माहौल, धार्मिक सभाओं में भावनात्मक स्वर; ये चीज़ें विश्वास को दिल के स्तर पर मजबूत करती हैं।

7. प्रश्न पूछने को सीमित करना, सामाजिक दबाव: इससे विश्वास चुनौती से बचकर स्थिर रहता है। जो व्यक्ति सवाल पूछता है, उसे "ईमान की कमज़ोरी" कहकर चुप करा दिया जाता है। जो व्यक्ति अलग राय रखता है, उसे दोषी महसूस कराया जाता है या सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया जाता है।

8. सामूहिक पहचान: मस्जिद, ईद, नमाज़-ए-जनाज़ा, धार्मिक त्योहार — यह सब एक समुदाय की भावना बनाते हैं। समूह में रहकर इंसान "अगर सब मान रहे हैं, तो सही होगा" जैसी सोच विकसित करता है।

9. बुद्धि/तर्क को दबाना

जब आप किसी इंसान को "ईश्वर का प्रिय" घोषित कर देते हैं, तो आप उसे साधारण मानवीय नैतिकता और आलोचना से ऊपर उठा देते हैं। मुहम्मद (स.) को "महबूब" का शीर्ष स्थान देकर एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जहाँ उनके हर कार्य (चाहे वह युद्ध हो, लूट हो, या शादियाँ) को "अल्लाह की पसंद" बताकर सही ठहराया जा सके। इससे इंसान की अपनी स्वतंत्र बुद्धि मर जाती है।

10., सोशल मीडिया और वेबसाइटों का प्रभाव

आधुनिक समय में ब्रेनवॉशिंग केवल अनपढ़ या कमज़ोर वर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पढ़े-लिखे मुसलमान भी एक सुव्यवस्थित वैचारिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित किए जाते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक और संस्थागत निवेश किया जाता है। यूट्यूब, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफ़ॉर्मों पर एकतरफ़ा धार्मिक कंटेंट फैलाया जाता है।

इस्लाम का प्रचार कार्य (तबलीग़, दावा) और अपोलोजेटिक्स

बड़ी संस्थाएँ धार्मिक प्रचार के लिए कुछ बुद्धिमान लोगों (**अपोलोजेटिक्स**) की मदद से क़ुरआन और हदीसों की मान्यताओं को तर्कसंगत सिद्ध करती हैं, जो अक्सर **शुगर-कोटेड अनुवाद** और **चयनित व्याख्याएँ** प्रस्तुत करते हैं। इस्लामी वेबसाइटों, संस्थाओं, पुस्तकों के प्रकाशन, और ज़ाकिर नाइक व अहमद दीदात जैसे प्रचारकों पर भारी धन खर्च किया जाता है।

इस्लाम के बारे में कई झूठी बातें प्रचारित की जाती हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण धर्म, सबसे तेज़ी से बढ़ता धर्म और पैग़म्बर को "इतिहास का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति" बता कर प्रचार किया जाता है। यह विश्वास दिलाया जाता है कि कुरान में कई वैज्ञानिक खोजें हैं और ईसाई और यहूदी गुप्त रूप से कुरान से विज्ञान चुराते हैं और आविष्कार करते हैं। गौरवशाली इस्लामी अतीत का महिमामंडन और फ़िलिस्तीन में मुसलमानों की पीड़ा को लगातार उभारना, युवाओं को प्रेरित करता है। आधुनिक, वैज्ञानिक या आलोचनात्मक विचारों को अविश्वसनीय या "दुश्मनी से प्रेरित" बताकर खारिज कर दिया जाता है। सांस्कृतिक भिन्नता और समयानुसार नैतिक मूल्यों में बदलाव के तर्क लेकर अमानवीय चीज़ों को सही साबित करते हैं। और अगर इसके बावजूद भी कोई इसे स्वीकार न कर पाए तो उसे समय देकर समझाया जाएगा "मानव बुद्धि सीमित है, केवल ईश्वर ही मार्गदर्शन देता है...."

दावा का इस्लामी संदर्भ में इसका अर्थ होता है: "दूसरों को इस्लाम अपनाने के लिए आमंत्रित करना"। जब कोई इस्लाम का प्रचार करता है तो वह अच्छी तरह से तैयार होता है और आपके ज्ञान और पृष्ठभूमि के अनुसार आपके दिमाग पर काम करता है। इस्लामी संदेश को इस प्रकार प्रस्तुत करता है ताकि आपको यह विश्वास दिलाया जा सके कि

1. पैग़ंबर मुहम्मद (स.) अल्लाह के रसूल हैं।

2. क़ुरआन एक अलौकिक पुस्तक है।

फिर व्यक्ति अल्लाह के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह की राह में बुलाना सबसे महत्वपूर्ण है (**व्यावहारिक रूप में इसका मतलब है मुसलमान बनाना**), और इसके लिए सब कुछ जायज़ माना जाता है। क्योंकि केवल ईश्वर पर विश्वास और अच्छे कर्म करना इनके लिए पर्याप्त नहीं है; इनका

उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आप इस्लाम स्वीकार करें और पूरी तरह समर्पित हो जाएँ।

इस्लामिक अपोलॉजिस्ट्स द्वारा प्रयुक्त तर्क:

1. दुनिया में व्यवस्था और सुंदरता

इसलिए इसे बनाने वाला कोई बुद्धिमान और शक्तिशाली रचनाकार होना ही चाहिए।

2. इंसान का उद्देश्य

यह समझाया जाता है कि इंसान यूँ ही नहीं बनाया गया, बल्कि जीवन एक परीक्षा है।

3. पैग़म्बर की ज़रूरत

रचनाकार इंसानों में से कुछ लोगों को चुनता है ताकि वे उसका संदेश लोगों तक पहुँचाएँ। इन्हें पैग़म्बर कहा जाता है।

4. एक ही ईश्वर की इबादत

यह ज़ोर देकर कहा जाता है कि ईश्वर केवल एक है और उसी की इबादत होनी चाहिए, उसका कोई साझी नहीं।

6. अंतिम पैग़म्बर की घोषणा

बताया जाता है कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.) आख़िरी पैग़म्बर हैं। इसके बाद किसी नए पैग़म्बर को मानने की गुंजाइश नहीं रहती।

7. पैग़म्बर का विशेष स्थान

यह बताया जाता है कि अल्लाह के साथ-साथ पैग़म्बर मुहम्मद (स.) का मानना और उनका सम्मान करना ज़रूरी है। यह विश्वास दिलाया जाता है कि क़ियामत के दिन पैग़म्बर मुहम्मद (स.) मुसलमानों के लिए अल्लाह से सिफ़ारिश करेंगे।

8. क़ुरआन को अंतिम किताब बताना

कहा जाता है कि क़ुरआन अल्लाह का अंतिम और पूरी तरह सही शब्द हैं।

9. जन्नत का रास्ता

यह समझाया जाता है कि जन्नत पाने के लिए केवल क़ुरआन और हदीस का पालन करना ज़रूरी है।

10. अन्य धर्मों की अस्वीकृति

यह कहा जाता है कि पहले के पैग़म्बरों का असली संदेश उनके मानने वालों ने समय के साथ बदल दिया। क़ुरआन आने के बाद अल्लाह सिर्फ़ इस्लाम को ही स्वीकार करेगा, बाकी धर्मों को नहीं।

11. शरीअत और अलग पहचान देने का तर्क

अल्लाह (क़ुरआन) और उसके रसूल (सुन्नत) का पालन करना आवश्यक है।

चलिए, अल्लाह पर यक़ीन और अच्छी बातों पर अमल तो समझ में आता है, पर बहुत सारी अटपटी बातें भी आपको माननी होती हैं, एक मुसलमान इन्हें मना कर ही नहीं सकता।

1. नज़र: "बुरी नज़र सत्य है।"— **सहीह बुखारी 5740**;
तफ़सीर इब्न कसीर सूरह अल-क़लम (68:51) — "इस आयत का अर्थ यह है कि वे लोग अपनी नज़रों से लगभग आपको गिरा देते, अर्थात आप पर नज़र लगा देते।" -- क़ुरआन में सूरह अल-फ़लक़ को इससे बचाव माना जाता है।

2. शैतान: निस्संदेह शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है (**क़ुरआन 2:168)**

3. जादू / काला जादू: यह वास्तविक माना जाता है।

4. जिन्न / फ़रिश्ते: यह इस्लाम के मूल विश्वासों में शामिल है।
"और निस्संदेह तुम्हारे ऊपर निगरानी करने वाले (फ़रिश्ते) नियुक्त हैं इज़्ज़त वाले, लिखने वाले।" **क़ुरआन 82:10–11**; दाईं तरफ़ वाला फ़रिश्ता अच्छे कर्म लिखता है, बाईं तरफ़ वाला बुरे कर्म।
क़ुरआन में सूरह जिन्न "जिन्न" प्राणी के बारे में है।

6. यहूदियों को बंदर और सुअर बनाया गया: क़ुरआन में कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से बदल दिए जाने का उल्लेख है:"तो हमने उनसे कहा: 'नीच बंदर बन जाओ।'" **क़ुरआन 2:65, 5:60, 7:166**

उलेमा की हिकमत (रणनीति)

ग्रीक दर्शन ने "आवश्यक अस्तित्व" और "आश्रितता" के विचार दिए। ग्रीक दार्शनिकों ने ये विचार पैग़म्बर मुहम्मद (स.) से लगभग 900–1000 वर्ष पहले विकसित किए। मुस्लिम विद्वानों इन तर्कों का उपयोग करके खुदा के अस्तित्व और एकेश्वरवाद को साबित करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस से आश्वस्त हो जाता है, तो उसे अरबी अल्लाह की संकल्पना और अरबी इबादतों के साथ जोड़ दिया जाता है।

1. वाजिबुल-वुजूद (आवश्यक अस्तित्व)

अरस्तू का "अनमूव्ड मूवर" अचल चलाने वाला: कोई ऐसा अचल और अनिवार्य अस्तित्व होना चाहिए, जो सबका आधार हो।

इब्न सीना ने वाजिबुल-वुजूद विकसित किया: संसार में सब कुछ आश्रित (कॉन्टिंजेंट) है। आश्रित चीज़ें अपने आप अस्तित्व में नहीं रह सकतीं। अतः एक ऐसा अस्तित्व होना चाहिए जो आवश्यक और स्वयं-स्थित हो।

2. आश्रितता तर्क (कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट)

प्लेटो और **अरस्तू** ने कहा कि सब कुछ किसी और पर निर्भर है। अगर सभी चीज़ें आश्रित हैं, तो "पहला कारण" होना चाहिए। **अल-ग़ज़ाली** ने इसे "कलाम" तर्कशास्त्र में विकसित किया। आश्रित चीज़ें केवल तभी मौजूद हो सकती हैं जब उन्हें स्वतंत्र कारण मिले। वह स्वतंत्र कारण सिर्फ़ अल्लाह हो सकते हैं।

3. तौहीद (एकेश्वरवाद)

यूनानी दार्शनिकों ने कल्पना की "सबकुछ उसी से उत्पन्न होता है, इसलिए केवल एक परम कारण होना चाहिए"

वाजिबुल-वुजूत और आश्रितता तर्क के साथ यह तर्क जोड़कर, उलेमा ने साबित किया कि: केवल एक ही अनिवार्य और स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है। इस तर्क ने तौहीद (एकेश्वरवाद) को दार्शनिक रूप से मजबूत किया।

4. परलोक तर्क (आख़िरत)

प्लेटो ने आत्मा के अमरत्व की बात की थी। अल-ग़ज़ाली और अन्य ने रहस्यमय और तार्किक दृष्टिकोण अपनाया: दुनिया अस्थायी और न्यायपूर्ण नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व और शक्ति न्याय के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए परलोक और पुनरुत्थान का सिद्धांत तर्कसंगत है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन के कर्मों का परिणाम केवल दुनिया में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी मिलता है।

विषय	यूनानी दर्शन	क़ुरआन में अल्लाह
परम सत्ता का स्वरूप	शुद्ध, अमूर्त, परम-सत्य	व्यक्तिगत, आदेश देने वाला
संवाद	मौन, निराकार	बोलने वाला
भावनाएँ	भावनाओं से परे	प्रेम, क्रोध, दया आदि
संसार में हस्तक्षेप	नहीं करता	निरंतर हस्तक्षेप
क़ानून / नियम	कोई धार्मिक–सामाजिक क़ानून नहीं	विस्तृत सामाजिक, क़ानूनी नियम
ईश्वर का उद्देश्य	अस्तित्व का कारण होना	मार्गदर्शन, इनाम–सज़ा
ईश्वर की छवि	निरपेक्ष परम-सत्ता	आदेशात्मक शासक

ईश्वर के अस्तित्व या ईश्वर की एकता पर चर्चा का कोई खास फायदा नहीं है। इन बातों को न तो साबित किया जा सकता है और न ही खंडित किया जा सकता है। वास्तव में यूनानी दर्शन अत्यंत गहन है, लेकिन क़ुरआन में अल्लाह की अवधारणा एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के अनुरूप नहीं प्रतीत होती। इसलिए हमें बात करनी चाहिए, जो चीज़ें सामने है और साबित करे कि "इस्लाम ही एकमात्र सत्य मार्ग है" जैसे, क़ुरआन (त्रुटिरहित), हदीस, इस्लाम में अल्लाह की अवधारणा, स्वर्ग की अवधारणा, इस्लाम की नैतिकता आदि।

समझदार मुसलमान को ख़ामोश रखना

जब तक मुसलमान कमज़ोर होते हैं, ऊपर लिखी गई तकनीकें केवल तब तक अपनाई जाती हैं हैं। जैसे ही वे ताक़तवर हो जाते हैं, तरीका बदल जाता है। भले ही किसी मुसलमान को सच्चाई पता हो, लेकिन वह धर्मत्याग/ईशनिंदा के डर से चुप रहता है। यह केवल सोशल मीडिया और इस्लामी धर्मग्रंथों की ऑनलाइन उपलब्धता का ही परिणाम है कि कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति धर्म पर शोध कर सकता है और बिना किसी डर के दूसरों से संवाद भी कर सकता है । वास्तव में, इतिहास में जिसने भी इस्लामी धर्म को उजागर करने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुंचाया गया, जैसे कि "रंगीला रसूल" नामक पुस्तक के लेखक की हत्या कर दी गई और सलमान रुसदी पर कई बार हमला किया गया।

उस मुसलमान के खिलाफ़ नफ़रत सिखाई जाती है जो नियमित रूप से धर्म का पालन नहीं करता है और दूसरे धर्मों के साथ बहुत ज़्यादा घुलता-मिलता है। मौलवी कभी भी अब्दुल कलाम जैसे लोगों की सराहना नहीं करते, क्योंकि वे अच्छे मुसलमान हैं लेकिन सच्चे मुसलमान नहीं हैं। अगर कोई धर्म का इनकार करता है, तो: सबसे पहले, उनके सभी रिश्तेदार उनसे संबंध तोड़ लेंगे (एक बड़ा सामाजिक अलगाव), वे मुस्लिम समुदाय में शादी नहीं कर सकते, उनका विवाह/दफ़न मौलवी द्वारा नहीं किया जाएगा, मुस्लिम कब्रिस्तान उन्हें दफ़न करने की अनुमति नहीं देते, माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। मुस्लिम क्षेत्र (जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान) में रहने पर उन्हें मार दिया जाता है। पाकिस्तान में, इस्लाम के खिलाफ़ एक व्हाट्सएप पोस्ट लिखने पर भी आपको मॉब लिंचिंग या जेल हो सकती है। चूँकि ये देश इस्लाम के आधार पर बने हैं, इसलिए इसके खिलाफ़ कुछ भी सख्ती से निपटा जाता है।

यहां तक कि जानकार माता-पिता भी अपने बच्चों को इस्लाम की सच्ची प्रकृति के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चे ईशनिंदा कर सकते हैं और बाहर कुछ कह सकते

हैं। साथ ही, उन्हें डर होता है कि बच्चे मुस्लिम समुदाय में फिट नहीं हो पाएंगे।

ईमान से शरीअत, शरीअत से शासक को जोड़ना

दिल में ईमान हो जाने के बाद शरीअत का पालन आसान और स्वाभाविक हो जाता है। क़ुरआन, हदीस और सुन्नत पर अमल करने को कह कर शरीअत लागू की जाती है।

"अगर अल्लाह को मानते हो, तो उसके क़ानून को भी मानो"

जान-बूझकर शरीअत को छोड़कर दूसरा क़ानून अपनाना गंभीर धार्मिक अपराध है

क़ुरआन 4:65: "नहीं, तुम्हारे रब की क़सम! वे मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने आपसी विवादों में तुम्हें (पैग़म्बर स. को) निर्णायक न मान लें, फिर तुम्हारे फ़ैसले पर दिल में कोई तंगी न रखें और पूरी तरह समर्पित हो जाएँ।"

क़ुरआन 5:44-47: "और जो लोग अल्लाह की उतारी हुई चीज़ के अनुसार फ़ैसला नहीं करते; वही काफ़िर हैं / ज़ालिम हैं / फ़ासिक़ हैं।"

क़ुरआन 33:36: "किसी मोमिन पुरुष या स्त्री के लिए यह जायज़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का फ़ैसला कर दें तो उनके लिए उसमें कोई और विकल्प रह जाए।"

"शरीअत तभी लागू होगी जब कोई उसे लागू करने वाला हो।" यहीं से ख़लीफ़ा / इमाम, इस्लामी शासक, राजनीतिक सत्ता को धार्मिक ज़रूरत बना दिया जाता है।

क़ुरआन 4:59: "अल्लाह की आज्ञा मानो, रसूल की आज्ञा मानो, और तुम में से अधिकार वालों की।"

शरीअत में शासक का मुसलमान होना अनिवार्य है

क़ुरआन 4:141: "और अल्लाह कभी भी ग़ैर मानने वालों को (अविश्वासियों) मुसलमानों पर किसी प्रकार का अधिकार/शासन नहीं देगा।"

और, शासक क़ुरैश या अहल-ए-बैत से होगा

सुन्नी: **सहीह बुख़ारी 3501, 7140:** पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "शासक/इमामत का अधिकार हमेशा **क़ुरैश** के पास रहेगा, भले ही उनमें से केवल दो ही बचे हों।"

तिर्मिज़ी 2227: कुछ लोग राबिआह क़बीले से 'अमर बिन अल-अस' के साथ थे, तो बक्र बिन वाअिल क़बीले का एक आदमी बोला: "या तो क़ुरैश यह अधिकार छोड़ देंगे, या अल्लाह यह मामले अरबों के अन्य लोगों के बीच रख देगा।" तो 'अमर बिन अल-अस' ने जवाब दिया: "तुमने झूठ बोला। मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को कहते सुना: 'क़ुरैश लोगों के नेता हैं, भले ही अच्छा हो या बुरा, क़यामत तक।'

शिया: इमाम केवल अहल-ए-बैत से होगा, इमामत दैवी नियुक्ति (नस्स) है चुनाव या क़बीलाई आधार स्वीकार नहीं।
तिर्मिज़ी 3713: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "जिसका मैं मौला हूँ, वही अली का मौला है।" "मौला" का मतलब सत्ता, नेतृत्व, संरक्षण और पालन-पोषण में अधिकार है।

इस्लाम में एकेश्वरवाद (तौहीद) को बढ़ावा देने का वास्तविक कारण

भगवान में विश्वास करना तो मानसिक आश्वासन के लिए मानव की अपनी एक आवश्यकता है। हर कोई सहमत है कि एक अंतिम सत्य है, लेकिन एक ऐसे अल्लाह की अवधारणा जो नफरत, युद्ध, दासियों के साथ यौन कर्म को बढ़ावा देता है, की जांच की जानी चाहिए। यहाँ अल्लाह से मेरा मतलब वह ईश्वर जैसा इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम बहुत अधिक जोर देता है कि अल्लाह एक है। इस्लाम समेत कई धर्म कहते हैं कि अल्लाह किसी सांसारिक वस्तु के जैसा नहीं है... तो क्या इसे गिना जा सकता है । इसको अनंत भी मान सकते हैं। अलग-अलग एकेश्वरवादी धर्म ईश्वर की अलग-अलग समझ पेश करते हैं। अगर ईश्वर एक है, तो धर्मों की समझ में इतनी भिन्नता क्यों है?

"असल में इस्लाम के पास गर्व करने लायक कोई और चीज़ है ही नहीं, न तो नैतिकता, न ही शिक्षा।"

असल में, **एकेश्वरवाद** के माध्यम से यह संदेश जाता है कि सभी को एक ही कानून के तहत और उसके प्रतिनिधि (पैग़म्बर, ख़लिफ़ा) के अधीन आना है। सभी धार्मिक और कानूनी अधिकार एक ही संस्था या धर्म के माध्यम से नियंत्रित होंगे। इससे विद्रोह और सत्ता को

चुनौती देने की संभावना कम हो जाती है। बहुदेववाद या कई देवताओं की पूजा, शक्ति और अधिकार के अलग-अलग केंद्र बनाती है, और एकेश्वरवाद प्रचारित करने से अन्य धर्मों का सामाजिक प्रभाव कम किया जा सकता है।

एक **मुस्लिम उम्मत** का आदर्श यह है कि सम्पूर्ण साम्राज्य एक **खिलाफ़त** के तहत एकजुट हो। इसके लिए धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को एकीकृत कर केंद्रित शासन के हाथों में रखा गया, और शरियत को शासन की आधारशिला के रूप में लागू किया गया, ताकि साम्राज्य की एकरूपता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। सभी मुसलमान, चाहे उनकी जाति, भाषा या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, **एक ही दिशा** (काबा) की ओर प्रार्थना करते हैं। हज के दौरान, संपूर्ण दुनिया से मुसलमान काबा (**मक्का**) की तीर्थयात्रा करते हैं। यह दर्शाता है कि पूरी उम्मत एक ईश्वर और एक धर्म के अधीन है। एकेश्वरवादी ढाँचे में वैचारिक एकरूपता पर ज़ोर दिया जाता है, जो व्यवहार में एक भाषा (**अरबी**), एक धार्मिक क़ानूनी व्यवस्था (**शरीअत**) और एक केंद्रीकृत सत्ता (**ख़लीफ़ा**) की ओर झुकाव पैदा करता है। इस्लामी शासक भी हमेशा समर्पित लड़ाके चाहते थे, जिन्हें इस्लामी विचारधारा का उपयोग करके आसानी से संगठित किया जा सके। पूरी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे उनकी मातृभाषा कुछ भी हो, नमाज़ अरबी भाषा में ही पढ़नी होती है, और इसी के साथ **अरबी नाम** रखना भी अनिवार्य होता है।

एक ईश्वर, एक पृथ्वी, एक धर्म, एक शासन

इस्लामी **एकेश्वरवाद** एक **विभाजनकारी** विचारधारा है, जिसमें केवल अपने ईश्वर, अपने धर्म या अपने समुदाय को ही सत्य और वैध माना जाता है, और बाकी सभी धार्मिक विश्वासों, अनुयायियों या परंपराओं को गलत, हीन, या शत्रु के रूप में देखा जाता है। यह मानव समाज को जोड़ने के बजाय लोगों को "हम बनाम वे" में बाँटने का काम करता है। अगर वास्तव में इस्लाम का मक़सद सिर्फ़ अच्छा इंसान बनाना और अल्लाह की इबादत होता तो इतनी हिंसा और संघर्ष देखने को नहीं मिलते। बहुदेववादियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अन्य एकेश्वरवादी धर्मों को भी दबाने के लिए तर्क विकसित किए गए। यहूदी जैसे एक ईश्वर की पूजा करने वाले लोगों से भी नफरत करने के तर्क हैं। हिंदू समाज में ऐसे वर्ग हैं जो एक भगवान की पूजा करते हैं (आर्य समाज), ... क्या मुसलमान उन्हें सही मानते हैं। इसका तर्क ये दिया जाता है कि वे पैगंबर पर विश्वास नहीं करते... इसलिए वे गुमराह हैं। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) को माने बिना अल्लाह की इबादत स्वीकार नहीं होगी। जब अल्लाह ही तय करेगा, कौन सही है या कौन गलत... तो सभी पर विश्वास क्यों थोपना? शुरुआत में जब इस्लाम कमजोर था... तो कहा गया कि धर्म में कोई मजबूरी नहीं है (लकुम दीनुकुम वल्या दीन, आपके लिए आपका धर्म है, और मेरे लिए मेरा धर्म है।), जब शक्ति आई.... तो सभी पर थोप दिया गया (जिहाद की शिक्षा देखें)।

जब हम किसी एक ही विचार को 'परम सत्य' मान लेते हैं, तो बाकी सभी रास्ते 'गलत' मान लिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, जो रास्ते 'गलत' हैं, उन्हें सुधारने या हटाने की जरूरत महसूस होने लगती है। यही मानसिकता युद्ध और हिंसा को जन्म देती है। यह स्वीकार करना कि 'मैं गलत भी हो सकता हूँ' या 'सत्य के कई पहलू हो सकते हैं', कट्टरपंथ से बचने का एकमात्र तरीका है।

आगे चलकर इस्लाम के विभिन्न संप्रदाय, जो एक ही क़ुरआन और एक ही पैग़म्बर का पालन करते हैं, ने एक-दूसरे के प्रति नफ़रत और बहिष्कार को उचित ठहराने के लिए अलग-अलग तर्क विकसित कर लिए (जैसे शिया बनाम सुन्नी, बरेलवी बनाम वहाबी)। हर कोई विश्वास करता है कि वे सही रास्ते पर हैं और अन्य काफिर हैं। इस्लाम के प्रत्येक संप्रदाय का एक नेता होता है जो उन्हें नियंत्रित करता है और उन्हें दूसरों से अलग रखता है।

केवल कुछ मुसलमान ही स्वर्ग जाएँगे

हदीस अन- नसाई 4028: "अल्लाह के रसूल [स.] ने कहा: 'कोई भी आदमी जो बाहर जाता है और मेरी उम्मा (मुस्लिम समुदाय) के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करता है, उसकी गर्दन पर वार करो (उसे मार डालो) ।'

हदीस सहीह बुखारी 7460: मैंने पैगंबर (स.) को यह कहते हुए सुना, "मेरे अनुयायियों का एक समूह अल्लाह के कानूनों का सख्ती से पालन करना जारी रखेगा और जो लोग उनका इनकार करेंगे या उनका विरोध करेंगे, उनसे उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का आदेश (क़ियामत) आ जाएगा और वे उसी अवस्था में होंगे।" [**मिलती-जुलती हदीस, इब्न माजा 10]**

हदीस अबू दाऊद 4596, 4597: अल्लाह के रसूल (स.) हमारे बीच खड़े हुए और कहा: सावधान! किताब के लोग पहले बहत्तर संप्रदायों में विभाजित हो गए थे, और यह समुदाय (मुसलमान) तिहत्तर में विभाजित हो जाएगा: उनमें से बहत्तर नरक में जाएंगे और उनमें से एक स्वर्ग जाएगा, और यह बहुसंख्यक समूह है। (हसन)

दावा: इस्लाम एकेश्वरवाद (तौहीद) की सबसे बेहतरीन मिसाल है।

आसमान से गिरे, खजूर में अटके

इस्लाम-पूर्व अरबों का विश्वास था कि उनके देवी-देवता अल्लाह के सामने उनकी सिफ़ारिश कर सकते हैं।

क़ुरआन 10:18: और वे अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो न उन्हें नुक़सान पहुँचा सकते हैं और न लाभ, और कहते हैं: ये अल्लाह के पास हमारे सिफ़ारिश करने वाले हैं।

क़ुरआन 39:3: सावधान! ख़ालिस बंदगी अल्लाह ही के लिए है। और जिन्होंने उसके सिवा संरक्षक बना रखे हैं (कहते हैं): हम तो उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह के क़रीब पहुँचा दें।

कहा गया कि कोई भी सिफ़ारिश नहीं करेगा:

क़ुरआन 6:51: "और उस दिन से डरा दो जब कोई प्राणी किसी की ओर से बदला न दे सकेगा, और न ही कोई सिफ़ारिश क़बूल की जाएगी..."

क़ुरआन 39:43-44: "क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर सिफ़ारिश करने वाले बना लिए हैं? कहो: क्या (तुम यह मानते हो) जबकि उन्हें किसी चीज़ का अधिकार नहीं और न ही वे कुछ समझते हैं?" "कह दो: सारी शफ़ाअत अल्लाह ही के लिए है..."

क़ुरआन 2:48, 2:123: और उस दिन से डरते रहो जब कोई जान किसी के कुछ काम न आएगी, और न उससे कोई सिफ़ारिश (शफ़ाअत) क़बूल की जाएगी, और न उससे कोई फ़िदिया (बदला) लिया जाएगा, और न उनकी कोई मदद की जाएगी।

क़ुरआन 18:110: "कह दो: मैं तो केवल तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ, मेरी ओर वह्य (ईश्वरीय संदेश) की जाती है..."

क़ुरआन 38:65: "कह दो: मैं तो सिर्फ़ एक चेतावनी देने वाला हूँ, और अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है..."

क़ुरआन 46:9: कह दो: मैं कोई अनोखा रसूल नहीं, और मैं नहीं जानता मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा...

क़ुरआन 6:50: कह दो: मैं नहीं कहता कि अल्लाह के ख़ज़ाने मेरे पास हैं, और न ही मैं ग़ैब जानता हूँ, और न मैं फ़रिश्ता हूँ...

शक्ति की प्राप्ति के साथ-साथ पैगंबर के दर्जे में वृद्धि

क़ुरआन 21:107: और हमने तुम्हें (नबी स.) सारी दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।"

सहीह मुस्लिम 172: "...फिर मुझे मस्जिद-अल-अक़्सा ले जाया गया, और मैंने वहाँ सभी नबियों की इमामत की और उन्हें नमाज़ पढ़ाई।"

सहीह मुस्लिम 202: "उस दिन सूरज बहुत करीब होगा... हर नबी कहेगा: 'नफ़्सी नफ़्सी', लेकिन मुहम्मद (स.) कहेंगे: 'उम्मती उम्मती'।"

हदीस सुनन तिर्मिज़ी 3609: "मैं उस समय भी नबी था जब आदम (अभी) मिट्टी और रूह के बीच थे" (हसन)

क़ुरआन 94:4: "और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र (नाम) ऊँचा कर दिया है।" अल्लाह तआला ने नबी का नाम अपने साथ नमाज़ और अज़ान में जोड़ दिया।

क़ुरआन 4:80: "जिसने रसूल की आज्ञा मानी, उसने अल्लाह की आज्ञा मानी।" - नबी की आज्ञा को अल्लाह की आज्ञा के बराबर है।

सहीह बुख़ारी हदीस नंबर 4474 (या 5006): अबू सईद बिन अल मुअल्ला से रिवायत है: जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने मुझे पुकारा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नमाज़ पढ़ रहा था।" उन्होंने कहा, "क्या अल्लाह ने नहीं कहा था कि जब अल्लाह तुम्हें पुकारे तो तुम अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और उसके रसूल की भी।" (**क़ुरआन: 8:24**) फिर उन्होंने मुझसे कहा, "मस्जिद से निकलने से पहले मैं तुम्हें एक सूरा सिखाऊँगा जो क़ुरआन की सबसे बड़ी सूरा है।"

क़ुरआन: 33:56: "निश्चित ही अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर **सलात** भेजते हैं; ऐ ईमान वालों! तुम भी उन पर सलात और सलाम भेजो।"

"युसल्लून" "युसल्ली" शाब्दिक अर्थ = सलात (**प्रार्थना**);
क़ुरआन 33:43: "वही (अल्लाह) है जो तुम पर सलात करता है, और उसके फ़रिश्ते भी, ताकि वह तुम्हें अंधकारों से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए; और वह मोमिनों पर अत्यंत दयालु है।"
इस पर इस्लामी विद्वानों की सर्वसम्मति है कि अल्लाह की सलात '**नमाज़**' नहीं है। अल्लाह की सलात को महज़ प्रशंसा या इज़्ज़त देने की क्रिया बताया।

इसी लिए हर मुसलमान पैग़म्बर मुहम्मद का नाम सुनते ही **दुरूद शरीफ़** पढ़ता है।
दुरूदे इब्राहीमी: ऐ अल्लाह! पैग़म्बर मुहम्मद और उनकी आल (परिवार) पर रहमत नाज़िल फ़रमा, जैसे तूने इब्राहीम (अलै.) और उनकी आल पर रहमत भेजी। बेशक तू तारीफ़ के क़ाबिल और बुज़ुर्गी वाला है।

** "कुछ आलोचकों के अनुसार, दुरूद की धार्मिक प्रथा में वंश विशेष को महत्व दिया जाना, **परिवारवाद** जैसा प्रतीत होता है।"

फिर कहा गया पैग़म्बर (स.) सिफ़ारिश करेंगे
इस्लामी मान्यता के अनुसार, क़ियामत के दिन पैग़म्बर मुहम्मद (स.) शफ़ाअत (सिफ़ारिश) करेंगे। सबसे बड़ी सिफ़ारिश केवल पैग़म्बर मुहम्मद (स.) को ही दी जाएगी। "लोग आदम (अलै.) फिर नूह, फिर इब्राहीम, फिर मूसा, फिर ईसा के पास जाएंगे ताकि वे अल्लाह से सिफ़ारिश करें... लेकिन वे सभी मना कर देंगे... फिर वे पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पास आएंगे, और आप कहेंगे: 'मैं इसके लिए हूँ। फिर आप सज्दा करेंगे और अल्लाह इजाज़त देगा।" **[सहीह़ अल-बुख़ारी: 7410, सहीह़ मुस्लिम: 193-195]**

वे मुसलमान जिन्होंने बड़े गुनाह किए लेकिन ईमान पर थे, उनके लिए भी पैग़म्बर मुहम्मद सिफ़ारिश करेंगे। "मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने बड़े गुनाह किए होंगे।" **[सुनन अबू दाऊद: 4739]**

कुछ लोग जन्नत में बिना हिसाब के दाख़िल होंगे। उनके लिए भी नबी (स.) की सिफ़ारिश होगी। "सत्तर हज़ार लोग मेरी उम्मत से बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे..." **[सहीह़ अल-बुख़ारी: 5705, सहीह़ मुस्लिम: 220]**

इन आयतों में सिफ़ारिश की गुंजाइश बनाई गई:
1. कौन है जो उसके पास सिफ़ारिश कर सके, सिवाय उसकी अनुमति के? **क़ुरआन 2:255**

2. उस दिन सिफ़ारिश किसी को फ़ायदा न देगी, सिवाय उसके, जिसे रहमान ने इजाज़त दी और जिसकी बात से वह राज़ी हो। **क़ुरआन 20:109**

3. वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वे (फ़रिश्ते या अन्य) शफ़ाअत नहीं करते सिवाय उसके लिए जिससे वह (अल्लाह) राज़ी हो, और वे उसके डर से काँपते रहते हैं। **क़ुरआन 21:28**

4. तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाश और धरती को छह दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर क़ाबिज़ हुआ। वही सारे मामलों को चलाता है। कोई भी शफ़ाअत करने वाला नहीं, सिवाय उसके बाद जो वह इजाज़त दे। **क़ुरआन 10:3**

5. और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से मग़फिरत मांगते और रसूल भी उनके लिए मग़फिरत मांगता तो ज़रूर अल्लाह को तौबा क़ुबूल करने वाला, रहमत वाला पाते। **क़ुरआन 4:64**

हदीस अबू दाऊद 2522: पैगंबर (स.) ने कहा: एक शहीद की शफ़ाअत उसके परिवार के सत्तर सदस्यों (नरक से बचने) के लिए स्वीकार की जाएगी। (सहीह)

शिया इस्लाम में यह विश्वास पाया जाता है कि हज़रत अली (रज़ि) और अन्य इमाम क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे
अल-काफ़ी: जिल्द 1, किताब अल-हुज्जा: इमाम क़यामत के दिन अपने अनुयायियों की शफ़ाअत करेंगे।

इस्लामी अल्लाह में मानवीय लक्षण

मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर (स.) अल्लाह के महबूब थे। सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली (ईश्वर) केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम क्यों करेगा जो स्वयं उसकी अपनी रचना है? खुद इस्लाम का दावा है कि, अल्लाह अपनी किसी भी सृष्टि से मेल नहीं खाता, न तो अपने

स्व में, न ही अपनी विशेषताओं में। लेकिन इस्लामिक अल्लाह तख्त पर बैठता है, बोलता है, सुनता है, नाराज होता है, खुश होता है, प्यार करता है, सजा देता है, हिसाब-किताब के लिए फरिश्ते रखता है, संदेश के लिए जिब्रईल को रखता है। ये सभी तो मानव के गुण हैं ।

इस्लाम में यह मानना अनिवार्य है कि अल्लाह एक है और उसका कोई साथी नहीं है। चलो ये बात इंसान को समझ आ जाती तो ठीक था... अल्लाह को खुद बताना पड़ रहा है कि मेरा कोई प्रतियोगी नहीं होना चाहिए अन्यथा मैं तुम्हें सजा दूँगा, कितनी बचकानी बात है, अल्लाह उन चीजों को लेकर परेशान है जिनका वजूद ही नहीं है। अल्लाह एक ईर्ष्यालु व्यक्ति की तरह तंग सोच वाला हैं।

इस्लाम का दावा है कि, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने अपनी इबादत के लिए फरिश्तों को बनाया, इंसान पर भी अपनी इबादत करना फर्ज किया। इस्लाम में अल्लाह पर विश्वास करना अनिवार्य है, चाहे आपका दिल माने या न मानें। जब इस्लाम स्वयं कहता है कि अल्लाह को मानव की पूजा की आवश्यकता नहीं है, तो फिर जबरदस्ती क्यों !

क़ुरआन 69:17: "और उस दिन फ़रिश्ते उसके (अल्लाह के) चारों ओर होंगे, और उस दिन तुम्हारे रब का अरश उनके ऊपर आठ (फ़रिश्ते) द्वारा उठाया जाएगा।"

अबू दाउद 4727: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने कहा: "मुझे अल्लाह के एक फरिश्ते के बारे में बताने की अनुमति दी गई है, जो अरश (सिंहासन) को उठाता है, उसके कान की मसल से लेकर उसके कंधे तक की दूरी सात सौ साल की यात्रा के बराबर है।"

हदीस सहीह बुखारी 6524: इब्न अब्बास (रज़ि) ने रिवायत किया: पैगंबर (स.) ने कहा, "तुम अल्लाह से नंगे पांव, नंगे, पैरों पर चलते हुए और बिना खतना किए मिलोगे।"

अल्लाह के वास्तव में दो हाथ हैं

फतवा (इस्लामी हुक्म) संख्या: 166843, इस्लाम प्रश्नोत्तर में विद्वान द्वारा: "अल्लाह के दो पैर होने की पुष्टि"

हदीस अन-नसाई 5381: पैगंबर (स.) ने कहा: "जो लोग न्यायी और निष्पक्ष हैं वे अल्लाह के साथ प्रकाश के सिंहासन पर, सबसे दयालु के दाहिने हाथ पर होंगे, जो अपने फैसलों में और अपने परिवार और उन लोगों के साथ व्यवहार में न्यायी हैं जिनके वे प्रभारी हैं।" मुहम्मद (कथावाचकों में से एक) ने अपनी हदीस में कहा: "और उसके दोनों हाथ दाहिने हाथ हैं।" (सहीह)

कुरान 38:75: (अल्लाह) ने कहा: "ऐ इब्लीस (शैतान)! तुझे उस व्यक्ति के आगे सजदा करने से क्या रोकता है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। क्या तू इतना घमंडी है या तू महान लोगों में से एक है?

कुरान 39:67: उन्होंने अल्लाह के बारे में वैसा मूल्यांकन नहीं किया जैसा कि उसका हक है। और क़ियामत के दिन पूरी धरती उसके हाथ में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लपेटा जाएगा। वह पवित्र है, और वह उन सभी से ऊँचा है जिन्हें वे उसका साझीदार मानते हैं!

कुरान 48:10: वास्तव में, (हे मुहम्मद स.) जो लोग आपसे बैअत (प्रतिज्ञा) करते हैं, वे अल्लाह से बैअत (प्रतिज्ञा) करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है।

हदीस सहीह मुस्लिम 6989, 6990: अबू मूसा ने अल्लाह के रसूल (स.) से कहा कि अल्लाह रात के दौरान अपना हाथ बढ़ाता है ताकि लोग सुबह से शाम तक किए गए अपराध के लिए पश्चाताप करें और वह दिन के दौरान अपना हाथ बढ़ाता है ताकि लोग शाम से सुबह तक किए गए अपराध के लिए पश्चाताप करें। (वह पश्चाताप स्वीकार करेगा) पश्चिम में सूरज उगने से पहले (न्याय के दिन से पहले)।

अल्लाह के पास एक वास्तविक शिन (टांग का अगला भाग) है:

कुरान 68:42: (याद करो) वह दिन जब शिन (टांग) को उजागर किया जाएगा (यानी क़ियामत का दिन) और उनको, अल्लाह का सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वे (पाखंडी) ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे।

हदीस सहीह बुखारी 7439: फिर अल्लाह उनके पास किसी और रूप में आएगा, जो उन्होंने पहली बार देखा था (उससे भिन्न)। और वह कहेगा, 'मैं तुम्हारा रब हूँ,' और वे कहेंगे, 'आप हमारे रब नहीं हो।' और फिर उनसे नबियों के अलावा कोई बात नहीं करेगा, और फिर उनसे कहा जाएगा, 'क्या तुम कोई ऐसी निशानी जानते हो जिससे तुम उसे पहचान सको?' वे कहेंगे. 'शिन - पिंडली', और फिर अल्लाह अपनी शिन को खोल देगा, जिसके बाद हर मोमिन उसके सामने सजदा करेगा और कुछ लोग बचेंगे जो सिर्फ़ दिखावे और

अच्छी प्रतिष्ठा पाने के लिए उसके सामने सजदा करते थे। ये लोग सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनकी पीठ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह सख्त हो जाएगी (और वे सजदा नहीं कर पाएँगे)। फिर जहन्नम पर पुल बिछा दिया जाएगा।"

अल्लाह का एक चरित्र यह है कि अल्लाह **बहरूपिया** है।

अल्लाह के दो पैर हैं

वेबसाइट: इस्लाम प्रश्नोत्तर (इस्लामी फतवा) संख्या 166843: "यह पुष्टि कि अल्लाह के दो पैर हैं"

हदीस सहीह बुखारी 4850: पैगंबर (स.) ने कहा, "स्वर्ग और आग (नर्क) ने बहस की, और आग (नर्क) ने कहा, "मुझे अभिमानी और अत्याचारियों को प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है।" स्वर्ग ने कहा, 'मेरे साथ क्या समस्या है? लोगों में से केवल कमजोर और विनम्र लोग ही मेरे पास क्यों आते हैं?' इस पर, अल्लाह ने स्वर्ग से कहा। 'तुम मेरी दया हो जिसे मैं अपने बंदों में से जिस किसी को चाहता हूँ, देता हूँ।' फिर अल्लाह ने (नर्क) आग से कहा, 'तुम मेरी सज़ा का साधन हो जिसके द्वारा मैं अपने बंदों में से जिस किसी को चाहता हूँ, सज़ा देता हूँ। और तुममें से हर एक का पेट भरेगा।' जहाँ तक आग (जहन्नम) की बात है, वह तब तक नहीं भरेगी जब तक अल्लाह उस पर अपना पैर न रख दे, और वह कहेगी, 'क़ति! क़ति!' उस समय वह भर जाएगी, और उसके अलग-अलग हिस्से एक-दूसरे के करीब आ जाएँगे; और अल्लाह अपने बनाए हुए प्राणियों में से किसी पर भी अत्याचार नहीं करेगा। जहाँ तक जन्नत का सवाल है, अल्लाह उसे भरने के लिए एक नई रचना (कायनात) बनाएगा।" **[मिलती-जुलती, तिर्मिज़ी 3272 हदीस सहीह बुखारी 4848, 7384]**

इस्लाम का अल्लाह साजिश करने वाला है

कुरान 3:54: और उन्होंने (अविश्वासियों ने) षड्यंत्र रचा, और अल्लाह ने (उनके खिलाफ) षड्यंत्र रचा: और अल्लाह सबसे अच्छा षड्यंत्रकारी है।

कुरान 7:99: तो क्या वे अल्लाह की योजना से सुरक्षित हैं? अल्लाह की योजना से कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है सिवाय उन लोगों के जो नाश हो चुके हैं।

तफ़सीर कुरान 7:99 (कशफ अल-असरार): क्या वे अल्लाह के धोखे से सुरक्षित महसूस करते थे? नसराबादी ने कहा, "पापी धोखे से कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है? और कौन सा पाप उससे बड़ा है जो अपने ही कामों का गवाह बनता है? क्या यह प्रभु की छत्रछाया पर आक्रमण करने और एकेश्वरवाद से संघर्ष करने के अलावा और कुछ है?"

क़ुरआन 14:88: अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है मार्गदर्शन करता है।

क़ुरआन 4:88: फिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफ़िक़ों के बारे में दो गिरोहों में बँट गए हो? अल्लाह ने उन्हें उनकी करनी के कारण (कुफ़्र की ओर) लौटा दिया है। क्या तुम उसे मार्गदर्शन देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया है? और जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया है, तुम उसके लिए कभी कोई रास्ता (मार्गदर्शन) नहीं पाओगे।

कुरान 4:157: जो वे कहते हैं कि, "हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, अल्लाह के रसूल को, क़त्ल कर दिया।" और उन्होंने न तो उसे क़त्ल किया, न ही उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए एक और व्यक्ति को उसके (ईसा मसीह) जैसा बना दिया गया। और जो लोग इस पर मतभेद करते हैं, वे इस बारे में संदेह में हैं। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिवाय अनुमान के। और उन्होंने उसे (ईसा मसीह को) निश्चित रूप से नहीं मारा।

हदीस सहीह बुखारी 5998: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: एक बद्दू पैगंबर (स.) के पास आया और कहा, "तुम (लोग) लड़कों को चूमते हो! हम उन्हें नहीं चूमते।" पैगंबर (स.) ने कहा, "मैं तुम्हारे दिल में दया नहीं डाल सकता, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे इसे दूर कर दिया है।"

इस्लामी स्वर्ग (कुंवारी लड़कियाँ, शराब)

भौतिक सुखों पर अत्यधिक ज़ोर

स्वर्ग का वर्णन मुख्यतः भौतिक सुखों (भोजन, पेय, बाग़, यौन क्रिया आदि) के रूप में किया गया है, जो आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा सांसारिक इच्छाओं जैसा प्रतीत होता है।

क़ुरआन 4:57: हम उन्हें ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी (स्वर्ग), वे उसमें सदैव रहेंगे। वहाँ उनके लिए अज्वाजुन मुताहरातुन (शुद्ध साथी या पत्नियाँ) होंगी।

क़ुरआन 36: 55-56: बेशक उस दिन जन्नत वाले मौज-मस्ती में मशगूल होंगे। वो और उनकी पत्नियाँ सुखद छाया में होंगी। बेशक आज जन्नत वाले आग वालों की तकलीफ़ों से बेखबर हैं, वो कुँवारियों की कुँवारी लड़कियों का कौमार्य भंग करने जैसे सुखों में मशगूल हैं।

क़ुरआन 55:54-56: वे रेशमी जरी के अस्तर वाले बिस्तरों पर लेटे हुए हैं और दोनों बागों के फल नीचे लटक रहे हैं। तो फिर तुम अपने रब की किन-किन नेमतों को झुठलाओगे? उनमें ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो अपनी निगाहें सीमित रखती हैं, उनसे पहले न कोई पुरुष छुआ है और न कोई जिन्न।

क़ुरआन 56: 22-24: और (वहाँ) हूर (स्त्रियाँ) होगी जिनकी आँखें बड़ी और प्यारी होंगी (पवित्र धर्मी लोगों "अल- मुत्तकुन " की पत्नियाँ, संरक्षित मोतियों के समान। जो कुछ वे किया करते थे, उसके लिए यह एक पुरस्कार था।

कुरान 56:35-37: निश्चय ही हमने उन्हें (जन्नत की स्त्रियों को) विशेष ढंग से पैदा किया है। फिर हमने उन्हें कुँवारी बनाया है। प्रेमपूर्ण और समान आयु की।

तफसीर कुरान 56:35 (इब्न कसीर): अल्लाह के रसूल से पूछा गया, "हे अल्लाह के रसूल! क्या हम जन्नत में अपनी पत्नियों के साथ संभोग करेंगे" उन्होंने कहा, (आदमी एक दिन में सौ कुंवारी महिलाओं के साथ संभोग कर सकेगा।)

तफ़सीर कुरान 56:35 (इब्न अब्बास): प्रेमी अपने पतियों के साथ और उनके साथ इश्कबाज़ी, (दोस्त) सभी एक ही उम्र के, यानी 33 वर्ष की उम्र के।

क़ुरआन 78:33-34: धर्मी लोगों के लिए स्वर्ग में सफलता है, बाग़ और अंगूर के बाग़, और समान आयु की जवान पूर्ण स्तन वाली कुँवारियाँ, और भरा हुआ प्याला (शराब)।

हदीस तिर्मिज़ी 1663: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: "शहीद के लिए अल्लाह के पास छह चीज़ें हैं। उसे खून के पहले बहाव के साथ माफ़ कर दिया जाता है (वह तकलीफ़ उठाता है), उसे जन्नत में उसकी जगह दिखा दी जाती है, उसे कब्र में सज़ा से बचा लिया जाता है, सबसे बड़े ख़ौफ़ से महफूज़ कर दिया जाता है, उसके सिर पर इज़्ज़त का ताज रखा जाता है और उसके रत्न दुनिया और उसमें मौजूद चीज़ों से बेहतर हैं - वह जन्नत के अल-हुरिल -ऐन में बहत्तर (72) पत्नियों से शादी करता है, और वह अपने सत्तर करीबी रिश्तेदारों के लिए सिफ़ारिश (जहन्नम से बचाव) कर सकता है।" (हसन)

हदीस तिर्मिज़ी 2536: पैगंबर (स.) ने कहा: "मोमिन को जन्नत में संभोग में ऐसी और ऐसी ताकत दी जाएगी।" यह कहा गया: "अल्लाह के रसूल! और क्या वह ऐसा करने में सक्षम होगा?" उन्होंने कहा: " उन्हें सौ की ताकत दी जाएगी। " वादा है कि प्रतिदिन 100 कुंवारी लड़कियां होंगी और वे प्रत्येक संभोग के बाद कुंवारी हो जाती हैं.

हदीस सहीह बुखारी 4879, 4880: अल्लाह के रसूल ने कहा, "स्वर्ग में साठ मील चौड़ा एक खोखले मोती से बना एक मंडप है, जिसके प्रत्येक कोने में पत्नियाँ हैं जो अन्य कोनों में रहने वालों को नहीं देखेंगी; और ईमान वाले उनके पास जाएँगे और उनका आनंद लेंगे।

हदीस सहीह बुखारी 3254: पैगंबर (स.) ने कहा, "पहला समूह जो स्वर्ग में प्रवेश करेगा वह पूर्णिमा की तरह (चमकता हुआ) होगा, और उनके बाद का समूह आकाश में सबसे चमकीले तारे की तरह (चमकता हुआ) होगा। उनके दिल एक आदमी के दिल के समान होंगे, क्योंकि उनमें आपस में न तो दुश्मनी होगी और न ही ईर्ष्या; प्रत्येक की हूरियों (स्वर्गीय पत्नियों) में से दो पत्नियाँ होंगी, (जो इतनी

सुंदर, शुद्ध और पारदर्शी होंगी कि) उनकी टांगों की हड्डियों की मज्जा हड्डियों और मांस के माध्यम से दिखाई देगी।

ग़िलमान इस्लामी धर्मशास्त्र में जन्नत (स्वर्ग) में सेवा करने वाले सदैव युवा लड़कों को कहा गया है।

सूरह अत-तूर 52:24: "और उनके बीच ऐसे लड़के घूमेंगे जो मानो छुपे हुए मोती हों।"

सूरह अल-वाक़िआ 56:17: "उनके बीच हमेशा युवा रहने वाले लड़के घूमते रहेंगे।"

सूरह अल-इंसान 76:19: "उनकी सेवा के लिए ऐसे लड़के होंगे जो सदा युवा रहेंगे; उन्हें देखकर तुम बिखरे हुए मोतियों जैसा समझोगे। और जब तुम वहाँ देखोगे, तो सुख-समृद्धि और एक बड़ा साम्राज्य देखोगे। उन पर हरे रेशम और भारी ब्रोकेड के वस्त्र होंगे; उन्हें चाँदी के कंगनों से सजाया जाएगा, और उनका रब उन्हें पवित्र पेय पिलाएगा।"

क्या "सेवा" के लिए युवावस्था और सौंदर्य आवश्यक है? इसका कारण आप आसानी से समझ सकते हैं।

तफ़्सीर इब्न कसीर, सूरह 17:15 (जिल्द 5, पृष्ठ 54 – पुराने संस्करण) "मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के वे बच्चे जो कम उम्र में मर जाते हैं, जन्नत में होंगे और जन्नत वालों की सेवा करेंगे।"

लिंग-असमानता की धारणा

स्वर्गीय पुरस्कारों का वर्णन पुरुष-केंद्रित दिखाई देता है, जबकि महिलाओं के लिए स्पष्ट और समान विवरण कम मिलते हैं।

सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित कल्पना

स्वर्ग का स्वरूप उस समय की अरब सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों से मेल खाता हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसकी सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठते हैं। जन्नत को मरुस्थल मुक्ति के रूप में दिखाया गया: बहती नदियाँ, हरी-भरी बग़ीचे, छाया और ठंडक

हदीस जामेअ तिर्मिज़ी 3768: "हसन और हुसैन जन्नत के युवाओं के सरदार हैं।"

जन्नत में अलग-अलग दर्जों का सिद्धांत

जन्नत सबके लिए समान नहीं: कई दर्जे (दारजात), नबी, शहीद ऊँचे स्तर पर, यह कबीलाई सम्मान-क्रम की झलक देता है।

हदीस सहीह बुखारी 2790: उन्होंने कहा, "स्वर्ग में एक सौ स्तर हैं जिन्हें अल्लाह ने मुजाहिदीन (मुस्लिम योद्धा) के लिए सुरक्षित रखा है जो उसके मार्ग में लड़ते हैं, और दो स्तरों के बीच की दूरी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी की तरह है । इसलिए, जब आप अल्लाह से (कुछ मांगते हैं) तो अल-फ़िरदौस मांगें जो स्वर्ग का सबसे अच्छा और उच्चतम भाग है।"

स्वर्ग वास्तविक

यह स्पष्ट है कि स्वर्ग के वर्णन वास्तविक है।

शाश्वत स्वर्ग बनाम सीमित जीवन

सीमित समय में किए गए कर्मों के बदले अनंत सुख का विचार न्याय और अनुपात के प्रश्न खड़े करता है।

क़ुरआन में 'आकाश' और 'स्वर्ग' के लिए अलग-अलग कोई विशिष्ट शब्द नहीं हैं। जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ इसे आकाश कहा जाता है और जहाँ अनुकूल होता है, वहाँ इसे स्वर्ग कर दिया जाता है। वास्तव में इस्लामी धारणा के अनुसार आकाश की परतों को ही स्वर्ग की परतें माना गया था; लेकिन अब जब मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुँच चुका है, तो इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं की जाती।

इस्लामी जहन्नम (नरक)

सीमित अपराध, अनंत दंड

इंसान का जीवन सीमित है; अपराध भी सीमित समय में होते हैं। सीमित कर्मों के लिए अनंत यातना न्यायसंगत कैसे?

ईश्वर की करुणा बनाम शाश्वत यातना

अल्लाह को अर-रहमान, अर-रहीम कहा जाता है। असीम करुणा और अनंत पीड़ा एक साथ कैसे संगत हैं? धर्म अक्सर जन्म से मिलता है। जन्म से मिली पहचान अनंत दंड का आधार क्यों बने? दुनियावी दंड का उद्देश्य सुधार माना जाता है। जहन्नम में सुधार असंभव है; यह न्याय नहीं, प्रतिशोध बन जाता है।

भय-आधारित नैतिकता

क्या नैतिकता डर/ इनाम से उपजनी चाहिए या आंतरिक विवेक और सहानुभूति से? आग, उबलता पानी, चमड़ी बदलना आदि, नैतिक सुधार से अधिक मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा करती है।

जहन्नम वास्तविक है

तफ़्सीर अल-तबरी, सूरह 83:7: जहन्नम पृथ्वी के नीचे है

"सिज्जीन (कैद) सातवीं धरती के नीचे है, और वही दुष्टों की किताब (उनके कर्मों का रिकॉर्ड) का स्थान है।"

बुराई का प्रश्न

इस्लाम में कोई "स्वतंत्र दुष्ट शक्ति" नहीं है (जैसे द्वैतवाद में है)। कहा जाता है "हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से" होती है तो क्या अल्लाह बुराई का अंतिम स्रोत बन जाता है? अगर नहीं, तो बुराई आती कहाँ से?

कुरआन 4:78 तुम जहाँ कहीं भी हो, मौत तुम्हें पा लेगी, चाहे तुम ऊँचे मजबूत क़िलों में हो। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचे तो कहते हैं: यह अल्लाह की तरफ़ से है। और अगर उन्हें कोई बुराई पहुँचे तो कहते हैं: यह तुम्हारी वजह से (ऐ पैग़म्बर) है। कह दो: सब कुछ अल्लाह की तरफ़ से ही है। तो फिर इन लोगों को क्या हो गया कि ये बात समझते नहीं?

कुरआन 4:79: तुम्हें जो भलाई पहुँचती है, वह अल्लाह की तरफ़ से है; और तुम्हें जो बुराई पहुँचती है, वह तुम्हारे (अपने) कर्मों से है। और हमने तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा और अल्लाह गवाह ही काफी है।

*** "ऐसा प्रतीत होता है कि आयत को सही कर के पुनः डाला गया"

नैतिक कर्मों से अधिक आस्था को महत्व

क्या नैतिक लेकिन गैर-मुसलमान हमेशा घाटे में और ईमान वाला लेकिन अनैतिक व्यक्ति अंततः बच जाएगा?
इस्लाम किस तरह का मार्गदर्शन है कि जो लोग 'सही मार्ग' पर होने का दावा करते हैं, वे ही हत्या और लूटमार कर रहे हैं (इस्लाम की नैतिकता देखें) । "विश्वास" के बजाय "नैतिकता और कर्म" को प्राथमिकता देना अधिक तर्कसंगत और मानवीय है।

तक़दीर या स्वतंत्र इच्छा (अल्लाह को भविष्य की जानकारी)

क़ुरआन बार-बार इंसानों को सही और ग़लत में फ़र्क़ करने और सही राह चुनने की दावत देता है — इसका मतलब है कि इंसान को इख़्तियार (स्वतंत्र इच्छा) है।

"जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इंकार करे..." (**क़ुरआन 18:29**)

"हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया — चाहे वह शुक्रगुज़ार बने या नाशुक्रा।" (**क़ुरआन 76:3)**

क़ुरआन 81:26–28: तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह (क़ुरआन) तो सिर्फ़ तमाम जहानों के लिए एक नसीहत है। तुम में से जो सीधा चलना चाहे उसके लिए।

फिर इस्लाम यह भी सिखाता है कि जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्ज़ी और इल्म के बग़ैर नहीं हो सकता। पैग़म्बर मुहम्मद ने फ़रमाया: "क़द्र (तक़दीर) पर ईमान लाओ, चाहे वह तुम्हारे लिए अच्छी हो या बुरी।" (**सहीह मुस्लिम: किताब अल-ईमान, हदीस नं. 8**)

हदीस सहीह बुखारी 3332: अल्लाह के रसूल (स.) ने "(तुम्हारी रचना के संबंध में), तुममें से हर एक पहले चालीस दिनों तक अपनी मां के गर्भ में इकट्ठा रहता है, फिर वह अगले चालीस दिनों तक एक थक्का बन जाता है, और फिर अगले चालीस दिनों तक मांस का टुकड़ा बन जाता है। फिर अल्लाह एक फ़रिश्ते को चार चीज़ें लिखने के लिए भेजता है: वह उसके कर्म, उसकी मृत्यु का समय, उसकी आजीविका के साधन और वह (आख़रत में) दुखी या धन्य होगा, लिखता है। फिर उसके शरीर में रूह फूंकी जाती है। तो एक आदमी (जहन्नम) की आग के लोगों के समान कर्म कर सकता है, इतना कि उसके और आग के बीच केवल एक हाथ की दूरी रह जाती है, और फिर जो लिखा गया है (फ़रिश्ते द्वारा) पार कर जाता है, और इस प्रकार वह जन्नत के लोगों के समान कर्म करने लगता है और जन्नत में प्रवेश करता है। इसी प्रकार, एक आदमी जन्नत के लोगों के समान कर्म कर सकता है, इतना कि उसके बीच केवल एक हाथ की दूरी रह जाती है, और फिर जो लिखा गया है (फ़रिश्ते द्वारा) पार कर जाता है, और वह (जहन्नम) की आग के लोगों के काम करने लगता है और (जहन्नम) की आग में प्रवेश करता है।"

तक़दीर कब लिखी गई? — (इस पर भी मतभेद है)

क़ुरआन 57:22: कोई मुसीबत ज़मीन में या तुम्हारे नफ़्स में नहीं आती मगर वह किताब (लौहे महफ़ूज़) में दर्ज है इससे पहले कि हम उसे पैदा करें।

सहीह मुस्लिम, हदीस 2653: अल्लाह ने तमाम मख़लूक की तक़दीर लिखी — जमीन और आसमान की तख़्लीक़ से 50,000 साल पहले।

हर साल लैलतुल क़द्र पर

क़ुरआन 44:3–4: हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा — बेशक हम ही डराने वाले हैं। उसी (रात) में हर हिकमत वाला अम्र (फैसला) तै कर दिया जाता है।

लैलतुल क़द्र (रमज़ान के आख़िरी अशरे की विषम रातों में) में सालाना फैसले फरिश्तों को दिए जाते हैं: किसको कितनी रोज़ी, किसकी मौत, कौन बीमार होगा, क्या उतार चढ़ाव आएगा

अल्लाह को भविष्य की जानकारी है..यहाँ तक कि नबी भी भविष्य के बारे में कई बातें जानते थे जैसे कियामत आने वाली है ।

क़ुरआन 2:255: वह जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है...

तफ़्सीर इब्न कसीर 2:255: वह सब जानता है जो आगे है (वर्तमान, भविष्य) और जो पीछे है (भूतकाल)।

क़ुरआन 49:16: कह दो: क्या तुम अल्लाह को अपने दीन (ईमान) के बारे में बताओगे? जबकि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है।

क़ुरआन 18:74: फिर वे चले, यहाँ तक कि जब वे एक लड़के से मिले, तो उसने (ख़िज़्र ने) उसे मार डाला। मूसा ने कहा: क्या तुमने एक बेगुनाह जान को बिना जान का बदला लिए मार डाला? बेशक, तुमने बहुत ही बुरा काम किया!

क़ुरआन 18:80–81: और जो लड़का था, तो उसके माँ-बाप मोमिन थे। हमें डर था कि वह उन्हें ज़्यादती और कुफ़्र में फंसा देगा। तो हमने चाहा कि उनका रब उनकी जगह उन्हें उससे बेहतर पाकीज़ा और रहमत वाला औलाद दे।

क़ुरआन 10:100: और किसी नफ़्स (इंसान) के लिए मुमकिन नहीं कि वह ईमान लाए सिवाय अल्लाह की इजाज़त के। और अल्लाह गुमराही डाल देता है उन पर जो अक़्ल नहीं लगाते।

विरोधाभास: अब दिक्कत ये है कि अल्लाह को ये भी पता होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन नरक में, आखिर इंसान उसी का बनाया हुआ है। इंसान को बहकाने के लिए शैतान भी बना दिया गया है । एक शैतान पूरी इंसानी आबादी को गुमराह करने के लिए काफी है, लेकिन अल्लाह को इंसानों को राह पर लाने के लिए फरिश्तों, नबियों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि नबी पर भी काला जादू असर कर जाता था (हदीस देखें)।

क़ुरआन 2:155: और यक़ीनन हम तुम्हें डर, भूख, माल और जान व फलों की कमी से ज़रूर आज़माएँगे - और सब्र करने वालों को खुशख़बरी सुना दो।

जब अल्लाह को पहले से पता है कि इंसान क्या करेगा फिर उसके पास इख़्तियार (स्वतंत्र इच्छा) कैसे है ।

अल्लाह अनुभव से सीखता है

जैसे, प्रतिदिन 50 नमाजों को बदलकर 5 नमाज करना, कुरान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि पहले धर्म की पुस्तकों में बदलाव किया गया था।

अल्लाह ने कुरान को 23 सालों में स्थिति के हिसाब से धीरे-धीरे भेजा, कई पुरानी आयतें रद करनी पड़ी। पहले से पता नहीं होता था, आयत कोई घटना हो जाने के बाद भेजी जाती थी ।

क़ुरआन 8:65: "ऐ नबी! ईमान वालों को जंग (युद्ध) पर उभारो। अगर तुम में से बीस लोग सब्र करने वाले होंगे तो वे दो सौ (दुश्मनों) पर ग़ालिब आ जाएंगे। और अगर तुम में से सौ होंगे तो वे हज़ार काफ़िरों पर ग़ालिब आ जाएंगे — क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो (सच्चाई को) समझते नहीं।"

क़ुरआन 8:66: "अब अल्लाह ने तुम पर से (ये भार) हल्का कर दिया और जान लिया कि तुम में कुछ कमज़ोरी है। तो अब अगर तुम में से सौ सब्र करने वाले होंगे तो वे दो सौ पर ग़ालिब आएंगे, और अगर तुम में से हज़ार होंगे तो अल्लाह के हुक्म से दो हज़ार पर ग़ालिब आएंगे। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।"

क़ुरआन 2:187: रोज़े की रातों में अपनी पत्नियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वे तुम्हारे लिए वस्त्र हैं और तुम उनके लिए वस्त्र हो। अल्लाह जानता था कि तुम अपने ऊपर धोखा करते थे, अतः उसने तुम्हारी तौबा क़बूल की और तुमसे दरगुज़र किया। अब तुम उनसे संबंध रख सकते हो और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिख दिया है (संतान आदि), उसे चाह सकते हो। और खाओ-पिओ जब तक कि तुमको सफेद डोरी काली डोरी से भोर के उजाले में अलग दिखाई न दे जाए। फिर रोज़ा रात तक पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ (इबादत में बैठना) कर रहे हो तो अपनी पत्नियों से संबंध न रखो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके क़रीब भी मत जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतों को स्पष्ट करता है ताकि वे डर रखें (परहेज़गार बनें)।

मुसलमानों को दायरे में रखने की तरकीबें

एक पंथ की तरह, इस्लाम के पास अनुयायियों को अपने दायरे में रखने और दूसरों से अलग-थलग करने के लिए कई साधन हैं। शिक्षा के विपरीत, जो आलोचनात्मक सोच और रिसर्च को प्रोत्साहित करती है, इस्लाम सवालों को दबाने और एक निर्धारित विचारधारा के प्रति अडिग पालन को लागू करने का प्रयास करता है। नीचे बताई गई सभी बातों का वैचारिक आधार है, जिन्हें कुरान और हदीस में पाया जा सकता है।

तकनीक और मानसिक प्रभाव
दीन फैलाने की जिम्मेदारी (दावा / तब्लीग)
मुसलमान सोचते हैं कि उनके पास एक अनोखा मिशन है और दूसरों को सही रास्ते पर लाया जाना चाहिए, संख्या में लगातार वृद्धि के लिए।
दिन में 5 बार नमाज़ अदा करना, बहुत सारे अनुष्ठान, रोज़ा, दुआएँ, मजलिसें / जलसा
भावनात्मक अपील के साथ वैचारिक संदेशों की निरंतर पुनरावृत्ति विश्वासों को मजबूत करती है, शारीरिक और मानसिक थकावट, दूसरों के साथ घुलने-मिलने और स्वतंत्र विचार करने के लिए समय खत्म करना।
मस्जिद में बड़े समूहों में नमाज अदा करें (जमात)
समूहवाद, भावनात्मक जुड़ाव, इस्लामी शिक्षाओं को लागू करने का अवसर प्रदान करना, दान इकट्ठा करना। इसके अलावा, जमात सेना और युद्ध जैसे परिदृश्य का पूर्वाभ्यास करने जैसा है।
हिजाब, पर्दा
इस्लामीकरण की प्रक्रिया, मुस्लिम महिलाओं को दूसरों से अलग करना, अन्य महिलाओं को खराब चरित्र में देखना
यदि परिवार के सदस्य इस्लाम का पालन नहीं करते हैं तो नफरत को बढ़ावा देना है
परिवार और मित्रों के प्रभावों से अलग करना
नए धर्मांतरित लोगों को इस्लामी नाम देना, दाढ़ी रखना और मूंछें कटवाना, कुर्ता पायजामा, टोपी, अरबी पोशाक
अलग पहचान देना; जबकि, एक मुसलमान अरबी, उर्दू, फ़ारसी या तुर्की नाम रख सकता है, लेकिन भारतीय नाम को मौलवी निकाह के समय मानने से इंकार कर देता है।
हलाल बनाम हराम
अलग मुस्लिम जीवन शैली और पहचान को बदलना
खतना / मुसलमानी
पहचान के लिए शरीर पर स्थायी निशान
ईश्वर / नरक / कब्र / जीवन में कठिनाई का डर पैदा करना
भय और अपराधबोध का प्रयोग आज्ञाकारिता सुनिश्चित करता है
ज़कात (दान)
मौलवी इस राशि को मदरसा चलाने के लिए इकट्ठा करते हैं। यह उनकी आय का मुख्य स्रोत है।
धर्मत्यागियों और इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग की हत्या
धर्म छोड़ने और बदनामी करने के भयावह परिणाम
स्वर्ग का वादा
मुसलमानों को बलिदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मौलवी द्वारा नमाज अदा करवाना, विवाह, दफ़न/जनाज़ा
मुसलमानों की मौलवियों पर निर्भरता बढ़ाना।
ईद पर बकरे की कुर्बानी
अल्लाह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार करना।
किसी भी ऐसे अनुष्ठान या रीति-रिवाज का पालन न करना, जो इस्लाम (बिद्दत) में वर्णित न हो।
इस्लाम धर्म अपनाने वाले समूह की मूल पहचान को मिटाना।
अन्य मुसलमानों को नमाज़, हिजाब और इस्लामी अनुष्ठान करने के लिए दबाव बनाना
समूह की निगरानी मानदंडों को मजबूत करती है
बाहरी सूचना स्रोतों को बदनाम करना

बाहरी लोगों / मीडिया को अविश्वसनीय या भ्रष्ट के रूप में लेबल करना समूह के अलगाववादी दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
पीड़ित पहचान
पीड़ित होने को बार-बार दोहराया जाना, असंतोष, हम-वे मानसिकता (अलगाववाद)
हज
सऊदी अरब को आर्थिक लाभ, सार्वभौमिक इस्लामी भाईचारे (उम्मा) की भावना

अलगाववाद, कट्टरपन का उद्देश्य

ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो धार्मिक नेताओं द्वारा मुसलमानों पर सख्ती से थोपी जाती हैं, जो धीरे-धीरे उन्हें खाने, रहने, बोलने आदि के मामले में अलग व्यक्ति बनाती हैं। अन्यथा, एक लोकतांत्रिक देश में क्या समस्या है, इसलिए मुसलमानों को अलग बनाने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। अलगाववाद और कट्टरपन केवल भावनाओं की उपज नहीं बल्कि व्यवस्थित रणनीति हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य: नियंत्रण, सत्ता, प्रभुत्व है।

जमीनी स्तर पर:

1. सामाजिक शक्ति और प्रभाव - जितना ज़्यादा लोग "इमान" और धार्मिक भावनाओं में मजबूत होते हैं, उतना मौलवी को सम्मान, सामाजिक नेतृत्व, समुदाय में निर्णायक भूमिका मिल जाता है।

2. आर्थिक लाभ - जैसे: मस्जिद या मदरसे का चंदा; ज़कात, सदक़ा, फ़ित्रा; निकाह, तिलावत, जनाज़े, आदि की फीस।

3. धार्मिक संस्थाओं की स्थिरता - धार्मिक पहचान मजबूत होने से: मस्जिदों की जरूरत बढ़ती है, मदरसों की भरती बढ़ती है, धार्मिक संगठनों की फंडिंग बढ़ती है।

4. राजनीतिक लाभ - कुछ जगहों पर मौलवी राजनीति में वोट बैंक को निर्देशित करते हैं; पार्टियों से संबंध बनाते हैं; बदले में लाभ, शक्तियाँ, अनुदान पाते हैं।

देश के स्तर पर: राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा, विपक्ष या आलोचकों को खत्म/कमज़ोर करना, जनता में डर और आज्ञाकारिता पैदा करना, विचारों का एकाधिकार, कानूनों, संस्थाओं और शिक्षा प्रणाली को अपने पक्ष में ढालना
उदाहरण: सीरिया और बांग्लादेश की स्थिति

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: पड़ोसी देशों को कमजोर रखना (आतंकवाद, अलगाववाद और गृहयुद्ध), अपने समर्थक या विचारधारा आधारित समूहों को विदेशों में प्रभाव या प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करना
उदाहरण: ईरान द्वारा हिज़्बुल्लाह और हूती के इस्तेमाल, कश्मीर

वैश्विक स्तर पर: सुपरपावर बनने का सपना (विश्व व्यवस्था बदलना), सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से विश्व नेतृत्व की आकांक्षा
उदाहरण: अल-क़ायदा, ईरान

धार्मिक कट्टरपन कैसे बढ़ता है?

चरण : कट्टरपन एक धीमी मानसिक प्रक्रिया है:
1. अलगाव: व्यक्ति अपने जैसे सोचने वालों के साथ रहने लगता है
2. पुष्टि: केवल वही सामग्री देखता/सुनता है जो उसकी सोच को मजबूत करे
3. दुश्मन की पहचान: एक समूह को शत्रु या "कमतर" समझा जाता है
4. भावनात्मक जुड़ाव: समूह, धर्म या नेता के लिए त्याग को महिमा दी जाती है
5. औचित्य : हिंसा या नफरत को "जायज़", "हलाल", "पवित्र" या "ज़रूरी" बताया जाता है (क्योंकि अल्लाह ने इसकी अनुमति दी है, यह व्यक्ति से किसी भी पश्चाताप को दूर करता है)।

बच्चों की धार्मिक परवरिश

इस्लाम में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शिशु के दाहिने कान में अज़ान दी जाती है। बचपन से नमाज़, तौहीद सिखाना माँ-बाप की जिम्मेदारी है जिससे अल्लाह की तौहीद को मानने की प्रवृत्ति बन जाए।

हदीस अबू दाऊद 494, तिर्मिज़ी 407: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "जब लड़का सात साल का हो जाए तो उसे नमाज़ (प्रार्थना) सिखाओ, और जब वह दस साल का हो जाए तो उसे मारो (अगर वह नमाज़ न पढ़े)।"

कट्टरपंथीकरण प्रक्रिया के चरण

इस्लाम को धीरे-धीरे, बार-बार दोहराए जाने की प्रक्रिया के रूप में पेश किया जाता है। मुसलमानों के शुरुआती संपर्क में सोच में छोटे बदलाव किये जाते हैं, जैसे कि इस्लाम के छोटे-मोटे सिद्धांतों को

स्वीकार करना। समय के साथ, बार-बार संपर्क, भावनात्मक अपील और सामाजिक दबाव इन परिवर्तनों को गहरा करते हैं, जिससे धीरे-धीरे अधिक चरम विश्वासों को अपनाया जाता है।

1**. कट्टरपंथ से पहले का चरण (इस्लाम में विश्वास जगाना):** ईश्वर के प्रति मानवीय भक्ति का बढ़ावा दिया जाता है और लोगों को धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस्लाम का मीठा-मीठा संस्करण पेश किया जाता है। हिंसक और विवादास्पद पहलुओं पर बात नहीं की जाती है। इसलिए, एक धर्मनिरपेक्ष देश में, संविधान के मानदंडों के भीतर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन ईश्वर की अवधारणा के अलावा, नबी और आसमानी किताब की अवधारणा को भी जोड़ दिया जाता है। साथ ही मुसलमानों के दिलों में ईश्वर का डर पैदा किया जाता है, ताकि वे बिना सवाल किए धर्म का पालन करें। अच्छे कर्मों से अधिक ईमान और नमाज पर जोर दिया जाता है। तबलीग जमात भी इसी सिद्धांत पर काम करती है।

2. कट्टरपंथीकरण चरण: इस चरण के लिए, ऐसे मुसलमानों को चुना जाता है जो इस्लाम के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हों। इनके सामने, गैर-मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया जाता है, जबकि मुसलमानों के अपराधों पर पर्दा डाल दिया जाता है (पीड़ित कार्ड खेलना) । मुस्लिम समाज को मुख्यधारा से अलग-थलग कर उनमें इस्लामी वर्चस्व की भावना पैदा की जाती है। अंत में, हिंसा को उचित ठहराने के लिए, मुसलमानों को कुरान की हिंसक आयतें दिखाकर मानसिक रूप से जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। शहादत का महिमामंडन किया जाता है।

3. उग्रवादी चरण: हिंसा का उपयोग और असंवेदनशीलता प्रक्रिया: इन समूहों का इस्तेमाल लक्षित हत्याओं और उग्रवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है। इनको जासूसी, हथियार चलाना, बम बनाना आदि सिखाया जाता है, कई बार इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं।

कट्टरपंथ का स्तर कैसे पता करें

विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के हितों ने भारतीय मुसलमानों के कट्टरपंथीकरण को बढ़ावा दिया है। पिछले 30-40 सालों से विभिन्न संगठनों और टीवी चैनलों के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। कुछ चीजें जो आपको कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में आम मिलेंगी।

1. साथियों पर नियंत्रण - सभी पर नमाज़ पढ़ने के लिए दबाव डालना
2. मूंछों को ट्रिम करके दाढ़ी रखना
3. किसी भी हिंदू परंपरा से बचना: सिंदूर, विवाह की रस्में, हिंदू त्योहारों से बचना
4. अरबी तरीका का महिला बुर्का, अबाया पहनना - शिक्षित मुसलमानों में भी।
5. इजरायल और अमेरिका के लिए सख्त नापसंदगी, फिलिस्तीन के लिए अंधा समर्थन।
6. अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मुद्दों के लिए विरोध, धरना, प्रदर्शन
7. बच्चों के ऐतिहासिक अरबी स्टाइल के नाम रखना जैसे कि अबू, बिन आदि।
10. मोबाइल में क़ुरआन की आयत लगाना, बातचीत में अरबी शब्दों का काफी प्रयोग करना।

ऊपर दिए गए बदलावों को देखकर आप मुस्लिम समाज में कट्टरता के स्तर को जान सकते हैं।

क्या मुसलमान भी इस विचारधारा के शिकार हैं?

यह विचारधारा सभी को नुकसान पहुँचा रही है, चाहे वे मुसलमान हों या गैर-मुस्लिम। इसका लाभ केवल इस्लामी शासक और मौलवियों को मिल रहा है। आप मुसलमानों की हालत देख सकते हैं। किसी समय में इस्लाम का इस्तेमाल करके सऊद परिवार के लिए लड़ाके उपलब्ध कराए गए थे। हमेशा इतिहास में यह होता आया है। मुसलमानों का इस्तेमाल न केवल दूसरे धर्मों के खिलाफ किया जाता है, बल्कि इस्लाम के दूसरे संप्रदायों के खिलाफ भी किया जाता है, जैसे सुन्नी बनाम शिया (इराक और पाकिस्तान में शिया मस्जिदों पर बमबारी देखें), पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान, बरेलवी बनाम देवबंदी, वहाबी बनाम देवबंदी (इस्लामिक स्टेट बनाम तालिबान)। अब हर किसी को तो इतनी समझ होती नहीं कि इस्लाम का चुन चुन कर पालन करे (**गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज़!**)।

क्या इस्लाम को शांति-पूर्ण बन सकता है?

काफ़ी मुश्किल है, इसके कारण इस प्रकार हैं –

1. इस्लाम में सुधार करने वाले लोग और उनके अनुयायी पर मुल्लाओं द्वारा सबसे पहले हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को काफ़िर घोषित किया जाता है। इसी तरह,

बहाई धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई, लेकिन ईरान में उन्हें बुरी तरह से सताया गया।

2. इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज़ कुरान और हदीस हैं। इन दोनों में ही हिंसक बातें हैं, जिन्हें छिपाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। भले ही कोई इस्लामी संप्रदाय शांति पर चल रहा हो, जब तक कि वह मानता है कि "कुरान और हदीस अल्लाह की तरफ़ से है"... कट्टरपंथ को फिर से जीवित किया जा सकता है।

अरब नस्लवाद, भाई-भतीजावाद

हक़ीक़त में मुसलमान समाजों में भी नस्लवाद, क़बीलाई घमंड, रंगभेद चलता रहा है जैसे अरबों में अजमी (गैर-अरब) को नीचा देखना, या अफ्रीकी गुलाम रखना ।

धर्मग्रंथों में कुछ स्थानों पर वास्तविक मंशा उजागर हो जाती है

तारीख़-ए-तबरी, जिल्द 6, पृष्ठ 96: अबू तालिब ने उनसे कहा, "भतीजे, तुम्हारी क़ौम तुम्हारी शिकायत क्यों कर रही है? वे कहते हैं कि तुम उनके देवताओं की निंदा करते हो और इस तरह की बातें कहते हो।" उन्होंने (क़ुरैश के लोगों ने) पैग़म्बर मुहम्मद (स.) पर तरह-तरह के आरोप लगाए। तब अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, **"चाचा, मैं उनसे सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर वे उसे कह दें, तो अरब उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लेंगे और ग़ैर-अरब उन्हें जज़िया देंगे।"** यह सुनकर वे घबरा गए और बोले, "सिर्फ़ एक बात? हाँ, तुम्हारे पिता की क़सम, बल्कि दस भी! वह बात क्या है?" अबू तालिब ने कहा, "भतीजे, वह बात क्या है?" पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने उत्तर दिया, "अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है।" यह सुनते ही वे घबराकर उठ खड़े हुए, अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए बोले, "क्या इसने सारे देवताओं को एक ही देवता बना दिया? यह तो सचमुच एक अजीब बात है!"

अरब श्रेष्ठता

हदीस सहीह बुखारी 2543, 4366: अध्याय: जिसने भी अरब दास रखे: मैंने बनी तमीम के कबीले के लोगों से तब से प्यार किया है जब से मैंने तीन बातें सुनीं, अल्लाह के रसूल (स.) ने उनके बारे में कहा। मैंने उसे यह कहते हुए सुना, ये लोग (बनी तमीम) अद-दज्जाल के खिलाफ डटे रहेंगे।" जब उस जनजाति से सदका (दान के उपहार) आए, तो अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "ये हमारे लोगों की सदका (यानी दान) हैं।" आयशा (रज़ि) के पास उस जनजाति की एक दासी थी, और पैगंबर (स.) ने आयशा (रज़ि) से कहा, "उसे मुक्त कर दो क्योंकि वह पैगंबर इस्माईल (स.) की वंशज है।

तिर्मिज़ी 3905: पैग़म्बर (स.) ने कहा: जो कोई क़ुरैश को नीचा दिखाना चाहे, अल्लाह उसे ही नीचा दिखा देगा।

मुसनद अहमद 614: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "अरबों से कोई बैर नहीं रखता, सिवाय एक मुनाफ़िक़ के।" (हदीस: दईफ़)

मुसनद अहमद 519, तिर्मिज़ी 3928: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "जो अरबों के साथ विश्वासघात करेगा, वह न मेरी शफ़ाअत पाएगा और न मेरा प्रेम।" (दईफ़)

हदीस इब्न माजा 2367: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "एक शहरवासी के खिलाफ एक बद्दू (खानाबदोश अरब) की गवाही जायज़ नहीं है।" (सहीह) **[हदीस अबू दाऊद 3602: यही बयान]**

सुन्नन अबू दाऊद 4644: अल-अ'मश ने कहा: "इन मवाली (अर्थात गैर-अरब लोगों) को मारा जाए और उनसे संबंध काट दिया जाए। अल्लाह की क़सम! यदि मैं एक लाठी से दूसरी लाठी पर भी वार करूँ, तो मैं उन्हें ऐसे नष्ट कर दूँ जैसे बीता हुआ दिन समाप्त हो गया।"

मुवत्ता इमाम मालिक 1090: उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि) ने गैर-अरबों से किसी को भी विरासत देने से मना किया, सिवाय उसके जो अरबों के बीच पैदा हुआ हो। इमाम मालिक ने कहा: "यदि कोई गर्भवती महिला दुश्मनों की धरती से आए और अरब भूमि में बच्चे को जन्म दे, तो वह बच्चा उसका (अरबी भूमि में जन्मा) माना जाएगा। यदि माँ की मृत्यु हो जाए तो वह बच्चा उससे विरासत पाएगा और यदि बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ उससे विरासत पाएगी, यह अल्लाह की किताब के अनुसार है।"

इमाम अन-नवावी ने कहा: "यदि किसी व्यक्ति की जन्मजात वंशावली सम्मानजनक है, तो उसके बच्चे/वंशजों में भी अक्सर वही सम्मान दिखाई देता है। लेकिन इस्लाम में श्रेष्ठता और पसंदगी केवल परहेज़गारी (ताक़वा) से होती है। फिर भी, यदि ताक़वा के साथ श्रेष्ठ परिवार की वंशावली जुड़ी हो, तो यह और भी अधिक उत्कृष्ट माना जाता है।"

इब्न तैयमियाह, किताब इक़्तिदा अस्-सिरात अल-मुस्तक़ीम लि-मुख़ालफ़त अस्हाब अल-जहीम "सीधे मार्ग को अपनाने की आवश्यकता, जहन्नुम वालों की राह से भिन्न होने के लिए"

"जो लोग सुन्नत और समुदाय (अहल अल-सुन्नह वल-जमाअह) का पालन करते हैं, उनका विश्वास यह है कि **अरब जाति गैर-अरब जातियों से श्रेष्ठ है**, चाहे वह यहूदी हों, सिरियाक हों, रोमन हों, फारसी हों या अन्य" (**खंड. 1, पृष्ठ 419**)

"अरबों की, फिर कुरैश की, फिर बनू हाशिम की श्रेष्ठता केवल इसलिए नहीं है कि पैग़म्बर (स.) उनमें से थे हालांकि यह उनके गुण का हिस्सा है बल्कि वे स्वभाव से ही श्रेष्ठ हैं।" (**खंड. 1, पृष्ठ 420**)

"हम शुआबियाह और निम्नजाति मवाली (गैर-अरब परिवर्तक) की दृष्टि को स्वीकार नहीं करते, जो अरबों से प्रेम नहीं करते और उनके गुण को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनकी दृष्टि बिद'अत (नवाचार) है और सत्य के विपरीत है।" (**खंड. 1, पृष्ठ 421**)

सुनन अबी दाऊद 2272, हदीस सहीह बुखारी 5127: इस्लाम से पहले (जाहिलियत के ज़माने में) निकाह चार प्रकार के हुआ करते थे। **पहला** प्रकार वही निकाह था जो आज लोग करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी किसी रिश्तेदार (बहन या बेटी) का निकाह माँगता, महर तय करता और उससे विवाह कर लेता। **दूसरा** प्रकार यह था कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से, जब वह हैज़ (मासिक धर्म) से पाक हो जाती, यह कहता कि वह फलाँ व्यक्ति के पास जाए और उससे संबंध बनाए। उसका पति उससे अलग रहता और तब तक उसके पास न जाता, जब तक यह स्पष्ट न हो जाता कि वह उस व्यक्ति से गर्भवती हो गई है। जब यह स्पष्ट हो जाता, तो यदि पति चाहता तो उसके पास जाता। इस प्रकार के निकाह को इस्तिब्दा कहा जाता था—अर्थात किसी श्रेष्ठ संतान के लिए किसी पुरुष से संबंध कराना। **तीसरा** प्रकार यह था कि दस से कम पुरुष एक स्त्री के पास आते और उससे संबंध बनाते। जब वह गर्भवती हो जाती और बच्चा पैदा हो जाता, और प्रसव के कुछ दिन बीत जाते, तो वह उन सबको बुलवाती। उनमें से कोई भी आने से इनकार नहीं कर सकता था। जब वे सब उसके सामने इकट्ठा हो जाते, तो वह कहती: "तुम लोग अपना काम जानते हो। मैंने बच्चा पैदा किया है, और यह तुम्हारा बेटा है।" फिर वह उनमें से जिस किसी का नाम लेना चाहती, ले लेती, और बच्चा उसी की ओर निस्बत कर दिया जाता। वह व्यक्ति उसे अपना बेटा मान लेता। **चौथा** प्रकार यह था कि बहुत-से लोग एक स्त्री के पास आते, और वह किसी को आने से नहीं रोकती थी। वे स्त्रियाँ वेश्याएँ होती थीं। वे अपने दरवाज़ों पर झंडे लगा देती थीं, जो आने वालों के लिए निशानी होते थे। जब वह गर्भवती हो जाती और बच्चा पैदा होता, तो वे लोग उसके पास इकट्ठा होते और शक्ल-सूरत से रिश्तेदारी पहचानने वाले विशेषज्ञों को बुलाते। वे विशेषज्ञ जिस व्यक्ति की ओर बच्चे को जोड़ते, बच्चा उसी का माना जाता, और वह व्यक्ति उसका इंकार नहीं कर सकता था। **जब** अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को नबी बनाकर भेजा, तो आपने जाहिलियत के इन सभी प्रकार के निकाहों को समाप्त कर दिया, सिवाय उस निकाह के, जिसे आज मुसलमान करते हैं।"

मुहम्मद (स.) के "सर्वश्रेष्ठ वंश" का दावा

इस्लामी विश्वास के अनुसार, पैग़म्बर मुहम्मद (स.) अरबों के सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध वंश से थे। यह दावा अक्सर पैग़म्बर (स.) के सामाजिक सम्मान और उनके संदेश की स्वीकार्यता को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

सहीह मुस्लिम 2276: "अल्लाह ने इस्माईल की संतान में से किनाना को चुना, किनाना में से क़ुरैश को चुना, क़ुरैश में से बनू हाशिम को चुना, और बनू हाशिम में से मुझे चुना।"
दूसरी रिवायत में पैग़म्बर (स.) ने कहा: "मुझे आदम की संतान की सबसे उत्तम पीढ़ियों से भेजा गया।" **[तिर्मिज़ी 3610, मुस्नद अहमद 772]**

लेकिन क़ुरआन खुद वंश या जाति को अल्लाह के यहाँ श्रेष्ठता का आधार नहीं मानता। **क़ुरआन 49:13: "**निस्संदेह अल्लाह के निकट तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वही है जो सबसे अधिक परहेज़गार (धर्मनिष्ठ) है।"

तो फिर "सर्वश्रेष्ठ वंश" पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया और नैतिक और धार्मिक दृष्टि से इस वंश को "सर्वश्रेष्ठ" कैसे कहा जा सकता है? जिस वंश में पूर्वज मूर्ति पूजक (काफ़िर) थे, ग़ुलामी, क़बीलाई युद्ध, लड़कियों को ज़िंदा दफ़न करना, शराब और जुआ सामाजिक रूप से स्वीकृत थे। एक ही "सर्वश्रेष्ठ वंश" से पैग़म्बर (स.) और अबू लहब दोनों कैसे पैदा हुए। अबू लहब, जो पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के सगे चाचा थे, उन्हीं के बारे में क़ुरआन कहता है: **सूरह 111:1** "अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएँ..."

ख़लीफ़ा बनने की शर्तें

सुन्नी मत: - मुसलमान, पुरुष, आज़ाद (गुलाम नहीं), बालिग़ और समझदार, **क़ुरैश कबीले से**, न्यायप्रिय और धार्मिक । **"इमाम (ख़लीफ़ा) क़ुरैश से होंगे।"** (**सहीह बुख़ारी 3501, 7140**)
शिया मत: इमाम (ख़लीफ़ा) **केवल अहले बैत (पैग़म्बर के परिवार)** से होंगे। (**त्तिर्मिज़ी 3713)**

पहले ख़लीफ़ा: अबू बक्र (रज़ि):
मुहम्मद (स.) के ससुर (आयशा (रज़ि.) के पिता)
दूसरे ख़लीफ़ा:- उमर इब्न अल-ख़त्ताब (रज़ि):
मुहम्मद (स.) के ससुर (हफ़्सा (रज़ि.) के पिता)
तीसरे ख़लीफ़ा:- उस्मान इब्न अफ़्फ़ान (रज़ि):
मुहम्मद (स.) के दामाद (दो बेटियों से निकाह)
चौथे ख़लीफ़ा:- अली (रज़ि):
मुहम्मद (स.) के चचेरे भाई और दामाद (फ़ातिमा (रज़ि.) से निकाह)

इमाम महदी किस वंश से होंगे?
इमाम महदी क़यामत के क़रीब में पैदा होंगे, जो आख़िरी समय में आकर दुनिया में न्याय और शांति स्थापित करेंगे। ये क़ुरैश क़बीले, विशेष रूप से हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की संतान यानी मुहम्मद (स.) के परिवार से होंगे । "**महदी मेरी औलाद में से होंगे, फ़ातिमा की संतान में से**।" (**अबू दाऊद 4286**)

हदीस जामेअ तिर्मिज़ी 3775: हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे प्रेम करता है जो हुसैन से प्रेम करता है। यह हदीस इमाम हुसैन के असाधारण दर्जे को स्पष्ट करती है।

अध्याय 3. दावा: पैग़म्बर (स.) एक आदर्श मानव और मानवता के लिए करुणा

पैगम्बर (स.) के समय मक्का की स्थिति

मक्का पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में स्थित था, जहाँ कृषि गतिविधि बहुत कम थी। मक्का की अनुमानित जनसंख्या कुछ हज़ार लोगों की थी। शहरी मक्कावासी व्यापारी, शिल्पकार, कवि और धार्मिक देखभाल करने वाले (मुख्य रूप से **कुरैश**) थे। खानाबदोश जनजातियाँ (**बद्दू**) आसपास के रेगिस्तानों में रहती थीं और व्यापार या तीर्थयात्रा के लिए मक्का आती थीं। कुरैश जनजाति व्यापार और काबा को नियंत्रित करती थी। यह कई कुलों में विभाजित थी, जैसे बनू हाशिम (मुहम्मद स. का कबीला), बनू उमय्या, बनू मखज़ूम, बनू अब्द शम्स, आदि। वहाँ गुलाम, मुक्त गुलाम और गरीब आदिवासी भी थे। छोटी जनजातियाँ और कुल (गैर-कुरैश) मक्का में और उसके आसपास रहती थीं।

अधिकांश लोग **बहुदेववादी** थे जो मूर्तियों की पूजा करते थे; और **काबा** में 360 से अधिक मूर्तियाँ थीं। इनमें सबसे प्रमुख मूर्ति थी हुबल, जिसे एक चंद्र देवता माना जाता था। कई क़बीलों की मूर्तियाँ काबा में रखी थीं, इस दौर के अरब ये मानते थे कि उनके कुछ देवीयाँ अल्लाह की बेटियाँ हैं खासकर अल-लात, अल-उज़्ज़ा, मनात। जिनका क़ुरआन में ज़िक्र आता है:

क़ुरआन 53:21-22: क्या तुम्हारे लिए बेटे हैं और उसके लिए बेटियाँ? ये तो बड़ा नाइंसाफ़ बंटवारा है।

क़ुरआन 16:57: वो अल्लाह के लिए बेटियाँ ठहराते हैं — वो पाक है इससे!

सहीह मुस्लिम 2256a: रसूल (स.) ने फ़रमाया: अरबों (इस्लाम-पूर्व काल) की कविता में सबसे सच्चा कथन लबीद का यह शेर है: 'सुन लो! अल्लाह के सिवा हर चीज़ नश्वर है।

काबा की दीवारों पर फ़रिश्तों की चित्रकारी और ईसा मसीह की भी पेंटिंग्स थीं। यहूदी, ईसाई और पारसी अन्य अरब क्षेत्रों में अधिक थे, लेकिन कुछ व्यक्ति या परिवार मक्का में थे। मक्का, यमन और सीरिया के बीच कारवां मार्ग पर एक वाणिज्यिक केंद्र था। काबा तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था, जो आवास, व्यापार और धार्मिक सेवाओं के माध्यम से आय प्रदान करता था। मक्का का काबा के लिए सम्मान किया जाता था और इस्लाम से पहले भी इसे एक पवित्र शहर के रूप में देखा जाता था।

अल-लात, अल-उज़्ज़ा, मनात (मूर्तियों के चेहरे बाद में बिगाड़ दिए गए)

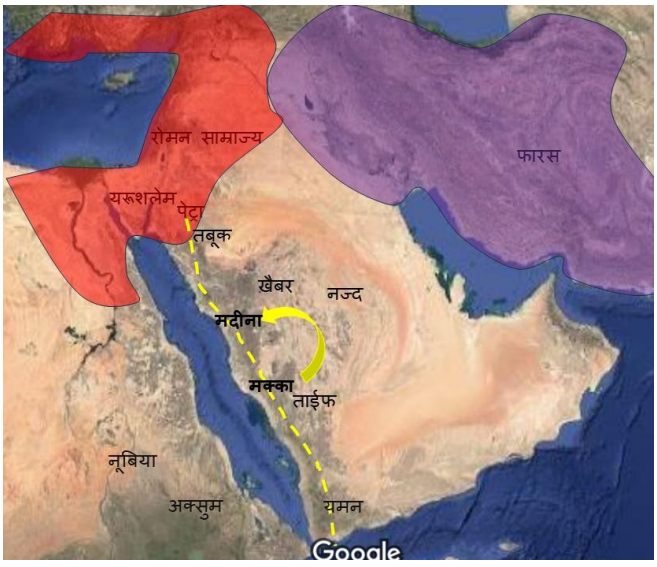

पैगंबर मुहम्मद (स.) का जीवन

570 ई.: मुहम्मद (स.) का **मक्का में जन्म**

610 ई.: मुहम्मद (स.) को हिरा पर्वत पर कुरान की **पहली आयत** प्राप्त हुई।

622 ई.: मक्का से मदीना की ओर मुसलमानों का पलायन (**हिजरत**)

दावा: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के सभी युद्ध रक्षात्मक थे

अल-सीरह इब्न हिशाम, खंड 4, पृष्ठ 242: "पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की लड़ाइयाँ (ग़ज़वात, जहाँ पैग़म्बर (स.) मौजूद थे) सत्ताईस (**27**) थीं, और आपने लगभग सैंतालीस (**47**) छापामार दस्ते (सराया) रवाना किए।"

624 ई.: बद्र की लड़ाई:

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) और मक्का के क़ुरैश काफ़िरों के बीच लड़ा गया; मुसलमान 313, जबकि काफ़िरों की संख्या 1000 थी। मुसलमानों को जीत हासिल हुई।

क़ुरैश ने मुसलमानों पर हमला क्यों किया:

सरिय्या नख़ला: पैग़म्बर (स.) ने अब्दुल्लाह बिन जह्श को 12 आदमी देकर भेजा। क़ुरैश का एक क़ाफ़िला पकड़ा गया, इसमें अम्र बिन अल-हज़्रमी मारा गया।

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 289:... जब रसूल (स.) ने अबू सुफ़यान के सीरिया से आने के बारे में सुना, तो उन्होंने मुसलमानों को बुलाया और कहा, "यह कुरैश का कारवां है जिसमें कुरैश की संपत्ति है। इस पर हमला करने के लिए बाहर जाओ, शायद अल्लाह इसे शिकार के रूप में दे।"

अबू सुफ़यान इस बात से घबरा गया और उसने दमदम बिन अम्र अल-ग़िफ़ारी को मक्का भेजा। उसे आदेश दिया कि वह क़ुरैश को उनके माल की रक्षा के लिए पुकारे और उनसे कहे कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.) अपने साथियों के साथ उस पर घात लगाए बैठे हैं।

625 ई.: उहुद की लड़ाई:

मुसलमान 700, काफ़िरों की संख्या: 3000 । तीरंदाज़ों ने पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के आदेश की अवहेलना कर दी और पहाड़ी छोड़ दी। क़ुरैश ने पीछे से हमला किया और मुसलमानों को भारी नुक़सान हुआ। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) भी इस युद्ध में घायल हुए।

हदीस सहीह बुखारी 4043, 4044: हमने उस दिन (उहुद की लड़ाई में) बुतपरस्तों का सामना किया और पैगंबर (स.) ने तीरंदाजों का एक समूह (एक विशेष स्थान पर) रखा और अब्दुल्ला (बिन जुबैर) को उनका कमांडर नियुक्त किया और कहा, "इस जगह को मत छोड़ो; यदि तुम देखो कि हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो इस स्थान को मत छोड़ना और यदि तुम देखो कि वे हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी सहायता के लिए मत आना। अतः जब हम दुश्मन के सामने आये तो वे भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि मैंने उनकी महिलाओं को पहाड़ की ओर भागते हुए देखा, जो पैरों से अपने कपड़े उठाए और उनके पैरों की चूड़ियाँ दिख रही थीं। मुसलमान कहने लगे, "लूट, लूट!" अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा, "पैगंबर (स.) ने मुझसे इस स्थान को न छोड़ने का दृढ़ वचन लिया था।" लेकिन उनके साथियों ने (ठहरने से) इनकार कर दिया। अतः जब उन्होंने (वहाँ रुकने से) इनकार कर दिया तो (अल्लाह ने) उन्हें भ्रमित कर दिया ताकि वे जान न सकें कि कहाँ जाना है, और वे सत्तर हताहत हुए।

627 ई.: ख़ंदक की लड़ाई:

काफ़िरों और यहूदियों के कई क़बीलों ने मिलकर मदीना पर चढ़ाई की (लगभग 10,000 की संयुक्त सेना, मुसलमान 3000) । पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने मदीना के आसपास एक गहरी खंदक (खाई) को खुदवाया। दुश्मन खंदक को पार नहीं कर सके, और कई दिनों तक घेरे रहे। मौसम की खराबी और आपसी फूट से दुश्मन की सेना पीछे हट गई। यहूदियों का क़बीला बनू क़ुरैज़ा विश्वासघात करने पर दंडित किया गया। इस युद्ध के बाद मक्का के काफ़िरों को मुसलमानों से डर लगने लगा।

627 ई.: बनू क़ुरैज़ा की घेराबंदी: क़बीले की घेराबंदी की जो 24 दिन तक चली, और अंत में क़बीला समर्पण कर गया। गद्दारी करने वाले मर्दों को युद्धबंदी मानकर मार दिया गया ।

सहीह मुस्लिम 4573: हमने फज़ारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अबू बकर (रज़ि) हमारे कमांडर थे। उन्हें अल्लाह के रसूल (स.) ने नियुक्त किया था। जब हम दुश्मन के पानी से केवल एक घंटे की दूरी पर थे, अबू बकर (रज़ि) ने हमें हमला करने का आदेश दिया। हमने रात के आखिरी पहर में आराम करने के लिए एक पड़ाव बनाया और फिर हमने सभी तरफ से हमला किया और उनके पानी के स्थान पर पहुँचे जहाँ एक लड़ाई लड़ी गई। कुछ दुश्मन मारे गए और कुछ कैदी बना लिए गए। मैंने लोगों का एक समूह देखा जिसमें महिलाएँ और बच्चे थे। मुझे डर था कि कहीं वे मुझसे पहले पहाड़ पर न पहुँच जाएँ, इसलिए मैंने उनके और पहाड़ के बीच एक तीर चलाया । जब उन्होंने तीर देखा, तो वे रुक गए। फिर मैं उन्हें साथ

ले आया। उनमें बनू फ़ज़ारा की एक महिला भी थी । उसने चमड़े का कोट पहना हुआ था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो अरब की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। मैं उन्हें लेकर आया। और अबू बकर (रज़ि) के पास पहुंचा, जिन्होंने उस लड़की को मुझे इनाम के तौर पर दे दिया। इस प्रकार हम मदीना पहुँचे। मैंने अभी तक उससे संबंध नहीं बनाया था जब अल्लाह के रसूल (स.) ने मुझे सड़क पर मुलाकात की और कहा: मुझे वह लड़की दे दो, ऐ सलामा । मैंने कहा: अल्लाह के रसूल, उसने मुझे मोहित कर लिया है। मैंने अभी तक उससे संबंध नहीं बनाया था। जब अगले दिन अल्लाह के रसूल (स.) ने फिर से मुझे सड़क पर मुलाकात की, तो उन्होंने कहा: ऐ सलामा, मुझे वह लड़की दे दो, अल्लाह आपके पिता को आशीर्वाद दे। मैंने कहा: वह तुम्हारे लिए है, अल्लाह के रसूल! अल्लाह की कसम। मैंने अभी तक उससे संबंध नहीं बनाया है। अल्लाह के रसूल (स.) ने उसे मक्का के लोगों के पास भेज दिया, और उसे कई मुसलमानों के लिए फिरौती के रूप में सौंप दिया, जिन्हें मक्का में कैदी के रूप में रखा गया था।

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 665-666: अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने ख़ैबर पर दो बार छापा मारा; एक अवसर पर उन्होंने अल-युसायर बिन रिज़ाम को मार डाला। उस समय अल-युसायर (यहूदी) ख़ैबर में घातफ़ान को इकट्ठा कर पैग़म्बर (स.) पर हमला करने की योजना बना रहा था। पैग़म्बर (स.) ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अपने कुछ साथियों के साथ भेजा, जिनमें अब्दुल्लाह बिन उनैस, जो बनू सलीमा के सहयोगी थे, भी शामिल थे। जब वे युसायर के पास पहुँचे, उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और वादे किए, यह कहते हुए कि अगर वह पैग़म्बर (स.) के पास आएगा, तो उसे सम्मान और जगह दी जाएगी। उन्होंने उसे मनाया और युसायर अपने कुछ यहूदियों के साथ उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में, जब वे अल- कोरकारा (ख़ैबर से लगभग 6 मील दूर) पहुँचे, युसायर ने पैग़म्बर (स.) से मिलने के बारे में अपना मन बदल लिया। अब्दुल्लाह ने यह देखा और जैसे ही युसायर तलवार निकालने ही वाला था, उन्होंने उस पर वार किया और युसायर का पैर काट दिया। युसायर ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी से अब्दुल्लाह पर हमला किया और उनको सिर पर चोट लगी। अंत में, अल्लाह ने युसायर को मार डाला। पैग़म्बर (स.) के सभी साथी यहूदीयों पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला, सिवाय एक व्यक्ति के जो पैदल भागकर बच निकला। जब अब्दुल्लाह बिन उनैस पैग़म्बर (स.) के पास पहुँचे, तो उन्होंने उनकी चोट पर थूक लगाया, जिससे चोट सूजन या दर्द नहीं हुई।

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 671-672: "मैं उस पर कूद पड़ा और उसका सिर काट दिया और 'अल्लाह अकबर' चिल्लाते हुए शिविर की ओर भागा और मेरे दो साथियों ने भी ऐसा ही किया, और अल्लाह की कसम, वे सभी एक दूसरे को चिल्लाते हुए अपनी पत्नियों और बच्चों और अपनी संपत्ति को छोड़ भाग गए, जिसे वे आसानी से ले जा सकते थे। हमने बड़ी संख्या में ऊंटों और भेड़ों को भगाया और उन्हें रसूल के पास ले आए और मैं रिफा का सिर रसूल के पास ले गया, जिन्होंने मुझे दहेज (दुल्हन को शादी का उपहार) में मदद करने के लिए तेरह ऊंट दिए, और मैंने अपना विवाह संपन्न किया।"

628 ई.: हुदैबिया की संधि:

पैग़म्बर मुहम्मद (स.), 1400 सहाबा के साथ उमराह (काबा की यात्रा) के इरादे से मक्का गए। मक्का के काफ़िरों ने उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोक दिया।

संधि के मुख्य बिंदु: मुसलमान इस साल उमराह नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगले साल तीन दिन के लिए मक्का आ सकेंगे, 10 साल तक दोनों पक्षों के बीच युद्ध नहीं होगा।

628 ई.: ख़ैबर (यहूदियों का किला) की विजय: ख़ैबर में नौ मज़बूत क़िले थे, और यहूदी वहां हथियार, खाना और घुड़सवारों से लैस थे। मुसलमानों ने एक-एक करके क़िलों को घेरा और फतह किया। **क़मूस**, ख़ैबर का सबसे मज़बूत क़िला था।

629 ई.: मुता की लड़ाई: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने सीरिया के गवर्नर को इस्लाम का पैग़ाम भेजा, तो ख़त के साथ भेजे गए सहाबी को शहीद कर दिया गया। इस घटना के जवाब में पैग़म्बर (स.) ने 3000 की फ़ौज भेजी। रोमन और उनके सहयोगियों की सेना लगभग 1 लाख बताई जाती है। पहले तीन सेनापतियों (हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्लाह बिन रावाहा) ने बारी-बारी से बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। फिर खालिद बिन वलीद (रज़ि.) को सेनापति चुना गया, उनकी बुद्धिमानी और रणनीति से मुसलमान जान बचाकर वापस आ पाये।

630 ई.: फतह-ए-मक्का:

क़ुरैश के सहयोगी क़बीले बनु बक्र ने हुदैबिया की संधि का उल्लंघन किया। पैग़म्बर (स.) ने लगभग 10,000 की विशाल सेना के साथ

मक्का की ओर कूच किया। क़ुरैश को चारों ओर से घेर लिया गया और उन्होंने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया।

रणनीति गुप्त थी मक्का वालों को अचानक घेर लिया जाए ताकि वे संगठित होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयारी न कर सकें। पैग़म्बर (स.) ने सिर्फ कुछ भरोसेमंद सहाबा को ही योजना बताई। बाकी सेना को भी आख़िरी वक्त तक नहीं पता था कि टारगेट मक्का ही है। एक सहाबी हातिब ने क़ुरैश को चुपके से एक ख़त भेजा था कि पैग़म्बर (स.) मक्का की तरफ़ बढ़ रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील (अलै.) के ज़रिए पैग़म्बर (स.) को ख़बर दी। पैग़म्बर (स.) ने हज़रत अली (रज़ि.), ज़ुबैर (रज़ि.) को भेजा और रास्ते में औरत को पकड़ा गया जिसके बालों में वो ख़त छुपा था। ख़त बरामद करके पूरी साज़िश वहीं खत्म कर दी गई, हातिब ने अपनी मजबूरी बताई कि उसके परिवार को मक्का में नुक़सान पहुँच सकता था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी हिफ़ाज़त के लिए ख़त लिखा, वो मुनाफ़िक नहीं था। पैग़म्बर ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह बद्र के मुजाहिदीन में से था। (**सहीह बुख़ारी 3007**)

630 ई.: हुनैन की लड़ाई: हवाज़िन और सक़ीफ़ के बद्दू कबीले पर मुसलमानों की जीत

630 ई.: ताइफ़ की घेराबंदी का प्रयास: हारने के बाद सक़ीफ़ क़बीला तायफ़ के क़िले में जाकर छिप गया। मुसलमानों की बड़ी फौज ने तायफ़ की घेराबंदी की, जो 20 दिन तक चली। तायफ़ के लोग तीरंदाज़ी में माहिर थे और उन्होंने क़िले के ऊपर से हमला किया। मुसलमानों को कई नुकसान हुए। फिर पैग़म्बर (स.) ने घेराबंदी समाप्त करने का फैसला किया। कुछ समय बाद, तायफ़ के लोगों ने खुद इस्लाम स्वीकार कर लिया।

632 ई.: "अलविदा हज तीर्थयात्रा": यह एकमात्र हज है जिसमें मुहम्मद (स.) भाग लेते हैं, कुरान की **अंतिम आयत** अवतरित हुई।

632 ई.: तबुक तक रक्षात्मक अभियान: अफ़वाह थी कि रोमन बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए एक बड़ी फ़ौज लेकर आ रहा है। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने तुरंत तबूक (मदीना से 700 किमी दूर) जाने का ऐलान किया। यह समय बहुत गर्मी का था। जब मुसलमान तबूक पहुँचे, तो रोमन सेना वहां नहीं आई। कई छोटे क़बीले डर के मारे मुसलमानों से संधि कर लिए या इस्लाम क़बूल कर लिया। पैग़म्बर (स.) ने 20 दिन तबूक में ठहरकर फिर मदीना लौटने का फैसला किया। कुछ मुनाफ़िक़ (कपटी / पाखंडी मुसलमान) ने इस युद्ध में जाने से बहाने बनाए और पीछे रह गए।

पैग़म्बर (स.) की आजीविका

नबूवत मिलने के बाद आप ने सक्रिय व्यापार छोड़ दिया क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी दावत-ए-इस्लाम और उम्मत की तरबियत के लिए थी।

1. ग़नीमत - 20% हिस्सा: युद्ध के मैदान में प्राप्त होने वाली संपत्ति और युद्धबंदियों का 80% हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। 20% हिस्सा (ख़ुमुस): अल्लाह के रसूल, उनके रिश्तेदारों, अनाथों, गरीबों और मुसाफिरों के लिए सुरक्षित रखा जाता था (**सूरह अल-अन्फ़ाल 8:41**) ।

2. फ़य - 100% हिस्सा: वह संपत्ति जो बिना युद्ध के (आत्मसमर्पण के माध्यम से) प्राप्त हो, उसे 'फ़य' कहा जाता है - जैसे यहूदी क़बीले बनू नज़ीर की ज़मीन। ऐसे फय का पूरा हिस्सा भी नबी के लिए होता था, यह संपत्ति सैनिकों में नहीं बांटी जाती थी,

सूरह अल-हश्र 59:6: "जो अल्लाह ने उनसे रसूल को फ़य के तौर पर दिया, उस पर तुमने घोड़े या ऊँट नहीं दौड़ाए, लेकिन अल्लाह अपने रसूल को जिस पर चाहता है ग़ालिब कर देता है..."

3. ज़कात - व्यक्तिगत संपत्ति पर लागू (~2.5%)
इसे आठ विशिष्ट श्रेणियों पर खर्च किया जा सकता है, जैसा कि **सूरह अत-तौबा (9:60)** में वर्णित है।

पैगम्बर द्वारा कई हत्याओं के आह्वान

अबू जहल

हदीस सहीह बुखारी 3141: अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत है कि बद्र के दिन जब मैं सफ़ में खड़ा था, मैंने अपने दाएँ और बाएँ देखा तो दो नौजवान अंसारी लड़के दिखे, और मैंने चाहा कि काश मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर होता। उनमें से एक ने मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, "ओ चाचा! क्या आप अबू जहल को जानते हैं?" मैंने कहा, "हाँ, ओ मेरे भतीजे, तुम उससे क्या चाहते हो?" उसने कहा, "मुझे बताया गया है कि वह अल्लाह के रसूल (स.) को गाली देता है। उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैं उसे देख लूँ, तो मेरा शरीर उसके शरीर से तब तक नहीं हटेगा जब तक हममें से

किसी का भी अपना अंजाम न हो जाए।" मैं उस बात से हैरान रह गया। फिर दूसरे लड़के ने भी वही बात कहकर मेरा ध्यान आकर्षित किया जो पहले ने कही थी इसलिए, उन दोनों ने अपनी तलवारों से उस पर हमला किया और उसे (अबू जहल को) मार डाला और अल्लाह के रसूल को इसकी सूचना देने के लिए वापस आए। अल्लाह के रसूल (स.) ने पूछा, "तुममें से किसने उसे मारा है?" उनमें से प्रत्येक ने कहा, "मैंने उसे मारा है।" अल्लाह के रसूल (स.) ने पूछा, "क्या तुमने अपनी तलवारें साफ की हैं?" उन्होंने कहा, "नहीं।" फिर उसने उनकी तलवारों को देखा और कहा, "इसमें कोई शक नहीं है, तुम दोनों ने उसे मार डाला है और मृतक की लूट (इनाम) मुअज़ बिन 'अमर बिन अल-जमुह को दी जाएगी । दो लड़के मुअज़ बिन 'अफ़रा और मुअज़ बिन 'अमर बिन अल- जमुह थे । [**सहीह मुस्लिम 4569 (INT 1752): यही बयान]**

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 304:
मुअव्विद बिन अफ़रा, अबू जहल के पास से गुज़रे जब वह असहाय पड़ा था और उसे तब तक मारते रहे जब तक कि आखिरी सांस उसे छोड़ नहीं गई। वह खुद तब तक लड़ते रहे जब तक कि वह मारे नहीं गए । फिर अब्दुल्ला बिन मसऊद, अबू जहल के पास से गुज़रे जब रसूल ने आदेश दिया था कि उसे मारे गए लोगों के बीच खोजा जाना था। मैंने सुना है कि रसूल ने उनसे कहा था कि अगर वह लाशों के बीच छिपा हुआ है तो उन्हें उसके घुटने पर निशान की तलाश करनी थी... बनू मखज़ूम के मकनू का दावा है कि इब्न मसऊद ने कहा था: उसने मुझसे कहा, 'तुम ऊंचे चढ़ गए हो, हे छोटे चरवाहे।' फिर मैंने उसका सिर काट लिया और रसूल के पास ले जाकर कहा, 'यह अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सिर है।' उन्होंने कहा, 'अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई और नहीं है, है ना?' (यह उनकी शपथ हुआ करती थी।) 'हाँ,' मैंने कहा, और मैंने उसका सिर रसूल के सामने फेंक दिया और उन्होंने अल्लाह को धन्यवाद दिया।

जंग-ए-बद्र के बाद क़ुरैश के दो क़ैदी जिन्हें क़त्ल किया गया:
नज़र बिन हारिस: मक्का में पैग़म्बर मुहम्मद (स.) पर बहुत ताना मारता था। **उक़बा बिन अबी मुइत:** एक बार उसने पैग़म्बर (स.) के ऊपर ऊँट की ओझड़ी फेंकी थी जब आप काबा के पास सजदा कर रहे थे **(सहीह बुखारी 240)।**

अल-हरिथ बिन सुवेद बिन समित
वह मदीना के ख़ज़राज क़बीले का था और पहले मुसलमानों में से एक माना जाता है। बद्र के दौरान काफिरों की तरफ चला गया और मुसलमानों के खिलाफ साज़िश की। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने उसके गुनाहों की वजह से उसे क़त्ल करने का हुक्म दिया।

अबू अफाक
"मुहम्मद (स.) का जीवन"। इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 675: अबू अफाक बनू अम्र बिन औफ, बनू उबैदा कबीले में से एक था। जब रसूल ने अल-हरिथ बिन सुवेद बिन समित को मार डाला तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा: "मैंने बहुत समय तक जीवन जिया है, लेकिन मैंने कभी भी लोगों का ऐसा समूह नहीं देखा जो अपने काम और अपने सहयोगियों के प्रति अधिक वफ़ादार हो काइला के बेटो से ज्यादा (जब वे इकट्ठे हुए), वे लोग जो पहाड़ों को उखाड़ फेंकते थे और कभी भी झुकते नहीं थे, एक सवार जो उनके पास आता था, दो हिस्सों में विभाजित हो जाता था (कहते हुए) "अनुमति है", "निषिद्ध", सभी प्रकार की चीजें। यदि आप महिमा या राजत्व में विश्वास करते तो आप तुब्बा का अनुसरण करते।" रसूल (स.) ने कहा, "मेरे लिए इस बदमाश से कौन निपटेगा?" जिसके बाद सलिम बिन उमैर आगे बढ़े और उसे मार डाला... "ये लो, अबू अफाक अपनी उम्र के बावजूद!"

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 675-676: "उमैर बिन अदती की अस्मा बिन्त मारवान को मारने की यात्रा:
वह मदीना के बनू उमय्या बिन ज़ैद क़बीले की थी। जब अबू अफ़ाक की हत्या हुई तो उसने असंतोष प्रदर्शित किया। अब्दुल्ला बिन अल-हरिथ बिन अल- फ़ुदैल ने अपने पिता से कहा कि उसकी शादी बनू खत्मा के एक व्यक्ति यज़ीद बिन ज़ैद से हुई थी। इस्लाम और उसके अनुयायियों को दोषी ठहराते हुए उसने कहा: मैं बनू मलिक और अल-नबीत और औफ़ और बनू अल-ख़ज़राज से घृणा करती हूँ। तुम एक अजनबी की आज्ञा मानते हो जो तुम्हारा नहीं है, जो मुराद या मद्दीज का नहीं है ।' क्या तुम अपने सरदारों की हत्या के बाद उससे अच्छे की उम्मीद करते हो, जैसे एक भूखा आदमी रसोइये के शोरबे का इंतज़ार कर रहा हो? क्या कोई स्वाभिमानी आदमी नहीं है जो उस पर अचानक हमला करे और उन लोगों की उम्मीदें तोड़ दे जो उससे कुछ उम्मीद करते हैं?

... जब रसूल ने सुना कि उसने (अस्मा बिन्त मारवान) क्या कहा था तो उन्होंने कहा ; मरवान की बेटी से मुझे कौन छुड़ाएगा?" उनके साथ मौजूद उमैर बिन अदी अल-खतमी ने यह सुना और उसी रात वह उसके घर गए और उसे मार डाला। सुबह वह रसूल के पास आए और उसे बताया कि उन्होंने क्या किया है और उन्होंने [मुहम्मद (स.)] कहा, "तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है, ऐ उमैर!" जब उन्होंने पूछा कि क्या उसे कोई बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा तो रसूल (स.) ने कहा, "दो बकरियाँ उसके (अस्मा के) बारे में अपना सिर नहीं टकरा सकतीं"

कअब बिन अल-अशरफ की हत्या - एक कवि जिसने मुहम्मद (स.) की आलोचना की थी

हदीस सहीह बुखारी 4037: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "कौन कअब बिन अल-अशरफ को मारने के लिए तैयार है जिसने अल्लाह और उसके रसूल को दुख पहुंचाया है?" इस पर मुहम्मद बिन मसलामा ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं?" पैगंबर (स.) ने कहा "हां", मुहम्मद बिन मसलामा ने कहा, "तो मुझे एक (झूठ) बात कहने की इजाजत दें (यानी कअब को धोखा देने के लिए)। "पैगंबर (स.) ने कहा, "तुम कह सकते हो।" .....जब मुहम्मद बिन मसलामा ने उसे अच्छी तरह पकड़ लिया, तो उसने (अपने साथियों से) कहा, "उसे पकड़ो!" फ़िर उन्होंने उसे मार डाला और पैगंबर (स.) के पास गए और उन्हें सूचित किया। ..अबू राफ़े यहूदी को कअब बिन अल-अशरफ के बाद मार दिया गया था।"

अल-तबारी खंड 7, पृष्ठ 94-97: कअब बिन अल-अशरफ, तय्यी (कबीले) के एक व्यक्ति थे, जो बनू नभान में से एक थे, और उनकी माँ बनू अल-नादिर (यहूदी कबीले) से थीं। जब यह खबर उनके पास पहुँची, तो उन्होंने कहा, "हाय! क्या यह सच है? क्या मुहम्मद (स.) ने इन लोगों को मार दिया, जिनका नाम इन दो लोगों (अर्थात् ज़ैद बिन हरीथा और अब्दुल्लाह बिन रवाहा) ने लिया है? ये अरबों के कुलीन और मनुष्यों के राजा हैं! अल्लाह की कसम, अगर मुहम्मद (स.) ने इन लोगों को मार दिया है, तो धरती का पेट हमारे लिए इसकी सतह से बेहतर जगह है!"...फिर कअब बिन अल-अशरफ मदीना वापस चले गए और उम्म अल-फ़दल निम्नलिखित प्रेम कविता लिखी... फिर उन्होंने मुसलमानों की कुछ महिलाओं पर प्रेम कविता लिखी, जिससे वे नाराज़ हो गए ...पैगंबर (स.) ने कहा, "मुझे इब्न अल-अशरफ से कौन छुड़ाएगा?" मुहम्मद बिन अब्दुल अशहाल के भाई मसलमा ने कहा, "हे अल्लाह के रसूल, मैं आपको उससे छुटकारा दिलाऊंगा। मैं उसे मार डालूंगा।" ... उसने कहा, "हमें झूठ बोलना पड़ेगा।", (पैगंबर (स.)) ने उत्तर दिया..... फिर उसने उससे कहा, "क्या आप हमारे साथ शि'ब अल-अजुज़ तक चलना चाहेंगे, इब्न अल-अशरफ, ताकि हम वहाँ बाकी रात बातें कर सकें?" उसने कहा "अगर तुम चाहो,"... फिर उसने कहा, "अल्लाह के दुश्मन पर वार करो ! " उनकी तलवारें उस पर वार करने लगीं... अगली सुबह, अल्लाह के

दुश्मन पर हमारे हमले की वजह से यहूदी डर की स्थिति में थे, और वहाँ कोई भी यहूदी नहीं था जो अपनी जान के लिए डरे हुए न हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, "यहूदियों में से जो कोई तुम्हारे हाथ में पड़े, उसे मार डालो।" [**हदीस सहीह मुस्लिम 4664, इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 367: यही बयान]**

अबू राफ़े (सलाम बिन अबी अल-हुक़ैक़)

वह ख़ैबर (बनू नज़ीर) का यहूदी सरदार था। यह क़त्ल **क़िला ख़ैबर** में **ग़ज़वा-ए-अहज़ाब (ख़ंदक की लड़ाई)** के बाद हुआ। उस वक़्त ख़ैबर अभी मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं था, बाद में 7 हिजरी में फतह हुआ।

हदीस सहीह बुखारी 3023, 4038: अध्याय: **सोते हुए मुशरिक को मारना**: अल-बरा बिन अज़ीब ने बताया: अल्लाह के रसूल (स.) ने अंसार के एक समूह को अबू रफ़ी के पास भेजा। 'अब्दुल्ला बिन अतीक रात में उसके घर में घुस गए और उसे सोते समय मार डाला।

अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलुल

हदीस सहीह बुखारी 2661: उस दिन अल्लाह के रसूल ने मिम्बर पर चढ़कर अनुरोध किया कि कोई अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलुल को दंडित करने में उनकी सहायता करे। अल्लाह के रसूल ने कहा, 'उस व्यक्ति (अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलुल) को दंडित करने में मेरी सहायता कौन करेगा जिसने मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम करके मुझे दुख पहुंचाया है? अल्लाह की कसम, मैं अपने परिवार के बारे में केवल अच्छाई जानता हूं, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाया है जिसके बारे में मैं केवल अच्छाई जानता हूं, और वह मेरे घर में मेरे साथ के अलावा कभी नहीं आया।' साद बिन मुआज़ ने खड़े होकर कहा, 'अल्लाह के रसूल! अल्लाह की कसम, मैं आपको उससे छुटकारा दिलाऊंगा। अगर वह आदमी औस जनजाति का है, तो हम उसका सिर काट देंगे ।

[अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलुल - ज़ाहिर में मुसलमान बना, मगर अंदर से हमेशा पाखंडी रहा। इसने हज़रत आयशा (रज़ि.) पर झूठा इल्ज़ाम लगाया (इफ्क़ का वाक़िया), बाद में बीमारी की हालत में उसकी मौत हो गई।]

फत्ह-ए-मक्का के वक्त

अब्दुल्लाह बिन ख़तल, उसकी दो गायिकाएँ

मुसलमान होकर मदीना गया था, फिर मक्का भागकर इस्लाम छोड़ दिया।

हदीस सहीह बुखारी 1846: अनस बिन मलिक से रिवायत है: अल्लाह के रसूल (स.) ने फ़तेह के साल में मक्का में अपने सिर पर एक अरबी हेलमेट पहन कर दाख़िल हुए और जब पैगम्बर (स.) ने इसे उतार दिया, तो एक शख़्स आया और कहने लगा, "इब्न ख़ताल काबा की चादर पकड़े हुए है (काबा में पनाह ले रहा है)।" पैगम्बर (स.) ने कहा, "उसे मार दो।" **[सहीह बुखारी 3044, 4286, अबू दाऊद 2685: यही बयान]**

अल-सिरा, [बिन कथिर], खंड 3, पृष्ठ 403: "इस व्यक्ति के इस्लाम स्वीकार करने के बाद, अल्लाह के नबी (स.) ने उसे एक अक़्ज़र के साथ दान-पुण्य इकट्ठा करने के लिए भेजा था। अपने साथ वह एक आज़ाद व्यक्ति को भी ले गया था। बाद में वह आज़ाद व्यक्ति से नाराज़ हो गया, उसे मार डाला और धर्मत्यागी होकर फिर से एक बहुदेववादी बन गया। उसके पास दो महिला गायिकाएँ थीं, फरताना और उसकी एक दोस्त, जो अल्लाह के नबी (स.) और मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते हुए गीत गाती थीं। यही कारण था कि अल्लाह के नबी (स.) ने उसे और दो गायकों को मौत की सज़ा सुनाई। वह उस समय मारा गया जब वह काबा के लिहाफ़ को पकड़े हुए था। अहा बरज़ा अल-असलामी और ससीद मखज़ीमी ने उनकी हत्या में भाग लिया। उनकी एक महिला गायिका को मार दिया गया, जबकि दूसरी को क्षमादान दे दिया गया।"

इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 551, खण्ड 819: उसके पास दो गायिकाएँ थीं, फरताना और उसकी सहेली जो रसूल के बारे में व्यंग्यात्मक गीत गाती थीं, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें उसके साथ मार दिया जाना चाहिए।

मिक़यास बिन सुबाबा — मौत दी गई।

अल-हुवैरीथ बिन नुकायद — मक्का में पैग़म्बर का अपमान करने वालों में से एक था, मारा गया।

हुबैरा बिन अबी वहब— पैग़म्बर की शायरी में तौहीन करता था, भाग गया ।

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 597: पैगम्बर ने मक्का में उन लोगों को मार डाला था जिन्होंने उन पर व्यंग्य किया था और

उनका अपमान किया था और जो कुरैश कवि बचे थे - इब्न अल-जिबारा और हुबैरा बिन अबू वहाब - सभी दिशाओं में भाग गए थे।

इक्रिमा बिन अबी जहल

अबू जहल का बेटा। भाग गया, बाद में वापस आया और इस्लाम क़बूल कर लिया।

अल-तबारी, खंड 8, 178-181: उनमें से इक्रीमा बिन अबी जहल और सारा भी थे, जो अब्द अल-मुत्तलिब के बेटों में से एक की मौला (आज़ाद ग़ुलाम) थीं। वह (सारा) उन लोगों में से एक थीं जो मक्का में अल्लाह के नबी को परेशान करती थीं (गाने से अपमानित करती थीं)। इक्रीमा बिन अबी जहल यमन भाग गया..... [जहां तक सारा का सवाल है, उनसे उसे सुरक्षा का वादा देने के लिए कहा गया और उन्होंने ऐसा किया। वह तब तक जीवित रहीं जब तक उमर (रज़ि) के समय में किसी ने अपने घोड़े से उसे अल-अबलाली में रौंद दिया और मार डाला..

अब्दुल्लाह इब्न साद इब्न अबू सरह

इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 550, v. 818-819: रसूल (स.) ने अपने कमांडरों को निर्देश दिया था कि जब वे मक्का में प्रवेश करें तो केवल उनसे लड़ें जिन्होंने उनका विरोध किया, सिवाय उन छोटी संख्या के जिन्हें काबा के पर्दे के नीचे पाए जाने पर भी मार दिया जाना था। उनमें से एक अब्दुल्लाह इब्न साद इब्न अबू सरह था, बिन अमीर बिन लुअय का भाई । उसे मारने का आदेश देने का कारण यह था कि वह एक मुसलमान था और कुरान लिखता था ; फिर उसने धर्मत्याग कर दिया (इस्लाम छोड़ दिया) और कुरैश के पास लौट आया, अबू सरह, उस्मान बिन अफ्फान (तीसरे खलीफा) के पास भाग गया, वह उनके पालक भाई थे; उन्होंने उसे तब तक छिपाया जब तक कि मक्का में स्थिति शांत हो, बाद में वह उसे रसूल के पास ले आए और प्रतिरक्षा देने के लिए कहा। जब उस्मान (रज़ि) चले गए तो उन्होंने अपने साथियों से जो उनके आस-पास बैठे थे कहा, 'मैं चुप रहा ताकि तुम में से कोई उठकर उसका सिर काट ले!' उनमें से एक ने कहा, "तो फिर हे अल्लाह के रसूल, आपने मुझे कोई संकेत क्यों नहीं दिया?" उन्होंने उत्तर दिया कि कोई नबी (स.) इशारा करके नहीं मारता। [**हदीस अबू दाऊद 2683, यही बयान]**

नबी की तौहीन करने वाले का खून जायज़

अधिकांश विद्वानों के अनुसार **गुस्ताख़-ए-रसूल** की सज़ा शरीअत में मौत मानी गई है (हनफ़ी मत - तौबा पर माफ़ी है)।

हदीस अन- नसाई 4075: अध्याय: नबी (स.) की तौहीन करने वाले का हुक्म: इब्न अब्बास (रज़ि) ने रिवायत किया कि: अल्लाह के रसूल (स.) के ज़माने में एक अंधा आदमी था जिसकी एक उम्म वलद (दासी) थी जिससे उसके दो बेटे थे। वह अल्लाह के रसूल (स.) की बहुत तौहीन और बदनामी करती थी और वह उसे डांटते थे, लेकिन वह ध्यान नहीं देती थी। उसने कहा, "मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। (अंधे आदमी ने कहा) एक रात मैंने पैगम्बर (स.) का ज़िक्र किया और उसने उनकी निंदा की। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका इसलिए मैं गया और एक खंजर लाया जिसे मैंने उसके पेट में घोंप दिया और उस पर झुक गया, और उसे मार डाला। सुबह वह मृत पाई गई। इस बात का ज़िक्र पैगम्बर (स.) से किया गया और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा: "मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, एक आदमी जिस पर मेरा हक़ है, कि वह मेरी आज्ञा का पालन करे, और उसने वही किया जो उसने किया था, खड़ा हो जाए।" अंधा आदमी कांपने लगा और बोला: "अल्लाह के रसूल (स.), मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने उसे मारा। वह मेरी उम्म वलद थी और वह मेरे प्रति दयालु और कोमल थी, और मुझे उससे दो मोती जैसे बेटे हैं, लेकिन वह आपकी बहुत बदनामी करती थी। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं रुकी, और मैंने उसे डांटा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अंत में, मैंने आपका नाम लिया और उसने आपकी निंदा की, इसलिए मैं गया और एक खंजर लिया और उसे उसके पेट में घोंप दिया, और उस पर तब तक झुका रहा जब तक कि मैंने उसे मार नहीं दिया। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "मैं गवाही देता हूं कि उसका खून जायज़ है।" (सहीह) [**हदीस अबू दाऊद 4361: यही बयान]**

दावा: पैगम्बर (स.) ने इस्लाम का पैग़ाम फैलाने के लिए अनेक शादियाँ कीं।

पैगम्बर ने पहली पत्नी खदीजा की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की (सवदा, एक विधवा), बाकी शादियाँ हिजरत के बाद हुईं। – आयशा (रज़ि) से मक्का में 6 वर्ष की आयु में निकाह हुआ और हिजरत के बाद मदीना में 9 वर्ष की उम्र में पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के घर आ गईं।

1. खदीजा बिन्त खुवेलिद (595-620)
2. सावदा बिन्त ज़म'ए (620-632)
3. आयशा बिन्त अबी बक्र (620-632)
4. हफ़सा बिन्त उमर (625-632)
5. ज़ैनब बिन्त खुजैमा (626-627)

6. हिंद बिन्त अबी उमैय्या (627-632)
7. ज़ैनब बिन्त जहश (627-632)
8. जुवैरिया बिन्त अल-हरिथ (628-632)
9. सफ़िया बिन्त हुय्य (628-632)
10. रामला बिन्त अबी सुफ़ियान (629-632)
11. मयमुना बिन्त अल-हरिथ (629-632)
-- मारिया बिन्त शमउन (लोंडी)
-- रेहाना बिन्त ज़ायद (लोंडी)

हदीस सहीह बुखारी 5215: "पैगंबर (स.) एक रात में अपनी सभी पत्नियों के पास से गुजरते थे (उनके साथ यौन संबंध बनाते थे), और उस समय उनकी नौ पत्नियाँ थीं" **[सहीह बुखारी, 268, 284, 5068; अन-नसाई 3200: यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 268: "पैगंबर (स.) दिन और रात के दौरान एक चक्कर में अपनी सभी पत्नियों से मिलते थे और उनकी संख्या ग्यारह थी।" मैंने अनस से पूछा, "क्या पैगंबर (स.) के पास इसके लिए ताकत थी?" अनस ने जवाब दिया, "हम कहा करते थे कि पैगंबर (स.) को तीस (पुरुषों) की ताकत दी गई थी।" और साद ने क़तादा के अधिकार पर कहा कि अनस ने उन्हें केवल नौ पत्नियों के बारे में बताया था (ग्यारह नहीं)।

सफ़िया बिन्त हुय्य:

हदीस सहीह मुस्लिम 3501 (INT 1365): अनस (रज़ि), ने वर्णित किया: सफ़िया युद्ध की लूट में दिह्या के हिस्से में आई, और लोगों ने अल्लाह के रसूल (स.) की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा की और कहा: हमने युद्ध के बंदियों में उसके जैसा कोई नहीं देखा। उन्होंने एक दूत दिह्या के पास भेजा और उसने जो कुछ भी मांगा उसे दिया। फिर उन्होंने उसे (सफ़िया) मेरी माँ के पास भेजा और उनसे कहा कि वह उसे सुशोभित करे। .....अनस ने कहा कि यह अल्लाह के रसूल (स.) की शादी की दावत थी। उन्होंने (आगे) कहा: हम आगे बढ़े और हमने मदीना की दीवारें देखीं, और हम प्रसन्न हुए। हमने अपनी सावरियो को तेज़ी से दौड़ाया और अल्लाह के रसूल (स.) ने भी अपनी सवारी को तेज़ी से दौड़ाया। और सफ़िया उनकी पीठ की ओर थी, और अल्लाह के रसूल (स.) ने उसे अपने पीछे बैठाया था। अल्लाह के रसूल (स.) का ऊँट लड़खड़ा गया और वह गिर गए और वह भी गिर गई। और लोगों में से कोई भी उसे नहीं देख रहा था, फिर अल्लाह के रसूल (स.) उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे ढाँप दिया, और हम उनके पास आए और उन्होंने कहा: हमें कोई चोट नहीं लगी है। हम मदीना में दाखिल हुए और वहाँ घर की जवान औरतें बाहर आईं। उन्होंने उसे (हजरत सफ़िया) देखा और उसे गिरने के लिए दोषी ठहराया। **[सहीह मुस्लिम 3501 (INT _1365f): यही बयान]**

सहीह मुस्लिम 3500 (INT 1365e): अनस (रज़ि) ने बताया: मैं खैबर के दिन अबू तल्हा के पीछे बैठा था और मेरे पैर अल्लाह के रसूल (स.) के पैर को छू गए, और हम (खैबर के लोगों के पास) उस समय पहुंचे जब सूरज उग चुका था और उन्होंने अपने मवेशियों को बाहर निकाल दिया था, और वे खुद अपनी कुल्हाड़ियों और बड़ी टोकरियों के साथ बाहर आ गए थे, और उन्होंने कहा: यहाँ आ रहे हैं मुहम्मद (स.) और उनकी सेना। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: खैबर बर्बाद हो गया है। यक़ीनन जब हम किसी क़ौम की वादी में उतरते हैं तो आगाह लोगों की सुबह बुरी होती है (**कुरान, 37:177**). अल्लाह, जो महान और महिमावान है, ने उन्हें (खैबर के निवासियों) पराजित किया, और दीह्या के भाग्य में एक सुंदर लड़की आई, और अल्लाह के रसूल (स.) ने उसे सात सिरों (महिला बंदी) के बदले में हासिल किया, और फिर उसे उम्म सुलैम को सौंप दिया ताकि वह उसे सजाए और उसके साथ विवाह के लिए तैयार करे। उन्होंने (कथावाचक) कहा: वह इस धारणा के तहत था कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह अपनी इद्दत की अवधि उनके (उम्म सुलैम के) घर में बिताए। (महिला) हुय्य की बेटी सफिया थी। अल्लाह के रसूल (स.) ने खजूर, पनीर और परिष्कृत मक्खन से युक्त विवाह की दावत का आयोजन किया, और गड्ढे खोदे गए और उनमें खाने के कपड़े बिछाए गए, और वहां पनीर और परिष्कृत मक्खन लाया गया, और इन्हें वहां रख दिया गया। और लोगों ने पेट भर खाया, और उन्होंने कहा: हम नहीं जानते कि उन्होंने उनसे (एक स्वतंत्र महिला के रूप में) शादी की थी, या एक दासी के रूप में। उन्होंने कहा: यदि वह (पैगंबर (स.)) उसे पर्दा पहना दे, तो वह एक (स्वतंत्र विवाहित) महिला होगी, और यदि वह उसे पर्दा नहीं पहनाए, तो उसे एक दासी होनी चाहिए। जब उन्होंने सवारी करने का इरादा किया, तो उन्होंने उसे पर्दा पहना दिया और वह ऊंट की पिछली सीट पर बैठ गई; इस प्रकार लोगों ने जान लिया कि उन्होंने उनसे शादी कर ली है। जब वे मदीना के पास पहुँचे, अल्लाह के रसूल (स.) ने (अपनी सवारी) तेजी से चलाई और हमने वैसा ही किया। ' अदबा ' (अल्लाह के रसूल के ऊँट का नाम) लड़खड़ा गया और अल्लाह के रसूल (स.) गिर गए और वह (सफिया) भी गिर गईं। वह (पैगंबर (स.)) खड़े हुए और उन्हें ढक दिया। महिलाओं ने उनकी ओर देखा और कहा:

अल्लाह यहूदी औरत को दूर रखे! उन्होंने (कथावाचक) कहा: मैंने कहा: अबा हम्ज़ा, क्या अल्लाह के रसूल (स.) वास्तव में गिर गए ।

सहीह बुखारी 371: एक आदमी पैगंबर (स.) के पास आया और कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! आपने सफिया बिन्त हुयी को दीह्या को दिया और वह कुरैज़ा और अन-नादिर जनजातियों की मुख्य मालकिन है और वह आपके अलावा किसी के लिए उपयुक्त नहीं है।' तो पैगंबर (स.) ने कहा, 'उसे ले आओ।' इसलिए वह दीह्या के साथ आई और जब पैगंबर (स.) ने उसे देखा, तो उन्होंने दीह्या से कहा, 'बंदियों में से उसके अलावा किसी अन्य दासी को ले लो।' अनस ने कहा: पैगंबर (स.) ने फिर उसे मुक्त कर दिया और उनसे शादी कर ली।" साबित ने अनस से पूछा, "हे अबू हमजा! पैगंबर (स.) ने उसे (महर के रूप में) क्या दिया?" उसने कहा, "उसकी आत्मा ही उसका महर थी क्योंकि उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और फिर उनसे शादी कर ली।" अनस ने कहा, "रास्ते में, उम सुलैम ने उसे शादी (समारोह) के लिए तैयार किया और रात में उसने उसे दुल्हन के रूप में पैगंबर (स.) के पास भेज दिया। [**यही बयान, सहीह बुखारी 974, 2235]**

उनके पति और परिवार की हत्या के बाद, पैगंबर (स.) ने उनसे शादी की: हदीस अबू दाऊद 2995: अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है: "हम ख़ैबर पहुँचे। जब अल्लाह ने क़िला फतह कराया, तो लोगों ने पैग़म्बर मुहम्मद (स.) से सफ़िय्या बिन्त हुयैय की सुंदरता का ज़िक्र किया। उनके पति मारे जा चुके थे और वह नई-नई दुल्हन थीं। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने उन्हें अपने लिए चुना, और जब हम 'सद्दुस्सहबा' नाम की जगह पहुँचे, तो उनकी इद्दत पूरी हो गई, और पैग़म्बर (स.) ने उनसे निकाह किया।"

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने जब बनू कुरैज़ा का घेराव किया था, इसी दौरान **हुय्यय बिन अख़ताब (सफ़ियाह के पिता)** इस यहूदी क़बीले में गए हुए थे और इसी मौक़े पर, उन्हें क़त्ल किया गया। **किनाना बिन अल-रबी,** उसके पति की हत्या: देखें अध्याय 11. इस्लामी दंड और प्रतिबंध / यातना

हदीस सहीह बुखारी 2893: ... फिर हम खैबर पहुँचे ; और जब अल्लाह ने उन्हें किला (खैबर) पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया, तो उन्हें सफ़िया बिन्त हुयी बिन अख़ताब की सुंदरता का वर्णन किया गया। जब वह दुल्हन थी तब उसके पति की हत्या कर दी गई थी। इसलिए अल्लाह के रसूल (स.) ने उसे अपने लिए चुना और उसे अपने साथ ले गए जब तक कि हम साद-अस्सहबा नामक स्थान पर नहीं पहुँचे, जहाँ उसका मासिक धर्म समाप्त हो गया और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बना लिया.....।

अल-तबारी खंड. 39, पृष्ठ 185: मैं उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने सफ़िया को दुल्हन के रूप में पैगंबर (स.) के पास पहुँचाया। मैंने उसे (सफ़िया) यह कहते हुए सुना: मैं सत्रह साल की भी नहीं थी, या मैं सिर्फ़ सत्रह साल की थी, जिस रात मैं पैगंबर (स.) के [कमरे] में दाखिल हुई।

अल-तबारी, खंड 39, पृष्ठ 185: जब पैगंबर (स.) सफ़िया के साथ लेटे हुए थे, अबू अय्यूब रात को उनके दरवाज़े पर रुके। जब उन्होंने सुबह पैगंबर (स.) को देखा तो उन्होंने कहा "अल्लाह सबसे महान है।" उनके पास एक तलवार थी; उन्होंने पैगंबर (स.) से कहा, "हे अल्लाह के रसूल, इस युवती की अभी-अभी शादी हुई थी, और आपने उसके पिता, उसके भाई और उसके पति को मार डाला, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं था (कि वह आपको नुकसान न पहुँचाए)।" पैगंबर (स.) हँसे और कहा "अच्छा "।

अल- सीरा, इब्न कथिर, खंड 3, पृष्ठ 288: "जब उन्होंने खैबर में सफिया से शादी की - वापस आते समय - जिस महिला ने उसके बालों में कंघी की और उसे उनके लिए तैयार किया, वह उम्म सुलम थी, जो मिलहान की बेटी थी, अनस बिन मलिक की मां थी। अल्लाह के रसूल (स.) ने उसके साथ अपने मंडप में रात बिताई, जबकि अबू अय्यूब उन पर नजर रखते रहे, अपनी तलवार पहने हुए, सुबह तक तम्बू के चारों ओर गश्त करते रहे। जब अल्लाह के रसूल (स.) ने उन्हें वहां देखा, तो उनसे पूछा, "क्या गड़बड़ है, अबू अय्यूब ?" उन्होंने उत्तर दिया , 'मैं इस महिला से आपके लिए डर रहा था। वह एक ऐसी महिला है जिसके पिता, पति और लोगों को आपने मार डाला है। और हाल ही तक वह एक अविश्वासी थी। इसलिए मुझे उनसे आपके लिए डर था।' **इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 516-517, यही बयान]**

अल-तबारी खंड 8, पृष्ठ 122-123: अल्लाह के नबी द्वारा अल-क़ामस के किले पर विजय प्राप्त करने के बाद, सफ़ियाह बिन्त हुयय बिन अख़ताब को उनके पास लाया गया, और उनके साथ एक और महिला भी थी। हज़रत बिलाल, जो उन्हें लाने वाले थे, उन्हें मारे गए यहूदियों में से कुछ के पास ले गए । जब सफ़ियाह के साथ वाली महिला ने उन्हें देखा, तो वह चिल्लाई, अपने चेहरे पर मुक्का मारा,

और अपने सिर पर धूल डाली। जब अल्लाह के नबी ने उसे देखा, तो उन्होंने कहा, "इस शैतान को मुझसे दूर ले जाओ!" उन्होंने आदेश दिया कि सफ़िय्याह को उनके पीछे रखा जाए और उनका लबादा उस पर डाल दिया जाए। इस प्रकार मुसलमानों को पता चला कि अल्लाह के नबी ने उसे अपने लिए चुना है। जब अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल से कहा (जैसा कि मुझे प्राप्त हुआ है) कि यहूदी महिला ने वही किया जो उसने उसे करते देखा, "क्या तुम दयाहीन हो, बिलाल, कि तुम दो महिलाओं को उनके मारे गए पुरुषों के पास से ले जाते हो?"

जुवैरिया बिन्त अल-हरिथ:

हदीस सहीह बुखारी 2541: रसूल (स.) ने बिना किसी चेतावनी के बनी मुस्तलिक पर अचानक हमला कर दिया जबकि वे ग़ाफ़िल थे और अपने मवेशी पानी के स्थानों पर पानी पिला रहे थे। उनके लड़ाके मारे गए और उनकी औरतें और बच्चे बंदी बना लिए गए; उस दिन रसूल (स.) को जुवैरिया मिली..

हदीस अबू दाऊद 3931: अल-हरिथ इब्न अल-मुस्तलिक की बेटी जुवैरियाह, साबित इब्न क़ैस या उनके चचेरे भाई के भाग्य में गिरी। उसने अपनी आजादी खरीदने के लिए एक समझौता किया। वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, जो देखने में बहुत आकर्षक थी। आयशा (रज़ि) ने कहा: वह फिर अल्लाह के रसूल (स.) के पास अपनी आजादी खरीदने के लिए पूछने आई। जब वह दरवाजे पर खड़ी थी, मैंने उसे अस्वीकृति से देखा। मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के रसूल (स.) उसमे वो देखेंगे जिसे मैंने देखा था। उसने कहा: अल्लाह के रसूल, मैं अल-हरिथ की बेटी जुवैरियाह हूं, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो आपसे छिपा नहीं है। मैं साबित इब्न क़ैस के भाग्य में गिरी, मैं अपनी आजादी की खरीद के लिए सहायता मांगने आपके पास आई हूं। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: क्या तुम उस चीज़ के लिए इच्छुक हैं जो बेहतर है? उसने पूछा: वह क्या है, अल्लाह के रसूल? उन्होंने उत्तर दिया: मैं स्वतंत्रता की कीमत चुकाऊंगा, और मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने कहा: मैं यह करूंगी। उन्होंने (आयशा (रज़ि)) कहा: तब लोगों ने सुना कि अल्लाह के रसूल (स.) ने जुवैरिया से शादी कर ली है। उन्होंने अपने कब्जे में बंदियों को छोड़ दिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया, और कहा: वे शादी के द्वारा अल्लाह के रसूल (स.) के रिश्तेदार हैं। हमने जुवैरिया से बड़ी कोई औरत नहीं देखी जो अपने लोगों के लिए बरकत लेकर आई हो। बनू मुस्तलिक के एक सौ परिवारों को उसके कारण स्वतंत्र कर दिया गया ।

रेहाना बिन्त ज़ायद:

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 137: "अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को बनू कुरैज़ा की रेहाना को लूट के रूप में प्रदान किया।"

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 466, खण्ड 693: फिर रसूल ने बनू कुरैज़ा की संपत्ति, पत्नियों और बच्चों को मुसलमानों में बांट दिया और उसी दिन घोड़ों और आदमियों का हिस्सा घोषित कर दिया और पाँचवाँ हिस्सा निकाल लिया... फिर रसूल ने अब्दुल-अशहाल के भाई साद बिन ज़ैद अल-अंसारी को बनू कुरैज़ा की कुछ बंदी महिलाओं के साथ नज्द भेजा और उसने उन्हें घोड़ों और हथियारों के बदले बेच दिया। रसूल ने उनमें से एक महिला को अपने लिए चुन लिया था, रेहाना बिन्त अम्र बिन खुनाफा, जो अम्र. कुरैज़ा की महिलाओं में से एक थी, और वह मरने तक उनके साथ रही, उनके अधिकार में । रसूल ने उनसे शादी करने और उस पर पर्दा डालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने (रेहाना) कहा: 'नहीं, मुझे अपने अधिकार में छोड़ दो, क्योंकि यह मेरे और आपके लिए आसान होगा। जब उसे पकड़ लिया गया तो उसे इस्लाम से घृणा हो गई और वह यहूदी धर्म में ही रही। इसलिए पैगम्बर ने उसे एक तरफ रख दिया और कुछ अप्रसन्नता महसूस की। जब आप अपने साथियों के साथ थे, तो आपने अपने पीछे चप्पलों की आवाज़ सुनी और कहा, यह थलाबा बिन्त सया है जो मुझे रेहाना के इस्लाम स्वीकार करने की खुशखबरी देने आई है।' और वह यह खबर सुनाने के लिए आगे आए। इससे उन्हें खुशी हुई।

दावा: निकाह के समय आयशा (रज़ि) की उम्र 18 वर्ष थी

हदीस सहीह मुस्लिम 3482 (INT 1422d): आयशा (रज़ि) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (स.) ने उनसे शादी की जब वह छह साल की थीं, और वह (पैगंबर (स.)) उन्हें नौ साल की उम्र में अपने घर ले गए, और जब वह (पैगंबर (स.)) स्वर्गवासी हो गए तो वह अठारह साल की थी..**[अबू दाऊद 2121, सहीह बुखारी 5133-34, सहीह बुखारी 3896, सहीह मुस्लिम 3480 (INT 1422b): यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 7012: आयशा (रज़ि) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (स.) ने मुझसे कहा, "तुमसे शादी करने से पहले मुझे दो बार (मेरे सपने में) दिखाया गया था। मैंने एक फरिश्ते को तुम्हें रेशमी कपड़े में ले जाते हुए देखा, और मैंने उनसे कहा, 'उसे खोलो,' और देखा, वह तुम थीं। मैंने (अपने आप से) कहा, 'अगर यह

अल्लाह की ओर से है, तो ऐसा होना ही चाहिए।' फिर तुम मुझे दिखाई गई, फरिश्ता तुम्हें रेशमी कपड़े में ले जा रहा था, और मैंने (उनसे) कहा, "उसे खोलो, और देखा, वह तुम थीं। मैंने (अपने आप से) कहा, 'अगर यह अल्लाह की ओर से है, तो ऐसा होना ही चाहिए।'" [**सहीह बुखारी 5078, 7011, 5125: यही बयान]**

अलग घटना: इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 311: (सुहैली , ii. 79: यूनुस की रिवायत में दर्ज है कि रसूल ने उसे (उम्मुल -फदल को) देखा जब वह एक बच्ची थी_उनके सामने रेंग रही थी और कहा, 'अगर वह बड़ी हो जाती है और मैं जीवित रहता हूं तो मैं उससे शादी करूंगा लेकिन उसके बड़े होने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए।'

गुड़ियों से खेलती हुई आयशा (रज़ि):

हदीस सहीह बुखारी 6130: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: मैं पैगंबर (स.) की मौजूदगी में गुड़ियों के साथ खेलती थी, और मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ खेलती थीं । जब अल्लाह के रसूल (स.) (मेरे निवास स्थान) में प्रवेश करते थे तो वे खुद को छिपा लेती थीं, लेकिन पैगंबर (स.) उन्हें मेरे साथ खेलने के लिए बुलाते थे। (गुड़िया और इस तरह की छवियों के साथ खेलना मना है, लेकिन उस समय आयशा (रज़ि) के लिए इसकी अनुमति थी, क्योंकि वह एक छोटी लड़की थी, अभी तक यौवन की उम्र तक नहीं पहुंची थी ।) [**अबू दाऊद 4931, इब्न माजा 1982**, **अल-अदब अल-मुफ़राद 1299, 368, सहीह मुस्लिम 6287 (INT 2440a), अन- नसाई 3380, यही बयान]**

हदीस अबू दाऊद 4932: उम्मुल मोमिनीन आयशा (रज़ि) से रिवायत है : जब अल्लाह के रसूल (स.) तबूक या ख़ैबर (कथावाचक संदिग्ध है) की मुहिम के बाद पहुंचे, तो मसौदा ने एक पर्दे का एक छोर उठाया जो उनके स्टोर-रूम के सामने लटका हुआ था, जिससे कुछ गुड़िया दिखाई दीं जो उनकी थीं। आपने पूछा: यह क्या है? मैंने उत्तर दिया: मेरी गुड़िया। उनमें से आपने एक घोड़ा देखा जिसके पंख चिथड़ों से बने थे, और पूछा: यह मैं उनमें क्या देख रहा हूँ? मैंने उत्तर दिया: एक घोड़ा। आपने पूछा: इस पर यह क्या है? मैंने उत्तर दिया: दो पंख। आपने पूछा: दो पंखों वाला घोड़ा? मैंने उत्तर दिया: क्या आपने नहीं सुना कि सुलैमान के पास पंखों वाले घोड़े थे? उन्होंने कहा: इस पर अल्लाह के रसूल (स.) इतने दिल से हंसे कि मैं उनके दाढ़ के दांत देख सकती थी। (सहीह)

हदीस अबू दाऊद 4933: आयशा (रज़ि) से रिवायत है : अल्लाह के रसूल (स.) ने मुझसे शादी की जब मैं सात या छह साल की थी। जब हम मदीना आए, तो कुछ औरतें भी आईं। बिशर के अनुसार: जब मैं झूला झूल रही थी, तब उम्म रुमान मेरे पास आईं। मुझे तैयार किया और मुझे सजाया। फिर मुझे अल्लाह के रसूल (स.) के पास लाया गया और जब मैं नौ साल की थी, तब उन्होंने मेरे साथ सहवास किया। उन्होंने मुझे दरवाजे पर रोका, और मैं जोर से हंस पड़ी। (सहीह)

हदीस इब्न माजा 537, सहीह मुस्लिम 669 (INT 288b): यह रिवायत है कि आयशा (रज़ि) ने कहा: "मैं अक्सर अपने हाथ से अल्लाह के रसूल के कपड़े से इसे (वीर्य) खुरचती थी।" (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 668 (INT 288a): एक व्यक्ति आयशा (रज़ि) के घर में रुका और सुबह अपने कपड़े धोने लगा। आयशा (रज़ि) ने कहा: अगर तुम कपड़े पर वीर्य की बूँद देखते हो, अगर तुम सिर्फ़ उस जगह को धो लेते तो यह (वस्त्र को शुद्ध करने का) काम आ जाता; और अगर तुम उसे नहीं देखते तो उसके चारों ओर पानी छिड़कना ही काफी होता; क्योंकि जब भी मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल के कपड़े पर यह निशान है, तो मैंने उसे खुरच कर हटा दिया और उन्होंने इसे पहन कर नमाज़ अदा की।

आयशा (रज़ि) के पिता को शादी पर संदेह था:

हदीस सहीह बुखारी 5081: पैगम्बर (स.) ने अबू बकर (रज़ि) से आयशा (रज़ि) का विवाह करने के लिए कहा। अबू बकर (रज़ि) ने कहा, "लेकिन मैं आपका भाई हूँ।" पैगम्बर (स.) ने कहा, "अल्लाह के धर्म और उसकी किताब में तुम मेरे भाई हो, लेकिन वह (आयशा (रज़ि)) मेरे लिए विवाह करने योग्य है।"

अबू बकर (रज़ि) और उमर (रज़ि) ने पैगम्बर (स.) से फातिमा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन पैगम्बर (स.) ने मना कर दिया क्योंकि वह उनसे बहुत छोटी थी: हदीस अन- नसाई 3223: अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है: अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि उनके पिता ने कहा: "अबू बकर (रज़ि) और उमर (रज़ि), ने फातिमा से शादी का प्रस्ताव रखा लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा: 'वह छोटी है।' फिर अली (रज़ि) ने शादी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने उसका विवाह फातिमा से कर दिया। "

ज़ैनब बिन्त जहश

अल-तबारी खंड 8, पृष्ठ 2-4:
अल्लाह के रसूल ज़ैद बिन हरिस (पैगंबर (स.) के दत्तक पुत्र) के घर आये। (ज़ैद को ज़ैद बिन मुहम्मद कहा जाता था)। अल्लाह के रसूल ने उन्हें याद किया, पूछा, "ज़ैद कहाँ है?" वह उन्हें खोजने के लिए उनके निवास पर आए, लेकिन उन्हें नहीं पाया। ज़ैनब, जैद की पत्नी उनसे मिलने के लिए उठी। क्योंकि वह सिर्फ़ कमीज़ पहने हुए थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उनसे मुँह फेर लिया। उन्होंने कहा: "वह यहाँ नहीं है, अल्लाह के रसूल। अंदर आओ, आप मेरे लिए मेरे पिता और माँ जितने प्यारे हो!" अल्लाह के रसूल ने अंदर आने से मना कर दिया। ज़ैनब ने जल्दी मे कपड़े पहने थे जब उसे बताया गया कि " अल्लाह के रसूल दरवाजे पर हैं।" वह जल्दी से उछल पड़ी और अल्लाह के रसूल की चाहत को उत्तेजित कर दिया, जिससे वह कुछ ऐसा बुदबुदाते हुए दूर चले गए जो शायद ही समझ में आ सके। हालाँकि, उन्होंने खुलकर कहा: "सर्वशक्तिमान अल्लाह की महिमा हो, जो दिलों को बदल देता है!" जब जैद घर आए, तो उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि अल्लाह के रसूल उनके घर आए थे। जैद ने कहा, "तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं आने के लिए कहा?"

उन्होंने जवाब दिया, "मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।" "क्या तुमने उन्हें कुछ कहते सुना?" उन्होंने पूछा। उसने जवाब दिया, "जब वह मुडे, तो मैंने उसे यह कहते हुए सुना: 'सर्वशक्तिमान अल्लाह की महिमा हो, जो दिलों को बदल देता है!"' तो ज़ैद वहाँ से चले गए और अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा: "अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है कि आप मेरे घर आए थे। आप मेरे पिता और माता के समान मेरे प्रिय हैं, तो आप अंदर क्यों नहीं गए? अल्लाह के रसूल, शायद ज़ैनब ने आपकी चाहत को उत्तेजित किया है, और इसलिए मैं उनसे अलग हो जाऊँगा।" अल्लाह के रसूल ने कहा, "अपनी पत्नी को अपने पास रखो।" ज़ैद उस दिन के बाद उनसे [ज़ैनब से संपर्क करने] का कोई संभावित तरीका नहीं खोज सके । वह अल्लाह के नबी के पास आते और उन्हें ऐसा बताते, लेकिन अल्लाह के नबी उनसे कहते, "अपनी पत्नी को अपने पास रखो।" चूंकि पैगंबर मुहम्मद (स.) अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के प्रति आकर्षित हुए थे, अल्लाह ने उन्हें उसे पाने में मदद करने के लिए एक आयत भेजी:

क़ुरआन 33:37: "और (ऐ नबी!) याद करो जब तुम उस शख़्स (ज़ैद बिन हरीथा) से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनायत की और तुमने भी इनायत की 'अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरते रहो।' और तुम अपने दिल में वह छुपाए हुए थे जो अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डर रहे थे, जबकि अल्लाह इससे ज़्यादा हक़दार है कि तुम उससे डरो। फिर जब ज़ैद ने उनसे नाता तोड़ लिया (तलाक़ दे दिया) तो हमने उसे तुम्हारे निकाह में दे दिया, ताकि ईमान वालों पर अपने मुँहबोले बेटों की बीवियों से (तलाक़ के बाद) निकाह करने में कोई झिझक न रहे। और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहता है।"

हदीस तिर्मिज़ी 3213: "वह (ज़ैनब) पैगंबर की अन्य पत्नियों के सामने शेखी बघारती थी: 'तुम्हारे परिवारों ने तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया जबकि अल्लाह ने सात आसमानों से ऊपर से मेरा विवाह कर दिया।'" [**यही बयान: सहीह बुखारी 4787, 7420]**

अल्लाह ने इस विवाह को न्यायसंगत ठहराया

कुरान 33:4: अल्लाह ने न तो तुम्हारे दत्तक पुत्रों (गोद लिया हुआ) को तुम्हारा सगा पुत्र बनाया है।
कुरान 33:5: उन्हें (गोद लिए हुआ बेटों को) उनके पिताओं के नाम से पुकारो, अल्लाह के निकट यह अधिक न्यायपूर्ण है ।
कुरान 33:40: मुहम्मद (स.) तुम्हारे किसी आदमी के पिता नहीं है

अल्लाह का हुक्म आया कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.) को ज़ैनब से निकाह करना है ताकि लोगों को साफ़ दिखा दिया जाए कि गोद लिया बेटा असली बेटा नहीं होता। अरब समाज में बहू से शादी करना बहुत अपमानजनक बात मानी जाती थी।

पैगम्बर (स.) की अन्य पत्नियों की क्या प्रतिक्रिया थी?

अल-तबारी खंड 8, पृष्ठ 3: ज़ैद उनसे अलग हो गए और उन्हें छोड़ दिया, और वह स्वतंत्र हो गई। जब पैग़म्बर मुहम्मद (स.) आयशा (रज़ि) के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक चक्कर आया। जब वह स्थिति खत्म हुई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा: "कौन ज़ैनब के पास जाएगा और उसे यह ख़ुशख़बरी देगा कि अल्लाह ने उसकी मुझसे शादी करवा दी?" फिर पैग़म्बर (स.) ने यह आयत पढ़ी⋯.: मैं इस बात से बहुत असहज हो गई कि हमने उसकी सुंदरता और एक अन्य बात के बारे में सुना, सबसे बड़ा मामला जो अल्लाह ने उसके लिए किया, उसका विवाह करवा कर। मैंने सोचा कि वह इस पर हमसे बढ़-चढ़कर बात करेगी।

मारिया बिन्त शमून

पैगंबर (स.) की जीवनी: सीलबंद अमृत - सफीउर-रहमान अल-मुबारकपुरी द्वारा (पृष्ठ 483, 1996): "ये वे ग्यारह महिलाएं

थीं जिनसे अल्लाह के रसूल ने शादी की थी और उनके साथ विवाह संपन्न किया था। वह उनमें से दो से अधिक जीवित रहे - खदीजा और ज़ैनब उम्म अल-मस्कीन । जबकि अन्य नौ पत्नियाँ उनसे अधिक जीवित रहीं। जिन दो पत्नियों के साथ उन्होंने विवाह संपन्न नहीं किया, उनमें से एक बनी किलाब से और दूसरी किंडा से थी और यह अल-जौनिया कहलाती थी । इनके अलावा, उनकी दो रखैलें थीं।

1. पहली थी मरियाह, जो एक कॉप्टिक (मिस्र की ईसाई) थी, जो मिस्र के उप-शासक अल-मुकौगिस की ओर से एक उपहार थी - उसने उनके बेटे इब्राहीम को जन्म दिया, जो मदीना में एक छोटे बच्चे के रूप में 27 जनवरी, 632 ईसवी को इंतकाल हो गया।

2. दूसरी महिला रेहाना बिन्त जैद अन-नाद्रियाह या कुराज़ियाह थी, जो बनी कुरैज़ा की बंदी थी । कुछ लोग कहते हैं कि वह उनकी पत्नियों में से एक थी। हालाँकि, इब्न अल-क़ैयम पहले संस्करण को ज़्यादा महत्व देते हैं।

अबू उबैदाह ने दो और रखैलों की बात की, 3. जमीलाह, एक बंदी, और 4. एक और दासी जो ज़ैनब बिन्त जहश द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। (1)"

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 141 - अध्याय का शीर्षक: अल्लाह के रसूल की दास रखैलों का विवरण: वे मरियाह बिन्त शमून, कॉप्टिक, और रेहाना बिन्त ज़ैद अल-कुरज़ियाह थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बन्न अल-नादिर की थीं।

अल-तबारी खंड 39, पृष्ठ 194: .... मरिया को सुझाव दिया कि वह इस्लाम धर्म अपना ले और उसने ऐसा करने की इच्छा जताई; इस प्रकार वह और उसकी बहन धर्मांतरित हो गए, जबकि नपुंसक तब तक अपने धर्म पर अड़ा रहा जब तक कि वह बाद में मदीना में धर्मांतरित नहीं हो गया, जबकि पैगंबर (स.) [अभी भी] जीवित थे। पैगंबर (स.) उम्म इब्राहिम (इब्राहीम की माँ = मरिया) की प्रशंसा करते थे, जो गोरी-चिट्टी और खूबसूरत थीं। उन्होंने उन्हें अल-अलियाह में, उस संपत्ति में ठहराया, जिसे आजकल उम्म इब्राहिम का मशरबा कहा जाता है । वह (पैगंबर) वहां उनसे मिलने जाते थे और उसे पर्दा करने का आदेश देते थे, [लेकिन वह उनकी संपत्ति होने के कारण उसके साथ संभोग करते थे। (नोट 845, पृष्ठ.194: मरिया को पैगंबर (स.) की पत्नियों की तरह पर्दा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने उनसे शादी नहीं की।)

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 653, खण्ड 972: मुकौगिस ने पैगम्बर को चार दासियाँ दीं, जिनमें से एक मरियम भी थीं।

फतवा इस्लामी हुक्म संख्या 47572, इस्लाम के विद्वान द्वारा प्रश्नोत्तर: पैगंबर (स.) ने मरियाह अल-क़िब्तिय्या से शादी नहीं की थी, बल्कि वह एक उपपत्नी थी जिसे मिस्र के शासक अल-मुकौगिस ने उन्हें दिया था।

मारिया की घटना का उल्लेख:

तफ़सीर कुरान 66:1 (अल-वहीदी): उमर (रज़ि) ने कहा: "अल्लाह के रसूल, मरियाह के साथ हफ़सा के घर में दाखिल हुए। जब हफ़सा ने उन्हें उसके साथ [एक अंतरंग क्षण में] पाया, तो उसने कहा: "आप उसे मेरे घर में क्यों लाए हो? आपने अपनी सभी पत्नियों को छोड़कर मेरे साथ ऐसा किया, केवल इसलिए कि मैं आपके लिए बहुत तुच्छ हूँ"। उन्होंने उनसे कहा: 'इस बारे में 'आयशा (रज़ि)' से जिक्र मत करना; वह मेरे लिए [यानी मरियाह] हराम है। हफ़सा ने कहा: 'वह आपके लिए कैसे हराम हो सकती है जब वह आपकी दासी है?' उन्होंने उससे कसम खाई कि वो उसे नहीं छुएंगे और फिर कहा: 'इस घटना का जिक्र किसी से मत करना'। लेकिन उसने आगे बढ़कर 'आयशा (रज़ि)' को सूचित किया। पैगंबर (स.), ने एक महीने तक अपनी पत्नियों के पास न जाने का फैसला किया।

हदीस सहीह बुखारी 402: उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) फ़रमाया : मेरे आका ने तीन बातों में मुझसे सहमति जताई: -(1). मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.), काश कि हम इब्राहीम के स्थान को अपनी नमाज़ की जगह बना लेते। तो ईश्वरीय प्रेरणा (आयत) आई: और तुम (लोगों) इब्राहीम के स्थान को अपनी नमाज़ की जगह बना लो (अपनी कुछ नमाज़ों के लिए जैसे काबा के तवाफ़ की दो रकात)"। (**Q 2:125)** – (2). और जहाँ तक महिलाओं के पर्दा करने की बात है, मैंने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! काश कि आप अपनी पत्नियों को पुरुषों से पर्दा करने का आदेश देते, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों ही उनसे बात करते हैं।' इस प्रकार महिलाओं के पर्दा करने की आयत उतरी। (3). एक बार पैगम्बर (स.) की पत्नियों ने पैगम्बर (स.) के विरुद्ध एकजुट होकर मोर्चा बनाया और मैंने उनसे कहा, 'हो सकता है कि वह (पैगम्बर (स.)) तुम्हें तलाक दे दे, तो उसका रब (अल्लाह) तुम्हारे बदले उन्हें तुमसे अच्छी पत्नियाँ दे दे।' अतः यह आयत (जो मैंने कही थी) उतरी।" (**Q 66:5**)

** उमर इब्न अल-ख़त्ताब (रज़ि.) को पहले से पता होता था कि भविष्य में कुरान की कौन-सी आयत नाज़िल होने वाली है।

सहीह बुख़ारी 2468: अब्दुल्लाह बिन अब्बास: मैं उमर से पैग़म्बर (स.) की दो पत्नियों (आइशा और हाफ़्सा) के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, जिनके संबंध में अल्लाह ने कुरआन में फरमाया: "यदि तुम दोनों (पत्नियाँ) अल्लाह की तरफ़ तौबा कर लो, तो वास्तव में तुम्हारे दिल उन चीज़ों की ओर झुके हुए हैं जो पैग़म्बर (स.) को पसंद नहीं हैं।" **(सूरह 66:4)** यह सवाल पूछने की मेरी इच्छा तब तक बनी रही, जब तक कि मैंने 'उमर के साथ हज नहीं किया। पैग़म्बर (स.) अपनी पत्नियों के पास नहीं गए, क्योंकि हाफ़्सा ने आइशा को एक गोपनीय बात बता दी थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नियों के पास एक महीने तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें मारिया के पास जाने से रोकने के लिए ली गई उनकी शपथ के लिए फटकारा। [**हदीस अन- नसाई 3411: मिलती-जुलती**]

हदीस सहीह बुख़ारी (5267: में पूरी घटना पर पर्दा डाल दिया गया: मारिया से जुड़ी घटना को बाद में शहद पीने और मग़ाफ़ीर की बदबूदार महक (एक झाड़ की गोंद) के क़िस्से में बदलकर पेश किया गया।

कुछ अन्य विवाह

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 139: "मैं लेयला बिन्त अल-खातिम हूँ । मैं खुद को आपसे शादी के लिए पेश करने आई हूँ, इसलिए मुझसे शादी कर लो।" उन्होंने कहा, "मुझे स्वीकार है।" वह अपने लोगों के पास वापस गई और कहा कि अल्लाह के रसूल ने उससे शादी कर ली है। उन्होंने कहा, "तुमने क्या बुरा किया है! तुम एक स्वाभिमानी महिला हो, लेकिन पैगंबर (स.) एक महिला-प्रेमी हैं। उनसे विवाह को रद्द करने की मांग करो।" वह पैगंबर (स.) के पास वापस गई और उनसे विवाह को रद्द करने के लिए कहा और उन्होंने [उसके अनुरोध] का पालन किया ।

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 137: अल्लाह के रसूल ने अस्मा बिन्त अल-नुमान अल-किंदीया से विवाह किया। जब वह उसके पास गए तो उन्होंने पाया कि वह कोढ़ रोग से पीड़ित थी, इसलिए उन्होंने उसे तलाक के लिए मुआवज़ा दिया

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 139: इब्न अल-कलबी से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल ने ग़ज़िया बिंत जाबिर से विवाह किया, जिसे उम्म शरीक कहा जाता है। वह पहले से शादीशुदा थी और उसके पहले पति से शरीक नाम का एक बेटा था, इसलिए उसे इस उपनाम से पुकारा जाता था। जब पैगम्बर (स.) उसके पास गए तो उन्होंने पाया कि वह एक बूढ़ी औरत है, इसलिए उन्होंने उसे तलाक दे दिया।

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 136: अल्लाह के रसूल ने अल-शंबा से विवाह किया। अम्र अल- गिफारिया ... जब वह अल्लाह के रसूल के घर में दाखिल हुई तो उसे मासिक धर्म हुआ और इब्राहीम [पैगंबर (स.) के बेटे] की मृत्यु उसके शुद्धिकरण स्नान से पहले हो गई। उसने कहा, "अगर वह पैगंबर होते, तो जो व्यक्ति उन्हें सबसे प्रिय है, वह मरता नहीं," इसलिए अल्लाह के रसूल ने उसे तलाक देकर विदा कर दिया।

पैगम्बर (स.) ने उमैमा (अल-जौनीय्या) से निकाह किया, लेकिन जब निकाह के दौरान वह सहज नहीं हुईं, तो पैगम्बर (स.) ने आदेश दिया कि उन्हें दो सफेद लिबास दें और उन्हें छोड़ दें, यानी तलाक दे दिया गया (बिना संबंध स्थापित किए)

हदीस सहीह बुखारी 5256: पैगम्बर (स.) ने उमैमा बिन्त शराहिल से शादी की, और जब उसे उनके पास लाया गया, तो आपने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ऐसा लगा कि उसे यह पसंद नहीं आया, जिस पर पैगम्बर (स.) ने अबू उसैद को उसे तैयार करने और दो सफ़ेद लिनन के कपड़े प्रदान करने का आदेश दिया। [**हदीस सहीह बुखारी 5255, हदीस अन- नसाई 3446, इब्न माजा 2050, सहीह बुखारी 5254, मिलती-जुलती]**

इस्लाम पुरुषों को चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है, लेकिन मुहम्मद (स.) की चार से अधिक पत्नियाँ थीं:

कुरआन 33:50: हे नबी! हमने आपके लिए वैध कर दी हैं वे पत्नियाँ जिनके महर आपने दिए हैं, और जो लौंडिया अल्लाह ने आपको युद्ध में दी हैं, और आपके चाचा की बेटियाँ, फूफियों की बेटियाँ, मामा की बेटियाँ, और मौसी की बेटियाँ जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है; और कोई भी मोमिन औरत (ईमान वाली) अगर वह अपने को नबी को बिना महर के समर्पित कर दे और नबी चाहे तो उससे विवाह कर ले; **यह विशेष रूप से आपके लिए है, और मोमिनों के लिए नहीं।** हमें पता है कि हमने मोमिनों पर उनकी पत्नियों और उनके दाहिने हाथ की मिल्कियत (लौंडिया) के बारे में क्या नियम

रखे हैं ताकि आप पर कोई कठिनाई न हो। और अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील, दयावान है।"

कज़न विवाह: सऊदी अरब में 50–60% है, जिससे जेनेटिक रोगों की दर सामान्य से कई गुना अधिक है।

मुहम्मद (स.) को नई शादी पर अल्लाह की रोक

क़ुरआन 33:52: इसके बाद आपके लिए दूसरी स्त्रियों से विवाह करना और उन्हें पत्नियाँ बनाना वैध नहीं है, चाहे उनका सौन्दर्य आपको कितना ही आकर्षित क्यों न करे, सिवाय उन स्त्रियों के जो आपके दाहिने हाथ में हों। और अल्लाह हर चीज़ पर निगरानी रखने वाला है।

[अल्लाह ने पहले **(Q 33:50)** में यह स्पष्ट किया कि यह विशेष अनुमति (चार से अधिक पत्नियाँ) केवल पैग़म्बर (स.) के लिए थी। लेकिन इसके बाद इस आयत (**Q 33:52)** में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब उन्हें नई औरतों से निकाह की अनुमति नहीं, और पहले से मौजूद पत्नियों को बदलना भी मना है, चाहे कोई अन्य औरत उन्हें कितनी ही सुंदर क्यों न लगे।]

मदीना आने के बाद विवाह से कोई संतान नहीं

एक और बात ध्यान देने योग्य है कि पैग़म्बर (स.) ने मदीना आने के बाद दस से अधिक महिलाओं से विवाह किया, और उनमें से किसी से भी कोई संतान नहीं हुई। उनके एक दासी मारिया से एक बेटा हुआ था, जिसका निधन कम उम्र में हो गया।

** पैग़म्बर (स.) एक ही रात में अपनी सभी पत्नियों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम थे। इसके अलावा वे रात में केवल एक बार ही स्नान करते थे।

हदीस सहीह बुखारी 268, 284, 5068: पैगंबर (स.) एक रात में अपनी सभी पत्नियों के पास से गुजरते थे (यौन संबंध बनाते थे), और उस समय उनकी नौ पत्नियाँ थीं"

हदीस सहीह बुखारी 5215: "नबी (स.) अपनी पत्नियों के पास जाते थे और (अंत में) एक ही ग़ुस्ल करते थे।" [**जनाबा** = सहवास के बाद ग़ुस्ल / स्नान]

क्या पैगम्बर (स.) अपनी पत्नियों के प्रति निष्पक्ष थे?

सहीह मुस्लिम 3628: अल्लाह के रसूल (स.) की नौ पत्नियाँ थीं। इसलिए जब उन्होंने (अपना प्रवास) उनके साथ बांट लिया, तो पहली पत्नी की बारी नौवें दिन आई। वे (सभी पत्नियाँ) हर रात उसके घर में इकट्ठा होती थीं जहाँ उन्हें आना होता था (और उस रात रुकना होता था)। (वह रात जब उन्हें आयशा (रज़ि) के घर में रहना था), ज़ैनब वहाँ आईं। उन्होंने (पैगंबर स.) अपना हाथ उनकी (ज़ैनब) तरफ बढ़ाया, जिस पर उन्होंने ('आयशा (रज़ि)) कहा: यह ज़ैनब है। अल्लाह के रसूल (स.) ने अपना हाथ वापस ले लिया। दोनों के बीच तब तक बहस हुई जब तक कि उनकी आवाज़ें तेज़ नहीं हो गईं और यह समय था जब नमाज़ के लिए इकामा का उच्चारण किया जाने लगा। संयोग से अबू बकर (रज़ि) आये और उन्होंने उनकी आवाजें सुनीं और कहा: अल्लाह के रसूल, (कृपया) नमाज़ के लिए आएं और उनके मुंह में धूल डाल दें। तो नबी (स.) बाहर चले गए। आयशा (रज़ि) ने कहा: जब अल्लाह के रसूल (स.) ने अपनी नमाज़ से फारिग हो गए तो अबू बकर (रज़ि) उनके (आयशा (रज़ि)) पास आए और उनसे सख्त लफ़्ज़ों में कहा: क्या तुम इस तरह का व्यवहार करती हो?

हदीस सहीह बुखारी 4788: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: मैं उन औरतों को तुच्छ समझती थी जिन्होंने खुद को अल्लाह के रसूल (स.) को समर्पित कर दिया था और मैं कहा करती थी, "क्या कोई औरत खुद को (किसी पुरुष को) समर्पित कर सकती है?" लेकिन जब अल्लाह ने नाज़िल की: "तुम (हे मुहम्मद) उनमें से जिसकी चाहो बारी को स्थगित कर सकते हो, और तुम उनमें से जिसे चाहो स्वीकार कर सकते हो; और इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम उस एक को आमंत्रित करो जिसकी बारी तुमने (अस्थायी रूप से) स्थगित कर दी हो।' (**Q 33:51**) मैंने (पैगंबर (स.) से कहा, "मुझे लगता है कि आपका रब आपकी इच्छाओं को पूरा करने में जल्दी करता है।" [**मिलती-जुलती हदीस अन-नसाई 3201:**)

हदीस अन-नसाई 3207: आयशा (रज़ि) से रिवायत है कि "अल्लाह के रसूल का स्वर्गवास तब तक नहीं हुआ जब तक अल्लाह ने उन्हें उनकी इच्छानुसार किसी भी महिला से शादी करने की अनुमति नहीं दे दी।"

सहीह बुखारी 2581: अल्लाह के रसूल की पत्नियाँ दो समूहों में थीं। एक समूह में आयशा (रज़ि), हफ़सा, सफ़िया और सौदा थीं और

दूसरे समूह में उम-सलमा और अल्लाह के रसूल की अन्य पत्नियाँ थीं। मुसलमान जानते थे कि अल्लाह के रसूल आयशा (रज़ि) से प्यार करते थे, इसलिए अगर उनमें से किसी के पास कोई उपहार होता और वह अल्लाह के रसूल को देना चाहता, तो वह इसे तब तक टाल देता, जब तक अल्लाह के रसूल आयशा (रज़ि) के घर न आ जाएँ और फिर वह अपना उपहार अल्लाह के रसूल को उनके घर भेज देता। उम सलमा के समूह ने एक साथ इस मामले पर चर्चा की और फैसला किया, उम सलमा को अल्लाह के रसूल से अनुरोध किया कि वह लोगों से कहें कि वे अपने उपहार उनके पास जिस भी पत्नी के घर हों, वहाँ भेजें। उम सलमा ने अल्लाह के रसूल से ये बात कही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।" जब वह (बीवियाँ) उनसे मिली तो फिर उनसे बात करने को कहा, जब उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनसे कहा, "जब तक वह तुम्हें जवाब न दे, तब तक उनसे ये बात करते रहो।" जब उसकी बारी आई, तो उसने फिर से उनसे बात की। फिर उन्होंने उनसे कहा, "आयशा (रज़ि) के बारे में मुझे दुख न पहुँचाना, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणाएँ आयशा (रज़ि) के अलावा किसी और बिस्तर पर नहीं आती हैं। " इस पर उम सलमा ने कहा, "मैं आपको दुख पहुँचाने के लिए अल्लाह से तौबा करती हूँ।" फिर उम सलमा के समूह ने अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा को बुलाया और उसे अल्लाह के रसूल के पास यह कहने के लिए भेजा, "आपकी पत्नियाँ उनसे और अबू बकर (रज़ि) की बेटी के साथ समान व्यवहार करने का अनुरोध करती हैं । "

फिर फातिमा ने उन्हें संदेश दिया। पैगंबर (स.) ने कहा, "ऐ मेरी बेटी! क्या तुम उनसे प्यार नहीं करती जिनसे मैं प्यार करता हूँ?" उसने हाँ में जवाब दिया और वापस आकर उन्हें स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने उनसे फिर से उसके पास जाने का अनुरोध किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने ज़ैनब बिन्त जहश को भेजा जो उनके पास गई और कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, "आपकी पत्नियाँ आपसे अनुरोध करती हैं कि आप उनके और अबू बकर की बेटी के साथ समान व्यवहार करें।" इस पर उसने (ज़ैनब) अपनी आवाज़ ऊँची की और आयशा (रज़ि) के मुँह पर बहुत सारी गालियाँ दीं कि अल्लाह के रसूल ने आयशा (रज़ि) की ओर देखा कि वह पलटकर जवाब देगी या नहीं। आयशा (रज़ि) ने ज़ैनब को जवाब देना शुरू किया जब तक कि उन्होंने उसे चुप नहीं करा दिया। फिर पैगम्बर (स.) ने आयशा (रज़ि) की ओर देखा और कहा, "वह वास्तव में अबू बकर (रज़ि) की बेटी है।"

हदीस तिर्मिज़ी 3040: **सौदा** को डर था कि पैगंबर (स.) उसे तलाक देने वाले थे, इसलिए उसने कहा: 'मुझे तलाक न दें, मुझे रखें और मेरा दिन 'आयशा (रज़ि)' को दें।' इसलिए उन्होंने (स.) ऐसा ही किया, और निम्नलिखित आयत आई: **कुरान 4:128:** और यदि किसी औरत को अपने पति से अवज्ञा या उपेक्षा का भय हो, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि वे आपस में कोई समझौता कर लें और समझौता करना बेहतर है। [**सहीह बुख़ारी 5212, मिलती-जुलती**]

कुरान 33:51: "आप (पैग़म्बर मुहम्मद (स.)) अपनी पत्नियों में से जिसे चाहें, कुछ समय के लिए अलग रख सकते हैं और जिसे चाहें, अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप किसी को, जिसे आपने पहले अलग रखा था, फिर से अपने पास लाना चाहें तो उसमें भी आप पर कोई पाप नहीं है। यह अधिक उचित है कि वे संतुष्ट रहें और दुखी न हों और जो कुछ आपने उन्हें दिया है उसी में संतुष्ट रहें।

तफ़सीर कुरान 33:51 (इब्न कसीर): इब्न अब्बास (रज़ि.) और अन्य से बयान है कि यह आयत पैग़म्बर मुहम्मद (स.) को अपनी पत्नियों के बीच रात बाँटने में विशेष छूट देने के लिए उतरी थी।

हदीस सहीह मुस्लिम 3453: आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि पैग़म्बर (स.) अपनी पत्नियों के बीच रातों को बराबर बाँटते थे, फिर भी अगर कोई विशेष इच्छा होती तो इस आयत के अनुसार उन्हें छूट थी।

यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे पुनः विवाह करने की अनुमति है: लेकिन पैगंबर (स.) ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी पत्नियों को पुनर्विवाह करने से मना किया:

क़ुरआन 33:53: ऐ ईमान वालो! नबी (स.) के घरों में प्रवेश न करो जब तक कि अनुमति न दी जाए... और जब तुम पूछोगे (तो) जो कुछ भी तुम चाहो, उनसे परदे के पीछे से मांगो। यह तुम्हारे और उनके दिलों के लिए अधिक शुद्ध है। और यह तुम्हारे लिए उचित नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को परेशान करो और न यह कि तुम उनके बाद उनकी पत्नियों से विवाह करो

दावा: पैग़ंबर (स.) पाप और गलत काम से सुरक्षित थे?

कुरान 47:19: तो जान लो (हे मुहम्मद स.) कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और अपने गुनाहों की क्षमा माँगो और ईमानवाले मर्दों और ईमानवाली औरतों के गुनाहों की भी क्षमा माँगो। अल्लाह

तुम्हारे चलने-फिरने और तुम्हारे आराम करने के ठिकानों को भली-भाँति जानता है।

हदीस सहीह बुखारी 6307: मैंने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए सुना: "अल्लाह की कसम! मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूं और दिन में सत्तर से ज़्यादा बार उसकी तरफ़ तौबा करता हूं।"

हदीस बुलुग अल-मरम किताब 16, हदीस 1520: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: आदम के सभी बेटे पापी हैं, लेकिन सबसे अच्छे पापी वे हैं जो अक्सर पश्चाताप करते हैं।

हदीस सहीह बुखारी 7385: हे अल्लाह! मेरे पापों को क्षमा कर जो मैंने अतीत में किए या भविष्य में करूंगा, और उन पापों को भी क्षमा कर जो मैंने गुप्त रूप से या सार्वजनिक रूप से किए।

क़ुरआन 48:1-2: हमने तुम्हें (ऐ मुहम्मद) खुली जीत प्रदान की है, ताकि अल्लाह आपके पिछले और भविष्य के पापों को क्षमा कर दे।

सहीह मुस्लिम 6963: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना: यदि तुम पाप न करते, तो अल्लाह एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न करता जो पाप करती (और अल्लाह) उन्हें क्षमा कर देता।

हदीस अन-नसाई 29: आयशा (रज़ि) ने कहा: "जो कोई भी तुमसे कहता है कि अल्लाह के रसूल (स.) खड़े होकर पेशाब करते थे, उस पर विश्वास न करें, क्योंकि वह केवल बैठ कर पेशाब करते थे।" **[हदीस इब्न माजा 307, तिर्मिज़ी 12: यही जानकारी]**

हदीस इब्न माजा 305: हुदैफा से रिवायत है कि: अल्लाह के रसूल कुछ लोगों के कूड़े के ढेर पर आए और उन्होंने खड़े होकर उस पर पेशाब किया। **[यही जानकारी, हदीस सहीह बुखारी 2471]**

हदीस तिर्मिज़ी 8: अल्लाह के रसूल ने कहा: "जब तुम में से कोई शौच के लिए जाए, तो तुममें से कोई भी शौच करते समय या पेशाब करते समय क़िबला का सामना न करे। और अपनी पीठ क़िबला की ओर न रखें, बल्कि इसे अपने पूर्व या पश्चिम की ओर रखें।" (सहीह) **[मिलती-जुलती हदीस, मुवत्ता मलिक किताब 14, हदीस 1]**

हदीस इब्न माजा 325: जाबिर ने कहा: "अल्लाह के रसूल ने पेशाब करते समय क़िबला की ओर मुंह करके बैठने से मना किया था। लेकिन मैंने उन्हें स्वर्गवास से एक साल पहले क़िबला की ओर मुंह करके पेशाब करते हुए देखा।" **[हदीस तिर्मिज़ी 9, यही बयान]**

अबू दाऊद 3859: अल्लाह के रसूल (स.) अपने सिर के ऊपरी हिस्से और दोनों कंधों के बीच हिजामा (कपिंग) करवाते थे। और आप (स.) फ़रमाते थे: "जो व्यक्ति अपना कुछ ख़ून निकलवा ले, उसे फिर किसी बीमारी के इलाज के लिए दवा न भी करे तो कोई हानि नहीं होती।"

सहीह बुख़ारी 2278, 5691: जब नबी (स.) ने हिजामा करवाया, तो आपने हिजामा करने वाले व्यक्ति को उसकी मज़दूरी अदा की।

अबू दाऊद 3421: नबी (स.) ने फ़रमाया: "हिजामा करने वाले की कमाई नापाक है, कुत्ते की क़ीमत नापाक है, और वेश्या की मज़दूरी नापाक है।"

आयत भूलना

क़ुरआन 87:6-7: हम आपको पढ़वाएँगे, **फिर आप नहीं भूलेंगे**, सिवाय उसके, जो अल्लाह चाहे। निश्चय ही वह जानता है जो प्रकट है और जो छिपा हुआ है

तफ़सीर क़ुरआन 87:6–7 (इब्न अब्बास): अल्लाह ने अपने नबी (स.) को क़ुरआन पढ़वाने का वादा किया और यह कि वह उसे नहीं भूलेंगे, सिवाय उस चीज़ के जिसे अल्लाह चाहे; और अल्लाह हर ज़ाहिर और हर छिपी हुई बात को जानता है।

सहीह बुख़ारी 5037, 5038: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने एक आदमी को मस्जिद में क़ुरआन पढ़ते हुए सुना, तो आप (स.) ने फ़रमाया: अल्लाह उस पर रहमत करे। उसने मुझे ऐसी आयतें याद दिला दीं, जिन्हें मुझे फलाँ सूरह से भुला दिया गया था।

सबसे पहले, पैग़म्बर (स.) कैसे किसी आयत को भूल सकते थे; और यदि अल्लाह ने उसे भुला दिया, तो कोई और उन्हें याद कैसे दिला सकता था?

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) का आत्म-संयम

हदीस तिर्मिज़ी 729: आयशा (रज़ि) ने रिवायत किया: "अल्लाह के रसूल रोज़े के दौरान चूमते और दुलारते थे, और आपमें से सबसे ज़्यादा अपने अंगों पर उनका नियंत्रण था। (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 299, 300, 301: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: पैगम्बर (स.) और मैं जुनुब के दौरान एक ही बर्तन से नहाते थे। मासिक धर्म के दौरान, वह मुझे इज़ार (कमर के नीचे पहना जाने वाला कपड़ा) पहनने का आदेश देते थे और मुझे दुलारते थे। एतिकाफ़ (आध्यात्मिक शरण) में रहते हुए, वह अपना सिर मेरे पास लाते थे, और मैं उसे धोती थी, जबकि मैं मासिक धर्म में होती थी।

हदीस सहीह बुखारी 322: उम-सलमा ने कहा, "जब मैं पैगम्बर (स.) के साथ चादर के भीतर लेटी थी, तब मुझे मासिक धर्म हुआ। इसलिए मैं खिसक गई, मासिक धर्म के कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया। अल्लाह के रसूल (स.) ने पूछा, 'क्या तुम्हें मासिक धर्म हुआ है?' मैंने जवाब दिया, 'हाँ।' फिर उन्होंने मुझे बुलाया और चादर के भीतर अपने साथ ले गए।" उम सलमा ने आगे कहा, "पैगम्बर (स.) मुझे रोज़े के दौरान चूमते थे। पैगम्बर (स.) और मैं एक ही बर्तन से जनाबा का स्नान करते थे।"

हदीस अबू दाऊद 2151: पैगंबर (स.) ने एक औरत को देखा, इसलिए वह ज़ैनब बिन्त जहश (पत्नी) के पास गए और उसके साथ संभोग किया। फिर वह बाहर आए और अपने साथियों से कहा "एक औरत शैतान का रूप लेकर आगे बढ़ती है। जब तुममें से कोई यह जान ले तो उसे अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए (और उसके साथ संभोग करना चाहिए) क्योंकि इससे उसकी भावनाएँ दूर हो जाएँगी।"

विरोधाभास - मुवत्ता मलिक पुस्तक 17, हदीस 808: अब्दुल्लाह बिन उमर यह कहते थे कि एक रोज़ा रखने वाले पुरुष को अपनी पत्नी को चूमने या उसके साथ घनिष्ठता करने से परहेज़ करना चाहिए।

हज़रत अली की दूसरी शादी की योजना (अबू जहल की बेटी से) के खिलाफ पैग़म्बर (स.) ने नाराज़गी जताई

सहीह बुख़ारी, हदीस 3729: पैग़म्बर (स.) उठे, मिंबर पर गए, तशह्हुद पढ़ा और फ़रमाया: "मैंने अबू अल-आस बिन रबीअ का निकाह (पहली बेटी हज़रत ज़ैनब के शौहर) किया था, वह सच्चा और वफ़ादार निकला। फ़ातिमा (सबसे छोटी बेटी) मेरा टुकड़ा है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। अल्लाह की क़सम, अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक ही मर्द के निकाह में नहीं हो सकतीं।"

हालाँकि पैग़म्बर (स.) ने अबू सुफ़ियान की बेटी (उम्म हबीबा) से निकाह किया था, जो (उस समय) दुश्मन थे।

नबी की गलत भविष्यवाणियाँ

एक नबी वह व्यक्ति होता है जिसमें ये गुण हों कि उसकी भविष्यवाणियाँ अधिकांशतः सही सिद्ध हों; अन्यथा वह झूठा नबी कहलाएगा।

हदीस सहीह मुस्लिम 7410-12: एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (स.) से पूछा: आख़िरी घड़ी (क़ियामत) कब आएगी? इस पर अल्लाह के रसूल (स.) कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपने सामने एक छोटे लड़के की ओर देखा जो अज़द शनुआ जनजाति का था, और उन्होंने कहा: यदि यह लड़का जीवित रहता है तो यह बहुत बूढ़ा नहीं होगा और अन्तिम घड़ी आ जाएगी। अनस ने कहा कि यह छोटा लड़का उन दिनों हमारी उम्र का था। [

हदीस सहीह मुस्लिम 7403: उन्होंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना: मैं और आख़िरी घड़ी इस तरह (एक दूसरे के करीब) हैं (और उन्होंने इसे समझाने के लिए) अपनी तर्जनी अंगुली को अंगूठे और मध्यमा अंगुली के बगल में (एक साथ) जोड़कर इशारा किया। [**सहीह मुस्लिम 7405 यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 7313: अल्लाह के रसूल (स.) से कहा: आखिरी घड़ी तब तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमान, तुर्कों से युद्ध नहीं करेंगे - एक ऐसा समुदाय जिनके चेहरे हथौड़े से पीटकर बनाई गई ढालों की तरह होंगे, जो बालों के कपड़े पहने होंगे और बालों के जूते पहनकर चलेंगे।

हदीस सहीह बुखारी 7116: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक दौस जनजाति की महिलाओं के कूल्हे धुल-ख़लासा के चक्कर लगाते समय हिलते

रहेंगे।" धुल-ख़लासा दौस जनजाति की मूर्ति थी जिसकी वे अज्ञानता के पूर्व इस्लामी काल में पूजा करते थे।

यहाँ केवल 4 दिए गए हैं। वह बच्चा पहले ही बड़ा हो चुका और मर चुका है, मुसलमानों ने तुर्की पर विजय प्राप्त कर ली है, और धुल-ख़लासा भी नष्ट हो चुका है।

अगर किसी दूसरे ने किसी को जन्नती कहा, तो वो ग़लत है

हदीस इब्न माजा 82: अल्लाह के रसूल (स.) को अंसार से एक बच्चे के अंतिम संस्कार में बुलाया गया था। मैंने कहा: 'अल्लाह के रसूल, उसके लिए खुशखबरी! वह स्वर्ग के छोटे पक्षियों में से एक है, जिसने कभी बुरा नहीं किया और न ही बुराई करने की उम्र (यानी जवाबदेही) को प्राप्त किया।' उन्होंने कहा: 'ऐसा नहीं हो सकता है, ऐ 'आयशा (रज़ि)! क्योंकि अल्लाह ने लोगों को स्वर्ग के लिए बनाया, जब वे अभी भी अपने पिता की कमर में थे, और उसने ही लोगों को नरक के लिए बनाया, जब वे अभी भी अपने पिता की कमर में थे।'" (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 4234: अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है कि जब हमने खैबर पर फ़तेह पाया तो हमें लूट में न तो सोना मिला और न ही चांदी, बल्कि गाय, ऊँट, माल और बाग़ मिले। फिर हम रसूल अल्लाह (स.) के साथ क़िरा की वादी में रवाना हुए और उस समय रसूल (स.) के पास मिदअम नाम का एक गुलाम था जिसे बनू अद्-दिब्बाब में से एक ने उनके सामने पेश किया था। जब गुलाम रसूल अल्लाह (स.) की काठी से उतर रहा था तो एक तीर आया जिसे फेंकने वाला अज्ञात था और उसे जा लगा। लोगों ने कहा, "उसकी शहादत पर उसे बधाई।" रसूल अल्लाह (स.) ने कहा, "नहीं, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वह चादर (कपड़ा) जो उसने खैबर के दिन लूट के बंटवारे से पहले लूट में से (अवैध रूप से) ली थी, आग की ज्वाला बन गई है जो उसे जला रही है।" यह सुनकर एक आदमी एक या दो चमड़े के जूते की पट्टियाँ पैगंबर (स.) के पास लाया और कहा, "ये वे चीजें हैं जो मैंने (अवैध रूप से) ली हैं।" इस पर अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "यह एक पट्टा है, या ये आग की दो पट्टियाँ हैं।"

सहीह बुखारी 3929: एक अंसारी महिला जिसने पैगंबर (स.) से निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, से रिवायत है कि अंसार ने प्रवासियों (जो मक्का से आये थे) के निवास के संबंध में परची निकालीं। उथमान बिन मज़ून को उनके (परिवार) साथ रहने का फैसला किया गया था, उथमान बीमार पड़ गए और मैंने उनकी सेवा की जब तक कि वह मर नहीं गए, और हमने उन्हें उनके कपड़ों से ढक दिया। फिर पैगंबर (स.) हमारे पास आए और मैंने (शव को संबोधित करते हुए) कहा, "हे अबू अस-सैब, अल्लाह की दया आप पर हो! मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह ने आपको सम्मानित किया है।" इस पर पैगंबर (स.) ने कहा, "तुम कैसे जानते हो कि अल्लाह ने उसे सम्मानित किया है?" मैंने कहा, "मुझे नहीं मालूम। मेरे पिता और मेरी माँ आप पर क़ुर्बान हों, ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! लेकिन इससे योग्य और कौन है (यदि उथमान नहीं)?"
उन्होंने (पैगंबर (स.)) कहा, "अल्लाह की कसम, उसे मौत आ गई है, और मैं उसके लिए सबसे अच्छी उम्मीद करता हूँ। अल्लाह की कसम, हालाँकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता कि अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा, अल्लाह की कसम, मैं कभी भी उससे (अल्लाह) किसी की शीलता (धार्मिक होने) का दावा नहीं करूँगा। इससे मैं दुखी हो गई और जब मैं सो गई तो मैंने एक सपने में उथमान बिन मज़ून के लिए एक बहती हुई नदी देखी। मैं अल्लाह के रसूल (स.) के पास गई और उन्हें इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, "यह उनके (अच्छे) कर्मों का प्रतीक है।" **[सहीह बुखारी 1243: यही जानकारी]**

हदीस सहीह बुखारी 3062: अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है: हम एक ग़ज़वा में अल्लाह के रसूल (स.) के साथ थे, और उन्होंने एक आदमी के बारे में टिप्पणी की जो मुसलमान होने का दावा करता था, उन्होंने कहा, "यह (आदमी) (जहन्नम) की आग वालों में से है।" जब लड़ाई शुरू हुई, तो वह आदमी घायल होने तक हिंसक रूप से लड़ा। किसी ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! जिस आदमी को आपने (जहन्नम) की आग वालों में से बताया था, उसने आज हिंसक रूप से लड़ाई लड़ी और मर गया।" पैगंबर (स.) ने कहा, "वह (जहन्नम) की आग में जाएगा।

" कुछ लोग इस बात में (पैगंबर (स.) ने जो कहा था, उसकी सच्चाई पर शक करने लगे, अचानक किसी ने कहा कि वह अभी भी जीवित है लेकिन गंभीर रूप से घायल है. जब रात हो गई तो उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने आत्महत्या कर ली। पैगंबर (स.) को इस बारे में बताया गया, और उन्होंने कहा, "अल्लाह महान है! मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का गुलाम और उसका रसूल हूं।" फिर उन्होंने बिलाल को लोगों के बीच घोषणा करने का आदेश दिया: 'कोई भी व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा, सिवाय एक मुसलमान

के, और **अल्लाह इस धर्म (यानी इस्लाम) का समर्थन एक अवज्ञाकारी व्यक्ति से भी करा सकता है**।'

अन्य पैग़म्बरों को नैतिक रूप से गिराने की कोशिश

सहीह बुखारी 6614: पैगंबर (स.) ने कहा, "आदम और मूसा ने आपस में बहस की। मूसा ने आदम से कहा। 'हे आदम! तुम हमारे पिता हो, जिन्होंने हमें निराश किया और हमें जन्नत से निकाल दिया।' तब आदम ने उनसे कहा, 'हे मूसा! अल्लाह ने अपनी बात से तुम पर कृपा की (तुमसे सीधे बात की) और उसने अपने हाथ से तुम्हारे लिए (तोराह) लिखा। क्या तुम मुझे उस काम के लिए दोषी ठहराते हो जो अल्लाह ने मेरी रचना से चालीस साल पहले मेरे भाग्य में लिख दिया था?' इसलिए आदम ने मूसा को झुठलाया, आदम ने मूसा को झुठलाया," पैगंबर (स.) ने तीन बार कथन दोहराते हुए कहा।

सहीह बुखारी 278: अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है: पैगंबर (स.) ने कहा, 'बनी इसराइल के लोग एक दूसरे को देखते हुए नंगे होकर नहाते थे। पैगंबर (स.) मूसा अकेले नहाते थे। उन्होंने कहा, 'अल्लाह की कसम! मूसा को हमारे साथ नहाने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय इसके कि उसे अंडकोष की हर्निया है।' इसलिए एक बार मूसा नहाने के लिए बाहर गया और उन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिए और फिर वह पत्थर उनके कपड़ों के साथ भाग गया। मूसा ने उस पत्थर का पीछा करते हुए कहा, "मेरे कपड़े, हे पत्थर! मेरे कपड़े, हे पत्थर! जब बनी इसराइल के लोगों ने उन्हें देखा और कहा, 'अल्लाह की कसम, मूसा के शरीर में कोई दोष नहीं है। मूसा ने अपने कपड़े लिए और पत्थर को पीटना शुरू कर दिया।" अबू हुरैरा (रज़ि) ने कहा, "अल्लाह की कसम! पत्थर पर अभी भी उस अत्यधिक पिटाई के छह या सात निशान मौजूद हैं।"

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के अंतिम पैग़म्बर होने की पहचान (निशान)

हदीस सहीह मुस्लिम 2346: जाबिर बिन समुरा (रज़ि) कहते हैं: "मैंने रसूलुल्लाह (स.) की पीठ देखी, तो उनके दोनों कंधों के बीच **ख़ातम-ए-नुबूव्वत** था, जो कबूतर के अंडे के बराबर **उभरा हुआ मांस** था।"

हदीस (सहीह बुख़ारी 3546: अब्दुल्लाह बिन सर्ख़स (रज़ि) कहते हैं: "मैं रसूलुल्लाह (स.) के पास आया और उनके कंधों के बीच **नुबूव्वत की मोहर** देखी।"

पैगम्बर मुहम्मद (स.) पर काला जादू

हदीस सहीह बुखारी 5767: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: अल्लाह के रसूल (स.) पर जादू किया गया था इसके कारण वह यह सोचते थे कि वह अपनी पत्नियों के साथ यौन संबंध रखते हैं जबकि वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया होता था (सुफ़यान ने कहा: यह सबसे कठिन प्रकार का जादू है क्योंकि इसका इतना प्रभाव होता है)। फिर एक दिन उन्होंने कहा, "ओ आयशा (रज़ि) क्या आप जानती हैं कि अल्लाह ने मुझे उस मामले के बारे में निर्देश दिया है जिसके बारे में मैंने उनसे पूछा था? दो आदमी मेरे पास आए और उनमें से एक मेरे सिर के पास बैठ गया और दूसरा मेरे पैरों के पास बैठ गया। मेरे सिर के पास वाले ने दूसरे से पूछा। इस आदमी को क्या हो गया है?' बाद वाले ने उत्तर दिया वह जादू के प्रभाव में है। पहले ने पूछा, उस पर किसने जादू किया है?' दूसरे ने उत्तर दिया लबीद बिन अल-आसम, बनी ज़ुरैक का एक व्यक्ति जो यहूदियों का सहयोगी था और पाखंडी था।' पहले ने पूछा, उसने क्या सामग्री का उपयोग किया)?' दूसरे ने कहा, 'कंघी और उसमें चिपके बाल।' पहले ने पूछा, 'वह कहाँ है?' दूसरे ने उत्तर दिया, 'धारवन के कुएँ में एक पत्थर के नीचे रखे खजूर के नर पेड़ के पराग के छिलके में। "तो पैगंबर (स.) उस कुएं के पास गए और उन चीजों को बाहर निकाला और कहा "यह वह कुआं था जो मुझे (एक सपने में) दिखाया गया था। इसका पानी मेंहदी के पत्तों के अर्क की तरह लग रहा था और इसके खजूर के पेड़ शैतानों के सिर की तरह लग रहे थे।" पैगंबर (स.) ने कहा, "फिर वह चीज निकाल दी गई! मैंने पैगंबर (स.) से कहा आप नशरा से अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते?" उन्होंने कहा, "अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया है; मैं अपने लोगों के बीच बुराई को फैलने नहीं देना चाहता।" **[सहीह बुखारी, 3175, 5766, 6063, यही जानकारी]**

तफ़सीर कुरान 113:1 (वाहिदी): .....दूसरे फ़रिश्त ने जवाब दिया: यहूदी लाबिद इब्न अल-असम है।

मुबाहला और पैगम्बर (स.) की मृत्यु

631 ई.: मुबाहला एक इस्लामी शब्द है, जिसका अर्थ होता है — दो पक्षों का एक-दूसरे पर अल्लाह की लानत या बद्दुआ माँग कर सच-झूठ को साफ़ करना। पैग़म्बर मुहम्मद(स.) के ज़माने में ईसाई नज़रान के पादरी पैग़म्बर से ईसा मसीह की हैसियत पर बहस करने आए थे। जब बात नहीं बनी तो यह आयत नाज़िल हुई।

क़ुरआन 3:61: फिर जो कोई इस (ईसा के बारे में सत्य ज्ञान आने के बाद) तुमसे झगड़ा करे, तो कह दो - आओ, हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुलाएँ, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को बुलाएँ, हम स्वयं को बुलाएँ, और तुम स्वयं को बुलाओ - फिर हम दुआ करें और अल्लाह से बद्दुआ माँगें कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत हो।"

पैग़म्बर मुहम्मद अपने साथ मुबाहला के लिए अपने घर के करीबी, हज़रत अली (रज़ि.), फ़ातिमा (रज़ि.), हसन (रज़ि.) और हुसैन (रज़ि.) को ले कर आए। लेकिन ईसाई प्रतिनिधि मुबाहला से पीछे हट गए। इस दिन को शिया समुदाय ख़ास अहमियत देता है क्योंकि इसमें **अहल-बैत** (पैग़म्बर के घराने) की अहमियत दिखाई गई। **[तफ्सीर इब्न कसीर: कुरान 3:61]**

* कुछ ईसाई लेखकों का तर्क है कि **मुबाहला की शर्त पूरी हुई** और इसका असर यह हुआ कि पैग़म्बर (स.) और उनकी बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) थोड़े ही समय में गुज़र गए।

कुरान 69:40-47: और यदि उसने (मुहम्मद स.) हमारे (अल्लाह के) बारे में कोई झूठी बात गढ़ी होती, तो हम निश्चित रूप से उसे उसके दाहिने हाथ से पकड़ लेते, और **फिर हम (अल्लाह), निश्चित रूप से उसकी जीवन धमनी (महाधमनी) काट देते** , और आप में से कोई भी हमें उसे (दंडित) करने से रोक नहीं सकता था। हमारे (अल्लाह) खिलाफ कोई झूठ संचारित करे जो हमने नहीं कहा है, उसके खिलाफ हमारे दाहिने हाथ की सजा (हमारी शक्ति) के रूप में प्रतिशोध लिया जाएगा।;
*** हृदय की महाधमनी या शिरा, एक नस है जो इसके साथ जुड़ती है जो यदि कट जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।**

हदीस सहीह बुखारी 4428: पैगंबर (स.) अपनी बीमारी में जिसमें उनकी मृत्यु हुई, कहा करते थे, "ओ आयशा (रज़ि)! मुझे अभी भी खैबर में खाए गए भोजन के कारण होने वाला दर्द महसूस होता है, और इस समय, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी महाधमनी उस जहर से कट रही है।" **[हदीस अबू दाऊद 4513, यही जानकारी]**

मुस्नद अहमद (जिल्द 6, पेज 262): "मुझे अब भी उस निवाले का असर महसूस होता है जो मैंने खैबर में खाया था — और अब मेरा वक़्त आ गया है लगता है कि मेरी नस (शाह-रग) कट जाएगी"

632 ई.: मदीना में पैगम्बर मुहम्मद (स.) का निधन

हदीस सहीह मुस्लिम 5705 (INT 2190a): एक यहूदी महिला ज़हरीला मटन लेकर अल्लाह के रसूल (स.) के पास आई और उन्होंने (अल्लाह के रसूल) वह ले लिया जो उनके पास लाया गया था। (जब उन पर इस ज़हर का असर हुआ) तो उन्होंने उसे बुलाया और उससे इसके बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा: मैंने आपको मार डालने का निश्चय कर लिया था। इस पर उन्होंने कहा: अल्लाह तुम्हें ऐसा करने की शक्ति कभी नहीं देगा। उसने (कथावाचक) कहा कि उन्होंने (पवित्र पैगंबर के साथियों ने) कहा: क्या हमें उसे नहीं मारना चाहिए? इस पर उन्होंने (अल्लाह के रसूल) कहा: नहीं। उन्होंने (अनस ने) कहा: "और मैं अल्लाह के रसूल (स.) के गले (तालू) पर उसके प्रभाव को लगातार देखता रहा।"

हदीस अबू दाऊद 4512: .....अल्लाह के रसूल (स.) तोहफा स्वीकार करते थे, लेकिन दान (सदक़ा) नहीं। इस संस्करण में आगे कहा गया है: तो एक यहूदिन ने उन्हें ख़ैबर में एक भुनी हुई भेड़ भेंट की, जिसमें उसने ज़हर मिलाया हुआ था। अल्लाह के रसूल (स.) ने इसे खाया और लोगों ने भी खाया। फिर उन्होंने कहा: अपने हाथ (भोजन से) हटा लो, क्योंकि इसने (भोजन ने) मुझे बता दिया है कि इसमें ज़हर है बिशर इब्न अल-बरा अल-अंसारी की मृत्यु हो गई।

इसलिए आपने (पैगंबर (स.)) यहूदी महिला को बुलाया (और उससे पूछा): तुमने जो काम किया है, उसे करने के लिए तुम्हें किस बात ने प्रेरित किया? उसने कहा: अगर आप पैगम्बर होते तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बादशाह होते तो मैं आप से छुटकारा पा लेती। फिर अल्लाह के रसूल (स.) ने उसके बारे में हुक्म दिया और वह क़त्ल हो गई। फिर उन्होंने (स.) उस दर्द के बारे में बताया जिससे उनकी मृत्यु हुई: ख़ैबर में जो निवाला मैंने (स.) खाया था, उसका दर्द मुझे अब भी महसूस हो रहा है। इससे मेरी महाधमनी कट गई। (सहीह)

[पैग़म्बर (स.) ने पहले उसे माफ़ कर दिया था लेकिन बाद में बिशर बिन बारा की मौत के बाद औरत क़त्ल कर दी गई।]

हदीस सहीह बुख़ारी 4165: जब पैग़म्बर ने खैबर फतह किया, एक यहूदी औरत ने ज़हरीला भुना हुआ बकरा तोहफ़े में भेजा। आप ने एक निवाला खाया, फिर फ़रमाया: "अपने हाथ रोक लो, इसने (भोजन ने) मुझे बता दिया कि इसमें ज़हर है।"

हदीस सहीह बुखारी 3169: पैगंबर (स.) ने कहा, "तुम इसमें शापित और अपमानित होगे ! अल्लाह की कसम, हम इसमें तुम्हारी जगह कभी नहीं लेगें।" फिर उन्होंने ने पूछा, "क्या अब तुम मुझे सच बताओगे अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं?" उन्होंने कहा, "हाँ, ऐ अबू अल-कासिम।" उन्होंने पूछा, "क्या तुमने इस भेड़ को जहर दिया है?" उन्होंने कहा, "हाँ।" उन्होंने पूछा, "तुमने ऐसा क्यों किया?" उन्होंने कहा, "हम जानना चाहते थे कि अगर आप झूठे हो तो हम आपको खत्म कर देंगे, और अगर आप पैगंबर (स.) हो तो जहर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा।"

हदीस सहीह बुखारी 5714: आयशा (रज़ि) से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल (स.) की तबीयत खराब हो गई और उनकी हालत गंभीर हो गई, तो उन्होंने अपनी सभी पत्नियों से अनुमति मांगी कि वे उनका इलाज मेरे घर में कराएं, और उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। वह दो आदमियों के सहारे आए और उनके पैर जमीन पर घिसट रहे थे, अब्बास और एक अन्य आदमी के बीच में। (उपकथावाचक ने इब्न अब्बास (रज़ि) से कहा, जिन्होंने कहा: क्या आप जानते हैं कि वह दूसरा आदमी कौन था जिसका उल्लेख आयशा (रज़ि) ने नहीं किया? उपकथावाचक ने कहा: नहीं। इब्न अब्बास (रज़ि) ने कहा: यह अली थे।) आयशा (रज़ि) ने कहा: जब पैगंबर (स.) मेरे घर में दाखिल हुए और उनकी बीमारी बढ़ गई, तो उन्होंने कहा, "मेरे ऊपर पानी से भरी सात मशकें डालो इसलिए हमने उन्हें हफ्सा (पैगम्बर की पत्नी) के टब में बैठा दिया और उन पर तब तक पानी डाला जब तक उन्होंने हमें रुकने के लिए इशारा नहीं किया। फिर वह लोगों के पास गए और उन्हें प्रार्थना में अगुवाई की और उनके सामने भाषण दिया। **[हदीस सहीह बुखारी 4442, 2588, इब्न इसहाक सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 679: यही जानकारी]**

तारीख़-ए-तबरी जिल्द 9, पृष्ठ 183-184

... जब अल्लाह के रसूल (स.) का देहांत हुआ, तो उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि) खड़े हो गए और कहने लगे: "कुछ मुनाफ़िक़ यह दावा कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल (स.) का देहांत हो गया है। अल्लाह की क़सम! वे मरे नहीं हैं, बल्कि अपने रब के पास वैसे ही चले गए हैं जैसे मूसा बिन इमरान (अलै.) गए थे और अपनी क़ौम से चालीस दिन तक ओझल रहे थे। फिर मूसा लौट आए, जबकि कहा जा रहा था कि वे मर गए हैं। अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल (स.) भी अवश्य लौटेंगे और जो लोग यह कहते हैं कि वे मर गए हैं, उनके हाथ और पैर काट देंगे।"

जब अल्लाह के रसूल (स.) की वफ़ात की ख़बर हज़रत अबू बक्र (रज़ि) तक पहुँची, तो वे आए और मस्जिद के दरवाज़े के पास उतर गए, जहाँ हज़रत उमर (रज़ि) लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की और सीधे हज़रत आयशा (रज़ि) के घर में अल्लाह के रसूल (स.) के पास चले गए, जहाँ आप (स.) यमनी धारीदार चादर से ढके हुए कमरे के एक कोने में लेटे हुए थे। अबू बक्र (रज़ि) पास गए, अल्लाह के रसूल (स.) का चेहरा खोला, चूमा और कहा: "मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान हों! निस्संदेह आपने वह मृत्यु चख ली है जो अल्लाह ने आपके लिए निर्धारित की थी। अब आप पर कभी दूसरी मृत्यु नहीं आएगी।" फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल (स.) के चेहरे को ढक दिया और बाहर आ गए, जबकि हज़रत उमर (रज़ि) अभी भी लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा: "ऐ उमर, ज़रा ठहरो और चुप रहो!" लेकिन उमर (रज़ि) ने चुप रहने से इनकार कर दिया और बोलते रहे।

जब अबू बक्र (रज़ि) ने देखा कि वे नहीं सुनेंगे, तो वे आगे बढ़कर लोगों से मुख़ातिब हुए। जब लोगों ने उनकी बात सुनी, तो वे उमर (रज़ि) को छोड़कर अबू बक्र (रज़ि) की ओर आ गए। अल्लाह की प्रशंसा और महानता बयान करने के बाद, अबू बक्र (रज़ि) ने कहा: **"ऐ लोगों! जो कोई मुहम्मद (स.) की इबादत करता था, वह जान ले कि मुहम्मद (स.) की मृत्यु हो चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता है, वह जान ले कि अल्लाह जीवित है और कभी मरने वाला नहीं है।"**

फिर उन्होंने यह आयत पढ़ी: **"मुहम्मद तो केवल एक रसूल हैं। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। तो यदि वे मर जाएँ या क़त्ल कर दिए जाएँ, तो क्या तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पाँव फिर गया, वह अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह शुक्रगुज़ार लोगों को इनाम देगा।"** ....."अल्लाह की क़सम! ऐसा लग रहा था मानो लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि यह आयत अल्लाह के रसूल (स.) पर उतारी गई थी, जब उस दिन अबू बक्र (रज़ि) ने इसे पढ़कर सुनाया।"

हालाँकि इस्लाम इस बात को बड़े गर्व के साथ बयान करता है कि अबू सुफ़यान और अबू लहब की मृत्यु बुरी दशा में हुई, लेकिन वे पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के बारे में बात नहीं करते।

पैगम्बर मुसलमानों के आदर्श और अनुसरण योग्य हैं

कुरान 3:31: (हे मुहम्मद, लोगों से) कह दो: "यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो (अर्थात एकेश्वरवाद को स्वीकार करो, कुरान और सुन्नत का पालन करो), अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। और अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील, दयावान है।"

कुरआन 4:59: ऐ ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा मानो और रसूल की आज्ञा मानो और तुममें से जो लोग (मुसलमान) अधिकार (सत्ता) रखते हैं उनकी भी। (और) अगर तुम आपस में किसी बात में मतभेद करो तो अल्लाह और उसके रसूल की ओर मुड़ो (हवाला लो), अगर तुम अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान रखते हो। यही बेहतर और अंतिम निर्णय के लिए ज़्यादा उपयुक्त है।

कुरान 4:80: जिसने रसूल की आज्ञा का पालन किया, उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, किन्तु जिसने मुँह फेर लिया, तो हमने तुम्हें उनपर निगरानी रखनेवाला बनाकर नहीं भेजा है।

कुरान 5:92: और अल्लाह और रसूल की आज्ञा मानो और अल्लाह से डरते रहो। फिर यदि तुम मुँह मोड़ो तो जान लो कि हमारे रसूल का कर्तव्य तो बस इतना है कि वह (संदेश) स्पष्ट रूप से पहुँचा दे।

कुरआन 33:21: निस्संदेह अल्लाह के रसूल (स.) में तुम्हारे लिए अनुसरण करने योग्य एक अच्छा उदाहरण है।
कुरान 68:4: (ऐ नबी !) आप चरित्र की एक बुलंद नमूना हैं ।

कुरान 49:14: "बद्दुओं (देहाती अरबों) ने कहा, 'हम ईमान ले आए।' कह दीजिए, 'तुम ईमान नहीं लाए, तुम सिर्फ कहते हो कि हमने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाख़िल नहीं हुआ है। और यदि तुम अल्लाह और उसके रसूल (पैग़म्बर) की आज्ञा का पालन करोगे, तो वह तुम्हारे कर्मों में से कुछ भी कम नहीं करेगा। निःसंदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील, दयालु है।"

हदीस सहीह बुखारी 7137: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, वह अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है और जो मेरी अवज्ञा करता है, वह अल्लाह की अवज्ञा करता है,और जो मेरे नियुक्त शासक की आज्ञा का पालन करता है, वह मेरी आज्ञा का पालन करता है और जो उसकी अवज्ञा करता है, वह मेरी अवज्ञा करता है।"

हदीस सहीह बुखारी 7280: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "मेरे सभी अनुयायी जन्नत में प्रवेश करेंगे, सिवाय उन लोगों के जो इनकार करते हैं।" उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! कौन इनकार करेगा?" उन्होंने कहा, "जो कोई मेरी बात मानेगा वह जन्नत में प्रवेश करेगा, और जो मेरी अवज्ञा करेगा वह इनकार करने वाला है।"

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) का पारिवारिक विवरण

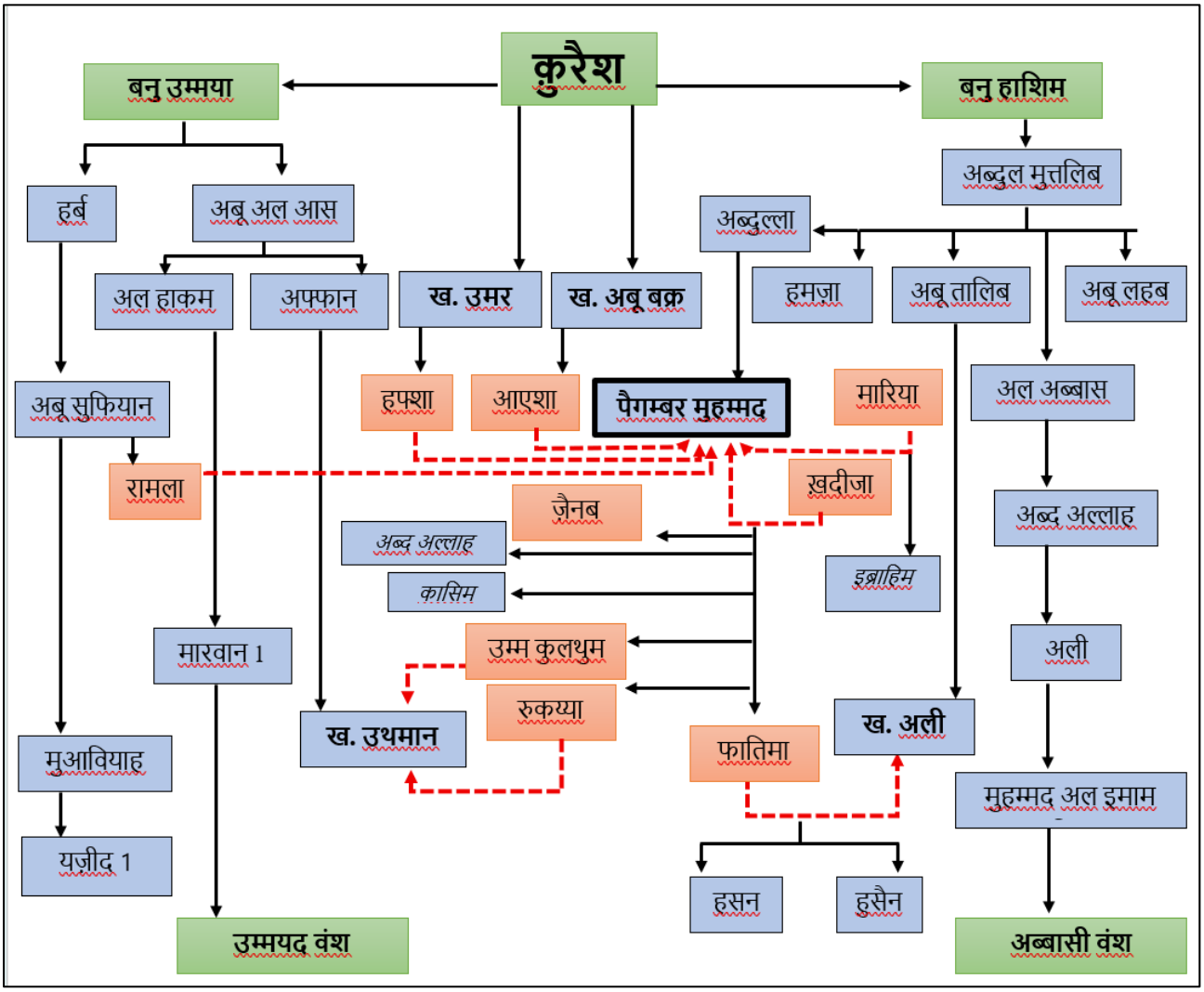

अध्याय 4. दावा: मुसलमानों की पहली तीन पीढ़ियों अल्लाह द्वारा मार्गदर्शित थीं।

लबों पे ख़ुदा, दिलों में सियासत, लगती है ये अंदरूनी हक़ीक़त।
जो होता यक़ी अगर आख़िरत पे, न होती ये जंगें, न होती ख़िलाफ़त।

चार सही मार्गदर्शित खलीफाओं का अनुसरण करें- अबू बकर, उमर, उस्मान और अली (रज़ि):

हदीस सहीह बुखारी 6429: पैगंबर (स.) ने कहा, "सबसे अच्छे लोग मेरी पीढ़ी के हैं, और फिर वे जो उनके बाद आएंगे (अगली पीढ़ी), और फिर वे जो उनके बाद आएंगे (यानी अगली पीढ़ी) और फिर उनके बाद ऐसे लोग आएंगे जिनकी गवाही उनकी कसमों से पहले होगी, और जिनकी कसमें उनकी गवाही से पहले होंगी।" **[यही बयान, हदीस तिर्मिज़ी 2303, सहीह मुस्लिम 6478 (INT_2536)]**

हदीस तिर्मिज़ी 3686: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: "अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि) होते।" (हसन)

हदीस सहीह बुखारी 3671: मैंने अपने पिता से पूछा, "अल्लाह के रसूल (स.) के बाद सबसे अच्छे लोग कौन हैं? " उन्होंने कहा, "अबू बकर (रज़ि)।" मैंने पूछा, "फिर कौन?" उन्होंने कहा, "फिर उमर।" मुझे डर था कि वह "उथमान" कहेंगे, इसलिए मैंने कहा, "फिर आप?" उन्होंने कहा, "मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं।

यहाँ भी देखें: सहीह बुखारी 3654: तिर्मिज़ी 3676

632 ई.: मुहम्मद (स.) के निधन के बाद अबू बकर (रज़ि) पहले खलीफ़ा बने

हदीस सहीह बुखारी 6830: "जब पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की वफ़ात हुई, तो अंसार साक़ीफ़ा बिन साअदा में इकट्ठा हुए... उमर (रज़ि.) और अबू बक्र (रज़ि.) वहाँ पहुँचे और बहस के बाद अबू बक्र (रज़ि.) को बैअत दी गई।"

पैग़म्बर (स.) के इंतिक़ाल के कुछ ही घंटे बाद, अंसार (मदीना के मुसलमान) ने अपनी मीटिंग साक़ीफ़ा बिन साअदा नामक जगह पर की। वे चाहते थे कि अपनी तरफ़ से एक नेता चुनें (जैसे सअद बिन उबादा)। जब अबू बक्र, उमर और अबू उबैदा (रज़ि.) को इसकी खबर लगी, तो वे वहां पहुँचे। उमर (रज़ि.) ने कहा: "**अरब केवल क़ुरैश की बात मानेंगे। खलीफा क़ुरैश में से होना चाहिए।**" फिर उमर (रज़ि.) ने तुरंत अबू बक्र (रज़ि) का हाथ पकड़ कर बैअत (निष्ठा की शपथ) कर ली। धीरे-धीरे सभी ने अबू बक्र (रज़ि.) को पहला खलीफा मान लिया। हज़रत अली (रज़ि.) और कुछ बनू हाशिम के लोग शुरू में बैअत में शामिल नहीं हुए। वे कहते थे कि पैग़म्बर (स.) की दफ़न प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी, न कि सत्ता का विवाद।

शिया-सुन्नी मतभेद यहीं से शुरू, शिया नजरिया: खलीफा का हक़ सिर्फ़ हज़रत अली (रज़ि.) का था, यह अल्लाह और रसूल (स.) द्वारा तय था। सुन्नी नजरिया: खलीफा चुनाव सही प्रक्रिया से हुआ। अली (रज़ि.) ने बाद में समर्थन दिया।

इतिहासकार लिखते हैं कि सअद बिन उबादा ने अबू बक्र, उमर, और उस्मान (रज़ि.) में से किसी की बैअत नहीं की। वह हज़रत उमर (रज़ि.) के ख़िलाफ़त के शुरुआती दौर में शाम (सीरिया) चले गए थे और तटस्थ जीवन व्यतीत किया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सअद बिन उबादा एक बाग़ में पेशाब कर रहे थे। तभी एक तीर आकर उन्हें लगा और उनकी मौत हो गई। फिर अंसार में कहावत चल पड़ी कि 'जिनों (जिन्नों) ने तीर मारा।'

हदीस सहीह बुखारी 5669: जब अल्लाह के रसूल (स.) अपनी मृत्यु-शैया पर थे और घर में कुछ लोग थे जिनमें उमर बिन अल-खत्ताब भी थे, तो पैगंबर (स.) ने कहा, "आओ, मैं तुम्हारे लिए एक बयान लिख दूं जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे।"** उमर (रज़ि) ने कहा, "पैगंबर (स.) गंभीर रूप से बीमार हैं और हमारे पास कुरान है, इसलिए अल्लाह की किताब हमारे लिए पर्याप्त है।" घर में मौजूद लोगों में मतभेद और झगड़ा हुआ। कुछ ने कहा, "पास जाओ ताकि पैगंबर (स.) तुम्हारे लिए एक बयान लिख दें जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे," जबकि दूसरों ने वही कहा जो उमर (रज़ि) ने कहा था। जब उन्होंने पैगंबर (स.) के सामने शोर मचाया, तो अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "चले जाओ!" उबैदुल्लाह ने रिवायत किया: इब्न अब्बास (रज़ि) कहा करते थे, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि अल्लाह के रसूल (स.) को उनकी असहमति और शोर के कारण उनके लिए बयान लिखने से रोक दिया गया।" **[सहीह मुस्लिम 4432: यही बयान]**

सहीह बुखारी 2698: हुदैबिया की शांति संधि ".... इसलिए पैग़म्बर (स.) ने स्वयं दस्तावेज़ लिया और लिखा: यह है जो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सहमति दी है: ....."
** लेकिन दावा है कि पैगम्बर (स.) **उम्मी** थे; मतलब है जो पढ़ा-लिखा नहीं हो। जब जिब्रील (अलै.) आये और कहा: "इक़रा" (पढ़ो) तो पैग़म्बर ने फरमाया: **मा अना बि-क़ारी** — मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। (**सहीह बुखारी: हदीस 4953**)
वो लोग जो उस रसूल की पैरवी करते हैं, जो नबी **उम्मी** है..." (सूरह 7:157-158)
और आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न ही अपने हाथ से लिखते थे..(**सूरह 29:48**)

सहीह मुस्लिम (4349): आयशा (रज़ि) से रिवायत है कि फ़ातिमा (रज़ि) ने अबू बक्र (रज़ि) से पैग़म्बर की विरासत (जायदाद, विशेषकर फ़दक़ और ख़ैबर) माँगी। अबू बक्र (रज़ि) ने कहा: "पैग़म्बर ने फ़रमाया था: हम पैग़म्बर कोई विरासत नहीं छोड़ते। जो हम छोड़ते हैं, वह सदक़ा (उम्मत का माल) होता है।" इस पर फ़ातिमा (रज़ि) ने अबू बक्र (रज़ि) से आख़िरी वक़्त तक बात नहीं की । [**यही बयान सहीह बुख़ारी 3092, 3093, 4240]**

सुन्नी मत: अबू बक्र (रज़ि) का फ़ैसला क़ानूनी और हदीस के मुताबिक़ था। उन्होंने पैग़म्बर (स.) के हुक्म को लागू किया।
शिया मत: फ़दक़ फ़ातिमा (रज़ि) को पैग़म्बर (स.) ने ज़िन्दगी में ही हिबा (तोहफ़े) के रूप में दे दिया था। इसलिए अबू बक्र (रज़ि) ने ग़लत किया और हक़ छीना।

शिया रिवायतों में बयान आता है कि जब अबू बक्र (रज़ि) को बैअत लेने में कठिनाई हुई, तो उनके समर्थकों ने अली (रज़ि) के घर का रुख़ किया। इन रिवायतों में दावा है कि दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया और इसमें फ़ातिमा (रज़ि) को चोट पहुँची, जिसके कारण उनका गर्भपात हुआ। **विकि-शिया** (वेबसाइट) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि फातिमा (रज़ि.) की मृत्यु उनके घर पर हुए हमले में लगी चोटों और गर्भपात के कारण हुई। सुन्नी इतिहासकार इस घटना को नकारते हैं।

633 ई.: जंग-ए-रिद्दा (मुरतद युद्ध)

अबू बक्र (रज़ि) के ख़िलाफ़त संभालने के तुरंत बाद सबसे बड़ा संकट "**ज़कात न देने वालों**" का उठा। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की वफ़ात के बाद कुछ क़बीलों ने कहा कि वे नमाज़ तो पढ़ेंगे मगर ज़कात नहीं देंगे। अबू बक्र (रज़ि) ने कहा: "जो लोग नमाज़ और ज़कात के बीच फ़र्क़ करेंगे, उनसे मैं ज़रूर लड़ूँगा।" अगर ज़कात देने में ढील दी जाती, तो पूरा वित्तीय और सामाजिक ढाँचा बिखर जाता। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के समय भी जो मुसलमान ज़कात रोकते, उनसे कड़ी कार्यवाही की जाती थी। अबू बक्र (रज़ि) ने इसे कुफ़्र और इस्लाम से बग़ावत के बराबर माना, उन्हें या तो सैनिक अभियान में हराया गया या उन्होंने फिर से इस्लाम क़ुबूल कर लिया।

हदीस सहीह मुस्लिम 124: उनसे लड़ना जो ज़कात रोकते हैं : जब अल्लाह के रसूल (स.) ने आखिरी सांस ली और अबू बकर (रज़ि) को उनके उत्तराधिकारी (खलीफा) के रूप में नियुक्त किया गया, अरबों में से वे लोग जो धर्मत्यागी बनना चाहते थे धर्मत्यागी बन गये... इस पर अबू बकर (रज़ि) ने कहा: अल्लाह की कसम, मैं उससे ज़रूर लड़ूंगा जिसने नमाज़, ज़कात (कर) से तोड़ दी... ... उमर बिन खत्ताब (रज़ि) ने कहा: अल्लाह की कसम, मैंने पाया कि अल्लाह ने अबू बकर (रज़ि) का दिल उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिये खोल दिया था जिन्होंने ज़कात अदा से इनकार कर दिया. [**हदीस सहीह मुस्लिम 1556, बुखारी 6924, 6925: यही बयान]**

अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 55-57: अबू बकर (रज़ि) का मुर्तदों के नाम पत्र - मैंने उसे इसी कारण से इनकार करने वालों से लड़ने का आदेश दिया है। अतः वह उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिस पर वह प्रभुत्व प्राप्त कर सके, बल्कि उसे आग में जला सकता है, किसी भी तरह से उसका वध कर सकता है, और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना सकता है ; और वह किसी से भी इस्लाम के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा

अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 80: बनू सुलयम का एक व्यक्ति अबू बकर (रज़ि) के पास आया। वह इलियास बिन अब्दुल्ला, "अल-फ़ुजाह" कहलाए थे । उन्होंने अबू बकर (रज़ि) से कहा, "मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं उन अविश्वासियों से लड़ना चाहता हूँ कि जो धर्मत्यागी हो गए हैं; इसलिए मुझे एक सवारी दो और मेरी मदद करो।" तो अबू बकर (रज़ि) ने उसे ऊँट पर सवार किया और उसे हथियार दिया, जिसके बाद वह मुस्लिम और धर्मत्यागी दोनों तरह के लोगों के खिलाफ अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ा, उनकी संपत्ति छीन ली और उनमें से जो भी विरोध करने की कोशिश करता, उसे मार डाला।

झूठे नबियों के विरुद्ध जंग

(सूरह अल-अहज़ाब 33:40): "मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, बल्कि वह अल्लाह के रसूल और **अंतिम नबी** हैं" कई लोगों ने पैग़म्बर के रुतबे को देखकर ख़ुद नबी होने का दावा कर दिया।

1. मुसैलीमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ाई – जंग-ए-यमामा

मुसैलिमा बिन हबीब अल-हनीफ़ी ने पैग़म्बर मुहम्मद के जीवनकाल में ही झूठे नबी होने का दावा किया।

मुसैलिमा ने हिजरत के नौवें साल इस्लाम स्वीकार किया। जब वह वापस गया, तो उसने अपनी क़ौम को कहा: "मुहम्मद नबी हैं, लेकिन मैं भी उसी तरह नबी हूँ, और मेरी क़ौम को मुझ पर भरोसा करना चाहिए।" मुसैलिमा ने नकली "कुरआन जैसी आयतें" बनाईं। जैसे: "अल-फीलु, मा अल-फीलु, व-मा अदराका मा अल-फील। लहू ज़ानबुं व-तूलेन। व-खुरतुमुं व-वील।" (हाथी क्या है? तुम क्या जानो हाथी क्या है? उसके पास पूँछ है, दो कान हैं, सूँड है...) एक समय उसने पैग़म्बर मुहम्मद को पत्र लिखकर "नबुव्वत बाँटने" का प्रस्ताव भी भेजा। पैग़म्बर ने उसे "मुसैलिमा कज़्ज़ाब" (झूठा) कहा। उसकी झूठी नबुव्वत को कुछ क़बीलों ने मान लिया, ख़ासकर बनी हनीफ़ा ने। उसने एक सेना खड़ी की और इस्लामी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मुसैलिमा के पास लगभग 40,000 के करीब अनुयायी थे। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुसलमानों ने युद्ध किया। मुसैलिमा के लगभग 10,000 से अधिक अनुयायी मारे गए। मुसैलिमा की मौत के बाद उसके अनुयायी भाग गए या इस्लाम में लौट आए। मुसलमानों के 700 से अधिक क़ारी (कुरआन याद करने वाले) शहीद हुए। इस युद्ध के बाद हज़रत उमर ने ज़ोर दिया कि कुरआन को संकलित किया जाए।

2. **असवद अल-अंसी**: यमन से था, पैग़म्बर की ज़िंदगी के आख़िरी दौर में उसने नबूवत का दावा किया। उसने यमन के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा भी कर लिया था। लेकिन बाद में मुसलमानों ने उसे मार डाला।

3. **तुलैहा बिन ख़ुवैलब (बनी असद) के खिलाफ जंग** – खुद को नबी बताया, बाद में उसने तौबा कर के इस्लाम फिर से स्वीकार किया।

634 ई.: अबू बक्र (रज़ि.) का निधन। **उमर इब्न अल खत्ताब (रज़ि.) खलीफ़ा बने**

उमर (रज़ि) और उम्म कुल्थूम (अल-कुब़रा) -- अली (रज़ि) और फ़ातिमा (रज़ि) की बेटी, का निकाह : सुन्नी दृष्टिकोण: उमर (रज़ि) ने उम्म कुल्थूम से निकाह किया और इससे साबित होता है कि अली (रज़ि) और पहले तीन ख़लीफ़ाओं के बीच परिवारिक और घनिष्ठ रिश्ते थे। निकाह के बाद एक बेटा "ज़ैद" और एक बेटी "रुक़य्या" पैदा हुई। **शिया दृष्टिकोण:** यह निकाह स्वेच्छा से नहीं हुआ था बल्कि दबाव के तहत हुआ (अल-मसाअल अल-आक़दिया, बहार अल-अनवार) ।

634-642 ई.: फारस और बाइजेंटाइन, यरुशलम, मिस्र पर मुस्लिम विजय।

643 ई.: यरुशलम में **अल अक्सा** मस्जिद का प्रथम निर्माण।

644 ई.: उमर (रज़ि.) की हत्या, उस्मान (रज़ि.) खलीफ़ा बने

अबू लुअलुअ (फिरोज़) – एक मजूसी (पारसी धर्म) और ग़ुलाम था जो मदीना में रह रहा था। उसने काम का बोझ और टैक्स का हवाला देकर खलीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि.) से राहत मांगी थी, जो न मिल पाने पर उसने एक दोधारी खंजर से नमाज़ के दौरान मस्जिद-ए-नबवी में उमर (रज़ि.) को शहीद कर दिया। उसके बाद उसने नमाज़ियों पर भी हमला किया और 13 लोगों को घायल किया, जिनमें से 7 की मौत हो गई। अंत में हमलावर ने खुदकुशी कर ली।

650 ई.: उस्मान (रज़ि) ने **कुरान को किताब के रूप** में व्यवस्थित करने का आदेश दिया

656 ई.: उस्मान (रज़ि.) की हत्या; अली (रज़ि.) खलीफ़ा बने

भाई-भतीजावाद और गवर्नरों की अनुचित नियुक्तियाँ (जैसे मुआविया, मरवान) को लेकर विद्रोह हुआ। विद्रोही मिस्र और इराक से मदीना आ गए। हज़रत उस्मान (रज़ि.) के घर को विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। घेराव करीब 40 दिन तक चला और उन्हें मजबूर किया कि वह ख़िलाफ़त छोड़ दें। हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने इंकार किया। एक दिन विद्रोहियों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। हज़रत अली (रज़ि.) नए खलीफ़ा चुने गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत हत्यारों को सज़ा नहीं दी, क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील थी और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। हज़रत आयशा (रज़ि.), तल्हा और जुबैर (रज़ि.) जैसे वरिष्ठ सहाबा चाहते थे कि उस्मान (रज़ि.) के क़ातिलों को तुरंत सज़ा दी जाए। पहले दोनों पक्षों

में सुलह और समझौता हो गया था, कि कातिलों को खोजा जाएगा और सज़ा दी जाएगी। लेकिन फितना फैलाने वालों ने रात के अंधेरे में दोनों पक्षों में झगड़ा भड़का दिया, जिससे युद्ध शुरू हो गया।

“जंगे जमल "

इसे **ऊँट की लड़ाई** इसलिए कहा गया क्योंकि युद्ध के दौरान हज़रत आइशा (रज़ि.) ऊँट की सवारी पर बैठी थीं और वहीं से अपने समर्थकों को निर्देश दे रही थीं। लड़ाई में हज़ारों लोग मारे गए (क़रीब 10,000 के आसपास)। हज़रत तल्हा (रज़ि.) और जुबैर (रज़ि.) की शहादत हुई। हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) को मदीना वापस भेजा। इस लड़ाई को "**फ़ितना" (गृह कलह)”** कहा गया।

657 ई.: सिफिन की लड़ाई:

हज़रत मुआविया इब्न अबू सुफ़यान (सीरिया के गवर्नर, जो उस्मान (रज़ि.) के रिश्तेदार थे), ने कातिलों को सज़ा देने की मांग की और जब तक यह न हो, तब तक उन्होंने अली (रज़ि.) की बैअत (निष्ठा) करने से इंकार कर दिया। इस युद्ध में लगभग 70,000 से अधिक लोग मारे गए। उबैदुल्लाह (हज़रत उमर के बेटे), अली (रज़ि.) के खिलाफ मुआविया की फौज में शामिल हो गए थे, तब सिफ़्फ़ीन की जंग के दौरान अली (रज़ि.) के एक सैनिक ने उबैदुल्लाह इब्न उमर को मार डाला। जब अली (रज़ि.) की सेना जीत के करीब थी, मुआविया की सेना ने क़ुरआन के पन्नों को भालों पर उठा दिया और युद्ध रुकवाने की अपील की। अली (रज़ि.) के कुछ साथियों ने ज़ोर दिया कि लड़ाई रोकी जाए। इसके बाद मध्यस्थता का निर्णय लिया गया।

ख़वारिज़ और अली (रज़ि.) की हत्या

उस्मान (रज़ि.) के समय का भाई-भतीजावाद और सत्ता में पक्षपात लोगों में असंतोष का कारण बना। इस असंतोष ने विद्रोह और गृहयुद्ध की चिंगारी भड़काई, उसी उथल-पुथल में ख़वारिज़ आंदोलन का जन्म हुआ। ख़ारिजी वे लोग थे जिन्होंने पहले हज़रत अली (रज़ि.) का साथ दिया लेकिन बाद मध्यस्थता वार्ता से नाराज़ होकर अलग हो गए। अली (रज़ि), मुआविया (रज़ि), अम्र बिन आस, तीनों को काफ़िर कहा और उन्हें "गैर-इस्लामी" मानकर उनसे लड़ने लगे। ख़ारिजी नेतृत्व में न्याय, ईमानदारी और केवल "अल्लाह का हुक्म" मानने पर ज़ोर देते थे और मानते थे कि कोई भी मुसलमान, चाहे वह किसी भी वंश या जाती का हो, खलीफ़ा की भूमिका के लिए योग्य है, बशर्ते वह नैतिक रूप से बेदाग हो।

हदीस सहीह मुस्लिम 2462: ख़वारिज को मारने का आह्वान: अली (रज़ि.) ने कहा: ..... मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना है: "युग के अंत में एक ऐसा समुदाय पैदा होगा जो उम्र में कम और सोच में कमज़ोर होगा, लेकिन वे इस तरह बात करेंगे जैसे कि उनकी बातें दुनिया के लोगों में सबसे अच्छी हों। वे क़ुरआन की तिलावत करेंगे, लेकिन वह उनके गले से नीचे नहीं उतरेगी और वे दीन से इस तरह गुज़र जाएँगे जैसे तीर शिकार से गुज़र जाता है। इसलिए जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें क़त्ल कर दो, क्योंकि उनके क़त्ले से तुम्हें क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ इनाम मिलेगा।" [**हदीस सहीह बुखारी 6934: मिलती-जुलती**]

हदीस इब्न माजा 173: इब्न औफा से वर्णित है कि उन्होंने कहा: "अल्लाह के रसूल ने कहा: 'ख़वारिज जहन्नम के कुत्ते हैं।" (सहीह)

658 ई.: अली इब्न अबू तालिब (रज़ि.) ने **नहरावन की लड़ाई** में खरिजियों को हराया, लेकिन उनका विद्रोह जारी रहा।

मुहम्मद बिन अबू बक्र, ख़लीफ़ा अबू बक्र (रज़ि) के पुत्र और आयशा (रज़ि) के भाई थे। अबू बक्र (रज़ि.) के इंतेक़ाल के बाद उनकी माता की शादी हज़रत अली (रज़ि) से हुई, अतः हज़रत अली ने इनको अपने पुत्र की तरह पाला। मुहम्मद बिन अबू बक्र हज़रत उस्मान (रज़ि) के ख़िलाफ़ हुए आंदोलन में शामिल हुए थे। बाद में हज़रत अली (रज़ि.) ने उन्हें मिस्र का गवर्नर नियुक्त किया। वहीं अम्र बिन आस और मुआविया के समर्थकों के साथ संघर्ष में उलझते रहे। सन् 658 ईस्वी में अम्र बिन आस के समर्थकों ने मिस्र में उन्हें पकड़ लिया और बहुत बेरहमी से शहीद कर दिया। फिर उनके शव को एक गधे पर डालकर जला दिया गया। इस घटना पर हज़रत अली (रज़ि) को अत्यंत दुख हुआ।

659 ई.: खलीफा अली (रज़ि.) और मुआविया के बीच संघर्ष विराम।

661 ई.: खलीफा अली (रज़ि.) की हत्या

नहरवान में हार का बदला लेने के लिए एक ख़ारिजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने अली (रज़ि.) को कूफ़ा की मस्जिद में फज्र की नमाज़ के समय शहीद कर दिया। हज़रत अली (रज़ि.) की शहादत के बाद, लोगों ने हसन (रज़ि.) की बैअत करके उन्हें खलीफा घोषित कर दिया। मगर मुआविया (रज़ि.), जो शाम (सीरिया) में पहले से शासन चला रहे थे, उन्होंने भी खिलाफत का दावा किया। हज़रत अली के

बेटे हसन (रज़ि.) ने खलीफ़ा मुआविया (रज़ि.) से सुलह कर ली, इस सुलह के वर्ष को कहा गया: "आमुल जमाअत" ।

उमय्याद वंश की शुरुआत

सुलह की शर्तें: मुआविया (रज़ि.) इस्लामी शरीअत के अनुसार शासन करेंगे, हसन (रज़ि.) को कोई राजनीतिक हानि या अपमान नहीं होगा, मुआविया के बाद खलीफा के चयन का अधिकार शूरा (परामर्श समिति) को होगा, न कि वंशानुगत रूप से, हसन (रज़ि.) को भत्ते दिए जाएंगे ताकि वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें।

670 ई.: हज़रत हसन के ज़हर दिए जाने की घटना:

तारीख अल-तबरी, 6: तारीख अल-उम्मम वल मुलूक में उल्लेख है कि हज़रत हसन को ज़हर दिया गया था। इब्न सअद भी अपनी किताब अत-ताबक़ात अल-कुबरा में हज़रत हसन के ज़हर दिए जाने का ज़िक्र करते हैं। शिया इतिहास के अनुसार, हज़रत मुआविया ने हज़रत हसन को रास्ते से हटाने के लिए उनकी पत्नी जादा बिन्त अशअस को लालच देकर ज़हर दिलवाया। सुन्नी आम तौर पर इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं।

680 ई.: कर्बला की त्रासदी

इमाम हुसैन (मुहम्मद स. के नवासे, अली (रज़ि.) के पुत्र) की हत्या: यजीद बिन मुआविया ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले लोगों से अपनी बैअत (वफादारी की शपथ) लेनी शुरू की। हुसैन इब्न अली ने यज़ीद को शरीअत विरोधी माना और बैअत से इंकार कर दिया। कूफ़ा के लोगों ने हुसैन (रज़ि.) को पत्र भेजे और समर्थन का वादा किया। हुसैन (रज़ि.) अपने परिवार और साथियों के साथ कूफ़ा की ओर रवाना हुए। हज़रत हुसैन (रज़ि.) के साथ कुल 72 लोग थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थीं। कूफ़ा पहुँचने से पहले ही इब्न ज़ियाद (गवर्नर) ने कूफ़ा को सेना से भर दिया। हुसैन (रज़ि.) और उनके साथियों को कर्बला में रोक लिया गया। पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई, 3 दिनों तक प्यास से तड़पते रहे। 10 मुहर्रम को युद्ध हुआ, एक-एक करके सभी शहीद होते गए, अंत में हुसैन (रज़ि.) अकेले रह गए और सर काट कर शहीद कर दिए गए। इसके बाद महिलाओं और बच्चों को कैद करके कूफ़ा और फिर दमिश्क ले जाया गया।

711 ई.: उमय्यद साम्राज्य का स्पेन में विस्तार

750 ई.: बगदाद में अब्बासिद साम्राज्य की स्थापना । उमय्यदों को सत्ता से हटा दिया गया और उनका वध कर दिया गया।

“अल-रिद़ा मिन आल-ए-मुहम्मद” : “पैग़म्बर मुहम्मद स. के परिवार में से चुना हुआ व्यक्ति”

यह नारा **उमय्यदों** के ख़िलाफ़ चलाए गए आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। इसका संकेत यह था कि हुकूमत पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के घराने **(आल-ए-मुहम्मद)** में से किसी योग्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जानबूझकर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वह व्यक्ति कौन होगा, ताकि अलग-अलग गुट ख़ासकर **शिया समर्थक** इस आंदोलन के साथ जुड़े रहें। सत्ता मिलने के बाद अब्बासिद ने कहा कि हम (बनू अब्बास) भी अहल-ए-बैत में शामिल हैं, क्योंकि वे पैग़म्बर (स.) के चाचा अल-अब्बास की औलाद थे। इस तरह शियाओं की राजनीतिक और धार्मिक आकांक्षा (यानी **इमामत** का हक़ अली-फ़ातिमा की नस्ल को) व्यवहार में ख़ारिज कर दी गई।

1258 ई.: मंगोलों ने बग़दाद पर हमला कर दिया, खलीफा की हत्या कर दी और अरबों की केंद्रीय सत्ता का अंत हो गया।

1299 ई.: उस्मान प्रथम ने **ओटोमन वंश** की स्थापना की और यह धीरे-धीरे एक शक्तिशाली राज्य बन गया, ओटोमन तुर्की मूल के लोग थे ।

1517 ई.: ओटोमन (उस्मानिया) साम्राज्य की मिस्र पर विजय। ओटोमन सुल्तान सलीम प्रथम ने ममलूक सुल्तानत को हराया, जो उस समय मिस्र, सीरिया और हिजाज़ (मक्का-मदीना) पर शासन कर रही थी। इस विजय के साथ ओटोमन तुर्कों ने मुख्य अरब प्रदेशों पर नियंत्रण पा लिया।

1900- 1932 ई.: “सलफ़ की समझ” के नाम पर एक सुधार आंदोलन और सऊदी अरब की स्थापना

सलफ़ अस-सालेह — इस्लाम की पहली तीन नेक पीढ़ियाँ

सऊदी अरब के निर्माण का इतिहास संघर्षों और रक्तपात से भरा रहा है। इसकी शुरुआत 1744 में हुई, जब धार्मिक विद्वान मुहम्मद इब्न अब्दुल-वहाब और दिरियाह के शासक मोहम्मद इब्न सऊद के बीच एक गठबंधन बना। इस गठबंधन ने एक धार्मिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाया जिसे "**वहाबी आंदोलन**" कहा

गया। वहाबी आंदोलन ने उस्मानी खिलाफ़त (ओटोमन साम्राज्य) को धार्मिक रूप से भ्रष्ट, बिदअती (नवाचार फैलाने वाला) और शिर्क को बढ़ावा देने वाला करार दिया। वहाबी-सऊदी गठबंधन ने उस्मानी हुकूमत को अरब की पवित्र ज़मीन पर विदेशी शासन माना। पहला सऊदी राज्य 1818 में ओटोमन सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया, और दूसरा सऊदी राज्य आंतरिक संघर्ष में कमजोर पड़ गया। आधुनिक सऊदी अरब का वास्तविक निर्माण अब्दुलअज़ीज़ इब्न सऊद के नेतृत्व में 1902 से 1932 तक चला। उन्होंने रियाद पर दोबारा कब्ज़ा किया और नज्द, अल-अहसा, असीर, हाइल, और अंततः पवित्र शहर मक्का व मदीना सहित हिजाज़ क्षेत्र को सैन्य अभियानों के माध्यम से एकजुट किया। इन अभियानों में ओटोमन समर्थक कबीलों, अल-रशीद परिवार, हाशमी शासन और अनेक स्थानीय कबीलाई समूहों के साथ भीषण युद्ध हुए, जिनमें हजारों लोग मारे गये। इख़वान (धार्मिक योद्धा सेना) ने प्रारंभ में विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बाद में वे स्वयं इब्न सऊद के खिलाफ विद्रोह कर बैठे। 1929 का सबीला का युद्ध इस रक्तपात का चरम था। इख्वान ने पारंपरिक बेदुईन युद्धशैली अपनाई थी, जबकि सऊदी सेना ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। अंततः 1932 में "किंगडम ऑफ सऊदी अरब" की घोषणा हुई।

अध्याय 5. दावा: क़ुरआन सुरक्षित किताब है

पहले मिलता था ख़ुदा पत्थरों दीवारों में,
फिर उसे कैद किया जिल्द में तलवारों ने ।

जब मुहम्मद (स.) को पहली बार आयत नाज़िल हुई

इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 106-107:
मैं पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा और खुद को नीचे फेंक दूंगा ताकि मैं खुद को मार सकूं और आराम पा सकूं। इसलिए मैं ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा और फिर जब मैं पहाड़ के बीच में था, मैंने आसमान से एक आवाज सुनी, "हे मुहम्मद! आप अल्लाह के नबी हैं और मैं जिब्रील हूं।" मैंने देखने के लिए आसमान की ओर अपना सिर उठाया (कौन बोल रहा था) और देखा जिब्रील (अलै.) एक आदमी के रूप में क्षितिज पर पैर रखे हुए थे, कह रहे थे, "हे मुहम्मद! आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूं... .....और मैं खदीजा के पास आया और उनके करीब बैठ गया। उन्होंने (खदीजा) कहा, "हे अबुल-कासिम, आप कहाँ थे? अल्लाह की कसम, मैंने अपने दूतों को आपकी तलाश में भेजा और वे मक्का के ऊपर ऊंचे स्थान पर पहुँचे और मेरे पास लौट आए।" (मैंने उनसे कहा, अफसोस मुझ कवि या पागल पर।) उन्होंने (खदीजा) कहा, "मैं इस बात से अल्लाह की शरण लेती हूँ, ऐ अबुल-कासिम। अल्लाह आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा क्योंकि वह आपकी सच्चाई, महान विश्वसनीयता, अच्छे चरित्र और दयालुता को जानता है। यह नहीं हो सकता, मेरे प्यारे... इसलिए जब जिब्रील (अलै.) उनके पास आए, जैसा कि वे अक्सर करते थे, रसूल अल्लाह ने खदीजा से कहा, यह जिब्रील (अलै.) हैं जो अभी-अभी मेरे पास आए हैं।' 'उठो, मेरे चाचा के बेटे,' उन्होंने कहा, और मेरी बाईं जांघ के पास बैठो'। रसूल अल्लाह ने वैसा ही किया, और उन्होंने कहा, 'क्या आप उसे देख सकते हो ?' 'हां,' उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, 'फिर घूमो और मेरी दाहिनी जांघ पर बैठो: उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने कहा, 'क्या आप उसे देख सकते हो?' जब उन्होंने कहा कि वह देख सकते हैं, तो उन्होंने उनसे हटने और उनकी गोद में बैठने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने फिर से पूछा कि क्या वह उसे देख सकते हैं, और जब उन्होंने "हाँ" कहा, तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और अपना घूंघट हटा दिया, जबकि रसूल अल्लाह उनकी गोद में बैठे थे। तब उन्होंने कहा, 'क्या आप उसे देख सकते हो? ' और उन्होंने उत्तर दिया, 'नहीं: ... उन्होंने (खदीजा) कहा, 'ऐ मेरे चाचा के बेटे, खुश रहो और दिल अच्छा रखो, अल्लाह की कसम वह एक फ़रिश्ता है, शैतान नहीं। [**सहीह मुस्लिम 409, इब्न इसहाक सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 106- 107: यही जानकारी**]

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 167: "इस्लाम-पूर्व अरब लोग कविता के दानव में विश्वास करते थे, और वे सोचते थे कि एक महान कवि सीधे राक्षसों से प्रेरित होता है...."
फुटनोट 1151: यह बताता है कि मुहम्मद (स.) ने क्यों सोचा कि वह दुष्टात्माओं से ग्रस्त थे, या दुष्टात्माओं से प्रभावित थे; कुरान कई स्थानों पर ठेठ अरबी कविता की तरह पढ़ी जाती है।

हदीस सहीह मुस्लिम: 406: अध्याय: अल्लाह के रसूल (स.) पर वही नाज़िल का आरंभ: अल्लाह के रसूल (स.) ने वही के नाज़िल के बारे में बताया और वर्णित किया कि जब मैं चल रहा था, तो मैंने आकाश से एक आवाज सुनी, और अपना सिर उठाया, मैंने उस फ़रिश्ते को देखा, जो हिरा में मेरे पास आया था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सिंहासन पर बैठा हुआ था, मैं इस कारण से भयभीत हो गया और वापस (अपने परिवार के पास) आया और कहा: मुझे लपेटो, मुझे लपेटो! इसलिए उन्होंने मुझे लपेटा, और अल्लाह (धन्य और सबसे महान) ने भेजा: " ओ, लिपटे हुए [कपड़े में], उठो और चेतावनी दो, अपने रब की महिमा करो, अपने कपड़े शुद्ध करो, और अपवित्रता से दूर रहो," और "अपवित्रता" का अर्थ है मूर्तियां; और फिर वही का प्रकट होना लगातार जारी रहा।

हदीस सहीह बुखारी 6982: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: अल्लाह के रसूल (स.) को वही नाज़िल का आरंभ उनकी नींद में अच्छे, नेक (सच्चे) सपनों के रूप में हुआ। उन्हें कभी ऐसा कोई सपना नहीं आया जो दिन के उजाले की तरह सच हो। वह एकांत (हिरा की गुफा) में चले जाते थे जहाँ वह कई (दिनों) रातों तक लगातार (अकेले) अल्लाह की इबादत करते थे। वह अपने साथ यात्रा का भोजन ले जाते थे और फिर (अपनी पत्नी) खदीजा के पास वापस आते थे ताकि वह फिर से उसी तरह अपना भोजन ले सकें और एक और अवधि तक ठहर सकें, जब अचानक सत्य उन पर उतरा जब वह हिरा की गुफा में थे। जिब्रील (अलै.) उनके पास आए और उनसे पढ़ने के लिए कहा। पैगंबर (स.) ने उत्तर दिया, "मैं पढ़ना नहीं जानता।" (पैगंबर (स.) ने आगे कहा) , "फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ लिया और इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं और सहन न कर सका। फिर उसने

मुझे छोड़ दिया और फिर मुझसे पढ़ने को कहा, और मैंने कहा, "मैं पढ़ना नहीं जानता," जिस पर उसने मुझे फिर पकड़ लिया और मुझे दूसरी बार दबाया जब तक कि मैं और सहन न कर सका। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर मुझसे पढ़ने को कहा, लेकिन मैंने फिर कहा, "मैं पढ़ना नहीं जानता (या, मैं क्या पढ़ूं?)।" इस पर उसने मुझे तीसरी बार पकड़ा और दबाया और फिर छोड़ दिया और कहा, "पढ़ो: अपने रब के नाम से, जिसने (सब कुछ) पैदा किया है। उसने आदमी को एक थक्के से बनाया है। और पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा उदार है.....।" (**Q 96:15**) फिर अल्लाह के रसूल (स.) आयत के साथ लौटे, उनकी गर्दन की मांसपेशियाँ भय से फड़क रही थीं मुझे ढक दो!" उन्होंने उन्हें तब तक ढक दिया जब तक उनका डर दूर नहीं हो गया और फिर उन्होंने कहा, "हे ख़दीजा, मुझे क्या हो गया है?" फिर उन्होंने सब कुछ बताया जो हुआ था और कहा, 'मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है।" ख़दीजा ने कहा, "कभी नहीं; दिल से खुश रहो, क्योंकि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी अपमानित नहीं करेगा क्योंकि आपने अपने सगे-संबंधियों के साथ अच्छे व्यवहार रखे हैं, सच बोला है, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की है, अपने अतिथि की उदारता से सेवा की है और बेसहारा, संकटग्रस्त लोगों की सहायता की है।" ख़दीजा उनके साथ (अपने चचेरे भाई) **वराक़ा बिन नौफ़ल के पास गई । वराक़ा उनके चाचा का बेटा था, जो इस्लाम-पूर्व काल के दौरान ईसाई बन गया था और अरबी लेखन करता था और अरबी में इंजील लिखता था जितना अल्लाह चाहता था।** वह एक बूढ़ा आदमी था और उसकी आँखें चली गई थीं। खदीजा ने उनसे कहा, "ऐ मेरे चचेरे भाई! अपने भतीजे की कहानी सुनो।" वरका ने पूछा, "ऐ मेरे भतीजे! तुमने क्या देखा है?" पैगम्बर (स.) ने जो कुछ भी देखा था, उसका वर्णन किया। वरका ने कहा, "यह वही नामुस (यानी, जिब्रील, फ़रिश्ते) है जिसे अल्लाह ने मूसा के पास भेजा था। काश मैं जवान होता और उस समय तक जीवित रहता जब तुम्हारे लोग तुम्हें बाहर निकाल देते।" अल्लाह के रसूल (स.) ने पूछा, "क्या वे मुझे बाहर निकाल देंगे?" वरका ने सकारात्मक उत्तर दिया और कहा: ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति आपके जैसी चीज़ लेकर आया हो और उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार न किया गया हो, अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहूं जब आपको निकाला जाएगा तो मैं आपका पुरजोर समर्थन करूंगा।

लेकिन कुछ दिनों के बाद वरक़ा का इंतकाल हो गया और **कुछ देर के लिए हज़रत मुहम्मद (स.) की वही आना भी रुक गई** और रसूल (स.) इतने दुखी हो गए जैसा कि हमने सुना है कि उन्होंने **कई बार अपने आप को ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से नीचे गिराने का इरादा किया और हर बार जब वह अपने आप को नीचे गिराने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ते** तो जिब्रील (अलै.) उनके सामने प्रकट होते और कहते, "ऐ मुहम्मद! आप वास्तव में अल्लाह के रसूल (स.) हैं" जिस पर उनका दिल शांत हो जाता और वह शांत हो जाते और घर वापस लौट जाते। और जब भी वही आने की अवधि लंबी हो जाती तो वह पहले की तरह करते, लेकिन जब वह किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो जिब्रील (अलै.) उनके सामने प्रकट होते और उनसे वही कहते जो उन्होंने पहले कहा था। (इब्न अब्बास (रज़ि) ने इसके अर्थ के बारे में कहा: 'वह वह है जो दिन की रोशनी को (अंधेरे से) चीरता है' (**Q 6:96**) कि अल-अस्बाह का अर्थ दिन के दौरान सूरज की रोशनी और रात में चाँद की रोशनी है)।

विरोधाभास: जब फ़रिश्ते जानते थे कि मुहम्मद (स.) अनपढ़ हैं तो बार-बार पढ़, पढ़ कह के क्यों दबा रहे थे... और इस तरह से दबाना क्या फ़रिश्तों का तारिका होना चाहिए।

हदीस सहीह बुखारी 3: लेकिन कुछ दिनों के बाद वरक़ा की मृत्यु हो गई और ईश्वरीय प्रेरणा भी थोड़ी देर के लिए रुक गई।

हदीस सहीह बुखारी 1125: जुन्दब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जिब्रील (अलै.) कुछ समय तक पैगम्बर (स.) के पास नहीं आए, तो कुरैश की एक महिला ने कहा, "उसका शैतान उसे छोड़कर चला गया है।" और अतः ईश्वरीय बयान हुआ: "सुबह की कसम और रात की कसम, जब शांति हो ! (हे मुहम्मद) तुम्हारे रब ने न तो तुम्हें छोड़ा है और न तुमसे नफरत की है।" (**सूरा 93:1-3**)

अल-तबारी खंड 6, पृष्ठ 76: कुछ समय के लिए अल्लाह के रसूल को प्रेरणा मिलना बंद हो गई और वह बहुत दुखी हो गए। वह पहाड़ों की चोटियों पर जाने लगे, ताकि खुद को उनसे दूर फेंक सकें; लेकिन जब भी वह किसी पहाड़ की चोटी पर पहुँचते, तो जिब्रील (अलै.) उनके सामने प्रकट होते और उनसे कहते, "आप अल्लाह के रसूल (स.) हैं।" इसके बाद उनकी चिंता कम हो जाती और वह अपने होश में आ जाते।

विरोधाभास: सूरत अन-निसा (4:29): और तुम अपने आप को मत मारो। बेशक अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ा रहम वाला है।

सहीह बुख़ारी 5778, सहीह मुस्लिम 109: रसूलल्लाह (स.) ने फ़रमाया: "जो कोई खुद को लोहे के हथियार से मारेगा, वह जहन्नम की आग में उसी हथियार से अपने आपको हमेशा घायल करता रहेगा। जो कोई ज़हर पीकर ख़ुदकुशी करेगा, वह जहन्नम में हमेशा ज़हर पीता रहेगा। और जो किसी पहाड़ से कूद कर अपनी जान लेगा, वह जहन्नम में हमेशा गिरता रहेगा।"

मुहम्मद (स.) से फरिशतों का संवाद

मुहम्मद (स.) से संवाद करते समय फ़रिश्ते द्वारा घंटी का इस्तेमाल किया जाता था:

हदीस सहीह बुखारी 3215: अल हारिस बिन हिशाम ने पैगम्बर (स.) से पूछा, "ईश्वरीय प्रेरणा आपके पास कैसे आती है?" उन्होंने उत्तर दिया, "इन सभी तरीकों से: कभी-कभी फ़रिश्ता मेरे पास ऐसी आवाज़ के साथ आता है जो घंटी बजने की आवाज़ जैसी होती है, और जब यह अवस्था मुझे छोड़ देती है, तो मुझे याद रहता है कि देवदूत (फ़रिश्ता) ने क्या कहा था, और इस प्रकार की दिव्य प्रेरणा (आयत) मेरे लिए सबसे कठिन है; और कभी-कभी देवदूत मनुष्य के रूप में मेरे पास आता है और मुझसे बात करता है, और वह जो कुछ भी कहता है, मैं उसे समझ लेता हूँ और याद रखता हूँ।" **[हदीस अन-नसाई 934: यही जानकारी]**

लेकिन ऐसी ही बात शैतान के बारे में भी कही जाती है:

हदीस सहीह मुस्लिम 5548, अबू दाऊद 2256: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: घंटी शैतान का संगीत वाद्ययंत्र है।

हदीस अन-नसाई 5224: पैगंबर (स.) की पत्नी उम्म सलमा ने कहा: "मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना: 'फ़रिश्ते उस घर में प्रवेश नहीं करते जिसमें एक छोटी घंटी या घंटा होता है, और फ़रिश्ते उन लोगों के समूहों के साथ नहीं जाते जिनके पास घंटियाँ होती हैं।'"

हदीस सहीह अल-बुख़ारी 4980: मुझे बताया गया कि जिब्रील (अलै.) पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पास आए, जबकि उस समय उम्मे सलमा आपके साथ मौजूद थीं। जिब्रील (अलै.) बातचीत करने लगे। तो पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने उम्मे सलमा से पूछा: यह कौन है? उन्होंने कहा: यह दिह्या (अल-कलबी) हैं। जब जिब्रील चले गए, तो उम्मे सलमा ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने उन्हें दिह्या के अलावा कोई और नहीं समझा, जब तक कि मैंने पैग़म्बर (स.) का ख़ुत्बा नहीं सुना, जिसमें आपने जिब्रील की ख़बर बताई। [**सहीह मुस्लिम 2451, यही जानकारी**]

गैसलाईटिंग: एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें किसी को भ्रमित करना है ताकि वह अपनी यादों, सोच या महसूस करने की क्षमता पर भरोसा खो दे।

क़ुरआन में सूरा क्रम

क़ुरआन कुल 114 सूरे हैं, सूरे के अवतरण का क्रम अलग है। क़ुरान में कोई निश्चित कालक्रम या विषयों का अध्याय नहीं है। आमतौर पर एक पूरा सूरा कई विषयों का मिश्रण होता है अक्सर आयतें एक-दूसरे से असंबंधित होती हैं। इसके अलावा, अवतरण की वजह को जाने बिना, आयतों को समझना मुश्किल होता है।

सूरा प्रकट होने के क्रम में (क़ुरआन में क्रम संख्या)

मक्का काल:

अल-अलक:96, अल-क़लम:68 (आयत 17-33, 48-50, मदीना में), **अल-मुज़्ज़म्मिल:73** (10, 11, 20, मदीना में, **अल-मुद्दथिर:74, अल-फ़ातिहा:1, अल-मसाद:111, अत-तकवीर:81, अल-अला:87, अल-लैल:92, अल-फ़ज्र:89, अद-दुहा:93, अश-शरह:94, अल-अस्र:103, अल-अदियात:100, अल-कौथर:108, अत-ताकाथुर:102, अल-मआउन:107** (मक्का में केवल 1-3; बाकी मदीना), **अल-काफिरून:109, अल-फिल:105, अल-फलक:113, अन-नास:114, अल-इखलास:112, अन-नज्म:53** (32, मदीना में), **अबासा:80, अल-क़द्र:97, अश-शम्स:91, अल-बुरूज:85, अत-तिन:95, कुरैश:106, अल-क़ारीआ:101, अल-कियामा:75, अल-हुमाज़ा:104, अल-मुर्सलात:77** (48, मदीना में), **क़ाफ़:50** (38, मदीना में), **अल-बलाद:90, अत-तारिक:86, अल-क़मर:54** (44-46, मदीना में), **साद:38, अल-अराफ़:7** (163-170, मदीना में), **अल-जिन्न:72, यासीन:36** (45, मदीना में), **अल-फ़ुरकान:25** (68-70, मदीना में), **फातिर:35**, **मरियम:19** (58, 71, मदीना में), **ताहा:20** (130-131, मदीना में), **अल-वाकिया:56** (81, 82, मदीना में), **अश-शुअरा:26** (197, 224-227, मदीना में), **अन-नमल:27, अल-कसास:28** (52-55, मदीना में, 85, जुहफा), **अल-इसरा:17** (26, 32, 33, 57, 73-80, मदीना में), **यूनुस:10** (40, 94, 95, 96, मदीना में), **हुद:11** (12, 17, 114, मदीना में), **यूसुफ:12** (1, 2, 3, 7, मदीना में), **अल-हिज्र:15** (87, मदीना में), **अल-अनाम:6** (20, 23, 91, 93, 114, 151, 152, 153, मदीना में), **अस-**

सफ़ाअत:37, लुकमान:31 (27-29, मदीना में), **सबा:34, अज़-ज़ुमर:39, अल-ग़ाफिर:40** (56, 57, मदीना में), **फ़ुसिलत:41, अश-शूरा:42** (23, 24, 25, 27, मदीना में), **अज़-ज़ुख़रुफ़:43** (54, मदीना में), **अद-दुख़ान:44, अल-जाथिया:45** (14, मदीना में), **अल-अहक़ाफ़:46** (10,15,35, मदीना में), **अध-धारियत:51, अल-ग़ाशिया:88, अल-काहफ़:18** (28, 83-101, मदीना में), **अन-नहल: 16** (अंतिम तीन आयतें, मदीना में), **नूह: 71, इब्राहीम: 14** (28, 29, मदीना में), **अल-अनबिया: 21, अल-मुमिनून: 23, अस-सजदा: 32** (16-20, मदीना में), **अत-तूर: 52, अल-मुल्क: 67, अल-हक्का: 69, अल-मआरिज: 70, अन-नबा: 78, अन-नाज़ीआत: 79, अल-इन्फ़ितार: 82, अल-इंशिकाक:84, अर-रूम :30** (17, मदीना में), **अल-अंकबूत:29** (1-11, मदीना में), **अल-मुताफिफिन:83**

मदीना काल:
अल-बकरा:2 (281, मीना में), **अल-अनफ़ाल:8** (30-36, मक्का में), **अल-इमरान:3, अल-अहज़ाब:33, अल-मुमतहाना:60, अन-निसा:4, अज़-ज़लज़ला:99, अल-हदीद:57, मुहम्मद:47** (13, हिजरत के दौरान), **अर-रा'द:13, अर-रहमान:55, अल-इंसान:76, अत-तलाक:65, अल-बय्यना:98, अल-हश्र:59, अन-नूर:24, अल-हज्ज:22** (52-55, मक्का और मदीना के बीच), **अल-मुनाफिकून:63, अल-मुजादिला:58, अल-हुजुरात:49, अत-तहरीम:66, अत-तग़ाहबुन:64, अस-सफ़:61, अल-जुमुआ:62, अल-फ़त:48** (हुदैबिया से लौटते समय), **अल-मैदा:5** (3, अराफात में), **अत-तौबा:9** (अंतिम दो आयतें, मक्का में), **अन-नस्र:110** (अंतिम हज के समय मीना में)

स्पष्ट आयतें और अस्पष्ट आयतें

क़ुरआन स्वयं बार-बार यह दावा करता है कि वह एक स्पष्ट, साफ़ और समझने योग्य किताब है।

क़ुरआन 12:1, 26:2 ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं।
क़ुरआन 27:1: ये कुरान की आयतें और एक स्पष्ट किताब हैं
क़ुरआन 16:89: "और हमने तुम पर यह किताब उतारी है, जो हर चीज़ को खोल-खोलकर बयान करती है और मार्गदर्शन, दया और शुभ-समाचार है।"
कुरान 24:46: बेशक हमने स्पष्ट आयतें उतारी हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है।

क़ुरआन 41:3: "यह एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें स्पष्ट की गई हैं, अरबी क़ुरआन, उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं।"
क़ुरआन 54:17: "और हमने क़ुरआन को नसीहत के लिए आसान बना दिया है; तो क्या कोई है जो सीख ले?"
क़ुरआन 54:32: और हमने कुरान को नसीहत (याद करने और समझने) के लिए आसान बना दिया है, तो क्या है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे?

क़ुरआन 3:7: "वही (अल्लाह) है जिसने तुम (मुहम्मद (स.)) पर किताब (क़ुरआन) उतारी। उसमें कुछ आयतें स्पष्ट और मूल (स्थिर अर्थ वाली) हैं वही किताब की बुनियाद हैं; और कुछ आयतें रूपकात्मक हैं। लेकिन जिनके दिलों में टेढ़ापन है, वे फ़ितना पैदा करने और उसके छिपे हुए अर्थ खोजने के लिए उन्हीं रूपकात्मक आयतों के पीछे पड़ते हैं, जबकि उनके वास्तविक अर्थ को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।"
[हदीस सहीह बुखारी 4547, इब्न माजा 47, सहीह मुस्लिम 6775: यही जानकारी]

मुताशाबिहात: ये वे आयतें हैं जिनकी व्याख्या में रूपक, प्रतीक या गहराई होती है, या जिनकी हकीकत केवल अल्लाह जानता है।

जैसे ही, विज्ञान यह दिखाता है कि क़ुरआन में कही गई कोई बात ग़लत है, तो वही पाठ "स्पष्ट और स्थिर अर्थ वाला" होने से बदलकर "रूपक" बना दिया जाता है। यह उन आख़िरी उपायों में से एक है जिनका इस्तेमाल मुसलमान उन बातों को "समझा देने" के लिए करते हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता।
लेकिन यह **आयत (Q3:7)** मुसलमानों को क़ुरआन के अनुवाद में हेर-फेर कर वैज्ञानिक खोजों और चमत्कारों को दिखाने से नहीं रोकती (जैसे ज़ाकिर नाइक)।

हुरूफ़-ए-मुक़त्तआत

29 सूरहें हैं जो हर्फ़ों से शुरू होती हैं जैसे अलिफ-लाम-मीम, यासीन, काफ़, साद, नून, ताहा वगैरह। इसका कोई पक्का मतलब क़ुरआन या सहीह हदीस में साफ़ नहीं बताया गया। यही माना जाता है कि अल्लाह ही सही मानी जानता है।

जब कुरान मानव जाति के समझने के लिए बनाई गई है, तो ये रहस्यमय अक्षर क्यों? यहां तक कि पैगंबर (स.) ने भी इनके बारे में कुछ नहीं बताया।

विदेशी मूल के शब्द

कुरान 16:103: "और हमें भली-भाँति ज्ञात है कि वे कहते हैं, 'इसे तो बस एक इंसान सिखाता है।' (जबकि) उस व्यक्ति की भाषा जिसकी ओर वे इशारा करते हैं विदेशी (अजमी) है, और यह (कुरान) स्पष्ट अरबी भाषा है।"

कुरान मक्का के उन काफिरों (अविश्वासियों) के आरोपों का जवाब देती है जो कहते थे कि पैगंबर मुहम्मद (स.) को कुरान कोई इंसान सिखाता है। लेकिन इमाम सुयूती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अल-इतकान' में लगभग 118 शब्द गिनाए हैं जो विदेशी मूल के हैं। उनका तर्क है कि ये शब्द अरबी में शामिल होकर 'अरबी' बन चुके थे। **मिशकात** (इथियोपियाई), **सिज्जील** (फारसी), **इस्तबरक़** (फारसी), **अल-क़िस्तास** (ग्रीक / रोमन), **तूर** (सीरियाई), **किफ़्ल** (इथियोपियाई)

सूरह अब्बस (80:31) में शब्द '**अब्ब**' (أَبًّا) आया है। हदीस में उल्लेख है कि हज़रत उमर (रज़ि०) ने इस आयत को पढ़ा और कहा कि हम 'फ़ाकिहा' (फल) तो जानते हैं, लेकिन 'अब्ब' क्या है? (**तफ़्सीर इब्न कसीर: जिल्द 8: पृष्ठ 426**) बाद में विद्वानों ने इसका अर्थ 'चारा' बताया।

शैतान का झूठी आयत बुलवाना

कुरान 16:98: अतः जब तुम कुरान पढ़ना चाहो तो शैतान से अल्लाह की शरण मांगो।

कुरान 22:52 आपसे पहले भी हमने जो रसूल और नबी भेजे, जब वे कोई आयत सुनाते या कोई रिवायत बताते या कोई बात कहते तो शैतान इसमें कुछ झूठ डाल देता। और जो कुछ शैतान उसमें डालता, अल्लाह उसे मिटा देता है । फिर अल्लाह अपनी आयतों को स्थापित करता है।

कुरान (अन-नज्म) 53:19-23: क्या आपने लात और उज्जा पर नज़र नहीं डाली? और तीसरी, मनात (बुतपरस्त अरबों की मूर्तियाँ)? क्या तुम्हारे लिए पुरुष हैं और उसके (अल्लाह) लिए महिलाएँ हैं? वास्तव में यह बहुत अनुचित विभाजन है! वे केवल नाम हैं जिन्हें तुमने (तुम और तुम्हारे पूर्वजों) ने रखा है, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं भेजा है।

तफ़्सीर कुरान 53:8-23 (जलालयन): जब आप (स.) ने [पवित्र किताब] की तिलावत की तो शैतान ने उनकी तिलावत में ऐसी बातें डाल दीं जो कुरान से नहीं थीं, लेकिन जिन्हें वे लोग पसंद करते थे जिनके पास आप (स.) भेजे गए थे। पैगंबर (स.) ने कुरैश के लोगों की एक सभा (मोट) में सूरत अल-नज्म की निम्नलिखित आयतों [क्या आपने लत और उज्जा पर विचार किया है? और तीसरी मनात? सूरा 53:19-20] को पढ़ने के बाद उन्होंने आगे जोडा; [शैतान ने उनकी जीभ पर डाल दिया, बिना पैगंबर (स.) को इस बारे में पता चले] **'वे ऊंची उड़ान भरने वाले सारस (अल-घरानीक अल-उला) हैं और वास्तव में उनकी (कुरैश की देवियाँ) सिफ़ारिश की आशा की जानी चाहिए'** और इसलिए वे [कुरैश के लोग] इससे खुश हुए। हालाँकि, बाद में जिब्रील (अलै.) (फ़रिश्ते) ने उन्हें [पैगंबर (स.)] इस बात की जानकारी दी कि शैतान ने उनकी जीभ पर यह डाल दिया था और वह इससे दुखी हुए।

हदीस सहीह बुखारी 1071, 4862: पैगंबर (स.) ने सूरत-अन-नज्म का पाठ करने के बाद सजदा किया, और सभी मुसलमानों और काफिरों और जिन्नों और मनुष्यों ने उनके साथ सजदा किया।

अल-तबारी खंड 6, पृष्ठ 108-109, पृष्ठ 111: शैतान ने अल्लाह के रसूल की ज़बान पर झूठी आयत डाल दीं : जब अल्लाह के रसूल ने देखा कि किस प्रकार उनके कबीले के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और उन्हें अल्लाह की ओर से उनके द्वारा लाए गए संदेश से दूर जाते देखकर दुःखी हुए, तो उन्होंने अपने मन में चाहा कि अल्लाह की ओर से उनके पास कुछ ऐसा आए जो उन्हें उनके कबीले के साथ मिला दे... उन्होंने ये शब्द कहे: क्या तुमने अल-लात और अल-उज्जा और मनात, तीसरी (कुरैश की देवियाँ), के बारे में सोचा है? शैतान ने उनकी आंतरिक बहसों और जो वह अपने लोगों तक पहुंचना चाहते थे, के कारण उनकी ज़ुबान पर ये शब्द डाले: ये ऊंची उड़ान भरने वाले सारस हैं; निस्संदेह उनकी सिफ़ारिश (कुरैश की देवियों से प्रार्थना) स्वीकृति की जाती है। जब कुरैश ने यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और जिस तरह से उन्होंने उनकी देवियों के बारे में बात की उससे वे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी बात सुनी, जबकि मुसलमानों को अपने पैगंबर (स.) पर उनके द्वारा अल्लाह की ओर से लाए गए संदेशों के संबंध में पूरा भरोसा था, उन्होंने उनमें भूल, भ्रम या गलती का संदेह नहीं किया... कुरैश अपने देवताओं के उल्लेख से प्रसन्न (खुश) होकर चले गए, और कहा, "मुहम्मद (स.) ने हमारी देवियों का उल्लेख सबसे अनुकूल तरीके से किया है, अपनी क़िराअत में कहा है कि वे ऊंची उड़ान भरने वाले सारस हैं और

उनकी सिफ़ारिश (प्रार्थना) को स्वीकार किया जाता है।" इस सजदे की खबर रसूल के साथियों तक पहुंची जो हबश में थे और लोगों ने कहा, "कुरैश ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है।" कुछ लोग वापस जाने के लिए उठे, जबकि अन्य पीछे रह गए। फिर जिब्राईल (फ़रिश्ता) अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा, "मुहम्मद, आपने क्या किया? आपने लोगों को वह सुनाया जो मैं अल्लाह की तरफ़ से आप के पास नहीं लाया था, और आपने वह कहा जो आपसे नहीं कहा गया था।" तब अल्लाह के रसूल बहुत दुखी हुए... शैतान जो कुछ भी करता है अल्लाह उसे रद्द कर देता है।

तफ़सीर कुरान 22:52-54 (**मौदूदी**) -परंपरा, पवित्र पैगंबर (स.) के मन में इस आशय की एक तीव्र लालसा और इच्छा थी: "मैं चाहता हूं कि कुछ आयत भेजी जाएं ताकि इस्लाम के प्रति मुशरिक कुरैश की घृणा को कम किया जा सके ताकि उन्हें इसके करीब लाया जा सके, या कम से कम उनके पंथ के खिलाफ आलोचना इतनी गंभीर न हो कि उनकी दुश्मनी बढ़े"। जब वह इस इच्छा को संजोए हुए थे, तो ऐसा हुआ कि एक दिन जब वह कुरैश की एक बड़ी सभा में बैठे थे, सूरह अन-नज्म नाज़िल हुई और उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया। जब वह आयत 19, 20 पर पहुंचे: "क्या आपने कभी लात और उज्जा, और एक तीसरी मनात के बारे में सोचा है," अचानक उन्होंने पढ़ा, '' ये महान देवियाँ हैं; वास्तव में उनकी सिफ़ारिश की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने जारी रखा सूरह अन-नज्म की अंतिम आयत तक पढ़ें और फिर सजदे में गिर पड़े और सभी मुसलमानों और कुरैश के मुशरिकों ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि बाद वालों ने कहा, ''अब हमारा मुहम्मद (स.) से कोई मतभेद नहीं है; हम भी यह मानते हैं कि अल्लाह ही सृष्टिकर्ता और प्रदाता है और हमारे ये देवता केवल उसके साथ हमारी सिफ़ारिश करने वाले हैं"। इसके बाद, जब शाम को फ़रिश्ते जिब्रील (अलै.) आए, तो उन्होंने कहा, "आपने क्या किया? मैं ये दो वाक्य नहीं लाया"। इस पर पैगंबर (स.) बहुत दुखी हुए और अल्लाह ने सूरह बनी इस्राइल की आयत 17:73-75 उतारी: " "ऐ मुहम्मद! इन लोगों ने तुम्हें उससे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है, और ताकि तुम मेरे (अल्लाह) नाम पर कुछ गढ़ दो।..."".....इन शब्दों को शैतान ने आयत नाज़िल होने के दौरान रखा था और पैगंबर (स.) ने कल्पना की कि वे जिब्रील (अलै.) द्वारा नाज़िल हो रही थी।

तफ़सीर कुरान 22:52 (अल- वहीदी): "जब अल्लाह के रसूल (स.) ने देखा कि उनकी क़ौम उनसे किनारा कर रही है, तो वह उनके द्वारा उनके लिए लाए गए संदेश को अस्वीकार करने से दुखी हुए और उन्होंने मन ही मन कामना की कि अल्लाह, उन्हें कुछ ऐसा प्रकट करे जो उन्हें और उनकी क़ौम को एक-दूसरे के करीब लाए, क्योंकि वह उन्हें ईमान स्वीकार करते हुए देखना चाहते थे। एक दिन, वह कुरैश की एक सभा में बैठे थे, जिसमें बड़ी संख्या में इसके सदस्य शामिल थे, और उन्होंने कामना की कि अल्लाह (महान) उस दिन उन्हें कुछ ऐसा प्रकट न करे जो उन्हें उनसे दूर कर दे। अल्लाह, ने उन्हें तब सूरह अल-नज्म नाज़िल की। अल्लाह के रसूल (स.) ने इसे पढ़ा, लेकिन जब वह (क्या तुमने अल-लात और अल-उज़्ज़ा और मनात, तीसरी पर विचार किया है) **[Q 53:19-20]** पर पहुंचे, शैतान ने उनकी जीभ पर वह डाल दिया जिसकी उन्होंने गुप्त रूप से कामना और आशा की थी और कहा: 'ये शक्तिशाली सारस (घरानीक) हैं और उनकी सिफ़ारिश की आशा की जाती है।' फिर कुरैश ने जो सुना उससे खुश होकर तितर-बितर हो गए। उन्होंने कहा: 'मुहम्मद (स.) ने हमारी मूर्तियों का तारीफ़ में ज़िक्र किया है। हम जानते हैं कि अल्लाह जीवन देता है और लेता है, वही पैदा करता है और रोज़ी देता है, लेकिन हमारी ये मूर्तियाँ उसके पास हमारे लिए सिफ़ारिश करेंगी। अब जब मुहम्मद (स.) ने उन्हें साझी बना दिया है, तो हम सब उसके साथ हैं।' उस शाम, जिब्रील (अलै.), अल्लाह के रसूल के पास गए , और कहा: "आपने क्या किया है? आपने लोगों को वह सुनाया जो मैं अल्लाह की ओर से नहीं लाया था, और आपने वह कहा जो मैंने आपसे नहीं कहा था।"

कुरान की आयतों से जुड़ी कुछ और संदिग्ध घटनाएँ

हदीस अन-नसाई 3401: अल्लाह के रसूल... फिर उन्होंने उनसे कहा, "आयशा (रज़ि) के बारे में मुझे परेशान न करें, क्योंकि ईश्वरीय आयतें आयशा (रज़ि) के अलावा किसी भी लिहाफ़ में नहीं आती हैं।" **[सहीह बुखारी 2581: यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 7549: हज़रत आयशा (रज़ि.): पैग़म्बर मुहम्मद (स.) मेरे गोद में अपना सिर रखकर कुरआन की तिलावत किया करते थे, जबकि उस समय मैं हैज़ (मासिक धर्म) की हालत में होती थी।

हदीस सहीह बुखारी 3617: एक ईसाई था जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया और सूरह बक़रा और अल-इमरान को पढ़ा, और वह पैगंबर (स.) के लिए (आयतें) लिखता था। बाद में वह फिर से ईसाई धर्म में लौट गया और वह कहता था: "मुहम्मद (स.) कुछ नहीं जानते सिवाय उसके जो मैंने उनके लिए लिखा है।" फिर अल्लाह ने उसे

मृत्यु प्रदान की, और लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन सुबह उन्होंने देखा कि धरती ने उसके शरीर को बाहर फेंक दिया था। उन्होंने कहा, "यह मुहम्मद (स.) और उनके साथियों का कार्य है। उन्होंने हमारे साथी की कब्र खोदी और उसके शरीर को उसमें से निकाल दिया, क्योंकि वह उनसे भाग गया था।" उन्होंने फिर से उसके लिए कब्र को गहराई से खोदा, लेकिन सुबह उन्होंने फिर से देखा कि धरती ने उसके शरीर को बाहर फेंक दिया था। उन्होंने कहा, "यह मुहम्मद (स.) और उनके साथियों का कार्य है। उन्होंने हमारे साथी की कब्र खोदी और उसके शरीर को बाहर फेंक दिया, क्योंकि वह उनसे भाग गया था।" उन्होंने उसके लिए कब्र खोदी, लेकिन सुबह जब वे फिर से आए तो उन्होंने देखा कि धरती ने उसके शरीर को बाहर फेंक दिया है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि जो कुछ हुआ है, वह किसी इंसान ने नहीं किया है और उसे (ज़मीन पर) फेंक दिया जाना चाहिए।

हदीस सहीह बुखारी 4990: अल-बरा से रिवायत है: " बराबर नहीं हैं वे ईमानवाले जो (घर पर) बैठे हैं और जो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं।' **(Q 4:95)** पैगंबर (स.) ने कहा, "मेरे लिए ज़ैद को बुलाओ और उसे बोर्ड, स्याही की बोतल और कंधे की हड्डी लाने को कहो । फिर उन्होंने कहा, "लिखो: बराबर नहीं हैं वे ईमान वाले जो घर पर बैठते..... ", और उस समय "अम्र बिन उम मकतूम, नेत्रहीन (नाबीना), पैगंबर (स.) के पीछे बैठे थे। उसने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिए आपका क्या आदेश है (जैसा कि उपरोक्त आयत के संबंध में) क्योंकि मैं एक अंधा आदमी हूँ?" तो, उपरोक्त आयत के बजाय, निम्नलिखित आयत उतरी: ' बराबर नहीं हैं वे ईमानवाले जो (घर पर) बैठे हैं, और जो अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते, सिवाय उन लोगों के जो अपाहिज हैं (चोट के कारण या अंधे या लंगड़े आदि)।' **(Q 4:95)**

कुरान 6:93: और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़ ले या कहे कि मेरे पास वह्यी आई है, जबकि उसके पास कोई वह्यी नहीं आई और जो कहे कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है, मैं भी वैसा ही उतारूंगा।

तफ़सीर कुरान 6:93: (इब्न अब्बास) (और जो कहता है कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा है, मैं भी वैसा ही उतारूंगा): यह आयत अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरह के बारे में है। इस आदमी ने इस्लाम में अपनी आस्था की घोषणा की थी और इसलिए अल्लाह के रसूल (स.), ने उसे एक दिन कुछ लिखने के लिए बुलाया। जब ईमान वालों पर आयत उतरीं, "निस्संदेह हमने मनुष्य को गीली मिट्टी से पैदा किया है." [Q 23:12-14], पैगंबर (स.) ने उन्हें लिखवाया। जब वह लिखते-लिखते यहां तक पहुंचा ("और फिर उसे एक नई रचना के रूप में प्रस्तुत किया"), अब्दुल्ला ने मनुष्य की रचना की सटीकता पर अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा (**"फ़तबारक अल्लाहु अह्सनुल ख़ालिकीन"** --- **"अतः धन्य है अल्लाह, सृष्टिकर्ता में सर्वोत्तम!")**। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "यह इसी तरह से प्रकट हुई थी [**अब्दुल्ला की अंतिम अभिव्यक्ति, को जोड़कर**] "। उस समय, अब्दुल्लाह के मन में संदेह पैदा हो गया। उसने कहा: "अगर मुहम्मद (स.) सच्चे हैं, तो मुझे भी उनकी तरह ही प्रेरणा मिली है; और अगर वह झूठ बोल रहे हैं, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही कहा है जैसा वो कह सकते थे,।" .....उस व्यक्ति ने इस्लाम त्याग दिया।

कुरान में कोई परिवर्तन नहीं

कुरान चुनौती देता है, अल्लाह ने कुरान की रक्षा करने का वादा किया ताकि यह पूर्णता बनाए रखे:

कुरान 15:9: वास्तव में, वह हम ही हैं जिन्होंने ज़िक्र (यानी कुरान) को उतारा है और **निश्चित रूप से, हम इसे सुरक्षित रखेंगे।**

कुरान 18:27: और जो तुम्हारे रब की किताब में से तुम्हारी ओर अवतरित हुई है, उसे पढ़ो। कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी बातों को बदल सके और तुम उसके सिवा कोई पनाह न पाओगे।

तौरात या ज़बूर में बदलाव (तहरीफ़) है

क़ुरआन कहता है कि तौरात या ज़बूर में कुछ अहले किताब (यहूद और नसारा) ने बदलाव, तोड़-मरोड़ या छुपाने की कोशिश की है।

क़ुरआन 2:75: "क्या तुम (ऐ मुसलमानों) उनसे ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम पर ईमान लाएँगे, जबकि इनमें से कुछ लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल डालते थे?"

क़ुरआन 4:46: मतलब: "ये लोग अल्फ़ाज़ को उनके असली मतलब से हटा देते हैं।"

क़ुरआन 2:79: "तो उन लोगों के लिए अफ़सोस है, जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि यह अल्लाह के पास से है ताकि उसके बदले थोड़ा सा दाम ले सकें..."

क़ुरआन में अल्लाह ने ख़ुद अपने कलाम की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ली है, जबकि पिछले आसमानी किताबों में ऐसा वादा नहीं था।
**** अल्लाह को अनुभव से पता लगा कि लोग परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इस बार उसने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली।**

शुरुआती आयतों को रद्द करना

अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को कुरान की आयतें एक साथ नहीं, बल्कि कई चरणों में 23 साल से ज़्यादा समय तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, प्रकट कीं।

कुरान 76:23: (हे मुहम्मद) हमने ही तुम पर क़ुरआन को चरणों के द्वारा उतारा है।
हदीस सहीह मुस्लिम 6096 (INT 2351b): अल्लाह के रसूल (स.) कुरान की आयतें नाज़िल होने के बाद मक्का में तेरह साल तक रहे और मदीना में दस साल तक रहे, और उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 63 वर्ष थी।

कुरान में कई विरोधाभासी आयतें हैं, जिन्हें "निरस्तीकरण के कानून" से सुलझाया जाता है। मुहम्मद (स.) निरस्तीकरण के कानून का पालन करते थे, जिसका अर्थ है कि अगर दो आयतें आपस में टकराती थी - तो बाद में प्रकट की गई आयत - पहले प्रकट की गई आयत को रद्द कर देती थी । उदाहरण के लिए: शुरुआत में, शराब की अनुमति थी, लेकिन बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसमें कोड़े मारने और सिर कलम करने की सज़ा दी गई।

निरस्तीकरण के बारे में आयत :

कुरान 2:106: "हम जिस आयत को निरस्त करते हैं या भुला देते हैं, उससे बेहतर या उसके समान दूसरी आयत ले आते हैं। "
तफ़सीर कुरान 2:106 (इब्न अब्बास): फिर अल्लाह ने उल्लेख किया कि कुरान में से क्या निरस्त किया गया और क्या निरस्त नहीं किया गया, कुरैश के दावे का सीधा संदर्भ देते हुए जिन्होंने पैगंबर (स.) से कहा: हे मुहम्मद! आप हमें कुछ करने का आदेश क्यों देते हैं और फिर इसे मना करते हैं,
अल्लाह यह कहते हैं: (हम अपनी उन आयतों में से जिन्हें निरस्त कर देते हैं), हम उस आयत को नहीं मिटाते जिस पर पहले अमल किया जा चुका है और जिस पर अब अमल नहीं किया जाना है (या जिसे भुला दिया जाना है), बिना निरस्त किए नहीं छोड़ देंते ताकि उस पर कार्रवाई न हो सके, (और हम एक बेहतर आयत लाते हैं) हम जिब्रील को उस चीज़ (आदेश) के साथ भेजते हैं जो इनाम, लाभ और कार्रवाई में अधिक लाभदायक और अमल करने में आसान है। (क्या तुम नहीं जानते) हे मुहम्मद (स.) (कि अल्लाह हर चीज को करने में सक्षम है?) निरस्त करना या निरस्त नहीं करना ।

क़ुरआन 2:106: जो आयत हम रद्द या भुला देते हैं, हम उसकी जगह उस जैसी या उससे बेहतर आयत ला देते हैं। लेकिन बहुत सी आयत ऐसी हैं... जिन्हें भुला दिया गया या रद्द कर दिया गया, बिना किसी प्रतिस्थापन के (जैसे पत्थर मारने का हुक्म, स्तनपान की आयत)।

कुरान 16:101: "और जब हम एक आयत को दूसरी से बदल देते हैं - अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वह क्या उतारता है - तो वे (अविश्वासी) कहते हैं: "आप (हे मुहम्मद) केवल एक मुफ़्तरी (जालसाज़, झूठा)) हैं !" लेकिन उनमें से ज़्यादातर नहीं जानते हैं।"

कुरान 13:39: "अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है पुष्ट करता है। और उसके पास किताब की माँ (अल लौह अल-महफ़ूज़) है।"

क़ुरआन 85:21-22: बल्कि यह तो एक महान क़ुरआन है। जो सुरक्षित पट्टिका (**लौह-ए-महफ़ूज़**) में दर्ज है।
इस्लाम का दावा है कि कुरान स्वर्ग में सुरक्षित एक "मूल पुस्तक" का हिस्सा है जो सृष्टि की रचना से पहले से मौजूद है।
**यदि यह किताब अनंत काल से मौजूद है, तो क्या इसमें पत्नियों से झगड़ों, या घर में मेहमानों के ज़्यादा देर रुकने जैसी छोटी बातों का ज़िक्र पहले से था?
** फिर दुनिया में आयतें कैसे बदल सकती हैं।

कुछ उदाहरण:

प्रारंभिक आयत	नस्ख करने वाली आयत	टिप्पणी
सूरह बकरा 2:190, 2:191	सूरह अंफ़ाल 8:12, सूरह हज्ज़ 22:39-40, बाद की जंग की आयतें	जंग (जिहाद) में सीमा: बाद में व्यापक स्वतंत्रता मिली
सूरह बकरा 2:234	सूरह बकरा 2:240	'इद्दत' पति के घर में रहना अनिवार्य →

प्रारंभिक आयत	नस्ख करने वाली आयत	टिप्पणी
		विधवा अब कहीं भी रह सकती है, [**हदीस अन-नसाई 3561**]
सूरह बकरा 2:219	सूरह माआदा 5:90-91	शराब बाद में पूरी तरह निषेध
सूरह बकरा 2:246	सूरह अंफ़ाल 8:15-16	जंग में दृढ़ता का आदेश आया
सूरह अब्सा	सूरह तौबा 9:60	ज़कात: प्रारंभिक निर्देश अलग; अंतिम नियम 9:60 में तय हुए
कुरान 6:145	सूरह नह्ल 16:115	कुछ मांस पर खाने का आदेश: प्रारंभिक आदेश अस्पष्ट
कुरान 4:3	सूरह निसा 4:24	विवाह / पति का अधिकार
कुरान 47: 4, 45:14	बाद की जंग की आयतें	लोगों को क्षमा कर दें → कोई छुट नहीं
कुरान 2:256	सूरह तौबा, बाद की जंग की आयतें	धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं → कोई छुट नहीं **[तफ़सीर कुरान 2:256 अल-वहीदी]**

हदीस तिर्मिज़ी 1568: पैगंबर (स.) ने मुसलमानों के लिए मूर्तिपूजकों में से एक आदमी के बदले दो लोगों को छुड़ाया।
अल-अवज़ाई ने कहा: "यह मुझे बताया गया है। कि यह आयत निरस्त कर दी गई है [Q 47: 4 "उसके बाद उदारता करके या फिर फिरौती लेकर उन्हें छोड़ दो"]। इसे निरस्त कर दिया गया इससे: उन्हें जहाँ कहीं पाओ, मार डालो (Q 2:191)।
इसहाक बिन मंसूर ने कहा: "मैंने इमाम अहमद से पूछा: "जब बंदी पकड़े जाते हैं, तो क्या आपके लिए हत्या करना बेहतर है या फिरौती लेना?" उन्होंने कहा: 'अगर वे फिरौती देने में सक्षम हैं' तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर वे हत्या करते हैं, तो मैं इसमें भी कोई बुराई नहीं पता है।"
इसहाक ने कहा: "उनका सफाया करना मेरे लिए बेहतर है, सिवाय इसके कि वह कोई जाना-माना व्यक्ति हो, ताकि यह आशा की जा सके कि उसके लिए बड़ी रकम प्राप्त हो जाएगी।" (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 3597: आयशा (रज़ि) ने बताया कि पवित्र कुरान में यह बताया गया था कि दस बार साफ़ दूध पीने से विवाह अवैध हो जाता है, फिर इसे पाँच बार दूध पीने से निरस्त कर दिया गया । और अल्लाह के रसूल (स.) की मृत्यु हो गई और उससे पहले यह पवित्र कुरान में पायी जाती थी और मुसलमानों द्वारा पढ़ी जाती थी) ।

तफ़सीर कुरान 2:178 (इब्न कथिर): अल्लाह का कथन: "**स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र, दास के लिए दास, और महिला के लिए महिला**" को "**जीवन के लिए जीवन (Q 5:45)**" आयत द्वारा निरस्त कर दिया गया। हालांकि, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुसलमान उस काफिर के लिए नहीं मारा जाता जिसे उसने मार डाला। अल-बुखारी ने बताया कि अली (रज़ि) ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने कहा: (मुसलमान उस काफिर के लिए नहीं मारा जाता (जिसे उसने मार डाला)।)

तफ़सीर कुरान 2:178 (इब्न अब्बास): एक स्वतंत्र, विवाहित महिला को व्यभिचार (अवैध यौन कृत्य) करने पर 'मरने तक कैद करना', बाद में 'पत्थर मारकर मारने' से निरस्त कर दी गई।

हदीस सहीह बुखारी 2801, 2814: पैगम्बर (स.) ने बनी सुलेम के कबीले से सत्तर आदमियों को बनी अमीर के कबीले में भेजा। जब वे वहाँ पहुँचे, तो मेरे मामा ने उनसे कहा, "मैं तुम्हारे आगे चलूँगा, और अगर वे (बनी अमीर) मुझे अल्लाह के रसूल (स.) का संदेश पहुँचाने की इजाज़त दें; वरना तुम मेरे पास ही रहोगे।" इसलिए वह उनके आगे चले गए और बनी अमीर ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की लेकिन जब वह पैगम्बर (स.) का संदेश सुना रहे थे, तो उन्होंने अपने एक आदमी को इशारा किया जिसने उन्हें चाकू मार दिया। मेरे मामा ने कहा, "अल्लाह महान है! काबा के रब की कसम, मैं सफल हो गया।" उसके बाद उन्होंने (बनी अमीर ने) बाकी लोगों को पकड़ लिया और एक लंगड़े आदमी को छोड़कर सभी को मार डाला जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था। (हम्माम, एक उप-कथावाचक ने कहा, "मुझे लगता है कि उसके साथ एक और आदमी बच गया था)।" जिब्रील (अलै.) ने पैगंबर (स.) को सूचित किया कि वे (यानी शहीद) अपने रब से मिले, और वह उनसे प्रसन्न हुआ और उन्हें प्रसन्न

किया। हम पढ़ते थे, "हमारे लोगों को सूचित करो कि हम अपने रब से मिले हैं, वह हमसे प्रसन्न है और उसने हमें प्रसन्न किया है" **बाद में कुरान की इस आयत को रद्द कर दिया गया।** पैगंबर (स.) ने चालीस दिनों तक अल्लाह से प्रार्थना की ताकि राल, ढकवान, बनी लिहयान और बनी उय्या के कबीले के हत्यारों को शाप दिया जा सके जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा की थी।

हदीस सहीह बुखारी 4530, 4536: इब्न अज़-ज़ुबैर ने वर्णित किया: मैंने "उथमान बिन 'अफ़्फ़ान (जब वह कुरान एकत्र कर रहे थे) से आयत के बारे में कहा: - "तुममें से जो लोग मर जाते हैं और पत्नियाँ छोड़ देते हैं ..." यह आयत एक अन्य आयत (Q 2:240) द्वारा निरस्त कर दी गई थी। तो आपको इसे क्यों लिखना चाहिए? (या इसे कुरान में छोड़ दें)?" "उथमान (रज़ि) ने कहा। "हे मेरे भाई के बेटे! मैं इसमें से कुछ भी अपनी जगह से नहीं हटाऊँगा।"

विरोधाभासी बयान सहीह अल-बुख़ारी 4481, 5005: उमर (रज़ि.) ने कहा: हममें क़ुरआन की क़िराअत (पाठ) के मामले में सबसे श्रेष्ठ उबै बिन काब हैं, फिर भी हम उनकी पढ़ी हुई कुछ आयतों को छोड़ देते हैं। उबै (रज़ि.) कहते हैं: "मैंने इसे पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के मुँह से लिया है और मैं किसी भी चीज़ के कारण इसे नहीं छोड़ूँगा।" (इस पर कहा गया:) और अल्लाह ने फ़रमाया है: **Q 2:106** "हम अपनी जिन आयतों को निरस्त कर देते हैं या भुला देते हैं, तो उनकी जगह उनसे बेहतर या उन्हीं के समान दूसरी आयत ले आते हैं।"

कुरान की प्रारंभिक शांतिमय आयतों को बाद में प्रकट हुए हिंसक आयतों द्वारा निरस्त कर दिया गया – **सत्तर** से अधिक आयतें **क़त्ल** की बात करती हैं (**अध्याय 6. इस्लाम का विस्तार देखें)**

कुरान का संग्रह

हदीस सहीह बुखारी 4986:

ज़ैद बिन साबित से रिवायत है: अबू बकर (रज़ि) ने मुझे बुलाया जब यमामा के लोग मारे गए थे (यानी, पैगंबर के कई साथी जिन्होंने मुसैलीमा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी)। (मैं उनके पास गया) और उमर बिन अल-खत्ताब को उनके साथ बैठे पाया। अबू बकर (रज़ि) ने (मुझसे) कहा, "उमर मेरे पास आए हैं और कहा: "यमामा की लड़ाई के दिन कुर्रा (यानी जो लोग कुरान को दिल से याद रखते थे) बहुत हताहत हुए हैं, और मुझे डर है कि अन्य युद्ध के मैदानों में कुर्रा और भी भारी हताहत हो सकते हैं, जिससे कुरान का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, कि आप (अबू बकर (रज़ि)) कुरान को एकत्र करने का आदेश दें।" मैंने उमर से कहा, "आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया?" उमर ने कहा, "अल्लाह की कसम, यह एक अच्छा प्रोजेक्ट (परियोजना) है।" उमर मुझसे अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह करते रहे जब तक कि अल्लाह ने इसके लिए मेरा सीना नहीं खोल दिया और मुझे उस विचार में अच्छाई का एहसास होने लगा जो "उमर ने महसूस किया था।" तब अबू बकर (रज़ि) ने मुझसे कहा, 'तुम एक बुद्धिमान युवक हो और हमें तुम्हारे बारे में कोई संदेह नहीं है, और तुम अल्लाह के रसूल (स.) के लिए कुरान लिखते थे। इसलिए तुम्हें कुरान की (खंडित लिपियों) को खोज कर एक पुस्तक में एकत्र करना चाहिए। अल्लाह की कसम अगर उन्होंने मुझे एक पहाड़ को हटाने का हुक्म दिया होता तो मेरे लिए यह हुक्म कुरान को इकट्ठा करने के हुक्म से ज़्यादा भारी नहीं होता। फिर मैंने अबू बकर (रज़ि) से कहा, "आप ऐसा काम कैसे करोगे जो अल्लाह के रसूल (स.) ने नहीं किया?"

अबू बकर (रज़ि) ने जवाब दिया, "अल्लाह की कसम, यह एक अच्छी परियोजना है।" अबू बकर (रज़ि) मुझे अपने विचार को स्वीकार करने के लिए लगातार आग्रह करते रहे, जब तक कि अल्लाह ने मेरा सीना नहीं खोल दिया, जिस तरह से उसने अबू बकर (रज़ि) और उमर का सीना खोला था। इसलिए मैंने कुरान की तलाश शुरू कर दी और इसे ताड़ के डंठलों, पतले सफेद पत्थरों और उन लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो इसे दिल से जानते थे, जब तक कि मुझे अबी खुज़ैमा अल-अंसारी के पास सूरत अत-तौबा (पश्चाताप) की आखिरी आयत नहीं मिल गई, और मुझे यह उनके अलावा किसी और के पास नहीं मिली। आयत है: "वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हीं में से एक रसूल (मुहम्मद स.) आया है। उसे दुख होता है जब तुमको कोई तकलीफ या कठिनाई होती है...(सूरत-बराअत (अत-तौबा) के अंत तक" (Q 9:128-129)। फिर कुरान की पूरी पांडुलिपियाँ (प्रतिलिपि) अबू बकर (रज़ि) के पास उनकी मृत्यु तक रहीं, फिर उमर (रज़ि) के पास उनके जीवन के अंत तक, और फिर उमर की बेटी हफ्सा के पास।

सहीह बुखारी 4989: ज़ैद बिन साबित से रिवायत है: अबू बकर (रज़ि) ने मुझे बुलाया और कहा, "तुम अल्लाह के रसूल के लिए आयत लिखते थे: इसलिए तुम्हें (कुरान को खोजना चाहिए और इकट्ठा करना चाहिए)।" मैंने कुरान की खोज शुरू की, जबतक कि मुझे अबी खुज़ैमा अल-अंसारी के पास सूरत अत-तौबा की अंतिम दो आयतें नहीं मिल गई और मैं ये आयतें उनके अलावा किसी और

के पास नहीं पा सका। (वे ये थीं): 'वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारे ही बीच से एक रसूल (मुहम्मद) आया है। ये बात उन्हें दुखी करती थी कि तुम पर कोई चोट या कठिनाई आए ..." (**Q 9:128-129**)

तिर्मिज़ी 3104: ...अज़-ज़ुहरी ने कहा: "ख़ारिजा बिन ज़ैद [बिन साबित] ने मुझे बताया कि ज़ैद बिन साबित ने कहा: 'मैंने सूरत अल-अहज़ाब की एक आयत छोड़ दी थी जिसे मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को पढ़ते हुए सुना था: "विश्वासियों में से कुछ लोग अल्लाह के साथ अपने वादे के प्रति सच्चे रहे हैं, उनमें से कुछ ने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है, और उनमें से कुछ अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं (**Q 33:23**)" - इसलिए मैंने इसे खोजा और इसे खुज़ैमाह बिन साबित, या अबू खुज़ैमाह के पास पाया, इसलिए मैंने इसे इसकी सूरह में डाल दिया।" ...

ग्रंथ: इमाम सुयूती 'अल-इतकान फी उलूम अल-कुरान पृष्ठ 524

इब्न उमर का कथन: इब्न उमर ने कहा, "तुममें से कोई यह न कहे कि मैंने पूरा कुरान प्राप्त कर लिया है। उसे क्या पता कि पूरा क्या था? कुरान का बहुत सारा हिस्सा लुप्त (चला गया) हो चुका है। इसके बजाय उसे यह कहना चाहिए कि मैंने वह प्राप्त कर लिया है जो वर्तमान में उपलब्ध है।"

सूरह अल-अहज़ाब के बारे में हज़रत आयशा का उल्लेख: हज़रत आयशा (रज़ि.) ने कहा, "पैगंबर (स.) के समय में सूरह अल-अहज़ाब में **200 आयतें** पढ़ी जाती थीं। लेकिन जब उस्मान (रज़ि.) ने मुसहफ (कुरान की प्रतियां) तैयार करवाईं, तो केवल उतनी ही आयतें रह गईं जितनी आज मौजूद हैं (73 आयतें)।"

उबय बिन काब का विवरण: उबय बिन काब ने ज़िर बिन हुबैश से पूछा, "तुम सूरह अल-अहज़ाब की कितनी आयतें गिनते हो?" उन्होंने उत्तर दिया, "बहत्तर या तिहत्तर।" उबय ने कहा, "यह सूरह कभी **सूरह अल-बकरा** के बराबर लंबी हुआ करती थी।"

मुख़तसर कंज़ अल-उम्माल — मुस्नद अहमद के मार्जिन में, वॉल्यूम 2, पेज 2: हुदैफ़ा ने कहा: उमर बिन अल-खत्ताब ने मुझसे कहा: 'तुम सूरह अहज़ाब को कितनी आयतों वाली मानते हो? मैंने कहा, '72 या 73 आयतें। उन्होंने कहा: 'यह लगभग सूरह बकरा जितनी लंबी थी (जिसमें 286 आयतें हैं), और इसमें पत्थर मारने की आयत (आयत-ए-रज्म) भी थी।

जामी अत्तिर्मिज़ी 3086: उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि) ने कहा: हमने सूरा अल-अन्फ़ाल और सूरा अल-बराअत को एक साथ रखा। पैग़म्बर (स.) के समय जैसे आयतें उतरीं, उन्हें उसी क्रम में लिखा गया। अन्फ़ाल मदीना में पहली उतरी सूरों में से थी, और बराअत आख़िर में उतरी। दोनों की कथाएँ मिलती-जुलती थीं, इसलिए हमने उन्हें सात बड़ी सूरों में रखा और उनके बीच 'बिस्मिल्लाह' नहीं लिखा। पैग़म्बर (स.) ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह (बराअत) अन्फ़ाल का हिस्सा है या नहीं, इसलिए हमने उन्हें इसी तरह रखा। (दइफ़) [**अबू दाऊद 786: यही बयान]**

जब पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पास क़ुरआन लिखने वाले मौजूद थे, तो न तो इसे एक किताब के रूप में संकलित किया गया और न ही लिखित सामग्री को एक ही जगह पर सुरक्षित रखा गया– जबकि यह उनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। साथ ही, इस्लामी राज्य के भविष्य के शासन के लिए भी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए थी। इससे उनके अपने परिवार सहित सभी का खून-खराबा नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई दूरदर्शिता नहीं थी।

कुरान की विषय-वस्तु पर मतभेद

सहीह बुखारी 4987: हुदैफा बिन अल-यमन उस समय उस्मान के पास आए जब शाम और इराक के लोग, अरमिन्या और अज़रबीजान को जीतने के लिए युद्ध कर रहे थे। हुदैफा को उनके (शाम और इराक के लोगों के) कुरान के पाठ में मतभेदों से डर था, इसलिए उन्होंने उस्मान से कहा, "हे ईमान वालों के सरदार! इस राष्ट्र को बचाओ इससे पहले कि वे किताब (कुरान) के बारे में मतभेद करें जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों ने पहले किया था।" तो उस्मान ने हफ़सा को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था, "हमें कुरान की पांडुलिपियाँ भेजें ताकि हम कुरान की सामग्री को सही प्रतियों में संकलित कर सकें और पांडुलिपियों को आपको वापस कर सकें।" हफ़सा ने इसे उस्मान (रज़ि) को भेज दिया। इसके बाद उस्मान (रज़ि) ने जैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन अज़्ज़ुबैर, सईद बिन अल-अस और अब्दुर्रहमान बिन हारिथ बिन हिशाम को आदेश दिया कि वे पांडुलिपियों को फिर से सही प्रतियों में लिखें। उस्मान ने तीनों कुरैशी लोगों से कहा, "यदि आप कुरान में किसी भी बिंदु पर जैद बिन साबित से असहमत हैं, तो इसे कुरैश की बोली में लिखें, कुरान उसी भाषा में अवतरित हुआ था।" उन्होंने ऐसा ही किया, और जब उन्होंने कई प्रतियां लिख लीं, तो उस्मान ने मूल पांडुलिपियों को हफ़सा को वापस कर दिया। उस्मान (रज़ि) ने प्रत्येक मुस्लिम प्रांत

में उनकी प्रतिलिपियों की एक प्रति भेजी, और आदेश दिया कि कुरान की अन्य सभी सामग्री, चाहे वे खंडित पांडुलिपियों में लिखी गई हों या पूरी प्रतियों में, **जला दी जाएँ।**

****पांडुलिपियों को जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि क़ुरआन का दावा है कि इसमें कोई फेर-बदल संभव नहीं है।**

सहीह बुखारी 4984: खलीफा उस्मान (रज़ि) ने जैद बिन साबित, सईद बिन अल-आस, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अब्दुर-रहमान बिन अल-हरिथ बिन हिशाम को कुरान को एक किताब (मुशफ्स) के रूप में लिखने का आदेश दिया और उनसे कहा। "यदि आप कुरान के किसी भी बोली अरबी उच्चारण के बारे में जैद बिन साबित (अल-अंसारी) से असहमत हैं, तो इसे **कुरैश** की बोली में लिखें, **क्योंकि कुरान इस बोली में प्रकट हुआ था।**" तो उन्होंने ऐसा किया।

विरोधाभास: सहीह बुखारी 2419: उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि) ने रिवायत किया: मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिजाम को सूरत-अल-फुरकान को मेरे तरीके से अलग पढ़ते हुए सुना। अल्लाह के रसूल (स.) ने इसे मुझे (दूसरे तरीके से) सिखाया था। इसलिए, मैं (प्रार्थना के दौरान) उनसे झगड़ा करने वाला था, लेकिन मैंने प्रार्थना के खत्म होने तक इंतजार किया, फिर मैंने उनका कपड़ा उनके गले में बांध दिया और उन्हें पकड़कर अल्लाह के रसूल (स.) के पास ले गया और कहा, "मैंने उन्हें सूरत-अल-फुरकान को उस तरीके से पढ़ते हुए सुना है, जिस तरह से आपने मुझे नहीं सिखाया था।" पैगंबर (स.) ने मुझे उन्हें छोड़ने का आदेश दिया और हिशाम से इसे पढ़ने के लिए कहा। जब उन्होंने इसे पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, "यह इस तरह से उतारा गया था।" फिर उन्होंने मुझसे इसे पढ़ने के लिए कहा। जब मैंने इसे पढ़ा, तो उन्होंने कहा, "यह इस तरह से उतारा गया था। **कुरान सात अलग-अलग तरीकों से उतारा गया है, इसलिए इसे उस तरीके से पढ़ो जो तुम्हारे लिए आसान हो।**" [**सहीह बुखारी 7550**: यही जानकारी]

हदीस सहीह बुखारी 3219: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "जिब्रील (अलै.) ने मेरे लिए कुरान को एक तरीके (यानी बोली) में पढ़ा और मैंने उसे इसे अलग-अलग तरीकों से पढ़ने के लिए कहा, जब तक कि उसने इसे सात अलग-अलग तरीकों से नहीं पढ़ लिया।"

हदीस सहीह मुस्लिम 1906: अल्लाह के रसूल (स.) बनू ग़िफ़ार के तालाब के पास थे कि जिब्रील (अलै.) उनके पास आए और कहा: अल्लाह ने आपको अपने लोगों को एक बोली में कुरान सुनाने का आदेश दिया है। इस पर उन्होंने कहा: मैं अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। मेरे लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। फिर वह दूसरी बार आए और कहा: अल्लाह ने आपको आदेश दिया है कि आप अपने लोगों को दो बोलियों में कुरान सुनाएं। इस पर उन्होंने (पैगंबर (स.)) फिर कहा: मैं अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करता हूं, मेरे लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। वह (जिब्रील (अलै.)) तीसरी बार आए और कहा: अल्लाह ने आपको अपने लोगों को तीन बोलियों में क़ुरान सुनाने का आदेश दिया है फिर वह चौथी बार उसके पास आया और कहा: अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम अपने लोगों को सात बोलियों में कुरान सुनाओ, और जिस भी बोली में वे इसे पढ़ेंगे, वे सही होंगे।

अबू दाऊद: किताब अल-मसाहिफ़ पृष्ठ 23: इब्न मसऊद (रज़ि.) से मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए रिवायत है कि उन्होंने कहा: "जो व्यक्ति क़ुरआन में से जो कुछ पढ़े, वह क़ियामत के दिन उसे लेकर आएगा।" (फिर उन्होंने कहा:) "तुम मुझे कैसे यह हुक्म देते हो कि मैं ज़ैद बिन साबित की क़िराअत के अनुसार पढ़ूँ, जबकि मैंने पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के सामने सत्तर से कुछ अधिक सूरतें पढ़ी हैं, और ज़ैद बिन साबित तो बच्चों के साथ खेलते फिरते थे।

सहीह बुखारी 4944: अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) के साथी अबू दर्दा के पास आए, (और उनके घर पहुंचने से पहले), उन्होंने उन्हें ढूंढा और पाया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, 'तुममें से कौन अब्दुल्लाह की तरह (कुरान) पढ़ सकता है?' उन्होंने उत्तर दिया, "हम सभी।" उन्होंने पूछा, "तुममें से कौन इसे कंठस्थ जानता है?" उन्होंने अलकमा की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने अलकमा से पूछा। "तुमने अब्दुल्लाह बिन मसऊद को सूरत अल-लैल पढ़ते कैसे सुना?" अलकमा ने पढ़ा: '**पुरुष और महिला की कसम**।' अबू अद-दर्दा ने कहा, "मैं गवाही देता हूं कि मैंने पैगंबर (स.) को इसे इसी तरह पढ़ते हुए सुना, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं इसे पढ़ूं: '**और उसकी कसम जिसने पुरुष और महिला को बनाया। (Q92:3)**' लेकिन अल्लाह की कसम, मैं उनका अनुसरण नहीं करूंगा।"

सहीह मुस्लिम 2419 (INT 1050): अबूमूसा अल-अश'री ने बसरा के क़ौलनकारों (क़ारी, पाठ करने वाले) को बुलाया। वे उसके पास आए और उनकी संख्या तीन सौ थी। उन्होंने कुरान पढ़ी और उसने कहा: तुम बसरा के निवासियों में सबसे अच्छे हो, क्योंकि तुम उनमें से क़ौलनकार हो। इसलिए इसे पढ़ना जारी रखो। (लेकिन ध्यान रखो) कि तुम्हारे लंबे जीवन से तुम्हारे दिल कठोर न हो जाएँ जैसे कि तुमसे पहले के लोगों के दिल कठोर हो गए थे। हम एक सूरा पढ़ते थे जो लंबाई और गंभीरता में (सूरा) बारात से मिलती जुलती थी। हालाँकि, मैं इसे भूल गया हूँ, सिवाय इसके कि मुझे इसमें से यह याद है: "अगर आदम के बेटे के लिए दो घाटियाँ धन से भरी होतीं, तो वह तीसरी घाटी की चाहत करता, और आदम के बेटे का पेट धूल के अलावा किसी और चीज़ से नहीं भरता।" और हमने इसी प्रकार एक सूरा पढ़ा था जो मुसब्बिहात की एक सूरा से मिलती जुलती थी, और मैं उसे भूल गया हूँ, लेकिन उसमें से इतना याद है कि "ऐ ईमान लाने वालों! तुम वह बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं?" और ये तुम्हारी गर्दनों में गवाही के रूप में दर्ज होगी और क़ियामत के दिन तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा।

अल-मुवत्ता, इमाम मालिक हदीस 369, 370: अबू यूनुस, जो हज़रत आयशा (रज़ि) के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम (मौला) थे, उन्होंने कहा: हज़रत आयशा (रज़ि) ने मुझे उनके लिए क़ुरआन की एक प्रति लिखने का आदेश दिया और कहा: 'जब तुम इस आयत तक पहुँचो **"नमाज़ों की पूरी पाबंदी करो, विशेष रूप से बीच की नमाज़ की, और अल्लाह के सामने विनम्र होकर खड़े हुआ करो (2:238)"** तो मुझे बताना। जब मैं उस आयत तक पहुँचा, तो मैंने उन्हें सूचना दी। तब उन्होंने मुझे लिखवाया: **"नमाज़ों की पूरी पाबंदी करो, विशेष रूप से बीच की नमाज़ और अस्र नमाज़ की, और अल्लाह के सामने विनम्र होकर खड़े हुआ करो।** इसके बाद उन्होंने कहा: 'मैंने यह बात पैग़म्बर मुहम्मद (स.) से सुनी है।

आज भी भिन्न संस्करणों का अस्तित्व; इब्न मसऊद और उबै बिन कअब के संस्करण;

- इन मसउद ने "फातिहा" और "तीन कुल" को सूरह नहीं माना (तफ़सीर अल-तबरी, जिल्द: 1, सूरह अल-फ़ातिहा की तफ़सीर में; मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, अल-मुसन्नफ़, हदीस: 29913)
- उबै बिन काब (रज़ि.) के मुशहफ़ में दो अतिरिक्त प्रार्थनाएँ थीं।"इन प्रार्थनाओं को आम तौर पर दुआ-ए-क़ुनूत या सूरह अल-ख़ल' और सूरह अल-हफ़्द के नाम से जाना जाता है। (किताब अल-मसाहिफ, इब्न अबी दाऊद, हदीस: 178; मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, अल-मुसन्नफ़, हदीस 30183)

क़ुरआन की लिखाई में बदलाव

पैग़म्बर के और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के दौर में क़ुरआन बिना हरकात (मात्राएँ) और बिना नुक्तों के लिखा जाता था। हज़रत अली (रज़ि) के दौर में या उनके हुक्म से अबुल असवद अद-दुअली नामक विद्वान ने नुक्तों और हरकात का सिस्टम शुरू किया। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर (लगभग 65–85 हिजरी) में क़ुरआन की इबारत को पक्के तौर पर बिंदु और हरकात के साथ सजाया गया। सना क़ुरआन (पांडुलिपि) यमन के सना शहर की ग्रैंड मस्जिद से 1972 में मिली थी। ये क़ुरआन की सबसे पुरानी पांडुलिपियों में गिनी जाती है। इसे पालिम्प्सेस्ट कहते हैं मतलब इसमें एक पुराना लेख मिटा कर फिर नई लिखाई की गई है। फर्क मुख्यतः स्क्रिप्ट, स्पेलिंग और किराआत में हैं।

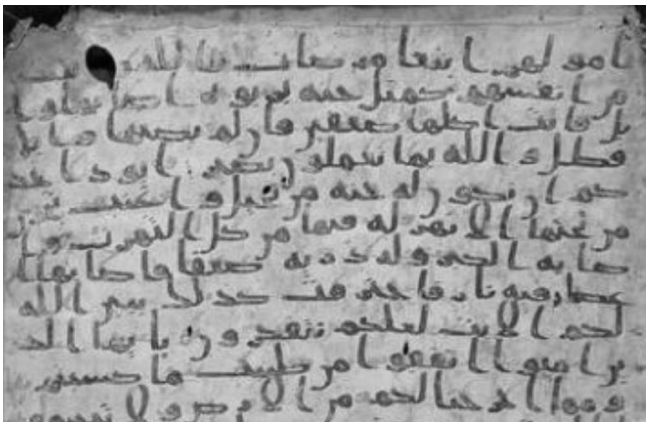

1924 में काहिरा (मिस्र) में क़ुरआन की एक मानक मुद्रित प्रति प्रकाशित की गई।

क़ुरान से तीन आयतें गायब हैं: दूध पिलाने, पत्थर मारने (रजम) और घाटियों की आयत

इब्न माजा 1944: यह वर्णित है कि 'आयशा (रज़ि) ने कहा: "एक वयस्क को दस बार स्तनपान कराने और पत्थर मारने की आयत उतरी, और कागज मेरे पास मेरे तकिए के नीचे था। जब अल्लाह के रसूल की मृत्यु हुई, तो हम उनकी मृत्यु में व्यस्त थे, और एक पालतू भेड़ आई और उसे खा गई।" (1): ये आयतें वाचन (पाठ) में निरस्त कर दी गईं, लेकिन हुक्म में नहीं। अन्य हदीसों में स्तनपान की संख्या 5 बताई गई है। **इब्न माजा 2553**

अन-नसाई 3309: यह वर्णित है कि 'आयशा (रज़ि) ने कहा: "अल्लाह, महान और बुलंद, ने जो चीजें उतारी हैं उनमें से "-(कथावाचकों में से एक) अल-हरिथ ने कहा: "कुरान में जो बातें बताई गई हैं उनमें से एक यह है कि दस ज्ञात स्तनपान विवाह को हराम बनाते हैं" फिर इसे निरस्त कर दिया गया और पांच ज्ञात स्तनपान में बदल दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल का निधन उस समय हुआ जब यह बात अभी भी कुरान में पढ़ी जा रही थी ।" (सहीह) **[सहीह मुस्लिम 3598 (INT 1452b): यही बयान]**

रजम (पत्थर मार कर मृत्युदंड) की आयत: दस्तावेज़ में उस आयत का ज़िक्र है जिसे अब कुरान में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसका आदेश जारी है। वह आयत इस प्रकार थी:
"जब कोई पुरुष और महिला (विवाहित व्यक्ति) व्यभिचार करें, तो उन्हें निश्चित रूप से पत्थर मारकर मार डालो; यह अल्लाह की ओर से एक दंड है।"

अबू दाऊद 4418: उमर (रज़ि) ने एक संबोधन दिया: अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को सच्चाई के साथ भेजा और उनकी किताबें उतारी, और जो कुछ उसने उन पर उतारा उसमें पत्थर मारने की आयत भी शामिल थी। हमने इसे पढ़ा और याद किया। अल्लाह के रसूल (स.) ने लोगों को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा था और उनकी मृत्यु के बाद से हम भी ऐसा कर रहे हैं। मुझे डर है कि समय बीतने के साथ लोग कहने लगेंगे: हमें अल्लाह की किताबों में पत्थर मारने की आयत नहीं मिलती, और इस तरह वे अल्लाह को मिले कर्तव्य को छोड़कर भटक जाएँगे। पत्थर मारना उन विवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए (अल्लाह द्वारा) निर्धारित किया गया कर्तव्य है जो व्यभिचार करते हैं जब सबूत स्थापित हो जाता है, या गर्भावस्था होती है, या स्वीकारोक्ति होती है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, अगर ऐसा न होता कि लोग कहने लगते कि उमर ने अल्लाह की किताब में कुछ जोड़ दिया है, तो मैं उसे वहाँ लिख देता। **[यहाँ भी देखें: सहीह मुस्लिम 1691, 4194, सहीह बुख़ारी 6829, तिर्मिज़ी 1432, इब्न माजा 2553]**

आज भी दुनिया में कुरआन के कई प्रमाणित वर्ज़न मौजूद हैं (**हफ़्स** -ज़्यादातर दुनिया, सऊदी, भारत, **वर्श** - मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, **क़ालून** – लीबिया, **अद-दूरी-** सूडान, पश्चिम अफ्रीका), जो ताजवीद, लफ़्ज़ और कभी-कभी हरकत में अलग होते हैं। कुछ उदाहरण –

आयत	हफ़्स	वर्श
Q 1:4	مَالِكِ يوم الدين (मालिक – मालिक)	مَلِكِ يوم الدين (मलिक – राजा)
Q 2:132	ووصى بها إبراهيم (ववस्सा – वसीयत की)	وأوصى بها إبراهيم (औस्सा – आदेश दिया)
Q 2:140	قالوا (क़ालू – उन्होंने कहा)	قل (क़ुल – कहो)
Q 3:146	قَاتَلَ (क़ातला – लड़ा)	قُتِلَ (क़ुतिला – मारा गया)
Q 5:54	يُرْجِعُهُ (युर्ज़िउहू – वह उसे लौटाएगा)	يُرْجَعُهُ (युर्ज़अहु – उसे लौटाया जाएगा)
Q 7:57	بُشْرًا (बुश्रा – शुभ सूचना)	نُشُرًا (नुशुरा – फैलाने वाले)
Q 10:26	وَزِيَادَةٌ (व ज़ियादतुन – और अधिक)	وزيادةً (व ज़ियादतन – कर्म कारक)
Q 11:48	مُبَارَكًا (मुबारकन – बरकत वाला)	مباركةً (मुबारकतं – बरकत वाली)

सूरह यासीन 36: 38:

क़ुरआन हफ़्स	وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا लिमुस्तक़र्रिं लहा
क़ुरआन इब्न मसूद	وَالشَّمْسُ تَجْرِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا इला मुस्तक़र्रिहा
हालाँकि ये अंतर मामूली हैं, लेकिन यह ईश्वरीय संरक्षण के दावे को चुनौती देने के लिए काफ़ी हैं।	

क्या "बिस्मिल्लाह" क़ुरआन का हिस्सा है?

हर सूरह की शुरूआत में लिखी "बिस्मिल्लाह"क़ुरआन की आयत तो है, लेकिन हर सूरह की पहली आयत नहीं है, सिवाय सूरह फ़ातिहा के — इसमें इमामों का मतभेद है। "जब बिस्मिल्लाह का

मतलब है 'मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ', तो अल्लाह क़ुरआन में खुद ऐसा क्यों कहेंगे?"

क्या सूरह फ़ातिहा क़ुरआन का हिस्सा है?

"अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो सारे जहानों का रब (पालनहार) है। वह बड़ा मेहरबान, निहायत रहमत वाला है। (वह) बदले के दिन (क़ियामत के दिन) का मालिक है। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर ग़ज़ब हुआ, और न ही उनका जो भटके हुए।"

सूरह फ़ातिहा में अल्लाह नहीं बोल रहा, है, इसका हर जुमला बंदे के लिए है।

व्याकरण संबंधी गलतियाँ

कई प्रामाणिक सुन्नी स्रोतों के अनुसार, कुरान में कम से कम चार व्याकरण संबंधी गलतियाँ हैं:

"अब्दुल्ला ने अल-फदल बिन हमद अल-खैरी से रिवायत की है, जो खालिद से रिवायत है (उनका मतलब इब्न खालिद से था), ज़ैद इब्न हुबाब से रिवायत है, जो सईद बिन जुबैर से अश्अथ से रिवायत है: "कुरान में चार गलतियाँ हैं: 'अलसाबी-ऊन' [**5:69**], 'वलमुकीमीन' [**4:162**], 'फास्सद्दका वकुन मिना अलस्सलिहीन' [**63:10**], 'इन हथनी लसाहिरानी' [**20:63**] ।" **(अबी बक्र, किताब अल-मुसाहिफ, पृष्ठ 42)**

हिशाम बिन अरवा से अपने पिता से रिवायत की कि आयशा (रज़ि) से सूरह निसा (**Q4:162**) 'लाकिनी अलर्रासिखूना' और 'वलमुकीमीना' में अल्लाह के बयानों और सूरा मैदाह (**Q5:69**) में अल्लाह के बयान के बारे में पूछा गया था। 'इन्ना अल्लाथीना अमानू वल्लाथीना हादू वल्साबी-ऊन' और उनका कथन (ताहा **Q20:63**) 'इन हथनी लसाहिरानी'। आयशा (रज़ि) ने उत्तर दिया: 'हे मेरे भतीजे, यह कातिब (लिखनेवाला) द्वारा की गई गलतियों के कारण है।' **(तफ़सीर अल-थलाबी, खंड 6, पृष्ठ 250)**

हिशाम बिन उरवाह से अपने पिता से कहा कि आयशा (रज़ि) से कुरान में निम्नलिखित गलतियों के बारे में पूछा गया था **'इन हथनी लसाहिरानी'** और कथन **'वलमुकीमीना अलस्सलाता वाल्मुना अल्जकाता'** और कथन **'इन्ना अल्लाथीना अमानू वल्लाथीना हादू वल्साबी-ऊन'**। उन्होंने उत्तर दिया: "हे मेरे भतीजे के बेटे, यह कुरान के उन कातिबों के कृत्य के कारण है जिन्होंने इसको लिखते समय गलती की थी। इस परंपरा की श्रृंखला शेखैन की शर्तों के अनुसार सहीह है।" **(जलालुद्दीन अल-सुयुती, अल-इत्कान फी उलूम अल कुरान, खंड 1, पृष्ठ 210)**

सूरह: अल-अनआम 6:151: (ऐ पैग़म्बर स!) कह दीजिए: आओ, मैं तुम्हें वह बातें सुनाऊँ जिन्हें तुम्हारे रब ने तुम पर **हराम** किया है, यह कि उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ; माता-पिता के साथ भलाई करो; ग़रीबी के डर से अपनी औलाद को क़त्ल न करो—हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी; खुली और छिपी बुराइयों के पास न जाओ; और किसी जान को, जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है, न मारो—सिवाय हक़ के साथ, यही बातें हैं जिनकी उसने तुम्हें नसीहत की है, ताकि तुम समझो।"

**** माता-पिता की भलाई करने में हराम बात क्या है?**

तफ़सीर अल-कुरतुबी, क़ुरआन 20:63: "अबान बिन उथमान ने अपने पिता उथमान (रज़ि) के सामने यह आयत पढ़ी। उथमान (रज़ि) ने कहा: "यह गलत है।" किसी ने उनसे पूछा: "आप इसे सही क्यों नहीं करते?" उथमान (रज़ि) ने जवाब दिया: "इसे यहीं रहने दें, इससे हलाल (वैध/अनुमेय) और हराम (निषिद्ध) के संबंध में कोई अंतर नहीं पड़ता।"

"तंदूर उबल पड़ा" - का क्या मतलब है

क़ुरआन 11:40: यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तंदूर उबल पड़ा, तो हमने कहा: हर क़िस्म (के जानवरों) में से दो-दो (नर-मादा) और अपने घर वालों को उसमें सवार कर लो– सिवाय उनके जिनके बारे में फ़ैसला हो चुका है–और ईमान वालों को भी। और उसके साथ बहुत ही थोड़े लोग ईमान लाए थे।

क़ुरआन 54:11: "तो हमने आसमान के दरवाज़े खोल दिए मूसलाधार बारिश के साथ।"

क़ुरआन 54:12: "और हमने ज़मीन से चश्मे फोड़ दिए"

यह आयत हज़रत नूह (अलै.) और बारिश की घटना से संबंधित है।

बाइबिल के अनुसार: (जेनिसिस 6:9, 7:11-12): ईश्वर ने नूह को जहाज़ बनाने का आदेश दिया, "उस दिन गहरे समुद्र के सब

सोते फूट पड़े, और आकाश के झरोखे खुल गए। और पृथ्वी पर चालीस दिन और चालीस रात तक वर्षा होती रही।"

लगभग एक जैसी आयतों का दुहराव

क़ुरआन 54:17: हमने इसे आसानी से समझने योग्य बनाया।
क़ुरआन 54:32: हमने इसे आसानी से समझने योग्य बनाया।

क़ुरआन 67:19: क्या वह नहीं देखता कि अल्लाह ने क्या बनाया है—आकाश और पृथ्वी?
क़ुरआन 16:79: क्या वे नहीं देखते कि अल्लाह ने क्या बनाया है—आकाश और पृथ्वी?

क़ुरआन 2:213: मानव एक ही समुदाय थे, ...।
क़ुरआन 10:19: मानव एक ही समुदाय थे, ...।

क़ुरआन 2:123: और वे डरें उस दिन से, जब कोई व्यक्ति किसी और की जगह किसी के काम नहीं आएगा, और कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा।
क़ुरआन 2:48: और वे डरें उस दिन से, जब कोई व्यक्ति किसी और की जगह किसी के काम नहीं आएगा, और कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा।

क़ुरआन 6:164: कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।
क़ुरआन 35:18: कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा...

कुरान अंतिम ग्रंथ है

चूंकि **कुरान अंतिम ग्रंथ है** और पैगंबर इस दुनिया के अंतिम संदेशवाहक हैं, इसलिए अल्लाह द्वारा आगे कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके बारे में यह पुस्तक बात नहीं करती है क्योंकि वे उस समय मौजूद नहीं थे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन, अंग प्रत्यारोपण, अंतरिक्ष यान, रक्तदान, शेयर / म्यूचुअल फंड में निवेश, इंटरसेक्स समूहों के मुद्दे, पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला का इलाज, टी.वी. / फिल्म देखना, परमाणु युद्ध जैसे मुद्दे... इस्लाम में कोई दिशा-निर्देश नहीं है।

कहा जाता है कि हर युग के लिए एक किताब (वही) होती है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो फिर अब तक कोई नई किताब क्यों नहीं आई? पिछले केवल 100 वर्षों में दुनिया में जितने परिवर्तन हुए हैं, उतने शायद पहले के अनुमानित दो लाख वर्षों में भी नहीं हुए।

नवीन शिक्षाओं का आविष्कार करना हराम है (बिद्दत)

कुरान की शिक्षा को **हमेशा के लिए** माना जाता है, और हर नवीनीकरण आपको नरक मे ढकेलता है: इससे इस्लाम में सुधारों की कोई गुंजाइश नहीं बचती ।

कुरान 5:3: ..... आज इनकार करनेवालों ने तुम्हारे धर्म से सारी आशा छोड़ दी है; अतः उनसे न डरो, बल्कि मुझसे ही डरो। **आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया** और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में पसन्द कर लिया। ....।
**** दीन मुकम्मल हो चुका है।**

हदीस अन- नसाई 1578, 1579: सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे अच्छी हिदायत मुहम्मद (स.) की हिदायत है। सबसे बुरी चीज़ वह है जो नवीनता की गई हो। हर नवीनता वाली चीज़ एक ईजाद है और हर ईजाद गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम है। (सहीह)

हदीस इब्न माजा 1275: यह वर्णित है कि अबू सईद ने कहा: "मरवान एक ईद के दिन मिंबर (उपदेश-मंच) लाए और प्रार्थना से पहले उपदेश देना शुरू कर दिया। एक आदमी खड़ा हुआ और कहा: 'हे ईमान वालों के सरदार, आप सुन्नत के खिलाफ चले गए हैं। आप मिंबर को ईद के दिन लाए हैं और यह पहले नहीं लाया गया था, और आपने प्रार्थना से पहले उपदेश देना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा पहले नहीं किया गया था।' अबू सईद ने कहा: 'इस आदमी के लिए, उसने अपना कर्तव्य किया है। मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को कहते सुना: "तुममें से जो कोई भी कोई बुरा काम देखे, और वह उसे अपने हाथ से रोकने में सक्षम हो, तो उसे अपने हाथ से रोक दे (कार्रवाई करके); अगर वह ऐसा नहीं कर सकता, तो अपनी जीभ से करे (बोलकर); और अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो अपने दिल से (इससे नफरत करके और यह महसूस करके कि यह गलत

है), और यह ईमान का सबसे कमजोर पहलू है।" (सहीह) **[हदीस अबू दाऊद 4340, अन- नसाई 5012: यही जानकारी]**

हदीस अबू दाऊद 4607: एक दिन अल्लाह के रसूल (स.) ने हमें नमाज़ में अगुवाई की, फिर हमारे सामने हुए और हमें एक लंबी नसीहत दी, ... फिर तुम्हें मेरी सुन्नत और सही दिशा वाले खलीफाओं की सुन्नत का पालन करना पड़ेगा। इसे पकड़ो और इस पर अड़े रहो। नवीनता से बचें, क्योंकि प्रत्येक नवीनता एक नवीनता है, और प्रत्येक नवीनता एक त्रुटि है..

लेकिन कुरान / हदीस में हर आधुनिक समस्या का उत्तर नहीं है, इसलिए मुस्लिम न्यायविदों ने 'इज्तिहाद' की प्रक्रिया विकसित की। **इज्मा** (विद्वानों की आम सहमति), **क़ियास** (पुरानी मिसालों के आधार पर नए कानूनों का अनुमान लगाना), **उर्फ़** (स्थानीय परंपराओं, समय की ज़रूरतों को शरियत में जगह देना)
** जो कुछ उलेमा करें वही सही माना जाता है, और वही काम अगर कोई दूसरा करे तो उसे 'बिदअत' कह दिया जाता है।

अध्याय 6. दावा: इस्लाम एक अत्यंत तार्किक धर्म है

हदीस इस्लाम में पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की कथनी, करणी और मंजूरी का संग्रह है। इसे क़ुरआन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हालाँकि मुसलमानों को अन्य धर्मों के अंधविश्वासों की आलोचना करने में मज़ा आता है, लेकिन ऐसी बहुत सी बेतुकी बातें हैं जिन पर मुसलमान विश्वास करते हैं।
पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के आदेश पर केवल कुरान को लिखने की अनुमति थी ताकि भ्रम न हो। उम्मयद और अब्बासी दौर हदीस लेखन का चरम काल रहा (8$^{वीं}$ और 9$^{वीं}$ सदी) । सबसे भरोसेमंद संग्रह सहीह **बुखारी** और सहीह **मुस्लिम** हैं ।

मुहम्मद (स.) ने मुसलमानों को अपने शब्दों (सुन्नत/हदीस) को लिखने से मना किया था। उनका ध्यान केवल कुरान पर होना चाहिए, जो अल्लाह का वचन है:

हदीस सहीह मुस्लिम 7510 (INT 3004): अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: मुझसे कुछ भी न उतारो, और जिसने मुझसे कुरान के अलावा कुछ भी उतारा है, उसे उस को मिटा देना चाहिए और मुझसे बयान करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है और जिसने मुझ पर कोई झूठ थोपा है - और हम्माम ने कहा: मुझे लगता है कि उन्होंने यह भी कहा: "जानबूझकर" - उसे वास्तव में जहन्नम की आग में ठिकाना मिलना चाहिए।

धर्म में तर्क का प्रयोग न किया जाए

अबी दाऊद 162: हज़रत अली (रज़ि) बयान करते हैं: "अगर धर्म केवल राय/अनुमान (व्यक्तिगत दृष्टिकोण) पर आधारित होता, तो **जूते के नीचे के भाग पर मसह (पोंछना)** ऊपर के भाग से अधिक उचित होता; लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को अपने जूतों के **ऊपर के भाग पर मसह करते हुए देखा**।"

वुज़ू टूटना

सहीह बुखारी 139: "अगर कोई हवा निकालता है, तो वुज़ू टूट जाता है, और वह नया वुज़ू करें।" [**सहीह मुस्लिम 229**]

अगर कोई व्यक्ति हवा निकलता है, तो नमाज़/इबादत के लिए नया वुज़ू करना जरूरी है। नया वुज़ू करने के लिए सिर, हाथ, चेहरे, पैरों को धोना है। गुदामार्ग को धोना नहीं जो हवा से प्रभावित हुआ।"

अटपटी हदीसें (सामान्य समझ के विरुद्ध)

हदीस तिर्मिज़ी 961: अल्लाह के रसूल ने (काले) पत्थर के बारे में कहा: "अल्लाह की कसम! अल्लाह इसे क़यामत के दिन दो आँख देकर उठाएगा जिससे यह देखेगा और एक ज़बान से बोलेगा, और इसे सच्चाई से छूने वाले की गवाही देगा।" (हसन)

हदीस सहीह बुखारी 3579: हम चमत्कारों को अल्लाह की नेमत समझते थे, लेकिन तुम लोग उन्हें चेतावनी समझते हो। एक बार हम अल्लाह के रसूल (स.) के साथ यात्रा पर थे, और हमें पानी की कमी हो गई। उन्होंने कहा, "अपने साथ बचा हुआ पानी ले आओ।" लोग एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर आए। उन्होंने अपना हाथ उसमें डाला और कहा, "आओ इस मुबारक पानी के पास, और यह अल्लाह की तरफ से है।" मैंने देखा कि पानी अल्लाह के रसूल (स.) की उंगलियों के बीच से बह रहा था, और इसमें कोई शक नहीं कि हमने "खाने" को अल्लाह की शान में बोलते हुए सुना, जब वह (उनके द्वारा) खाया जा रहा था।

हदीस अबू दाऊद 66, 67: मैंने सुना कि लोगों ने अल्लाह के पैगम्बर (स.) से पूछा: आपके लिए बुदाह के कुएं से पानी लाया जाता है। यह एक ऐसा कुआं है जिसमें मरे हुए कुत्ते, मासिक धर्म के कपड़े और लोगों का मल फेंका जाता है। अल्लाह के रसूल (स.) ने जवाब दिया: वास्तव में पानी शुद्ध है और किसी भी चीज़ से अपवित्र नहीं होता है। .....।(सहीह)

हदीस अबू दाऊद 1531: उन्होंने (साथियों) ने पूछा: अल्लाह के रसूल, जब आपका शरीर सड़ चुका होगा, तो हमारी दुआएँ आपको कैसे समर्पित हो सकती हैं? (कब्र में) उन्होंने (स.) कहा: अल्लाह ने धरती को पैगम्बरों के शरीर नष्ट करने से मना किया है। (सहीह)

सुनन अन-नसाई 2554: .....उन्होंने (पैगंबर ने) प्रार्थना की, फिर उन्होंने संबोधित किया, (आयतों का पाठ करते हुए): 'हे लोगों! अपने रब का फरमान मानो, जिसने तुम्हें एक व्यक्ति (आदम) से पैदा किया, और उनसे (आदम) उनकी पत्नी [हव्वा (ईव)] को बनाया, और उन दोनों से उसने कई पुरुषों और महिलाओं को बनाया: और अल्लाह से डरो जिससे तुम (अपना आपसी अधिकार) मांगते हो, और गर्भ के संबंधों को मत काटो (रिश्तेदारी)। निस्संदेह अल्लाह तुम पर सदैव निगरानी रखने वाला है।.....' (सहीह)

विरोधाभास ** धरती पर पहले आदमी आदम थे और उसकी पत्नी हव्वा उसकी पसली से बनी थी, तो दोनों में समान गुणसूत्र होने चाहिए। अल्लाह ने शुरुआती दौर में सगे भाई-बहन की शादी की अनुमति दी ताकि मानव जाति की आबादी बढ़े।

हदीस सहीह बुखारी 1291: ..." मैंने पैगंबर (स.) को यह कहते हुए सुना, "जिस मृतक के लिए विलाप किया जाता है, उसे उस विलाप के लिए यातना दी जाती है।"

हदीस सहीह बुखारी 5855: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया, "अगर तुम अपने जूते पहनना चाहते हो, तो पहले दायाँ जूता पहनो; और अगर उतारना चाहते हो, तो पहले बायाँ जूता उतारो। दायाँ जूता सबसे पहले पहना जाए और सबसे आखिर में उतारा जाए।"

हदीस सहीह मुस्लिम 1254: जो कोई इस (अपमानजनक) पौधे को खाता है, यानी **लहसुन**, और कभी-कभी उन्होंने कहा: जो कोई प्याज और लहसुन और लीक खाता है, उसे हमारी मस्जिद के पास नहीं आना चाहिए क्योंकि फ़रिश्तों को आदम की संतानों के समान ही इन चीजों से नुकसान होता है।

हदीस इब्न माजा 3724: पैगंबर (स.) मेरे पास से गुजरे और मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। उन्होंने मुझे अपने पैर से धक्का दिया और कहा: 'ऐ जुनैद इब्न इस तरह से जहन्नम के लोग लेटते हैं।'

हदीस सहीह बुखारी 3849: बयान है कि अमर बिन मैमून ने सुनाया कि अज्ञानता काल में (इस्लाम से पहले) उन्होंने एक मादा बंदरिया को देखा। उसके आसपास कई बंदर थे और उन बंदरों ने उस बंदरिया को इसलिए पत्थर मार-मार कर मार डाला, क्योंकि कथित रूप से उसने अवैध यौन संबंध किया था। कहते है कि वह भी उन बंदरों में शामिल थे और उन्होंने भी पत्थर मारा। (सहीह)

हदीस इब्न माजा 3723: "अल्लाह के रसूल (स.) ने मुझे मस्जिद में पेट के बल सोते हुए पाया। उन्होंने मुझे अपने पैर से धक्का दिया और कहा: 'तुम इस तरह क्यों सो रहे हो? यह एक ऐसी नींद है जिसे अल्लाह नापसंद करता है,' या 'जिससे अल्लाह नफ़रत करता है।'" (सहीह)

हदीस अल-अदब अल-मुफ़राद 253: पैगंबर (स.) ने कहा, "बहुत मत हंसो। बहुत हँसी दिल को मार देती है।" (सहीह) [**यही बयान, हदीस इब्न माजा 4193**]

हदीस सहीह मुस्लिम 373 (INT 146): अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: वास्तव में इस्लाम एक अजीब चीज़ के रूप में शुरू हुआ और यह फिर से अजीब होने की अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएगा, जैसे कि यह शुरू हुआ था, और यह दो मस्जिदों के बीच से पीछे हट जाएगा जैसे कि साँप अपने बिल में वापस रेंगता है। [**यही बयान, सहीह मुस्लिम 374 (INT 147)]**

हदीस सहीह बुखारी 3584: इस्लाम में नबूवत के लक्षण: नबी (स.) शुक्रवार को एक पेड़ या खजूर के पेड़ के पास खड़े होते थे। फिर एक अंसारी महिला या पुरुष ने कहा। "अल्लाह के रसूल (स.)! क्या हम आपके लिए एक मिम्बर बना दें?" उन्होंने जवाब दिया, "अगर आप चाहें तो।" इसलिए उन्होंने उनके लिए एक मिम्बर बनाया और जब शुक्रवार था, तो वे मिम्बर की ओर बढ़े (उपदेश देने के लिए)। खजूर का पेड़ एक बच्चे की तरह रोया! पैगंबर (स.) नीचे उतरे (मिम्बर) और उसे गले लगा लिया जबकि वह एक बच्चे की तरह कराहता रहा जिसे चुप कराया जा रहा है। पैगंबर (स.) ने कहा, "यह उस चीज़ के लिए रो रहा था (खोया हुआ) जो इसे धार्मिक ज्ञान के बारे में सुनने को मिलता था।

सहीह मुस्लिम 5300: अल्लाह के रसूल (स.) ने उंगलियों और थाली को चाटने का आदेश दिया, कहा: तुम नहीं जानते कि बरकत किस हिस्से में है।" [**सहीह मुस्लिम 5294, यही जानकारी]**

सहीह बुखारी 3260: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "(जहन्नम) की आग ने अपने रब से शिकायत की, 'ऐ मेरे रब! मेरे अलग-अलग हिस्से एक-दूसरे को खा जाते हैं।' इसलिए, उसने उसे दो साँस लेने की इजाज़त दी, एक सर्दियों में और दूसरी गर्मियों में, और यही वह वजह है जो आपको (मौसम में) भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड लगती है।, [**सहीह मुस्लिम 1403: यही जानकारी]**

हदीस इब्न माजा 3722: पैगंबर (स.): "छाया और धूप के बीच बैठने से मना किया।"[**हदीस अबू दाऊद 4821: यही जानकारी]**

सहीह बुखारी 691: पैगंबर (स.) ने कहा, "क्या वह व्यक्ति जो इमाम के सामने अपना सिर उठाता है, उसे डर नहीं लगता कि

अल्लाह उसके सिर को गधे जैसा या उसके चेहरे को गधे जैसा बना देगा? **[हदीस तिर्मिज़ी 582: इब्न माजा: 961, अन-नासाई 829, यही जानकारी]**

हदीस इब्न माजा 348: "अल्लाह के रसूल ने कहा: 'कब्र की ज़्यादातर यातनाएँ पेशाब की वजह से होती हैं।'

हदीस सहीह बुखारी 6055: इब्न अब्बास (रज़ि) ने रिवायत किया: एक बार पैगंबर (स.) मदीना के कब्रिस्तानों से गुज़रे और दो इंसानों की आवाज़ें सुनीं जिन्हें उनकी कब्रों में यातना दी जा रही थी। पैगंबर (स.) ने कहा, "उन्हें सज़ा दी जा रही है, लेकिन उन्हें किसी बड़े पाप की वजह से सज़ा नहीं दी जा रही है, फिर भी उनके पाप बहुत बड़े हैं। उनमें से एक पेशाब से खुद को नहीं बचाता था, और दूसरा बदनामी (चुगली) करता फिरता था।" फिर पैगंबर ने एक हरे ताड़ के पेड़ का पत्ता मांगा और उसे दो टुकड़ों में विभाजित किया और प्रत्येक कब्र पर एक टुकड़ा रख दिया, और कहा, "मुझे उम्मीद है कि जब तक पत्ते के ये टुकड़े सूख नहीं जाते, तब तक उनकी सज़ा कम हो सकती है।"**[हदीस अबू दाऊद 22, इब्न माजा 349: मिलती-जुलती हदीस]**

हदीस इब्न माजा 522: "हुसैन बिन अली ने पैगंबर की गोद में पेशाब किया और मैंने कहा: 'अल्लाह के रसूल, मुझे अपना कपड़ा दे दो और दूसरा कपड़ा पहन लो।' उन्होंने कहा: 'बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़कना चाहिए, और बच्ची के पेशाब को धोना चाहिए।'"

लड़का होगा या लड़की

हदीस सहीह बुखारी 3329, अन-नसाई 200: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: 'पुरुष का पानी गाढ़ा और सफेद होता है, और महिला का पानी पतला और पीला होता है। उनमें से जो भी पहले आएगा, बच्चा (उस माता-पिता) जैसा होगा। (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 710: उन्होंने अल्लाह के रसूल (स.) से एक औरत के बारे में पूछा जो सपने में वही देखती है जो एक आदमी देखता है (यौन सपना)। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: अगर कोई औरत ऐसा देखती है, तो उसे नहाना चाहिए। उम्म सुलैम ने कहा: मैं इस वजह से शर्मिंदा थी और मैंने पूछा: क्या ऐसा होता है? इस पर अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: हाँ (ऐसा होता है), अन्यथा (एक बच्चा) उससे कैसे मिलता-जुलता हो सकता है? पुरुष का पानी (यानी वीर्य) गाढ़ा और सफ़ेद होता है और महिला का पानी पतला और पीला होता है; "यदि पुरुष का पानी पहले आये, तो बच्चा पिता के समान होगा। यदि महिला का पानी पहले आये, तो बच्चा माता के समान होगा।"

साफ़-सफ़ाई

हदीस सहीह मुस्लिम 613, सहीह बुखारी 153: दाहिने हाथ से गुप्तांगों को साफ करना मना है: अबू क़तादा ने रिवायत किया: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "जब भी तुम में से कोई पानी पीता है, तो उसे पीने के बर्तन में सांस नहीं लेनी चाहिए, और जब भी तुम में से कोई शौचालय जाता है, तो उसे अपने दाहिने हाथ से न ही अपने लिंग को नहीं छूना चाहिए और न ही अपने गुप्तांगों को साफ करना चाहिए।"

हदीस इब्न माजा 569: एक आदमी उमर बिन खत्ताब (रज़ि) के पास आया और कहा: "मैं यौन उत्सर्जन के कारण अशुद्ध हो गया हूं और कोई पानी नहीं पा रहा हूं।" उमर (रज़ि) ने उनसे कहा: "प्रार्थना मत करो।" लेकिन अम्मार बिन यासिर ने कहा: "क्या आपको याद नहीं है, जब आप और मैं एक सैन्य अभियान पर थे और हम यौन रूप से अशुद्ध हो गए और पानी नहीं पा सके? जहाँ तक आपका सवाल है, आपने प्रार्थना नहीं की, लेकिन मैं धूल में लोट गया और फिर प्रार्थना की। जब मैं पैगंबर (स.) के पास आया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा: 'यह तुम्हारे लिए पर्याप्त था।' (फिर प्रदर्शन करते हुए) पैगंबर (स.) ने अपने हाथों से जमीन पर मारा, फिर अपने पर फूँका, और उनसे अपना चेहरा और हथेलियाँ पोंछी। **[यही बयान, हदीस सहीह मुस्लिम 820]**

हदीस: सुनन अबी दाऊद 358: हज़रत आयशा (रज़ि.) कहती हैं: "हममें से हर एक के पास (मासिक धर्म के समय पहनने के लिए) सिर्फ़ एक ही कपड़ा होता था। जब उस पर खून लग जाता, तो वह उसे अपनी लार से भिगो देती और लार से ही उसे खुरचकर साफ़ कर लेती।" (सहीह)

इस्लामी चिकित्सा विज्ञान

हदीस सहीह बुखारी 3320: पैगंबर ने कहा "यदि तुम में से किसी के पीने के पानी में कोई मक्खी गिर जाए, तो उसे उसे (पानी में) डुबो देना चाहिए, क्योंकि उसके एक पंख में बीमारी है और दूसरे में बीमारी का इलाज है।" **[हदीस अबू दाऊद 3844 – यही बयान]**

हदीस अन-नसाई 5116: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "सबसे अच्छे प्रकार के सुरमा जो आप उपयोग करते हैं वह इथ्मीद (एंटीमनी) है; यह दृष्टि को उज्ज्वल करता है और बालों (आंखों की पलकों) को बढ़ाता है।" [**तिर्मिज़ी 1757: यही बयान]**

सहीह बुखारी 5769: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना, "अगर कोई सुबह सात अजवा खजूर खाए, तो उस दिन न तो जादू और न ही ज़हर उसे नुकसान पहुँचाएगा।**" (यही जानकारी: साहिह बुखारी 5445, 5768, 5779: अबू दाऊद 3876**)

हदीस सहीह बुखारी 6802, 6803: अनस ने रिवायत किया: उकल जनजाति के कुछ लोग पैगंबर (स.) के पास आए और इस्लाम धर्म अपना लिया। मदीना की जलवायु उन्हें रास नहीं आई, इसलिए पैगंबर (स.) ने उन्हें दान के ऊँटों के पास जाने और उनका दूध और मूत्र (दवा के रूप में) पीने का आदेश दिया। उन्होंने ऐसा किया, और जब वे अपनी बीमारी से ठीक हो गए (स्वस्थ हो गए) तो वे मुकर गए (इस्लाम से धर्मत्यागी बन गए) और ऊँटों के चरवाहे को मार डाला और ऊँटों को ले गए। पैगंबर (स.) ने (कुछ लोगों को) उनका पीछा करने के लिए भेजा और इसलिए उन्हें (पकड़ कर) लाया गया, और पैगंबरों ने आदेश दिया कि उनके हाथ और पैर काट दिए जाएँ और उनकी आँखों को गर्म लोहे के टुकड़ों से दाग दिया जाए, और उनके कटे हुए हाथ और पैर को तब तक न दागा जाए, जब तक कि वे मर न जाएँ। [**यही जानकारी: हदीस तिर्मिज़ी 2042, तफ़सीर इब्न कथिर कुरान 5:33]**

हदीस तिर्मिज़ी 2041: अबू हुरैरा (रज़ि) ने बताया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "इस काले बीज (कलौंजी) का इस्तेमाल करो। क्योंकि इसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय अस-सम के और अस-सम मौत है।

पैगंबर (स.) के थूक और उनके धुले हुए पीने से इलाज:

हदीस सहीह बुखारी 2942: .....किसी ने उन्हें बताया कि उन्हें आंखों की परेशानी है। इसलिए, उन्होंने उन्हें अली को अपने सामने लाने का आदेश दिया। फिर पैगम्बर (स.) ने उनकी आंखों में थूका और उनकी आंखें तुरंत ठीक हो गईं जैसे कि उन्हें कभी आंखों की कोई परेशानी नहीं थी। ...।"

हदीस सहीह बुखारी 187: अल्लाह के रसूल (स.) दोपहर के समय हमारे पास आए और उनके लिए वुज़ू का पानी लाया गया। उनके वुज़ू करने के बाद, बचा हुआ पानी लोगों ने लिया और अपने शरीर पर मलना शुरू कर दिया (एक बरकत के तौर पर)। पैगंबर (स.) ने ज़ुहर की नमाज़ की दो रकात और फिर अस्र की नमाज़ की दो रकात अदा की, जबकि उनके सामने एक छोटा भाला (या छड़ी) (सूत्र के तौर पर) रखा हुआ था।

हदीस सहीह बुखारी 189: महमूद बिन अर-रबी` जो वह व्यक्ति था जिसके चेहरे पर पैगंबर (स.) ने अपने परिवार के कुएं से पानी का एक घूंट थूका था, जब वह एक लड़का था, और `उरवा (अल-मिस्वर और अन्य के अधिकार पर) जिन्होंने एक दूसरे की गवाही दी, ने कहा, "जब भी पैगंबर (स.) ने वुज़ू किया (प्रार्थना से पहले चेहरा, हाथ, पैर धोना), तो उनके साथी पानी के बचे हुए हिस्से के लिए लगभग लड़ रहे थे।" [**यही जानकारी, सहीह बुखारी 188, 4328]**

हदीस सहीह बुख़ारी 4102: जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रिवायत किया...फिर वह उनके (यानी पैगंबर (स.) के लिए आटा लेकर आई, और उन्होंने उसमें थूका और उसमें अल्लाह की रहमत मांगी। फिर वह हमारे मिट्टी के बर्तन की ओर बढ़े और उसमें थूका और उसमें अल्लाह की रहमत मांगी। फिर उन्होंने (मेरी पत्नी से) कहा। अपने साथ पकाने के लिए एक महिला नानबाई को बुलाओ...

हदीस सहीह बुख़ारी 3909: "मैं `अब्दुल्लाह बिन अज़-ज़ुबैर को गर्भ में लिए हुई थी। मैं पूरी गर्भावस्था की अवस्था में मदीना की ओर हिजरत कर गई और क़ुबा में ठहरी, जहाँ मैंने उसे जन्म दिया। फिर मैं उसे पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पास लाई और उसे आपकी गोद में रख दिया। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने एक खजूर मँगवाई, उसे चबाया और उसका कुछ रस बच्चे के मुँह में डाल दिया। इस प्रकार बच्चे के पेट में जाने वाली पहली चीज़ अल्लाह के रसूल (स.) की लार थी। फिर पैग़म्बर (स.) ने खजूर से बच्चे के तालू को मला और उसके लिए बरकत की दुआ की। और वह इस्लामी भूमि (यानी मदीना) में मुहाजिरों में पैदा होने वाला पहला बच्चा था।"

सीरा (जीवनी): मुहम्मद (स.)- अल्लाह के रसूल, कादी इयाद के अश-शिफा द्वारा (पृष्ठ 163, 1992): उन्होंने अनस के घर में एक कुएँ में थूका और मदीना में उससे मीठा पानी नहीं था। एक बार पैगंबर एक पानी के पास से गुज़र रहे थे और उन्होंने इसके बारे में

पूछा। उन्हें बताया गया कि इसका नाम बलसन (काला बुज़ुर्ग) है और इसका पानी खारा है। उन्होंने कहा, "यह नुमान है और इसका पानी अच्छा है।" यह अच्छा हो गया। वह ज़मज़म से एक बाल्टी पानी लाया और उसमें थूका। यह कस्तूरी से भी मीठा हो गया।

कब्र में सांप और बिच्छू बुरे मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे

हदीस सहीह बुखारी 6366: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: यहूदी महिलाओं में से दो बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं और बोलीं, "मरे हुओं को उनकी कब्रों में सज़ा दी जाती है," लेकिन मुझे लगा कि वे झूठ बोल रही हैं और मैंने शुरू में उन पर यकीन नहीं किया। जब वे चली गईं और पैगंबर (स.) मेरे पास आए, तो मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! दो बूढ़ी औरतें..." और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, "उन्होंने सच कहा; मुर्दों को वास्तव में सज़ा दी जाती है, इस हद तक कि सभी जानवर उनकी सज़ा (से उत्पन्न होने वाली आवाज़) सुनते हैं।" तब से मैंने हमेशा उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में कब्र की सज़ा से अल्लाह की शरण मांगते देखा है। [**हदीस सहीह बुखारी 1373, सहीह मुस्लिम 1319: मिलती-जुलती**]

शैतान हर जगह है

हदीस सहीह मुस्लिम 7108: अल्लाह के रसूल (स.) ने फ़रमाया: तुममें से ऐसा कोई नहीं जिसके साथ कोई जिन्न (शैतान) न हो। उन्होंने (साथियों ने) कहा: अल्लाह के रसूल, क्या आपके भी साथ है? इस पर उन्होंने कहा: "हाँ", लेकिन अल्लाह मेरी उसके खिलाफ़ मदद करता है और इसलिए मैं उसके हाथ से सुरक्षित हूँ और वह (शैतान) मुझे अच्छे के लिए ही हुक्म देता है

हदीस अन- नसाई 3412: आयशा (रज़ि) ने कहा: "मैंने अल्लाह के रसूल को खोजा और मैंने अपना हाथ उनके बालों पर रखा।" उन्होंने कहा: " तुम्हारा शैतान तुम्हारे पास आ गया है।" मैंने कहा: "क्या आपके पास कोई शैतान नहीं है" उन्होंने कहा: "हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की, इसलिए उसने (शैतान) मेरी आज्ञा मान ली।" (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 5264: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: अपने बाएं हाथ से मत खाओ, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है।

हदीस सहीह बुखारी 1144: एक व्यक्ति का जिक्र पैगंबर (स.) के सामने किया गया और उसे बताया गया कि वह सुबह तक सोता रहा और नमाज़ के लिए नहीं उठा। पैगंबर ने कहा, "शैतान ने उसके कानों में पेशाब कर दिया।" [**साहिह बुखारी 3270, इब्न माजा 1330: मिलती-जुलती]**

सहीह मुस्लिम 856: अल्लाह के रसूल (स.) से कहा: जब शैतान अज़ान सुनता है, तो वह पीछे हवा (पाद) छोड़ता है ताकि अज़ान सुनाई न दे, लेकिन जब अज़ान समाप्त हो जाती है तो वह पीछे मुड़ता है और (नमाज़ करने वालों के दिमाग) को विचलित करता है, और जब वह इकामा सुनता है, तो वह फिर से भाग जाता है ताकि उसकी आवाज़ न सुन सके और जब वह शांत हो जाती है, तो वह वापस आता है और (नमाज़ के लिए खड़े लोगों के दिमाग) को विचलित करता है। [**हदीस अन-नसाई 671: यही बयान]**

सहीह बुखारी 3295: पैगंबर (स.) ने कहा, "यदि आप में से कोई व्यक्ति नींद से उठता है और वुज़ू करता है, तो उसे अपनी नाक में पानी डालकर धोना चाहिए और फिर तीन बार उसे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि शैतान पूरी रात उसकी नाक के ऊपरी हिस्से में रहता है।

सहीह बुखारी 7171: पैगंबर (स.) ने कहा, "शैतान मानव शरीर में रक्त की तरह घूमता है।"

सहीह मुस्लिम 5246: जाबिर ने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए बताया: बर्तनों, पानी की थैलियों को ढक दो, दरवाज़े बंद कर दो और चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान पानी की थैलियों को नहीं खोलता, दरवाज़ा नहीं खोलता और बर्तनों को नहीं खोलता। और अगर तुममें से कोई इसे अच्छी तरह से ढकने के लिए कुछ न पा सके, तो उसे इसे लकड़ी के टुकड़े से ढक देना चाहिए। कुतैबा ने अपने द्वारा प्रसारित हदीस में दरवाजे बंद करने का उल्लेख नहीं किया।

हदीस सहीह बुखारी 3269: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "तुम्हारी नींद के दौरान शैतान तुममें से हर एक के सिर के पीछे तीन गांठें बांध देता है, और वह हर गांठ पर ये शब्द बोलता है, 'रात बहुत लंबी है, इसलिए सोते रहो,' अगर वह व्यक्ति जागता है और अल्लाह की प्रशंसा करता है, तो एक गांठ खुल जाती है, और जब वह वुज़ू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है, और जब वह नमाज़ पढ़ता है, तो सभी गांठें खुल जाती हैं, और वह सुबह जीवंत और अच्छे मूड में उठता है, अन्यथा वह उदास और सुस्त होकर उठता है।"

हदीस अबू दाऊद 646: सईद इब्न अबू सईद अल-मकबूरी ने अपने पिता के हवाले से बताया कि उसने पैगंबर (स.) के आज़ाद गुलाम अबू रफी को हसन इब्न अली (रज़ि) के पास से गुजरते देखा, जब वह नमाज़ अदा कर रहे थे। उन्होनें अपने बालों की पिछली गाँठ बाँध रखी थी। अबू रफी ने उसे खोल दिया। हसन गुस्से से उसकी ओर मुड़े, अबू रफी ने उनसे कहा: अपनी नमाज़ पर ध्यान लगाओ और नाराज़ मत हो: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना कि: यह शैतान का बैठने का स्थान है, बालों की पिछली गाँठ का जिक्र करते हुए।

हदीस तिर्मिज़ी 3459: अबू हुरैरा (रज़ि) ने बयान किया कि: पैगंबर ने कहा: "जब तुम मुर्गों की बांग सुनो, तो अल्लाह से उसकी कृपा के बारे में पूछो, क्योंकि उसने निश्चित रूप से एक फ़रिश्ता देखा है। जब तुम गधे की रेंक सुनो, तो शैतान [अस्वीकार किए गए] से अल्लाह की शरण मांगो, क्योंकि उसने निश्चित रूप से एक शैतान देखा है।" (सहीह) **[सहीह बुखारी 3303: यही जानकारी]**

सहीह मुस्लिम 5303: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना: शैतान तुममें से सभी के हर काम में मौजूद है; वह (शैतान) तब भी मौजूद रहता है जब कोई खाना खाता है; इसलिए अगर तुममें से कोई अपना मुँह का खाना गिरा दे तो उसे चाहिए कि उस पर लगी गंदगी को हटा दे और उसे खा ले और शैतान के लिए न छोड़े; और जब खाना खा ले तो उसे अपनी उंगलियाँ चाटनी चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके खाने के किस हिस्से में बरकत है।

संभोग करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें, नहीं तो शैतान...

हदीस इब्न माजा 1919: पैगंबर ने कहा: "जब तुम में से कोई अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है, तो उसे कहना चाहिए: **अल्लाहुम्मा जन्निबनिश-शैताना वा जन्निबिश-शैताना मा रजाक्तानी** (ऐ अल्लाह, शैतान को मुझसे दूर रख और शैतान को उससे दूर रख जिससे तू मुझे नवाज़े)।' फिर अगर उनके पास कोई बच्चा हो, तो अल्लाह कभी भी शैतान को उस पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं

देगा या वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा।" [**हदीस सहीह मुस्लिम 3533, सहीह बुखारी 6388: यही जानकारी)**

हदीस सहीह बुखारी 3286: पैगम्बर (स.) ने कहा, "जब कोई इंसान पैदा होता है। शैतान अपनी दो उंगलियों से उसके शरीर के दोनों तरफ़ छूता है, सिवाय मरियम के बेटे ईसा के, जिसे शैतान ने छूने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि उसने प्लेसेंटा-कवर को छू लिया।" [**सहीह बुखारी 3431, मिलती-जुलती]**

अल्लाह की तरफ से छींक, शैतान की तरफ से जम्हाई:

सहीह बुखारी 6226: पैगंबर (स.) ने कहा, "अल्लाह छींकना पसंद करता है लेकिन जम्हाई लेना नापसंद करता है; इसलिए यदि तुममें से कोई छींकता है और फिर अल्लाह की प्रशंसा करता है, तो हर मुसलमान जो उसे (अल्लाह की प्रशंसा करते हुए) सुनता है, उसे तश्मित कहना चाहिए। लेकिन जम्हाई के मामले में, यह शैतान की ओर से है, इसलिए यदि तुममें से कोई जम्हाई लेता है, तो उसे इसे रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तुममें से कोई जम्हाई लेता है, तो शैतान उस पर हंसता है।" [**हदीस तिर्मिज़ी 2746, सहीह बुखारी 3289: यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 7491: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जब तुम में से कोई जम्हाई ले, तो उसे अपने हाथ की मदद से अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि शैतान उसमें प्रवेश करता है। [**सहीह मुस्लिम 7493, अबू दाऊद 5026, यही जानकारी]**

हदीस सहीह बुखारी 1210: अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है: पैगम्बर (स.) ने एक बार नमाज़ अदा की और कहा, "शैतान मेरे सामने आया और मेरी नमाज़ में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस पर बढ़त दी और मैंने उसका गला घोंट दिया। बेशक, मैंने उसे मस्जिद के एक खंभे से बांधने के बारे में सोचा जब तक कि तुम सुबह उठकर उसे न देख लो। फिर मुझे पैगम्बर सुलैमान का कथन याद आया, 'मेरे रब! मुझे ऐसा राज्य प्रदान करो जो मेरे बाद किसी और का न हो।' फिर अल्लाह ने उसे (शैतान को) सिर झुकाकर (अपमानित) लौटा दिया।" [**सहीह मुस्लिम 1209: यही बयान]**

बुरे सपने:

हदीस सहीह बुखारी 5747, 6995: मैंने पैगंबर (स.) को यह कहते हुए सुना, "एक अच्छा सपना अल्लाह की ओर से है, और एक बुरा सपना शैतान की ओर से है। इसलिए यदि तुममें से कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे नापसंद हो, तो जब वह उठे तो उसे चाहिए कि वह तीन बार (अपनी बाईं ओर) फूंक मारे और उस बुराई से अल्लाह की शरण मांगे, क्योंकि तब वह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी।"

अध्याय 7. अल्लाह का एकमात्र कानून शरिया है

इस्लामी मान्यता के अनुसार, पैगम्बर मुहम्मद (स.) अंतिम संदेशवाहक थे और कुरान ईश्वर की ओर से अंतिम पुस्तक है (संसार के अंत तक)। साथ ही, पैगम्बर मुहम्मद (स.) और उसके अन्य साथियों (सहाबा) के जीवन को एक बेहतरीन नमूना माना जाता है जिसकी हर मुसलमान को नकल करना चाहिए। आज भी कई देश इन इस्लामी सिद्धांतों (**शरिया**) से शासित हैं जैसे, ईरान, तालिबान।

शरिया (इस्लामी कानून)

"शरिया या इस्लामी कानून, मुस्लिम जीवन के लगभग सभी पहलुओं के लिए नैतिक और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है; विवाह और तलाक से लेकर विरासत और अनुबंधों से लेकर आपराधिक दंड तक। शरिया, कुरान में निर्धारित सिद्धांतों और पैगंबर मुहम्मद (स.) द्वारा किए गए कार्यों के उदाहरणों (सुन्नत, हदीसों में लिखी बातें) पर आधारित है।"

फ़िक़्ह: इस्लाम में ज्ञान या नियमों का संग्रह है जिसके ज़रिए मुसलमान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह जानता है कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। फ़िक़्ह चार मुख्य स्रोतों से बनती है:

1. क़ुरआन
2. हदीस (पैग़म्बर मुहम्मद [स.] की बातें और अमल)
3. इज्मा (उलेमा जब किसी मुद्दे पर इकट्ठे होकर एक राय बनाएं)
4. क़ियास (तुलना / तर्क आधारित नियम, नए मसलों को पुरानी मिसालों से जोड़कर फैसला करना)

चार सुन्नी फिक्ह: हनफ़ी, शाफ़ई, मलिकी, हंबली
शिया फिक्ह: जाफ़री

शाफ़ई फ़िक़्ह : उम्दत अल-सालिक वा उद्दत अल-नासिक (***अंग्रेज़ी नाम: रिलायन्स ऑफ़ द ट्रैवलर***)

लोकतंत्र और इस्लाम

इस्लामी कानून के तहत किसी भी मानव निर्मित कानून व्यवस्था को अवैध माना जाता है। अल्लाह ने पहले से ही **एकमात्र अनुमत कानून, शरिया** प्रदान किया है। इसलिए, इस्लाम और पश्चिमी शैली का लोकतंत्र कभी भी सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते ।

कुरान 4:1: (यह) एक सूरा (कुरान का अध्याय) है जिसे हमने उतारा है और जिसका आदेश दिया है, (इसके नियम निर्धारित किए हैं); और इसमें हमने स्पष्ट आयतें (प्रमाण, आयतें, सबक, निशानियाँ, वैध और अवैध चीजें, और इस्लामी धर्म की सीमाएँ निर्धारित की हैं), ताकि तुम याद रखो।

कुरान 25:52: इसलिए काफ़िरों की बात न मानो, बल्कि उनके खिलाफ़ पूरी कोशिश से उसी (कुरान) से जंग करो।

चोरी

कुरान 5:38: और चोर और चोरनी दोनों के दाहिने हाथ काट दो, यह उनके कर्मों का बदला है। यह अल्लाह की ओर से एक उदाहरण के रूप में दंड है ।

कुरान 5:33: उनके हाथ और पैर विपरीत दिशाओं से काट दिए जाएँ ।

सहीह बुखारी 6800: पैगंबर (स.) ने एक महिला का हाथ काट दिया, और वह महिला मेरे पास आती थी, और मैं उसका संदेश पैगंबर (स.) तक पहुंचाती थी और उसने पश्चाताप किया, और उसका पश्चाताप ईमानदार था। [**हदीस अन- नसाई 4907: मिलती-जुलती]**

हदीस अन-नसाई 4895: जाबिर से वर्णित है कि: बनू मखज़ूम की एक महिला ने (कुछ) चुराया, और उसे पैगंबर (स.) के पास लाया गया। उसने उम्म सलमा से सुरक्षा मांगी, लेकिन पैगंबर (स.) ने कहा: "अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद चोरी करेगी, तो मैं उसका हाथ काट दूंगा।" और उन्होंने आदेश दिया कि उसका हाथ काट दिया जाए। (सहीह) [**सहीह मुस्लिम 4413, सहीह बुखारी 4304, अन-नसाई 4899, यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 4408 (INT _1687a): अबू हुरैरा (रज़ि) ने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए वर्णित किया: उस चोर पर अल्लाह की लानत हो जो अंडा चुराए और उसका हाथ काट दिया जाए, और एक रस्सी चुराए और उसका हाथ काट दिया जाए। [**सहीह बुखारी 6783, अन- नसाई 4877, इब्न माजा 2583, यही बयान]**

हदीस अन-नसाई 4935: अल्लाह के रसूल ने कहा: 'एक ढाल की कीमत के लिए चोर का हाथ काट दिया जाना चाहिए, और एक ढाल की कीमत एक दीनार का एक चौथाई है।" [**सहीह बुखारी 6791, 6796, अन- नसाई 4916: मिलती-जुलती]**

हदीस अबू दाऊद 4410: एक चोर को पैगंबर (स.) के पास लाया गया, उन्होंने कहा: इसे मार दो। सहाबा ने कहा: इसने चोरी की है, अल्लाह के रसूल! फिर उन्होंने कहा: इसका हाथ काट दो। तो उसका (दाहिना) हाथ काट दिया गया । उसे दूसरी बार लाया गया और उन्होंने कहा: इसे मार दो। सहाबा ने कहा: इसने चोरी की है, अल्लाह के रसूल! फिर उन्होंने कहा: इसका पैर काट दो। तो उसका (बायां) पैर काट दिया गया। उसे तीसरी बार लाया गया और उन्होंने कहा: इसे मार दो। सहाबा ने कहा: इसने चोरी की है, अल्लाह के रसूल! तो उन्होंने कहा: इसका हाथ काट दो । (तो उसका (बायां) हाथ काट दिया गया ।) उसे चौथी बार लाया गया और उन्होंने कहा: इसे मार दो। सहाबा ने कहा: इसने चोरी की है, अल्लाह के रसूल! तो उन्होंने कहा: इसका पैर काट दो । (तो उसका (दाहिना) पैर काट दिया गया ।) जब वह पाँचवी बार लाया गया तो उन्होंने कहा: इसे मार डालो। तो हमने उसे ले जाकर मार डाला। फिर हमने उसे घसीटकर एक कुएँ में डाल दिया और उस पर पत्थर फेंके। (हसन)

****सवाल यह है कि बिना हाथ-पैर वाला व्यक्ति चोरी कैसे कर सकता है**

अवैध यौन संबंध

कुरान 24:2: जो अविवाहित स्त्री या पुरुष संभोग का दोषी पाया जाए - उनमें से हर एक को सौ कोड़े मारो, और अल्लाह के दीन में उन पर तरस न खाओ, यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करते हो। और ईमान वालों का एक समूह उनकी सज़ा का गवाह बने ।

(यह सज़ा उपरोक्त अपराध के दोषी **अविवाहित** व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यदि विवाहित व्यक्ति अवैध यौन संबंध करते हैं, तो सज़ा अल्लाह के कानून के अनुसार उन्हें पत्थर मारकर मार डालना है)

हदीस अबू दाऊद 4473: अल्लाह के रसूल (स.) के घर की एक दासी ने व्यभिचार किया। उन्होंने (पैगंबर स.) ने कहा: जल्दी करो, अली, और उस पर निर्धारित दंड लगाओ। फिर मैं जल्दी से गया, और देखा कि उससे खून बह रहा था, और रुक नहीं रहा था। इसलिए, मैं उनके (पैगंबर स.) पास गया और उन्होंने कहा: क्या तुमने (उसे दंड देना) समाप्त कर दिया है? मैंने कहा: मैं उसके पास गया था, उसको खून बह रहा था। उन्होंने कहा: जब तक उसका खून बहना बंद न हो जाए, उसे अकेला छोड़ दो; फिर उस पर निर्धारित दंड लगाओ। और उन लोगों पर निर्धारित दंड लगाओ जो तुम्हारे दाहिने हाथों के अधीन हैं (यानी दासी)। **[सहीह मुस्लिम 4450: मिलती-जुलती]**

हदीस सहीह मुस्लिम 7023: एक व्यक्ति पर अल्लाह के रसूल (स.) की दासी के साथ व्यभिचार का आरोप लगाया गया था, और उसने बच्चे को जन्म दिया था। अतः अल्लाह के रसूल (स.) ने अली (रज़ि) से कहा: जाओ और उस व्यक्ति की गर्दन पर वार करो। अली (रज़ि) उसके पास आए और उसे एक कुएँ में ठंडक लेते हुए पाया। अली (रज़ि) ने उससे कहा: बाहर आओ। इसलिए उन्होंने उसे अपना हाथ दिया और बाहर निकाला, और पाया कि वह कटा हुआ था और उसके पास लिंग नहीं था। इसलिए अली (रज़ि) रुक गए, फिर वह पैगंबर के पास आए (स.) और कहा: हे अल्लाह के रसूल, वह कटा हुआ है और उसके पास लिंग नहीं है।

रजम: पत्थर मारकर मौत की सज़ा

कुरान 6:151: ... अल-फवाहिश (शर्मनाक पाप, यौन संभोग, आदि) के निकट न आओ, चाहे खुले तौर पर या गुप्त रूप से किया गया हो, और किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, सिवाय उचित कारण के (इस्लामी कानून के अनुसार) । उसने तुम्हें यह आदेश दिया है ताकी तुम समझ सको ।

हदीस तिर्मिज़ी 1431: उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि) ने कहा: "अल्लाह के रसूल (स.) ने पत्थर मारे, अबू बकर (रज़ि) ने पत्थर मारे, और मैंने पत्थर मारे। अगर मुझे यह नापसंद न होता कि मैं अल्लाह की किताब में कुछ और जोड़ूं, तो मैंने इसे मुशहफ (कुरान) में लिख दिया होता, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसे लोग आएंगे और उन्हें यह अल्लाह की किताब में नहीं मिलेगा, तो वे इसका इनकार करेंगे।"

"मुहम्मद (स.) का जीवन", इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 684: अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को भेजा और उन पर कुरान उतारा। उसने जो कुछ भेजा, उसका एक हिस्सा पत्थर मारने का था; हमने इसे पढ़ा, हमें सिखाया गया, और हमने इसका पालन किया। रसूल (स.) ने (व्यभिचारियों को) पत्थर मारे और हमने उसके बाद उन्हें पत्थर मारे। मुझे डर है कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि उन्हें अल्लाह की किताब में पत्थर मारने का कोई उल्लेख नहीं

मिलता और इस तरह वे अल्लाह द्वारा भेजे गए आदेश की उपेक्षा करके गुमराह हो जाएंगे। वास्तव में अल्लाह की किताब में पत्थर मारना विवाहित पुरुषों और महिलाओं पर लगाया गया दंड है जो व्यभिचार करते हैं, अगर सबूत मौजूद है या गर्भावस्था स्पष्ट है या स्वीकारोक्ति की गई है।

हदीस सहीह मुस्लिम 4416: जब भी अल्लाह के रसूल (स.) को वह्य प्राप्त होती थी, तो वह इसकी कठोरता महसूस करते थे और उनके चेहरे का रंग बदल जाता था । एक दिन उन पर वह्य उतरी, उन्होंने वही कठोरता महसूस की। जब यह खत्म हो गइ और उन्हें राहत महसूस हुई, तो उन्होंने कहा: मुझसे सिखो "वास्तव में अल्लाह ने उनके लिए (व्यभिचार करने वाली महिलाओं के लिए) एक तरीका निर्धारित किया है: (जब) एक विवाहित पुरुष एक विवाहित महिला के साथ (व्यभिचार करता है) और एक अविवाहित पुरुष एक अविवाहित महिला के साथ, तो विवाहित (व्यक्तियों) के मामले में एक सौ कोड़े और फिर पत्थर मार कर मौत के घाट उतारने की सजा है और अविवाहित व्यक्तियों के मामले में, (सजा) एक सौ कोड़े और एक वर्ष के लिए निर्वासन है।
[यहाँ भी देखें: हदीस सहीह बुखारी 6813, 6831, 6832]

हदीस अबू दाऊद 4440: जुहैना जनजाति की एक महिला पैगंबर (स.) के पास आई और कहा कि उसने व्यभिचार किया है और वह गर्भवती है। अल्लाह के रसूल (स.) ने उसके संरक्षक को बुलाया। तब अल्लाह के रसूल (स.) ने उससे कहा: उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, और जब वह एक बच्चे को जन्म दे, तो उसे (मेरे पास) ले आओ। जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो वह उसे (आपके पास) ले आए। पैगंबर (स.) ने उसके बारे में आदेश दिया, और उसके कपड़े उसके साथ बाँध दिए गए। फिर आपने उसके बारे में आदेश दिया और उसे पत्थर मारकर मार डाला गया। आपने लोगों को (प्रार्थना करने का) आदेश दिया..इस पर उमर (रज़ि) ने कहा: क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल, जबकि उसने व्यभिचार किया है? आप (स.) ने कहा: उस की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने (महिला) इतनी तौबा कर ली है कि अगर उसे मदीना के सत्तर लोगों में बाँट दिया जाता तो वह उन सबके लिए काफ़ी होती और तुमने उससे बढ़कर भी कोई देखा है कि उसने अपनी जान दे दी। (सहीह)
[यहाँ भी देखें: हदीस अबू दाऊद 4443, हदीस इब्न माजा 2555, सहीह बुखारी 6814]

हदीस सहीह बुखारी 7332: एक यहूदी, एक पुरुष और एक महिला को, जिन्होंने अवैध संभोग किया था, पैगंबर (स.) के पास लाए और पैगंबर (स.) ने उन्हें पत्थर मारकर मार डालने का आदेश दिया, और उन्हें मस्जिद के पास पत्थर मारकर मार डाला गया जहां अर्थी रखी जाती थी।

सहीह बुखारी 6825: लोगों में से एक आदमी, अल्लाह के रसूल (स.) के पास आया, जबकि अल्लाह के रसूल (स.) मस्जिद में बैठे थे, और उनसे संबोधित करते हुए कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! मैंने अवैध संभोग किया है।" पैगंबर (स.) ने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। वह आदमी उस तरफ आया, जिस तरफ पैगंबर (स.) ने अपना चेहरा किया था, और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! मैंने अवैध संभोग किया है।" पैगंबर (स.) ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, और वह आदमी उस तरफ आया, और जब उसने चार बार कबूल किया, तो पैगंबर (स.) ने उसे बुलाया और कहा, "क्या तुम शादीशुदा हो?" उसने कहा, "हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल (स.)। पैगंबर (स.) ने (लोगों से) कहा, "उसे ले जाओ और उसे पत्थरों से मार डालो।" इब्न शिहाब ने कहा, "मुझे जाबिर को सुनने वाले ने बताया, कि जाबिर ने कहा, 'मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उस आदमी को पत्थर मारे थे, और हमने उसे मुसल्ला (ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह) में पत्थर मारे थे, और जब वह पत्थरों से परेशान हो गया, तो तेज़ी से कूद गया और भाग गया, लेकिन हमने उसे अल-हररा में पकड़ लिया और उसे पत्थरों से मार डाला।'" **[सहीह मुस्लिम 4420 (INT 1691c): यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 4432 (INT 1695b मा'इज़ बिन मालिक अल-असलामी अल्लाह के रसूल (स.) के पास आए और कहा:

अल्लाह के रसूल, मैंने अपने साथ अन्याय किया है; मैंने व्यभिचार किया है और मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि आप मुझे पवित्र करें। आपने उसे दूर कर दिया। अगले दिन, वह (मा'इज़) फिर उनके पास आए और कहा: अल्लाह के रसूल, मैंने व्यभिचार किया है। अल्लाह के रसूल ने उसे दूसरी बार दूर कर दिया, और उसके लोगों से पूछवाया: क्या आप जानते हैं कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसमें ऐसी किसी भी बात से इनकार किया और कहा: जहां तक हम समझ सकते हैं, वह हमारे बीच एक बुद्धिमान अच्छे आदमी के रूप में है। वह (मा'इज़) तीसरी बार आए, आपने उसके बारे में पूछवाया और लोगों ने बताया कि उसके उसके दिमाग के साथ में कुछ भी गलत नहीं है। जब यह चौथी बार हुआ, तो उसके लिए एक खाई खोदी गई और आप (पवित्र पैगंबर) ने उसके बारे में फैसला सुनाया और उसे पत्थरों से मार दिया गया।

हदीस सहिह बुखारी 2724: एक बद्दू अल्लाह के रसूल (स.) के पास आया और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे मामले का फैसला अल्लाह के कानून के मुताबिक करें।" उसका विरोधी, जो उससे ज़्यादा विद्वान था, बोला, "हाँ, अल्लाह के कानून के मुताबिक हमारे बीच फैसला करें और मुझे बोलने की इजाज़त दें।" अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "बोलो।" उसने (यानी दूसरा आदमी) कहा, "मेरा बेटा इस (बद्दू) के लिए मज़दूरी करता था और इसने (बेटे ने) उसकी बीवी के साथ अवैध संभोग किया। लोगों ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को पत्थर मारकर मार डालना वाजिब है, इसलिए इसके बदले में मैंने अपने बेटे को सौ भेड़ें और एक लौंडी देकर छुड़ाया। फिर मैंने धार्मिक विद्वानों से इसके बारे में पूछा, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को सौ कोड़े मारे जाने चाहिए और एक साल के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए, और इस (बद्दू) की पत्नी को पत्थर मारकर मार डाला जाना चाहिए।" अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "उसकी कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक तुम्हारे बीच फैसला करूंगा। दासी और भेड़ तुम्हें लौटा दी जाएंगी, तुम्हारे बेटे को सौ कोड़े लगाए जाएंगे और एक साल के लिए निर्वासित किया जाएगा। तुम, उनैस, इस (बद्दू) की पत्नी के पास जाओ और अगर वह अपना गुनाह कबूल कर ले, तो उसे पत्थरों से मार डालो।" अगली सुबह उनैस उस महिला के पास गए और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल (स.) ने आदेश दिया कि उसे पत्थरों से मार डाला जाए।

हदीस सहीह बुखारी 6823: "अगर कोई व्यक्ति शरीअत की सज़ा (हद) का इक़रार कर दे लेकिन यह न बताए कि वह गुनाह क्या है, तो क्या हाकिम (शासक/इमाम) उसकी पर्दादारी कर सकता है?" जब मैं पैग़म्बर (स.) के साथ था, एक आदमी आया और बोला: "ऐ अल्लाह के रसूल ((स.))! मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया है जिस पर शरीअत के अनुसार सज़ा (हद्द) लागू होती है, कृपया मुझ पर वह सज़ा लागू कीजिए।" पैग़म्बर (स.) ने उससे यह नहीं पूछा कि उसने क्या गुनाह किया है। फिर नमाज़ का वक्त हुआ, और उस आदमी ने पैग़म्बर (स.) के साथ नमाज़ अदा की। जब नमाज़ खत्म हो गई, तो वह आदमी फिर खड़ा हुआ और बोला: "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! मुझसे एक शरीअत के अनुसार सज़ा वाला गुनाह हुआ है, कृपया अल्लाह के हुक्म के अनुसार मुझ पर वह सज़ा लागू कीजिए।" पैग़म्बर (स.) ने फ़रमाया: "क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी थी?" वह बोला: "जी हां।" पैग़म्बर (स.) ने फ़रमाया: "अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह माफ़ कर दिया है।" या फिर यह कहा: "तुम्हारा वह गुनाह जिसे शरीअत में सज़ा दी जाती है, माफ़ कर दिया गया है।"

हदीस तिर्मिज़ी 3112: अब्दुल्लाह से रिवायत है: "एक आदमी पैगंबर (स.) के पास आया और कहा: 'मैंने अल-मदीना के किनारे रहने वाली एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, और मैंने उसके साथ संभोग से कुछ कम किया, और मैं यहाँ हूँ, इसलिए आप मेरे मामले में जैसा चाहें फैसला करें।' तो उमर (रज़ि) ने उससे कहा: 'अल्लाह ने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें खुद को बचाना चाहिए था।' अल्लाह के रसूल (स.) ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी चला गया लेकिन अल्लाह के रसूल (स.) ने उसे बुलाने के लिए उसके पीछे एक आदमी भेजा। उन्होंने उसे सुनाया: 'और दिन के दोनों छोरों और रात के कुछ घंटों में नमाज़ (प्रार्थना) अदा करो। वास्तव में, अच्छे कर्म बुरे कर्मों को दूर कर देते हैं। यह आयत के अंत तक सचेत रहने वालों के लिए एक अनुस्मरण (यादगार) है **(Q 11:114)**। लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा: 'क्या यह उसके लिए विशिष्ट (खास) है?' आप (स.) ने कहा: 'नहीं। बल्कि सभी लोगों के लिए।'" (सहीह)

सर कलम करना

अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 76- 77: उन्होंने उन लोगों को, जिन्होंने इस्लाम के विरुद्ध काम किया था, आग में जलाकर, पत्थरों से कुचलकर, पहाड़ों से नीचे फेंककर, कुओं में फेंककर और तीरों से छेदकर विकृत कर दिया... अबू बकर (रज़ि) ने खालिद को लिखा, "अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें प्रदान की हैं, वे तुम्हारे लिए और बढ़ें!

अपने मामलों में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह निडर लोगों और अच्छे कर्म करने वालों के साथ है। अल्लाह के आदेश को गंभीरता से लो और लापरवाह मत बनो, क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विजयी नहीं हो सकते जिसने मुसलमानों से लड़ाई की हो, जब तक कि तुम उससे लड़ाई न करो और उसे उदाहरण के रूप में दंडित करके दूसरे को चेतावनी न दो। इसलिए, अल्लाह से दुश्मनी करने वालों या उसका विरोध करने वालों में से जिसे चाहो मार डालो, [यदि] तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से कुछ लाभ होगा।" उनमें से कुछ को जला दिया गया, कुछ को टुकड़ों में काट दिया गया, कुछ को चट्टानों से कुचल दिया गया और कुछ को पहाड़ों की चोटियों से फेंक दिया गया।

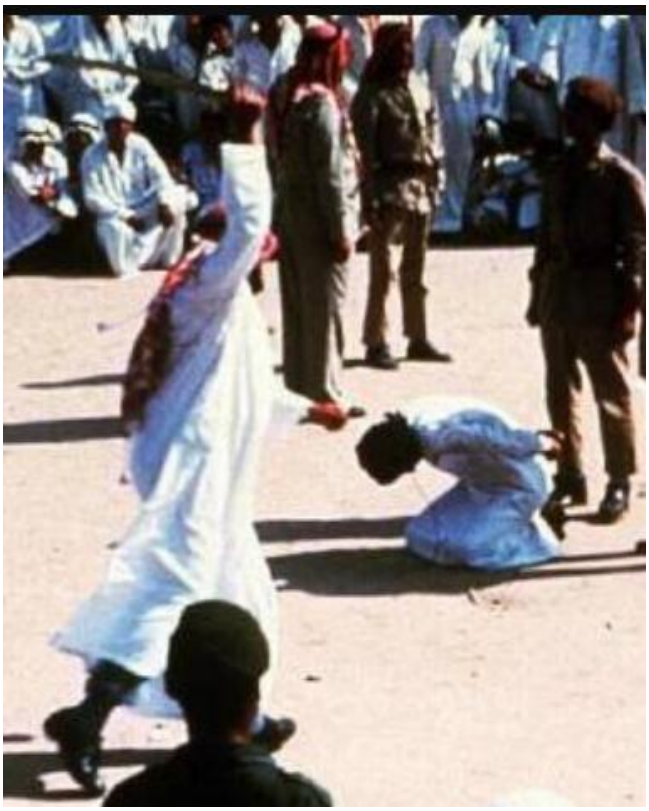

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 561-564 : पैगम्बर ने मक्का के आस-पास के क्षेत्र में सेना भेजी और लोगों को अल्लाह की ओर आमंत्रित किया: उन्होंने उन्हें युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। जब लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने हथियार पकड़ लिए और खालिद ने कहा, 'अपने हथियार डाल दो, क्योंकि सभी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है।'...बनू जदीमा के एक परंपरावादी जो हमारे साथियों में से एक थे, ने मुझे बताया: 'जब खालिद ने हमें अपने हथियार डालने का आदेश दिया तो हमारे एक आदमी जादम ने कहा, "दुःख हो तुम पर, बनू जदीमा ! यह खालिद है। यदि तुम अपने हथियार डाल दोगे तो तुम्हें बांध दिया जाएगा और बांध दिए जाने के बाद तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह की कसम, मैं अपने हथियार कभी नहीं डालूंगा।" उसके कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा "क्या तुम हमारा खून बहाना चाहते हो? बाकी सभी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है और अपने हथियार डाल दिए हैं; युद्ध खत्म हो गया है और सभी सुरक्षित हैं।" वे उसके हथियार छीनने की हद तक अड़े रहे और उन्होंने खालिद के कहने पर अपने हथियार डाल दिए।' जैसे ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए खालिद ने उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बांधने का आदेश दिया और उन्हें तलवार से मार डाला, उनमें से कई को मार डाला। जब यह खबर रसूल तक पहुंची तो उन्होंने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कहा 'हे अल्लाह, खालिद ने जो कुछ किया है, उसके लिए मैं तेरे सामने निर्दोष हूं'... याकूब बिन उतबा बिन अल-मुगीरा बिन अल -अखनास से अल-जुहरी से इब्न अबू हद्रद अल-अस्लामी ने बताया: मैं उस दिन खालिद की घुड़सवार सेना के साथ था, जब बनू जादिमा का एक युवक जो मेरी ही उम्र का था, मुझसे बात करने लगा। उसके हाथ उसकी गर्दन पर एक पुरानी रस्सी से बंधे हुए थे और महिलाएं थोड़ी दूर पर एक समूह में खड़ी थीं। उसने मुझसे कहा कि मैं रस्सी पकड़ कर उसे महिलाओं के पास ले जाऊं ताकि वह जो कहना चाहता है कह सके और फिर उसे वापस लाकर हम उसके साथ जो चाहें करें। जब वह उनके पास खड़ा हुआ तो उसने कहा, 'अलविदा हुबैशा, हालाँकि जीवन समाप्त हो गया है।' ... फिर मैं उसे ले गया और उसका सिर काट दिया गया। ...अबू फिरास बिन अबू सुंबुला अल-असलामी उनके कुछ शेखों में से एक ने जो मौजूद था, कहा: जब उसका सिर काटा जा रहा था तो वह उसके पास गई और उसके ऊपर झुकी और उसे तब तक चूमती रही जब तक कि वह उसके बगल में मर नहीं गई।

शराब पर प्रतिबंध: एक क्रमिक प्रक्रिया

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के समय शराब (अरबी: **खमर**) पीना अरब में आम था।

पहला चरण — शराब में निशानी है

क़ुरआन 6:67: "और खजूरों और अंगूरों के फलों से तुम नशीली चीज़ और अच्छा रिज़्क़ बनाते हो इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है।"

दूसरा चरण — शराब में नुकसान भी है, फ़ायदा भी

क़ुरआन 2:219: "वे तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कह दो: इनमें बड़ा गुनाह है, और लोगों के लिए कुछ फायदा भी है। मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत बड़ा है।"

तीसरा चरण — नशे की हालत में नमाज़ से रोक

क़ुरआन 4:43: "ऐ ईमान वालों! जब तुम नशे में हो तो नमाज़ के क़रीब न जाओ, जब तक कि यह न समझ सको कि क्या कह रहे हो..."

हदीस सहीह मुस्लिम 1985: अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने सहाबा को शराब पिलाई। एक आदमी ने नशे में नमाज़ पढ़ाई, उसने क़ुरआन की आयत को गलत पढ़ दिया।

चौथा चरण — साफ़ हराम कर देना

हदीस सहीह बुख़ारी 3072: हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं: "मैंने और पैग़म्बर के नौकर अबू राफ़े ने ऊँटनी को चरने के लिए छोड़ा, वह पैग़म्बर के लिए थी। हम्ज़ा (रज़ि.) ने शराब पी रखी थी। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और ऊँटनी को मार डाला, फिर उसके गुर्दे निकालकर खाने लगे। जब पैग़म्बर (स.) वहाँ आए, तो हम्ज़ा नशे में थे। जब रसूलुल्लाह ने उनसे बात करनी चाही तो हम्ज़ा ने गाली दी और कहा: 'तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो?' पैग़म्बर ने देखा कि वो नशे में हैं तो चुपचाप लौट आए।"

हदीस सहीह मुस्लिम 1987: इब्न उमर कहते हैं: "जब शराब अभी हराम नहीं हुई थी, तो सहाबा शराब पीते थे। फिर एक बार अंसार और मुहाजिर साथ में बैठे, शराब पी और शेख़ी बघारने लगे। फिर उनमें से एक ने ऊँची आवाज़ में शेर सुनाया और एक ने गाली दी, फिर हाथापाई हो गई। इसके बाद अल्लाह ने ये आयत उतारी: **Q5:90–91:** "ऐ ईमान वालों! शराब, जुआ, मूर्तियाँ और तीरों से क़िस्मत निकालना सब गंदे शैतानी काम हैं। इनसे दूर रहो, ताकि तुम्हें सफलता मिले। शैतान तो बस शराब और जुए के ज़रिए तुममें दुश्मनी और नफरत डालना चाहता है और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोकना चाहता है। तो क्या अब भी बाज़ नहीं आओगे?"

हदीस इब्न माजा 2572: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "यदि वह नशे में हो जाता है, तो उसे कोड़े मारो। अगर वह ऐसा दोबारा करता है, तो उसे कोड़े मारो। अगर वह ऐसा फिर करता है, तो उसे कोड़े मारो।' और उन्होंने चौथी बार के बारे में कहा: 'अगर वह ऐसा फिर करता है, तो उसकी गर्दन पर वार करो (यानी उसे मार डालो)। (सहीह) **[अबू-दाऊद, 4482: अन-नसाई 5665, तिर्मिज़ी 1444; यही बयान]**

हदीस इब्न माजा 2571: हुदैन बिन मुंधिर ने कहा: "जब वलिद बिन उकबा को उस्मान (रज़ि) के पास लाया गया, तो उन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी। उन्होंने अली (रज़ि) से कहा: 'तुम अपने चाचा के बेटे के करीब हो, इसलिए उस पर शराब पीने की सजा लागू करो।' तो अली (रज़ि) ने उसे कोड़े मारे। अली (रज़ि) ने चालीस कोड़े लगाए, और अबू बकर (रज़ि) ने चालीस कोड़े लगाए, और उमर (रज़ि) ने अस्सी कोड़े लगाए, ये सब सुन्नत हैं।'

हदीस सहीह मुस्लिम 4452 (INT 1706a): एक व्यक्ति जो शराब पी रहा था, उसे अल्लाह के रसूल (स.) के पास लाया गया। आपने उसे चालीस कोड़े और दो कोड़े मारे।

नबीद (खजूर/किशमिश को पानी में भिगो) पीना जायज़:
सहीह मुस्लिम 2004: हज़रत आयशा (रज़ि.) से रिवायत है कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के लिए रात में नबीद तैयार किया जाता था और आप उसे सुबह पी लेते थे; अगर बच जाता तो अगले दिन या तीसरे दिन तक पीते, फिर अगर रहता तो फेंक देते थे। (**सुनन अबू दाऊद 3719)**

12–24 घंटे के भीतर: अल्कोहल: ~0.2% – 0.5% (जायज़)
24–72 घंटे (या उससे ज़्यादा): अल्कोहल: ~1% – 3% या अधिक (नशीला बनते ही हराम)

कैदी और फिरौती

कुरान 8:67: यह किसी नबी के लिए उचित नहीं कि वह युद्धबंदियों को पकड़कर फिरौती देकर मुक्त कर दे, जब तक कि वह धरती में बड़ा कत्लेआम न मचा दे।

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 326-327: अल्लाह ने कहा, 'यह किसी भी नबी के लिए नहीं है कि वह अपने दुश्मनों को तब तक बंदी बनाए, जब तक कि वह धरती पर कत्लेआम न मचा दे, यानी अपने दुश्मनों को तब तक कत्ल करे, जब तक कि वह उन्हें धरती से भगा न दे। 'तुम इस दुनिया के लालच की चाहत रखते हो,' यानी इसके माल की, बंदियों की फिरौती की। "लेकिन अल्लाह अगली दुनिया की चाहत रखता है,' यानी उन्हें मारकर उस धर्म को

प्रकट करना जिसे वह प्रकट करना चाहता है और जिसके द्वारा अगली दुनिया को प्राप्त किया जा सकता है।

हदीस तिर्मिज़ी 1568: पैगंबर (स.) ने मुसलमानों के लिए मुश्रिकों से एक आदमी के बदले दो आदमियों को छुड़ाया।.... यह इमाम पर निर्भर करता है कि वह बंदियों में से किसके साथ उदार होना चाहता है, या उनमें से जिसे वह चाहता है उसे मार डालता है, या उनमें से जिसे वह चाहता है उसे फिरौती देता है। कुछ उलेमा ने फिरौती देने के बजाय हत्या करना पसंद किया।
अवज़ाई ने कहा: "यह मुझे सूचित किया गया है। कि यह आयत "इसके बाद या तो उदारता (बिना फिरौती के उन्हें मुक्त करो) या फिरौती के लिए" (**Q 47: 4**) निरस्त कर दी गई है इसे **Q 2:191** से निरस्त कर दिया गया: "उन्हें जहाँ कहीं भी पाओ, मार डालो"।

इसहाक बिन मंसूर ने कहा: "मैंने अहमद से पूछा: 'जब बंदी पकड़े जाते हैं' तो क्या आपके लिए हत्या करना बेहतर है या फिरौती लेना?' उन्होंने कहा: 'अगर वे फिरौती देने में सक्षम हैं' तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर वे हत्या करते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है।'" इसहाक ने कहा: "उनका सफाया करना मेरे लिए बेहतर है, सिवाय इसके कि वह कोई जाना-माना व्यक्ति हो, ताकि यह आशा की जा सके कि उसके लिए बड़ी रकम प्राप्त हो जाएगी।" (सहीह)

यातना

कुरान 5:33: "जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं, उनके लिए बस यही है कि उन्हें क़त्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ-पैर काट दिए जाएं या उन्हें ज़मीन से निकाल दिया जाए। यही उनकी दुनिया में बेइज़्ज़ती है"

हदीस सहीह मुस्लिम 4353, हदीस अन-नसाई 4039: उरयना के कुछ लोगों ने अल-हर्रा में डेरा डाला और अल्लाह के रसूल (स.) के पास आए। अल-मदीना की जलवायु उन्हें रास नहीं आई, इसलिए अल्लाह के रसूल (स.) ने उनसे कहा कि वे सदक़ा में दिए गए ऊँटों के पास जाकर ठहरें और उनका दूध और मूत्र पिएँ। फिर उन्होंने चरवाहे को मार डाला और इस्लाम से विमुख हो गए, और ऊँटों को भगा दिया। अल्लाह के रसूल (स.) ने उनके पीछे (लोगों को) भेजा, जो उन्हें ले आए, फिर उनके हाथ और पैर कटवा दिए, और उनकी आँखें फोड़ दीं, और उन्हें अल-हर्रा में छोड़ दिया। अनस ने कहा: "मैंने उनमें से एक को प्यास से ज़मीन चाटते देखा, जब तक कि वह मर नहीं गया ।" [**हदीस अन-नसाई 307, अन-नसाई 4040: सहीह बुखारी 6805, यही बयान]**

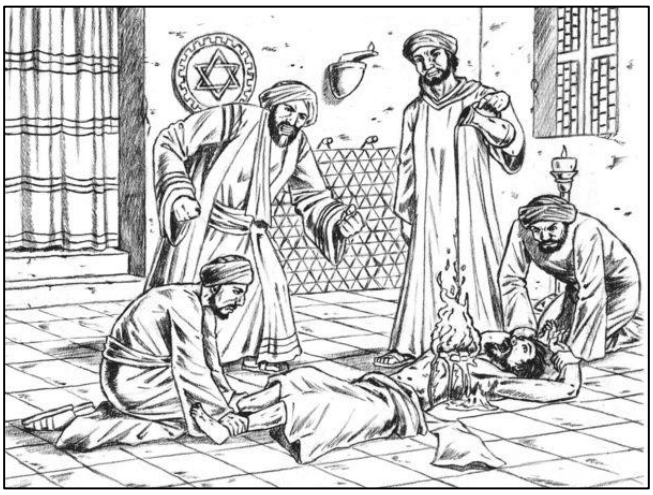

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 515: किनाना बिन अल-रबी, जिसके पास बनू अल-नादिर का खजाना था, को नबी (स.) के पास लाया गया, उन्होंने उससे इसके बारे में पूछा। उसने इनकार किया कि वह जानता है कि यह कहाँ है। एक यहूदी नबी के पास आया (लाया गया) और उसने कहा कि उसने किनाना को हर सुबह एक निश्चित खंडहर के चारों ओर जाते देखा है।

जब नबी ने किनाना से कहा, 'क्या तुम जानते हो कि अगर हम पाते हैं कि यह तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ? उसने कहा 'हाँ'। नबी ने आदेश दिया कि खंडहर की खुदाई की जाए और कुछ खजाना मिला। जब उन्होंने उससे बाकी के बारे में पूछा तो उसने इसे दिखाने से इनकार कर दिया, इसलिए नबी (स.) ने अल-जुबैर बिन अल-अवाम को आदेश दिया, 'इसे तब तक **यातना** दो जब तक कि तुम वह सब न निकाल लो जो उसके पास है, ' इसलिए उसने उसकी छाती पर चकमक पत्थर और स्टील से आग सुलगाई जब तक कि वह लगभग मर नहीं गया। फिर पैगम्बर ने उसे मुहम्मद बिन मसलामा के हवाले कर दिया और उसने अपने भाई महमूद का बदला लेने के लिए उसका सिर काट दिया।

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 664-665, खंड 980: ज़ैद बिन हरिता का बनू फ़ज़ारा पर हमला और उम्म क़िरफ़ा की मौत: पैगम्बर (स.) ने उसे बलपूर्वक उनके विरुद्ध भेजा ..... वह एक बहुत बूढ़ी महिला थी, मलिक की पत्नी। उसकी बेटी और अब्दुल्ला बिन मसादा को भी पकड़ लिया गया। ज़ैद (पैगम्बर के दत्तक पुत्र) ने क़ैस बिन अल-मुसहर को उम्म क़िरफ़ा को मारने का आदेश दिया और उसने उसे क्रूरता से मार डाला (उसके पैरों के बीच और

दो ऊँटों के बीच रस्सी डालकर उन्हें तब तक चलाया जब तक कि वे दो टुकड़ों में न फट गई)

अल-तबारी, खंड 8, 95- 96: इस वर्ष ज़ैद बिन हरिथा के नेतृत्व में एक छापामार दल निकल पड़ा . इस दौरान उम्म क़िरफ़ा (फालिमा बिन्त रबराह बिन बद्र) को क्रूर मौत का सामना करना पड़ा। उसने उसके पैरों को रस्सी से बांध दी और फिर उसे दो ऊँटों के बीच तब तक खींचा जब तक कि उसे दो भागों में विभाजित नहीं कर दिया। वह बहुत बूढ़ी महिला थी।

समलैंगिकता

अल्लाह के रसूल (स.) के साथियों ने एकमत होकर इस बात पर सहमति जताई कि समलैंगिक को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए... लेकिन तरीकों को लेकर उनमें मतभेद था। अबू बक्र (रज़ि) से वर्णित है कि उन्हें जला दिया जाना चाहिए, और दूसरों से कि उन्हें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उनमें से कुछ ने वर्णित किया है कि उसके ऊपर एक दीवार गिरा दी जानी चाहिए जब तक कि वह उसके नीचे मर न जाए। और यह कहा जाता है कि दोनों को सबसे गंदी जगह पर तब तक हिरासत में रखा जाना चाहिए जब तक कि वे मर न जाएं। उनमें से कुछ ने वर्णित किया है कि उसे शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाया जाना चाहिए और वहां से नीचे फेंक दिया जाना चाहिए, और उनके पीछे-पीछे पत्थर मारे जाने चाहिए।

प्रारंभिक इस्लाम में, समलैंगिकता के लिए पुरुषों को जूतों से पीटकर दंडित किया जाता था । बाद में इसमें बदलाव किया गया:

कुरान 4:16: यदि तुममें से दो पुरुष व्यभिचार के दोषी हों, तो उन दोनों को दंड दो। और जब तुममें से दो लोग ऐसा करें जो कि व्यभिचार या समलैंगिक संभोग है तो उन दोनों को अपमान और चप्पलों से पीटने की सजा दो; लेकिन यदि वे इस व्यभिचार से पश्चाताप करते हैं और अच्छे कार्यों के माध्यम से प्रायश्चित करते हैं तो उन्हें छोड़ दो और उन्हें नुकसान न पहुँचाओ। जो लोग पश्चाताप करते हैं, अल्लाह उन पर सदैव दया करता है। **---यह नियम (कुरान 4:16) बाद में कुरान 24:2 से बदल दिया गया।**

अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 79-80: जब उन्हें अबू बकर (रज़ि) के पास लाया गया तो उन्होंने मदीना के प्रार्थना स्थल (मुसल्ला) में बहुत सारी लकड़ियाँ डालकर आग जलाने का आदेश दिया और उन्हें हाथ-पैर बाँधकर उसमें फेंक दिया। **[यहाँ भी देखें: अल-तबारी खंड 17, पृष्ठ 191]**

हदीस अबू दाऊद 4462: पैगंबर (स.) ने कहा: यदि आप किसी को लूत के लोगों की तरह करते हुए पाते हैं (समलैंगिकता), तो जो ऐसा करता है उसे मार डालो, और जिस पर यह किया जाता है उसे भी मार डालो..

हदीस इब्न माजा 2561, 2562: अबू हुरैरा (रज़ि) से वर्णित है कि पैगंबर (स.) ने उन लोगों के बारे में कहा जो लूत के लोगों का कार्य करते हैं : "ऊपर वाले और नीचे वाले को पत्थर मारो, उन दोनों को पत्थर मारो।" (हसन)

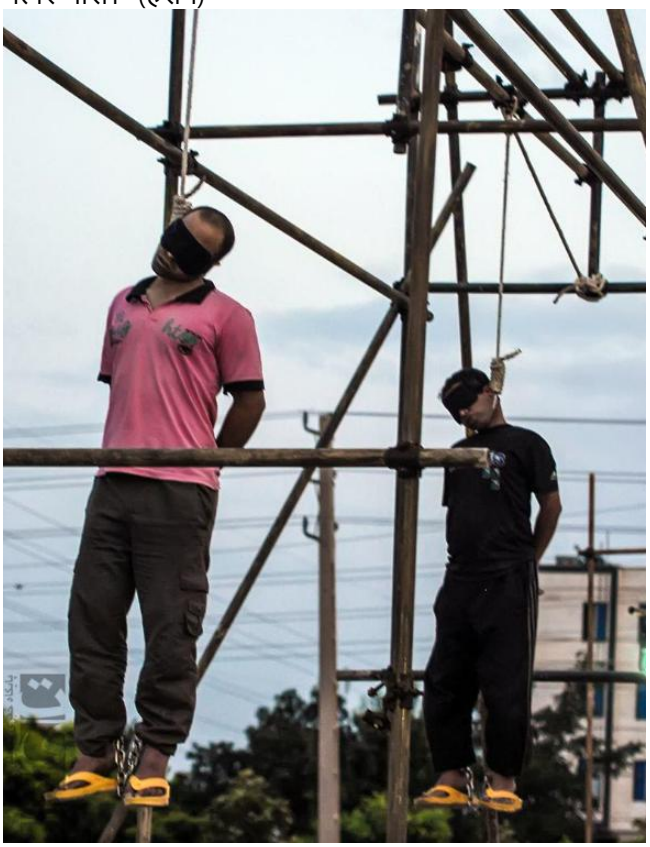

हदीस बुलुग अल-मरम पुस्तक 10: 1255: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "जिस किसी को भी तुम लूत के लोगों की तरह (यानी समलैंगिकता) करते हुए पाओ, उसे मार डालो जो ऐसा करता है और जिसके साथ ऐसा किया जाता है, और अगर तुम किसी को जानवर के साथ संभोग करते हुए पाओ, तो उसे मार डालो और जानवर को भी मार डालो।" अहमद और चार इमामों द्वारा कथावाचकों की एक विश्वसनीय श्रृंखला के साथ संबंधित।

"जानवर को मारना क्या ठीक लगता है ?" -- मगर दीन में अकल का दखल हराम है।

जनाने मर्द और मर्दाना महिलाएँ

हदीस अबू दाऊद 4098: अल्लाह के रसूल (स.) ने उस आदमी को लानत भेजी जो औरत की तरह कपड़े पहनता था और उस औरत को भी जो मर्द की तरह कपड़े पहनती थी। (सहीह)

हदीस अबू दाऊद 4099: जब किसी ने आयशा (रज़ि) से कहा कि एक महिला चप्पल पहती है, तो उन्होंने जवाब दिया: अल्लाह के रसूल (स.) ने मर्दाना महिलाओं को लानत दी है। (सहीह)

हदीस अबू दाऊद 4930: इब्न अब्बास (रज़ि) ने कहा: पैगंबर (स.) ने जनाने पुरुषों और पुरुषों की नकल करने वाली महिलाओं को शाप दिया, कहा: उन्हें अपने घरों से बाहर निकालो, और फलां को बाहर करो। (यानी, जनाने पुरुषों) (सहीह)

[हदीस सहीह बुखारी 5886, 6834: यहाँ भी देखें]

हदीस सहीह बुखारी 5887: उम-सलमा से रिवायत है कि एक बार पैगम्बर (स.) उनके घर में थे, और वहाँ एक औरत जैसा आदमी (मुख़न्नस /ख्वाजा सरा) भी था। औरत जैसा आदमी अब्दुल्ला (उम सलमा के भाई) से बोला, "ओ अब्दुल्ला! अगर कल ताइफ़ पर फ़तह हो जाए, तो मैं तुम्हें ग़ैलन की बेटी की सिफ़ारिश करता हूँ, क्योंकि वह इतनी मोटी है कि उसके पेट के आगे चार और पीछे आठ घुमाव हैं।" तो पैगम्बर (स.) ने (अपनी बीवियों से) कहा , " इस जैसे लोग तुम्हारे घरों में न घुसें।"

इस्लामी फिक़्ह में **मुख़न्नस** (बधिया किया गया ग़ुलाम) को घर में औरतों के पास रखने की इजाज़त है। इस पर आयत भी है: **नूर 24:31:** .....और अपनी ज़ीनत किसी के सामने न खोलें सिवाय..... या **उन मर्दों के जो ख्वाहिश से खाली हों**..... उम्मे सलमा के घर वाले मुख़न्नस में साबित हुआ कि उसमें ख्वाहिश बाक़ी है (जब उसने औरत की जिस्मानी बनावट का ज़िक्र किया) तो इस वजह से रसूल (स.) ने कहा: **"अब ये औरतों में नहीं जाएगा।"**

चित्र, संगीत, शतरंज आदि हराम

हदीस सहीह बुखारी 5590: उन्होंने पैगंबर (स.) को यह कहते हुए सुना, "मेरे अनुयायियों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अवैध संभोग, रेशम पहनना, शराब पीना और संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करना वैध समझेंगे। और कुछ लोग होंगे जो एक पहाड़ के किनारे के पास रहेंगे और शाम को उनका चरवाहा उनकी भेड़ों के साथ उनके पास आएगा और उनसे कुछ मांगेगा, लेकिन वे उससे कहेंगे, 'कल हमारे पास लौट आओ।' अल्लाह रात के दौरान उन्हें नष्ट कर देगा और पहाड़ को उन पर गिरा देगा, और वह उनमें से बाकी लोगों को बंदरों और सूअरों में बदल देगा और वे क़ियामत के दिन तक ऐसे ही रहेंगे।"

हदीस इब्न माजा 4020: अबू मलिक अश'री से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "मेरी जाति के लोग शराब पीएंगे, इसे दूसरे नाम से पुकारेंगे, और उनके लिए संगीत के बाजे बजाए जाएंगे और गायिकाएं (उनके लिए गाएंगी)। अल्लाह, पृथ्वी को उन्हें निगलने देगा, और उन्हें बंदरों और सूअरों में बदल देगा।" (हसन)

कुरान 31:6: और मनुष्य में से वह व्यक्ति है जो व्यर्थ की बातें (अर्थात संगीत, गायन, आदि) खरीदता है, अज्ञानता में पड़कर लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटकाता है और (अल्लाह के मार्ग या कुरान की आयतों) का मजाक उड़ाता है। ऐसे लोगों के लिए (जहन्नम की आग में) अपमानजनक यातना है।

तफ़सीर कुरान 31:6 (इब्न अब्बास): (और मनुष्यों में से) यहाँ अल-नद्र इब्न अल-हारिथ का संदर्भ है (वह व्यक्ति जिसे केवल मनोरंजन के प्रवचन के लिए राशि दी जाती थी), झूठ का प्रवचन, किंवदंतियों की किताबें, सूर्य, सितारों, गणित और गायन पर; यह भी कहा जाता है कि इसका अर्थ है: अल्लाह के साथ साझीदार बनाना, (इसके माध्यम से अल्लाह के मार्ग से, अल्लाह के धर्म और आज्ञाकारिता से गुमराह करना; (ज्ञान या प्रमाण के बिना), (और इसे मजाक बनाता है। ऐसे लोगों के लिए शर्मनाक सजा है) ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा है।

हदीस सहीह मुस्लिम 5896: बुरैदा ने अपने पिता के हवाले से बताया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जो व्यक्ति नरदाशिर (चौसर जैसा खेल) खेलता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने सूअर के मांस और खून से अपना हाथ रंगा हो।

हदीस अन-नसाई 4140: यह वर्णित है कि अल-अवज़ाई ने कहा: "उमर बिन 'अब्दुल-अज़ीज़ ने 'उमर बिन वलिद को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा: तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो हिस्सा दिया वह पूरा ख़ुमुस था (युद्ध की लूट), और तुम्हारे पिता का हिस्सा उतना ही है

जितना अन्य मुसलमानों का है, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल, रिश्तेदारों, अनाथों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का हक़ है। कितने लोग क़ियामत के दिन आपके पिता के साथ विवाद करेंगे! वह कैसे बच सकता है जिसके पास इतने सारे विवादकर्ता हैं? और तुम्हारा खुले तौर पर संगीत वाद्ययंत्रों और वायु वाद्ययंत्रों बजाना इस्लाम में एक नवीनता (नई रीति) है। मैं तुम्हारे पास किसी को भेजने की सोच रहा था जो तुम्हारे (अशुभ) लंबे बालों को काट दे '' (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 2906, 2907: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: अल्लाह के रसूल (स.) मेरे घर आए, जबकि दो लड़कियां मेरे बगल में बुआथ के गीत गा रही थीं (इस्लाम से पहले अंसार के दो कबीलों, यानी खजरज और औस के बीच युद्ध की कहानी) । पैगंबर (स.) बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अबू बकर (रज़ि) आए और मुझे डांटा और विरोध करते हुए कहा, "अल्लाह के रसूल (स.) की उपस्थिति में शैतान के वाद्य यंत्र?" अल्लाह के रसूल (स.) ने अपना चेहरा उसकी तरफ़ घुमाया और कहा, "उन्हें छोड़ दो।" .....**सहीह बुखारी 952, 3931: मिलती-जुलती]**

हदीस तिर्मिज़ी 3690: "अल्लाह के रसूल (स.) अपने एक अभियान पर निकले थे, फिर जब वह वापस आए, तो एक काली गुलाम लड़की उनके पास आई और कहा: 'अल्लाह के रसूल! मैंने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह आपको सुरक्षित वापस लौटा दे, तो मैं आपके सामने डफ को बजाऊंगी और गाऊंगी।' तो अल्लाह के रसूल (स.) ने उससे कहा: 'अगर तुमने कसम खाई है, तो बजाओ, और अगर तुमने कसम नहीं खाई है, तो मत बजाओ।' इसलिए उसने डफ को पीटना शुरू कर दिया और जब वह उसे पीट रही थी, तो अबू बकर (रज़ि) अंदर आए। फिर जब वह बजा रही थी, तो अली (रज़ि) अंदर आए, फिर जब वह बजा रही थी, तो उस्मान (रज़ि) अंदर आए। फिर उमर (रज़ि) अंदर आए, तो उसने डफ अपने नीचे रख दिया और उस पर बैठ गई। तब अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "वास्तव में शैतान आपसे डरता है ऐ उमर! जब वह डफ बजा रही थी तो मैं बैठा था, फिर अबू बकर (रज़ि) अंदर आए और वह डफ बजा रही थी, फिर अली अंदर आए और वह डफ बजा रही थी, फिर उस्मान अंदर आए और वह डफ बजा रही थी, फिर जब आप अंदर आए ऐ उमर और उसने डफ रख दिया । (हसन)

हदीस अल-अदब अल-मुफ़राद 784: गायन और क्रीड़ा: अब्दुल्लाह इब्न दिनार ने कहा, "मैं अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ बाज़ार गया था। वह एक छोटी दासी के पास से गुज़रा, जो गा रही थी और उन्होंने कहा, 'अगर शैतान ने किसी को छोड़ा होता, तो वह इस लड़की को छोड़ता।" (हसन)

सूद -ब्याज (रिबा)

कर्ज़ या लेन-देन में तयशुदा और बिना जोखिम के अतिरिक्त रकम लेना।

क़ुरआन 2:275: "जो लोग रिबा खाते हैं, वे क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो।"
क़ुरआन 2:279: "अगर तुम रिबा नहीं छोड़ते, तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।"
क़ुरआन 3:130: ब्याज न लो, गुणा करने से डरो और केवल व्यापार करो।

इब्न माजा 2274: रिबा के सत्तर से अधिक दर्जे हैं, और सबसे हल्का दर्जा भी ऐसा है जैसे आदमी अपनी माँ से ज़िना करे।

असली उलझन:

- बैंकिंग सिस्टम लगभग पूरी तरह ब्याज पर टिका है, उत्पादन, उद्योग और विकास के लिए कर्ज़ देता है आम आदमी के लिए इससे बचना बेहद मुश्किल है।
- इस्लामिक बैंकिंग (मुनाफ़ा-नुक़सान साझेदारी) जैसे मॉडल सामने आए, लेकिन वे नाम बदलकर ब्याज ही होते हैं।
- अगर रिबा इतना बड़ा गुनाह है, तो मुसलमान समाज ने ऐसा आर्थिक विकल्प क्यों नहीं खड़ा किया जो ब्याज के बिना पूरी तरह काम कर सके?
- क़ुरआन में यह साफ़ नहीं किया गया कि महँगाई की भरपाई रिबा है या नहीं।
- व्यापार लाभ लेना पूरी तरह हलाल है अधिकतम लाभ के लिए कोई सीमा नहीं है।

अध्याय 8. दावा: इस्लाम नैतिकता पर ज़ोर देता है।

कसम तोड़ने की अनुमति है

आप पहले ही **तक़या** (झूठ बोलना) समझ चुके हैं, पर अल्लाह ने कसम तोड़ने की अनुमति भी दी है।

कुरान 2:225: "अल्लाह तुमसे तुम्हारी कसमों में लापरवाही के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों में इरादे के लिए जवाबदेह होगा; और वह अत्यन्त क्षमाशील, अत्यन्त सहनशील है।"

हदीस सहीह बुखारी 5518: पैगंबर (स.) ने कहा, 'यह अल्लाह है जिसने तुम्हें सवारी (उंट, घोड़े) दिए हैं। अल्लाह की कसम, और अल्लाह की मर्जी से, अगर मैं कसम खाता हूं और बाद में उससे बेहतर कुछ और पाता हूं। तो मैं वही करता हूं जो बेहतर है और अपनी कसम को तोड़ देता हूं। '"

हदीस सहीह बुखारी 4614, 6621: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: उनके पिता (अबू बकर (रज़ि)) ने तब तक अपनी कसम नहीं तोड़ी जब तक अल्लाह ने कसम तोड़ने का आदेश नहीं प्रकट किया। अबू बकर (रज़ि) ने कहा, "अगर मैं कभी कसम खाता हूँ और बाद में पाता हूँ कि कुछ और करना बेहतर है, तो मैं अल्लाह की अनुमति स्वीकार करता हूँ और वही करता हूँ जो बेहतर है, (और अपनी कसम के लिए कानूनी प्रायश्चित करता हूँ) "।

ज़कात केवल मुसलमानों के लिए

हदीस मुवत्ता मलिक पुस्तक 38, हदीस 12: केवल मुसलमानों को ही खाना खिलाना चाहिए और इस्लाम के दीन (धर्म) के बाहर किसी को भी खाना नहीं खिलाना चाहिए।

फतवा संख्या 21384, विद्वान शेख मुहम्मद सालेह अल-मुनाजिद द्वारा इस्लाम प्रश्नोत्तर में धार्मिक निर्णय:

प्रश्न: क्या जकात मुस्लिम के अलावा किसी और को दी जा सकती है?

उत्तर: ...ज़कात की एक श्रेणी है जो काफिरों को दी जा सकती है, इसका उद्देश्य है "उन लोगों के दिलों को आकर्षित करना है जो (इस्लाम की ओर) झुके हुए हैं" (तुलना करें अल-तौबा 9:60)। उन काफिरों को ज़कात की रकम देना जायज़ है जो अपने लोगों के बीच अधिकार और प्रभाव वाले पदों पर हैं, अगर यह उम्मीद है कि उन्हें कुछ देने से वे मुसलमान बन सकते हैं, तो उनके अधीन रहने वाले लोग भी मुसलमान हो सकते हैं। और अल्लाह ताकत का स्रोत है।

कुरान 9:60: अस-सदक़ात (यहाँ इसका मतलब है ज़कात (कर) केवल फ़ुक़रा (गरीबों) और अल-मसाकिन (गरीबों) और उन लोगों के लिए है जो (धन) इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं, और उन लोगों के दिलों को आकर्षित करते हैं जो (इस्लाम की ओर) झुके हुए हैं, और बंदियों को मुक्त करने के लिए, और कर्ज में डूबे लोगों के लिए, और अल्लाह के मार्ग में (यानी मुजाहिदुन के लिए - जो पवित्र युद्ध में लड़ रहे हैं), और राहगीर के लिए (एक यात्री जो हर चीज़ से कटा हुआ है); अल्लाह द्वारा लगाया गया एक कर्तव्य।

तफ़सीर कुरान 9:60 (अल-जलालैन): स्वैच्छिक दान...जिनके दिलों को जीतना है ताकि वे मुसलमान बन सकें या इस्लाम को मजबूती से स्थापित किया जा सके या उनके साथी मुसलमान बन सकें या वे मुसलमानों की रक्षा कर सकें, जिन्हें अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

ज़कात = एक प्रकार का धार्मिक कर / "गरीब-कर, आम तौर पर आपकी कुल संपत्ति का 2.5%
पैग़म्बर (स.) के समय ज़कात प्रत्यक्ष रूप से पैग़म्बर को दी जाती थी। यह 5 प्रमुख उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकती थी: गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद, सामाजिक कल्याण और दीन का प्रचार, युद्ध के लिए (जिहाद), कर्ज़दारों की मदद, सामुदायिक और धार्मिक कार्यों में निवेश। पैग़म्बर (स.) के इंतकाल के बाद, कुछ क़बीले और नेताओं ने ज़कात देना बंद कर दिया या खुद को नए पैग़म्बर घोषित किया, इसे इस्लाम से विद्रोह (रिद्दा) माना गया। इसके परिणामस्वरूप सभी विद्रोही नेताओं और उनके क़बीलों पर सैन्य कार्रवाई की गई।

महिला बंदियों का बलात्कार और बेचना

सहीह बुखारी 3805: कुछ लोग (यानी बनी बिन कुरैज़ा के यहूदी) साद बिन मुआद के फैसले को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए, इसलिए पैगंबर ने उन्हें (यानी साद) बुलाया। साद ने कहा, "मैं फैसला करता हूं कि उनके योद्धाओं को मार दिया जाना चाहिए और उनके बच्चों और महिलाओं को बंदी बना लिया जाना चाहिए।" पैगंबर ने कहा, "आपने अल्लाह के फैसले के समान फैसला सुनाया है"

हदीस तिर्मिज़ी 1564: उनके पिता ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल (स.) ने महिला कैदियों के साथ संभोग करने पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक कि वे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म न दे दें।

हदीस अबू दाऊद 2158 - अध्याय: बंदी से संभोग के संबंध में: जो आदमी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखता है उसके लिए यह हलाल नहीं है कि वह बंदी औरत से संभोग करे जब तक कि वह मासिक धर्म से मुक्त न हो जाए; और जो आदमी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखता है उसके लिए यह हलाल नहीं है कि वह लूट को बेचे जब तक कि वह बांट न ली जाए।

हदीस अबू दाऊद 2155 - अध्याय: बंदी से संभोग के संबंध में: वे अपने दुश्मनों से मिले और उनसे लड़े। उन्होंने उन्हें हराया और उन्हें बंदी बना लिया। अल्लाह के रसूल (स.) के कुछ साथी महिला बंदियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से हिचक रहे थे क्योंकि उनके मूर्तिपूजक पति ज़िंदा थे। इसलिए, अल्लाह ने कुरान की आयत भेजी "और सभी विवाहित महिलाएं तुम्हारे लिए हराम हैं, सिवाय उन (बंदियों) के जो तुम्हारे दाहिने हाथ में हैं इसका मतलब यह है कि वे उनके लिए वैध हैं [**हदीस अन - नसाई 3335: यही बयान]**

कुरान 4:24: और विवाहित स्त्रियाँ (तुम पर हराम हैं), सिवाय उन स्त्रियों के जो तुम्हारी मिल्कियत (गुलाम/कनीज़) में आ गई हों। यह अल्लाह का तुम्हारे लिए आदेश है।

तफ़सीर कुरान 4:24 (अल-जलालैन): जो तुम्हारे दाहिने हाथों में है, पकड़ी गई [दास] लड़कियों में से, जिनके साथ तुम संभोग कर सकते हो, भले ही उनके पति दुश्मन शिविर में हों ।

सहीह बुखारी 4200: पैगम्बर (स.) ने अँधेरे में ही खैबर के पास फज्र की नमाज़ पढ़ी और फिर कहा, "अल्लाहु अकबर! खैबर तबाह हो गया, क्योंकि जब भी हम किसी शत्रु के पास (लड़ने के लिए) पहुँचेंगे, जिन्हें चेतावनी दी गई थी, उन लोगों के लिए सुबह बुरी होगी।" फिर खैबर के लोग सड़कों पर भागते हुए निकल आए। नबी (स.) ने उनके योद्धाओं को मरवा दिया, उनकी संतानों और महिलाओं को बंदी बना लिया। सफ़िया बंदी लोगों में से थी, वह पहले दहिया अल-कलबी के हिस्से में आई थी लेकिन बाद में वह नबी (स.) की हो गई। नबी (स.) ने उसकी मुक्ति को उसकी 'महर' बना दिया।

हदीस सहीह मुस्लिम 3608: अध्याय: एक महिला बंदी के साथ संभोग करना जायज़ है जब यह स्थापित हो जाए कि वह गर्भवती नहीं है, और यदि उसका कोई पति है तो उसके पकड़े जाने पर उसका विवाह रद्द हो जाता है:

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 604:
9.13 जब किसी बच्चे या महिला को बंदी बना लिया जाता है, तो वे पकड़े जाने के तथ्य से ही गुलाम बन जाते हैं, और महिला की पिछली शादी तुरंत रद्द हो जाती है।

कुरान 4:24: जिन लोगों से तुमने यौन संबंध बनाए हैं, उन्हें उनका महर (धन) नियमानुसार दे दो।

तफ़सीर कुरान 4:24 (इब्न कथिर): आपको अपने धन का उपयोग से चार पत्नियों से विवाह करने और जितनी चाहें उतनी महिला दासियों की खरीद के लिए करने की अनुमति है।

[यह भी देखें, सहीह बुखारी 2228, इब्न माजा 2272, हदीस अबू दाऊद 2997]

हदीस सहीह बुखारी 4350: बुरैदा से रिवायत है: पैगम्बर (स.) ने खुमस (लूट का माल) लाने के लिए अली (रज़ि) को खालिद की जगह भेजा और मैं अली से ईर्ष्या करता था, और अली रज़ि ने (खुमस की एक दासी के साथ यौन क्रिया के बाद) स्नान किया था। मैंने खालिद से कहा, "क्या तुम इसे (यानी अली को) नहीं देखते?" जब हम पैगम्बर (स.) के पास पहुँचे तो मैंने उनसे इसका ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "ऐ बुरैदा! क्या तुम अली से नफरत करते हो?" मैंने कहा,

"हाँ।" उन्होंने कहा, "क्या तुम उससे ईर्ष्या करते हो, वह खुमलुओं (लूट का माल) में से इससे कहीं ज़्यादा का हकदार है ।"

हदीस सहीह मुस्लिम 3544: अबू सर्मा ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से कहा: "ऐ अबू सईद! क्या आपने अल्लाह के रसूल (स.) को **अल-अज़्ल** (संभोग के समय स्खलन से पहले अलग हो जाना) का उल्लेख करते हुए सुना है?" उन्होंने कहा: "हाँ। और आगे बताया कि हम अल्लाह के रसूल (स.) के साथ बनी मुस्तलिक़ के अभियान में निकले। वहाँ हमें कुछ सुंदर अरब स्त्रियाँ क़ैद में मिलीं। हमें उनकी इच्छा हुई, क्योंकि हम अपनी पत्नियों से दूर थे; और साथ ही हम उनसे फ़िरौती भी चाहते थे। तो हमने सोचा कि उनसे संबंध स्थापित करें, लेकिन अज़्ल करते हुए (ताकि गर्भ न ठहरे)। फिर हमने कहा: हम यह काम कर रहे हैं जबकि अल्लाह के रसूल (स.) हमारे बीच मौजूद हैं क्यों न उनसे पूछ लिया जाए? अतः हमने अल्लाह के रसूल (स.) से पूछा। उन्होंने फ़रमाया: अगर तुम ऐसा न भी करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि क़ियामत के दिन तक जिस जिस आत्मा का पैदा होना निर्धारित है, वह होकर ही रहेगी।'" **[हदीस सहीह बुखारी 2229: यह भी देखें]**

अल-तबारी, खंड 8, पृष्ठ 35-36: फिर अल्लाह के नबी ने साद बिन ज़ैद अल-अंगारा (बनू अब्दुल अल- अशहल के एक सदस्य) को बनू कुरैज़ा के कुछ बंदियों के साथ नज्द भेजा, और उनके बदले में उसने घोड़े और हथियार खरीदे।

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 593:
उयैना बिन हिसन ने हवाज़िन की एक बूढ़ी औरत को बंदी लिया और उसे ले जाते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि वह कबीले में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी फिरौती बहुत ज़्यादा हो सकती है।' जब रसूल ने बंदियों को छह ऊँटों की कीमत पर वापस किया तो उसने उसे वापस देने से इनकार कर दिया। ज़ुहैर अबू सूरद ने उनसे कहा कि उसे जाने दो, क्योंकि उसका मुँह ठंडा था और उसके स्तन सपाट थे; वह गर्भवती नहीं हो सकती थी और उसका पति उसकी परवाह नहीं करता था और उसका दूध भी गाढ़ा नहीं था। इसलिए जब ज़ुहैर ने यह कहा तो उसने उसे छह ऊँटों के लिए जाने दिया।

जिहाद के लिए गोरी महिलाओं का वादा

कुरान 9:49: उनमें से वह भी है जो कहता है: "मुझे (जिहाद से छूट) दे दो और मुझे परीक्षा में न डालो।"

तफ़सीर कुरान 9:49 (इब्न कथिर): अल्लाह के रसूल ने बनी सलीमा से अल-जद्द बिन क़ैस से कहा, क्या आप इस साल पीले लोगों (रोमन) से लड़ना चाहेंगे, उन्होंने कहा, "अल्लाह के रसूल! मुझे अनुमति दें (पीछे रहने की) और मेरे लिए फ़ितना न पैदा करें। अल्लाह की कसम! मेरे लोगों को पता है कि कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा महिलाओं का शौकीन नहीं है। मुझे डर है कि अगर मैं पीले लोगों की महिलाओं को देखूंगा, तो मैं धैर्य नहीं रख पाउंगा।

तफ़सीर कुरान 9:49 (अल -वहीदी): अल्लाह के रसूल (स.), तबुक की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उससे कहा: "हे अबू वहब, क्या आप कई बीजान्टिन महिलाओं और पुरुषों को रखैल और नौकर के रूप में रखना पसंद नहीं करेंगे?" उन्होंने कहा: "हे अल्लाह के रसूल, मेरे लोगों को पता है कि मैं महिलाओं का बहुत शौकीन हूं और, अगर मैं बीजान्टिन की महिलाओं को देखूंगा, तो मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे उनके द्वारा लुभाने की कोशिश न करें और मुझे शामिल न होने दें और इसके बजाय, मैं अपने धन से आपकी सहायता करूंगा"। पैगंबर (स.), उनसे दूर हो गए और कहा: "मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं"

मुता (अस्थायी विवाह)

आज भी इस्लामी दुनिया में कई जगह पर इसकी अनुमति है। ईरान एक उदाहरण है जहाँ अस्थायी विवाह को "मुता" कहा जाता है । मुता विवाह (अस्थायी विवाह) को अल्लाह की आयत ने वैध बनाया है, जिसकी पुष्टि अल्लाह ने कुरान में की है:

हदीस सहीह मुस्लिम 3414: अल्लाह के रसूल (स.) हमारे पास आये और हमें अस्थायी विवाह करने की अनुमति दी।

कुरआन 4:24: विवाहित स्त्रियाँ भी वर्जित हैं, सिवाय उन स्त्रियों के जो तुम्हारे अधिकार में हों। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी प्रकार का आदेश दिया है। बाकी सब हलाल हैं, बशर्ते कि तुम अपने माल में से महर देकर उनसे विवाह करो, पवित्रता की इच्छा रखो, अवैध संभोग न करो। अतः जिनसे तुमने संभोग किया है, उन्हें उनका महर (उपहार, धन) नियमानुसार दो। और यदि महर तय हो जाने के बाद तुम आपसी सहमति से कुछ और बढ़ा दो, तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है।

तफ़सीर क़ुरआन 4:24 (इब्न अब्बास): ...ताकि तुम अपने धन से लौंडियाँ खरीद लो; और यह भी कहा गया है कि इसका अर्थ है: ताकि तुम अपने धन से एक निश्चित अवधि के लिए स्त्रियों से विवाह करना चाहो (ज़वाज अल-मुता) ...अल्लाह तुम्हारे लिए एक निश्चित अवधि के लिए विवाह को वैध बनाने के सम्बन्ध में भली-भाँति जानता है, (तब) इस प्रथा को बाद में हराम कर देने में भी (तर्कसंगत है);

मुता विवाह का निषेध

मुजाहिद ने कहा कि, (इसलिए उनमें से जिन लोगों से तुमने आनंद लिया है, उन्हें उनका हक़ दो) मुताह विवाह के बारे में अवतरित हुआ। मुताह विवाह एक ऐसा विवाह है जो पहले से तय तिथि पर समाप्त होता है। ऐसा दावा किया जाता है कि इसे मुहम्मद (स.) की मृत्यु के बाद के दूसरे नेता उमर (रज़ि.) ने रद्द कर दिया था ।

हदीस सहीह मुस्लिम 3415: जाबिर बिन अब्दुल्लाह 'उमरा' करने के लिए आए, और हम उनके निवास पर आए, और लोगों ने उनसे विभिन्न चीजों के बारे में पूछा, और फिर उन्होंने अस्थायी विवाह का उल्लेख किया, जिस पर उन्होंने कहा: हां, हम पवित्र पैगंबर (स.) के जीवनकाल के दौरान और अबू बक्र (रज़ि) और उमर (रज़ि) के समय में इस अस्थायी विवाह से खुद को लाभान्वित कर रहे थे।

सहीह मुस्लिम 3416: हमने अल्लाह के रसूल (स.) के जीवनकाल में और अबू बकर (रज़ि) के समय में मेहर के रूप में मुट्ठी भर ताल्लुक या आटा देकर अस्थायी विवाह किया, जब तक कि उमर (रज़ि) ने अम्र बिन हुरैथ के मामले में इसे मना कर दिया ।

हदीस सहीह बुखारी 5075: अब्दुल्लाह से रिवायत है: हम अल्लाह के रसूल के नेतृत्व में पवित्र युद्धों में भाग लेते थे (स.) और हमारे पास कोई पत्नियाँ नहीं थीं। तो हमने कहा, "क्या हम अपने आप को बधिया करवा लें?" उन्होंने हमें इससे मना किया और फिर हमें एक अस्थायी अनुबंध के साथ महिलाओं से विवाह करने की अनुमति दी और हमें पढ़कर सुनाया: -- 'ऐ तुम जो विश्वास करते हो! जो अच्छी चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उन्हें हराम न बनाओ, और कोई अतिक्रमण न करो।' (**Q 5:87**) इसे हलाल किया गया फिर निरस्त कर दिया गया, फिर हलाल किया गया फिर निरस्त कर दिया गया, और यह क़यामत के दिन तक हराम रहेगा: ..... अल्लाह के नबी (स.) ने हमें विजय के वर्ष में अस्थायी विवाह करने की अनुमति दी, जब हमने मक्का में प्रवेश किया था, और हम इस प्रथा से बाहर आ गए और उन्होंने हमें ऐसा करने से मना कर दिया। [**मिलती-जुलती, सहीह बुखारी 4615]**

हदीस सहीह मुस्लिम 3419, 3420): रबी बिन सबरा ने बताया कि उनके पिता मक्का की विजय के दौरान अल्लाह के रसूल (स.) के साथ एक अभियान पर गए थे, और हम वहां पंद्रह दिन (यानी तेरह पूरे दिन और एक दिन और एक रात) तक रहे, और अल्लाह के रसूल (स.) ने हमें महिलाओं के साथ अस्थायी विवाह करने की अनुमति दी। इसलिए मैं और मेरे कबीले का एक और व्यक्ति बाहर गए, और मैं उससे अधिक सुंदर था, जबकि वह लगभग बदसूरत था। हममें से हर एक के पास एक लबादा था , मेरा लबादा फटा हुआ था, जबकि मेरे चचेरे भाई का लबादा बिल्कुल नया था। जब हम मक्का के निचले या ऊपरी हिस्से में पहुँचे, तो हमें एक औरत मिली जो एक जवान, आकर्षक लंबी गर्दन वाली ऊँटनी जैसी थी। हमने कहा: क्या यह संभव है कि हम में से कोई आपसे अस्थायी विवाह कर ले? मेरे साथी ने भी उसकी तरफ़ देखा, जब वह उनकी तरफ़ देख रही थी और उसने कहा: उसका यह लबादा पुराना हो गया है, जबकि मेरा लबादा बिलकुल नया है। फिर, उसने दो-तीन बार कहा: इस लबादे (पुराने वाले) को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैंने उससे अस्थायी विवाह कर लिया, और मैं तब तक (इससे) बाहर नहीं निकला जब तक कि अल्लाह के रसूल (स.) ने इसे हराम घोषित नहीं कर दिया।

हदीस सहीह बुखारी 5116: अबू जमरा ने रिवायत किया: मैंने इब्न अब्बास (रज़ि) को (फैसला सुनाते हुए) सुना जब उनसे महिलाओं के साथ मुता के बारे में पूछा गया, और उन्होंने इसकी अनुमति दी (निकाह-अल- मुता)।

हदीस इब्न माजा 1963: "जब उमर बिन खत्ताब को खलीफा नियुक्त किया गया, तो उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा: 'अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए तीन बार अस्थायी विवाह की अनुमति दी, फिर उन्होंने इसे मना कर दिया। अल्लाह की कसम, अगर मैं किसी विवाहित व्यक्ति को अस्थायी विवाह में प्रवेश करते हुए सुनता हूं, तो मैं उसे पत्थर मारकर मार डालूंगा, जब तक कि वह मेरे पास चार गवाह न ला सके जो यह प्रमाणित कर सकें कि अल्लाह के रसूल ने इसे मना करने के बाद इसकी अनुमति दी।'" (हसन)

अस्थायी विवाह - कितने समय के लिए?

हदीस सहीह बुखारी 5119, बुलुग अल-मरम किताब 8, हदीस 33: सलमा बिन अल-अक्का (रज़ि) ने वर्णित किया: औतास के वर्ष में, अल्लाह के रसूल (स.) ने तीन रातों के लिए मुता (अस्थायी विवाह) की अनुमति दी, फिर उन्होंने (बाद में) हराम कर दिया। [मुस्लिम द्वारा रिपोर्ट किया गया]।

आतंक का उपयोग

बिना चेतावनी के हमला करना

हदीस सहीह मुस्लिम 4519 (INT 1730a): अध्याय शीर्षक: बिना किसी पूर्व चेतावनी के कुफ़्फ़ार पर हमला करने की अनुमति, जिन तक इस्लाम का बुलावा पहुंचा है,,: इब्न औन ने बताया: मैंने नफी को लिखा कि क्या उनसे लड़ाई में मिलने से पहले (अविश्वासियों को) इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण देना आवश्यक है। उन्होंने (जवाब में) मुझे लिखा कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में यह आवश्यक था। अल्लाह के रसूल (स.) ने बनू मुस्तलिक पर हमला किया, जबकि वे अनजान थे और उनके मवेशी पानी पी रहे थे। उन्होंने लड़ने वालों को मार डाला और दूसरों को कैद कर लिया। उसी दिन, उन्होंने जुवैरिया बिन्त अल-हरिथ पर कब्जा कर लिया। नफी ने कहा कि यह परंपरा उसे अब्दुल्ला बिन उमर ने बताई थी जो खुद छापा मारने वाली सेना में से थे। [**हदीस अबू दाऊद 2633: यही बयान]**

अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 100- 101: यह उस आदेश का हिस्सा था जिसके साथ अबू बकर (रज़ि) ने उसे आदेश दिया था: "जब तुम कहीं डेरा डालो, तो नमाज़ और इक़ामत की अज़ान दो। फिर, अगर लोग अज़ान और इक़ामत की अज़ान दें , तो उन्हें अकेला छोड़ दो; लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। [उस स्थिति में] उन्हें हर तरह से मार डालो, आग से या किसी और चीज़ से। और अगर वे इस्लाम के आह्वान में तुम्हारे पास आते हैं , तो उनसे [अधिक] पूछें; यदि वे दान कर का भुगतान करने का दावा करते हैं, तो उनसे उसे स्वीकार करें; लेकिन अगर वे इससे इनकार करते हैं, तो बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ।

हदीस सहीह बुखारी 2977: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "मुझे सबसे छोटे शब्दों के साथ भेजा गया है जो सबसे बड़े अर्थ रखते हैं, और मुझे खौफ (दुश्मन के दिलों में डालकर) के साथ विजयी बनाया गया है, और जब मैं सो रहा था, तो दुनिया के खजानों की कुंजियाँ मेरे पास लायी गईं और मेरे हाथ में दे दी गईं।" अबू हुरैरा (रज़ि) ने कहा: अल्लाह के रसूल (स.) दुनिया से चले गए हैं और अब तुम लोग उन खजानों को बाहर निकाल रहे हो (यानी पैगंबर (स.) को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ)। **[सहीह मुस्लिम 1172, यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 1167, 1168: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: मुझे अन्य नबियों (स.) पर छह मामलों में श्रेष्ठता दी गई है: मुझे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो संक्षिप्त लेकिन अर्थ में व्यापक हैं; मुझे (दुश्मनों के दिलों में) खौफ से मदद मिली है: **मेरे लिए लूट हलाल कर दी गई है**: धरती मेरे लिए स्वच्छ और इबादत की जगह बना दी गई है; मुझे सभी मानव जाति के लिए भेजा गया है और पैगंबर की वंशावली मेरे साथ समाप्त हो गई है।

कुरान 8:12-13: (याद करो) जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा, "मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतः जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें मज़बूत रखो। मैं उन लोगों के दिलों में खौफ़ भर दूँगा जिन्होंने इनकार किया है। अतः उनकी गर्दनों पर वार करो और उनकी सभी उँगलियों और पैरों की उँगलियों पर वार करो।" यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा की।

क़ुरआन 3:151: हम इनकार करने वालों के दिलों में उस चीज़ के कारण भय भर देंगे, जिसका उन्होंने अल्लाह के साथ साझी ठहराया है, जिसका अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा। और उनका ठिकाना आग है, और अत्याचारियों का ठिकाना बहुत बुरा है।

कुरान 8:60: उनके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा दो, युद्ध के घोड़े भी तैयार रखो, ताकि दुश्मनों में भय भर दो , अल्लाह के और तुम्हारे शत्रुओं के और उनके अतिरिक्त उन लोगों के भी, जिन्हें तुम नहीं जानते, परन्तु जिन्हें अल्लाह जानता है।

क़ुरआन 59:2: वही है जिसने किताब वालों (यहूदियों और ईसाइयों) में से इनकार करने वालों को निकाल दिया। तुमने सोचा न था कि वे निकलेंगे और उन्होंने सोचा था कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, किन्तु अल्लाह का आदेश उन पर वहाँ से आया जहाँ से उन्होंने सोचा भी न था और **उसने उनके दिलों में भय भर दिया,** अतः उन्होंने अपने घरों को अपने हाथों से और ईमान वालों के हाथों से नष्ट कर दिया।

क़ुरआन 33:26-27: और किताब वालों में से जिन लोगों ने उनका साथ दिया (यहूदियों और ईसाइयों ने) अल्लाह ने उन्हें उनके किलों

से नीचे उतारा **और उनके दिलों में खौफ़ भर दिया**, (इसलिए कि) एक समूह का (उनमें से कुछ को) तुमने क़त्ल कर दिया और उनमें से एक समूह को बन्दी बना लिया। और उसने तुम्हें उनकी ज़मीनों और उनके घरों और उनके मालों का वारिस बनाया और उस ज़मीन का भी जिस पर तुमने पहले कभी पैर नहीं रखा था। और अल्लाह हर चीज़ पर सामर्थ्य रखता है।

कुरान 8:57: अतः यदि तुम युद्ध में उन पर प्रभुत्व प्राप्त कर लो, तो उन्हें कठोर दण्ड दो, ताकि उनके पीछे वाले तितर-बितर हो जाएं, ताकि वे सबक सीख लें।

कुरान 8:67: यह किसी नबी के लिए उचित नहीं कि वह युद्धबंदियों को पकड़कर फिरौती देकर मुक्त कर दे, जब तक कि वह धरती में बड़ा कत्लेआम न मचा दे।

हदीस तिर्मिज़ी 2847: पैगंबर (स.) ने " उमरातिल-कदा" के दौरान मक्का में प्रवेश किया और 'अब्दुल्ला बिन रवाहा' उनके आगे कविता की आयतें पढ़ते हुए चल रहे थे। " "ऐ काफ़िरों की क़ौम! उसके मार्ग से हट जाओ। आज हम उसके अवतरण (आयत) के विषय में तुम पर प्रहार करेंगे। ऐसा प्रहार जो सिरों को कंधों से अलग कर देगा और मित्र को अपने मित्र की चिन्ता न रहेगी।" उमर (रज़ि) ने उससे कहा: "ऐ इब्न रवाहा! अल्लाह के रसूल (स.) के सामने और अल्लाह के पवित्र स्थान में तुम कविता करते हो?" अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "उमर उसे छोड़ दो! क्योंकि यह उन पर बरसते तीर से भी तेज़ है।"

शवों को क्षत-विक्षत करना

हदीस सहीह बुखारी 3854: जब पैगम्बर (स.) कुछ कुरैश लोगों से घिरे हुए सजदा कर रहे थे, तो उकबा बिन अबी मुअत ने एक ऊँट की आंतें लाकर पैगम्बर (स.) की पीठ पर रख दी । पैगम्बर (स.) ने अपना सिर नहीं उठाया, (तब तक) फातिमा आईं और उसे उनकी पीठ से उतार दिया और उस व्यक्ति को धिक्कार दिया जिसने नुकसान पहुँचाया था। पैगम्बर (स.) ने कहा, "हे अल्लाह! कुरैश के सरदारों, अबू जहल बिन हिशाम, 'उतबा बिन रबी' अलशबा बिन रबीआ, उमैया बिन खलफ या उबै बिन खलफ को नष्ट कर दे ।" (उप-कथावाचक शूबा , अंतिम नाम के बारे में निश्चित नहीं हैं।) मैंने इन लोगों को बद्र युद्ध के दिन मारे गए और कुएं में फेंकते देखा, सिवाय उमैया या उबई के जिनके शरीर के अंगों को क्षत-विक्षत कर दिया गया था, लेकिन उन्हें कुएं में नहीं फेंका गया था। **[मिलती-जुलती: सहीह बुखारी 3185]**

रात के छापे में बच्चों और महिलाओं की हत्या

हदीस सहीह मुस्लिम 4549- 4551: अल्लाह के पैगंबर (स.) से, जब रात की छापेमारी के दौरान मारे गए मुश्रिकों की महिलाओं और बच्चों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: वे उनमें से हैं। **[इब्न माजा 2839, यही बयान, बुलुग अल-मरम किताब 11, हदीस 1311, [अबू दाऊद 2672: मिलती-जुलती]**

हदीस सहीह बुखारी 3012: पैगम्बर (स.) मेरे पास से अल-अब्वा या वद्दन नामक स्थान से गुज़रे, और मुझसे पूछा गया कि क्या रात में बुतपरस्त योद्धाओं पर हमला करना जायज़ है, क्योंकि इससे उनकी महिलाओं और बच्चों के ख़तरे में पड़ने की संभावना है। पैगम्बर (स.) ने उत्तर दिया, "वे (यानी महिलाएँ और बच्चे) उन्हीं (यानी बुतपरस्तों) में से हैं।" मैंने पैगम्बर (स.) को यह कहते हुए भी सुना, "हिमा की संस्था अल्लाह और उसके रसूल के अलावा अवैध है।" [हिमा = संरक्षण]

कुरान में अल्लाह के एक पैगम्बर का वर्णन है, जिनका **नाम खिज्र (अलै.)** था। उन्हें **एक मासूम लड़के** की बेरहमी से हत्या करने की अनुमति दी गई थी, ताकि भविष्य में वह अपने माता-पिता को इस्लाम छोड़ने के लिए प्रेरित न कर सके:

कुरान 18:74-80: फिर वे दोनों आगे बढ़े, यहाँ तक कि उन्हें एक लड़का मिला, खिज्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा: "क्या तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला, जिसने किसी को नहीं मारा? वास्तव में, तुमने एक "नुक्र" (एक भयानक बात) किया है!" (खिज्र) ने कहा: "क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ धैर्य नहीं रख सकते?" [मूसा ने कहा: "यदि मैं इसके बाद तुमसे कुछ भी पूछूं, तो मुझे अपने साथ मत रखना, तुम्हें मुझसे बहाना मिल गया है।" फिर वे दोनों आगे बढ़े, यहाँ तक कि जब वे एक शहर के लोगों के पास पहुंचे, तो उन्होंने उनसे भोजन मांगा, लेकिन उन्होंने उनका आतिथ्य करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी और उसने (खिज्र) इसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, "यदि तुम चाहते तो इसके लिए मज़दूरी ले सकते थे।" (खिद्र) ने कहा, "यह मेरे और तुम्हारे बीच जुदा होने का दिन है। मैं तुम्हें उन चीज़ों का अर्थ बताता हूँ जिन पर तुम धैर्य नहीं रख सके। "जहाज़ समुद्र में काम करने वाले

मसाकिनों का था। इसलिए मैंने उसमें कुछ ख़राबी करना चाहा, क्योंकि उनके पीछे एक राजा था जो हर जहाज़ को ज़बरदस्ती जब्त कर लेता था। और लड़के के माता-पिता ईमानवाले थे। हमें डर था कि कहीं वह विद्रोह और कुफ़्र करके उन पर अत्याचार न करे। अतः वे जहाज़ से उतरकर पैदल ही चल पड़े, यहाँ तक कि उन्हें एक लड़का मिला, जो अभी यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ था, और अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था, जिनमें उसका चेहरा सबसे सुन्दर था और अल-खिद्र ने चाकू से उसका गला काट दिया, या अपने हाथ से उसका सिर फाड़ दिया, या दीवार पर उसका सिर पटक दिया और जहाँ तक लड़के का प्रश्न था, उसके माता-पिता ईमानवाले थे और हमें डर था कि कहीं वह उन पर अहंकार और कुफ़्र का साया न डाल दे - क्योंकि वह मुस्लिम की हदीस में वर्णित है, 'वह कुफ़्र की प्रवृत्ति वाला था, और यदि वह अधिक जीवित रहता, तो यह प्रवृत्ति उन पर अत्याचार करती, क्योंकि वे उससे प्रेम करते थे, और वे उसके ऐसे ही मार्ग पर चलते।' [**हदीस सहीह बुखारी 4726, अबू दाऊद 4705, यही बयान]**

लूट का माल (माले ग़नीमत)

कुरान 8:41: और जान लो कि जो भी युद्ध-लूट तुम प्राप्त करो, उसका पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह और रसूल को सौंपा गया है

कुरान 8:41 (तफ़्सीर-ए-जलालैन): और जान लो कि जो भी लूट तुमने काफिरों से जबरदस्ती छीनी है उसका पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह के लिए है, जैसा चाहे बांट दे और रसूल के लिए और रिश्तेदारों के लिए, पैगंबर (स.) के रिश्तेदारों के लिए जो बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब में से हों और अनाथ मुसलमानों की संतानें जिनके पिता मर गए हैं और गरीबी में हैं, और मुहताज वे मुसलमान जो सख्त जरूरत में हैं और यात्री है - दूसरे शब्दों में यह पाँचवाँ हिस्सा पैगंबर (स.) और इन चार श्रेणियों के लोगों का है जिस तरह से वह इसे बांटते थे प्रत्येक के लिए पांचवें का पांचवां हिस्सा और शेष चार पांचवें हिस्से उन लोगों के लिए जिन्होंने लूट हासिल की थी..

कुरान 8:69: अतः अब जो कुछ तुमने लूटा है, उसे हलाल और अच्छा समझकर खाओ और अल्लाह से डरते रहो। निस्संदेह अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील, दयावान है।

हदीस सहीह बुखारी 3122: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "मेरे लिए लूट वैध कर दी गई है।"

तबारी: VIII.149: अब्दुल्लाह बिन अबी हद्रद, जिन्होंने कहा: मैंने अपने कबीले की एक महिला से शादी की, उसे 200 दिरहम का उपहार देने का वादा किया। फिर मैं अपने विवाह में उनकी सहायता के लिए ईश्वर के रसूल के पास आया। बनू जुशाम से रिफाह बिन कैस नाम का एक व्यक्ति अपने कबीले के लोगों और साथियों के साथ अल-गबा में डेरा डाला..... ईश्वर के रसूल ने मुझे और दो अन्य मुसलमानों को बुलाया और कहा, इस आदमी के पास जाओ और या तो उसे हमारे पास लाओ या हमें उसके बारे में एक रिपोर्ट और जानकारी लाओ..... मैं उनके पास रिफाह का सिर लाया। ईश्वर के रसूल ने मुझे उस झुंड से तेरह ऊंट दिए ।

हदीस सहीह बुखारी 335: पैगंबर (स.) ने कहा, "मुझे पांच चीजें दी गई हैं, जो मुझसे पहले किसी और को नहीं दी गईं। 1. अल्लाह ने मुझे खौफ से विजयी बनाया, (मेरे दुश्मनों को डराकर) एक महीने की यात्रा की दूरी तक से। 2. धरती मेरे (और मेरे अनुयायियों के लिए) नमाज़ पढ़ने की जगह और तयम्मुम करने की चीज़ बनाई गई है, इसलिए मेरे अनुयायियों में से कोई भी नमाज़ का समय होने पर नमाज़ पढ़ सकता है। 3. लूट मेरे लिए हलाल (वैध) कर दी गई है, जबकि यह मुझसे पहले किसी और के लिए वैध नहीं थी। 4. मुझे (पुनरुत्थान के दिन) शिफ़ाअत का अधिकार दिया गया है। 5. प्रत्येक पैगंबर (स.) को केवल अपने राष्ट्र के लिए भेजा जाता था, लेकिन मुझे सभी मानव जाति के लिए भेजा गया है।

अल-तबारी, खंड 8, पृष्ठ 35-36: हुयै बिन अख़्तब, अल्लाह के दुश्मन को लाया गया। उसने गुलाबी रंग का एक सूट पहना हुआ था, जिसे उसने अपनी उंगलियों के आकार के छेदों से फाड़ दिया था ताकि उसे लूट के रूप में न लिया जाए, और उसके हाथ रस्सी से उसकी गर्दन से बंधे हुए थे। जब उसने अल्लाह के रसूल की ओर देखा, तो उसने कहा, "अल्लाह की कसम, मैं आपसे दुश्मनी करने के लिए खुद को दोषी नहीं मानता, लेकिन जिसे अल्लाह त्याग देता है, वह त्याग दिया जाता है। फिर उसने लोगों की ओर रुख किया और कहा: "लोगो, अल्लाह के आदेश में कोई बुराई नहीं है। यह अल्लाह की पुस्तक है, उसका आदेश है, और इसराइल के बच्चों के खिलाफ महान नरसंहार का युद्धक्षेत्र है " फिर वह बैठ गया और उसका सिर काट दिया गया।

हुयै बिन अख़्तब: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की पत्नी सफ़िया (रज़ि.) के पिता

हदीस अन-नसाई 3333, 3334: यजीद बिन अल-बरा से वर्णित है कि उसके पिता ने कहा: "मैं अपने मामा से मिला जो एक झंडा लेकर जा रहे थे और मैंने पूछा: 'आप कहां जा रहे हैं?' उन्होंने कहा: 'अल्लाह के रसूल मुझे एक ऐसे आदमी के पास भेज रहे हैं जिसने अपने पिता की पत्नी से शादी कर ली है, और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं उसकी गर्दन काट दूं (उसे मार डालूं) और उसका धन जब्त कर लूं।" (सहीह) [**इब्न माजा 2608: यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 4574: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: यदि आप किसी बस्ती (जिसने औपचारिक युद्ध के बिना आत्मसमर्पण कर दिया है) में आते हैं और वहां रहते हैं, तो आपका उसमें (प्राप्त संपत्ति) में एक हिस्सा है (जो पुरस्कार के रूप में होगा)। यदि कोई बस्ती अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करती है (और वास्तव में मुसलमानों के खिलाफ लड़ती है) तो वहां से जब्त की गई लूट का पांचवां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और बाकी तुम्हारे लिए है।

सहीह बुखारी 4318, 4319: मरवान और अल-मिस्वर बिन मखरामा ने रिवायत किया: जब हवाज़िन के प्रतिनिधि अल्लाह के रसूल (स.) के पास आए और इस्लाम में अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की और उनसे अपनी संपत्ति और बंदी वापस करने के लिए कहा, अल्लाह के रसूल (स.) उठे और उनसे कहा, "इस मामले में वे लोग शामिल हैं, जिन्हें तुम मेरे साथ देखते हो, और जो मुझसे सबसे प्रिय बात करता है, वही सच्चा है। इसलिए दो विकल्पों में से एक चुनो: या तो बंदी या संपत्ति। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था (यानी लूट का माल वितरित नहीं किया है)।" अल्लाह के रसूल (स.) ने ताइफ़ से लौटने के बाद दस रातों तक उनकी लूट का माल बाँटने में देरी की थी। फिर जब उन्हें पता चला कि अल्लाह के रसूल (स.) उन दोनों में से किसी एक को लौटाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, "हम अपने बंदियों को रखना पसंद करते हैं।" फिर अल्लाह के रसूल (स.) मुसलमानों के बीच उठे और अल्लाह की तारीफ़ करते हुए कहा, "चलिए! तुम्हारे भाई तुम्हारे पास तौबा करके आए हैं और मैं उनके बंदियों को लौटाना उचित समझता हूँ। तो तुममें से जो कोई एहसान के तौर पर ऐसा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। और तुममें से जो कोई अपने हिस्से पर तब तक अड़ा रहना चाहे जब तक कि हम उसे पहली लूट से ही न दे दें, जो अल्लाह हमें देगा, तो वह ऐसा कर सकता है।" लोगों ने कहा, "हम एहसान के तौर पर ऐसा (यानी बंदियों को लौटाना) खुशी-खुशी करते हैं।

लूट के पैसे से लोगों का धर्म परिवर्तन करें

हदीस सहीह मुस्लिम 2444: अध्याय: उन लोगों को देना जिनके दिल (इस्लाम की ओर) झुके हुए हैं और उन लोगों से आग्रह करना जिनका ईमान मजबूत है कि वे धैर्य रखें: इस हदीस को सईद बिन मसरूक ने उसी तरह के प्रसारकों के साथ सुनाया है (शब्दों के साथ): "अल्लाह के रसूल (स.) ने हुनैन की लूट को वितरित किया, और उन्होंने (पवित्र पैगंबर) अबू सुफ़यान बिन हरब को एक सौ ऊँट दिए। हदीस का बाकी हिस्सा वही है, लेकिन इस जोड़ के साथ: "उन्होंने अलकमा बिन 'उलथा को एक सौ (ऊँट) दिए।" **[हदीस सहीह मुस्लिम 2446: यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 7432: जब अली (रज़ि) यमन में थे, तो उन्होंने पैगंबर के पास कुछ सोना भेजा। पैगंबर (स.) ने इसे अल-अकरा बिन हबीस अल-हंजाली के बीच वितरित किया जो बनी मुजाशी से संबंधित थे, 'उयना बिन बदर अल-फजारी, 'अलकामा बिन 'उलथा अल-अमीरी, जो बनी किलाब जनजाति से संबंधित थे और जैद अल-खैल अतताई जो बनी नभान से संबंधित थे। इसलिए कुरैश और अंसार नाराज हो गए और कहा, " वे नज्द के सरदारों को देते हैं और हमें छोड़ देते हैं !" पैगंबर (स.) ने कहा, "मैं बस उनके दिलों को आकर्षित करना और एकजुट करना चाहता था (उन्हें इस्लाम में दृढ़ बनाना)।"

देश पहले या धर्म पहले:

क़ुरआन 21:92, 23:52: "यह तुम्हारी उम्मा एक ही उम्मा है और मैं तुम्हारा रब हूँ..."

'उम्मा' अरबी शब्द है, जिसका मतलब है विश्वव्यापी मुस्लिम समुदाय।

आज के आधुनिक राष्ट्र आम तौर पर सरहद, भाषा, संस्कृति, संविधान पर टिके हैं। इस्लाम में मुल्क या इलाक़ा मायने रख सकता है लेकिन यह ईमान और उम्मा से ऊपर नहीं है।

वफ़ादारी अल्लाह के प्रति होनी चाहिए:

क़ुरआन 9:123: जो काफ़िर तुम्हारे निकट हैं उनसे लड़ो, और चाहिए कि वे तुममें सख़्ती पाएँ, जान लो कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसके (अल्लाह) प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।

हदीस अबू दाऊद 4681: अबू उमामा से रिवायत है: पैगंबर (स.) ने कहा: जो कोई अल्लाह के लिए प्यार करता है, अल्लाह के लिए

नफरत करता है, अल्लाह के लिए देता है और अल्लाह के लिए रोकता है, वह पूर्ण विश्वास वाला होगा। [**हदीस तिर्मिज़ी 2521: यही बयान**]

हदीस सहीह बुखारी 2955, 7144:- अध्याय: इमाम की बात सुनना और उसका पालन करना: इब्न उमर से रिवायत है: पैगंबर (स.) ने कहा, "किसी के लिए (शासक के आदेशों) को सुनना और उनका पालन करना अनिवार्य है जब तक कि इन आदेशों में (अल्लाह की) अवज्ञा शामिल न हो; लेकिन अगर (अल्लाह की) अवज्ञा का कोई कार्य थोपा जाता है, तो उसे न तो सुनना चाहिए और न ही उसका पालन करना चाहिए।"

मुसलमानों में उच्च जन्म दर क्यों

हदीस अबू दाऊद 2050: एक आदमी पैगंबर (स.) के पास आया और कहा: मुझे एक उच्च पद की और सुंदर महिला मिली है, लेकिन वह बच्चों को जन्म नहीं देती। क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए? उन्होनें कहा: नहीं। वह फिर से उनके पास आया, लेकिन उन्होनें उसे मना कर दिया। वह तीसरी बार उनके पास आया, और उन्होंने (पैगंबर (स.)) कहा: ऐसी स्त्रियों से विवाह करो जो प्रेममयी और उपजाऊ हों, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता से संख्या में (अन्य) लोगों से अधिक हो जाऊंगा। (सहीह)

जिहाद में पेड़ काटना, घरों को नष्ट करना

क़ुरआन 59:5: "तुमने खजूर के किसी भी पेड़ को काटा या उसे जड़ पर खड़ा छोड़ा, यह अल्लाह के हुक्म से था, ताकि फासिकों (नाफरमानों) को रुसवा (अपमानित) किया जाए।"

हदीस सहीह मुस्लिम 4552: अल्लाह के रसूल (स.) ने बनू नादिर के खजूर के पेड़ों को जलाने और काटने का आदेश दिया। ये खजूर के पेड़ बुवैरा में थे ।

हदीस सहीह अल-बुखारी 2326, 4031: अल्लाह के रसूल (स.) ने बनी अल-नादिर के खजूर के पेड़ों को जला दिया और अल- बुवैरा नामक स्थान पर कटवा दिया । फिर अल्लाह ने नाज़िल की: " क़ुरआन 59:5...."

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित), पृष्ठ 603-604: 09.10 जानवरों को मारना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ़ युद्ध में ले जाया जा रहा हो, या उन्हें मारने से दुश्मन को हराने में मदद मिलेगी... 09.15 जिहाद में दुश्मन के पेड़ों को काटना और उनके घरों को नष्ट करना जायज़ है।

दूसरों की कब्रों और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाना

हदीस सहीह मुस्लिम 1186: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उन्होंने अपने रसूलों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया है।

हदीस तिर्मिज़ी 1049: अली (रज़ि) ने अबू अल-हय्याज अल-असदी से कहा: 'मैं तुम्हें उसी के साथ भेज रहा हूं जो पैगंबर (स.) ने मुझे भेजा था: "कि तुम किसी ऊँची कब्र को बिना समतल किए न छोड़ो, और न किसी प्रतिमा को बिना मिटाए। [**हदीस सहीह मुस्लिम 2243, 2244**, **अबू दाऊद 3218: यही बयान**]

सहीह बुखारी 1868: अनस से रिवायत है: पैगम्बर (स.) मदीना आए और एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया और कहा, "ऐ बनी नज्जर! मुझे अपनी ज़मीन की कीमत बताओ।" उन्होंने कहा, "हमें इसकी कीमत अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए" (यानी वे अपनी ज़मीन मुफ़्त में देने के लिए अल्लाह से इनाम चाहते थे) । इसलिए, पैगम्बर (स.) ने बुतपरस्तों की कब्रें खोदने और ज़मीन को समतल करने और खजूर के पेड़ों को काटने का आदेश दिया। कटे हुए खजूर के पेड़ों को मस्जिद के क़िबला की दिशा में लगाया गया।

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 552: विजय के दिन रसूल मक्का गए और इसमें 360 मूर्तियाँ (देवताओं के धार्मिक प्रतीक) थीं जिन्हें इबलीस ने सीसे (लेड) से मजबूत किया था। रसूल (स.) उनके पास एक छड़ी हाथ में लेकर खड़े थे और कह रहे थे, 'सत्य आ गया है और झूठ बीत गया है; निस्संदेह झूठ का नाश होना निश्चित है' (**क़ुरआन 7:82**)। फिर उसने अपनी छड़ी से उनकी ओर इशारा किया और वे एक के बाद एक अपनी पीठ के बल गिर पड़े। ..... कुरैश ने काबा में दो तस्वीरें रखी थीं जिनमें मरियम के बेटे ईसा और मरियम की तस्वीरें शामिल थीं। शिहिब ने कहा: अस्मा बिन्त शक्र ने कहा कि ग़स्सान की एक महिला अरबों की तीर्थयात्रा में शामिल हुई और जब उसने काबा में मरियम की तस्वीर देखी तो उसने कहा, 'मेरे पिता और मेरी माँ आपकी फिरौती हों! आप निश्चित रूप से एक अरब महिला हैं!' मुहम्मद (स.) ने आदेश दिया कि ईसा

और मरियम को छोड़कर बाकी तस्वीरें मिटा दी जानी चाहिए। [**इब्न इशाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 774: यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 4357: जरीर ने कहा "अल्लाह के रसूल (स.) ने मुझसे कहा, "क्या तुम मुझे **ज़ुल-ख़लासा** (**यमनी काबा**) से राहत नहीं दोगे?" मैंने कहा, "हाँ, (मैं राहत दूंगा)।" इसलिए मैं अहमास जनजाति के एक सौ पचास घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ा, जो घोड़ों की सवारी करने में कुशल थे। मैं घोड़ों पर स्थिर नहीं बैठता था, इसलिए मैंने पैगंबर (स.) को इस बारे में बताया, और उन्होंने अपने हाथ से मेरे सीने को सहलाया यहाँ तक कि मैंने अपने सीने पर उनके हाथ के निशान देखे और उन्होंने कहा, हे अल्लाह! उसे दृढ़ बनाओ और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का मार्गदर्शन करे और (सही मार्ग पर) निर्देशित हो।' तब से मैं कभी घोड़े से नहीं गिरा। ज़ुल-ख़ुलासा यमन में ख़थम और बजैला जनजाति से संबंधित एक मन्दिर था, और इसमें मूर्तियाँ थीं जिनकी पूजा की जाती थी। जरीर जब यमन पहुंचे तो वहां एक आदमी था जो शकुन-अपशकुन के तीर चलाकर भविष्य बताता था। किसी ने उससे कहा, "अल्लाह के रसूल (स.) यहां मौजूद है और अगर वह तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारी गर्दन काट देगे।" एक दिन जब वह तीर चला रहा था तो जरीर वहीं रुक गए और उन्होंने कहा, "इन्हें (यानी तीरों को) तोड़ दो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा।" तो उस आदमी ने तीर तोड़ दिए और गवाही दी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। फिर जरीर ने अहमास कबीले से अबू अर्ताता नामक एक आदमी को पैगंबर (स.) के पास खुशखबरी (ज़ुल-ख़लासा के विनाश की) देने के लिए भेजा। जब आदमी पैगंबर (स.) के पास पहुंचा तो उसने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, उसकी कसम, हमने इन्हे तब तक नहीं छोड़ा जब तक यह खुजलीदार ऊंट की तरह न हो गए।" फिर पैगम्बर (स.) ने अहमस के घोड़ों और उनके आदमियों को पांच बार आशीर्वाद दिया। [**सहीह बुखारी 4355: यही बयान]**

कुत्तों को मार डालो

हदीस सहीह मुस्लिम 5511: जिब्रील (अलै.) ने अल्लाह के रसूल (स.) से एक निश्चित समय पर आने का वादा किया था; वह समय आया लेकिन वह उनके पास नहीं आए। और उनके हाथ में (अल्लाह के रसूल के हाथ में) एक छड़ी थी। उन्होंने इसे अपने हाथ से फेंक दिया और कहा: अल्लाह या उसके रसूलों (फ़रिश्ते) ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। फिर उन्होंने एक नज़र डाली (और संयोग से) अपनी खाट के नीचे एक पिल्ला पाया और कहा: 'आयशा (रज़ि), यह कुत्ता यहाँ कब आया? उन्होंने कहा: अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता कि उन्होंने फिर आदेश दिया और यह बाहर निकाला गया । फिर जिब्रील (अलै.) आए और अल्लाह के रसूल (स.) ने उनसे कहा: आपने मुझसे वादा किया था और मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप नहीं आए, जिस पर उन्होंने कहा: यह आपके घर का कुत्ता था जिसने मुझे (आने से) रोका, क्योंकि हम (फ़रिश्ते) उस घर में प्रवेश नहीं करते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। **[यही बयान; सहीह बुखारी 3322, 3227, 5949, 5960]**

हदीस सहीह मुस्लिम 4017 (INT 1570b), सहीह मुस्लिम 4018 (INT 1570c): अल्लाह के रसूल (स.) ने कुत्तों को मारने का आदेश दिया और हम मदीना और उसके कोनों में (लोगों को) भेजते थे और हमने किसी भी कुत्ते को नहीं छोड़ा (जिसे हमने नहीं मारा) | **[यही बयान; हदीस सहीह बुखारी 3323: सहीह मुस्लिम 4016, मुवत्ता मलिक किताब 54, हदीस 13, इब्न माजा 3202]**

हदीस तिर्मिज़ी 1488: इब्न उमर ने रिवायत किया: "अल्लाह के रसूल (स.) ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, सिवाय शिकार करने वाले कुत्ते या मवेशियों की रखवाली करने वाले कुत्ते के।" उनसे कहा गया: "अबू हुरैरा (रज़ि) कहते थे: 'या खेत का कुत्ता' तो उन्होंने (इब्न उमर ने) कहा: "अबू हुरैरा (रज़ि) के पास एक खेत था।" (सहीह)

हदीस इब्न माजा 949: पैगंबर (स.) ने कहा: "एक काले कुत्ते और एक महिला जो मासिक धर्म की उम्र तक पहुँच गई है, प्रार्थना को बाधित करती है।" (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 1137: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जब तुममें से कोई नमाज़ के लिए खड़ा हो और उसके सामने काठी के पिछले हिस्से के बराबर कोई चीज़ हो जो उसे ढकती हो और अगर उसके सामने काठी के पिछले हिस्से के बराबर कोई चीज़ न हो, तो गधे, औरत और काले कुत्ते के गुजरने से उसकी नमाज़ टूट जाएगी। मैंने कहा: ऐ अबूज़र्र, काले कुत्ते में ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसे लाल कुत्ते और पीले कुत्ते से अलग करती है? उन्होंने कहा: ऐ मेरे भाई के बेटे, मैंने अल्लाह के रसूल (स.) से पूछा जैसा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, और उन्होंने कहा: काला कुत्ता शैतान है।

हदीस इब्न माजा 3210: यह वर्णित है कि अबूज़र ने कहा: "मैंने अल्लाह के रसूल (स.) से काले कुत्ते के बारे में पूछा और उन्होंने कहा: (यह) एक शैतान है ।'

हदीस अन -नसाई 4281: यह वर्णित है कि अज़-ज़ुहरी ने कहा: "इब्न अस-सब्बाक ने कहा: "मैमुना ने मुझे बताया कि जिब्रील (अलै.) ने अल्लाह के रसूल से कहा 'हम (फ़रिश्ते) उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें कोई **कुत्ता** या **तस्वीर** हो, अगले दिन अल्लाह के रसूल ने आदेश दिया कि सभी कुत्तों को मार दिया जाए, यहां तक कि छोटे कुत्तों को भी।" **[हदीस अबू दाऊद 4157: यही बयान, मिलती-जुलती; हदीस अन- नसाई 4282, 4284]**

हदीस अबू दाऊद 2845: पैगंबर (स.) ने कहा: यदि कुत्ते प्राणियों की एक प्रजाति न होते तो मैं आदेश देता कि उन सभी को मार दिया जाए; लेकिन हर शुद्ध काले कुत्ते को मार डालो। (सहीह)

हदीस अबू दाऊद 2846: अल्लाह के रसूल (स.) ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था, और हम एक कुत्ते को मार रहे थे जिसे एक औरत रेगिस्तान से अपने साथ लाई थी। बाद में आपने कुत्तों को मारने से मना किया और कहा: अपने आप को उस किस्म तक सीमित रखो जो काली है। (सहीह)

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 98: e14.7 कोई भी वस्तु जो कुत्तों या सूअरों के संपर्क से अशुद्ध हो जाती है, वह सात बार धोए जाने के अलावा शुद्ध नहीं होती है, जिसमें से एक बार (बेहतर कि अंतिम बार न हो) शुद्ध करने वाली मिट्टी को (परिभाषा: e12.1 (b)) शुद्ध करने वाले पानी के साथ मिश्रित कर के होनी चाहिए, और इसे प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। मिट्टी के स्थान पर साबुन या कांच की पत्ती जैसी किसी अन्य चीज का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

आपको शायद ही कोई मुसलमान अपने घर में कुत्ता पालता हुआ मिलेगा।

कुत्ता पालने से अच्छे कर्मों का घाटा:

हदीस सहीह मुस्लिम 4032, 4035: अबू हुरैरा (रज़ि) ने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए वर्णित किया: जिसने कुत्ता रखा, वह हर दिन अपने कर्मों के बराबर एक किरात खो देगा । सिवाय एक कुत्ते को खेत या झुंड की रखवाली के लिए रखा जाए। [**यही बयान, सहीह बुखारी 5480, 5482, हदीस सहीह मुस्लिम 4025, 4029**]

हदीस अबू दाऊद 921: पैगंबर ने कहा: प्रार्थना के दौरान दो काली चीजों को मारो, सांप और बिच्छू।

अध्याय 9. दावा: इस्लाम की नजर में हर कोई बराबर है

गुलामी, कालेपन के बारे में विचार

कुरान 39:60: क़यामत के दिन तुम उन लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह के खिलाफ़ झूठ बोला; उनके चेहरे **काले** हो जाएँगे।

कुरान 3:106-107: जिस दिन (यानी क़यामत के दिन) कुछ चेहरे सफ़ेद हो जाएँगे और कुछ चेहरे **काले** हो जाएँगे;
1. जिनके चेहरे काले हो जाएँगे (उनसे कहा जाएगा): "क्या तुमने ईमान स्वीकार करने के बाद इनकार किया? फिर ईमान अस्वीकार करने के लिए यातना (जहन्नम में) चखो।"
2. और जिनके चेहरे सफ़ेद हो जाएँगे, वे अल्लाह की रहमत (स्वर्ग) में होंगे

हदीस तिर्मिज़ी 3136: अबू हुरैरा (रज़ि) ने रिवायत किया: कि अल्लाह, सर्वोच्च के कथन के बारे में: "जिस दिन हम सभी मनुष्यों को उनके (संबंधित) इमाम के साथ बुलाएंगे (**Q 17:71**)" पैगंबर (स.) ने कहा: "तुममें से एक को बुलाया जाएगा और उसके दाहिने हाथ में उसका अभिलेख दिया जाएगा, उसका शरीर साठ हाथ लंबा कर दिया जाएगा, उसका चेहरा सफेद कर दिया जाएगा और उसके सिर पर चमचमाते मोतियों का ताज रखा जाएगा। फिर वह अपने साथियों के पास जाएगा, जो उसे दूर से देख सकगे, और वे कहेंगे: 'ऐ अल्लाह! इसको हमारे पास ले आ और हम इससे आशीर्वाद पाएं।' यहाँ तक कि वह उनके पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है: 'शुभ सूचना प्राप्त करो! तुममें से प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार का है।' [आप (स.) ने कहा:] "और जो काफ़िर होगा, उसका चेहरा **काला** कर दिया जाएगा, उसके शरीर में आदम की शक्ल में साठ हाथ की लंबाई बढ़ा दी जाएगी, उसे एक ताज पहनाया जाएगा, और उसके साथी उसे देखेंगे और कहेंगे: 'हम इस व्यक्ति की बुराई से अल्लाह की शरण लेते हैं। ऐ अल्लाह! इसे हमारे पास मत लाओ।" आपने कहा: "जब वह उनके पास पहुँचता है, तो वे कहते हैं: 'ऐ अल्लाह! इसे ले जाओ' तो उनसे कहा जाएगा: 'अल्लाह तुम्हें दूर करे! वास्तव में तुममें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा ही है।'" (हसन) **[हदीस तिर्मिज़ी 2552: मिलती-जुलती]**

हदीस तिर्मिज़ी 3000: अबू ग़ालिब ने रिवायत किया: "अबू उमामा ने दमिश्क की की मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ सर गड़े हुए देखे (ख़वारिज के) । उन्होंने कहा: नरक के कुत्ते और स्वर्ग की छत्रछाया में सबसे बुरे मृतक। सबसे अच्छे शहीद वे हैं जिन्होंने इन लोगों ने मार डाला।' फिर उन्होंने पढ़ा: "जिस दिन कुछ चेहरे सफेद हो जाएंगे और कुछ चेहरे काले हो जाएंगे." (Q 3:106) आयत के अंत तक। मैंने अबू उमामा से कहा: "क्या आपने इसे अल्लाह के रसूल (स.) से सुना है?" उन्होंने कहा: 'अगर मैंने इसे एक बार, या दो बार, या तीन बार, या चार बार सुना होता - जब तक कि वह सात तक नहीं पहुंच गए - तो मैंने इसे आपसे बयान नहीं किया होता।

हदीस मिश्कात अल-मसाबीह 119: अबू दारदा ने बताया कि पवित्र पैगंबर (स.) ने कहा: अल्लाह ने आदम को बनाया । जब उसने उन्हें बनाया फिर उसने उसके दाहिने कंधे पर हाथ फेरा और सफ़ेद नस्ल को बाहर निकाला जैसे कि वे बीज थे, और एक काली नस्ल को बाहर निकाला जैसे कि वे कोयले थे। फिर उसने उन लोगों से कहा जो उसके दाहिने हिस्से में थे: स्वर्ग की ओर और मुझे परवाह नहीं है। उसने उन लोगों से कहा जो उसके बाएं कंधे पर थे: आग की ओर और मुझे परवाह नहीं है। ' - अहमद।

कुरान 27:82: "और जब उन पर (अज़ाब की) बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए धरती से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा, क्योंकि लोग हमारी आयतों पर यक़ीन नहीं करते थे।"

तफ़सीर कुरान 27:82 (इब्न कथिर): यह (जानवर) अंगूठी से अविश्वासियों की नाक पर वार करेगा, और 1. आस्तिक के चेहरे को चमकदार बना देगा...यह अपने साथ मूसा की छड़ी और सुलेमान की अंगूठी लाएगा। ऐसा कोई आस्तिक नहीं बचेगा जिसके चेहरे पर एक सफेद धब्बा बना हो, जो फैल जाएगा और उसका पूरा चेहरा सफेद हो जाएगा; 2. और कोई भी काफ़िर न बचेगा जिसके चेहरे पर काला दाग़ न पड़ जाए, जो फैल जाएगा यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा काला हो जाएगा,
फिर जब लोग बाज़ार में एक दूसरे से लेन-देन करेंगे तो कहेंगे, "ऐ ईमानवाले, यह कितना है! 'ऐ काफ़िर, यह कितना है' और जब एक घर के लोग खाने के लिए एक साथ बैठेंगे, तो वे जान जाएँगे कि कौन ईमानवाला है और कौन काफ़िर है। तब जानवर कहेगा, 'ऐ फ़लाँ, मज़े करो, क्योंकि तुम जन्नतवालों में से हो।' और वह कहेगा, 'ऐ फ़लाँ, तुम जहन्नमवालों में से हो।' यह वही है जो अल्लाह कहता है: (और जब उन पर कलाम पूरा हो जाएगा, तो हम उनके लिए धरती से एक जानवर निकालेंगे, ताकि वह उनसे बात करे, क्योंकि यह लोग हमारी आयत पर यक़ीन नहीं करते थे।)

इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 243: पैगंबर ने कहा, जो कोई भी शैतान को देखना चाहता है, उसे **नबताल बिन अल-हरिथ** को देखना चाहिए! वह लंबे लहराते बाल, सूजी हुई आँखें और काले सुर्ख गालों वाला एक मजबूत काला आदमी था... जिब्रील (अलै.) पैगंबर के पास आए और कहा, "आपके साथ बैठने के लिए एक काला आदमी आ रहा है जिसके लंबे लहराते बाल, सुर्ख गाल और दो तांबे के बर्तनों की तरह सूजी हुई आँखें हैं। उसका दिल गधे से भी ज्यादा गंदा है।

हदीस सहीह बुखारी 2901: जब कुछ इथियोपियाई लोग पैगंबर (स.) की मौजूदगी में खेल रहे थे, तो उमर (रज़ि) आए, एक पत्थर उठाया और उन्हें मारा। इस पर पैगंबर (स.) ने कहा, "ऐ उमर! उन्हें खेलने की इजाज़त दो।" ममर (उपकथावाचक) ने कहा कि वे मस्जिद में खेल रहे थे। **[अन-नसाई 1597: यही जानकारी]**

हदीस सहीह बुखारी 7142: अल्लाह के रसूल ने कहा, "आपको अपने शासक की बात सुननी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, भले ही वह एक इथियोपियाई (काला) गुलाम हो जिसका सिर किशमिश जैसा दिखता हो।"

इस्लाम ने गुलामी को खत्म नहीं किया

हदीस सहीह मुस्लिम 4113: एक गुलाम आया और अल्लाह के रसूल (स.) के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की; वह (पैगंबर (स.)) नहीं जानते थे कि वह एक गुलाम था। फिर उसका मालिक आया और उसे वापस मांगा, जिस पर अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: उसे मुझे बेच दो। और उन्होंने उसे दो काले गुलामों के बदले खरीदा, और उसके बाद उन्होंने किसी से तब तक निष्ठा नहीं ली जब तक कि उन्होंने उससे यह न पूछ लिया कि वह गुलाम (या एक स्वतंत्र व्यक्ति) है।

हदीस सहीह बुखारी 7263: उमर (रज़ि) ने रिवायत की: मैं आया और देखा कि अल्लाह के रसूल (स.) एक मशरूबा (अटारी कक्ष) में ठहरे हुए थे और अल्लाह के रसूल (स.) का एक काला गुलाम सीढ़ियों के ऊपर था। मैंने उससे कहा, "(पैगंबर (स.) से कहो) कि उमर बिन अल-खत्ताब यहाँ हैं (प्रवेश की अनुमति मांग रहे हैं)।" फिर उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। [**मिलती-जुलती हदीस सहीह बुखारी 2468**]

हदीस अबू दाऊद 4106: पैगंबर (स.), फातिमा के लिए एक गुलाम लाए जिसे उन्होंने उसे दान कर दिया। फातिमा ने एक ऐसा कपड़ा पहना था, जो जब वह अपना सिर ढकती थी, तो उसके पैरों तक नहीं पहुंचता था, और जब वह उससे अपने पैरों को ढकती थी, तो वह कपड़ा उसके सिर तक नहीं पहुंचता था। जब पैगंबर (स.) ने उसे संघर्ष करते देखा, तो उन्होंने कहा: कोई बात नहीं: यहाँ केवल तुम्हारे पिता और गुलाम हैं। (सहीह)

अल-तबारी खंड 39, पृष्ठ 194: पैगंबर (स.) ने उसे उपहार के रूप में एक गुलाम दिया।

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 405: आपने उन्हें (काले गुलामों, बिना वंश) के लोगों को इकट्ठा किया।

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 43, हदीस 5: हुदैल जनजाति की एक महिला ने उसी जनजाति की एक महिला पर पत्थर फेंका, और उसका गर्भपात हो गया। अल्लाह के रसूल (स.) ने फैसला सुनाया कि उसे एक गुलाम या दासी दी जानी चाहिए जो गोरी और उत्कृष्ट हो।

सहीह मुस्लिम 3138: उम्म अल-हुसैन ने बताया: मैंने अलविदा हज के अवसर पर अल्लाह के रसूल (स.) के साथ हज किया और उन्हें देखा जब उन्होंने जमरत अल-अकाबा में कंकड़ फेंके और ऊंट पर सवार होकर वापस लौटे, और बिलाल और उसामा उनके साथ थे। उनमें से एक अपने ऊंट को आगे बढ़ा रहा था, जबकि दूसरा अल्लाह के रसूल (स.) को धूप से बचाने के लिए उनके सिर पर अपना कपड़ा उठा रहा था। उन्होंने (आगे) कहा: अल्लाह के रसूल (स.) ने बहुत सी बातें कहीं, और मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना:

यदि कोई गुलाम जिसके कोई अंग गायब हो और जिसका रंग काला हो, अल्लाह की किताब के अनुसार तुम्हारा शासन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसकी बात सुनो और उसका पालन करो।

हदीस अबू-दाऊद 2160: अमर बिन शुऐब ने अपने पिता के अधिकार से कहा कि उनके दादा (अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न अल-अस) ने (हम) से कहा, पैगंबर (स.) ने कहा: यदि आप में से कोई एक महिला से शादी करता है या एक गुलाम खरीदता है, तो उसे चाहिए कि वह कहे: "हे अल्लाह, मैं तुझसे उसकी अच्छाई और उस स्वभाव के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तूने उसे दिया है; मैं उसकी बुराई से और उस स्वभाव से तेरी शरण लेता हूँ जो तूने उसे दिया है"। जब वह ऊँट खरीदता है, तो उसे उसके कूबड़ के ऊपरी हिस्से को पकड़कर यही बात कहनी चाहिए। (हसन)

हदीस सहीह मुस्लिम 230 (INT 70): जरीर बिन अब्दुल्लाह ने पवित्र पैगंबर (स.) से वर्णित किया: जब गुलाम अपने मालिक से भाग जाता है, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है।

हदीस अन-नसाई 4054: अल्लाह के रसूल [स.] ने कहा: 'यदि कोई गुलाम भाग जाता है, तो उससे कोई नमाज़ (प्रार्थना) तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपने स्वामियों के पास वापस न चला जाए।

गैर-मुसलमान के बजाय मुसलमान गुलाम को मुक्त करना

हदीस रियाद अस-सालिहीन 1358:: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "जो कोई मुस्लिम गुलाम को मुक्त करता है, अल्लाह उसके शरीर के हर अंग को जहन्नम की आग से गुलाम के शरीर के हर अंग के बदले में, यहां तक कि उसके गुप्तांगों को भी मुक्त कर देगा।" [**यही बयान, सहीह बुखारी 6715**]

क़ुरआन 4:92: और किसी ईमान वाले को यह हक़ नहीं कि वह किसी ईमान वाले को भूल से क़त्ल कर दे। और जो कोई किसी ईमान वाले को भूल से क़त्ल कर दे, है, तो एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना और मृतक के परिवार को मुआवज़ा देना ज़रूरी है, जब तक कि वे अपना अधिकार (दान के तौर पर) न छोड़ दें।

तफ़सीर कुरान 4:92 (इब्न कथिर): .... कफ़्फ़ारा (जुर्माना) एक मुस्लिम गुलाम को आज़ाद करना है, न कि एक गैर-मुस्लिम गुलाम को।

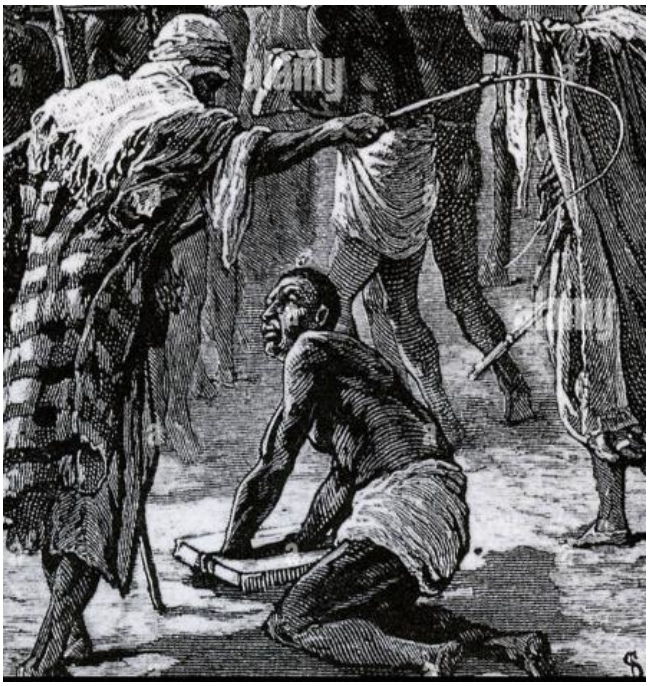

क्या गुलाम पर हिंसा की जाती थी?

हदीस अबू दाऊद 1818: अस्मा बिन्त अबू बक्र (रज़ि) से रिवायत है: हम अल्लाह के रसूल (स.) के साथ हज करने के लिए निकले थे। जब हम अल-अराज पहुँचे, तो अल्लाह के रसूल (स.) उतरे और हम भी उतरे। आयशा (रज़ि) अल्लाह के रसूल (स.) के पास बैठ गईं और मैं अपने पिता (अबू बक्र (रज़ि)) के पास बैठ गई। अबू बकर (रज़ि) और अल्लाह के रसूल (स.) के निजी सामान को अबू बकर (रज़ि) के गुलाम के ऊंट पर रख दिया। अबू बकर (रज़ि) बैठे हुए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वह (गुलाम) आया लेकिन उसके पास कोई ऊँट नहीं था। उन्होंने पूछा: तुम्हारा ऊँट कहाँ है? उसने जवाब दिया: मैंने इसे कल रात खो दिया। अबू बक्र (रज़ि) ने कहा: केवल एक ऊँट था, वह भी तुमने खो दिया है। फिर उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया जबकि अल्लाह के रसूल (स.) मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे: इस आदमी को देखो जो पवित्र अवस्था (इहराम पहने हुए) में है, वह क्या कर रहा है? इब्न अबू रिज्मा ने कहा: अल्लाह के रसूल (स.) ने इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं कहा: इस आदमी को देखो जो पवित्र अवस्था (इहराम पहने हुए) में है, वह क्या कर रहा है? वह मुस्कुरा रहे थे (जब उन्होंने ये शब्द कहे)।

हदीस सहीह बुखारी 2559: - अध्याय: यदि कोई किसी गुलाम को पीटता है, तो उसे उसके चेहरे से दूर रहना चाहिए: अबू हुरैरा (रज़ि)

ने रिवायत किया: पैगंबर (स.) ने कहा, "यदि कोई लड़ता है (या किसी को मारता है) तो उसे उसके चेहरे से दूर रहना चाहिए।"

हदीस अन-नसाई 4058: पैगंबर (स.) ने कहा: "यदि कोई गुलाम शिर्क (गैर-मुस्लिम) की भूमि पर भाग जाता है, तो उसका खून बहाना जायज़ है।"

हदीस अन-नसाई 4055: "यदि कोई गुलाम भाग जाता है, तो उससे कोई नमाज़ स्वीकार नहीं की जाएगी, और यदि वह मर जाता है, तो वह अविश्वासी मरेगा।" जरीर का एक गुलाम भाग गया, और उसने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर वार किया (उसे मार डाला)। (सहीह)

सहीह बुखारी 2232, 2233: अल्लाह के रसूल से एक अविवाहित दास-लड़की के बारे में पूछा गया जिसने अवैध यौन संबंध बनाए। उन्होंने उन्हें यह कहते हुए सुना, "उसे कोड़े मारो, और यदि वह इसके बाद भी अवैध यौन संबंध बनाती है, तो उसे दोबारा कोड़े मारो, और तीसरी (या चौथी) गलती पर उसे बेच दो।"

सहीह मुस्लिम 3029a: अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल अपनी दासी से कहा करता था: "जाओ और हमारे लिए वेश्यावृत्ति करके कुछ कमा लाओ।" इसी सिलसिले में अल्लाह ने यह आयत नाज़िल की: "और अपनी दासियों को वेश्यावृत्ति पर मजबूर न करो, जबकि वे पाक-दामन रहना चाहती हों, ताकि तुम दुनिया के जीवन का तुच्छ लाभ हासिल करो। और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा, तो निश्चय ही उनकी मजबूरी के बाद अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील, दयावान है।" (**क़ुरआन 24:33**)

"हालांकि, दासियों के ऐसे मालिकों पर कोई स्पष्ट और सख्त सज़ा लागू नहीं की गई। केवल नाजायज़ बताया गया है ।
सहीह बुख़ारी 5348: नबी (स.) ने दासी को वेश्यावृत्ति पर लगाकर कमाई जाने वाली आय को लेने से मना किया।

गुलाम की हत्या का मुआवज़ा

कुरान 2:178: ऐ ईमान वालो! हत्या के मामले में तुम्हारे लिए क़िसास (दंड का कानून) अनिवार्य कर दिया गया है: स्वतंत्र के बदले स्वतंत्र, दास के बदले दास, और महिला के बदले महिला।

तफ़सीर कुरान 2:178 (इब्न कथिर): अल्लाह का कथन: (स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र, गुलाम के लिए गुलाम, और महिला के लिए महिला) को जीवन के लिए जीवन (**कुरान 5:45)** द्वारा निरस्त कर दिया गया था। हालाँकि, अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि मुसलमान को उस काफिर के लिए नहीं मारा जाता जिसे उसने मार दिया है।

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 43, हदीस 15: "किसी गुलाम की किसी भी चोट के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिशोध नहीं किया जाता है। गुलाम को स्वतंत्र व्यक्ति के लिए मार दिया जाता है जब वह जानबूझकर उसकी हत्या करता है। स्वतंत्र व्यक्ति गुलाम के लिए नहीं मारा जाता है, भले ही वह जानबूझकर उसकी हत्या करे। मैंने जो सुना है, उसमें यह सबसे अच्छा है।"

मुक्त गुलामों की मुक्ति को रद्द करना

हदीस सहीह बुखारी 6753: अब्दुल्लाह ने रिवायत किया: मुसलमानों ने गुलामों को साइबा की तरह आज़ाद नहीं किया (जिसे मन्नत, व्रत या देवता के नाम पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, इस्लाम से पहले की अरब प्रथा), लेकिन इस्लाम से पहले के अज्ञान काल के मूर्तिपूजक ऐसा करते थे।

हदीस बुलुग अल-मरम किताब 15, हदीस 1474: जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि) ने सुनाया कि अंसार के एक आदमी ने घोषणा की कि उसका गुलाम उसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होगा (मुदब्बर होगा), हालांकि उसके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं थी। जब पैगंबर (स.) ने यह सुना तो उन्होंने कहा, "उसे मुझसे कौन खरीदेगा?" और नुइम बिन अब्दुल्लाह ने उसे तय किए गए आठ सौ दिरहम में खरीद लिया। अल-बुखारी की एक रिवायत में: "वह आदमी जरूरतमंद हो गया,' (इसलिए पैगंबर (स.) ने गुलाम को ले लिया (और उसे बेच दिया) और कहा...)।' अन-नसाई के एक संस्करण में कहा गया है, "उस आदमी पर कर्ज था, इसलिए पैगंबर (स.) ने गुलाम को आठ सौ दिरहम में बेच दिया [**हदीस अन-नसाई 5420, सहीह बुखारी 2141, यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 2534: हमारे बीच एक आदमी ने घोषणा की कि उसके मरने के बाद उसका गुलाम आज़ाद कर दिया जाएगा। पैगंबर (स.) ने उस गुलाम को बुलाया और उसे बेच दिया। गुलाम उसी साल मर गया।

हदीस सहीह बुखारी 2592: इब्न अब्बास (रज़ि) के आज़ाद गुलाम कुरैब ने रिवायत किया कि मैमूना बिन्त अल-हरिथ ने उससे कहा कि उसने पैगम्बर (स.) की अनुमति के बिना एक दासी को आज़ाद कर दिया। जिस दिन पैगम्बर (स.) के पास जाने की उसकी (मैमूना) बारी आई, उसने कहा, "क्या आप जानते हैं, हे अल्लाह के रसूल, कि मैंने अपनी दासी को आज़ाद कर दिया है?" उन्होंने कहा, "क्या तुमने सच में ऐसा किया है?" उसने "हाँ" में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "अगर तुमने उसे (यानी दासी को) अपने किसी मामा को दे दिया होता तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलता।"

हदीस सहीह मुस्लिम 4335: इमरान बिन हुसैन ने बताया कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं थी, उसने अपनी मृत्यु के समय अपने छह गुलामों को आज़ाद कर दिया। अल्लाह के रसूल (स.) ने उन्हें बुलाया और उन्हें तीन हिस्सों में विभाजित किया, उनके बीच चिट्ठियाँ डालीं, और दो को आज़ाद कर दिया और चार को गुलामी में रखा; और आप (पैगंबर) ने उसके बारे में बहुत कठोर बातें कहीं। उन्हें फिर से गुलाम बनाने का कारण उनके मालिक का कर्ज था।

गुलामों के साथ संभोग करना जायज़ है

कुरान 70:29-31: और जो लोग अपनी पवित्रता (यानी गुप्त अंगों को अवैध यौन कृत्यों से) की रक्षा करते हैं। सिवाय अपनी पत्नियों या (महिला दासियों और बंदी) के साथ जो उनके दाहिने हाथों के कब्जे में हैं - तो वे दोषी नहीं हैं।

हदीस अबू दाऊद 2171: एक आदमी ने कहा: अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक दासी है और मैं उससे (संभोग के अंत समय) लिंग को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं कि वह गर्भवती हो जाए। मैं (संभोग से) वही इरादा करता हूँ जो पुरुष करते हैं। यहूदी कहते हैं कि लिंग (अज़्ल) को बाहर निकालना जीवित लड़कियों को छोटे पैमाने पर दफनाना है। उन्होंने (पैगंबर (स.)) कहा: यहूदियों ने झूठ कहा। यदि अल्लाह इसे गर्भवती करना चाहता है, तो आप इसे टाल नहीं सकते।

उस दौर में ग़ुलाम अपनी मर्ज़ी से शादी या संभोग नहीं कर सकते थे। हर ग़ुलाम का जिस्म मालिक की मिल्कियत माना जाता था। **उम्म अल-वलद** वह **दासी-कन्या** होती थी जिसने अपने मालिक के बच्चे को जन्म दिया हो और मालिक ने उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया। प्रारंभिक इस्लामी समय में ये महिलाएँ संपत्ति के रूप में मानी जाती थीं। उनके मालिक उन्हें बेच सकते थे, और यह प्रथा पैग़म्बर मुहम्मद (स.) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमत थी। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के बाद ख़लीफ़ा उमर (रज़ि) ने नीति बनाई कि मालिक उम्म अल-वलद को न बेचें और न उपहार दें। मालिक की मृत्यु पर उन्हें मुक्ति दी जाए। अली (रज़ि) ने अपनी खलीफ़ाई के दौरान इसे बदल दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि उम्म अल-वलद अभी भी बेची जा सकती है, भले ही उसने मालिक के बच्चे को जन्म दिया हो।

दो ग़ुलाम से पैदा होने वाली औलाद भी मालिक की मिल्कियत ही होती थी। एक दास या दासी के बच्चे को तब बेचा जा सकता था जब उसके दो दांत निकल आए हों।

पैगंबर का पूरी तरह से गोरे के रूप में वर्णन

हदीस सहीह बुखारी 63: जब हम मस्जिद में पैगंबर (स.) के साथ बैठे थे, एक आदमी ऊंट पर सवार होकर आया। उसने अपने ऊंट को मस्जिद में घुटनों के बल बैठाया, उसके अगले पैर को बांधा और फिर पूछा: "आप में से मुहम्मद (स.) कौन हैं?" उस समय पैगंबर (स.) हमारे (अपने साथियों) बीच अपनी बांह पर झुके हुए बैठे थे। हमने कहा, " ये सफ़ेद रंग के बुज़ुर्ग, जो अपनी बाँह पर झुककर बैठे हैं।" [**अबू दाऊद 486, यही बयान]**

हदीस अबू दाऊद 4864: सईद अल-जरीरी ने अबू अल-तुफैल को यह कहते हुए उद्धृत किया: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को देखा। मैंने पूछा: आपने उन्हें देखा है? उन्होंने कहा: वह गोरे, सुंदर थे, और जब वह चलते थे, तो ऐसा लगता था कि वह किसी निचली ज़मीन पर उतर रहे हैं। (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 3544: "मैंने पैगंबर (स.) को देखा, और अल-हसन बिन `अली उनके जैसा दिखते थे।" मैंने अबू-जुहैफा से कहा, "मेरे लिए उनका वर्णन करें।" उन्होंने कहा, "वह गोरे थे और उनकी दाढ़ी काली थी और कुछ सफेद बाल थे। [**सहीह मुस्लिम 6081, यही जानकारी]**

हदीस अल-अदब अल-मुफ़राद 1155: अबू हुरायरा (रज़ि) ने अल्लाह के रसूल (स.) का वर्णन इन शब्दों में किया है, "वह मध्यम कद के थे, लेकिन लंबे होने के करीब थे। वह बहुत गोरे थे, उनकी दाढ़ी काली थी और आगे के दांत अच्छे थे। उनकी पलकें लंबी थीं।

उनके कंधों के बीच बहुत चौड़ाई थी और गाल भरे हुए थे। वह अपने पूरे पैर पर चलते थे, लेकिन उनमें कोई गड्ढा नहीं था। वह लोगों की ओर पूरी तरह मुड़ जाते थे या पूरी तरह से अपनी पीठ मोड़ लेते थे। मैंने उनके जैसा कोई व्यक्ति पहले या बाद में नहीं देखा।" (हसन)

हदीस अल-अदब अल-मुफ़राद_790: अबू-तुफ़ैल ने कहा, "मुझसे पूछा गया, 'क्या आपने पैगंबर (स.) को देखा है?' 'हाँ,' मैंने उत्तर दिया, 'और अब मैं अपने अलावा पृथ्वी पर किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को नहीं जानता जिसने पैगंबर (स.) को देखा हो।' उन्होंने आगे कहा, 'पैगंबर (स.) की त्वचा गोरी और चेहरा सुंदर था।'" (सहीह) [**सहीह मुस्लिम 6071-6072, यही जानकारी]**

शरीर के अंगों को भी सफ़ेद होने पर ज़ोर दिया जाता है:

सफेद पैर: सहीह बुखारी 3566: और फिर अल्लाह के रसूल (स.) बाहर आए। मानो मैं अब उनके पैर की सफेदी को देख रहा था।

सफेद टांगें: सहीह मुस्लिम 1119 (INT 503a): फिर अल्लाह के रसूल (स.) ने लाल लबादा ओढ़कर बाहर कदम रखा और मैं उनकी टांगों की सफेदी की एक झलक देख रहा था।

सफेद बगल: सुनन इब्न माजा 1271: "पैगंबर (स.) ने बारिश के लिए दुआ मांगी (अपने हाथ ऊपर उठाकर) जब तक कि मैंने उनकी बगलों की सफेदी नहीं देख ली या कोई देख सकता था।"

सफेद गाल: अन-नसाई 1318: "मैं अल्लाह के रसूल (स.) को अपने दाएं और बाएं तरफ़ तस्लीम कहते हुए देखता था जब तक कि उनके गाल की सफेदी दिखाई नहीं देती थी।" [**सहीह मुस्लिम 1315, यही जानकारी]**

सफेद जांघ: सहीह बुखारी 371: मैं पैगंबर (स.) की जांघ की सफेदी देखी..

सफेद भुजाएँ: अबू दाऊद 3206: मुझे अभी भी अल्लाह के रसूल (स.) की बांहों की सफेदी दिखाई देती है, जब उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई थीं।

सफेद पेट: सहीह मुस्लिम 4670: अल्लाह के रसूल (स.) अहज़ाब के दिन मिट्टी ले जा रहे थे और उनके पेट की सफेदी मिट्टी से ढकी हुई थी।

सीरा (जीवनी): मुहम्मद (स.)- अल्लाह के रसूल, कादी इयाद के अश-शिफा द्वारा (पृष्ठ 330-31, 1992): मुहम्मद इब्न साहुन ने कहा, "कोई भी व्यक्ति जो मुहम्मद (स.) द्वारा लाए गए एक भी अक्षर पर संदेह करता है, वह इनकार करने वाला अविश्वासी है।" उन्होंने कहा कि जो कोई भी पैगंबर (स.) को अस्वीकार करता है, उसके खिलाफ फैसला यह है कि उसे मार दिया जाना चाहिए। साहुन के साथी अहमद इब्न सुलेमान ने कहा कि जो **कोई भी कहता है कि पैगंबर (स.) काले थे, उसे मार दिया जाना चाहिए।** पैगंबर (स.) काले नहीं थे।

अध्याय 10. दावा: इस्लाम ने महिलाओं को सम्मानपूर्ण दर्जा दिया है

महिलाओं की स्थिति

हदीस सहीह बुखारी 7099: जब पैगम्बर (स.) को यह खबर मिली कि फारस के लोगों ने खोसरौ की बेटी को अपनी रानी (शासक) बनाया था, उन्होंने कहा, "ऐसा राष्ट्र कभी सफल नहीं होगा जो एक महिला को अपना शासक बनाता है।" [**सहीह बुखारी 4425: यही जानकारी]**

सहीह बुखारी 6161: अल्लाह के रसूल (स.) सफ़र पर थे और उनके पास **अंजशा** नाम का एक काला गुलाम था, और वह ऊँटों को चला रहा था (बहुत तेज़, और उन ऊँटों पर औरतें सवार थीं)। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "वथका (अल्लाह तुम पर रहम करे), ऐ अंजशा! ऊँटों को कांच के बर्तनों (औरतों) के साथ धीरे-धीरे चलाओ!"

हदीस सहीह मुस्लिम 5810: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: अगर किसी चीज में दुर्भाग्य है तो वह औरत, घोड़े और घर में है।

हदीस सहीह बुखारी 511: आयशा (रज़ि) ने वर्णित किया: जो चीजें प्रार्थना को तोड़ती हैं, उनका उल्लेख मेरे सामने किया गया था। उन्होंने कहा, " एक कुत्ते, एक गधे और एक महिला (यदि वे प्रार्थना करने वाले लोगों के सामने से गुजरते हैं) नमाज़ को तोड़ देती है ।" मैंने कहा, "आपने" हमें (यानी महिलाओं को) कुत्ता बना दिया है।

हदीस सहीह बुखारी 5825: आयशा (रज़ि) ने कहा, "मैंने किसी औरत को ईमान वाली (मुस्लिम) औरतों जितना कष्ट सहते नहीं देखा।

अल-तबारी खंड 9, पृष्ठ 113: महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वे घरेलू जानवरों की तरह हैं।

हदीस सहीह बुखारी 3330: पैगंबर (स.) ने कहा, "अगर बनी इसराइल (यहूदी) न होते, तो मांस सड़ता नहीं; और अगर हव्वा न होती, तो कोई भी महिला अपने पति को धोखा नहीं देती।"

अल-तबारी खंड 1, पृष्ठ 280-281: अल्लाह ने कहा: अब यह मेरा दायित्व है कि मैं उसका हर महीने एक बार खून बहाऊँ, जैसा कि उसने इस पेड़ का बहाया था। मुझे उसे बेवकूफ़ भी बनाना होगा, हालाँकि मैंने उसे बुद्धिमान (हलीमा) बनाया है, और उसे गर्भधारण और प्रसव में कठिनाई का सामना करना होगा, हालाँकि मैंने उसके लिए गर्भवती होना और जन्म देना आसान बना दिया है। इब्न जैद ने आगे कहा: यदि हव्वा पर यह विपत्ति न आई होती, तो इस संसार की स्त्रियों में मासिक धर्म नहीं होता, वे बुद्धिमान होतीं और गर्भवती होने पर आसानी से बच्चे को जन्म देतीं।

हदीस अबू दाऊद 2160: पैगंबर (स.) ने कहा: यदि तुममें से कोई महिला से शादी करता है या गुलाम खरीदता है, तो उसे कहना चाहिए: "हे अल्लाह, मैं तुझसे उसकी अच्छाई और उस स्वभाव के लिए प्रार्थना करता हूं जो तूने उसे दिया है जब वह ऊँट खरीदे तो उसके कूबड़ के ऊपरी हिस्से को पकड़कर, यही बात कहे।

कुरान 2:223: तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारे लिए खेती हैं, अतः तुम जब चाहो और जिस तरह चाहो अपनी खेती पर जाओ।

हदीस तिर्मिज़ी 2980: "उमर (रज़ि), अल्लाह के रसूल (स.) के पास आए और कहा: 'अल्लाह के रसूल! मैं बर्बाद हो गया!' उन्होंने कहा: 'तुम बर्बाद क्यों हो?' उन्होंने कहा: 'मैंने रात के दौरान अपना घोड़ा मोड़ लिया (जिसका अर्थ है कि वह पीछे से अपनी पत्नी के पास गए)।'" उन्होंने कहा: "तो अल्लाह के रसूल (स.) ने उनके जवाब में कुछ नहीं कहा। तब अल्लाह ने अल्लाह के रसूल (स.) पर यह आयत

उतारी: "**तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारे लिए खेती हैं, इसलिए जब या जिस तरह से चाहो अपनी खेती पर जाओ (Q 2:223)** ।' आगे से, पीछे से, **गुदा** और **मासिक धर्म** से बचते हुए।"

हदीस सहीह बुखारी 6449: पैगंबर (स.) ने कहा, "मैंने स्वर्ग में देखा और पाया कि इसके अधिकांश निवासी गरीब लोग थे, और मैंने (नरक) आग में देखा और पाया कि इसके अधिकांश निवासी महिलाएं थीं।" **[सहीह बुखारी 3241, 6546: यही जानकारी]**

सहीह बुखारी 5197: फिर मैंने (जहन्नम) की आग देखी, और मैंने इससे पहले ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था, और मैंने देखा कि इसके निवासियों में से अधिकांश महिलाएँ थीं।" लोगों ने पूछा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! इसकी वजह क्या है?" आपने कहा, "उनकी नाशुक्री की वजह से।" पूछा गया। "क्या वे अल्लाह का इनकार करती हैं (क्या वे अल्लाह की नाशुक्री करती हैं)?" आपने कहा, "वे अपने पतियों का आभार नहीं मानतीं और उन पर किए गए उपकारों के प्रति भी नाशुक्री करती हैं । अगर तुम उनमें से किसी के साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार करो, तो जब उसे तुम्हारी तरफ से कोई कठोरता नज़र आएगी, तो वह कहेगी, "मैंने तुमसे कभी कोई अच्छाई नहीं देखी।" **[सहीह बुखारी 29: मिलती-जुलती]**

विरोधाभास: हालाँकि मुसलमानों का मानना है कि लोग क़ियामत के बाद स्वर्ग या नरक में प्रवेश करेंगे, फिर वहाँ लोग या महिलाएँ कैसे मौजूद थीं।

पति के प्रति आज्ञाकारिता

सहीह बुखारी 3237: अल्लाह के रसूल ने कहा, "यदि कोई पति अपनी पत्नी को बिस्तर पर बुलाता है (यानी यौन संबंध बनाने के लिए) और वह मना कर देती है और गुस्से में उसे सोने के लिए मजबूर करती है, तो फ़रिश्ते सुबह तक उस (औरत) पर लानत करेंगे।"

हदीस इब्न माजा 1853: कोई भी महिला अल्लाह के प्रति अपना कर्तव्य तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक वह अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती। अगर वह उससे अंतरंगता (यौन संबंध) के लिए पूछता है, भले ही वह ऊंट की काठी पर हो, उसे मना नहीं करना चाहिए।' (हसन)

हदीस रियाद अस-सालिहीन 284: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "जब कोई आदमी अपनी पत्नी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाता है, तो उसे उसके पास जाना चाहिए भले ही वह चूल्हे में व्यस्त हो"।

हदीस सहीह मुस्लिम 3538 (INT 1436d): अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई आदमी अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाता है और वह जवाब नहीं देती, तो जो जन्नत में है, वह उससे नाराज़ होता है जब तक कि वह (उसका पति) उससे खुश न हो जाए।

हदीस तिर्मिज़ी 1161: पत्नी पर पति के अधिकारों के बारे में क्या बताया गया है: उम्म सलमा ने बताया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "जो भी महिला अपने पति से प्रसन्न रहते हुए मर जाती है, वह स्वर्ग में प्रवेश करती है।"

हदीस अन- नसाई 3233: "यह अल्लाह के रसूल (स.) से पूछा गया: 'कौन सी महिला सबसे अच्छी है?' उन्होंने कहा: 'वह जो उसे देखने पर खुश करती है, जब वह उसे आदेश देता है तो उसकी आज्ञा का पालन करती है, और वह अपने या अपने धन के संबंध में उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाती है । "

हदीस सहीह बुखारी 5195: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया, "किसी औरत के लिए अपने पति की इजाज़त के बगैर रोज़ा (नवाफ़िल) रखना हलाल नहीं है, जब उसका पति घर पर हो; और उसे अपने पति की इजाज़त के बगैर किसी को अपने घर में दाखिल नहीं होने देना चाहिए; और अगर वह अपने पति के हुक्म के बगैर उसके माल में (दान देने पर) से कुछ ख़र्च करे, तो उसे सवाब का आधा हिस्सा मिलेगा।" [**सहीह मुस्लिम 2360, अबू दाऊद 2458: यही जानकारी]**

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 541-542:
एक विद्रोही पत्नी से निपटना: पत्नी के लिए अपने पति की अनुमति के बिना घर से बाहर जाना वैध नहीं है, न ही वह किसी भी परिस्थिति में परिवार के बाहर के पुरुष के साथ अकेली रह सकती है। (3) पत्नी के लिए अपने पति की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, जैसा कि प्रथागत है, उसे (पति) उसके (पत्नी) शरीर का पूर्ण वैध यौन आनंद लेने की अनुमति देना। ... (4) यदि पत्नी उपर्युक्त दायित्वों में से किसी

एक को पूरा नहीं करती है, तो उसे "विद्रोही" (नशीज़) कहा जाता है, और पति मामले को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है: ... यदि वह मानता है कि उसे मारने से वह सही रास्ते पर वापस आ जाएगी, तो उसके लिए उसे मारना जायज़ है।

महिलाओं के लिए पुरुष संरक्षकता

किसी महिला को यात्रा करने, घर से बाहर जाने आदि की अनुमति नहीं होती है, बिना किसी महरम के साथ। (पुरुष अभिभावक, अक्सर पति, बेटा, परिवार के सदस्य जिनसे वह विवाह नहीं कर सकती)

क़ुरआन 4:34: पुरुष औरतों के क़व्वाम (जिम्मेदार/संरक्षक) हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है और क्योंकि उन्होंने अपने माल से खर्च किया है।

हदीस सहीह बुखारी 1862: पैगंबर (स.) ने कहा, "एक महिला को ज़ु-महरम (उसका पति या ऐसा पुरुष जिसके साथ वह महिला शादी नहीं कर सकती) के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए, और कोई भी आदमी, ज़ु-महरम (पति या पुरुष अभिभावक) की उपस्थिति के बिना उससे मिलने नहीं जा सकता है।"

सहीह बुखारी 1087, 1088: पैगंबर (स.) ने कहा, "एक महिला के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करे, और बिना किसी महरम (पुरुष अभिभावक) के साथ एक दिन और रात यात्रा करे।" [**सहीह मुस्लिम 3261: यही जानकारी]**

एक पुरुष दो महिलाओं के बराबर

क़ुरआन 2:228: और औरतों के लिए वैसी ही हदें हैं जैसी उनके ज़िम्मे हैं, लेकिन पुरुषों को उन पर एक दरजा हासिल है।

क़ुरआन 2:282: और अपने ही पुरुषों में से दो गवाह बना लो। और यदि दो पुरुष न हों तो एक पुरुष और दो स्त्रियाँ, जिनमें से तुम सहमत हो, गवाह बना लो, ताकि यदि उनमें से कोई भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे ।

क़ुरान 4:11: अल्लाह तुम्हें तुम्हारी संतान के उत्तराधिकार के विषय में आदेश देता है कि प्रत्येक पुरुष को दो स्त्रियों के बराबर हिस्सा दिया जाए।

हदीस सहीह बुखारी 2658: पैगम्बर (स.) ने कहा, "क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही के आधे के बराबर नहीं है?" औरतों ने कहा, "हाँ।" उन्होंने कहा, "यह औरत के दिमाग की कमी के कारण है ।"

हदीस सहीह बुखारी 304: एक बार अल्लाह के रसूल (स.) ईद-उल-अज़हा या अल-फ़ित्र की नमाज़ अदा करने के लिए मुसल्ला के लिए निकले। फिर वह औरतों के पास से गुज़रे और कहा, "ऐ औरतों! ख़ैरात करो, जैसा कि मैंने देखा है कि जहन्नुम में रहनेवालों में ज़्यादातर तुम (औरतें) थीं।" उन्होंने पूछा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.) ऐसा क्यों है? " उन्होंने जवाब दिया, "तुम बार-बार गाली देती हो और अपने पतियों के प्रति एहसान-फरामोश हो। मैंने तुमसे ज़्यादा बुद्धि और धर्म में कमी वाला कोई नहीं देखा। एक सतर्क समझदार आदमी तुममें से कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जा सकता है।" महिलाओं ने पूछा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! हमारी बुद्धि और धर्म में क्या कमी है?" उन्होंने कहा, "क्या दो औरतों की गवाही एक आदमी की गवाही के बराबर नहीं है? " क्या यह सच नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला न तो प्रार्थना कर सकती है और न ही उपवास कर सकती है?" महिलाओं ने सकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, "यह उसके धर्म में कमी है।" **[अबू दाऊद 4679: यही जानकारी]**

हदीस तिर्मिज़ी 1513: अल्लाह के रसूल (स.) ने उन्हें आदेश दिया था कि एक लड़के के लिए दो भेड़ें और एक लड़की के लिए एक भेड़ काफ़ी है।

बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए चार पुरुष मुस्लिम गवाहों की आवश्यकता

हज़रत आयशा (रज़ि.) पर झूठा इल्ज़ाम (इफ़्क़):

सहीह बुखारी हदीस 2661: "जब भी अल्लाह के रसूल (स.) सफ़र पर जाते तो अपनी बीवियों में से किसी एक को अपने साथ ले जाते। जब ग़ज़वा-ए-मुस्तलिक़ हुआ तो आप ने मुझे साथ लिया। उस वक़्त परदा (हिजाब) का हुक्म उतर चुका था, इसलिए मैं हौदज (डिब्बे वाला पालकी) में बैठी रहती थी। जब क़ाफ़िला रुकता तो सहाबा हौदज को ऊँट पर रख देते और मैं उसमें बैठी रहती। एक रात मैं अपनी जरूरत के लिए क़ाफ़िले से दूर गई। जब वापस लौटी तो देखा मेरा हार कहीं गिर गया है। मैं उसे ढूँढने वापस चली गई। इतने में क़ाफ़िला चल पड़ा और जो लोग मुझे ऊँट पर ले जाते थे, वे मेरे हौदे के पास आए और उसे पहना दिया। उन लोगों को हौदे को उठाते समय उसके भारीपन का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस

समय मैं हल्की और दुबली-पतली होती थी। जब सब लोग चले गए तो मैं वापस आई तो देखा कि पूरा क़ाफ़िला जा चुका है। उसी जगह बैठ गई। मेरी आँख लग गई। उसी वक़्त सफ़वान बिन अल-मुअत्तल (रज़ि.) वहाँ से गुज़रे, उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया क्योंकि उन्होंने मुझे पहले देखा था, हिजाब से पहले। उन्होंने 'इन्ना लिल्लाहि...' पढ़ा। मेरी आँख खुल गई। फिर उन्होंने मुझे ऊँट पर बैठाया और ख़ुद पैदल चले। हम क़ाफ़िले में पहुँचे तो कुछ मुनाफ़िक़ों ने मेरे और सफ़वान पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। झूठे आरोप लगाने वालों का नेता अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलुल था। उसके बाद हम मदीना लौट आए और **मैं एक महीने तक बीमार रही।** मैं अपनी बीमारी के दौरान महसूस कर रही थी कि मुझे पैगंबर (स.) से सामान्य दया नहीं मिल रही है जो मुझे बीमार होने पर उनसे मिलती थी। फिर मैं अपने मायके चली गई। जब मैंने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं तो मेरी हालत और बिगड़ गई। जब अल्लाह के रसूल (स.) ने देखा कि **ईश्वरीय प्रेरणा (आयत) में देरी हो रही है**, तो उन्होंने अली बिन अबू तालिब (रज़ि.) और उसामा बिन ज़ैद को अपनी पत्नी (यानी आयशा) को तलाक देने के बारे में सलाह लेने के लिए बुलाया। उसामा बिन ज़ैद ने पत्नियों की अच्छी प्रतिष्ठा के बारे में जो कुछ वह जानते थे कहा और कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! अपनी पत्नी को रखो, क्योंकि अल्लाह की कसम, हम उसके बारे में अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जानते।' अली (रज़ि.) ने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! अल्लाह ने आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, और उनके अलावा भी कई महिलाएं हैं, फिर भी आप उस महिला-दास से पूछ सकते हैं जो आपको सच बताएगी।' इस पर अल्लाह के रसूल (स.) ने बरीरा को बुलाया और कहा, 'ऐ बरीरा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जिससे आपको उसके बारे में संदेह हो?' बरीरा ने कहा, 'नहीं, अल्लाह की कसम जिसने आपको सत्य के साथ भेजा है, मैंने उनमें कभी कोई दोष नहीं देखा सिवाय इसके कि वह एक नादान लड़की है, जो कभी-कभी सो जाती है और बकरियों को खाने के लिए आटा छोड़ देती है। मैं अल्लाह से ही मदद माँगती रही। आख़िरकार अल्लाह ने कुरआन में मेरी पाकदामनी उतारी: 'जो लोग यह इल्ज़ाम लगाते हैं वो तुम्हारे अंदर का गिरोह है...' (**सूरह नूर 24:11**) इस तरह अल्लाह ने मेरी बरीअत उतारी और मैं पाक साफ़ ठहरी।"

अल-सिरा, इब्न कथिर, खंड 3, पृष्ठ 220: अली ने कहा, "अल्लाह के रसूल, यहाँ बहुत सी औरतें हैं; आप उनसे पूछ सकते हैं। दासी से पूछिए ; वह आपसे सच बोलेगी।" " तो अल्लाह के रसूल (स.) ने बरीरा को पूछने के लिए बुलाया । अली (रज़ि.) उसके पास गए और उसे बुरी तरह पीटा, कहा, "अल्लाह के रसूल (स.) से सच बोलो!" बरीरा ने उत्तर दिया, "मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, मैं भलाई के अलावा कुछ नहीं जानती!

सहीह मुस्लिम हदीस 2770: आयशा (रज़ि.) कहती हैं: "मैं मायके में चली गई और एक महीने तक वही हाल रहा। फिर अल्लाह ने मेरी बरीअत नाज़िल की।"

तफसीर इब्न कसीर (सूरह नूर 24:11–20): "यह इफ़्क़ वाला मामला एक महीने तक रहा और आयशा (रज़ि.) बहुत परेशान रहीं..."

आलोचकों का कहना है कि आयत आने में एक महीना लग गया क्योंकि पैगंबर को डर था कि अगर उनकी पत्नी गर्भवती हो गईं और संतान सफ़वान जैसी हुई, तो लोग नबूवत से इनकार कर देंगे। एक महीने बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि वह गर्भवती नहीं हैं, तब आयत आई। ज़िना को साबित करने के लिए चार गवाहों की ज़रूरत इसीलिए बताई गई है क्योंकि तीन व्यक्ति गवाह होने का दावा कर रहे थे। उस के बाद में आयत नाज़िल हुई और आयत की बुनियाद पर उन लोगों को सज़ा दी गई। इस घटना के बाद, आयशा (रज़ि.) हज़रत अली (रज़ि.) से नफ़रत करने लगीं क्योंकि उन्होंने उन्हें तलाक देने का सुझाव दिया था।

क़ुरआन 24:13: उन्होंने चार गवाह क्यों नहीं पेश किये? चूँकि उन्होंने (बदनाम करनेवाले) गवाह पेश नहीं किये, तो अल्लाह के निकट वे ही झूठे हैं।

क़ुरआन 24:4: और जो लोग शरीफ़ औरतों पर इल्ज़ाम लगाएँ और चार गवाह न लाएँ, उन्हें अस्सी कोड़े मारो, फिर कभी उनकी गवाही न मानो।

हदीस अबू दाऊद 4452: यहूदी अपने बीच के एक आदमी और एक औरत को लाए जिन्होंने व्यभिचार किया था। उसने कहा: अपने दो विद्वान् पुरुषों को मेरे पास लाओ। इसलिए वे सूरिया के दो बेटों को ले आए। उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई और कहा: तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो अगर ये दोनों व्यक्ति इस आशय की गवाही देते हैं कि उन्होंने उसके यौन अंग को महिला में (प्रवेशित) होते इस तरह देखा है जैसे की, एक सुरमे की छड़ी को उसके केस में जाती है, तो फिर उन्हें पत्थर मारकर मार डाला जाएगा। उन्होंने पूछा: ऐसी

कौन सी बात है जो तुम्हें उन्हें पत्थर मारने से रोकती है? उन्होंने उत्तर दिया: हमारा शासन चला गया है, इसलिए हमें हत्या से मना किया है। अल्लाह के रसूल (स.) ने फिर चार गवाहों को बुलाया। वे चार गवाह लाए। जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने उसके यौन अंग को उसकी महिला अंग में (प्रवेशित) देखा था जैसे की, एक सुरमे की छड़ी को उसके केस में जाती है। पैगंबर (स.) ने फिर उन्हें पत्थर मारने का आदेश दिया। (सहीह)

जबकि ज़िना हमेशा गुप्त रूप से किया जाता है, तो फिर चार गवाहों की शर्त रखना किस बात का सबूत है? क्या कोई इतना मूर्ख है कि वह ज़िना लोगों के सामने करेगा?

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 637-638:
024.9 यदि गवाही व्यभिचार (अवैध यौन संबंध) या गुदामैथुन (समलैंगिकता) से संबंधित है, तो इसके लिए चार पुरुष गवाहों की आवश्यकता होती है (0: जो व्यभिचार के मामले में गवाही देते हैं कि उन्होंने अपराधी को लिंग के सिर को योनि में डालते हुए देखा है) ।

हदीस अबू दाऊद 4413: "अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई (ज़िना) करें, उन पर अपनी जमाअत से चार गवाह बुलाओ। फिर अगर वो गवाही दें तो उन औरतों को घरों में क़ैद रखो, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। '**कुरआन सूरह अन-निसा (4:15**), फिर इब्न अब्बास (रज़ि.) ने कहा: 'पहले जब कोई औरत व्यभिचार (ज़िना) करती थी, तो उसे घर में बंद कर दिया जाता था, यहाँ तक कि वहीँ मर जाती या अल्लाह कोई रास्ता निकाल देता। फिर नबी (स.) ने उनके लिए रास्ता बनाया: शादीशुदा के लिए रज्म (पत्थर मार कर मौत) और जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए कोड़े मारने की सज़ा।'"

यदि बलात्कार पीड़िता गवाह नहीं ला सकी तो उसे कोड़े मारे जाएंगे

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 41, हदीस 16: मलिक ने कहा, " हमारे पास एक ऐसी महिला की स्थिति है जो गर्भवती पाई जाती है और उसका कोई पति नहीं है और वह कहती है, 'मुझे मजबूर किया गया' या वह कहती है, 'मेरी शादी हुई थी', तो यह उससे स्वीकार नहीं किया जाता और उसे हद (सज़ा) दी जाती है जब तक कि उसके पास शादी के बारे में जो दावा है उसका स्पष्ट सबूत न हो या कि उसे मजबूर किया गया था या यदि वह कुंवारी थी तो उसे खून बहता हुआ आता है या वह मदद के लिए पुकारती, ताकि कोई उसके पास आए और वह उस अवस्था में होती है या उस स्थिति से मिलती-जुलती होती जिसमें उल्लंघन हुआ था।" उन्होंने कहा, "अगर वह इनमें से कुछ भी नहीं दिखाती है, तो उस पर हद लगाई जाती है और वह जो दावा करती है वह उससे स्वीकार नहीं किया जाता है।" मलिक ने कहा, "बलात्कार की शिकार महिला तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि वह तीन मासिक धर्म से खुद को ठीक न कर ले।" उन्होंने कहा, "अगर उसे अपने मासिक धर्म पर संदेह है, तो वह तब तक शादी नहीं करती जब तक कि वह खुद को उस संदेह से मुक्त न कर ले।"

जब पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए

सुन्नन इब्न माजा 2068: हिलाल बिन उमैया, पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पास आए और उन्होंने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ किसी मर्द को देखे तो क्या करे? अगर उसे मार डाले तो (क़िसास में) ख़ुद मारा जाएगा, अगर आरोप लगाए तो आप उसे कोड़े लगवाएँगे, और अगर चुप रहे तो उसे ग़ुस्सा निगलना पड़ेगा!" फिर हिलाल (रज़ि.) ने कहा: "अल्लाह की कसम! अल्लाह ज़रूर कोई ऐसा हुक्म उतारेगा जिससे मेरी पीठ को कोड़ों से बचाया जाए!" फिर अल्लाह तआला ने लियान की आयतें उतारीं: "और जो लोग अपनी पत्नियों पर इल्ज़ाम लगाएँ और उनके पास खुद के अलावा कोई गवाह न हो..." (**सूरह नूर 24:6-9)**

फिर अल्लाह को पिछली आयतों में इस खामी का एहसास हुआ और नया प्रावधान जोड़ा गया।

लिआन कैसे किया जाता है?
पति चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहता है कि वह सच्चा है। फिर पाँचवीं बार कहता है कि अगर वह झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो। फिर पत्नी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चार बार क़सम खाकर कहती है कि उसका पति झूठा है। पाँचवीं बार कहती है कि अगर उसका पति सच कह रहा हो तो उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो।
इसके बाद इस्लामी अदालत दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देती है यानी हमेशा के लिए तलाक़।
पति पर क़ज़्फ़ (झूठा इल्ज़ाम) की सज़ा नहीं लगती क्योंकि उसने लिआन कर लिया। पत्नी पर ज़िना की सज़ा नहीं लगती क्योंकि चार गवाह नहीं थे और उसने अपनी क़समों से इल्ज़ाम झुठला दिया।

अगर बच्चा होता है तो पति को उसका बाप नहीं माना जाता, बच्चा सिर्फ माँ से जोड़ा जाएगा।

सहीह बुखारी हदीस 4747: हिलाल बिन उमैया ने अपनी पत्नी पर शरीक बिन सहमा के साथ अवैध यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया और पैगंबर के सामने मुकदमा दायर किया। पैगंबर (स.) ने (हिलाल से) कहा, "या तो तुम कोई सबूत (चार गवाह) पेश करो, वरना तुम्हारी पीठ पर क़ानूनी सज़ा (कोड़े) पड़ेगी।" हिलाल ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! अगर हममें से कोई किसी पुरुष को अपनी पत्नी के ऊपर देखे, तो क्या वह गवाह ढूँढ़ने जाएगा?" पैगंबर (स.) कहते रहे, "या तो तुम गवाह पेश करो, वरना तुम्हारी पीठ पर क़ानूनी सज़ा (कोड़े) पड़ेगी।" हिलाल ने कहा, "उसकी क़सम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं सच कह रहा हूँ और अल्लाह आपको वह चीज़ दिखाएगा जो मेरी पीठ को क़ानूनी सज़ा से बचाएगी।" फिर जिब्रील (अलै.) आए और उन पर वह आयत उतारी: (**Q 24:6-9)**.....फिर नबी (स.) ने उस औरत को बुलवाया, और हिलाल उसे ले आए और फिर क़समें (दावे की पुष्टि) दिलाईं। नबी (स.) कह रहे थे, "अल्लाह जानता है कि तुममें से कोई झूठा है, तो क्या तुममें से कोई तौबा करेगा?" फिर वह औरत उठी और क़समें खाईं और जब वह पाँचवीं क़सम लेने जा रही थी, तो लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, "यह (पाँचवीं क़सम) तुम पर अल्लाह की लानत ज़रूर लाएगी (अगर तुम दोषी हो)।" वह हिचकिचाई और (क़सम लेने से) पीछे हटी कि हमें लगा कि वह अपना इनकार वापस ले लेगी। लेकिन फिर उसने कहा, "मैं इन दिनों में अपने परिवार का अपमान नहीं करूँगी," और (क़समें लेने की प्रक्रिया) जारी रखी। नबी (स.) ने फिर फ़रमाया, "उस पर नज़र रखो; अगर वह काली आँखों वाले, बड़े कूल्हों और मोटी पिंडलियों वाले बच्चे को जन्म देती है, तो वह शरीक बिन सहमा का बच्चा है।" बाद में उसने उसी तरह के बच्चे को जन्म दिया। तो पैगंबर (स.) ने कहा, "अगर मामला अल्लाह के कानून से नहीं सुलझा होता तो मैं उसे कड़ी सज़ा देता।"

विरोधाभास:
हदीस सहीह बुखारी 7314: अबू हुरैरा (रज़ि) ने रिवायत किया: एक बद्दू अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा, "मेरी पत्नी ने एक काले लड़के को जन्म दिया है, और मुझे संदेह है कि वह मेरा बच्चा नहीं है।" अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, "क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं?" बद्दू ने कहा, "हाँ।" पैगंबर ने कहा, "वे किस रंग के हैं?" बद्दू ने कहा, "वे लाल हैं।" पैगंबर ने कहा, "क्या उनमें से कोई ग्रे है?" उसने कहा, "उनमें ग्रे भी वाले हैं।" पैगंबर ने कहा, "आपको क्या लगता है कि यह रंग उनके (ऊँट) पास कहाँ से आया?" बद्दू ने कहा, "हे अल्लाह के रसूल! यह वंशानुगत प्रवृत्ति के कारण हुआ है।" पैगंबर ने कहा, "और इसने (यानी, आपके बच्चे ने) अपने पूर्वजों से अपना रंग विरासत में लिया है।" पैगंबर ने उसे बच्चे के पिता होने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी।

पुरुष बहुविवाह

इस्लाम में, एक पुरुष के लिए चार पत्नियाँ रखना हलाल (अनुमति) है, बशर्ते कि वह महिलाओं की देखभाल कर सके और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सके। इस्लाम केवल पुरुषों को चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है, तथा महिलाओं को यह अधिकार नहीं है।

कुरान 4:3: और यदि तुम्हें भय हो कि तुम अनाथ लड़कियों के साथ न्याय न कर सकोगे, तो अपनी पसन्द की स्त्रियों से विवाह कर लो, दो या तीन या चार; और यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके साथ न्याय न कर सकोगे, तो केवल एक से विवाह कर लो, या (बन्धुओं और दासियों से) जो तुम्हारे दाहिने हाथों में हों।

क़ुरआन 4:129: "तुम औरतों के बीच पूरा न्याय करने में कभी समर्थ नहीं हो सकोगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो..." **विरोधाभास**

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित संस्करण), m7.5, पृष्ठ 532: जब कोई (अ: गैर-मुस्लिम) पुरुष जिसकी चार से अधिक पत्नियाँ हों, मुसलमान बन जाता है, तो वह उनमें से सिर्फ़ चार को चुनने के लिए बाध्य होता है (अ: और बाकी की शादियाँ रद्द कर दी जाती हैं)।

बाल विवाह

उम्र की लड़कियों की शादी करना जायज़ है
बच्चे की चुप्पी उसकी सहमति है: हदीस तिर्मिज़ी 1107: पैगंबर (स.) ने कहा: "एक महिला का विवाह तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उससे सलाह न ली जाए, और एक कुंवारी का विवाह तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसकी अनुमति नहीं ली जाए, और उसकी चुप्पी उसकी अनुमति है।" (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 3481 (INT 1422c): अध्याय: एक पिता के लिए एक युवा कुंवारी का विवाह तय करना जायज़ है: 'आइशा (रज़ि) ने बताया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने उनसे शादी की जब वह सात साल की थीं, और जब वह नौ साल की थीं, तो उन्हें दुल्हन

के रूप में अपने घर ले जाया गया, और उनकी गुड़िया उनके साथ थीं; और जब आप (पैगंबर (स.)) स्वर्गवासी हो गए तो वह अठारह साल की थी।

क़ुरआन 65:4: "और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हों, अगर तुम्हें (इद्दत के बारे में) संदेह हो, तो उनकी इद्दत तीन महीने है। और इसी तरह उनकी भी (इद्दत) तीन महीने है जिनको अभी मासिक धर्म नहीं आया। और गर्भवती औरतों की इद्दत यह है कि वे अपना बच्चा जन दें। और जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उनके कामों में आसानी कर देता है।"

तफ़सीर कुरान 65:4 (इब्न अब्बास): (और तुम्हारी उन महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म से निराश हैं) बुढ़ापे के कारण, (यदि आपको) उनके इंतजार की अवधि के बारे में संदेह है, (उनकी प्रतीक्षा की अवधि (तीन महीने की होगी) जिस पर एक और आदमी ने पूछा: "**अल्लाह के रसूल! उन लोगों की प्रतीक्षा अवधि के बारे में क्या है जिनके मासिक धर्म नहीं होते क्योंकि वे बहुत छोटी हैं?"** (और जिनके पास नहीं है) कम उम्र के कारण, उनकी प्रतीक्षा अवधि तीन महीने है। एक और आदमी ने पूछा: "उन महिलाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि क्या है जो गर्भवती हैं?" (उनकी अवधि) उनकी प्रतीक्षा अवधि (जब तक वे अपने बोझ को जन्म नहीं देती) उनके बच्चे को।

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित ई.), पृ. 566-569: n9.0 एक महिला की विवाहोत्तर प्रतीक्षा अवधि ('इद्दा) (0: जिसका अर्थ है वह अवधि जिसमें एक महिला प्रतीक्षा करती है (पुनर्विवाह करने से पहले) यह सत्यापित करने के लिए कि वह गर्भवती नहीं है, या अपने मृत पति के शोक से बाहर है ।)...
n9.2 संभोग के बाद तलाकशुदा महिला के लिए प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य है, चाहे पति और पत्नी यौवनपूर्व हों, यौवन तक पहुँच चुके हों, या एक यौवन प्राप्त कर चुका हो और दूसरा नहीं... n9.9 जिस महिला को मासिक धर्म नहीं होता है, चाहे वह यौवनपूर्व हो या रजोनिवृत्ति के बाद, उसके लिए प्रतीक्षा अवधि तीन महीने है।

लेकिन जिम्मेदारी की उम्र 15 साल है:

क़ुरआन 4:6: "और तुम अनाथों की परीक्षा लेते रहो, यहाँ तक कि जब वे विवाह की उम्र को पहुँच जाएँ, और यदि तुम उनमें (वित्तीय) समझदारी पाओ, तो उनका माल उन्हें सौंप दो..."

इब्न कसीर: यहाँ दो शर्तें हैं: "बुलूग़" (शारीरिक रूप से बालिग़ होना) यानी शरीर में परिपक्वता। "रुश्द" (समझदारी) यानी वित्तीय और मानसिक परिपक्वता।

क़ुरआन 4:6 कहता है कि "निकाह की उम्र तक पहुँचने" की बात है। लेकिन **क़ुरआन 65:4** नाबालिग़ लड़कियों के तलाक़ की इद्दत तय करता है। **यह सवाल उठता है:** क्या 65:4 नाबालिग़ निकाह को वैध करता है जबकि 4:6 समझदारी और बालिग़ की शर्त रखता है?

हदीस अन- नसाई 3461: अध्याय 20: लड़के का तलाक कब गिना जाता है??: यह इब्न उमर से वर्णित है कि वह उहुद के दिन अल्लाह के रसूल के पास पेश हुआ जब वह चौदह वर्ष का था, लेकिन उन्होंने उसे (सेना में शामिल होने की) अनुमति नहीं दी। वह पंद्रह वर्ष की आयु में अल-खंदक के दिन पेश हुआ, और उन्होंने उसे (सेना में शामिल होने की) अनुमति दी । **[हदीस अबू-दाऊद 2957: यही बयान]**

कुँवारी को परिपक्व महिलाओं पर प्राथमिकता देना

हदीस सहीह बुखारी 5079: जब हम पैगंबर (स.) के साथ ग़ज़वा (पवित्र युद्ध) से लौट रहे थे, तो मैंने अपने ऊँट को तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह एक आलसी ऊँट था। एक सवार मेरे पीछे आया और अपने पास रखे भाले से मेरे ऊँट को चुभाया, और फिर मेरा ऊँट सबसे अच्छे ऊँट की तरह तेज़ी से भागने लगा। देखा तो सवार खुद पैगंबर (स.) थे। उन्होंने कहा, 'तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है?' मैंने कहा, मेरी नई-नई शादी हुई है।' उन्होंने कहा, 'क्या तुमने कुंवारी लड़की से शादी की है या किसी महिला से? मैंने कहा, 'एक महिला से।' उन्होंने कहा, 'तुमने किसी जवान लड़की से शादी क्यों नहीं की ताकि तुम उसके साथ खेल सको और वह तुम्हारे साथ?' जब हम (मदीना) में प्रवेश करने वाले थे, तो पैगंबर (स.) ने कहा, "इंतजार करो ताकि तुम रात में (मदीना) में प्रवेश कर सको ताकि अस्त-व्यस्त बालों वाली महिला अपने बालों में कंघी कर सके और जिसका पति अनुपस्थित हो वह अपने गुप्तांग के बाल मुंडवा सके। **[हदीस सहीह बुखारी 5080: यही बयान]**

सहिह बुखारी 4052: वर्णित जाबिर: "अल्लाह के नबी (स.) ने मुझसे पूछा, "क्या तुमने शादी कर ली है ऐ जाबिर?" मैंने कहा, "हाँ।" उन्होंने पूछा, "क्या, कुंवारी या परिपक्व?" मैंने कहा, "कुंवारी नहीं,

बल्कि परिपक्व।" उन्होंने कहा, "तुमने एक जवान लड़की से शादी क्यों नहीं की जो वह तुम्हारे साथ प्यार से खेलती?" मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! मेरे पिता उहुद के दिन शहीद हो गए और नौ (अनाथ) बेटियाँ छोड़ गए जो मेरी बहनें हैं; चूंकि मुझे उनकी उम्र की ही एक और जवान लड़की पसंद नहीं थी, इसीलिए (मैंने) एक महिला की तलाश की जो उनके बालों में कंघी कर सके और उनकी देखभाल कर सके।" पैगंबर (स.) ने कहा, "तुमने सही काम किया है। [**तिर्मिज़ी 1100: यही बयान]**

तलाक और हलाला विवाह

(महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं)

हदीस अबू दाऊद 2226: पैगंबर (स.) ने कहा: यदि कोई महिला किसी मजबूत कारण के बिना अपने पति से तलाक मांगती है, तो स्वर्ग की गंध उसके लिए हराम कर दी जाएगी। [**हदीस इब्न माजा 2054: यही बयान]**

हदीस इब्न माजा 2088: यह वर्णित है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा: "मेरी एक पत्नी थी जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन मेरे पिता उसे नापसंद करते थे। तब (मेरे पिता की शिकायत) को सुनकर पैगम्बर (स.) को खबर दी गई और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे तलाक दे दूँ। अतः मैंने उसे तलाक दे दिया।"

इब्न कसीर – "अल-बिदाया वान-निहाया" (खंड 8, पृष्ठ 41): "हसन बिन अली ने बहुत शादियाँ कीं और बहुत महिलाओं को तलाक़ दिया, इसलिए हज़रत अली (रज़ि.) ने बनू तमीम और अन्य क़बीलों को सलाह दी थी कि "अपने घर की लड़कियों की शादी हसन से मत करो, वह बहुत तलाक़ देता है"

जब कोई पुरुष तलाक के तीन शब्द बोलता है, तो उसे अपनी पत्नी के साथ फिर से एक होने की अनुमति नहीं है (अपवाद यह है कि अगर महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर के उसके साथ यौन संबंध बनाती है और फिर वह उसे तलाक दे देता है। तब वह अपने पहले पति के साथ एक हो सकती है)।

कुरान 2:230: और अगर उसने उसे (तीसरी बार) तलाक दे दिया तो वह उसके बाद उसके लिए हलाल नहीं है जब तक कि वह किसी दूसरे शौहर से शादी न कर ले। फिर अगर दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वे फिर से मिल जाएँ

हदीस अन- नसाई 3285: - अध्याय: विवाह का प्रकार जिसके बाद एक तीन बार तलाकशुदा महिला अपने पहले पति के पास वापस आ सकती है:

यह वर्णित है कि 'आयशा (रज़ि) ने कहा: "रिफ़ाह की पत्नी अल्लाह के रसूल के पास आई और कहा: 'रिफ़ाह ने मुझे तलाक दे दिया और इसे अपरिवर्तनीय बना दिया। फिर मैंने 'अब्दुर-रहमान बिन अज़-ज़ुबैर से शादी की, और उसके पास जो कुछ है वह एक कपड़े के किनारे की तरह है।' अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा: 'क्या तुम रिफ़ाह के पास वापस जाना चाहती हो? ..... लेकिन नहीं, तब तक नहीं जब तक वह ('अब्दुर- रहमान) तुम्हारी मिठास का स्वाद न ले ले और तुम उसकी मिठास का स्वाद न ले लो।'"

हदीस सहीह बुखारी 5825: इकरीमा : रिफा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अज़-ज़ुबैर ने उससे शादी की। आयशा (रज़ि) ने कहा कि वह महिला आई, एक हरे रंग का घूंघट पहने हुए और उनसे (आयशा (रज़ि)) अपने पति की शिकायत की और पिटाई के कारण उसकी त्वचा पर एक हरा धब्बा दिखाया। महिलाओं की आदत थी एक दूसरे का समर्थन करना, इसलिए जब अल्लाह के रसूल (स.) आए, 'आयशा (रज़ि) ने कहा, "मैंने किसी भी महिला को विश्वास करने वाली महिलाओं जितना पीड़ित नहीं देखा है। देखो! उसकी त्वचा उसके कपड़ों से ज्यादा हरी है!" जब अब्दुर्रहमान ने सुना कि उसकी पत्नी पैगंबर (स.) के पास गई है, तो वह अपनी दूसरी पत्नी से हुए दो बेटों के साथ आया। उसने (महिला) कहा, "अल्लाह की कसम! मैंने उसके साथ कोई ग़लती नहीं की, लेकिन वह नपुंसक है और मेरे लिए उतना ही बेकार है, जितना यह है (अपने कपड़े का किनारा पकड़कर और दिखाते हुए), अब्दुर-रहमान ने कहा, "अल्लाह की कसम, या अल्लाह के रसूल (स.)! उसने झूठ कहा है! मैं बहुत मजबूत हूं और उसे संतुष्ट कर सकता हूं लेकिन वह अवज्ञाकारी है और रिफ़ा'आ के पास वापस जाना चाहती है । "अल्लाह के रसूल (स.) ने उससे कहा, "यदि यही तुम्हारा इरादा है, तो जान लो कि रिफ़ा से दोबारा शादी करना तुम्हारे लिए हराम है जब तक कि `अब्दुर-रहमान ने तुम्हारे साथ संभोग न किया हो।" फिर पैगंबर (स.) ने `अब्दुर-रहमान के साथ दो लड़कों को देखा और (उनसे) पूछा, "क्या ये आपके बेटे हैं?" इस पर " अब्दुर रहमान ने कहा, "हाँ।" पैगम्बर (स.) ने कहा, " तुम जो दवा करती हो करो (यानी कि वह नपुंसक है)? लेकिन अल्लाह की कसम, ये लड़के उससे मिलते-जुलते हैं जैसे कौआ, कौए से मिलता-जुलता है।" [**सहीह बुखारी 2639: मिलती-जुलती**]

विरोधाभासी हदीस

अन- नसाई 3590: उमर (रज़ि) से वर्णित है कि पैगंबर (स.) - अम्र (कथावाचकों में से एक) ने कहा: "अल्लाह के रसूल ने हफ़सा को तलाक दे दिया था, फिर उसे वापस ले लिया।" और अल्लाह सबसे बेहतर जानता है।

तफसीर क़ुरआन 66:1–5: इब्न अब्बास, क़तादा, अब्दुल्लाह बिन जाबिर और कुछ तबईन से रिवायत है कि पैग़म्बर ने हज़रत हफ़्सा को तलाक़ दिया था। फिर जिब्रईल नाज़िल हुए और कहा: अल्लाह आपको हफ़्सा को वापस लेने का हुक्म देता है, क्योंकि वह बहुत रोज़ा रखने वाली, बहुत इबादत करने वाली हैं और आपकी उम्मत की माँ हैं।"

महिलाओं की पिटाई

क़ुरआन 4:34: पुरुष स्त्रियों के पालनहार हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से कुछ को दूसरों से श्रेष्ठ बनाया है और इसलिए कि वे अपने माल में से खर्च करते हैं। अतः अच्छी स्त्रियाँ आज्ञाकारी होती हैं, वे गोपनीय बातों की रक्षा करती हैं, जैसा कि अल्लाह ने किया है। और जिनसे अवज्ञा का तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ, और उन्हें सोने के स्थान पर अकेला छोड़ दो और उन्हें मारो। फिर यदि वे तुम्हारी बात मान लें, तो उनके विरुद्ध कोई उपाय न खोजो। निश्चय ही अल्लाह सर्वोच्च, महान है।

हदीस अबू दाऊद 2146: महिलाएं अपने पतियों के प्रति दुस्साहसी हो गई हैं, उन्होंने (पैगंबर (स.)) उन्हें मारने की अनुमति दे दी है " (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 4608, 6845: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: मेरा एक हार अल-बैदा में खो गया था और हम मदीना जा रहे थे। पैगंबर (स.) ने अपने ऊंट को नीचे बैठाया और उतर गए और अपना सिर मेरी गोद में रख दिया और सो गए। अबू बकर (रज़ि) मेरे पास आए और मुझे छाती पर जोर से मारा और कहा, "तुमने एक हार की वजह से लोगों को रोक रखा है।" मैं अल्लाह के रसूल (स.) की स्थिति (मेरी गोद में) के कारण एक मुर्दे की तरह चुप बैठी रही, हालाँकि मुझे बहुत दर्द हुआ। .....।'"

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 30, हदीस 13: "उमर (रज़ि) ने उसे अपनी पत्नी को पीटने के लिए कहा"

हदीस इब्न माजा 1986: यह वर्णित है कि अशथ बिन क़ैस ने कहा: एक रात मैं उमर (रज़ि) के घर मे मेहमान था। रात के मध्य में वह उठे और अपनी पत्नी को पीटा, मैं बीच में आया और दोनों को अलग कर दिया। जब वह वापस बिस्तर पर गए, तो उन्होंने मुझसे कहा: "ऐ अशथ! तुम मेरे से वह कुछ सीख लो जो मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है: 'किसी आदमी से इस बात के लिए सवाल न करो कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा।' और सोने से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ो।" (और तीसरी चीज़ मुझे याद नहीं रही।) [**हदीस इब्न माजा 1986, हदीस रियाद अस-सालिहीन 68, मिलती-जुलती]**

हदीस इब्न माजा 3074: औरतों के मामले में अल्लाह से डरो , क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की तरफ से अमानत बना लिया है और उनके साथ संबंध बनाना तुम्हारे लिए अल्लाह के कलाम से जायज़ है। उन पर तुम्हारा हक़ यह है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को अपने बिस्तर पर न बैठने दें जिसे तुम नापसंद करते हो... अगर वे ऐसा करें तो उन्हें मारो, लेकिन इस तरह से कि उन्हें चोट न लगे या न कोई निशान पड़े। तुम्हारे ऊपर उनका हक़ यह है कि तुम उन्हें खाना खिलाओ और उन्हें उचित तरीके से कपड़े पहनाओ। (सहीह)

हदीस अबू दाऊद 142: .....रसूल-अल्लाह, मेरी एक बीवी है जिसकी ज़बान में कुछ (ग़लत) है, यानी वो गुस्ताख़ है। आपने कहा: तो उसे तलाक़ दे दो। मैंने कहा: रसूल-अल्लाह, वो मेरे साथ सोहबत करती है और उससे मेरे बच्चे भी हैं। आपने कहा: तो उससे कहो (तुम्हारी आज्ञा का पालन करे)। अगर उसमें कोई अच्छाई होगी तो वो ऐसा करेगी (आज्ञा का पालन करेगी); और अपनी बीवी को इस तरह मत मारो जैसे तुम अपनी लोंडी को मारते हो । (सहीह)

हदीस इब्न माजा 1985: "पैगंबर (स.) ने कहा: 'अल्लाह की औरतों को मत मारो।' फिर उमर पैगंबर (स.) के पास आए और कहा: 'अल्लाह के रसूल, आपके इस बयान से, महिलाएं अपने पतियों के प्रति साहसी हो गई हैं? इसलिए उन्हें पीटने का आदेश दें,' और उन्हें पीटा जाने लगा। फिर कई महिलाएं मुहम्मद (स.) के परिवार के पास शिकायत लेकर गईं। अगले दिन उन्होंने कहा: 'कल रात सत्तर महिलाएं मेरे के परिवार के पास आईं, प्रत्येक महिला अपने पति के बारे में शिकायत कर रही थी।' जो लोग महिलाओं को मारते हैं, वे श्रेष्ठ नहीं होते।" " (सहीह)

तफ़सीर कुरान 4:34 (इब्न कथिर): पत्नी के [दुर्व्यवहार] से निपटना: अल्लाह ने कहा, (उन महिलाओं के संबंध में जिनमें तुम

बुरा व्यवहार देखते हो,) अर्थात वह महिला जिसका अपने पति के साथ बुरा व्यवहार देखो, जैसे कि जब वह ऐसा व्यवहार करती है मानो वह अपने पति से ऊपर है, उसकी अवज्ञा करती है, उसे नजरअंदाज करती है, उसे नापसंद करती है, इत्यादि। जब ये लक्षण किसी महिला में दिखाई दें, तो उसके पति को चाहिए कि उसे सलाह दे और उसे अल्लाह की यातना की याद दिलाए यदि वह उसकी अवज्ञा करती है। वास्तव में, अल्लाह ने पत्नी को अपने पति की आज्ञा मानने का आदेश दिया और उसे उसकी अवज्ञा करने से रोक दिया, क्योंकि उसके अधिकार बहुत बड़े हैं और वह उसके लिए जो कुछ भी करता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह का कथन, (उन्हें मारो) का अर्थ है, यदि सलाह और बिस्तर में उसे नजरअंदाज करना वांछित परिणाम नहीं देता है, तो आपको पत्नी को गंभीर रूप से मारे बिना अनुशासित करने की अनुमति है । (औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि वे तुम्हारी सहायक हैं। उन पर तुम्हारा अधिकार है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को अपने आसन पर न आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो। हालांकि, अगर वे ऐसा करती हैं, तो तुम्हें उन पर हल्का अनुशासन करने की अनुमति है। उनका तुम पर अधिकार है कि तुम उन्हें उचित तरीके से उनके लिए भोजन और कपड़े मुहैया कराओ।) इब्न अब्बास (रज़ि) और कई अन्य लोगों ने कहा कि आयत एक ऐसी पिटाई का उल्लेख करती है जो हिंसक नहीं है। अल-हसन अल-बसरी ने कहा कि इसका मतलब है, एक ऐसी पिटाई जो गंभीर नहीं है।

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 651: तुम्हारे पास अपनी पत्नियों पर अधिकार है और उन्हें तुम्हारे ऊपर अधिकार है। तुम्हें अधिकार है कि वे तुम्हारे बिस्तर को अपवित्र न करें और वे खुलेआम अभद्र व्यवहार न करें। अगर वे ऐसा करती हैं, तो अल्लाह तुम्हें उन्हें अलग कमरे में रखने और उन्हें पीटने की इजाज़त देता है, लेकिन सख्ती से नहीं। अगर वे इन चीज़ों से परहेज़ करती हैं, तो उन्हें अपने खाने और कपड़ों पर दयालुता से अधिकार है।

हिजाब, चादर, नकाब, बुर्का

कुरान 24:31: ईमान वाली महिलाओं से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्म की हिफ़ाज़त करें; कि वे अपने सौंदर्य और आभूषणों को न दिखाएँ सिवाय इसके कि जो (आमतौर पर) उनका दिखना चाहिए; कि वे अपने सीने पर पर्दा डाल लें...उन्हें ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने पैरों को पटकना नहीं चाहिए

तफ़सीर कुरान 24:31 (इब्न कथिर): यह अल्लाह की ओर से ईमान वाली महिलाओं के लिए एक आदेश है, और अपने ईमान वाले सेवकों की पत्नियों पर उसकी ओर से हिदायत है। यह ईमान वाली महिलाओं को जाहिलियत की महिलाओं और बुतपरस्त महिलाओं के कामों से अलग करने के लिए भी है।

क़ुरआन 33:53: ऐ ईमान लाने वालो! तुम पैग़म्बर (स.) के घरों में न जाया करो, मगर जब तुम्हें खाने के लिए इजाज़त दी जाए। लेकिन ऐसा न हो कि तुम खाने के पकने का इंतज़ार करते बैठे रहो। बल्कि जब बुलाया जाए तो जाओ, और जब खा लो तो छँट जाओ। बातें करने के लिए बैठ मत जाया करो। निस्संदेह, यह बात पैग़म्बर (स.) को तकलीफ़ देती थी, लेकिन वे तुमसे शर्माते थे। और अल्लाह सच्चाई कहने में शर्माता नहीं। और जब तुम नबी की पत्नियों से कोई वस्तु माँगो, तो परदे के पीछे से माँगा करो। यह तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिए अधिक पवित्र है। और तुम्हारे लिए यह कभी जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाओ, और न ही उनके बाद कभी उनकी पत्नियों से विवाह करोगे। निस्संदेह, यह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है।

कुरान 33:59: हे पैगंबर! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली महिलाओं से कहो कि वे अपने पूरे शरीर पर पर्दा डाल लें, (यानी अपनी आँखों या एक आँख को छोड़कर खुद को पूरी तरह से ढक लें ताकि रास्ता देख सकें)। यह बेहतर होगा कि उन्हें (स्वतंत्र सम्मानित महिलाओं के रूप में) जाना जाए ताकि उन्हें परेशान न किया जाए। (महिला दासों से अलग दिखें)

तफ़सीर कुरान 33:59 (इब्न कथिर): हिजाब का आदेश
यहाँ अल्लाह अपने रसूल से कहता है कि वह ईमान वाली औरतों को - खास तौर पर उसकी बीवियों और बेटियों को, उनके सम्मान की स्थिति के कारण - अपने शरीर पर जिलबाब खींचने का आदेश दे, ताकि वे जाहिलियत (गैर- मुस्लिम) की औरतों और गुलाम औरतों से अलग दिखें। जिलबाब एक रिदा है, जिसे ख़िमार के ऊपर पहना जाता है। यह इब्न मसऊद, उबैदा, क़तादा, अल-हसन अल-बसरी,

सा'ईद बिन जुबैर, इब्राहीम अन- नख़ाआई , 'अता' अल- खुरासानी और अन्य लोगों का नजरिया था। यह आज इस्तेमाल किए जाने वाले इज़ार की तरह है। अल-जौहारी ने कहा: "जिलबाब बाहरी आवरण है। अली बिन अबी तलहा ने बताया कि इब्न अब्बास (रज़ि) ने कहा कि अल्लाह ने ईमान वाली औरतों को आदेश दिया है कि जब वे किसी ज़रूरत के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, तो अपने चेहरे को अपने सिर के ऊपर जिलबाब से ढक लें, केवल एक आँख दिखाई दे।

मुहम्मद बिन सिरीन ने कहा, "मैंने उबैदाह अस-सलमानी से आयत के बारे में पूछा: ("अपने शरीर पर जलाबीब खींचना" ।) उसने अपना चेहरा और सिर ढक लिया, केवल उसकी बाईं आंख दिख रही थी।" (यह बेहतर होगा कि इससे पता चले कि वो कौन है और उनको परेशान न किया जाए) यानी, अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह पता चल जाएगा कि वे स्वतंत्र हैं, और वे दास या वेश्या नहीं हैं। (और अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।) यानी, जाहिलियत के दिनों में पहले जो करती थीं, क्योंकि पर्दे के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

हदीस सहीह बुखारी 402, 4790: उमर (रज़ि) ने रिवायत किया: मैंने कहा, "अल्लाह के रसूल (स.)! अच्छे और बुरे लोग आपके पास आते हैं, इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप ईमान वालों की माताओं (यानी अपनी पत्नियों) को पर्दा करने का आदेश दें।" फिर अल्लाह ने अल-हिजाब की आयतें उतारीं।

हदीस सहीह बुखारी 6240: उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि) अल्लाह के रसूल (स.) से कहा करते थे, "अपनी पत्नियों को पर्दा करने को कहिए " लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैगंबर (स.) की पत्नियाँ केवल अल-मनसी में रात में शौच के लिए बाहर जाती थीं।' एक बार ज़मा की बेटी सौदा बाहर गई और वह एक लंबी महिला थी। उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि) ने उसे देखा और कहा, "मैंने तुम्हें पहचान लिया है, हे सौदा!" उन्होंने (उमर) ऐसा कहा क्योंकि वह पर्दा (हिजाब) के बारे में कुछ दिव्य आदेशों के लिए उत्सुक थे। इसलिए अल्लाह ने पर्दे की आयत को प्रकट किया। (अल-हिजाब; आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को ढंकना)। **[सहीह मुस्लिम 5671, सहीह बुखारी 146, 4795, 5239: यही बयान]**

हदीस तिर्मिज़ी 377: आयशा (रज़ि) ने रिवायत किया कि: अल्लाह के रसूल ने कहा: "एक महिला जो मासिक धर्म की उम्र तक पहुँच गई है उसकी नमाज़ (प्रार्थना) बिना खिमार (पर्दा) के स्वीकार नहीं होती है" (सहीह) **[अबू दाऊद 641: यही बयान]**

हदीस इब्न माजा 655: आयशा (रज़ि) से वर्णित है कि: पैगंबर (स.) ने कहा: "अल्लाह एक महिला की प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है जिसको मासिक धर्म होता है अगर वह सिर नहीं ढंक कर रखती ।"

हदीस रियाद अस-सालिहीन 1626: जब इब्न उम्म मकतूम (रज़ि) (जो अंधे थे) उनसे मिलने आए। (यह घटना हिजाब के आदेश के बाद हुई)। पैगंबर (स.) ने हमें (अपनी पत्नियों) से कहा कि हम उनसे खुद को छिपाएं (यानी, हिजाब का पालन करें) । हमने कहा: "अल्लाह के रसूल (स.), वह अंधे हैं और हमें देखने में असमर्थ हैं, न ही वह हमें जानते हैं ।" उन्होंने कहा; "क्या तुम भी अंधे हो और उसे देखने में असमर्थ हो ?" **[तिर्मिज़ी 2778: यही बयान]**

मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबह 6382 (कुछ एडिशन में 6295): "हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक ग़ुलाम लड़की को देखा, जो हिजाब (जिलबाब) पहने हुए थी। तो उन्होंने उसे मारा और कहा: 'अपने आपको आज़ाद औरतों जैसी मत बनाओ।'"

हदीस अबू दाऊद 1826: इब्न उमर ने बताया कि पैगंबर (स.) ने कहा कि पवित्र अवस्था में एक महिला (इहराम पहने हुए) को पर्दा नहीं करना चाहिए या दस्ताने नहीं पहनने चाहिए। (सहीह) [**मुवत्ता मालिक किताब 20, हदीस 15**: **यही बयान**]

जो कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई अभद्र कार्य करेगा या सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य करेगा या अश्लील पोशाक पहनेगा या सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य करेगा या सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसे कोड़े मारने की सजा दी जाएगी जो चालीस कोड़ों से अधिक नहीं हो सकेगी या जुर्माना या दोनों ।

हदीस अबू दाऊद 4104: अबू बक्र (रज़ि) की बेटी अस्मा पतले कपड़े पहने हुए अल्लाह के रसूल (स.) के पास दाखिल हुईं। अल्लाह के रसूल (स.) ने उनसे अपना ध्यान हटा लिया। उन्होंने कहा: ऐ अस्मा! जब कोई महिला मासिक धर्म की उम्र तक पहुँच जाती है, तो यह उसके लिए उचित नहीं है कि वह अपने शरीर के इस हिस्से को छोड़कर दिखाए, और उन्होंने उसके चेहरे और हाथों की ओर इशारा किया। (सहीह)

हदीस सहीह मुस्लिम 2935: आयशा (रज़ि) ने कहा: अल्लाह के रसूल, लोग दो इनाम लेकर लौट रहे हैं जबकि मैं एक इनाम लेकर

लौट रहा हूं। इस पर उन्होंने अब्द अल-रहमान बिन अबू बकर (रज़ि) को आदेश दिया कि मुझे (आइशा (रज़ि)) अल- तनीम तक ले जाएं । उन्होंने (आयशा रज़ि) ने कहा: उन्होंने मुझे अपने ऊंट पर अपने पीछे बैठाया। उन्होंने (आगे) कहा: मैंने अपना सिर का पर्दा उठाया और इसे अपनी गर्दन से हटा दिया। उन्होंने मेरे पैर पर मारा जैसे कि वह ऊंट को मार रहें हों। मैंने उनसे कहा: क्या आपको कोई दिख रहा है? उसने (आगे) कहा: मैं उमरा के लिए एहराम की स्थिति में प्रवेश कर गई जब तक कि हम अल्लाह के रसूल (स.) के पास नहीं पहुँचे और वह हसबा में थे ।

वयस्क पुरूषो को स्तनपान कराना

हदीस इब्न माजा 1943: "सहला बिन्त सुहैल पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पास आई और कहने लगी: 'ए रसूल-ए-अल्लाह! जब सालिम (अबू हुदैफ़ा का गोद लिया हुआ बेटा) मेरे पास आता है, तो मुझे अबू हुदैफ़ा के चेहरे पर कुछ नाखुशी के लक्षण दिखते हैं। पैग़म्बर (स.) ने कहा: 'उसे (सालिम को) स्तनपान करा दो। उसने पूछा: 'मैं उसे स्तनपान कैसे करा सकती हूँ, जबकि वह एक बड़ा आदमी है। पैग़म्बर (स.) मुस्कुरा दिए और बोले: 'मैं जानता हूँ कि वह बड़ा आदमी है। फिर उसने ऐसा ही किया। बाद में जब उसने (फिर) पैग़म्बर (स.) के पास आकर कहा: 'अबू हुदैफ़ा के चेहरे पर मैं कभी भी नाखुशी नहीं देखती (पहले जैसा व्यवहार नहीं हुआ), और वह (अबू हुदैफ़ा) बदर की लड़ाई में शामिल था।" **[सहीह मुस्लिम 3600, 3601, 3602: यही बयान]**

हदीस अबू दाऊद 2061: .....तब सुहैल बिन अम्र अल कुरैशी की बेटी सहला आई और बोली अल्लाह के रसूल, हम सलीम को अपना बेटा मानते थे। वह मेरे और अबू हुज़ैफा के साथ एक ही घर में रहता था, और उसने मुझे छोटे कपड़ों में देखा, फिर उसके बारे में आपकी क्या राय है? पैगंबर (स.) ने कहा कि इसे अपना दूध पिलाओ। उसने उसे पांच बार दूध पिलाया। फिर वह उसके पालक बेटे की तरह हो गया। इसी आधार पर, आयशा (रज़ि) अपनी बहनों की बेटियों और अपने भाइयों की बेटियों से कहती थीं कि वे उसे पांच बार दूध पिलाएं, जिससे आयशा मिलना चाहती थी। भले ही वह वयस्क हो; वह तब उनसे मिलने जाता था (और वह पर्दा नहीं करती थीं)। लेकिन उम्म सलमा और पैगंबर (स.) की अन्य पत्नियों ने इस तरह के स्तनपान के आधार पर किसी को भी मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जब तक कि किसी को बचपन में स्तनपान नहीं कराया गया हो। (सहीह)

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 30, हदीस 7: ..... सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उन्हें बताया कि आयशा (रज़ि) उम्म अल-मुमिनिन ने उसे अपनी बहन उम्म कुलसुम बिन्त अबी बक्र के पास भेज दिया और कहा, "उसे दस बार दूध पिलाओ ताकि वह फिर उस स्तनपान-रिश्ते की वजह से आइशा (रज़ि) से मिल सके।"सलीम ने कहा, "उम्म कुलसुम ने मुझे तीन बार दूध पिलाया और फिर बीमार हो गई, इसलिए मैं आयशा (रज़ि) को देखने नहीं जा सका क्योंकि उम्म कुलसुम ने मेरे लिए दस बार दूध नहीं पिलाया। "

महिलाओं का खतना

इस 'खतना' ऑपरेशन के लिए आधुनिक शब्द "लेबियाप्लास्टी" या "लेबिया रिडक्शन सर्जरी " के रूप में जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संस्थाएँ इसको एक "मानवाधिकार उल्लंघन" और "महिला" के लिए खतरनाक" प्रथा मानती हैं। भारत में बोहरा समुदाय की महिलाओं में से लगभग 75-85% का खतना होता हैं। **अधिकांश मुसलमान इसे धार्मिक कर्तव्य या सुन्नत नहीं मानते।**

महिला खतना के बारे में विद्वान क्या कहते हैं:

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड लॉ (संशोधित ई.), पृष्ठ 59:
4.3 खतना अनिवार्य है (O: पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए। पुरूषों के लिए इसमें लिंग से खलड़ी को हटाना शामिल है, और महिलाओं के लिए भगशेफ की खलड़ी को हटाना शामिल है। (A: हंबलियों का मानना है कि महिलाओं का खतना अनिवार्य नहीं बल्कि सुन्नत है, जबकि हनाफी इसे पति के प्रति मात्र शिष्टाचार मानते हैं।)

फतवा इब्न तैमियाह, पृष्ठ 25: महिलाओं के खतने का नियम क्या है? उत्तर: पुरुष की तरह, महिलाओं को खतना करवाना चाहिए। महिलाओं के लिए खतना में भगशेफ से खलड़ी को हटाना शामिल है (भगशेफ को नहीं, जैसा कि कुछ लोग गलत तरीके से कहते हैं) । इस संबंध में पैगंबर (स.) ने कहा: "इसे (खतना) हल्के ढंग से करें बिना किसी अति के, क्योंकि यह पुरुष और महिला दोनों के लिए स्वस्थ है"। हदीस में कहा गया है कि खतना केवल महिला को अपनी वासना को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने के लिए है ।

पहली पीढ़ी के मुसलमानों ने इसे कैसे समझा:

हदीस सहीह मुस्लिम 785: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जब कोई व्यक्ति (महिला के) चार हिस्सों के बीच बैठता है और खतना किए गए हिस्से एक-दूसरे को छूते हैं तो स्नान अनिवार्य हो जाता है।

हदीस अल-अदब अल- मुफ़राद हदीस 1247: जब आयशा (रज़ि) के भाई की बेटियों का खतना किया गया, तो आयशा (रज़ि) से पूछा गया, "क्या हम उन्हें खुश करने के लिए किसी को बुलाएँ?" "हाँ," उन्होंने जवाब दिया। अदी को बुलाया गया और वह उनके पास आया। आयशा (रज़ि) कमरे से गुज़री और उन्होंने उसे गाते हुए और खुशी में अपना सिर हिलाते हुए देखा - और उसके सिर पर बहुत बड़े बाल थे। ' उफ़!' उन्होंने कहा, 'एक शैतान ! उसे बाहर निकालो! उसे बाहर निकालो!"

हदीस तिर्मिज़ी 108: आयशा (रज़ि) ने वर्णित किया: "जब खतना किया हुआ व्यक्ति खतना किए हुए व्यक्ति से मिलता है, तो वास्तव में स्नान करना आवश्यक है। मैंने और अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया, इसलिए हमने स्नान किया।" [**यही बयान: हदीस तिर्मिज़ी 109, इब्न माजा 608]**

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 2, हदीस 75: अबू मूसा अल-अशरी पैगंबर की पत्नी आयशा (रज़ि) के पास आए, और उनसे कहा, "एक मामले में साथियों की असहमति जिसे मैं आपके सामने लाने से नफरत करता हूं, ने मुझे परेशान कर दिया है ।" उन्होंने कहा, "वह क्या है? आपने इसके बारे में अपनी मां से नहीं पूछा, इसलिए मुझसे पूछो।" उन्होंने कहा, "एक आदमी अपनी पत्नी में प्रवेश करता है, लेकिन सुस्त हो जाता है और स्खलन नहीं करता है।" उन्होंने (आयशा (रज़ि)) कहा, "जब खतना वाला हिस्सा खतना वाले हिस्से से गुजर जाता है तो स्नान अनिवार्य है,." अबू मूसा ने कहा, "मैं आपके बाद कभी किसी से इस बारे में नहीं पूछूंगा।"

इत्र, नकली बाल, टैटू

हदीस अन-नसाई 5097: अल्लाह के रसूल (स.) ने उस औरत को लानत भेजी जो बाल एक्सटेंशन लगाती है और उस औरत को जिसने ऐसा करवाया है।

हदीस सहीह मुस्लिम 5567, 5568: आयशा (रज़ि) ने बताया कि अंसार की एक महिला ने अपनी बेटी से शादी की, जिसके बाल बीमारी की वजह से झड़ गए थे। वह अल्लाह के रसूल (स.) के पास आई और कहा: उसका पति चाहता है कि उसके सिर पर नकली बाल लगाए जाएँ। इस पर अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जो महिला नकली बाल लगाती है, उस पर लानत है। यह हदीस नफी के अधिकार से उसी तरह से सुनाई गई है, लेकिन शब्दों में थोड़ा बदलाव है।

तफ़सीर कुरान 24:31 (इब्न कथिर): (और उन्हें अपने पैर पटकने न दें...) जाहिलियत के दौरान, जब महिलाएं पायल पहनकर सड़क पर चलती थीं और कोई उन्हें नहीं सुनता था, तो वे अपने पैर पटकती थीं ताकि पुरुष उनके पायल की आवाज़ सुन सकें। अल्लाह ने ईमान वाली महिलाओं (मुस्लिम) को ऐसा करने से मना किया है। उसी तरह, अगर कोई और तरह का श्रृंगार छिपा हुआ है, तो महिलाओं को कोई भी हरकत करने से मना किया जाता है जिससे छिपी हुई चीज़ का पता चले, क्योंकि अल्लाह ने कहा है: (और उन्हें अपने पैर पटकने नहीं चाहिए...) इसके अंत तक। इसके अलावा, महिलाओं को घर से बाहर जाते समय खुशबू और इत्र लगाने से भी मना किया जाता है, ताकि पुरुषों को उनकी खुशबू न लगे।

अबू ईसा अत-तिर्मिज़ी ने दर्ज किया है कि अबू मूसा ने कहा कि पैगंबर (स.) ने कहा: (हर आंख व्यभिचार करती है, और जब कोई महिला इत्र लगाकर किसी सभा से गुज़रती है, तो वह ऐसी वैसी है - जिसका अर्थ है व्यभिचारिणी। उन्होंने कहा, "और अबू हुरयरा (रज़ि) से भी ऐसी ही एक रिपोर्ट है, और यह हसन सहीह है।" इसे अबू दाऊद और अन-नसाई ने भी दर्ज किया है। (**हदीस अन-नसाई 5129, तिर्मिज़ी 2786)** इसी तरह, महिलाओं को सड़क के बीच में चलने से भी मना किया जाता है, क्योंकि इसमें बेशर्मी का प्रदर्शन शामिल है। अबू दाऊद ने दर्ज किया कि अबू उसैद अल-अंसारी ने कहा कि उसने अल्लाह के रसूल को सुना, जब वह मस्जिद से बाहर आ रहे थे और पुरुष और महिलाएं सड़क पर मिल रहे थे, आप महिलाओं से कह रहे थे: पीछे हटो, क्योंकि तुम्हें सड़क के बीच में चलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें सड़क के किनारे रहना चाहिए। महिलाएं दीवारों से इस कदर चिपक जाती थीं कि उनके कपड़े दीवारों पर फंस जाते थे।

हदीस सहीह बुखारी 5937: इब्न उमर से रिवायत है: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "अल्लाह ने ऐसी महिला को शाप दिया है जो अपने या किसी और के बालों को कृत्रिम रूप से लंबा करती है या करवाती है, और वह महिला भी जो अपने या किसी और के टैटू बनवाती है।

हदीस सहीह मुस्लिम 5573: अब्दुल्ला ने बताया कि अल्लाह ने उन महिलाओं को शाप दिया है जो टैटू बनाती हैं और जिन्होंने खुद टैटू बनवाया है, जो अपने चेहरे से बाल उखाड़ती हैं और जो सुंदरता के लिए अपने दांतों के बीच जगह बनाती हैं, जो अल्लाह ने बनाई है उसे बदल देती हैं।

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने अबू बक्र रज़ि. और उमर रज़ि. के बालों को मेहंदी और कत्म से रंगने का हुक्म दिया। लेकिन काले रंग से रंगना मना या नापसंद माना गया है।

महिलाओं को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति और क़ब्रों पर जाना

हदीस इब्न माजा 1000: अबू हुरैरा (रज़ि) से वर्णित है कि उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ने फरमाया: औरतों के लिए सबसे अच्छी पंक्तियाँ, पीछे की पंक्तियाँ हैं, और सबसे खराब पंक्तियाँ आगे की पंक्तियाँ हैं, और पुरुष के लिए सबसे अच्छी पंक्तियाँ आगे की हैं, और सबसे बुरे पंक्ति पीछे की हैं। [**सहीह मुस्लिम 985 (INT 440a): यही बयान]**

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के समय में महिलाएँ नमाज़ के लिए मस्जिद जाया करती थीं। कुछ शासकों और क़ाज़ियों ने फ़ितने के डर से महिलाओं की उपस्थिति सीमित कर दी। धीरे-धीरे यह सामाजिक रिवाज बन गया।

सुनन तिर्मिज़ी 1056, सुनन इब्न माजा 1575-76: अल्लाह ने उन महिलाओं पर लानत की है जो क़ब्रों की बार-बार ज़ियारत करती हैं"

**व्यवहार में, बहुत कम महिलाएँ ही क़ब्रिस्तान जाती हैं।

"इस्लाम ने अरब में कन्या-हत्या को समाप्त कर दिया"

यह बात आंशिक रूप से सही, पर अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती है। कुछ अरब क़बीलों में नवजात बच्चियों को ज़िंदा दफन करने की प्रथा थी, जिसे वअद कहा जाता था। इसके कारण थे: ग़रीबी और आर्थिक डर, युद्ध में अपमान या बंदी बनाए जाने का भय; लेकिन यह प्रथा पूरे अरब समाज में नहीं थी। बहुत-से अरब पिता अपनी बेटियों से प्रेम करते थे।

क़ुरआन में कन्या-हत्या की आलोचना की गई है:

क़ुरआन 81:8–9: "और जब ज़िंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह में मारा गया।"

क़ुरआन 6:151, 17:31: ग़रीबी के डर से बच्चों को मारने से मना किया गया।

कुछ अरब समाज पहले से ही इस प्रथा को ग़लत मानते थे। यहूदियत और ईसाइयत भी कन्या-हत्या के ख़िलाफ़ थीं। लेकिन इस्लामी समाज में महिलाओं को पूर्ण समानता नहीं मिली: पुरुष प्रधान सोच, बाल विवाह और महिला निर्भरता जैसी समस्याएँ रहीं यानी एक बुराई का अंत होना, सभी असमानताओं का अंत नहीं था।

इस्लाम से पहले: ख़दीजा (रज़ि) मक्का की सबसे सफल व्यापारियों में से एक थीं। कारवाँ भेजती थीं, एजेंट रखती थीं, पैग़म्बर मुहम्मद (स.) भी शादी से पहले उनके व्यापार का प्रबंधन कर चुके थे। बाद में महिलाओं का आर्थिक दायरा क्यों सिमटा: ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (चारों ख़लीफ़ाओं) के दौर में कितनी मुस्लिम महिलाएँ व्यापार कर रही थीं?

अध्याय 11. दावा: धर्म में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है

क़ुरआन 2:256: धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। (**यह आयत बाद की आयतों द्वारा निरस्त हो चुकी है**)

क्या मुसलमान इस्लाम छोड़ सकते हैं?

कुरान 3:85: जो कोई इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म की तलाश करेगा, वह कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा

कुरान 4:89: फिर यदि वे इस्लाम त्याग दें, तो उनसे निपट लो और जहाँ कहीं भी वे मिलें, उन्हें मार डालो।

हदीस इब्न माजा 2539: इब्न अब्बास (रज़ि) से वर्णित है कि, अल्लाह के रसूल ने कहा: "जो कोई क़ुरआन की किसी आयत का इनकार करे, उसकी गर्दन पर वार करना जायज़ है (यानी, मार डालो) ।

हदीस तिर्मिज़ी 1458: अली (रज़ि) ने कुछ लोगों को जला दिया जो धर्म (इस्लाम) से विमुख हो गए थे। यह खबर इब्न अब्बास (रज़ि) तक पहुंची, तो उन्होंने कहा: "अगर मैं होता तो मैं अल्लाह के रसूल (स.) के कथन के अनुसार उन्हें मार डालता है, अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: 'जो कोई अपना धर्म बदल ले तो उसे मार डालो।' और मैं उन्हें जलाता नहीं क्योंकि रसूल अल्लाह (स.) ने कहा: 'अल्लाह की सज़ा (आग) से सज़ा मत दो।' तो यह बात अली (रज़ि) के पास पहुँची, उन्होंने कहा: "इब्न अब्बास (रज़ि) ने सच कहा है।" [**सहिह बुखारी 3017, 6922: यही बयान]**

हदीस अन-नसाई 4070: अली (रज़ि) अज़-ज़ुत्त के कुछ लोगों के पास आए, जो मूर्तियों की पूजा करते थे, और उन्हें जला दिया। इब्न अब्बास (रज़ि) ने कहा: "लेकिन अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "जो कोई अपना धर्म बदले, उसे मार डालो।"

मुवत्ता मालिक किताब 36, 15: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया, "अगर कोई अपना दीन (धर्म) बदल ले तो...उसकी गर्दन पर वार करो!' [**हदीस अन-नसाई 4064-4069, बुलुग अल-मरम पुस्तक 9, 1242, इब्न माजा 2535: यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 6923: अबू मुइसा के पास जंजीर से बंधा हुआ एक आदमी खड़ा था। मुआज़ ने पूछा, "यह (आदमी) कौन है?" अबू मुइसा ने कहा, "वह एक यहूदी था, मुसलमान होने के बाद फिर वापस यहूदी धर्म में लौट गया ।" फिर अबू मुइसा ने मुआज़ से बैठने का अनुरोध किया लेकिन मुआज़ ने कहा, "मैं तब तक नहीं बैठूँगा जब तक वह मारा नहीं जाता । यह अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला है, तीन बार कहा । फिर अबू मूसा ने आदेश दिया कि उस आदमी को मार दिया जाए। **[सहीह मुस्लिम 4718, अबू दाऊद 4355: यही बयान]**

मुवत्ता मलिक किताब 36, हदीस 1420: एक आदमी इस्लाम छोड़, काफ़िर (अविश्वासी) बन गया।' उमर (रज़ि) ने पूछा, 'तुमने उसके साथ क्या किया?' उन्होंने कहा, 'हमने उसे अपने पास आने दिया और उसका सिर काट दिया।' उमर (रज़ि) ने कहा, क्या आपने उसे तीन दिन के लिए कैद नहीं किया और हर दिन उसे एक रोटी नहीं खिलाई और उसे तौबा करने को नहीं कहा, ताकि वह तौबा करले और अल्लाह के रास्ते पर वापस आ जाए।'

सहीह बुखारी 6878: अल्लाह के रसूल ने कहा, "एक मुसलमान का खून तीन मामलों को छोड़कर नहीं किया जा सकता है; हत्या के लिए किसास में, विवाहित व्यक्ति जो अवैध यौन संबंध बनाता है, और वह जो इस्लाम से फिर जाता है और छोड़ देता है (धर्मत्यागी)।" [**हदीस अबू दाऊद 4502: यही बयान]**

यात्री पर निर्भरता: इस्लामी पवित्र कानून की क्लासिक मैनुअल (संशोधित साक्ष्य), पृष्ठ 595-596:
08.0 " इस्लाम छोड़ना कुफ़्र का सबसे घिनौना रूप है और सबसे बुरा... जब कोई व्यक्ति जो यौवन की अवस्था में पहुंच चुका है और स्वस्थ है, स्वेच्छा से धर्मत्याग करता है (इस्लाम से विमुख होने पर) वह मृत्युदंड के योग्य है।

इस्लाम में पाखंडी (मुनाफिक) कौन

मुनाफ़िक़ (पाखंडी) वह व्यक्ति है जो बाहरी तौर पर मुसलमान होने का दावा करता है लेकिन अंदर से इनकार करता है या अविश्वास रखता है। जिहाद पर न जाने वालों को भी उस समय मुनाफ़िक कहा जाता था।

क़ुरआन 33:60-61: यदि मुनाफ़िक़ और वे लोग जिनके दिलों में रोग (बुरी इच्छा) है और वे जो मदीना में लोगों के बीच झूठी ख़बरें फैलाते हैं, वे न रुके तो हम तुम्हें उन पर हावी होने देंगे। फिर वे तुम्हारे पड़ोसी बनकर वहाँ थोड़े दिन ही ठहर सकेंगे। वे अभिशप्त हैं, जहाँ कहीं भी पाए जाएँ, पकड़ लिए जाएँगे और भयंकर क़त्लेआम से मारे जाएँगे।

कुरान 47:20-21: ईमान लाने वाले कहते हैं: "हमारे लिए कोई सूरा (कुरान का अध्याय) क्यों नहीं उतारा गया? लेकिन जब कोई निर्णायक सूरा (चीजों को स्पष्ट करने और आदेश देने वाली) उतारी जाती है, और उसमें लड़ाई (जिहाद) का उल्लेख किया जाता है, तो आप उन लोगों को देखेंगे जिनके दिलों में पाखंड की बीमारी है, वे आपकी ओर बेहोशी की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन उनके लिए बेहतर है कि वे अल्लाह की बात सुनें और उसकी आज्ञा का पालन करें।

कुरान 4:145: मुनाफ़िक़ मुसलमान आग की सबसे निचली गहराई (श्रेणी) में होंगे

कुरान 9:73-74: हे पैगम्बर (स.), अविश्वासियों और मुनाफ़िक़ मुसलमानों से लड़ो और उन पर सख़्ती करो। वे अल्लाह की क़सम खाते हैं कि उन्होंने पैगंबर (स.) के विरुद्ध कुछ भी कहा, जबकि वे कुफ़्र की बात कह चुके थे, और उन्होंने इस्लाम के पश्चात इनकार किया और वे योजनाएँ बनायीं जो कभी पूरी नहीं होनी थी, और वे केवल इस बात से नाराज़ थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अपने इनाम से समृद्ध नहीं कर दिया। अतः यदि वे तौबा कर लें तो यह उनके लिए अच्छा है। किन्तु यदि वे मुँह मोड़ेंगे तो इस दुनिया और आख़िरत में अल्लाह उन्हें दुखद यातना देगा। उनके लिए पृथ्वी को कोई रक्षक या सहायक नहीं होगा ।

कुरान 66:9: हे पैगंबर (स.) काफ़िरों और मुनाफ़िक़ मुसलमानों के विरूद्ध कड़ा प्रयास करो और उनके साथ सख्ती करो ।

मुसलमानों में मुनाफ़िक क्यों बनते हैं ?
कुछ लोग सभी धार्मिक नियमों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबाव में धार्मिक दिखावा बनाए रखना चाहते हैं। इससे नैतिक और व्यवहारिक अंतर पैदा होता है। फिर इस्लाम में धर्म छोड़ने की अनुमति भी नहीं होती, इसलिए ऐसे हालात में यही विकल्प बचता है।

अवज्ञाकारी मुसलमानों को मारने की अनुमति (इस्लाम की कुछ बातों को अस्वीकार करने पर भी)

कुरान 33:36: जब अल्लाह और उसके रसूल द्वारा कोई मामला तय कर दिया जाता है, तो किसी भी आस्तिक, पुरुष या महिला के लिए यह उचित नहीं है कि वे अपने फैसले के बारे में कोई विकल्प रखें: यदि कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करता है, तो वह वास्तव में स्पष्ट रूप से गलत रास्ते पर है।

हदीस सहीह बुखारी 7280: रसूल (स.) ने कहा, "मेरे सभी अनुयायी जन्नत में प्रवेश करेंगे, सिवाय उन लोगों के जो इनकार करते हैं।" उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! कौन इनकार करेगा?" उन्होंने कहा, "जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वह जन्नत में प्रवेश करेगा, और जो मेरी अवज्ञा करेगा वह इनकार करने वाला है।"

कुरान 9:49: और उनमें से वह जो कहता है: "मुझे (जिहाद से) छूट दे और मुझे परीक्षण में न डाल।" निश्चित रूप से, वे परीक्षण में पड़ गए हैं। और वास्तव में, नरक अविश्वासियों को घेरे हुए है।

हदीस सहीह बुखारी 2420: पैगंबर (स.) ने कहा, "निश्चित रूप से मैंने मुअज़दीन (पुकारने वाले) को इकामा का उच्चारण करने और एक आदमी को नमाज़ का नेतृत्व करने का आदेश देने का फैसला किया और फिर उन सभी लोगों को जलाने के लिए आग की लौ ली, जिन्होंने अभी तक नमाज़ के लिए अपने घरों को अपने घर वालों के साथ नहीं छोड़ा है।"

हदीस मिश्कात अल-मसाबीह 1073: अबू हुरैरा (रज़ि) ने पैगंबर को यह कहते हुए वर्णित किया, "अगर घरों में महिलाएं और बच्चे न होते तो मैं शाम की नमाज़ को सामूहिक बनाता और उन नौजवानों को घरों में आग से जलाने का आदेश देता।"

यात्री पर निर्भरता: इस्लामी पवित्र कानून की क्लासिक मैनुअल (संशोधित साक्ष्य), पृष्ठ 109:
F1.3 मुसलमानों में से कोई व्यक्ति जो नमाज़, ज़कात, रोज़ा, तीर्थयात्रा, या शराब की अवैधता और व्यभिचार, या किसी और चीज जिस पर विद्वत्ता की सर्वसम्मति है, या आवश्यक रूप से ज्ञात अर्थात् वे बातें जो कोई भी मुसलमान जानता है, की अनिवार्यता से इनकार

करता है, तो वह अविश्वासी (काफिर) बन जाता है और उसे मृत्युदंड दिया जाता है (ओ: यदि वह स्वीकार नहीं करता कि वह गलत है)।

हदीस इब्न माजा 2539: इब्न अब्बास (रज़ि) से वर्णित है कि, अल्लाह के रसूल ने कहा: "जो कोई क़ुरआन की किसी आयत का इनकार करे, उसकी गर्दन पर वार करना जायज़ है (यानी, मार डालो) ।

सगे रिश्तेदारों को भी न छोड़ें

क़ुरआन 9:23: "ऐ ईमान लाने वालों! अपने बाप-दादा और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ, अगर वे इनकार (अल्लाह का) करने में खुश हों। तुममें से जो कोई उन्हें दोस्त बनाएगा, तो ऐसे लोग गलत काम करने वाले हैं।"

हदीस सहीह बुखारी 15: पैगंबर (स.) ने कहा, "तुममें से कोई भी तब तक ईमान नहीं लाएगा जब तक कि वह मुझसे अपने पिता, अपने बच्चों और सभी इंसानों से ज़्यादा प्यार न करे।"

हदीस इब्न माजाह 2540: अल्लाह के नबी (स.) ने कहा: " रिश्तेदारों और अजनबियों पर कानूनी दंड का अमल करो, और दोष के डर से, अल्लाह का आदेश पूरा करने से ना रुको।

इब्न हिशाम, अस-सीरतुन्नबविय्यह – पैग़म्बर मुहम्मद (स.) का जीवनचरित, खंड 2 [संपादित जॉन ग्लुब, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मुहम्मद, लानहम 1998, पृष्ठ 304-310]: .... एक अवसर पर, अबू सूफयान मदीना में अपनी बेटी (रामला) के घर में उससे मुलाकात की। " जैस ही वह पैगंबर के कालीन पर बैठने के लिए गया, उसने (रामला ने) उसे मोड़ दिया ताकि वह उस पर नहीं बैठ सके। ' उसने (रामला) जवाब दिया: 'यह पैगंबर का कालीन है और आप एक नापाक बहुदेववादी हैं। 'उसने कहा " अल्लाह कसम" जब से तुमने मुझे छोड़ दिया तुम बुरी हो गई हो।

रामला (उम्मे हबीबा) और उनके पहले पति उबैदुल्लाह बिन जह्श ने मक्का में इस्लाम स्वीकार किया और हबशा (इथियोपिया) की हिजरत की। हबशा में उनके पति ने ईसाई धर्म अपना लिया और इस्लाम छोड़ दिया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जब पैग़म्बर (स.) को उनके हालात का पता चला, तो उन्होंने हबशा के राजा नजाशी के ज़रिए उनसे निकाह का प्रस्ताव भेजा।

अल-बिदाया वान-निहाया (खंड 8): बद्र की लड़ाई में अब्दुर्रहमान, काफ़िर क़ुरैश की सेना में थे (उस समय तक मुसलमान नहीं हुए थे), जबकि उनके पिता (अबू बकर रज़ि) मुसलमानों के साथ थे। बाद में जब वे मुसलमान हो गए, उन्होंने एक दिन अपने पिता से कहा:"बद्र के दिन मैं आपके सामने था, पर मैंने हमला नहीं किया ताकि आपको नुकसान न पहुँचे।" अबू बकर (रज़ि) ने इसका यह उत्तर दिया: अगर तुम मेरे सामने आए होते तो मैं तुम्हें क़त्ल कर देता।"

भटकी हुई मस्जिदों को जलाना

क़ुरान 9:107-108: और जो लोग नुकसान पहुँचाने और कुफ़्र के लिए मस्जिद बनाते हैं, और ईमान वालों में फूट डालने के लिए और उन लोगों के लिए एक चौकी के रूप में, जो अल्लाह और उसके रसूल (मुहम्मद स.) के खिलाफ़ युद्ध करते हैं, इससे पहले वे लोग कसम खा चुके होंगे कि लेकिन उनके इरादे नेक नहीं होंगे। अल्लाह गवाही देता है कि वे निश्चय ही झूठे हैं, तुम उसमें कदापि खड़े न हो।

तफ़सीर क़ुरान 9:107 (अस्बाब अल-नुज़ुल, अल-वहीदी): इस मस्जिद में जाएँ जिसके निर्माताओं ने उल्लंघन किया है, इसे नष्ट कर दो और जला दो।'

तफ़सीर क़ुरान 9:108 (अल-जलालैन): वहाँ कभी नमाज़ अदा न करें: ....और इसलिए उसने लोगों के एक समूह को वहाँ भेजा, इसको नष्ट करने और जलाने के लिए, और उन्होंने इसके स्थान पर एक कूड़ा गड्ढा छोड़ दिया जहां सड़न वाली लाशों को फेंक दिया जाएगा।

इस्लाम में क्या "ज़ुल्म" माना जाता है?

1. अल्लाह के साथ ज़ुल्म - शिर्क (अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराना) सबसे बड़ा ज़ुल्म माना गया है।

क़ुरआन 31:13: निश्चय ही शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है।"

क़ुरान 19:70-72: .... और हम ज़ालिमों (बहुदेववादी, गैर-मुस्लिम, और गलत काम करने वाले) को उसमें (नरक में) घुटनों के बल पर छोड़ देंगे।

2. इंसानों पर ज़ुल्म -

अध्याय 12. दावा: तुम्हारा दीन (धर्म) तुम्हारे लिए, मेरा मेरे लिए

सूरह अल-काफ़िरून 109:6: लकुम दीनुकुम व लिय दीन **"तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, और मेरे लिए मेरा दीन है।" [बाद के आदेश से समाप्त किया गया]**

क्या मुहम्मद (स.) और खलीफा अबू बकर (रज़ि) अन्य धर्मों के प्रति सहनशील थे?

अल-तबारी, खंड 8, पृष्ठ 76: अबू बकर (रज़ि) ने कहा, "जाओ अल-लत के गुप्तांगो को चूसो!" - अल-लत थगिफ़ की मूर्ति थी, जिसकी वे पूजा करते थे

हदीस सहीह बुखारी 2731, 273: अबू बकर (रज़ि) ने उसे गाली दी और कहा, "जाओ अल-लत के गुप्तांगों को चूसो! क्या तुम कहते हो कि हम भाग जाएंगे और पैगंबर (स.) को अकेला छोड़ देंगे?"।

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 502: कुरैश अपने दुधारू ऊँटों के साथ तेंदुए की खाल पहने हुए निकल आए हैं और कसम खा रहे हैं कि तुम कभी भी मक्का में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करोगे। खुदा की कसम, मुझे लगता है कि कल मैं तुम्हें इन लोगों द्वारा त्यागा हुआ देखूंगा। अबू बकर (रज़ि) रसूल के पीछे बैठे थे और उन्होंने कहा, ' चूसो अल-लात के स्तनों को! हम उन्हें क्यों छोड़ दें?'

सभी मुस्लिम विद्वान नीचे उल्लिखित इस हदीस का गलत अनुवाद करते हैं, ताकि यह छिपाया जा सके कि कैसे अबू बकर (रज़ि) ने मक्का की मूर्ति के गुप्तांगों को चूसने के लिए कहकर उसका दुरुपयोग किया था।

विरोधाभास - हालाँकि एक जगह पर मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि

क़ुरआन 6:108: और उनको अपमानित न करो जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पूजते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे अज्ञानता के कारण अल्लाह का अपमान करें। इस प्रकार हमने प्रत्येक समुदाय के लिए उसके कर्मों को सुन्दर बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब की ओर लौटना है। फिर वह उन्हें बता देगा कि वे क्या-क्या करते रहे।

काफ़िर/कुफ़्र से जुड़े शब्द (इस्लामी अक़ीदा)

शब्द	मुहम्मद (स.) में आस्था	कारण
मुल्हिद	नहीं	ईश्वर/दैवी सत्य का इनकार करने वाला, नास्तिक
दहरी	नहीं	भौतिकवादी, नास्तिक
मुर्तद	नहीं	इस्लाम अपना कर बाद में छोड़ने वाला
मुश्रिक	नहीं	अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराने वाला, बहुदेववाद/ मूर्ति-पूजा
यहूदी	नहीं	हज़रत मूसा (अ.) के अनुयायी, अंतिम नबी मुहम्मद (स.) को न मानना
ईसाई	नहीं	ईसा (अ.) के अनुयायी, अंतिम नबी मुहम्मद (स.) को न मानना, ईसा (अ.) को ईश्वर का बेटा मानना
कज़्ज़ाब	-	इस्लाम के बाद या उसके बाहर किसी और को नबी मानना, मुसैलिमा के अनुयायी
अहमदिया / क़ादियानी	हाँ	मुहम्मद (स.) अंतिम नबी माना जाता है, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद को नबी का दर्जा भी मानते हैं
ख़वारिज	हाँ	इस्लाम के शुरुआती दौर का एक उग्र समूह, धार्मिक मामलों में अत्यधिक कठोर
मुनाफ़िक़, ज़िंदीक़	हाँ	ज़ाहिर में मुसलमान, दिल से ईमान नहीं (दोहरा चरित्र), मुसलमानों का साथ न देना, फूट डालना, छुपकर इस्लाम का मज़ाक उड़ाना
राफ़िज़ी / राफ़िदी	हाँ	प्रारंभिक ख़िलाफ़त विशेषकर हज़रत अबू बक्र और उमर (रज़ी) अस्वीकार करना, कुछ शिया समूह
अहले-बिदअत	हाँ	धर्म में नई बात जोड़ने वाले, नए त्योहार, नए इबादत के तरीके **** भटका हुआ माना जाता है**
मुनकर	-	वह काम या व्यवहार करना जिसे इस्लाम ने बुरा या गलत माना हो

गैर-मुस्लिम (काफिरों) की स्थिति

कुरान 3:32: कहो: "अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो": लेकिन अगर वे पीछे हटते हैं, तो अल्लाह उन लोगों को पसन्द नहीं करता जो ईमान से इनकार करते हैं।

कुरान 8:55: "वास्तव में, अल्लाह के निकट सबसे बुरे चलने वाले (जीवित) प्राणी वे हैं जो विश्वास नहीं करते है (काफ़िर) - तो वे ईमान नहीं लाएँगे।"

कुरान 19:70-72: तो हम उन लोगों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं जो उसमें (नरक) जलाए जाने के सबसे ज़्यादा हक़दार हैं। तुममें (मुसलमान) से कोई भी ऐसा नहीं जो उससे (नरक) पार न जा सके। यह तुम्हारे रब के पास एक फ़ैसला है जो पूरा होकर रहेगा। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो अल्लाह से डरते थे और उसके आज्ञाकारी थे। और हम ज़ालिमों (बहुदेववादी, गैर-मुस्लिम, और गलत काम करने वाले) को उसमें (नरक में) घुटनों के बल पर छोड़ देंगे।

क़ुरआन 25:44: क्या तुम समझते हो कि उनमें से अधिकतर सुनते या समझते हैं? वे तो चौपायों के समान हैं - नहीं। वे तो चौपायों से भी अधिक भटके हुए हैं।

क़ुरआन 25:55: और वे (काफ़िर, मुश्रिक, आदि) अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं, जो न तो उन्हें फ़ायदा पहुँचा सकती हैं और न नुक़सान पहुँचा सकती हैं, और काफ़िर अपने रब के ख़िलाफ़ में हमेशा (शैतान का) मददगार होता है।

कुरान 30:45: "वह (अल्लाह) उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, अपने फज़ल से बदला देगा। बेशक, वह इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता।"

कुरान 3:110: तुम (एकेश्वरवाद में सच्चे विश्वासियों, और पैगंबर मुहम्मद (स.) और उनकी सुन्नत के वास्तविक अनुयायियों) मानव जाति के लिए उठाए गए लोगों में से सबसे अच्छे लोग हो; तुम अल-मा'रूफ (यानी इस्लामी एकेश्वरवाद और वह सब जो इस्लाम ने आदेश दिया है) का आदेश देते हो और अल- मुंकर (बहुदेववाद, अविश्वास और वह सब जो इस्लाम ने हराम किया है) से रोकते हो..

तफ़सीर कुरान 3:110 (इब्न कथिर): अल-बुखारी ने दर्ज किया कि अबू हुरैरा (रज़ि) ने इस आयत पर टिप्पणी की, "आप (मुसलमान) लोगों के लिए सबसे अच्छे लोग हो, आप उन्हें उनके गले में जंजीरों में बांधकर लाते हो (युद्ध में उन्हें पकड़ते हो) और वे बाद में इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं।" [**हदीस सहीह बुखारी 4557: यही बयान**]

क़ुरान 2:217: (हे नबी!) वे आपसे प्रश्न करते हैं कि सम्मानित महीने में युध्द करना कैसा है? आप उनसे कह दें कि उसमें युध्द करना घोर पाप है; परन्तु अल्लाह की राह से रोकना, उसका इन्कार करना, मस्जिदे हराम (मक्का में) से रोकना और उसके निवासियों को उससे निकालना, अल्लाह के समीप उससे भी घोर पाप है तथा फ़ितना (सत्धर्म से विचलाना) हत्या से भी भारी है।

तफ़सीर कुरान 2:217 (इब्न अब्बास): अल्लाह के साथ साझी बनाना (वध से भी बदतर है)

कुरान 4:48: वास्तव में, अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसकी इबादत में उसके साथ साझीदार बनाए जाएँ, बल्कि वह उसे माफ़ करता है (सिवाय इसके कि) जिसे वह चाहता है, और जो कोई अल्लाह की इबादत में साझीदार बनाता है, उसने वास्तव में बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया है।

हदीस सहीह मुस्लिम 7221: जब किसी मोमिन की आत्मा (उसके शरीर से) बाहर निकलती है, तो उसे दो फ़रिश्ते प्राप्त करते हैं जो उसे आकाश में ले जाते हैं (प्रसारकों की श्रृंखला में कथावाचकों) ने इसकी गंध की मिठास का उल्लेख किया, (और आगे कहा) कि आकाशवासी कहते हैं: यहाँ धरती की ओर से पवित्र आत्मा आ रही है जिस शरीर में यह निवास करती है उस पर अल्लाह की कृपा हो। और इसे (फ़रिश्ते) अपने महान रब और महिमावान के पास ले जाते हैं। वह कहेंगे: इसे इसके लिए निर्धारित लक्ष्य (मंजिल) तक ले जाओ।

और यदि वह काफ़िर हो और जब यह (आत्मा) शरीर से निकले - हम्माद ने इसकी दुर्गंध और इसके शापित होने का उल्लेख किया - तो आकाशवासी कहते हैं: धरती की ओर से एक गंदी आत्मा आ रही है, और उससे कहा जाएगा: इसे इसके निर्धारित लक्ष्य तक ले जाओ। अबू हुरैरा (रज़ि) ने बताया कि अल्लाह के रसूल ने एक काफ़िर की आत्मा का उल्लेख (दुर्गंध का) करते समय अपने पास मौजूद एक पतला कपड़ा अपनी नाक पर रख लिया।

क़ुरआन 69:32: फिर उसे एक ज़ंजीर में बाँध दो जिसकी लंबाई सत्तर हाथ होगी।"
इस आयत में बताया गया है कि आख़िरत में काफ़िरों पर बहुत सख़्त अज़ाब होगा — पहले उन्हें जहन्नम का खाना दिया जाएगा, फिर गरम पानी पिलाया जाएगा, फिर लोहे की लम्बी ज़ंजीर में बाँध दिया जाएगा।

हर गैर-मुस्लिम धर्मत्यागी है क्योंकि हर कोई मुसलमान पैदा होता है:

हदीस सहीह मुस्लिम 2658: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "हर बच्चा फ़ितरत (स्वाभाविक धर्म / इस्लाम) पर पैदा होता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी (मूर्तिपूजक) बना देते हैं।" जैसे कि जानवर सही-सलामत जन्म लेते हैं, क्या उनमें कोई जन्म से कटे-कान वाला होता है?"
(फिर उन्होंने **सूरह रूम 30:30** की आयत पढ़ी:) "अल्लाह की वह फितरत जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया।"

हदीस मुस्नद अहमद 8696: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने फ़रमाया: "अल्लाह ने हर इंसान को फ़ितरत पर पैदा किया है, फिर शैतान ने उन्हें बहकाया और उनसे उनके दीन के बारे में बहस की।"(सहिह़)

काफिर से नफरत करने का हुक्म

("**अल वला वल बरा**"; **अल्लाह के हुक्म से प्यार या नफ़रत करो**):

क़ुरान 2:98: "जो कोई अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और रसूलों, जिब्रील और मीकाएल का दुश्मन हो,- तो! अल्लाह इनकार करने वालों का दुश्मन है।

क़ुरान 4:101: "और जब तुम (मुसलमान) ज़मीन पर सफ़र करो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम नमाज़ को छोटा कर दो, अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम पर हमला करेंगे, तो बेशक काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।"

क़ुरआन 4:76: जो लोग ईमान लाए वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं, और जो लोग इनकार करते हैं वे ताग़ूत (ईश्वर के अलावा एक अन्य देवी-देवता, शैतान) के मार्ग में लड़ते हैं । अतः तुम शैतान के मित्रों से युद्ध करो। शैतान की चाल बहुत कमज़ोर है।

क़ुरान 60:4: " ..... "वास्तव में, हम तुमसे, और अल्लाह के अलावा जिनकी तुम पूजा करते हो उनसे मुक्त हैं: हमने तुम्हें अस्वीकार कर दिया, और हमारे और तुम्हारे बीच दुश्मनी और घृणा शुरू हो गई है जब तक कि तुम अल्लाह पर विश्वास न करो। .....।

हदीस तिर्मिज़ी 2521: पैगंबर (स.) ने कहा: "जो कोई भी अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह के लिए रोकता है, अल्लाह के लिए प्यार करता है, अल्लाह के लिए नफरत करता है, और अल्लाह के लिए शादी करता है, उसने वास्तव में अपने विश्वास को मुकम्मल कर लिया है।"
हदीस अबू दाऊद 4599, 4681: यही बयान]

क़ुरान 66:9: ऐ पैगम्बर (मुहम्मद (स.))! काफिरों और पाखंडियों के साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वह ठिकाना सबसे बुरा है।

इस्लाम क्यू.ए.इनफो वेबसाइट पर यह फतवा (इस्लामी हुक्म) नंबर 178354 जारी किया गया है:
"अल्लाह की प्रशंसा हो। अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों को एक दूसरे से प्यार करने और एक दूसरे को दोस्त बनाने का आदेश दिया है, और उसने उन्हें अपने दुश्मनों से नफरत करने और अल्लाह के लिए उनसे दुश्मनी करने का निर्देश दिया है। उसने कहा है कि दोस्ती केवल ईमान वालों के बीच हो सकती है और दुश्मनी उनके और काफिरों (अविश्वासियों) के बीच होनी चाहिए; अविश्वासियों का अस्वीकार करना ईमान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है और धार्मिक प्रतिबद्धता को पूर्ण करने का हिस्सा है। इस आशय की बहुत सी आयतें, हदीसें और शुरुआती पीढ़ी की टिप्पणियाँ हैं।" ... उनकी साइट पर जाकर पूरा फतवा पढ़ें।

मक्का में गैर-मुसलमानों का प्रवेश

क़ुरान 9:28: मुशरिक (बहुदेववादी, बुतपरस्त, मूर्तिपूजक, अल्लाह की एकता और मुहम्मद (स.) के संदेश में अविश्वासी) नजासुन (अशुद्ध) हैं। अतः इस वर्ष के पश्चात् वे सम्मानित मस्जिद (काबा) के समीप भी न आयें और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो, तो अल्लाह तुम्हें अपनी दया से धनी कर देगा, यदि वह चाहे। निस्संदेह, अल्लाह जानने वाला और विवेकपूर्ण है।"

काफ़िरों से मेल जोल

क़ुरआन 9:23: "ऐ ईमान लाने वालों! अपने बाप-दादा और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ, अगर वे इनकार (अल्लाह का) करने में

खुश हों। तुममें से जो कोई उन्हें दोस्त बनाएगा, तो ऐसे लोग ज़ालिम (गलत काम करने वाले) हैं।"

तफ़सीर कुरान 9:23 (इब्न कथिर): मूर्तिपूजकों को अपना समर्थक बनाने का निषेध, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के साथ भी - अल्लाह काफ़िरों से दूर रहने का हुक्म देता है, चाहे वे किसी के माता-पिता या बच्चे ही क्यों न हों, और अगर वे ईमान के बजाय कुफ़्र को चुनते हैं तो उन्हें अपना समर्थक बनाने से मना करता है। अल्लाह चेतावनी देता है, तुम ऐसे लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करने वालों से दोस्ती करते हैं, भले ही वे उनके पिता या उनके बेटे या उनके भाई या उनके रिश्तेदार ही क्यों न हों।

कुरान 58:22: तुम (ऐ मुहम्मद (स.)) ऐसे लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हों, जो अल्लाह और उसके रसूल (मुहम्मद (स.) का विरोध करने वालों से दोस्ती करते हों, चाहे वे उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके रिश्तेदार (लोग) हों ।

कुरान 3:28: ईमान वालों को ईमान वालों के बजाय काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जो कोई ऐसा काम करेगा, उसका अल्लाह से कोई सम्बन्ध नहीं, सिवाय इसके कि तुम उनसे बचकर रहो, ताकि तुम सुरक्षित रहो।

तफ़सीर कुरान 3:28 (जलालैन): **काफ़िर**... जो कोई भी उन्हें संरक्षक के रूप में लेता है, वह किसी भी तरह से अल्लाह के धर्म से संबंधित नहीं है - जब तक कि आप उनके खिलाफ़ खुद को सुरक्षा के तौर पर । तुकातन 'सुरक्षा के तौर पर' तकियायतन से मौखिक संज्ञा है, जिसका मतलब है कि यदि आप किसी बात से डरते हैं तो आप शब्दों के माध्यम से (परन्तु अपने दिल से नहीं) उनको संरक्षक दिखा सकते हैं

कुरान 5:51: यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ। वे एक दूसरे के दोस्त हैं। तुममें से जो कोई उन्हें दोस्त बनाएगा, वह उनमें से एक है। निःसंदेह! अल्लाह अन्याय (गलत काम) करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता।

कुरान 5:57: उन लोगों को अपना मित्र और संरक्षक न बनाओ जो तुम्हारे धर्म को मजाक या खिलवाड़ बनाते हैं, चाहे वे उन लोगों में से हों जिन्हें तुमसे पहले किताब मिली थी (यहूदी और ईसाई), या उन लोगों में से जिन्होंने ईमान को नकार दिया; लेकिन अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो।

कुरान 5:81: यदि वे अल्लाह और पैगम्बर पर और उस पर जो कुछ अवतरित (मतलब क़ुरआन) हुआ है उस पर ईमान रखते, तो उन्हें (काफिरों को) अपना मित्र न बनाते।

कुरान 4:144-145: ऐ ईमान वालों! ईमान वालों से ज़्यादा काफ़िरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह को अपने खिलाफ़ कोई खुली दलील दो? बेशक मुनाफ़िक़ मुसलमान आग की सबसे निचली मंज़िल पर हैं और तुम उनका कोई मददगार नहीं पाओगे।

काफ़िरों के बीच रहने वाले मुसलमान

क़ुरआन 4:97: "निश्चय ही जिन लोगों को फ़रिश्ते इस दशा में पकड़ते हैं कि वे अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे होते हैं (क्योंकि वे इनकार करनेवालों के बीच ही रहे, यद्यपि उन पर हिजरत अनिवार्य थी), तो वे (फ़रिश्ते) उनसे कहते हैं, "तुम किस (स्थिति) में थे?" वे उत्तर देते हैं, "हम धरती में कमज़ोर और प्रताड़ित थे।" वे (फ़रिश्ते) कहते हैं, "क्या अल्लाह की धरती इतनी विस्तृत नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत करते?" ऐसे लोग जहन्नम में अपना ठिकाना पाएँगे – कितना बुरा ठिकाना है!"

क़ुरआन: 4:140: जब तुम सुनो कि लोग अल्लाह की आयतों को झुठला रहे हैं और उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है तो उनके साथ न बैठो जब तक कि वे इसके अलावा कोई और बात न करने लगें। (लेकिन अगर तुम उनके साथ रहे) तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे । बेशक अल्लाह मुनाफ़िक़ों और इनकार करनेवालों को जहन्नुम में इकट्ठा करेगा।

अबू दाऊद 2787: शिर्क (अविश्वास) की भूमि (देश) में निवास के संबंध में: समुराह इब्न जुनदुब ने वर्णित किया: आगे, अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जो कोई भी मुश्रिक (बहुदेववादी) का साथी बनता है और उसके साथ रहता है वह उसके समान है। (सहीह)

हदीस अबू दाऊद 2645: जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने वर्णित किया: अल्लाह के रसूल (स.) ने ख़तआम में एक दल भेजा। कुछ लोगों ने सजदे का सहारा लेकर सुरक्षा मांगी, और जल्दबाजी में मारे गए।

जब पैगंबर (स.) ने यह सुना, तो उन्होंने उनके खून-खराबे का आधा हिस्सा (काफ़िरों के समान) चुकाने का आदेश दिया, कहा: मैं किसी ऐसे मुसलमान के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो मुश्रिकों (बहुदेववादी) के बीच रहता है, उन्होंने पूछा: क्यों, अल्लाह के रसूल? उन्होंने कहा: उनकी आग एक दूसरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए। **[हदीस तिर्मिज़ी 1604: यही बयान]**

काफ़िरों से विवाह

कुरान 2:221: काफिरों से शादी न करो जब तक कि वे ईमान न लाएँ: एक दासी जो ईमान लाती है, वह काफिरों से बेहतर है (भले ही वह तुम्हें लुभाए)। और न ही काफ़िरों से (अपनी लड़कियों का) विवाह करो जब तक कि वे ईमान न लाएँ: एक पुरुष दास जो ईमान लाता है, वह काफ़िर से बेहतर है, भले ही वह तुम्हें लुभाता हो। काफ़िर तुम्हें आग की ओर बुलाते हैं। लेकिन अल्लाह अपनी कृपा से जन्नत और क्षमा की ओर बुलाता है और अपनी निशानियाँ लोगों के लिए स्पष्ट करता है: ताकि वे उसकी प्रशंसा करें।

हदीस सहीह बुखारी 5090: अबू हुरैरा (रज़ि) से रिवायत है: पैगंबर (स.) ने कहा, "एक महिला से चार चीजों के लिए शादी की जाती है, यानी, उसका धन, उसका पारिवारिक दर्जा, उसकी सुंदरता और उसका धर्म। इसलिए आपको धार्मिक महिला से शादी करनी चाहिए (अन्यथा) आप घाटे में रहेंगे।

उपस्थिति के माध्यम से काफिरों से अलग पहचान

हदीस बुलुग अल-मरम: पुस्तक 16, 1514: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "वह जो किसी भी लोगों (उनके कार्यों में) की नकल करता है, वह उनमें से एक माना जाता है।"

हदीस अबू दाऊद 4031: पैगंबर (स.) ने कहा: जो कोई किसी कौम की नकल करता है, वह उनमें से एक है।

हदीस अबू दाऊद 3176: अल्लाह के रसूल (स.) अंतिम संस्कार के लिए तब तक खड़े रहते थे जब तक कि शव को कब्र में नहीं रखा जाता। एक बार एक विद्वान यहूदी उनके पास से गुजरा और कहा: हम ऐसा ही करते हैं। पैगंबर (स.) बैठ गए और कहा: बैठ जाओ और उनसे अलग व्यवहार करो। (हसन)

हदीस सहीह बुखारी 5892: पैगंबर (स.) ने कहा, 'बुतपरस्तों के विपरीत करो। दाढ़ी रखो और मूंछें छोटी कर दो।' जब भी इब्न उमर हज या उमरा करते थे, तो वह अपने हाथ से अपनी दाढ़ी पकड़ते थे और जो कुछ भी उनके हाथ से बाहर रह जाता था उसे काट देते थे।

हदीस सहीह मुस्लिम 602: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: मुश्रिकों (गैर-मुसलमानों) के खिलाफ़ काम करो, मूंछों को बारीक़ से काटो और दाढ़ी बढ़ाओ।

ईसाई और यहूदी

शुरुआत में : कुरान 2:62: जो लोग यहूदी और ईसाई और साबिई हैं, जो कोई भी अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करता है और अच्छे कर्म करता है, उसे अपने रब के पास उसका बदला मिलेगा

कुरान 5:82: वास्तव में, तुम ईमान वालों (मुसलमानों) से शत्रुता में सबसे मजबूत यहूदियों और मुशरिकों को पाओगे और तुम ईमान वालों (मुसलमानों) के सबसे निकट प्रेम करने वाले उन्हें पाओगे जो कहते हैं: "हम ईसाई हैं।"

बाद में :

क़ुरआन 3:85: “और जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अपनाएगा, वह उससे क़बूल नहीं किया जाएगा…”

कुरान 2:120: और यहूदी या ईसाई कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि तुम उनके धर्म पर नहीं चलोगे । कह दो, "अल्लाह का मार्गदर्शन ही एकमात्र मार्गदर्शन है "। तुम्हारे पास ज्ञान आने के बाद अगर तुम उनकी इच्छाओं के पीछे चलोगे, तो अल्लाह के विरुद्ध तुम्हारे पास कोई रक्षक या सहायक न होगा।

कुरान 5:14: ईसाईयों, हमने (अल्लाह ने) उनसे वादा लिया, लेकिन उन्हें जो संदेश भेजा गया था उसका एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया। इसलिए हमने उनके बीच क़ियामत के दिन तक दुश्मनी और नफ़रत पैदा कर दी।

क़ुरआन 5:60: ऐ नबी! किताब वालों (यहूदी और ईसाई) से कह दो: " क्या मैं तुम्हें अल्लाह की ओर से मिलने वाले बदले के सम्बन्ध में इससे भी बुरी बात बताऊँ?: वे (यहूदी) जो अल्लाह की लानत और उसके प्रकोप के भागी थे और जिनमें से कुछ को उसने बन्दर और सूअर बना दिया, और वे लोग जो तागूत (झूठे देवताओं) की पूजा

करते थे; ऐसे लोग (क़ियामत के दिन) और भी बुरे दर्जे के होंगे और (दुनिया की ज़िंदगी में) सीधे रास्ते से कहीं ज़्यादा भटके हुए होंगे।"

कुरान 9:30-31: "और यहूदी कहते हैं: 'उज़ैर (एजरा) अल्लाह का बेटा है, और ईसाई कहते हैं: मसीहा अल्लाह का बेटा है यह उन लोगों की बातों से मिलती जुलती है जिन्होंने पहले इनकार किया था। अल्लाह की लानत है उन पर, कि वे सत्य से कैसे भटक गए हैं! उन्होंने अपने विद्वानों और धर्माचारियों (संतों) को अल्लाह के सिवा पूज्य बना लिया तथा मर्यम के पुत्र मसीह को, जबकि उन्हें जो आदेश दिया गया था, वो इसके सिवा कुछ न था कि एक अल्लाह की इबादत (वंदना) करें। कोई पूज्य नहीं है, परन्तु वही। वह उससे पवित्र है, जिसे उसका साझी बना रहे हैं।"

तफ़सीर कुरान 9:31 (इब्न कथिर): यहूदियों और ईसाइयों से लड़ना इसलिए कानूनन जायज़ है क्योंकि वे मूर्तिपूजक और काफ़िर हैं।

हदीस सहीह मुस्लिम 386: यह अबू हुरैरा (रज़ि) के अधिकार से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: उसकी कसम जिसके हाथ में मुहम्मद (स.) का जीवन है (मतलब अल्लाह), जो कोई भी यहूदी या ईसाई समुदाय के बीच मेरे बारे में सुनता है, लेकिन उस पर अपना विश्वास नहीं करता है जिसके साथ मुझे भेजा गया (इस्लाम) है और इस हालत (अविश्वास की) में मर जाता है, वह केवल नरक की आग में रहने वालों में से एक होगा।

सभी को केवल अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, यहूदियों और ईसाइयों को छोड़कर (क्योंकि वे मुसलमानों के पापों के लिए दंडित जाएंगे):

हदीस साहिह मुस्लिम 7014: रसूल (स.) कह रहे हैं: क़यामत के दिन वहाँ मुसलमान मे से लोग आएंगे पहाड़ के समान भारी पापों के साथ, और अल्लाह उन्हें क्षमा कर देगा और उनके स्थान पर अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों को सजा देगा।

हदीस सहीह मुस्लिम 7011, 7012: अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: जब वह पुनरुत्थान का दिन आएगा, अल्लाह हर मुसलमान को एक यहूदी या एक ईसाई व्यक्ति प्रदान करेगा। और कहेगा, यही तुम्हारी नर्क की आग से मुक्ति है ।

विरोधाभास: हदीस इब्न माजा 3055: मैंने पैगंबर (स.) को यह कहते हुए सुना, विदाई हज के दौरान: 'हे लोगों! कौन सा दिन सबसे पवित्र है?' तीन बार, उन्होंने कहा: 'यह सबसे बड़ा हज का दिन है।' उन्होंने कहा: 'तुम्हारा खून और तुम्हारा धन और तुम्हारा सम्मान एक दूसरे के लिए पवित्र हैं, इस तरह पवित्र है तुम्हारा दिन, तुम्हारी ज़मीन। कोई भी पापी पाप नहीं करता, बल्की वह खुद के खिलाफ़ कर्म करता है। किसी भी पिता को अपने बच्चे के पापों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी बच्चे को उसके पिता के पापों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

क़िबला कब बदला

क़ुरआन 2:144: "हम देखते हैं कि (ऐ पैग़म्बर) तुम बार-बार आसमान की ओर रुख करते हो। तो अब हम तुम्हें उस क़िबले की ओर मोड़ देते हैं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो अब अपना रुख मस्जिद-ए-हरम (काबा) की ओर कर लो..."

इस्लाम की शुरुआत में नमाज़ की दिशा (क़िबला) बैतुल मक़दिस (येरुशलम में मस्जिद-अल-अक्सा) की ओर था। लगभग 16–17 महीने तक पैग़म्बर मुहम्मद और मुसलमान, बैतुल मक़दिस की ओर रुख कर के नमाज़ पढ़ते थे, भले ही वे मक्का में हों या मदीना में। हिजरत (मक्का से मदीना) के बाद में, अल्लाह ने आदेश दिया कि अब नमाज़ में क़िबला की दिशा काबा (मक्का) की ओर कर दी जाए।

इस्लाम में यहूदियों के लिए नफ़रत

हदीस सहीह बुखारी 3942: अबू हुरैरा (रज़ि) ने रिवायत किया: पैगंबर (स.) ने कहा, "अगर केवल दस यहूदी (उनके प्रमुखों में से) मुझ पर विश्वास करते, तो सभी यहूदी निश्चित रूप से मुझ पर विश्वास करते।"

हदीस सहीह बुखारी 3453, 3454: आयशा (रज़ि) और इब्न अब्बास (रज़ि) से रिवायत है: अपनी मृत्युशैया पर अल्लाह के रसूल (स.) ने अपने चेहरे पर एक चादर डाल ली और जब उन्हें गर्मी महसूस हुई, तो उन्होंने इसे अपने चेहरे से हटा लिया। जब उस हालत में (चादर डालने और हटाने की) उन्होंने कहा, "यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि वे अपने पैगंबर की कब्रों पर इबादतगाह बनाते हैं।" (ऐसा करके) उनका इरादा (मुसलमानों को) उन (यानी यहूदियों और ईसाइयों) के कामों से सावधान करना था।

हदीस सहीह बुखारी 2926: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक तुम यहूदियों से युद्ध नहीं करोगे, और जिस पत्थर के पीछे एक यहूदी छिपा होगा वह कहेगा "ऐ मुसलमान! मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, इसलिए उसे मार डालो।" [**हदीस तिर्मिज़ी 2236: यही बयान]**

हदीस सहीह बुखारी 2338, सहीह मुस्लिम 3967: उमर बिन अल-खत्ताब (रज़ि) ने यहूदियों और ईसाइयों को हिजाज़ की भूमि से निकाल दिया, और जब अल्लाह के रसूल (स.) ने खैबर पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने यहूदियों को इससे (खैबर के क्षेत्र) निकालने का मन बना लिया, क्योंकि जब उस भूमि पर विजय प्राप्त हो गई तो यह अल्लाह, उसके रसूल (स.) और मुसलमानों के अधीन आ गई। यहूदियों ने अल्लाह के रसूल (स.) से इस शर्त पर उन्हें वहाँ रहने की अनुमति देने के लिए कहा कि वे उस पर काम करेंगे, और बदले में उन्हें (पेड़ों के) आधे फल मिलेंगे, जिस पर अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: हम तुम्हें वहाँ तब तक रहने देंगे जब तक हम चाहेंगे। इसलिए वे तब तक (भूमि पर खेती करते रहे) जब तक कि उमर (रज़ि) ने उन्हें तैमा और अरिहा (अरब में दो गाँव, लेकिन हिजाज़ से बाहर) में भेज नहीं दिया।

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 45, हदीस 18: याह्या ने मुझे इब्न शिहाब से मालिक से बताया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "अरब प्रायद्वीप में दो दीन एक साथ नहीं रहेंगे।"
मलिक ने कहा कि इब्न शिहाब ने कहा, "उमर इब्न अल-खत्ताब (रज़ि) ने इस बारे में जानकारी खोजी जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो गया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा था, 'अरब प्रायद्वीप में दो दीन एक साथ नहीं रह सकते,' और इसलिए उन्होंने यहूदियों को खैबर से निकाल दिया।" मलिक ने कहा, "उमर इब्न अल-खत्ताब (रज़ि) ने यहूदियों को नज़रान (यमन में एक यहूदी बस्ती) और फ़दक (मदीना से तीस मील दूर एक यहूदी बस्ती) से निकाल दिया। जब ख़ैबर के यहूदी चले गए, तो उन्होंने कोई फल या ज़मीन नहीं ली। फ़दक के यहूदियों ने आधे फल और आधी ज़मीन ले ली, क्योंकि अल्लाह के रसूल (स.) ने उनके साथ इसके लिए समझौता किया था। इसलिए उमर (रज़ि) ने उन्हें आधे फल और आधी ज़मीन का मूल्य सोने, चांदी, ऊँटों, रस्सियों और काठी के थैलों में सौंप दिया, और मूल्य उन्हें सौंप कर उन्हें निकाल दिया।"

सहीह बुखारी 3167: पैगम्बर (स.) बाहर आए और कहा, "हम यहूदियों के पास चलें" हम बाहर निकले और बैतुल- मिद्रास पहुँच गए । उन्होंने उनसे कहा, "यदि तुम इस्लाम अपनाओगे, तो तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि धरती अल्लाह और उसके रसूल की है, और मैं तुम्हें इस धरती से निकाल देना चाहता हूँ।

हदीस सहीह मुस्लिम 4594: उन्होंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना: मैं यहूदियों और ईसाइयों को अरब प्रायद्वीप से निकाल दूंगा और मुसलमानों के अलावा किसी को नहीं छोड़ूंगा।"

हदीस तिर्मिज़ी 1602: ..कि अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "यहूदियों और ईसाइयों से पहले सलाम (नमस्ते) न कहो। और यदि तुम उनमें से किसी को रास्ते में पाओ, तो उसे उसके संकरे हिस्से में ले जाओ।" ... मुसलमानों को उन्हें अपमानित करने का आदेश दिया गया था। (सहीह)

कुरान 7:166-167: "जब उन्होंने उन सीमाओं को पार कर लिया, जिनसे उन्हें रोका गया था, तो हमने उनसे कहा: "तुम बंदर बन जाओ, घृणास्पद और अस्वीकार किए गए।" और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने घोषणा की कि वह निश्चित रूप से उन (यानी यहूदियों) के खिलाफ भेजता रहेगा"

कुरान 2:65: और तुम अपने बीच के उन लोगों को जानते हो जिन्होंने सब्बाथ (यानी शनिवार) के मामले में अपराध किया। हमने उनसे कहा: "तुम बंदर बन जाओ, तुच्छ और अस्वीकार किए गए।

कुरान 5:64: "यहूदी कहते हैं, "अल्लाह का हाथ ज़ंजीरों से बंधा हुआ है।" लेकिन उनके हाथ ज़ंजीरों से बंधे हुए हैं, और वे जो कहते हैं उसके कारण लानत है। बल्कि, उसके (अल्लाह) दोनों हाथ फैले हुए हैं; वह जो चाहता है खर्च करता है। इनमें से अधिक्तर को, जो (क़ुर्आन) आपकी ओर से उतारा गया है, उल्लंघन तथा कुफ़्र (अविश्वास) में अधिक कर देगा और हमने उनके बीच कियामत के दिन तक के लिए शत्रुता तथा बैर डाल दिया है। जब कभी वे युध्द की अग्नि सुलगाते हैं, तो अल्लाह उसे बुझा देता है। वे धरती में उपद्रव का प्रयास करते हैं और अल्लाह विद्रोहियों से प्रेम नहीं करता।

कुरान 98:6-7: "वास्तव में, जो लोग (इस्लाम धर्म, कुरान और पैगंबर मुहम्मद (स.) का इनकार करते हैं, वे किताब वालों (यहूदियों और ईसाइयों) और मुशरिकुनों में से नरक की आग में रहेंगे। वे सबसे बुरे प्राणी हैं।" वास्तव में, जो लोग [अल्लाह की एकता और

उसके रसूल मुहम्मद (स.) में, इस्लाम द्वारा आदेशित सभी दायित्वों सहित] ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, वही सबसे अच्छे प्राणी हैं।

सहीह मुस्लिम 4052: "अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: अल्लाह यहूदियों को नष्ट कर दे क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए चर्बी के इस्तेमाल को मना किया। [**हदीस अबू दाऊद 3488: मिलती-जुलती**]

हदीस अबू दाऊद 704: "अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: जब तुम में से कोई बिना सुत्राह के नमाज़ पढ़े, तो कुत्ता, गधा, सुअर, यहूदी, मागीन (बदचलन) और औरत उसकी नमाज़ को काट देंगे, लेकिन अगर वे उसके सामने से पत्थर फेंकने की दूरी से गुज़र जाएँ तो यह काफी है" (दईफ़ -कमज़ोर)

हदीस सहीह बुखारी 3329: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा, "जिब्रियल ने अभी-अभी मुझे उनके जवाब बताए हैं।" अब्दुल्ला ने कहा, "वह (यानी जिब्रील (अलै.)), सभी फ़रिश्तों में से, यहूदियों का दुश्मन है।"

हदीस सहीह मुस्लिम 1185 (INT 530b): "अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उन्होंने अपने रसूलों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया है।"

इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 369: " रसूल (स.) ने कहा, 'जो भी यहूदी तुम्हारी पकड़ में आए उसे मार डालो।"

अल-तबारी खंड 7, पृष्ठ 94-97: "अगली सुबह, यहूदी (अल्लाह के दुश्मन) हमारे हमले के कारण डर की स्थिति में थे, और वहां कोई यहूदी नहीं था जो अपने जीवन के लिए डरता न हो। अल्लाह के नबी ने कहा, "जो कोई यहूदी भी हाथों में पड़ जाए, उसे मार डालो।"

यरूशलेम में प्रसिद्ध अल-अक्सा मस्जिद यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र क्षेत्र में है। उमर (रज़ि), पैगंबर मुहम्मद (स.) के सबसे अच्छे साथियों में से एक और इस्लाम के दूसरे खलीफा ने एक सेना के साथ यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और यहूदी पवित्र मंदिर के शीर्ष पर एक मस्जिद बनाई। आज तक, यहूदी इसे बहुत अपमानजनक मानते हैं:

उमर इब्न अल-खत्ताब (रज़ि) जीवनी (दूसरा खलीफा), खंड 2, पृष्ठ 304-305: उमर (रज़ि) अल-मस्जिद अल-अक्सा में प्रार्थना करते हैं...जब उमर इब्न अल-खत्ताब (रज़ि) ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, तो चट्टान पर एक बड़ा कचरा डंप था, क्योंकि ईसाई जानबूझकर इसे अपमानजनक तरीके से व्यवहार करते थे, ताकि यहूदियों को परेशान किया जा सके जो उस दिशा में प्रार्थना करते थे। उमर (रज़ि) ने आदेश जारी किया कि गंदगी को हटा दिया जाए, और काब से पूछा, "तुम्हारा क्या विचार है कि हमें मुसलमानों का प्रार्थना-स्थल कहाँ बनाना चाहिए?" उसने कहा, "चट्टान के पीछे।" उमर (रज़ि) ने कहा, "ओ' यहूदी महिला के बेटे, तुम यहूदियों से प्रभावित हो! बल्कि मैं इसे सामने की ओर बनाऊंगा, क्योंकि मस्जिद का अगला हिस्सा हमारा है।"

बनू कुरैज़ा का सामूहिक नरसंहार

सहीह बुखारी 4117: जब पैगंबर (स.) अल-खंदक (यानी खाई) से लौटे और अपने हथियार रख दिए और स्नान किया, तो जिब्रील (अलै.) (फ़रिश्ते) आए और पैगंबर (स.) से कहा, आपने अपने हथियार डाल दिए हैं? अल्लाह की कसम, हम फ़रिश्तों ने अभी तक हथियार नहीं डाला है। तो उनके लिए निकल पड़ो।" पैगंबर (स.) ने कहा, "कहाँ जाना है?" जिब्रील (अलै.) (फ़रिश्ते) ने कहा, "इस तरफ," बनू कुरैज़ा की ओर इशारा करते हुए। तो पैगंबर (स.) उनकी ओर निकल पड़े।

सहीह बुखारी 4028: बनी अन-नादिर और बनी कुरैज़ा ने (पैगंबर (स.) के खिलाफ शांति संधि का उल्लंघन करते हुए लड़ाई की, इसलिए पैगंबर (स.) ने बनी अन-नादिर को निर्वासित कर दिया और बनी कुरैज़ा को उनके स्थानों (मदीना में) पर रहने की इजाजत दी, उनसे कुछ भी नहीं लिया जब तक कि वे पैगंबर (स.) के खिलाफ फिर से युद्ध नहीं करने लगे। फिर उन्होंने उनके पुरुषों को मार डाला और उनकी महिलाओं, बच्चों और संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया, लेकिन उनमें से कुछ पैगंबर (स.) के पास आए और उन्होंने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने सभी यहूदियों को मदीना से निर्वासित कर दिया; वे बनी कैनुका के यहूदी थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम की जनजाति और बनी हरीथा के यहूदी और मदीना के अन्य सभी यहूदी। (यहाँ, अनुवादकों का दावा है कि बनी कुरैज़ा ने मुसलमानों के साथ छल किया था, और यही कारण था जिसके कारण मुसलमानों ने उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला था)

कुरान 33:26-27: और किताब के लोगों (यहूदियों और ईसाइयों) में से जिन्होंने उनका (काफ़िरों का) साथ दिया, अल्लाह ने उन्हें उनके किलों से नीचे उतारा और उनके दिलों में खौफ़ भर दिया, (ताकि) उनमें से एक समूह को तुमने मार डाला, और उनमें से एक समूह को तुमने बंदी बना लिया। उसने (अल्लाह ने) तुम्हें उनकी ज़मीन, उनके घर, उनकी दौलत और एक ज़मीन विरासत में दी..

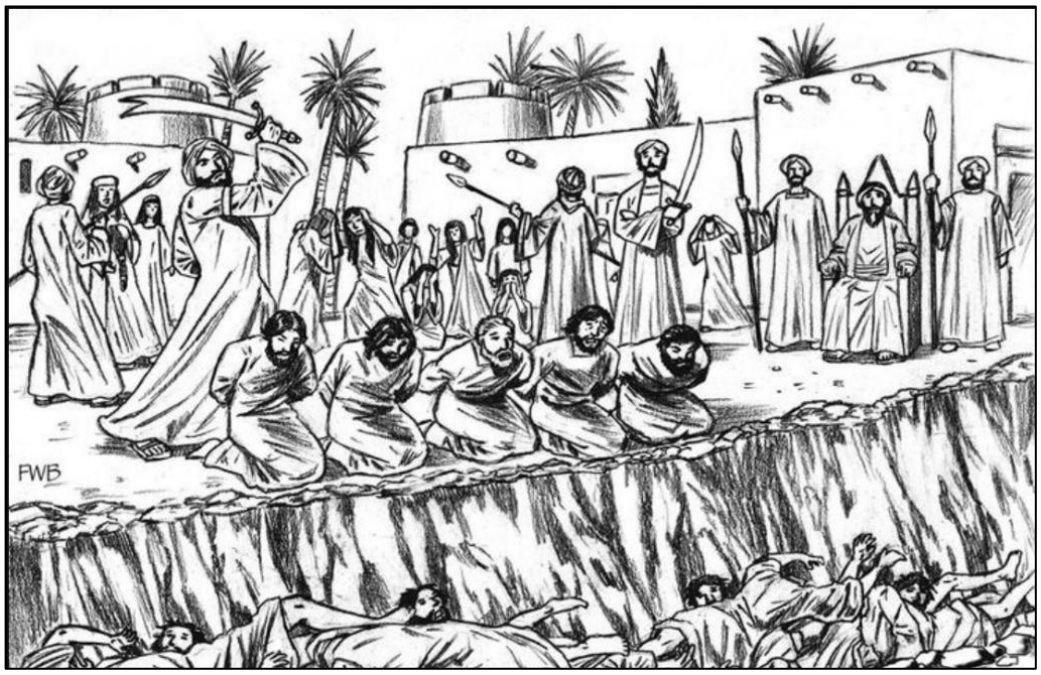

तफ़सीर कुरान 33:27 (इब्न कथिर): ...तुमने हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। फिर अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि खाई खोदी जाए, इसलिए उन्हें ज़मीन में खोदा गया, और उन्हें कंधों से बाँधकर लाया गया, और उनके सिर काट दिए गए। उनकी संख्या सात सौ से आठ सौ के बीच थी। जो बच्चे अभी तक जवान नहीं हुए थे और औरतें बंदी बना ली गईं, और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई।

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 464: साद ने कहा ,.. 'फिर मैं फैसला देता हूं कि पुरुषों को मार दिया जाना चाहिए, संपत्ति को विभाजित किया जाना चाहिए, और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया जाना चाहिए।' 'असिम बिन उमर बिन क़तादा ने मुझे 'अब्दु' आई-रामान बिन 'अमर बिन साद बिन मुआज़ से 'अलकामा बिन वक़्क़ीस अल-लैथज' से बताया कि 'अल्लाह के नबी ने साद से कहा, 'तुमने अल्लाह का फैसला दिया है'... तब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और उन्हें मदीना में बिन्त अल-हरिथ, बिन अल-नज्जर की एक महिला के हाते में बंद कर दिया। फिर रसूल मदीना के बाज़ार में गए (जो आज भी उसका बाज़ार है) और उसमें खाइयाँ खोदीं। फिर उन्होंने उन्हें बुलाया और उन खाइयों में उनके सिर काट दिए, जब वे जत्थों में उसके पास लाए गए। उनमें अल्लाह के दुश्मन हुयय बिन अख़ताब और उनके सरदार काब बिन असद भी थे। कुल मिलाकर 600 या 700 थे, हालाँकि कुछ लोग यह संख्या 800 या 900 तक बताते हैं। [**सहीह मुस्लिम 4596, अल-तबारी, खंड 8, पृष्ठ 35-36: मिलती-जुलती]**

हदीस अबू दाऊद 2671: आयशा (रज़ि) से रिवायत है: बनू कुरैज़ा की एक को छोड़कर कोई भी महिला नहीं मारी गई। वह मेरे साथ थी, अपनी पीठ और पेट के बल लेटकर बातें कर रही थी और हंस रही थी, जबकि अल्लाह के रसूल उसकी क़ौम को तलवारों से मार रहे थे। अचानक एक आदमी ने उसका नाम पुकारा: फ़लां कहाँ है? मैंने पूछा : तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा: मैंने एक नया काम किया। वह आदमी उसे ले गया और उसका सिर काट दिया। उन्होंने कहा: मैं यह नहीं भूलूँगी कि वह बहुत हँस रही थी हालाँकि वह जानती थी कि उसे मार दिया जाएगा। (हसन)

इब्न इसहाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 464:
आयशा (रज़ि) ने कहा: 'उनकी महिलाओं में से केवल एक को ही मारा गया था। वह वास्तव में मेरे साथ थी और मेरे साथ बात कर रही थी और जब रसूल बाज़ार में उसके आदमियों को मार रहे थे, तब वह बेतहाशा हँस रही थी, जब अचानक एक अदृश्य आवाज़ ने उसका नाम पुकारा। 'हे अल्लाह,' मैं चिल्लाई, 'क्या बात है?' उसने जवाब दिया 'मुझे मार दिया जाना है' । 'किस लिए?' मैंने पूछा। "मैंने जो कुछ किया है, उसके कारण' उसने उत्तर दिया। उसे ले जाया गया और उसका सिर काट दिया गया। 'आयशा (रज़ि) कहा करती थी, 'मैं उसके अच्छे स्वभाव और उसकी ज़ोरदार हँसी पर अपने आश्चर्य को कभी नहीं भूलूँगी, जब वह जानती थी कि उसे मार दिया जाएगा' (711) । [**अल-तबारी, खंड 8, पृष्ठ 36: यही बयान]**

जघन बाल वाले बच्चों का सिर कलम

हदीस अबू दाऊद 4404: अतियाह अल-कुरैजी ने बयान किया: मैं बनू कुरैज़ा के बंदियों में से था। उन्होंने (सहाबा ने) हमारी जाँच की, और जिन लोगों के बाल (जघन) उगने लगे थे, उन्हें मार दिया गया, और जिन लोगों के बाल नहीं उगे थे, उन्हें नहीं मारा गया। मैं उन लोगों में से था जिनके बाल नहीं उगे थे। [**अन-नसाई हदीस 3459: यही बयान**]

काफिर- द्वितीय श्रेणी के नागरिक

धिम्मी ('अहल-दिम्मा) इस्लामी खिलाफत में रहने वाले गैर-मुस्लिम हैं। उन्हें अपने अविश्वास के लिए जिज़िया (कर) देना होता है और इसके साथ ही अपमानजनक जीवन नियम भी लागू होते हैं जो उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाते हैं। धिम्मियों को बिना किसी औचित्य के नहीं मारा जा सकता:

कुरान 9:29: उन लोगों से लड़ो जो (1) अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, (2) न ही अंतिम दिन पर, (3) न ही अल्लाह और उसके रसूल की मनाही से रोकते हैं (4) और उन लोगों से जो किताब वालों (यहूदियों और ईसाइयों) में से सत्य धर्म (यानी इस्लाम) को स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि वे स्वेच्छा से जिज़्या न दें और खुद को वश में महसूस न करें।"

हदीस अबू दाऊद 4542: "हत्या के मुआवजे का मूल्य अल्लाह के रसूल (स.) के समय आठ सौ दीनार या आठ हज़ार दिरहम था, और किताब वालों (यहूदी और ईसाई) के लिए मुसलमानों का आधा था।"

हदीस सहीह बुखारी 3162: "अल्लाह के रसूल ने कहा: 'अहल-दिम्मा के लिए खून का पैसा (हत्या के लिए मुआवजा) मुसलमानों के खून के पैसे का आधा है, और वे यहूदी और ईसाई हैं।"

हदीस इब्न माजा 2659: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "किसी अविश्वासी की हत्या के बदले में मुसलमान की हत्या नहीं की जानी चाहिए।"

तफ़सीर कुरान 2:178 (इब्न कथिर): अल्लाह का कथन: (स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र, दास के लिए दास, और महिला के लिए महिला) को **जीवन के बदले जीवन** (**Q 5:45**) कथन द्वारा निरस्त कर दिया गया। हालाँकि, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि मुसलमान को नहीं मारा जाता एक अविश्वासी के लिए (जिसे मुसलमान मार डालता है)। अल-बुखारी ने बताया कि अली से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा: मुसलमान को अविश्वासी (जिसे वह मार डालता है) के बदले नहीं मारा जाता)।

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के पूर्वजों का आख़िरत में क्या होगा?

हदीस सहीह बुखारी 1360: "जब अबू तालिब की मौत का वक़्त आया तो रसूलुल्लाह (स.) उनके पास आए और कहा: 'ऐ चाचा! आप एक कलिमा कह दें जिससे मैं अल्लाह के यहाँ आपकी सिफ़ारिश कर सकूँ। 'मगर उन्होंने वो नहीं कहा। और आख़िर में उन्होंने कहा: 'मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ।'

सहीह मुस्लिम 134: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने अपने चाचा से, जब वह मृत्यु के निकट थे, फ़रमाया: "ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, ताकि मैं क़ियामत के दिन आपके लिए गवाही दे सकूँ।" लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "निश्चय ही (ऐ मुहम्मद) आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते ..."

सहीह मुस्लिम 135: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने अपने चाचा से फ़रमाया: "ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, ताकि मैं क़ियामत के दिन आपके लिए गवाही दे सकूँ।" उन्होंने कहा: अगर क़ुरैश मुझे ताना न देते और यह न कहते कि 'इसे तो सिर्फ़ मौत के डर ने ऐसा कहने पर मजबूर किया है, तो मैं आपकी आँखों को ठंडक पहुँचा देता।" तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "निश्चय ही (ऐ मुहम्मद) आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हिदायत देता है…"

** **अबू तालिब (असली नाम: अब्द मुनाफ़ बिन अब्दुल मुत्तलिब),** जो पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के चाचा थे और बचपन से लेकर आख़िरी वक़्त तक आपके सबसे बड़े संरक्षक रहे। [अब्दुल मुत्तलिब पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के दादा]

सहीह मुस्लिम 976b / 2259: नबी (स.) अपनी माँ की क़ब्र पर गए। वहाँ आप (स.) रो पड़े और अपने साथ मौजूद लोगों को भी रुला दिया। फिर आपने (स.) फ़रमाया: "मैंने अपने रब से अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत (अल्लाह से माफी मिलना) की इजाज़त माँगी, तो

मुझे इजाज़त नहीं दी गई; और मैंने उनकी क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त माँगी, तो मुझे इजाज़त दे दी गई।"

सहीह मुस्लिम 203: एक व्यक्ति ने कहा: "अल्लाह के रसूल (स.), मेरे पिता कहाँ हैं?" उन्होंने (स.) कहा: "वह (आपके पिता) आग में हैं।" जब वह व्यक्ति मुड़ गया, तो नबी (स.) ने उसे बुलाया और कहा: "वास्तव में मेरा पिता और तुम्हारा पिता दोनों आग में हैं।"

कुरान 9:113: नबी और ईमानवालों के लिए सही नहीं कि वे मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत (अल्लाह की तरफ़ से पापों की माफ़ी) माँगे, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हों — जबकि उन्हें साफ़ हो गया कि वे जहन्नम वाले हैं।

यह सवाल बहुत ही संवेदनशील है

इस्लामी विद्वानों द्वारा बचाव: - अरब में पैग़म्बर (स.) के माता-पिता दीन-ए-इब्राहीमी (हज़रत इब्राहीम का धर्म) के लोग थे और जानबूझकर शिर्क नहीं करते थे, इसलिए विद्वानों ने उन्हें विशेष छूट देने का पक्ष रखा। लेकिन हदीसें यह साफ़ बताती हैं कि उनकी मग़फ़िरत नहीं है।

अध्याय 13. दावा: इस्लाम आक्रमण नहीं बल्कि आत्मरक्षा की शिक्षा देता है

प्रथम चरण की आयतें (मक्का)

आयतें शांतिपूर्ण और सहनशील -- यह चरण पहली आयत के अवतरण से शुरू होकर मदीना प्रवास (हिजरत) तक लगभग 13 वर्षों का था। यह वह समय था जब मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। मौलवी लोग मीडिया पर इन्हीं आयतों का हवाला देते हैं।

कुरान 109:4-6: तुम्हारा दीन (धर्म) तुम्हारे लिए है और मेरा दीन मेरे लिए है।

कुरान 2:256: "धर्म स्वीकार करने में कोई बाध्यता नहीं होगी"

कुरान 41:34: "अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई को किसी ऐसे व्यक्ति से दूर करो जो बेहतर हो, फिर जिसके और तुम्हारे बीच दुश्मनी थी, वह ऐसा हो जाएगा मानो वह करीबी दोस्त हो।"

कुरान 15:85: और हमने आकाशों तथा धरती को और जो कुछ उन दोनों के बीच है, सत्य के आधार पर ही उत्पन्न किया है और निश्चय प्रलय आनी है। अतः (हे नबी!) आप (उन्हें) भले तौर पर क्षमा कर दें।

कुरान 5:28-29: "यदि तुम मुझे मारने के लिए मेरे विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हें मारने के लिए कभी तुम्हारे विरुद्ध अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा: क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं, वास्तव में, मैं चाहता हूं कि तुम अपने और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लो "

कुरान 34:25" "कहे दें: 'न तुमसे हमारे (गुनाहों) के बारे में पूछा जाएगा, और न तुमसे हमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में प्रश्न किया जाएगा।'"

कुरान 8:61: और यदि वे (शत्रु) संधि की ओर झुकें, तो आप भी उसके लिए झुक जायें और अल्लाह पर भरोसा करें। निश्चय वह सब कुछ सुनने-जानने वाला है।

क़ुरआन 10:41: यदि वे तुम्हारा (नबी स. का) इन्कार करें तो उनसे कह दो, "मेरा काम मेरे लिए है और तुम्हारा काम तुम्हारे लिए है, अर्थात हर एक को उसके कर्मों का उचित प्रतिफल मिलेगा जो कुछ मैं करता हूँ उससे तुम बेगुनाह हो और जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बेगुनाह हूँ"

शांतिपूर्ण आयतों को "तलवार की आयत" [कुरान 9:5] द्वारा निरस्त कर दिया गया है"

हदीस तिर्मिज़ी 1162: "तुममें से सबसे अच्छे वे हैं जो अपनी महिलाओं के साथ सबसे अच्छे हैं।"

हदीस अन-नसाई 3106: "हे अल्लाह के रसूल! मैं बाहर जाकर (जिहाद में) लड़ना चाहता हूँ, और मैं आपकी सलाह माँगने आया हूँ।" उन्होंने कहा: "क्या तुम्हारी माँ है?" उसने कहा: "हाँ।" उन्होंने कहा: "तो उसके साथ रहो, क्योंकि स्वर्ग उसके पैरों के नीचे है।" **[मिलती-जुलती, हदीस इब्न माजा 2781]**

कुछ लोग निम्नलिखित आयत को संदर्भ से हटकर यह दिखाते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है:

क़ुरआन 5:32: "इसी कारण हमने बनी इस्राईल (इस्राईल की औलाद) पर लिख दिया कि जिसने किसी एक प्राणी को बिना किसी जान के बदले या धरती में फसाद (अराजकता) फैलाने के बिना मारा — तो ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों को मार डाला और जिसने किसी एक की जान बचाई तो ऐसा है जैसे उसने सारे इंसानों की जान बचाई।"

---- "ये आयत मुसलमानों के लिए नहीं है, अब आप इसकी अगली आयत देखिए।"

क़ुरआन 5:33: "जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध करते हैं और धरती में फसाद (अराजकता) फैलाने की कोशिश करते हैं, उनका बदला यह है कि उन्हें कत्ल किया जाए, या सूली पर चढ़ाया जाए, या उनके हाथ-पैर विपरीत दिशाओं से काट दिए जाएँ, या उन्हें देश से निकाल दिया जाए। यह दुनिया में उनके लिए अपमान है, और आख़िरत में उनके लिए बड़ा दर्दनाक दंड है।"

दूसरे चरण की आयतें (मदीना)

संघर्ष और रक्षात्मक युद्ध का दौर - बद्र, उहुद, खंदक का युद्ध, हुदैबिया की संधि, मक्का की विजय।

कुरान 3:28: ईमान वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों के बजाय काफिरों को अपना मित्र न बनाएं। जो कोई ऐसा काम करेगा उसका अल्लाह से कोई सम्बन्ध नहीं..

क़ुरआन 48:29: मुहम्मद (स.) अल्लाह के रसूल हैं। और जो लोग उनके साथ हैं, वे इनकार करनेवालों पर कठोर हैं और आपस में दयावान हैं।

कुरान 2:190: "उन से लड़ो (ख़ुदा की राह में) जो तुमसे लड़ते हैं, किन्तु ज़्यादती न करो। निस्संदेह ख़ुदा ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता।"

कुरान 5:13: तो उनके अपना वचन भंग करने के कारण, हमने उन्हें (यहूदी) धिक्कार दिया और उनके दिलों को कड़ा कर दिया। वे अल्लाह की बातों को, उनके वास्तविक स्थानों से फेर देते हैं तथा जिस बात का उन्हें निर्देश दिया गया था, उसे भुला दिया और (अब) आप बराबर उनके किसी न किसी विश्वासघात से सूचित होते रहेंगे, परन्तु उनमें बहुत थोड़े के सिवा, जो ऐसा नहीं करते। अतः आप उन्हें क्षमा कर दें और उन्हें जाने दें। निःसंदेह अल्लाह उपकारियों से प्रेम करता है।

कुरान 4:90: "(निर्दिष्ट है:) सिवाय उन लोगों के, जो ऐसे लोगों से जुड़े हों जिनके और तुम्हारे बीच (संधि/मुआहिदा) हो — या वे तुमारे पास आए हों, उनके दिलों में इस बात की संकोच थी कि वे तुमसे लड़ें या अपनी क़ौम से लड़ें। और यदि अल्लाह चाहता, तो वह उन्हें तुम पर हावी कर देता, फिर वे तुम्हारे साथ लड़ डालते। फिर यदि वे तुमसे अलग हो जाएँ, तुमसे लड़ें न, और तुमारी ओर सुलह का पैग़ाम भेजें तो उन पर तुम्हारे खिलाफ़ अल्लाह ने कोई रास्ता नहीं रखा।"

कुरान 9:12-15: लेकिन अगर वे अपनी प्रतिज्ञा के बाद अपनी शपथों को तोड़ दें, और तुम्हारे धर्म पर अस्वीकृति और आलोचना करें, तो (तुम) कुफ्र के सरदारों (मक्का के कुरैश के सरदारों) से लड़ो - निस्संदेह उनकी शपथें उनके लिए कुछ भी नहीं हैं - ताकि वे (बुरे कार्यों) से बाज़ आ जाएँ। क्या तुम उन लोगों से नहीं लड़ोगे जिन्होंने अपनी शपथों को तोड़ दिया है, और रसूल को निकालने का इरादा किया जब उन्होंने पहले तुम पर हमला किया था? क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह को इस बात का ज़्यादा हक़ है कि तुम उससे डरो। उनसे लड़ो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें सज़ा दे और उन्हें अपमानित करे और तुम्हें उन पर विजय प्रदान करे और ईमान वालों के दिलों के घाव भर दे और उनके (ईमान वालों के) दिलों का गुस्सा दूर कर दे।

** इन्हें भी **'तलवार वाली आयत'** [कुरान 9: 5] द्वारा निरस्त कर दिया गया।

तीसरे चरण की आयतें (मदीना)

मुहम्मद (स.) ने गैर-मुसलमानों के साथ शांति संधि तोड़ दी, मक्का विजय, **आक्रामक युद्ध का युग:**

कुरान 9:1: यह अलगाव का एलान अल्लाह और उसके रसूल की ओर से है, उन मुश्रिकों के लिए जिनसे तुमने संधि की थी।

कुरान 9:3: और अल्लाह और उसके रसूल की ओर से लोगों (मुसलमानों) के लिए हज के दिन की घोषणा है कि अल्लाह और उसके रसूल काफिरों के साथ [शांति अनुबंध / संधि] दायित्वों को समाप्त करते हैं।

कुरान 47:35: अतः कमज़ोर मत बनो और (इस्लाम के दुश्मनों से) शांति की माँग मत करो, जब तुम मजबूत स्थिति में हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, और वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल कभी कम नहीं करेगा।

तफ़सीर कुरान 47:35 (इब्न कथिर): तो हिम्मत मत हारो, मतलब, (दुश्मनों के बारे में कमज़ोर मत बनो और शांति मत मांगो); और अपने और काफ़िरों के बीच लड़ाई को समाप्त करो, जब तुम बड़ी संख्या और तैयारी के साथ शक्ति की स्थिति में हो।

रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर: द क्लासिक मैनुअल ऑफ इस्लामिक सेक्रेड ऑव (संशोधित ई.), पृष्ठ 604: "युद्धविराम (शांति अनुबंध) करने में यथास्थिति को बनाए रखने के अलावा कुछ और भी हित होने चाहिए। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं, "अतः कमज़ोर न पड़ो और जब तुम शक्तिशाली हो तो शांति की माँग न करो। अल्लाह

तुम्हारे साथ है।" (**कुरान 47:35**)। युद्धविराम करने को सही ठहराने वाले हित ऐसी चीजें हैं जैसे, संख्या या सामग्री की कमी के कारण मुस्लिम कमज़ोर होना, या दुश्मन के मुस्लिम बन जाने की उम्मीद"

कुरान 2:191: "और जहाँ कहीं उन पर क़ाबू पाओ उन्हीं को मार डालो, और उन्हें निकाल दो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था; और याद रखो उत्पीड़न अथवा मज़हबी दमन (फ़ितना) क़त्ल से भी ज़्यादा भयंकर है। और मस्जिद-ए-हराम (काबा) के समीप उनके साथ जंग न करो, जब तक कि वे पहले तुमसे वहाँ लड़ें; यदि वे लड़ें, तो मार दो। ऐसे ही उन इनकारियों (काफ़िरों) का बदला है।"

तफ़सीर क़ुरान 2:191 (इब्न कथिर): शिर्क (बहुदेववाद, अल्लाह के अलावा किसी और पर विश्वास) हत्या से भी बदतर है। चूँकि जिहाद में लोगों की हत्या और उनका ख़ून बहाना शामिल है, इसलिए अल्लाह ने संकेत दिया कि ये लोग अल्लाह पर अविश्वास कर रहे हैं, उसके साथ (इबादत में) साझीदार बन रहे हैं और उसके मार्ग से बाधा डाल रहे हैं, और यह (शिर्क) हत्या से कहीं ज़्यादा बड़ी बुराई और विनाशकारी है...

कुरान 8:39: और उनसे लड़ो जब तक कि फ़ितना (अविश्वास, मूर्तिपूजा और बहुदेववाद) न बचे और दीन (इबादत) सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो जाए [पूरी दुनिया में]। लेकिन अगर वे (अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करना) छोड़ दें, तो बेशक अल्लाह उनके कामों को देख रहा है।

कुरान 9:5: और जब पवित्र महीने बीत जाएँ तो मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ क़त्ल करो और उन्हें पकड़ो और घेर लो और उनकी घात में हर जगह बैठो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें तो उन्हें अपने रास्ते पर जाने दो । बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला और मेहरबान है।

तफ़सीर क़ुरान 9:5 (इब्न कथिर): "**तलवार की आयत**"
... इस आयत में वर्णित चार महीने पिछली आयत में वर्णित चार महीने की मोहलत अवधि हैं, (इसलिए पूरे क्षेत्र में चार महीने तक स्वतंत्र रूप से यात्रा करें।) अल्लाह ने आगे कहा, (इसलिए जब पवित्र महीने बीत जाएँ), जिसका अर्थ है, 'उन चार महीनों के अंत में, जिनमें हमने तुम्हें मूर्तिपूजकों से लड़ने से रोका था, और जो मोहलत अवधि हमने उन्हें दी थी, फिर लड़ो और उन्हें मार डालो, मूर्तिपूजकों को जहाँ कहीं पाओ, उनसे युद्ध करो।' इसके बाद अल्लाह का कथन (फिर मूर्तिपूजकों को जहाँ कहीं पाओ, उनसे युद्ध करो) का अर्थ सामान्यतः पृथ्वी पर है, सिवाय पवित्र क्षेत्र (मस्जिदुल हरम) के, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, (और उनसे मस्जिदुल हरम में युद्ध न करो, जब तक कि वे वहाँ तुमसे युद्ध न करें। लेकिन यदि वे तुम पर आक्रमण करें, तो उनसे युद्ध करो.. Q 2:191)
यहाँ अल्लाह ने कहा, (और उन्हें पकड़ लो), कुछ को मृत्युदंड दो और कुछ को बंदी बना लो, (और उन्हें घेर लो, और उनकी घात में रहो) । तुम उनके मिलने की प्रतीक्षा न करो बल्कि, उन्हें उनके क्षेत्रों और किलों में खोजो और घेर लो, विभिन्न सड़कों और मार्गो पर उनके बारे में जानकारी एकत्र करो, ताकि जो चौड़ा है वह उनके लिए छोटा दिखाई दे। इस तरह, उनके पास मरने या इस्लाम स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, (लेकिन यदि वे तौबा कर लें और नमाज़ अदा करें और ज़कात दें, तो फ़िर उनका रास्ता छोड़ दें। वास्तव में, अल्लाह बड़ा क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।)

अबू बकर (रज़ि) अस-सिद्दीक ने इस और अन्य सम्माननीय आयत का उपयोग उन लोगों से लड़ने के प्रमाण के रूप में किया, जिन्होंने ज़कात का भुगतान करने से परहेज किया था। इस सम्माननीय आयत (Q 9:5) को तलवार की आयत कहा जाता था, जिसके बारे में अद-दहक बिन मुजाहिम ने कहा, "इसने पैगंबर (स.) और किसी भी मूर्तिपूजक के बीच शांति के हर समझौते, हर संधि और हर शर्त को रद्द कर दिया।" अल-अवफी ने कहा कि इब्न अब्बास (रज़ि) ने टिप्पणी की: "सूरह बरा'आ के उतरने के बाद से किसी भी मूर्तिपूजक के पास कोई और संधि या सुरक्षा का वादा नहीं था। बरा'आ के उतरने और घोषित होने से पहले किए गए सभी शांति संधियों के अलावा, चार महीने रबी अल-आखिर महीने के दसवें दिन तक समाप्त हो गए थे।" [**अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 100-101, यहाँ भी देखें]**

सह-अस्तित्व नहीं बल्कि प्रभुत्व

अल्लाह ने मुसलमानों से दुनिया पर विजय पाने का वादा किया है ।
मूल इस्लामी सिद्धांत सह-अस्तित्व को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह विश्व पर विजय प्राप्त करने को बढ़ावा देता है ।

कुरान 48:28: वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म (इस्लाम) के साथ भेजा, ताकि उसे (इस्लाम) सभी धर्मों पर श्रेष्ठ बनाए।

तफ़सीर कुरान 48:27 (इब्न कथिर): अच्छी खबर यह है कि मुसलमान ज्ञात दुनिया और अंततः पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। अल्लाह (सर्वोच्च और सबसे सम्मानित) ने विश्वासियों (मुसलमानों) को खुशखबरी देते हुए कहा कि रसूल अपने दुश्मनों और बाकी धरती के लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे, धरती के लोगों के सभी धर्म, अरब और गैर-अरब समान रूप से, चाहे उनकी कुछ विचारधाराएँ हों या वे नास्तिक या मूर्तिपूजक हों ... (ताकि वह इसे (इस्लाम को) सभी धर्मों से श्रेष्ठ बना सके)।

कुरान 3:56: "जो लोग इनकार करते हैं, मैं उन्हें इस दुनिया और आख़िरत (मौत के बाद के जीवन) में कठोर यातना दूँगा, और उनका कोई सहायक नहीं होगा।"

तफ़सीर कुरान 3:56 (अल-जलालैन): जहाँ तक काफ़िरों की बात है, मैं उन्हें इस दुनिया में बहुत ही भयानक सज़ा दूँगा, उन्हें क़त्ल करके, बंदी बनाकर और उनसे जज़िया भरवाकर।

"इब्न इशाक की सीरत रसूल अल्लाह, पृष्ठ 669, v. 986: अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को इस धर्म के साथ भेजा, और उन्होंने इसके लिए प्रयास किया जब तक कि लोगों ने इसे स्वेच्छा से या मजबूरी से स्वीकार नहीं कर लिया

इब्न इसहाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 547: "अबू सुफ़यान, तुम्हें हाय लगे, क्या यह समय नहीं है कि तुम पहचानो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ ?" अबू सुफ़यान ने उत्तर दिया, "इस बारे में मुझे अभी भी कुछ संदेह है ।" मैंने (कथावाचक ने) उससे कहा, "अपना सिर खोने से पहले यह गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद (स.) अल्लाह के रसूल हैं।" तो उसने ऐसा ही किया।

अल-तबारी खंड 10, पृष्ठ 55: "वास्तव में अल्लाह ने मुहम्मद (स.) को अपनी सृष्टि में अपनी सच्चाई के साथ भेजा, शुभ समाचार देने वाले के रूप में और चेतावनी देने वाले के रूप में और अल्लाह की ओर (दूसरों को) बुलाने वाले के रूप में, उनकी अनुमति से, और एक प्रकाश लाने वाले दीपक के रूप में, ताकि वह (सभी) जीवित लोगों को चेतावनी दे सके, और ताकि अविश्वासियों के खिलाफ़ कहावत पूरी हो सके। इसलिए अल्लाह ने सत्य के साथ मार्गदर्शन किया जिसने भी उसकी बात मानी, और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की अनुमति से उस व्यक्ति को मारा जिसने भी उसकी ओर पीठ की, जब तक कि वह स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस्लाम में नहीं आया।"

अल-तबारी, जिल्द 9, पृष्ठ 69: उसने (अल्लाह) हमें राजा बनाया और अपनी रचना में से सर्वोत्तम को एक नबी के रूप में चुना जो वंश में सबसे महान, भाषण में सबसे सच्चा और कुलीन वंश में सबसे अच्छा है... वे वंश में सबसे महान, सबसे प्रमुख और कर्म में सबसे अच्छे लोग हैं। फिर जब अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया तो अल्लाह को उत्तर देने और जवाब देने वाले पहले लोग हम स्वयं थे। हम अल्लाह के सहायक और उसके रसूल के वज़ीर हैं, और हम लोगों से तब तक लड़ते हैं जब तक वे अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया उसने अपनी जान और माल को हमसे सुरक्षित रखा]; जिसने इनकार किया, हम उससे अल्लाह के मार्ग में सदैव लड़ेंगे और उसे मारना हमारे लिए छोटी बात है। मैं यह कहता हूँ और अपने लिए और ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली महिलाओं के लिए अल्लाह से क्षमा माँगता हूँ। तब उन्होंने कहा, "हे मुहम्मद, हमारे कवि को [बोलने] की अनुमति दें," और उन्होंने ऐसा किया। अल-जिब्रिगान बिन बद्र ने खड़े होकर कहा: हम कुलीन हैं, कोई भी जनजाति हमारी बराबरी नहीं कर सकती, हम में से राजा हैं और हमारे बीच में पूजा के घर बनाए गए हैं। हमने कितने जनजातियों को लूटा और अधीन किया है, क्योंकि महिमा में उत्कृष्टता की तलाश की जानी है!

सहीह बुखारी 25 - अध्याय: "लेकिन अगर वे तौबा कर लें [शिर्क (बहुदेववाद) को अस्वीकार करके और इस्लामी एकेश्वरवाद को स्वीकार करके]: "अल्लाह के रसूल ने कहा: "मुझे (अल्लाह द्वारा) लोगों के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया गया है जब तक कि वे यह गवाही न दें कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करने का अधिकार नहीं है और मुहम्मद (स.) अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज़ को पूरी तरह से अदा करें और अनिवार्य दान (ज़कात) दें, इसलिए यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे मुझसे अपनी जान और संपत्ति बचाते हैं" इस्लामी कानूनों को छोड़कर और फिर उनका हिसाब अल्लाह द्वारा किया जाएगा।"

दावा: जिहाद (धर्म युद्ध) का अर्थ आंतरिक संघर्ष है

क़ुरआन 61:4: निस्संदेह अल्लाह उन लोगों को पसन्द करता है जो उसके मार्ग में पंक्तियों में लड़े जैसे कि वे एक ठोस संरचना हों।

इसी सूरह के आधार पर पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम **'बुनियान-उल-मरसूस'** रखा।"

हदीस सहीह बुखारी 3126: एक बद्दू ने पैगंबर (स.) से पूछा, "एक आदमी लूट के लिए लड़ सकता है, और दूसरा इसलिए लड़ सकता है ताकि लोग उसका जिक्र करें, और तीसरा अपनी स्थिति (यानी बहादुरी) दिखाने के लिए लड़ सकता है; इनमें से किसे अल्लाह के मार्ग में लड़ना माना जाता है?" पैगंबर (स.) ने कहा, "वह व्यक्ति जो अल्लाह के शब्द (यानी इस्लाम) को श्रेष्ठ बनाने के लिए लड़ता है, वह अल्लाह के मार्ग के लिए लड़ता है।" [**सहीह बुखारी 123, 2810, 7458, यही बयान**]

तफ़सीर कुरान 61:4 (इब्न कथिर): क़तादा और अद-दहक ने कहा कि यह आयत कुछ लोगों को नसीहत देने के लिए उतारी गई थी जो कहते थे कि उन्होंने युद्ध के दौरान हत्या की, लड़ाई की, छुरा घोंपा और ऐसा-ऐसा किया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता था। सईद बिन जुबैर ने अल्लाह के इस कथन के बारे में कहा, (वास्तव में, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो पंक्तियों में उसके मार्ग में लड़ते हैं) "अल्लाह के रसूल ने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई शुरू करने से पहले, अपनी सेनाओं को पंक्तियों में खड़ा करना पसंद किया; इस सूरा में अल्लाह, ईमान वालों को ऐसा ही करने की शिक्षा देता है।"

हदीस सहीह बुखारी 3030: पैगम्बर (स.) ने कहा, "युद्ध छल है।"

जिहाद के उद्देश्य: धर्मांतरण, जजिया (कर भुगतान) या मृत्यु दंड

हदीस सहीह मुस्लिम 4522, 4523: जब अल्लाह के रसूल (स.) किसी को सेना या टुकड़ी का नेता नियुक्त करते थे, तो वह उसे विशेष रूप से अल्लाह से डरने और अपने साथ के मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत करते थे। वह कहते थे: अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के मार्ग में लड़ो। उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह को नहीं मानते। पवित्र युद्ध करो, लूट का माल न चुराओ, अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ो, और (मृतकों) के शरीर को न काटो, बच्चों को न मारो। जब तुम अपने उन दुश्मनों से मिलो जो मुश्रिक हैं, तो उन्हें कार्रवाई के **तीन तरीकों की दावत दो।** यदि वे इनमें से किसी एक भी मानते हैं, तो आप भी इसे स्वीकार करें और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं । उन्हें इस्लाम (स्वीकार) करने की दावत दो, यदि वे तुम्हारी बात मान लें, तो उनसे इसे स्वीकार करें और उनके खिलाफ लड़ाई से रुक जाएं। फिर उन्हें अपनी ज़मीन से मुहैरों की ज़मीन पर चले जाने के लिए आमंत्रित करें और उन्हें सूचित करें कि, यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें मुहाजिरों के सभी विशेषाधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। यदि वे पलायन करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें बताएं कि उन्हें बेडौइन मुसलमानों का दर्जा प्राप्त होगा और वे अन्य मुसलमानों की तरह अल्लाह के आदेशों के अधीन होंगे, लेकिन उन्हें युद्ध या फ़ाय की लूट से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि जब वे वास्तव में मुसलमानों के साथ (काफ़िरों के खिलाफ़) लड़ें। यदि वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो उनसे जज़िया की माँग करें। यदि वे भुगतान करने के लिए सहमत हैं, तो उनसे इसे स्वीकार करें और अपने हाथ रोक लें। यदि वे कर का भुगतान करने से इनकार करते हैं, तो अल्लाह की मदद माँगें और उनसे लड़ें।

हदीस सहीह मुस्लिम 6222: अली (रज़ि) कुछ दूर चले गए और फिर रुक गए और इधर-उधर नहीं देखा और फिर ऊँची आवाज़ में कहा: अल्लाह के रसूल, मैं किस मुद्दे पर लोगों से लड़ूँ? इस पर उन्होंने (पैगंबर ने) कहा: उनसे तब तक लड़ो जब तक वे इस बात की गवाही न दे दें कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद (स.) उसके रसूल हैं, और जब वे ऐसा करेंगे तो उनका खून और उनकी दौलत तुम्हारे हाथ से छीनी नहीं जा सकती, सिवाय उन

चीज़ों के जो कानून के मुताबिक जायज़ हैं और उनका हिसाब अल्लाह के पास है।

हदीस सहीह मुस्लिम 277: उसामा बिन जैद के हवाले से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (स.) ने हमें एक छापामार दल में भेजा। हमने सुबह जुहैना के हुरकत पर छापा मारा। मैंने एक आदमी को पकड़ा और उसने कहा: अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है, मैंने उस पर भाले से हमला किया। एक बार मेरे मन में यह बात आई और मैंने इस बारे में रसूल (स.) से बात की। अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: क्या उसने "अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है" का दावा किया और फिर भी तुमने उसे मार डाला? मैंने कहा: अल्लाह के रसूल, उसने हथियार के डर से इसका दावा किया। उन्होंने (पवित्र पैगंबर) ने कहा: क्या तुमने यह पता लगाने के लिए उसका दिल फाड़ दिया कि उसने दावा किया है या नहीं? और वह तब तक दोहराते रहे जब तक कि मुझे यह इच्छा नहीं हुई कि उस दिन काश मैंने उसका दावा (इस्लाम अपनाना) मान लिया होता।

इब्न इशाक के सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 645: "फिर रसूल (स.) ने खालिद बिन वालिद को 10 वें वर्ष में रबीउल-आखिर या जुमादाउल के महीने में नज़रान में बाल-हरिथ बिन काब के पास भेजा, और उन्हें आदेश दिया कि वे उन पर हमला करने से तीन दिन पहले उन्हें इस्लाम में आमंत्रित करें। अगर वे स्वीकार करते हैं तो उन्हें स्वीकार करना था, और अगर वे मना करते हैं तो उन्हें उनसे लड़ना था। इसलिए खालिद निकल पड़े और उनके पास आए, और सभी दिशाओं में सवारों को लोगों को इस्लाम में आमंत्रित करते हुए भेजा, "यदि आप इस्लाम स्वीकार करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। "इसलिए लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया था। खालिद उनके साथ रहे और उन्हें इस्लाम और अल्लाह की किताब और उनके पैगंबर की सुन्ना सिखाते रहे"

इब्न इशाक का सीरा रसूल अल्लाह, पृष्ठ 587-588: हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीवित हैं, जब तक तुम विनम्रतापूर्वक शरण मांगते हुए इस्लाम में नहीं बदल जाते। हम इस बात की परवाह किए बिना लड़ेंगे कि कौन हमारे सामने हैं। चाहे हम प्राचीन जोत को नष्ट करें या हाल ही में प्राप्त लाभ को। कितने कबीले हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए। उनके सबसे अच्छे वंशज और सहयोगी! वे यह सोचकर हम पर आए कि उनकी कोई बराबारी नहीं है और हमने अपनी बेहतरीन पॉलिश की हुई भारतीय तलवारों से उनके नाक और कान काट दिए, उन्हें हिंसक तरीके से खदेड़ते हुए। अल्लाह और इस्लाम के आदेश पर, जब तक धर्म स्थापित नहीं हो जाता, न्यायपूर्ण और सीधा, और अल-लत और अल-उज्जा और वुद को भुला नहीं दिया जाता है। और हम उनके हार और झुमके लूट लेते हैं। क्योंकि वे स्थापित और आश्वस्त हो चुके थे1, और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसे अपमान सहना पड़ता है।

यात्री की निर्भरता: इस्लामी पवित्र कानून की क्लासिक मैनुअल (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 602-603

o9.8 खलीफा (025) यहूदियों, ईसाइयों और पारसियों पर युद्ध करता है (एन: बशर्ते कि उसने पहले उन्हें विश्वास में इस्लाम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया हो, और यदि वे नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें गैर-मुस्लिम कर (जज़िया, परिभाषा: o11.4) का भुगतान करके इस्लाम के सामाजिक क्रम में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए – उनके भुगतान का महत्व है, कि वे अपने पैतृक धर्मों में बने रहें) (0: और युद्ध जारी है) जब तक वे मुसलमान नहीं बन जाते या फिर गैर-मुस्लिम कर (जज़िया) देना शुरू करें (O: अल्लाह सर्वशक्तिमान के वचन के अनुसार, "उन लोगों से लड़ो, जो अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास नहीं करते और जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो मना किया है उसे मना नहीं करते- जो सत्य के धर्म का पालन नहीं करते, चाहे उन लोगों में से हैं जिन्हें किताब दी गई है, जब तक कि वे हाथ से कर का भुगतान नहीं करते और नम्र नहीं हो जाते" (**कुरान 9:29**),

...09.9 खलीफा सभी अन्य लोगों से तब तक लड़ता है जब तक वे मुसलमान नहीं बन जाते (0: क्योंकि वे किताब वाले लोग नहीं हैं, न ही उन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया है, और उन्हें जजिया का भुगतान करने की अनुमति नहीं है (एन: हालांकि हनफी स्कूल के अनुसार, अन्य सभी धर्मों के लोग, यहां तक कि मूर्तिपूजक भी, इस्लामी राज्य के संरक्षण में रहने की अनुमति है यदि वे या तो मुसलमान बन जाते हैं या कर का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं, जिसका एकमात्र अपवाद इस्लाम से धर्मत्यागी और मूर्तिपूजक अरब हैं

हदीस मुवत्ता मलिक किताब 17, हदीस 46: ...जकात (कर) मुसलमानों पर लगाया जाता है ताकि वे शुद्ध हो सकें और अपने गरीबों को वापस दे सकें, जबकि जजिया किताब के लोगों (अहले किताब) पर लगाया जाता है ताकि वे विनम्र हो सकें।

'युद्ध' इब्न कथिर द्वारा (पृष्ठ 183-184), कुरान 9:28-33 की व्याख्या करते हुए :

जब अल्लाह तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि वे काफ़िरों को पवित्र मस्जिद में दाखिल होने या उसके पास आने से रोकें, तो कुरैश (पैगम्बर के कबीले) ने सोचा कि इससे व्यापार से उनका मुनाफ़ा कम हो जाएगा। इसलिए, अल्लाह, सर्वोच्च, ने उन्हें मुआवजा दिया और उन्हें किताब के लोगों (यहूदी और ईसाई) से लड़ने का आदेश दिया जब तक कि वे इस्लाम स्वीकार नहीं कर लेते या जिज़्या (पैसे का भुगतान) नहीं करते।

अल्लाह कहता है, "ऐ तुम जो विश्वास करते हो! वास्तव में बुतपरस्त अशुद्ध हैं; इसलिए उन्हें अपने इस वर्ष के बाद, मस्जिद हराम के पास नहीं आना चाहिए। और यदि तुम गरीबी से डरते हो, तो जल्द ही अल्लाह तुम्हें अपनी कृपा से समृद्ध करेगा, यदि वह चाहेगा, क्योंकि अल्लाह सर्वज्ञ है। उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह या अंतिम दिन पर विश्वास नहीं करते हैं, न ही उस चीज़ को हराम मानते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है, और न ही सत्य के धर्म को स्वीकार करते हैं, (भले ही वे) किताब के लोग हों, जब तक कि वे स्वेच्छा से जिज़्या का भुगतान न करें, और खुद को वश में समझे। " इसलिए, अल्लाह के रसूल (स.) ने उन्हें इस्लाम में बुलाने के लिए रोमनों (ईसाइयों) से लड़ने का फैसला किया।

हदीस सहीह बुखारी 3162: "तुम्हारे आश्रितों की आजीविका का स्रोत (यानी धिम्मियों (यहूदियों और ईसाइयों) से मिलने वाले कर)"

उमर (रज़ि) का समझौता - जजिया

धिम्मियों (जजिया कर अदा करने वालों) के लिए शरिया (इस्लामी कानून) के तहत अपमानजनक जीवन स्थितियों पर नज़र डालें।

यात्री की निर्भरता: इस्लामी पवित्र कानून की क्लासिक मैनुअल (संशोधित संस्करण), पृष्ठ 607-609: "11.0 इस्लामी राज्य के गैर-मुस्लिम (अहल अल-धिम्मा) विषय 11.1 नागरिकों के साथ सुरक्षा का एक औपचारिक समझौता किया जाता है जो हैं:

(1) यहूदी (2) ईसाई (3) पारसी (4) सामरी और सबियन (5) और जो अब्राहम या किसी अन्य पैगंबर के धर्म का पालन करते हैं

11.2 ऐसा समझौता मूर्तिपूजकों के साथ नहीं किया जा सकता... इस्लाम के बाद से जो पंथ प्रकट हुए हैं (जैसे कि सिख, बहाई, मॉर्मन, कादियानी, आदि), वे न तो किताब वाले हैं और न ही हो सकते हैं, क्योंकि कुरान अंतिम धर्मग्रंथ है

11.3 ऐसा समझौता तभी वैध है जब विषय के लोग: (ए) इस्लाम के नियमों का पालन करें (ए: नीचे वर्णित (11.5) और वे जो सार्वजनिक व्यवहार और पोशाक से संबंधित हैं (बी) और गैर-मुस्लिम कर का भुगतान करें।

11.4 न्यूनतम गैर-मुस्लिम मतदान कर एक दीनार (n: 4.235 ग्राम सोना) प्रति व्यक्ति (A: प्रति वर्ष) है। अधिकतम वह है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों। इसे उदारता और विनम्रता के साथ वसूला जाता है।

11.5 ऐसे गैर-मुस्लिम नागरिकों को जीवन, प्रतिष्ठा और संपत्ति की सुरक्षा और क्षतिपूर्ति से संबंधित इस्लामी नियमों का पालन करना (अनुसरण करना) अनिवार्य है। इसके अलावा, वे: (1) व्यभिचार या चोरी करने के लिए दंडित किए जाते हैं, हालांकि नशे के लिए नहीं; (2) मुसलमानों से अलग कपड़े पहनते हैं, एक चौड़ी कपड़े की बेल्ट (**जुन्नार**) पहनते हैं (3) "अस-सलामु अलैकुम" कहकर उनका अभिवादन नहीं किया जाता (4) उन्हें सड़क के किनारे चलना चाहिए। (5) मुसलमानों की इमारतों से ज़्यादा ऊँची या उतनी ऊँची इमारतें नहीं बना सकते (6) खुलेआम शराब या सूअर का मांस प्रदर्शित करना मना है, (A: चर्च की घंटियाँ बजाना या क्रॉस दिखाना), तोरात या इंजील को ज़ोर से पढ़ना, या अपने अंतिम संस्कार और दावत के दिनों का सार्वजनिक प्रदर्शन करना; (7) और नए चर्च बनाने की मनाही है।

11.10 समझौते का उल्लंघन तब भी होता है... जब विषय के लोगों में से कोई: (1) किसी मुस्लिम महिला के साथ व्यभिचार करता है या उससे शादी करता है: (2) शत्रुतापूर्ण ताकतों के जासूसों को छुपाता है; (3) किसी मुसलमान को इस्लाम से दूर ले जाता है; (4) किसी मुसलमान को मारता है; (5) या अल्लाह, पैगंबर (स.), या इस्लाम के बारे में कुछ अनुचित (बुरा) उल्लेख (बोलना) करता है।

जिहाद योद्धाओं के लिए पुरस्कार

क़ुरआन 3:169-170: और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए उन्हें कभी मरा न समझो। बल्कि वे अपने रब के पास जीवित हैं, रोज़ी (सुविधाएँ) पा रहे हैं, उस पर प्रसन्न हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने अनुग्रह से प्रदान किया है, और वे उन लोगों के विषय में शुभ सूचना प्राप्त करते हैं जो उनके पश्चात शहीद होने वाले हैं, जो अभी तक उनके साथ शामिल नहीं हुए हैं। कि न तो उन पर कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे।

क़ुरआन 9:111: अल्लाह ने ईमान वालों (मुसलमान) से उनकी जान और माल ख़रीद लिया है | बदले में कि उन्हें जन्नत मिलेगी | वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं, इसलिए वे मारते हैं और मारे जाते हैं।

कुरान 49: 14-15: ईमान वाले तो बस वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और कभी संदेह में न पड़े, बल्कि अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपने प्राणों के साथ जिहाद किया। वही लोग सच्चे हैं।

हदीस अबू दाऊद 2522: पैगंबर (स.) ने कहा: एक शहीद की शफ़ाअत उसके परिवार के सत्तर सदस्यों (नरक से बचने) के लिए स्वीकार की जाएगी। (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 2787: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए सुना, "अल्लाह के मार्ग में एक मुजाहिद का उदाहरण (और अल्लाह बेहतर जानता है कि वास्तव में उसके मार्ग में कौन प्रयास करता है) उस व्यक्ति की तरह है जो लगातार उपवास और प्रार्थना करता है। अल्लाह गारंटी देता है कि वह अपने मार्ग में मुजाहिद (मुस्लिम योद्धा) को जन्नत में दाखिल करेगा यदि वह मारा जाता है, अन्यथा वह उसे पुरस्कार और युद्ध की लूट के साथ सुरक्षित रूप से उसके घर वापस भेज देगा।"

हदीस सहीह बुखारी 2785: एक आदमी अल्लाह के रसूल (स.) के पास आया और कहा, "मुझे ऐसे काम का निर्देश दें जो जिहाद (सवाब में) के बराबर हो। " उन्होंने उत्तर दिया, "मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिला "। फिर आप ने कहा, " क्या तुम, जब मुस्लिम योद्धा युद्ध के मैदान में हो, बिना रुके नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में जा सकते हैं और बिना रुके रोज़ा रख सकते हैं और अपना रोज़ा कभी नहीं तोड़ सकते?" उस आदमी ने कहा, "लेकिन ऐसा कौन कर सकता है?" अबू हुरैरा (रज़ि) ने कहा, "मुजाहिद (यानी मुस्लिम लड़ाके) को उसके घोड़े के कदमों के लिए भी सवाब मिलता है, जब वह एक लंबी रस्सी में बंधा हुआ (चरने के लिए) घूमता है।"

हदीस सहीह मुस्लिम 4880: अल्लाह के रसूल (स.) उनके (अपने साथियों) बीच खुतबा देने के लिए खड़े हुए जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह के मार्ग में जिहाद और अल्लाह पर ईमान सबसे पुण्य कार्य हैं। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा: अल्लाह के रसूल, क्या आप सोचते हैं कि अगर मैं अल्लाह के मार्ग में मारा गया तो मेरे पाप मुझसे मिटा दिए जाएंगे? अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: हां, यदि आप अल्लाह के मार्ग में मारे गए और आप धैर्यवान और ईमानदार थे और आपने हमेशा दुश्मन का सामना किया, कभी उससे पीठ नहीं की । फिर उन्होंने कहा: आपने (अब) क्या कहा? (उनकी संतुष्टि के लिए उनसे और आश्वासन चाहते हुए), उन्होंने (फिर से) पूछा: क्या आपको लगता है कि अगर मैं अल्लाह के मार्ग में मारा गया तो मेरे सभी पाप मुझसे मिटा दिए जाएंगे? अल्लाह के रसूल (स.) ने फरमाया: हां, अगर तुम सब्र और ईमानदारी से काम करते और हमेशा दुश्मन का सामना करते और कभी उसकी तरफ पीठ नहीं करते, तो (तुम्हारी सारी खामियां माफ कर दी जातीं) सिवाए कर्ज के। जिब्रील (अलै.) ने मुझे यह बताया है।

कुरआन 3:69: जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए, उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित हैं और उनके लिए रोज़ी भी है।

हदीस सहीह बुखारी 2965, 2966: "एक बार अल्लाह के रसूल (स.) ने एक पवित्र युद्ध के दौरान सूरज के डूबने तक प्रतीक्षा की और फिर लोगों के बीच उठे और कहा, "ऐ लोगो! दुश्मन का सामना करते समय, अल्लाह से दुआ मत करो कि वह तुम्हें (विपत्तियों से) बचाए। परंतु जब तुम दुश्मन का सामना करो तो धैर्य रखो और जान लो कि जन्नत तलवारों की छाया में है।" फिर उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह! किताब को प्रकट करने वाले, बादलों को चलाने वाले और अल-अहज़ाब (अर्थात काफिरों के गिरोहों) को हराने वाले, उन काफिरों को पराजित करो और हमें विजय प्रदान करो।" [**हदीस सहीह बुखारी 2818, 3024, 3025, अबू दाऊद 2631: यही बयान]**

हदीस सहीह मुस्लिम 4883 (INT 1886a), 4884 (INT 1886b): अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: एक शहीद के सभी पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, सिवाय कर्ज के।

हदीस अबू दाऊद 2521: मैंने पैगंबर (स.) से पूछा : जन्नत में कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया: पैगंबर जन्नत में हैं, शहीद जन्नत में हैं, शिशु जन्नत में हैं और जिंदा दफन किए गए बच्चे जन्नत में हैं।

कुरआन 3:185: हर जान को मौत का स्वाद चखना है, और तुम्हें क़ियामत के दिन ही तुम्हारे बदले पूरे दिए जाएँगे।
कुछ खास लोगों (नबी) के बारे में सहीह हदीसों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया या रखा है। शहीदों को कब्र में जन्नत की नेमतें मिलती हैं। लेकिन वे पूरी तरह जन्नत में दाखिल नहीं हुए, बस उनकी रुहें जन्नत के अंदर हरे पक्षियों के अंदर रखी जाती हैं (**सहीह मुस्लिम हदीस1887**) ।

जो भी लड़ाई के लिए धन मुहैया कराएगा उसे समान इनाम मिलेगा:

क़ुरआन 2:195: और अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करो (अर्थात हर प्रकार के जिहाद में) और अपने आपको विनाश में न डालो (अल्लाह के मार्ग में अपने माल ख़र्च न करके) और अच्छे कर्म करो। निस्संदेह अल्लाह अच्छे कर्म करने वालों को प्रिय रखता है।

कुरान 8:72: वास्तव में, जो लोग विश्वास करते थे, और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के मार्ग में कड़ी मेहनत की और अपने माल और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, और साथ ही वे लोग भी जिन्होंने (उन्हें) शरण दी और मदद की

सहीह मुस्लिम 4902: रसूल (स.) ने फरमाया: जो कोई अल्लाह के रास्ते में किसी योद्धा को तैयार करता है (वह ऐसा है मानो वह वास्तव में) लड़ता है। और जो कोई उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार का ख्याल रखता है (वह भी ऐसा है मानो वह वास्तव में) लड़ता है।

काफिरों की हत्या करने से मुसलमानों को पाप नहीं मिलता

क़ुरआन 8:17: और तुमने उन्हें नहीं मारा, बल्कि अल्लाह ने उन्हें मारा। और जब तुमने फेंका (पत्थर), तो तुमने नहीं फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका, ताकि ईमान वालों को एक अच्छी परीक्षा से परख सके। निस्संदेह अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है।

कुरान 47:4-6 : अतः जब तुम इनकार करनेवालों से मिलो तो उनकी गर्दनें काट दो, यहाँ तक कि जब उनमें से बहुतों को मार डालो और घायल कर दो, तो उन पर मज़बूती से बाँध दो (अर्थात् उन्हें बन्दी बना लो)। उसके बाद या तो उदारता का समय है या फिर फिरौती का, यहाँ तक कि युद्ध अपना बोझ नीचे डाल दे। इस प्रकार अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि तुम इनकार करनेवालों से तब तक जिहाद करते रहो जब तक कि वे इस्लाम स्वीकार न कर लें और जहन्नुम की यातना से बच न जाएँ या कम से कम तुम्हारी शरण में न आ जाएँ, किन्तु यदि अल्लाह चाहता तो वह स्वयं उन्हें (तुम्हारे बिना) दण्ड दे सकता था। **किन्तु वह तुममें से कुछ लोगों को दूसरों के द्वारा परखने के लिए तुम्हें लड़ने देता है ।** किन्तु जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए, वह उनके कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह उन्हें मार्ग दिखाएगा और उनकी दशा सुधारेगा। और उन्हें उस जन्नत में दाखिल कर जो अल्लाह ने उन्हें बता दी है। (अर्थात् वे जन्नत में अपने स्थानों को उससे अधिक जानेंगे, जितना वे संसार में अपने घरों को जानते थे ।)

जिहाद मुसलमानों के लिए अनिवार्य है

कुरान 2:216: जिहाद तुम्हारे (मुसलमानों) लिए अनिवार्य है, यद्यपि तुम उसे नापसंद करते हो, और यह संभव है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो उसे तुम नापसंद करते हो और जो चीज़ तुम्हारे लिए बुरी हो उसे तुम पसंद करते हो।

हदीस सहीह बुखारी 26: अल्लाह के रसूल (स.) से पूछा गया कि सबसे अच्छा काम क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल (स.) पर ईमान लाना। फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि सबसे अच्छा काम (अच्छाई) क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, " अल्लाह के मार्ग में जिहाद में भाग लेना।"

हदीस सहीह बुखारी 527: मैंने पैगंबर (स.) से पूछा "अल्लाह को कौन सा काम सबसे प्रिय है?" उन्होंने उत्तर दिया, "नमाज़ों को उनके निर्धारित समय पर अदा करना।" मैंने पूछा, "अगला (भलाई में) क्या है?" उन्होंने उत्तर दिया, "अपने माता-पिता के प्रति अच्छा और कर्तव्यनिष्ठ होना" मैंने फिर पूछा, "अगला (भलाई में) क्या है?" उन्होंने उत्तर दिया, 'अल्लाह की राह में जिहाद में भाग लेना ।"

इब्न माजा 2794: मैं पैगंबर (स.) के पास आया और कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद सबसे अच्छा है?' उन्होंने कहा: '(वह आदमी जिसका) खून बहा हो और उसका घोड़ा घायल हो।'"

अन-नसाई 3591: मैं अल्लाह के रसूल के साथ बैठा था जब एक आदमी ने कहा: 'अल्लाह के रसूल! लोगों ने घोड़ों में रुचि खो दी है और अपने हथियार डाल दिए हैं, और वे कहते हैं कि कोई जिहाद नहीं है, और युद्ध समाप्त हो गया है।' जवाब में पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। असली लड़ाई अभी आरम्भ होने वाली है। उनकी उमीद के अनुसार, उनकी (उनके लोगों की) एक ऐसी जमात हमेशा रहेगी जो हक़ (सच) के लिये लड़ती रहेगी। जिनके लिए अल्लाह कुछ लोगों को गुमराह करेगा, और उन्हें उनसे रोज़ी प्रदान करेगा, जब तक कि क़यामत शुरू न हो जाए और जब तक कि अल्लाह का वादा न आ जाए। अच्छाई क़यामत के दिन तक घोड़ों के माथे से बंधी हुई है।

हदीस अबू दाऊद 3462: मैंने रसूल-अल्लाह को फरमाते हुए सुना: जब तुम किसी सौदे में लग जाओगे, बैलों की दुम पकड़ खेती से

खुश हो जाओगे और जिहाद करना छोड़ दोगे, अल्लाह तुम पर अपमान को हावी कर देगा और उसे तब तक नहीं हटाएगा जब तक तुम अपने मूल धर्म में वापस नहीं आ जाते। (सहीह)

हदीस सहीह बुखारी 4387: रसूल (स.) ने अपने हाथ से यमन की तरफ इशारा किया और कहा, "ईमान वहाँ है।" कठोरता और निर्दयता उन किसानों आदि के गुण हैं, जो अपने ऊँटों में व्यस्त रहते हैं और धर्म की ओर ध्यान नहीं देते (वह पूर्व दिशा की ओर है) जहाँ से शैतान के सिर का भाग प्रकट होगा; वे रबी'अ और मुदर के कबीले हैं।

कुरान 33:23: ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से किए वादे के पक्के हैं, अगर वे जिहाद के लिए निकले हैं और इनकार करनेवालों की ओर पीठ न दिखाई।

हदीस सहीह बुखारी 3077: पैगंबर (स.) ने मक्का की विजय के दिन कहा, "(विजय के बाद) कोई पलायन नहीं है बल्की जिहाद और अच्छे इरादे इरादे से, और जब आपको जिहाद के लिए बुलाया जाता है, तो आपको तुरंत जवाब देना चाहिए।"

क़ुरआन 9:49: और उनमें से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे इजाज़त दे और मुझे आज़माइश में न डाल। बेशक वे आज़माइश में पड़ चुके हैं और यक़ीनन जहन्नम इनकार करनेवालों को घेरे हुए है।

सहीह मुस्लिम 4931: अल्लाह के रसूल (स. ने कहा: जो व्यक्ति मर गया, लेकिन अल्लाह के मार्ग में नहीं लड़ा और न ही उसने जिहाद के लिए कोई इच्छा (या दृढ़ संकल्प) व्यक्त किया, वह एक पाखंडी की मौत मर गया।

कुरान 4:95: ईमान वालों में से जो लोग घर पर बैठे हैं, वे बराबर नहीं हैं, और उन लोगों के जो अल्लाह के मार्ग में अपने धन और अपने प्राणों के साथ मेहनत करते हैं और युद्ध करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो अपाहिज हैं (चोट के कारण या अंधे या लंगड़े, आदि)। अल्लाह ने उन लोगों को जो मेहनत करते हैं और अपने धन और अपने प्राणों के साथ युद्ध करते हैं, उन लोगों से बेहतर दर्जा दिया है जो घर पर बैठे हैं।

यहां तक कि वृद्धों को भी लड़ना चाहिए:

कुरान 9:41: आगे बढ़ो, चाहे तुम हल्के हो या भारी और अल्लाह के मार्ग में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है, यदि तुम जानते।

तफ़सीर कुरान 9:41 (इब्न कथिर): यह आयत उतारी गई, (आगे बढ़ो, चाहे तुम हल्के हो या भारी।) अल्लाह ने तबूक की लड़ाई के लिए अल्लाह के रसूल के साथ बड़े पैमाने पर लामबंदी का आदेश दिया, ताकि अविश्वासियों, किताब के लोगों, रोमनों, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ा जा सके। अल्लाह ने आदेश दिया कि सभी ईमान वाले रसूल के साथ आगे बढ़ें, चाहे वे सक्रिय, आलसी, सहज महसूस करें या कठिन परिस्थितियों में हों, (आगे बढ़ो, चाहे तुम हल्के हो या भारी) 'अली बिन ज़ैद ने बताया कि अनस ने कहा कि अबू तल्हा ने (इस आयत पर) टिप्पणी की, "चाहे आप बूढ़े हों या जवान, अल्लाह ने किसी के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा। "

आक्रामक युद्ध

तीसरे चरण में, मुसलमानों को **आक्रामक जिहाद** की अनुमति दी गई ताकि इस्लामी हुकूमत के दुश्मनों और आस-पास के क़बीलों, किताब वालों और मुश्रिकों पर दबाव डाला जा सके।

तफ़सीर कुरान 24:55 (इब्न कथिर): यह अल्लाह का अपने रसूल से वादा है कि वह अपनी उम्मत (मुस्लिम समुदाय) को धरती पर उत्तराधिकारी बनाएगा, यानी वे मानव जाति के नेता और शासक बनेंगे, जिनके माध्यम से वह दुनिया में सुधार करेगा और जिनके अधीन लोग आज्ञाकारी होंगे, ताकि उनके डर के बाद उन्हें एक सुरक्षा मिले। यह वही है जो अल्लाह ने वास्तव में किया(उसकी महिमा और महानता हो, और उसी की प्रशंसा और आशीर्वाद हो)। क्योंकि उसने अपने रसूल को तब तक नहीं मरने दिया जब तक कि उसे मक्का, खैबर, बहरीन, पूरे अरब प्रायद्वीप और यमन पर विजय न दिला दी; और उसने हजर के पारसी लोगों से और सीरिया के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों से जिज़्या (इस्लाम में धर्म परिवर्तन न करने के लिए धन) लिया ..

फिर जब रसूल (स.) की मृत्यु हो गई, तो उनके खलीफा अबू बक्र (रज़ि) ने सत्ता की बागडोर संभाली उसने पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने खालिद बिन अल-वालिद के नेतृत्व में इस्लामी सेनाओं को फारस की धरती पर भेजा, जिन्होंने उसके एक हिस्से पर विजय प्राप्त की और उसके कुछ लोगों को मार डाला। उन्होंने अबू उबैदा के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, और उसके बाद सीरिया की धरती पर उसके अन्य कमांडरों को भेजा।

उन्होंने अम्र बिन अल- अस के नेतृत्व में एक तीसरी सेना मिस्र भेजी। अल्लाह ने सीरिया भेजी गई सेना को बसरा और दमिश्क और उनके प्रांतों हवरान की भूमि और उसके आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। फिर अल्लाह ने अबू बकर (रज़ि) को अपने साथ सम्मानित करने के लिए चुना और उनकी मृत्यु हुई । इस्लाम के लोग धन्य थे कि अस-सिद्दीक को `उमर अल-फारूक (रज़ि) को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रेरणा मिली, इसलिए उन्होंने उनके बाद सत्ता की बागडोर संभाली और एक सही काम किया। पैगंबर (स.) के बाद दुनिया ने आचरण की उत्कृष्टता और पूर्ण न्याय में उमर जैसा कोई नहीं देखा। उनके समय में, सीरिया और मिस्र के बाकी हिस्से और फारस के ज्यादातर हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली गई थी... उथमान (रज़ि) के शासन के दौरान, इस्लामी क्षेत्र पृथ्वी के सबसे दूर के बिंदुओं, पूर्व और पश्चिम तक फैल गए थे। पश्चिम की भूमि साइप्रस और अंदलुस (स्पेन), कैरौआन और सेबता तक जीत ली गई थी जो अटलांटिक महासागर से सटे हैं। पूर्व की ओर, विजय चीन तक फैल गई थी। किसरा खुरासान था और अल-अहवाज़ पर विजय प्राप्त की गई थी। मुसलमानों ने बड़ी संख्या में तुर्कों को मार डाला और अल्लाह ने उनके महान राजा खगकान को अपमानित किया। पूर्व और पश्चिम से कर एकत्र किए गए, और वफ़ादारों के कमांडर उथमान (रज़ि) के पास लाए गए। सहीह में दर्ज है कि अल्लाह के रसूल ने कहा: (अल्लाह ने मुझे धरती दिखाई और मैंने पूर्व और पश्चिम को देखा। मेरी उम्मत (मुस्लिम समुदाय) का प्रभुत्व हर जगह पहुंच जाएगा जो मुझे दिखाया गया था।) और अब हम उसका आनंद ले रहे हैं जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया था, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था।

तफ़सीर कुरान 9:123 (इब्न कथिर): ऐ ईमान वालो! जो लोग तुम्हारे निकट हैं, उनसे लड़ो जो इनकार करनेवाले हैं और उन्हें चाहिए कि वे अपने पापों का बदला चुकाएँ। और जान लो कि अल्लाह तक़्वा रखनेवालों के साथ है।

काफ़िरों के खिलाफ़ जिहाद का आदेश, निकटतम और फिर सबसे दूरवर्ती क्षेत्र

अल्लाह ईमान वालों को आदेश देता है कि वे काफिरों से लड़ें, जो इस्लामी राज्य के क्षेत्र में सबसे निकट हैं, फिर सबसे दूर के। यही कारण है कि अल्लाह के रसूल ने अरब प्रायद्वीप में मूर्तिपूजकों से लड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उनसे निपट लिया और अल्लाह ने उन्हें नियंत्रण दे दिया तो अरब कबीले बड़ी संख्या में इस्लाम में प्रवेश कर गए, तब उन्होंने किताब के लोगों (यहूदी, ईसाई) से लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने रोमनों से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी जो क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप के सबसे निकट थे, और इस तरह इस्लाम में बुलाए जाने का सबसे अधिक अधिकार उनके पास था, खासकर इसलिए कि वे किताब के लोगों में से थे। पैगंबर (स.) तबूक पहुंचने तक मार्च करते रहे और अत्यधिक कठिनाई, कम बारिश और कम आपूर्ति के कारण वापस चले गए। यह लड़ाई उनके हिज़्र के नौवें वर्ष में हुई थी। दसवें वर्ष में, अल्लाह के रसूल अलविदा हज में व्यस्त थे।

उस हज से लौटने के उनकी मृत्यु के बाद उनके मित्र अबू बकर (रज़ि) सिद्दीक खलीफा बने। उस समय धर्म पर हमला हुआ और धर्म पराजित हो गया होता, यदि अल्लाह ने अबू बकर (रज़ि) के माध्यम से धर्म को दृढ़ता न प्रदान की होती, जिसने इसकी नींव को स्थापित किया और इसकी नींव को मजबूत किया। जो लोग धर्म से भटक गए थे उन्हें वापस लाया गया और जो लोग इस्लाम से पलट गये थे उन्हें वापस लाया गया। उन्होंने उन बुरे लोगों से ज़कात ली जो इसे देना नहीं चाहते थे और जो लोग इससे अनजान थे उन्हें सच्चाई बताई। पैगंबर (स.) की ओर से, अबू बकर (रज़ि) ने वह सब कुछ दिया जो उन्हें सौंपा गया था। फिर, उन्होंने रोमन क्रॉस उपासकों और फारसी अग्नि उपासकों से लड़ने के लिए इस्लामी सेनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया। उनके मिशन की कृपा से, अल्लाह ने उनके लिए कैसर और किसरा की भूमि खोल दी और उनके सेवकों में से जो उनके आज्ञाकारी थे उन्हें उतारा। अबू बकर (रज़ि) ने अपने खजाने अल्लाह के मार्ग में खर्च किए, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने भविष्यवाणी की थी कि होगा।

यह मिशन अबू बकर (रज़ि) के बाद उस व्यक्ति के हाथों जारी रहा जिसे अबू बकर (रज़ि) ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, अल-फारुक, मेहराब के शहीद, अबू हफ़्स, उमर बिन खत्ताब, (रज़ि)। उमर (रज़ि) के द्वारा, अल्लाह ने अविश्वासियों को अपमानित किया, अत्याचारियों और पाखंडियों को दबा दिया, और दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को खोल दिया। विभिन्न देशों के खजाने निकट और दूर के प्रांतों से उमर (रज़ि) के पास लाए गए, और उन्होंने उन्हें वैध और स्वीकृत विधि के अनुसार विभाजित किया। फिर उमर (रज़ि) ने एक प्रशंसनीय जीवन जीने के बाद शहीद के रूप में मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर मुहाजिरीन और अंसार के साथियों ने उमर (रज़ि) के बाद उस्मान बिन अफ्फान (रज़ि) को चुनने पर सहमति व्यक्त की, जो मोमिनों के नेता और घराने के शहीद थे। उस्मान (रज़ि) के शासनकाल के दौरान, इस्लाम ने अपना सबसे चौड़ा कपड़ा पहना और अल्लाह का स्पष्ट प्रमाण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सेवकों की गर्दनों पर स्थापित हुआ। इस्लाम दुनिया के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में प्रकट हुआ और अल्लाह का वचन बुलंद हुआ और उसका धर्म

स्पष्ट हुआ। शुद्ध धर्म ने अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ अपने गहरे लक्ष्य को प्राप्त किया और जब भी मुसलमान एक उम्मत पर विजय प्राप्त करते, तो वे दूसरे पर और फिर अगले पर आगे बढ़ते और अत्याचारी दुष्टों को कुचलते। उन्होंने यह सब अल्लाह के इस कथन के प्रति श्रद्धा में किया, (ऐ ईमान वालों! अपने निकट के काफिरों से लड़ो,)

[**दार अल-हरब** का मतलब होता है: "युद्ध का क्षेत्र" या "वह जगह जहाँ इस्लामी शासन या शरीअत का कानून नहीं चलता और मुसलमानों को सुरक्षा या धार्मिक आज़ादी नहीं मिलती। "कुछ विद्वान कहते हैं: अगर किसी राज्य में मुसलमान सुरक्षित हैं, दीन की आज़ादी है, तो उसे दार अल-हरब नहीं कहा जाएगा। **दार अल-सलाम** का मतलब है: "शांति का क्षेत्र" या "वह जगह जहाँ इस्लामी हुकूमत और शरीअत का अमल हो और मुसलमान शांति से रह सकें। "इस्लामी फिक़्ह में इसे "इस्लामी राज्य" माना जाता था।]

आत्मघाती हमले की अनुमति है

तफ़सीर कुरान 2:195 (**कुरतुबी**), पृष्ठ 500: विद्वान युद्ध में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हमला करने और अकेले दुश्मन पर हमला करने के बारे में असहमत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ताकतवर हो और उसका इरादा सच्चा हो तो अकेले बड़ी सेना पर हमला करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वह ताकतवर नहीं है तो यह आत्महत्या के समान है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति शहादत चाहता है और उसका इरादा सच्चा होता है तो उसे हमला करने की अनुमति है क्योंकि उसका उद्देश्य दुश्मन पर हमला करना होता है। इब्न खुवेज़ीमंदाद ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति सौ या पूरी सेना या चोरों और डाकुओं के समूह पर हमला करता है, तो दो संभावनाएँ हैं। अगर वह जानता है और सोचता है कि यह संभव है कि वह जिस पर हमला करता है उसे मार देगा और बच जाएगा, तो यह अच्छा है। अगर वह जानता है और सोचता है कि यह संभव है कि वह मारा जाएगा, लेकिन बहुत नुकसान पहुँचाएगा या एक रास्ता खोल देगा जिसका मुसलमान उपयोग कर सकते हैं, तो यह भी जायज़ है।" मुहम्मद इब्न अल-हसन ने कहा, "अगर एक आदमी अकेले हज़ार मूर्तिपूजकों पर हमला करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वह बचने की उम्मीद करता है या दुश्मन को बहुत नुकसान पहुँचाता है। अगर ऐसा नहीं है, तो यह नापसंद है क्योंकि वह मुसलमानों के लिए किसी भी लाभ के बिना खुद को विनाश के लिए उजागर करता है। अगर उसका इरादा दूसरे मुसलमानों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो इसमें शामिल मुसलमानों के लाभ के कारण इसकी अनुमति दी जा सकती है। अगर वह दुश्मन को डराना चाहता है और उन्हें मुसलमानों का संकल्प दिखाना चाहता है, तो इसकी भी अनुमति दी जा सकती है।" अगर इससे मुसलमानों को मदद मिलती है, अल्लाह के दीन को बल मिलता है और अविश्वासियों को कमज़ोर करता है, तो यह वह महान स्थान है जिसकी प्रशंसा अल्लाह तब करता है जब वह कहता है, "अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल खरीदे हैं, बदले में उन्हें जन्नत दी है। वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं , मारते हैं और मारे जाते हैं।" (**Q 9:111**)

सहीह बुखारी 2817: पैगंबर (स.) ने कहा, "कोई भी व्यक्ति जो स्वर्ग में प्रवेश करता है, वह दुनिया में वापस जाना पसंद नहीं करता है भले ही उसे पृथ्वी पर सब कुछ मिल जाए, सिवाय एक मुजाहिद के जो दुनिया में वापस आना चाहता है ताकि वह प्राप्त सम्मान (अल्लाह से) के कारण दस बार शहीद हो जाए."

सहीह बुखारी 2797: पैगंबर (स.) ने कहा, "उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर कुछ ऐसे मुसलमान न होते जो पीछे रह जाना पसंद करते (और जिन्हें वे सवारी उपलब्ध नहीं करा सकते थे), तो वे किसी भी सेना-दल (सरीयाह) से पीछे नहीं रहते, जो अल्लाह की राह में निकलती। उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं अल्लाह के मार्ग में शहीद होना और फिर जी उठना और फिर शहीद होना, और फिर जी उठना और फिर शहीद होना और फिर जी उठना और फिर शहीद होना पसंद करूंगा।

सहीह मुस्लिम 4916: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: बेशक, जन्नत के दरवाजे तलवारों की छाया में हैं। एक जर्जर हालत में एक आदमी उठा और बोला; अबू मूसा, क्या तुमने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते सुना? उसने कहा: हाँ। (कथावाचक ने कहा): वह अपने दोस्तों के पास लौटा और कहा: मैं तुम्हें (विदाई अभिवादन) सलाम करता हूं। फिर उसने अपनी तलवार की म्यान तोड़ दी, उसे फेंक दिया, वह अपनी नंगी तलवार लेकर शत्रु की ओर बढ़ा और तब तक उनसे लड़ता रहा जब तक वह मारा नहीं गया।

सहीह मुस्लिम 4913: एक आदमी ने कहा: अल्लाह के रसूल, अगर मैं मारा गया तो मैं कहाँ रहूँगा? उन्होंने जवाब दिया: जन्नत में। उस आदमी ने अपने हाथ में जो खजूर थे, उन्हें फेंक दिया और तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह मारा नहीं गया (यानी उसने खजूर खत्म होने तक इंतज़ार नहीं किया)।

अध्याय 14. दावा: इस्लाम ने मुसलमानों को इबादत और ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया।

इस्लामी अनुष्ठान और प्रथाओं के स्रोत

अरबी और फ़ारसी की कई परंपराएँ इस्लाम में शामिल हो गईं। लेकिन भारतीय मुसलमानों को पुरानी परंपराएँ अपनाने से यह कहकर रोका जाता है कि वे हिंदू परंपराएँ हैं जैसे कि सिंदूर लगाना या बड़ों के पैर छूना। यह सिर्फ़ भारतीय धर्मांतरितों की जड़ों को मिटाने के लिए किया जाता है।

अधिकतर कुरआन में स्पष्ट वर्णित नहीं है:

शरिया का व्यवस्थित ढांचा, वज़ू, नमाज़ या हज के नियम, फिक़्ही आदेश, ख़लीफ़ा, सहाबा, पैग़म्बर मुहम्मद (स.) का जीवन विवरण, चमत्कारों का वास्तविक विवरण

जन्म से मृत्यु तक मुसलमानों के जीवन में कई प्रचलित क्रियाएँ और रीति-रिवाज हैं —जैसे अरबी नाम रखना, खतना, अक़ीका, सलाम करना, काबा को चूमना, ज़मज़म का पानी पीना, इस्तिंजा, हदीस की पालन करना, तीन तलाक, दाढ़ी रखना, मूंछ काटना, मिशवाक, ईद, फितरा, कुर्बानी, वलीमा, तरावीह, जुमा का ख़ुतबा, इक़ामत, मदरसों की स्थापना, मस्जिदों का निर्माण, अज़ान, इमामत, जनाज़ा नमाज़, शव स्नान, कफन और दफ़न।
इनमें से किसी भी क्रिया के लिए कुरआन में स्पष्ट आदेश या कार्य पद्धति कहीं नहीं दी गई।

हज की बहुदेववादी उत्पत्ति

सहीह बुखारी 2478: पैगम्बर (स.) ने मक्का में प्रवेश किया और (उस समय) काबा के चारों ओर तीन सौ साठ मूर्तियाँ (अन्य देवताओं के धार्मिक प्रतीक) थीं। उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर मूर्तियों पर वार करना शुरू कर दिया और कहा: "सत्य (इस्लाम) आ गया है और झूठ (अविश्वास) खत्म हो गया है।"

सहीह मुस्लिम 3028:: इस्लाम से पहले के दिनों में महिलाएँ नग्न अवस्था में काबा की परिक्रमा करती थीं और कहती थीं: काबा की परिक्रमा करने वाली महिला को कौन कपड़ा देगा कि वह अपने गुप्तांगों को ढक सके? और फिर वह कहती थी: आज पूरा या आंशिक रूप से खुला रहेगा और जो खुला है उसे मैं हलाल नहीं करूँगी। इसी सिलसिले में यह आयत उतरी: "हर इबादतगाह पर खुद को ढक कर रखो" (**Q 7:31**)

उनका मानना था: "हमें उन्हीं कपड़ों में तवाफ़ नहीं करना चाहिए जिनमें हमने पाप किए हैं।" इसलिए अगर उनके पास "पवित्र कपड़े" नहीं होते (जो अक्सर क़ुरैश कबीले से किराए या दान में मिलते थे), तो वे कपड़े उतार देतीं और नग्न तवाफ़ करतीं — यह उनके अनुसार 'पवित्रता' का तरीका था]

हदीस सहीह बुखारी 369: नहर के दिन [10 जिलहिज्जा, पैगंबर (स.) के अंतिम हज से पहले के वर्ष में जब अबू बकर (रज़ि) उस हज में हाजियों के नेता थे] अबू बकर (रज़ि) ने मुझे अन्य उद्घोषकों के साथ मीना में एक सार्वजनिक घोषणा करने के लिए भेजा: "इस वर्ष के बाद किसी भी बुतपरस्त को हज करने की अनुमति नहीं है और किसी भी नग्न व्यक्ति को काबा के चारों ओर तवाफ़ करने की अनुमति नहीं है।

काबा / काले पत्थर को चूमना

सहीह बुखारी 1597: उमर (रज़ि) काबा के काले पत्थर के पास आए और उसे चूमा और कहा "इसमें कोई शक नहीं, मुझे पता है कि तुम एक पत्थर हो और न तो किसी को फायदा पहुंचा सकते हो और न ही किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को तुम्हें चूमते नहीं देखा होता तो मैं तुम्हें चूमता ही नहीं।"

सहीह मुस्लिम 1271a: मैंने उमर (रज़ि.) को पत्थर को चूमते और उससे लिपटते हुए देखा और कह रहे थे: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को तुमसे बहुत प्यार करते देखा।

सहीह बुखारी 1603: मैंने अल्लाह के रसूल (स.) को मक्का पहुंचते देखा; उन्होंने तवाफ़ करते समय सबसे पहले काले पत्थर के कोने को चूमा और सात चक्कर (तवाफ़) किया जिनमें पहले तीन चक्करों में रमल किया (तेजी से चलना) ।

तिर्मिज़ी 959: "इब्न उमर दोनों कोनों पर चिपके हुए थे (जिस तरह से मैंने पैगंबर (स.) के किसी भी साथी को ऐसा करते नहीं देखा था) इसलिए मैंने कहा: 'हे अबू अब्दुर-रहमान! आप दो कोनों पर इस तरह से चिपके हुए हैं कि मैंने पैगंबर (स.) के किसी भी साथी को ऐसा करते नहीं देखा।' तो उन्होंने कहा: 'मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल को यह कहते हुए सुना है: " इसे छूने से पापों का प्रायश्चित होता है।" और मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना: "जो कोई इस घर के चारों ओर सात बार तवाफ़ करता है और उसका हिसाब रखता है, तो वह ऐसा है जैसे उसने एक गुलाम को आज़ाद कर दिया।" और मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना: " जबकि एक पैर नीचे रखा नहीं जाता है और दूसरा उठाया नहीं जाता है, तब तक अल्लाह उसके एक पाप को दूर कर देता है और उसके लिए एक अच्छा पुण्य लिख देता है।" **[यही बयान: हदीस अन-नसाई 2919]**

हदीस तिर्मिज़ी 961: अल्लाह के रसूल ने (काले) पत्थर के बारे में कहा: "अल्लाह की कसम! अल्लाह इसे क़यामत के दिन दो आँख देकर उठाएगा जिससे यह देखेगा और ज़बान से बोलेगा, जो सच्चाई से इसे छूने वाले की गवाही देगा।" (हसन)

सहीह मुस्लिम 5939: जाबिर बिन समुरा ने अल्लाह के रसूल (स.) को यह कहते हुए वर्णित किया: मैं मक्का में उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मेरे पैगंबर के रूप में आने से पहले मुझे सलाम करता था और मैं उसे अब भी पहचानता हूँ।

हदीस तिर्मिज़ी 877: अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: "काला पत्थर जन्नत से उतरा, और यह दूध से भी अधिक सफेद था, फिर यह आदम की संतानों के पापों से काला हो गया।"

अल-तबारी खंड 1, पृष्ठ 303: उन्होंने कहा: तुम इसे पत्थर कहते हो? मैंने कहा: क्या यह पत्थर नहीं है? उन्होंने कहा: वास्तव में, मुझे 'अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बताया था कि यह एक सफेद रत्न था जिसे आदम ने स्वर्ग से बाहर निकाला और अपने आँसू पोंछने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि स्वर्ग से निकलने के बाद, उनके आँसू दो हज़ार साल तक नहीं रुके, यहाँ तक कि वह वापस लौट गए और इबलीस उनके साथ कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। मैंने उनसे कहा: अबू अल-हज्जाज, यह क्यों और कैसे काला हो गया? उन्होंने उत्तर दिया: जाहिलियत में मासिक धर्म वाली महिलाएं इसे छूती थीं, यानी इस्लाम से पहले का अंधकार युग।

हदीस इब्न माजा 2980: जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा: "हमने हज के लिए अपनी तल्बिया अल्लाह के रसूल (स.) से ही शुरू की, और हमने इसे 'उमरा' के साथ नहीं मिलाया। हम मक्का पहुंचे जब ज़ुल-हिज्जा की चार रातें बीत चुकी थीं, और जब हमने काबा के चारों ओर तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा के बीच सई की, तो अल्लाह के रसूल (स.) ने हमें इसे 'उमरा' में बदलने, एहराम से बाहर आने और अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाने का आदेश दिया। हमने कहा: 'अरफा तक केवल पाँच (दिन) हैं। क्या हम अपने पुरुष अंगों से वीर्य टपकाते हुए बाहर निकलेंगे?' अल्लाह के रसूल (स.) ने कहा: 'मैं तुममें सबसे नेक और सच्चा हूँ, और अगर कुर्बानी (पशु बलि) न होती, तो मैं एहराम से बाहर निकल जाता।' सुराका बिन मालिक ने कहा: 'क्या यह तमत्तु (परंपरा) केवल इसी वर्ष के लिए है या हमेशा के लिए?' उन्होंने कहा: 'नहीं, यह हमेशा के लिए है।'

क़ुरआन 2:158: बेशक! अस-सफ़ा और अल-मरवा (मक्का में दो पहाड़) अल्लाह की निशानियों में से हैं। अतः जो व्यक्ति काबा में हज या उमरा करके, उन दोनों (अस-सफा और अल- मरवा) के बीच तवाफ़ करे तो कोई पाप नहीं है। और जो व्यक्ति स्वेच्छा से अच्छा काम करे, तो निस्संदेह अल्लाह सब कुछ पहचानने वाला, जानने वाला है।

तफ़सीर कुरान 2:158 (इब्न अब्बास): फिर अल्लाह ने विश्वासियों की अल-सफा और अल-मरवा के बीच रखी मूर्तियों के सामने जाने

की नापसंदगी का उल्लेख किया, कहा: देखो! अल-सफा और अल-मरवा के चारों ओर घूमना हज के उन संस्कारों में से हैं जिनका आदेश अल्लाह ने दिया है। (इसलिए यह कोई पाप नहीं है) कोई व्यक्ति (उसके लिए जो काबा की तीर्थ यात्रा पर है या इसे देखने जाता है), उनके चारों ओर चक्कर लगाने से कोई अपराध नहीं करता है (जैसा कि बुतपरस्त प्रथा थी) ।

तफ़सीर कुरान 2:158 (अल-जलालायन): मुसलमान इस परिक्रमा के विरोधी (नापसंद) थे क्योंकि बुतपरस्त अरब उनके चारों ओर परिक्रमा करते थे और प्रत्येक पहाड़ के ऊपर एक मूर्ति थी जिसे वे सहलाते थे।

हदीस सहीह बुखारी 1648: "आसिम से रिवायत है: मैंने अनस बिन मालिक से पूछा: "क्या आप सफा और मरवा के बीच तवाफ़ करना नापसंद करते थे?" उन्होंने कहा, "हाँ, जैसा कि यह अज्ञानता के इस्लाम-पूर्व काल के दिनों के समारोहों में होता था, जब तक कि अल्लाह ने **कुरान 2:158** प्रकट नहीं की।

अगर ईश्वर हर जगह है, तो एक इमारत (काबा) को केंद्र क्यों बनाया गया है, दुनिया भर के मुसलमान इसकी ही दिशा में नमाज़ पढ़ते हैं। काबा का तवाफ़ (चक्कर लगाना) और चूमना (हज्र-ए-असवद, काला पत्थर) प्रतीकात्मक होते हुए भी मूर्ति-पूजा जैसे लगते हैं। व्यवहार में यह विशेष पवित्र वस्तु बन जाता है। पृथ्वी गोल होने से कहीं भी बैठकर सही काबा की ओर मुख करना हमेशा संभव नहीं है।

हज पर पशु बलि (कुर्बानी)

इब्न इस्हाक़, *सीरत रसूल अल्लाह* (अंग्रेज़ी अनुवाद), पृष्ठ 38: काबा के साथ-साथ अरबों ने तवाघीत को भी अपना लिया था, जो मंदिर थे जिन्हें वे उसी तरह पूजते थे जैसे काबा को पूजते थे। उनके संरक्षक और देखरेख करने वाले होते थे और वे उनके लिए भेंट चढ़ाते थे जैसे वे काबा के लिए करते थे, और उनके चारों ओर तवाफ करते थे तथा उनके पास बलि देते थे।

इब्न इस्हाक़, *सीरत रसूल अल्लाह* (अंग्रेज़ी अनुवाद), पृष्ठ 93: अब्दुल्लाह बिन काब ने कहा, तब उमर ने कहा, "मैं अज्ञानता के समय कुरैश के कुछ लोगों के साथ एक मूर्ति के पास खड़ा था, जब एक अरब ने एक बछड़े की बलि दी। हम वहाँ खड़े थे यह उम्मीद करते हुए कि हमें उसका कुछ हिस्सा मिलेगा, तभी मैंने उस बछड़े के पेट से एक आवाज़ सुनी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, बहुत तीखी और गहरी।

इब्न इस्हाक़, *सीरत रसूल अल्लाह* (अंग्रेज़ी अनुवाद), पृष्ठ 202: तश्रिक के दिन बलि के दिन के बाद आने वाले तीन दिन होते हैं, यानी 11वाँ, 12वाँ और 13वाँ ज़िल-हिज्जा।

हर मुसलमान जो सक्षम हो (क़ुर्बानी की हैसियत वाला) है उस पर इसे छोड़ना गुनाह माना जाता है

क़ुरआन 37:102: "जब वह (इस्माईल) उनके साथ दौड़ने-फिरने की उम्र को पहुँच गए तो इब्राहीम ने कहा बेटा! मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे क़ुर्बान कर रहा हूँ, सोचो तुम क्या कहते हो।" बेटा बोला "अब्बा! जैसा आपको हुक्म दिया गया है वैसा ही करिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएँगे।"

क़ुरआन 37:107: "और हमने उसके बदले एक बड़ी क़ुर्बानी दे दी।"

बकरीद का त्यौहार पैगंबर इब्राहिम की याद में मनाया जाता है जो अल्लाह के कहने पर अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे। लेकिन जब वह उसकी गर्दन काट रहे थे, तो अल्लाह ने उसकी जगह एक दुम्बा (भेड़) रख दिया। साथ ही, इस कहानी के माध्यम से मौलाना, मुसलमानों से तर्क या आत्म-विवेक की अवहेलना करने और अल्लाह के आदेशों का पालन करने के लिए कहते हैं।

क़ुरआन 108:2: "तो तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुर्बानी करो।"

क़ुरआन 22:37: "ना तो उनके गोश्त अल्लाह तक पहुँचते हैं और ना उनका खून; अल्लाह तक तो सिर्फ़ तुम्हारा तक़्वा (अल्लाह का हुक्म मानना) पहुँचता है।"

हदीस तिर्मिज़ी 1493: "क़ुर्बानी के खून की पहली बूँद गिरने से पहले अल्लाह उस बंदे के गुनाह माफ़ कर देता है।"

ज़मज़म का पानी पीना

ज़मज़म कुआँ: यह **काबा** से लगभग 20 मीटर की दूरी पर, मस्जिद अल-हरम परिसर के भीतर स्थित है।

तारीख़ अल-तबरी, खंड 6, पृष्ठ 15: यही वह व्यक्ति थे (अब्दुल-मुत्तलिब) जिन्होंने ज़मज़म की खोज की जो कि इब्राहीम के पुत्र इस्माईल का कुआँ माना जाता है और वहाँ दबाई गई वस्तुओं को बाहर निकाला। कहा जाता है कि जुर्हुम क़बीले ने मक्का से निकाले जाते समय वहाँ दो सोने की गज़ेलें (हिरण की आकृतियाँ), क़लई तलवारें और कवच दबा दिए थे। अब्दुल-मुत्तलिब ने उन तलवारों से काबा का दरवाज़ा बनवाया और गज़ेलों को सोने की पत्तियों के रूप में उस दरवाज़े पर मढ़वाया। कहा जाता है कि यही पहली बार था जब काबा को सोने से अलंकृत किया गया।

इब्न इस्हाक़, *सीरत रसूल अल्लाह* (अंग्रेज़ी अनुवाद), पृष्ठ 37: क़ुरैश के पास काबा के बीच स्थित एक कुएँ के पास हुबल नाम का एक देवता (मूर्ति) था। और उन्होंने इसाफ़ (या आसाफ़) तथा नाइला को ज़मज़म के स्थान के पास अपना लिया था, और उनके पास बलि चढ़ाया करते थे। वे दोनों जुर्हुम क़बीले के एक पुरुष और एक स्त्री थे, इसाफ़ बिन बग़ी और नाइला बिन्त दिक जिन पर काबा के भीतर यौन संबंध रखने का अपराध आरोपित किया गया था; इसलिए ईश्वर ने उन्हें दो पत्थरों में बदल दिया।

इब्न इस्हाक़, *सीरत रसूल अल्लाह* (अंग्रेज़ी अनुवाद), पृष्ठ 64: "इसके बाद 'अब्दुल-मुत्तलिब ने तीर्थयात्रियों को ज़मज़म का पानी उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी संभाली।"

तारीख़ अल-तबरी, खंड 6, पृष्ठ 78: "जिब्रील (अलै.) मीकाईल (अलै.).....फिर वे ज़मज़म का पानी लाए और उसके द्वारा उनके (पैग़म्बर स.) सीने में मौजूद संदेह, या बहुदेववाद, या इस्लाम-पूर्व मान्यताओं, या किसी भी प्रकार की त्रुटि को धोकर दूर कर दिया। " [**सहीह बुखारी, हदीस 349]**

सुनन इब्न माजाह, हदीस संख्या 3062: ज़मज़म का पानी उसी मक़सद के लिए है जिसके लिए वह पिया जाए।"

नमाज़, वुज़ू

यद्यपि कुरान में अनिवार्य प्रार्थना के लिए **'सलात'** शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन जब इस्लाम का विस्तार फारस में हुआ, तो वहां के लोगों ने इसके लिए मध्य-फारसी शब्द **'नमाज़'** को अपनाया।

यहूदी धर्म: ऐतिहासिक रूप से, यहूदी परंपरा में दिन में **तीन बार नमाज़** (प्रार्थना) का विधान है: शाचरित (सुबह), मिन्चा (दोपहर) और मारिव (शाम)।

कुरान का उल्लेख: पवित्र कुरान के पाठ में स्पष्ट रूप से प्रार्थना के **तीन समयों** का उल्लेख मिलता है: सलात अल-फज्र (भोर), सलात अल-इशा (रात) और सलात अल-वुस्ता (मध्य प्रार्थना) जैसे **सूरह हुद 114**, **सूरह अल-इसरा 78**। हालांकि, बाद में इस्लामी परंपरा में इसे पांच दैनिक प्रार्थनाओं के रूप में स्थापित किया गया।

पारसी धर्म: इस्लाम से बहुत पहले से, पारसी धर्म के अनुयायी दिन में **पाँच नमाज़** (गह) पढ़ते थे, जो दिन के विशिष्ट पहरों (भोर, दोपहर, दोपहर बाद, शाम और रात) के अनुसार निर्धारित थीं। **"फ्रॉम जोरोस्ट्रियन ईरान टू इस्लाम: स्टडीज इन रिलिजियस हिस्ट्री एंड इंटरकल्चरल कॉन्टेक्ट्स" – लेखक: शॉल शेकेड (1995) ।**

शुद्धता और वज़ू

प्रार्थना से पहले की जाने वाली सफाई, जिसे **वज़ू** कहा जाता है, पारसी प्रथाओं में गहराई से निहित है। पारसी धर्म में प्रार्थना से पहले हाथ-पैर धोना और शारीरिक व आध्यात्मिक शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य माना गया है।

धर्म	पारसी	यहूदी	इस्लाम
नाम	गह / नमाज़	टेफिला	सलात / नमाज़
दैनिक संख्या	**5**	**3**	**5** (कुरान में 3 का उल्लेख)
हाथ-पैर धोना	**पाति-आब** अनिवार्य	अनुष्ठानिक धुलाई (**नेतिलात यादयिम**)	अनिवार्य
दिशा	सूर्य या अग्नि की ओर	यरूशलेम की ओर	मक्का (काबा) की ओर

खतना

इस्लाम में खतना इब्राहिम (अलै.) की सुन्नत का हिस्सा माना जाता है। पैगंबर मुहम्मद (स.) की हदीसों में इसे स्वच्छता के लिए आवश्यक बताया गया है। खतना की उत्पत्ति और इतिहास काफी प्राचीन है।

प्राचीन मिस्र

खतना के सबसे पुराने पुरातात्विक प्रमाण **प्राचीन मिस्र** (**2400 ईसा पूर्व**) से मिलते हैं। सक्कारा के मकबरे में बने चित्रों में वयस्कों का खतना करते हुए दिखाया गया है। मिस्र में यह स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक था। यह अक्सर पुजारियों और अभिजात वर्ग के लिए अनिवार्य था ताकि वे पवित्र मंदिरों में प्रवेश कर सकें।

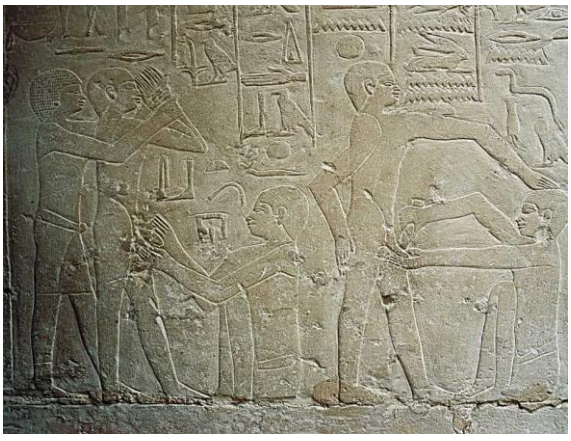

यहूदी धर्म

धार्मिक दृष्टिकोण से, खतना की शुरुआत **हजरत इब्राहिम** से मानी जाती है। **बाइबिल: जेनेसिस 17** के अनुसार, ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक 'अनुबंध' किया, जिसके प्रतीक के रूप में उनके और उनके वंशजों के लिए खतना अनिवार्य किया गया। यहूदी परंपरा इसे **'ब्रित मिलाह'** कहा जाता है, जो जन्म के आठवें दिन किया जाता है।

अफ्रीकी और आदिवासी संस्कृतियाँ

मिस्र के अलावा, अफ्रीका के कई कबीलों और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों में खतना सदियों से प्रचलित रहा है। वहां इसे **'वयस्कता में प्रवेश'** के रूप में देखा जाता है। जब लड़का बचपन से जवानी की ओर कदम बढ़ाता था, तो उसकी बहादुरी परखने के लिए यह संस्कार किया जाता है।

"**ए हिस्ट्री ऑफ सरकमसिजन: फ्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट**" – लेखक: पी.सी. रेमोंडिनो (खतना का इतिहास: प्राचीन काल से वर्तमान तक)

"**सरकमसिजन: ए हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल सर्जरी**" – लेखक: डेविड एल. गोलहर (दुनिया की सबसे विवादास्पद सर्जरी का इतिहास)

सलाम करना

सलाम इस्लाम की खोज नहीं, यह शब्द इस्लाम-पूर्व अरब समाज और उससे भी पहले सेमिटिक भाषाई परंपरा में मौजूद था। यहूदी हिब्रू अभिवादन में **शलोम अलेखेम** (तुम पर शांति हो) और जवाब में **अलेखेम शलोम** (तुम पर भी शांति हो) कहते हैं। मुसलमान: **अस्सलामु अलैकुम** और **व अलैकुमुस्सलाम** कहते हैं; अधिकांश पुराने इस्लामी विद्वानों के अनुसार: ग़ैर-मुस्लिम को पहले "अस्सलामु अलैकुम" कहना पसंद नहीं किया गया लेकिन अगर वे पहले कहें, तो जवाब दिया जाएगा: "व अलैकुम" (पूरा "व अलैकुमुस्सलाम"नहीं)।

यहाँ कुछ ही परंपरा के स्रोत बताए गए हैं। इच्छुक लोग इंटरनेट पर और जानकारी खोज सकते हैं।"

अध्याय 15. दावा:कुरान में विरोधाभास नहीं हैं

कुरआन 4:82: तो क्या वे कुरान पर ग़ौर से नहीं सोचते? अगर यह अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ़ से होता तो वे इसमें बहुत-सा विरोधाभास पाते।

कुरान यह भी कहता है कि "यह वह किताब है जिसमें कोई शक और संदेह नहीं.." (**Q 2:2: ..ला-रैब फीह**).

हालाँकि दावे बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन जब बारीकी से देखा जाता है तो कई विरोधाभास सामने आते हैं।

क़ुरआन में अल्लाह पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्ति —तीनों अंदाज़ों में हैं।

अल्लाह का "पहला व्यक्ति" में बोलना:

✓ *"मैं"*

"निःसंदेह *मैं* ही अल्लाह हूँ।" (सूरह ताहा 20:14)

"*मैं* ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ।" (सूरह बक़रह 2:30)

✓ *"हम"*

"बेशक *हम* ही ने यह ज़िक्र उतारा।" (सूरह हिज्र 15:9)

"और बेशक *हमने* इंसान को पैदा किया।" (सूरह हिज्र 15:26)

"*हमने* आपको कौसर दिया।" (सूरह कौसर 108:1)

अल्लाह का "दूसरा व्यक्ति" में मुख़ातिब होना:

✓ सूरह फ़ातिहा

"हम *तेरी* ही इबादत करते हैं।"(1:5)

"और *तुझ* ही से मदद मांगते हैं।"(1:5)

"हमें सीधा रास्ता दिखा।"(1:6)

अल्लाह का "तीसरा व्यक्ति" में बोलना

"वह अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं।"(सूरह हश्र 59:22)

"अल्लाह—वही है ज़िंदा और क़ायम।" (आयतुल कुर्सी — बक़रह 2:255)

"अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है।"(सूरह ज़ुमर 39:62)

"वही है जिसने तुम्हें पैदा किया।"(सूरह तग़ाबुन 64:3)

भ्रम को छिपाने के लिए "'कह दीजिए'" शब्द जोड़ना

कुरान में कम से कम 8 ऐसी जगहें हैं जहाँ 'कह दीजिए' शब्द को (अनुवादकों द्वारा) अपनी तरफ से जोड़ा गया है: **2:286, 6:104, 6:114, 11:2-3, 19:36, 27:91, 42:10, 51:50-51**, ताकि यह लगे कि अल्लाह, मुहम्मद **(स.)** को बोलने का आदेश दे रहा है। क्योंकि यदि शब्द मुहम्मद (स.) के हैं, तो यह किताब 'ईश्वरीय' कैसे हुई? यह भाषाई जोड़ साबित करता है कि मूल पाठ इतना अपूर्ण था कि उसे 'ईश्वरीय' दिखाने के लिए अनुवादकों को "एक्स्ट्रा शब्द" जोड़ने पड़े।

कुरान 6:114: "(कह दीजिए:) 'क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को फैसला करने वाला (हाकिम) तलाश करूँ? जबकि उसने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें 'सब कुछ खोलकर' (मुफस्सलन) बयान कर दिया गया है।' .....।"

कुरान 19:36: और (**ईसा ने कहा**): 'बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, अतः तुम उसी की इबादत करो। यही सीधा रास्ता (सिरात-ए-मुस्तकीम) है।

कुरान 27:91: (ऐ मुहम्मद, कह दीजिए:) मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर (मक्का) के रब की इबादत करूँ, जिसने इसे आदरणीय (हराम) बनाया है और हर चीज़ उसी की है; और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आज्ञाकारी (मुसलमानों) में से रहूँ।"

कुरान 6:104: ".....और (**ऐ नबी! उनसे कह दो कि**) मैं तुम पर कोई 'हफीज़' (निगरानी करने वाला) नहीं हूँ।"

कुरान 11:2: " (कह दो)....कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। बेशक, मैं (मुहम्मद) उसकी ओर से तुम्हें सचेत करने वाला (डराने वाला) और खुशखबरी देने वाला हूँ।"

'किताब अल-मसाहिफ' में यह बहस मिलती है कि क्या कुरान के शब्दों में 'क़ुल' (कहिए) को हर जगह लिखा जाना चाहिए या नहीं।

फ़रिश्तों के पंख

क़ुरआन 35:1: "सब प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो आकाशों और धरती का उत्पन्न करने वाला है, जिसने फ़रिश्तों को संदेशवाहक बनाया—दो-दो, तीन-तीन और चार-चार पंखों वाले।

सहीह बुख़ारी 455: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने **हज़रत जिब्रील (अलै.)** को देखा, और उनके **छः सौ पंख** थे।

जहन्नम का ईंधन

क़ुरआन 21:98: निश्चय ही तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, सब जहन्नम का ईंधन हो; तुम सब उसमें प्रवेश करने वाले हो।

मन-गढ़ंत झूठे देवता अगर निर्जीव हैं (पत्थर, मूर्ति), तो उन्हें "सज़ा" कैसे दी जाएगी और कोई व्यक्ति सिर्फ़ इस वजह से जहन्नम में क्यों जाएगा कि बाद के लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी।

आंतरिक विरोधाभास

क़ुरआन को "इंसानी" कहने वालों को अल्लाह ने कितनी सूरह लाने की चुनौती दी?

क़ुरआन, 2:23: और यदि तुमको इसमें कुछ सन्देह हो, जो हमने अपने बन्दे (मुहम्मद स.) पर उतारा है, तो इसके समान कोई सूरह बना लाओ, और अल्लाह को छोड़कर अपने सब समर्थकों को बुला लो, यदि तुम सच्चे हो।

क़ुरआन 10:38: क्या वे कहते हैं कि उसने (मुहम्मद स.) इसे गढ़ लिया है? कह दो: 'तो तुम भी इसकी जैसी एक ही सूरह ले आओ और अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम बुला सकते हो, उन्हें भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।

क़ुरआन 11:13: क्या वे कहते हैं कि उसने इसे गढ़ लिया है? कह दो: 'तो तुम भी इसकी जैसी दस गढ़ी हुई सूरहें ले आओ और अल्लाह के अलावा जिन्हें बुला सकते हो, उन्हें भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।

क़ुरान 17:88: कह दो: "यदि मनुष्य और जिन्न इस क़ुरान के समान बनाने के लिए एक साथ होते, तो वे इसके समान नहीं बना सकते, भले ही वे एक दूसरे की सहायता करें।"

मुस्लिम उलेमा: यह चुनौती पहले **दस सूरह** थी । फिर आगे और आयतों में इसे **एक सूरह** पर ला दिया गया, ताकि साबित हो कि कोई भी इसे नहीं बना सकता।

**** पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने एक बार एक आयत पढ़ दी थीं जो शैतान की तरफ़ से थीं लेकिन अल्लाह ने उसे रद्द कर दिया। "मतलब यह कि शैतान आयत बनाने की क्षमता रखता है"**

क्या अल्लाह अकेले पैदा करने वाला नहीं है?

क़ुरआन 23:14: "तो बरकत वाला है अल्लाह — सब पैदा करने वालों में सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला।"
आयत 23:14 में "अहसानुल-ख़ालिक़ीन" (सबसे बेहतरीन पैदा करने वालों) — "ख़ालिक़ीन" को पढ़कर लगता है कि "ख़ालिक़ीन" = "बहुत सारे पैदा करने वाले" हैं, जैसे कि अल्लाह अकेले पैदा करने वाला नहीं है।

क़ुरआन 39:62: "अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है।"

संरक्षक अकेले अल्लाह या फ़रिश्ते भी?

क़ुरआन 41:31: "जो लोग कहते हैं कि हमारे पालनहार अल्लाह हैं, फ़रिश्ते उनसे कहते हैं: 'हम तुम्हारे जीवन और आने वाले जीवन में तुम्हारे संरक्षक हैं।'"

क़ुरआन 2:107: "तुम्हारे लिए (अल्लाह के सिवा) न कोई संरक्षक है और न कोई मददगार।"

क़ुरआन 29:22: "हम किसी भी जगह (धरती या आकाश) असमर्थ नहीं हैं, और अल्लाह के सिवा हमारे कोई रक्षक या सहायक नहीं हैं।"

**** क़ुरआन 29:22 में कौन बोल रहा है? अल्लाह, मुसलमान या फ़रिश्ते**

क्या अल्लाह जादू की इजाज़त देता है?
अल्लाह ने मना किया –

क़ुरआन 113:4: और मैं पनाह माँगता हूँ उन औरतों (या लोगों) की बुराई से जो गांठों में फूँक मारते हैं।
यहाँ 'गांठों में फूँक मारना' यानी काला जादू, तंत्र-मंत्र करने वालों की बुराई से पनाह माँगी गई।

अल्लाह की इजाज़त के बिना कोई जादू नहीं चलता -

क़ुरआन: 20:65-69: जादूगरों ने मूसा से कहा: या तो तुम पहले डालो (अपनी लाठी) या हम पहले जादू दिखाएँ। इसके बाद में मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, जो अजगर बन गई और जादूगरों का जादू निगल गई।

गुमराही का कारण कौन बनता है?

अल्लाह - क़ुरआन 6:25: उनमें से कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी (बात) सुनते हैं, पर **हमने उनके दिलों पर परदे डाल दिए हैं कि वे इसे समझ न सकें**, और उनके कानों में बोझ (बहरापन) डाल दिया है। और चाहे वे हर निशानी देख लें, तब भी उस पर ईमान नहीं लाएँगे। यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास आते हैं, तो तुमसे झगड़ते हैं और काफ़िर कहते हैं: यह तो बस कहानियाँ हैं।

क़ुरआन 28:56: तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है।

क़ुरआन 35:8: फिर क्या वह व्यक्ति जिसके लिए **उसका बुरा काम सुंदर बना दिया गया** और उसने उसे अच्छा समझ लिया... **अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है** और जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है।

क़ुरआन 10:100: और किसी व्यक्ति के लिए ईमान लाना मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह की अनुमति हो और **वह गुमराही डालता** है उन पर जो अक़्ल से काम नहीं लेते।

अल्लाह गुमराह नहीं करता - क़ुरआन 9:115: अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह किसी क़ौम को (सही राह पर लाने के बाद) गुमराह कर दे जब तक कि वह उनके लिए वह चीज़ें साफ़ तौर पर बयान न कर दे जिनसे उन्हें बचना चाहिए। निःसंदेह अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है।

शैतान बहकाता है - क़ुरआन 15:39: उसने (इब्लीस ने) कहा: 'ऐ मेरे रब! जिस कारण तूने मुझे गुमराह किया है, मैं ज़रूर इंसानों के लिए धरती पर बुराई को सुंदर बना दूँगा और सब को गुमराह कर दूँगा'...

क़ुरआन 114:4-5: जो शैतान लोगों के दिलों में वसवसे डालता है — इंसानों और जिन्नों में से।

क़ुरआन 4:119: और मैं (शैतान) उन्हें आदेश दूँगा तो वे अल्लाह की बनाई चीज़ों को बदल देंगे। और जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया, उसने खुली गुमराही पकड़ी।

खुद इंसान - क़ुरआन 9:70: क्या उनके पास उन लोगों की ख़बर नहीं आई जो उनसे पहले थे - नूह की क़ौम, आद, समूद, इब्राहीम की क़ौम के लोग, मदयन वाले और उल्टी बस्तियाँ? उनके पास उनके रसूल स्पष्ट निशानियाँ लेकर आए - तो अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता था, बल्कि वे खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे।

क़ुरआन 6:12: कहो: 'आसमानों और धरती में जो कुछ है वह किसका है?' कह दो: 'अल्लाह का।' उसने अपनी रहमत अपने ऊपर लाज़िम कर ली है। वह तुम सबको क़ियामत के दिन ज़रूर इकट्ठा करेगा - इसमें कोई शक नहीं - जिन्होंने अपने आपको घाटे में डाला, वही ईमान नहीं लाते।

क़ुरआन 30:9: क्या उन्होंने धरती में चलकर नहीं देखा कि उनसे पहले के लोगों का क्या अंजाम हुआ? वे उनसे कहीं ज़्यादा ताक़तवर थे, उन्होंने धरती को जोता-खोदा, और तुमसे कहीं ज़्यादा आबाद किया । उनके पास उनके रसूल साफ़ निशानियाँ लेकर आए - फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, बल्कि वे खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे।

क्या के अल्लाह शब्द में बदलाव होता है?

बदलाव नहीं होता है:

क़ुरआन 6:115: आपके रब का वचन सत्य और न्याय में पूरा होता है; कोई उसके शब्दों को बदल नहीं सकता। निश्चय ही वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है।

क़ुरआन 6:34: तुमसे पहले भी रसूलों को झुठलाया गया, तो उन्होंने उनके झूठलाए जाने और सताए जाने को सब्र के साथ सहा, यहाँ तक कि हमारी मदद पहुँची। अल्लाह के शब्दों को कोई बदल नहीं सकता। तुम तक पहले रसूलों के कुछ समाचार पहुँच ही चुके हैं।

क़ुरआन 10:64: उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशख़बरी है और आख़िरत में भी। अल्लाह के शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। यही सबसे बड़ी सफलता है।

हाँ, बदलाव होता है:

क़ुरआन 2:106: हम जो कोई आयत रद्द (मंसूख़) करते हैं या भुला देते हैं, तो उससे बेहतर या उसी जैसी दूसरी लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर सक्षम है?

क़ुरआन 16:101: जब हम एक आयत के बदले दूसरी आयत लाते हैं - और अल्लाह जानता है जो वह उतारता है तो वे कहते हैं: 'तुम झूठ गढ़ रहे हो।' बल्कि उनमें से अधिकतर नहीं समझते।

अहले किताब (यहूद व नसारा) ने अपनी किताबों में (जो कि अल्लाह के शब्द थे) -- बदलाव किया:
क़ुरआन 2:75: क्या (ऐ मुसलमानो!) तुम्हें उनसे यह उम्मीद है कि वे तुम पर ईमान लाएँगे? हाँ! उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझ कर बदल डालते हैं।
क़ुरआन 2:79: फिर अफ़सोस है उन पर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं: 'यह अल्लाह की तरफ़ से है,' ताकि इसके बदले थोड़ी क़ीमत हासिल कर लें। तो अफ़सोस है उन पर उनके हाथों की लिखाई पर और अफ़सोस है उस कमाई पर जो वे इससे कमाते हैं।

अल्लाह कहाँ है और उसका एक दिन कितना लम्बा है?

अल्लाह हर जगह / क़रीब है:

क़ुरआन 2:115: पूरब और पश्चिम अल्लाह के हैं, जिधर भी तुम रुख करो वही अल्लाह का चेहरा है।

क़ुरआन 2:186: और (ऐ नबी) जब मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछें तो (कह दो) मैं क़रीब हूँ...

क़ुरआन 50:16: हम तो उस इंसान की गर्दन की शिरा (नस) से भी ज़्यादा क़रीब हैं।

अल्लाह अर्श (तख़्त) पर है:

क़ुरआन 57:4: फिर वह तख़्त (अर्श) पर क़ाबिज़ हुआ।

क़ुरआन 11:7: और उसका अर्श पानी पर था।

काफ़ी दूर

क़ुरआन 32:5: "वह आकाश से धरती तक हर कार्य का संचालन करता है; फिर वह (फ़रिश्ते) उसकी ओर ऐसे एक दिन में लौटता है, जिसकी अवधि तुम्हारी गणना के अनुसार एक हज़ार वर्ष के बराबर होती है।"

क़ुरआन 70:4: फ़रिश्ते और रूह उसकी ओर ऐसे एक दिन में चढ़ते हैं, जिसकी अवधि पचास हज़ार वर्ष के बराबर होती है।

क्या अल्लाह को देखा जा सकता है?

कोई नहीं देख सकता --

क़ुरआन 6:103: आंखें उसे पकड़ नहीं सकतीं, मगर वह सब आँखों को पकड़ लेता है। वही बारिक-बीन और ख़बर रखने वाला है।

कुछ इज़हार या पर्दे के पीछे से बातचीत --

क़ुरआन 42:51: किसी इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे सिवाय वही (दिव्य प्रेरणा, आयत) के या पर्दे के पीछे से...

क़ुरआन 7:143: और जब मूसा हमारे निर्धारित समय पर आए और उनके रब् ने उनसे बात की, उन्होंने कहा: 'मेरे रब! मुझे दिखा दे (कि) मैं तुझको देख सकूँ।'

क़ुरआन 2:36: फिर आदम को उसके रब ने बातें बताई...

सीधा दीदार --

क़ुरआन 68:42: "उस दिन जब (अल्लाह का) पिंडली का हिस्सा उजागर होगा, और उन्हें सज्दा के लिए बुलाया जाएगा, पर वे सज्दा नहीं कर पाएँगे।"

क़ुरआन 75:22-23: "उस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे,अपने रब की ओर नज़र करते हुए।"

क़ुरआन 83:15: "हरगिज़ नहीं! उस दिन वे लोग अपने रब से छुपा दिए जाएँगे (उन्हें अल्लाह को देखने नहीं दिया जाएगा)।"

हदीस सहीह बुखारी 7434, 7436, सहीह मुस्लिम 182a: "तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे पूरनमासी के चाँद को देखते हो; और उसे देखने में तुम्हें कोई धक्का-मुक्की या कठिनाई नहीं होगी।" (कुछ उलमा कहते हैं कि मेराज में रसूलुल्लाह ने सीधे अल्लाह से बात की, कुछ कहते हैं — यह भी नूर/हिजाब के पीछे से था।)

क्या अल्लाह इंसान जैसा हैं?

इंसान जैसा नहीं —

क़ुरआन 42:11: उसके जैसी कोई चीज़ नहीं — और वही सुनने वाला, देखने वाला है।

हाँ है —

क़ुरआन 55:27: और तुम्हारे रब का चेहरा, जो इज़्ज़त वाला और इकराम वाला है, बाक़ी रहेगा।

क़ुरआन 20:39: मैंने तुम पर अपनी तरफ़ से मोहब्बत डाली ताकि तुम मेरी निगरानी में तैयार किए जाओ।

क़ुरआन 5:64: यहूदी कहते हैं: अल्लाह का हाथ बंद है... बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं...

क़ुरआन 38:74-75: मैंने अपने दोनों हाथों से आदमी को पैदा किया...

क़ुरआन 39:67: क़ियामत के दिन पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी...

क़ुरआन 68:42: जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी... (क़ियामत की हालत का बयान)

क़ुरआन 69:17: और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श (सिंहासन) उनके ऊपर होगा...

क्या बिना जोड़ा (साथी) के बेटा हो सकता है?

हो सकता है —

क़ुरआन 3:47: "मरियम ने कहा: 'हे मेरे रब! मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं?' (फ़रिश्ते ने) कहा: 'ऐसा ही होगा। अल्लाह जिसे चाहता है पैदा कर देता है। जब वह किसी बात का फ़ैसला कर लेता है, तो बस उससे कहता है: 'हो जा', और वह हो जाती है।"

क़ुरआन 66:12: और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की — तो हमने उसमें अपनी रूह फूंकी...

बिना साथी के कैसे होगा —

क़ुरआन 6:101: आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला — वह कैसे औलाद रख सकता है, जबकि उसकी कोई संगिनी (साथी/पत्नी) नहीं है?

क़ुरआन 39:4: "अगर अल्लाह चाहता कि वह कोई औलाद बना ले, तो जो उसकी पैदा की हुई चीज़ों में से वह चाहता, चुन लेता। लेकिन (हक़ीक़त यह है कि) वह इससे पाक है। वह तो एक अकेला प्रभु है, सब पर क़ाबू रखने वाला।"

क्या शिर्क (मूर्तिपूजा) एक अक्षम्य पाप है?

अक्षम्य—

क़ुरआन 4:48: निःसंदेह, अल्लाह उस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इससे कम जो कुछ है उसे वह जिसे चाहे माफ़ कर देता है। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है उसने तो बहुत बड़ा गुनाह गढ़ लिया।,

क़ुरआन 4:116: निस्संदेह अल्लाह यह नहीं माफ़ करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और इससे नीचे के गुनाह जिसे चाहे माफ़ कर देता है।

क्षमा योग्य —

क़ुरआन 39:53: (ऐ नबी!) कह दो: ऐ मेरे बन्दो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो! निस्संदेह अल्लाह सभी गुनाह माफ़ कर देता है — वह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है।

क़ुरआन 4:153: ..... फिर उन्होंने साफ़ निशानियाँ आ जाने के बाद भी बछड़े (की पूजा) को अपना लिया — मगर हमने फिर भी माफ़ किया और मूसा को साफ़ इख़्तियार दिया।

जिहाद किसके लिए है?

अल्लाह के लिए — क़ुरआन 61:4: निश्चित ही अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में कतारबद्ध होकर ऐसे लड़ते हैं जैसे वे सीसा पिलाई हुई दीवार हों।

सिर्फ़ मुसलमानों के लिए — क़ुरआन 29:6: और जो जिहाद करता है, तो वह केवल अपनी ही भलाई के लिए जिहाद करता है। निःसंदेह अल्लाह सारे जहानों से बे-नियाज़ है।

(बे-नियाज़ - उसे हमारी इबादत से कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हमारा ही है।)

क्या अल्लाह दयालु है?

हाँ — क़ुरआन 1:3: (वह) बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला।

नहीं — क़ुरआन 4:56: जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, उन्हें हम जल्दी ही आग में झोंकेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएँगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे, ताकि वे अज़ाब का स्वाद चखते रहें। निःसंदेह अल्लाह ताक़तवर है, हिकमत वाला है।

कौन ग़ैब जानता है (अदृश्य, जिसे इंसान की पाँचों इन्द्रियाँ महसूस नहीं कर सकतीं)?

सिर्फ़ अल्लाह —

क़ुरआन 6:59: "ग़ैब की चाबियाँ सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता।"

ग़ैब का हिस्सा पैग़म्बर को दिया जा सकता है —

क़ुरआन 72:26-27: "वह ग़ैब का जानने वाला है, और अपने ग़ैब पर किसी को मुत्तलिअ नहीं करता, सिवाय उस रसूल के जिसे वह पसंद करे।"

*** फ़रिश्ते ग़ैब जानते थे —**

क़ुरआन 2:30: "और जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा: 'मैं धरती में एक ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ।'उन्होंने कहा: 'क्या तू उसमें ऐसे को बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और ख़ून बहाएगा? जबकि हम तेरी हम्द के साथ तेरा गुणगान करते और तेरी पवित्रता बयान करते हैं।'अल्लाह ने कहा: 'मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।'"

क्या अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ है?

नहीं — सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए है

क़ुरआन 22:18: क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है, सब अल्लाह को सजदा करते हैं...

हाँ — क़ुरआन 2:34: और जब हमने फ़रिश्तों से कहा: आदम को सजदा करो...

क़ुरआन 12:100: "और उसने अपने माता-पिता को तख़्त पर बिठाया, और उनके सामने सज्दे में गिर पड़े। और उसने कहा: 'ऐ मेरे पिता! यह मेरे पहले सपने की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। ....'"

अगर सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए तो इब्लिस ने आदम को सजदा न करके सही किया?"
क्या हज़रत यूसुफ़ (अ.) किसी इंसान को सज्दा कर सकते थे?

क्या नूह का बेटा डूब गया?

नूह का पूरा परिवार बच गया —

कुरान 21:76: और (याद करो) नूह को, जब उसने (हमें) पहले पुकारा, तो हमने उसकी पुकार क़ुबूल की और उसे तथा उसके घरवालों को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया।

नूह का बेटा डूब गया —

कुरान 11:43: उसने कहा: 'मैं अभी एक पहाड़ पर चला जाऊँगा, जो मुझे पानी से बचा लेगा। (नूह ने) कहा: 'आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर उसने रहम किया। फिर दोनों के बीच लहर आ गई और वह डूबने वालों में से हो गया।"

तफ़सीर कुरान 11:43 (इब्न कसीर): नूह (अलै.) का बेटा याम या कनआन काफ़िरों में से था, उसने सोचा कि ऊँचा पहाड़ उसे बचा लेगा।

फिरऔन ने बच्चों को कब कत्ल करने का हुक्म दिया?

मूसा (अलै.) के बचपन में —

कुरआन 20:39: जब हमने तुम्हारी माँ को यह वह्य की कि उसे (मूसा को) एक संदूक में रखो और उसे दरिया में डाल दो ताकि दरिया उसे किनारे लगा दे — जहाँ उसे मेरा और उसका दुश्मन (फिरऔन) उठा लेगा...

[ज्योतिषियों (काहिन) ने कहा कि बनी इस्राईल में एक लड़का पैदा होगा जो फिरऔन का राज खत्म कर देगा। फिरऔन ने डर कर आदेश दिया कि इस्राईली लड़कों को कत्ल किया जाए, लड़कियों को ज़िंदा छोड़ा जाए । मूसा (अलै.) को इस कत्ल से बचाने के लिए उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें संदूक में डाल कर दरिया में बहा दिया और अल्लाह ने उन्हें फिरऔन के ही महल में पाला।

मूसा (अलै.) के नबी बनने के बाद —

कुरआन 40:25: फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियाँ लेकर आया तो उन्होंने कहा: इसके लड़कों को मार डालो और इसकी औरतों को ज़िंदा छोड़ दो। और काफ़िरों की चाल नाकाम ही रहती है।

आद की क़ौम को अल्लाह ने कितने दिन में हलाक किया?

कुरआन 54:19: हमने उन पर एक शदीद आँधी-तूफ़ान भेजा, एक ही निहायत बदनसीब दिन में।

कुरआन 41:16: तो हमने उन पर बहुत ठंडी और कड़वी हवा कई बदकिस्मत दिनों में भेजी — ताकि हम उन्हें दुनिया की जिंदगी में ज़िल्लत का मज़ा चखाएँ..."

कुरआन 69:7: "वो हवा उन्हें सात रातें और आठ दिन लगातार उखाड़ती रही — तुम देखते कि लोग गिरे हुए पड़े हैं, जैसे खोखले खजूर के तने।"

क्या इब्राहीम (अलै.) कभी मूर्ति-पूजक थे?

कभी नहीं —

कुरआन 2:135: और उन्होंने कहा: यहूदी या नसारा बन जाओ ताकि हिदायत पाओ। कह दो: (नहीं) बल्कि हम इब्राहीम के दीन पर हैं — **जो हनीफ़ (शिर्क से पाक) थे** और वो मुशरिकों में से न थे।

हनीफ़ का मतलब: खालिस तौर पर तौहीद वाले — किसी भी तरह के शिर्क से बिल्कुल पाक।

हाँ, कुछ समय –

कुरआन 6:76-79: फिर जब रात ने उस पर अंधेरा डाला तो उसने (इब्राहीम अलै.) एक तारा देखा — कहा: यह मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहा: मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। .....आखिर में कहा: मैं अपने चेहरे को उसी की तरफ कर रहा हूँ जिसने आसमान और ज़मीन पैदा की, मैं हर तरह के शिर्क से पाक हनीफ़ हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं।

क्या मक्कावासियों को मुहम्मद (स.) से पहले कोई नबी (चेतावनी देने वाला) मिला था?

नहीं - कुरआन 28:46: और (हे पैग़म्बर!) तुम तो उस समय तूर (कोह-ए-तूर) के किनारे नहीं थे जब हमने पुकारा था, बल्कि यह तुम्हारे रब की रहमत है ताकि तुम उस क़ौम को चेतावनी दो जिसके पास **तुमसे पहले कोई चेतावनी देने वाला नहीं आया** — ताकि वे ग़ौर करें और नसीहत लें।

कुरआन 34:44: "और हमने उन्हें कोई किताब नहीं दी थी जिसे वे पढ़ते हों और **न ही तुम्हारे पहले उनके पास कोई चेतावनी देने वाला भेजा था**।"

हाँ – कुरआन 10:47: हमने हर क़ौम के लिए एक रसूल (दूत) भेजा। फिर जब उनका रसूल आ जाता है तो उनके बीच न्याय के साथ फैसला कर दिया जाता है और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाता।

कुरआन 2:125: और (याद करो) जब हमने इस घर (काबा) को लोगों के लिए बार-बार आने की जगह और अमन का स्थान बनाया। और (हुक्म दिया) कि इबराहीम के मक़ाम को नमाज़ की जगह बना लो। और हमने इबराहीम और इस्माईल को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, इतिकाफ़ करने वालों, रुकू और सज्दा करने वालों के लिए पाक-साफ़ रखो।

क्या पैग़म्बर मुहम्मद (स.) जन्नत में जाएंगे?

कुरआन 46:9: कहो: मैं रसूलों में कोई नया नहीं हूँ, और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा...

कुरआन 48:1-2: हमने तुम्हें (मुहम्मद (स.)) खुली जीत दी, ताकि अल्लाह तुम्हारे पहले और बाद के (कथित) गुनाहों को माफ़ कर दे...

उलमा कहते हैं कि आयत 46:9 मक्का के शुरू के दौर की है, जब अभी मुकम्मल **वही** नहीं आई थी। बाद में सूरह अल-फ़त्ह और दूसरी आयतों से साफ़ कर दिया गया कि पैग़म्बर की मग़फ़िरत हो गई यानी जन्नत पक्की।

क्या पैग़म्बर मुहम्मद गुनहगार थे?

इस्लामी अक़ीदा कहता है: पैग़म्बर गुनाहों से महफूज़ थे।

क़ुरआन 40:55: अपने गुनाह के लिए मग़फ़िरत मांगो...

क़ुरआन 47:19: अपने गुनाहों और मोमिन मर्दों-औरतों के लिए मग़फ़िरत मांगो...

क़ुरआन 48:2: ताकि अल्लाह तुम्हारे पहले और बाद के (कथित) गुनाहों को माफ़ कर दे...

क्या पैग़म्बर मुहम्मद ने मोज़िज़ा (चमत्कार) दिखाए?

हाँ - चाँद का दो टुकड़े होना (**क़ुरआन** 54:1), हाथ से पानी का निकलना, खाना बढ़ जाना, पेड़ का बोलना — सहीह हदीसों में दर्ज।

नहीं - क़ुरआन 29:50: वो कहते हैं - इनके ऊपर कोई निशानी (आसमानी चमत्कार) क्यों नहीं उतरी? मतलब ये कि काफ़िरों को वो मोज़िज़े चाहिए थे जो उनकी ज़िद पूरी करें ।

क्या सारे पैग़म्बर बराबर हैं?

सारे पैग़म्बर बराबर हैं —

क़ुरआन 2:285: रसूल उस चीज़ पर ईमान लाए जो उसके रब की तरफ़ से उस पर उतारी गई और मोमिन भी — सब अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। (और कहते हैं) — **'हम उसके रसूलों में से किसी में फ़र्क़ नहीं करते।'** और कहते हैं — 'हमने सुना और माना, ऐ हमारे रब! हमसे दरगुज़र कर, और तेरी ही तरफ़ लौटना है।

अल्लाह ने रसूलों को दर्जे दिए हैं —

क़ुरआन 2:253: ये रसूल हमने उनमें से **कुछ को कुछ पर दर्जा बख़्शा**। उनमें से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने बातें कीं (जैसे मूसा), और कुछ को उसने दर्जों में बुलंद किया और हमने मरयम के बेटे ईसा को साफ़ निशानियाँ दीं और रूह-उल-क़ुद्स से ताईद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले लोग, जिनके पास साफ़ निशानियाँ आ चुकी थीं, आपस में लड़ाई न करते लेकिन उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया। कुछ ईमान लाए और कुछ इनकार करने लगे — और अल्लाह चाहता तो वे न लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है।

अल्लाह किसे रसूल/पैग़म्बर के तौर पर भेजता है?

सिर्फ़ इंसान (मर्द) को — क़ुरआन 12:109: और हमने तुमसे पहले भी बस आदमियों को (मर्दों को) ही भेजा जो बस्ती वालों में से थे — हम उनकी तरफ़ **वही** करते थे। क्या उन्होंने धरती में चल-फिर कर देखा नहीं कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जो उनसे पहले गुज़र चुके हैं? और परहेज़गारों के लिए आख़िरत का घर ही बेहतर है। क्या तुम समझते नहीं?

फ़रिश्तों को भी — क़ुरआन 22:75: अल्लाह फरिश्तों में से भी पैग़ाम पहुंचाने वाले चुनता है और आदमियों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है।

क्या फरिश्ते धरती पर नहीं आते?

क़ुरआन 17:95: कह दो: अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चलते होते तो हम उनके पास आसमान से किसी फरिश्ते को रसूल बना कर भेजते।

[यह आयत उन काफ़िरों को जवाब में है जो कहते थे: हम तभी मानेंगे जब कोई फरिश्ता खुद आकर हमें किताब दे या फरिश्ता रसूल बने : **सूरह फ़ुरकान 25:7, 25:21**]

क़ुरआन 2:102: "और यह लोग उसी जादू के पीछे लग गए जिसे शैतान, सुलेमान (अलै.) के राज में पढ़ते थे। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, पर शैतानों ने किया, वे लोगों को जादू सिखाते थे। और बाबिल (बेबिलोन) शहर में **हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों पर उतारा गया था**। ये दोनों फरिश्ते किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक साफ़ कह न देते कि 'हम तो बस इम्तिहान हैं, तू इसे सीखकर कुफ्र मत कर।'फिर भी लोग उनसे वही सीखते थे जिससे आदमी और उसकी बीवी के बीच झगड़ा करवा दें।

क़ुरआन 3:124, 8:9, 26:193: फरिश्तों की बद्र की जंग में और वही लाने में जिब्रील (अलै.) की भूमिका साफ़ है।

क़ुरआन 22:75: अल्लाह फरिश्तों में से भी पैग़ाम पहुंचाने वाले चुनता है और आदमियों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है।

फ़रिश्ते **नूर (रोशनी)** से पैदा किए गए हैं। वे अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं करते और जिस काम का हुक्म दिया जाता है वही करते हैं (**क़ुरआन 66:6**)। जिन्न इंसानों की तरह एक और मख़लूक़ हैं मगर इंसानों को दिखाई नहीं देते। इन्हें आग के शोले/लपट से पैदा किया गया। इनका भी हिसाब-किताब होगा, इनमें मुसलमान और काफ़िर दोनों होते हैं। "और हमने जिन्न को आग की लपट से पैदा किया (**क़ुरआन 55:15**)"

क़ुरआन में दो जगह जिन्नों के ईमान लाने का बयान है:

क़ुरआन 46:29–31: "और (याद करो) जब हमने तुम्हारी तरफ़ जिन्नों की एक जमाअत को क़ुरआन सुनने के लिए भेजा... फिर जब हाज़िर हुए तो एक-दूसरे से कहा: 'चुप रहो।' फिर जब पूरा हो गया तो अपनी क़ौम की तरफ़ वापस गए डराने वाले बनकर। उन्होंने कहा: ऐ हमारी क़ौम! हम ने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है... वो सच्चाई की तस्दीक़ करती है... ऐ हमारी क़ौम! अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले की बात मान लो..."

क़ुरआन 72:1–2: "कहो (ऐ नबी): मेरी तरफ़ वह्ही की गई कि जिन्नों की एक जमाअत ने (क़ुरआन) सुना और कहा: बेशक हमने एक अजीब क़ुरआन सुना, जो सही रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करता है — तो हम उस पर ईमान लाए..."

इब्लीस जिन्न में से है। वह बहुत इबादतगुज़ार था, फ़रिश्तों में शामिल था, लेकिन आदम (अलै.) को सज्दा करने से इंकार कर दिया। इब्लीस को आम तौर पर सबसे बड़ा शैतान माना जाता है, वह इंसानों और जिन्नों को बहकाने वाला सरदार है। लेकिन उसके अलावा भी कई शैतान हैं — जैसे क़ुरआन में कहा गया: "शैतान इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नों में से भी।" (**सूरह अल-अनआम 6:112**)

क़ुरआन 18:50: वह जिन्नों में से था, तो उसने अपने रब के हुक्म की अवज्ञा की।

क़ुरआन 35:6: "बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही मानो — वह अपनी जमाअत को बुलाता है ताकि वे सब जहन्नम वालों में से हो जाएँ।"

क़ुरआन 38:85: "मैं जहन्नम को तुझसे (इब्लीस से) और उन सब से जो पीछे चलने वाले हैं, भर दूँगा।"

क्या जहन्नम की आग इब्लीस को जला सकती है ?
आग से बने होने का मतलब कि आग उस पर असर नहीं करेगी।

इब्लीस क्या था?

जिन्न — क़ुरआन 18:50: और जब हमने फ़रिश्तों से कहा: आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वह जिन्नों में से था और अपने रब के हुक्म से बाहर हो गया।

फ़रिश्ता — क़ुरआन 2:34: और जब हमने फ़रिश्तों से कहा: आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया — सिवाय इब्लीस के।

मरयम को ईसा के जन्म की सूचना देने वाला एक फ़रिश्ता या कई

क़ुरआन सूरह इमरान 3:45: और जब फ़रिश्तों ने कहा: 'हे मरयम! निःसंदेह, अल्लाह तुम्हें अपने पास से एक संदेश का शुभ समाचार देता है, जिसका नाम मसीह ईसा, मरयम का पुत्र रखा जाएगा; वह इस दुनिया और आख़िरत में मान्य और सम्मानित होगा, और उन लोगों में से होगा जिन्हें अल्लाह के पास विशेष रूप से निकट किया गया।

क़ुरआन सूरह मरयम 19:19: उस (फ़रिश्ता) ने कहा: 'मैं तो केवल तुम्हारे पालनहार का संदेश देने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे लिए एक पवित्र पुत्र का शुभ समाचार लाया हूँ।

ईसा का जन्म

क़ुरआन 3:59: निश्चय ही अल्लाह के निकट ईसा (अलै.) की मिसाल आदम की तरह है; उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा: "हो जा" , तो वह हो गया।

ईसा और आदम (अलै.) का जन्म तरीके के लिहाज़ से अलग है। ईसा (अलै.) मिट्टी से पैदा नहीं किए गए थे।

बद्र की लड़ाई के दौरान मुसलमानों की मदद करने के लिए कितने फ़रिश्ते थे?

क़ुरान 8:7-9: और (याद करो) जब अल्लाह ने तुमसे (मुसलमानों से) वादा किया कि दो गिरोहों (यानी सेना या कारवां) में से एक तुम्हारा होगा। तुम चाहते थे कि हथियार रहित (कारवां) तुम्हारा हो, लेकिन अल्लाह ने अपने शब्दों से सत्य को सही साबित करने और काफिरों की जड़ें काटने का इरादा किया (यानी बद्र की लड़ाई में)। ताकि वह सत्य को विजय दिलाए और असत्य को मिटा दे, भले ही मुजरिम (अविश्वासी, मुशरिक) उससे नफरत करते हों। (याद करो) जब तुमने अपने रब से मदद मांगी और उसने तुम्हें जवाब दिया: "मैं **एक हज़ार फ़रिश्तों** के ज़रिए तुम्हारी मदद करूँगा जो एक के बाद एक (एक दूसरे के पीछे) चलेंगे।"

क़ुरान 3:123-125: और निश्चित ही अल्लाह ने तुम्हें बद्र में मदद दी थी जबकि तुम कमज़ोर थे। अतः अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुज़ार रहो। जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे क्या तुम्हें यह काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद **तीन हज़ार फ़रिश्तों** से करेगा जो उतारे गए हैं? हाँ! यदि तुम धैर्य रखो और डरते रहो, तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद पाँच हज़ार निशानधारी फ़रिश्तों से करेगा।

जंग-ए-बद्र का असल युद्ध सिर्फ़ एक दिन चला, कुल मिलाकर कुछ ही घंटों में फ़ैसला हो गया। इमाम इब्न कसीर ने लिखा: अल्लाह ने पहले हज़ार फ़रिश्ते भेजे, फिर उनका तसल्ली बढ़ाया कि अगर वो डटे रहे तो तीन हज़ार होंगे, और ज़रूरत पड़े तो पाँच हज़ार तक।
** **विरोधाभास** को दूर करने के लिए उलेमा ऐसा कहते हैं जिससे लगता है मानो अल्लाह तजुर्बे से सीखता है ।"

इंसान की रूह कौन लेता है?

एक फरिश्ता — क़ुरआन 32:11: कह दो: मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुक़र्रर किया गया है, वो तुम्हारी रूहें क़ब्ज़ करेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ़ लौटाए जाओगे।
यहाँ 'मलकुल मौत' यानी एक फ़रिश्ता (इज़्राईल अलै.) का ज़िक्र।

कई फरिश्ते — क़ुरआन 47:27: फिर कैसा होगा जब फरिश्ते उनकी जानें क़ब्ज़ करेंगे, उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते हुए?

अल्लाह ख़ुद — क़ुरआन 39:42: अल्लाह ही रूहों को मौत के वक्त क़ब्ज़ करता है...

क्या जानवर में शैतान हैं?

क़ुरआन 22:18 — सब जानवर सजदा करते हैं: क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है — सूरज, चाँद, तारे, पहाड़, दरख़्त, जानवर और बहुत से इंसान — सब अल्लाह को सजदा करते हैं...**[जानवर अल्लाह के हुक्म पर हैं, उसकी इबादत करते हैं — वो बुरे नहीं]**

सहीह मुस्लिम - किताब 4, हदीस 1032: काला कुत्ता शैतान है।

क़ियामत के दिन काफ़िरों को उनका हिसाब-किताब कैसे मिलेगा?

उनकी पीठ के पीछे: क़ुरआन 84:10: और जिसको उसका नामा-ए-अमल (कर्मों का लेखा) उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा।"

बाएँ हाथ में - क़ुरआन: 69:25: और जिसको उसका नामाःअमल उसके बाएँ हाथ में दिया जाएगा।

क़यामत पर लोग दो या तीन या कई समूहों में बाँटे जाएंगे:

सूरह अल-मु'मिनून 23:103-104 – लोग दो समूहों में बाँटे जाएंगे

सूरह अल-क़यामा 75:31-32 - लोग तीन समूह में होंगे

सूरह ज़ुख़रुफ 43:68 - बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर अलग-अलग समूह बनेंगे

क़ियामत के बाद जन्नत और जहन्नम में दाख़िल होगा: सिर्फ रूह, जिस्म और रूह दोनों ?

सिर्फ आत्मा (रूह) —

क़ुरआन 89:27-30: ऐ निश्चिन्त आत्मा! अपने रब की तरफ लौट चल — तू राज़ी और उससे राज़ी। मेरे बंदों में दाख़िल हो जा। और मेरी जन्नत में दाख़िल हो जा।

जिस्म और रूह दोनों —

क़ुरआन 17:99: क्या उन्होंने देखा नहीं कि जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए, वह इस बात पर भी सक्षम है कि वह उनके जैसे (फिर से) पैदा कर दे? और उसने उनके लिए एक निश्चित समय ठहरा रखा है, जिसमें कोई शक नहीं; फिर भी ज़ालिम इनकार ही करते हैं।

क़ुरआन 75:3-4: क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? बल्कि हम तो (इतना भी सक्षम हैं कि) उसकी उँगलियों के पोर-पोर तक को ठीक वैसा बना देंगे।

क़ुरआन 31:28: तुम सब का पैदा करना और फिर से उठाना एक ही जान (रूह) के (पैदा करने और उठाने) जैसा है। बेशक अल्लाह सुनने और देखने वाला है।

क़ुरआन 76:17: और उन्हें वहाँ (जन्नत में) एक प्याला पिलाया जाएगा, जिसमें सोंठ (अदरक) की मिलावट होगी।

क़ुरआन 76:13: वे वहाँ तख़्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे, उन्हें न वहाँ धूप की तपिश दिखेगी और न ठंडक की सख़्ती।

क़ुरआन 55:56: उन जन्नतों में (हूरें होंगी) जो अपनी निगाहें नीची रखने वाली होंगी, जिन्हें उनसे पहले किसी इंसान या जिन्न ने छुआ नहीं होगा।

क़ुरआन 88:6-7: उनके लिए खाने को काँटे वाली झाड़ी के सिवा कुछ न होगा, जो न मोटा करेगी और न भूख मिटाएगी।

क़ुरआन 37:66, 56:52-54: ज़क़्क़ूम के पेड़ से खाएँगे, उससे अपने पेट भर लेंगे, खौलता हुआ पानी पिएँगे।

क़ुरआन 37:62–66: क्या यह (जन्नत का मेहमान-सत्कार) बेहतर है या ज़क़्क़ूम का पेड़?" हमने उसे ज़ालिमों के लिए एक फ़ित्ना (इम्तिहान) बना दिया। वह पेड़ जहन्नम की जड़ से निकलता है। उसके फल ऐसे हैं मानो शैतानों के सिर हों। फिर वे लोग उसे खाएँगे और उससे अपने पेट भर लेंगे।

मरने के बाद इंसान कब दोबारा उठाए जाएँगे?

सामान्य इंसान क़ियामत के दिन— क़ुरआन 22:7: और बेशक क़ियामत (साअत) ज़रूर आने वाली है इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह कब्रों में (दफ़्न) लोगों को ज़रूर उठाएगा।

शहीदों के लिए एक ख़ास मामला — क़ुरआन 3:169: और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए उन्हें मरा हुआ मत समझो, बल्कि वे जीवित हैं, अपने रब के पास रोज़ी पाए हुए।"

जन्नत में पत्नियाँ

दुनिया की बीवियाँ - क़ुरआन 43:70: तुम और तुम्हारी पत्नियाँ जन्नत में दाख़िल हो जाओगे, तुम्हें प्रसन्न रखा जाएगा।

हूरें - क़ुरआन 52:20: वे कतारबद्ध बिछे हुए तख़्तों पर टेक लगाए होंगे और हमने उन्हें हूरों से निकाह कराया होगा।

जन्नत एक या कई

आयतें जैसे **39:73, 41:30, 57:21, 79:41** में "**जन्नत**" एकवचन है

आयतें जैसे **18:31, 22:23, 35:33, 78:32** में "**जन्नात**" बहुवचन है

जन्नत की चौड़ाई

सूरह आल-ए-इमरान (3:133): "और दौड़ो अपने रब की क्षमा की ओर और उस जन्नत की ओर, जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों (मुत्तक़ियों) के लिए तैयार की गई है।"

आसमानों (बहुवचन)

सूरह अल-हदीद (57:21): "दौड़ो अपने रब की माफ़ी और उस जन्नत की ओर जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन जैसी है, जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है।"

आसमान (एकवचन)

सूरह अल-मुल्क (67:3): "उसने **सात आसमान एक के ऊपर एक** पैदा किए..."

सूरह नूह (71:15): "क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने **सात आसमान परत-दर-परत** कैसे बनाए?"

** इंसान क्या **सात आसमान** देख सकता है?
या
इंसान **सिर्फ़ पहला आसमान** देख सकता है
और हमने निकटतम आसमान को सितारों से सजाया" (Q 67:5)

क्या हर इंसान जहन्नम में जाएगा या नहीं?

हर कोई जहन्नम से गुज़रेगा

क़ुरआन 19:71 और तुममें से हर कोई उस (जहन्नम) पर गुज़रेगा — यह तुम्हारे रब पर एक पक्का फ़ैसला है।

मोमिन जहन्नम से बचे रहेंगे

क़ुरआन 47:12 ...जिन्होंने ईमान लाया और नेक काम किए, अल्लाह उन्हें ऐसी जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं..."

इंसान का मक़सद क्या है?

सिर्फ़ अल्लाह की इबादत- क़ुरआन 51:56 और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया।

अच्छे अमल करने के लिए - क़ुरआन 67:2: वह जिसने मौत और ज़िन्दगी बनाई, ताकि वह आज़माए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है...

क्या हर इंसान अपना बोझ खुद उठाता है?

सिर्फ अपना

क़ुरआन 6:164: कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।

क़ुरआन 35:18: कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा...

क़ुरआन 2:286: ...हर शख़्स को उसी के मुताबिक़ बोझ दिया जाता है...

दूसरों के भी

क़ुरआन 16:25: ...ताकि क़यामत के दिन वे अपने बोझों के साथ-साथ दूसरों के कुछ बोझ भी उठाएँ जिनको वे बहकाते थे...

क़ुरआन 29:13: ....और ये लोग अपने बोझ तो उठाएँगे ही और अपने बोझों के साथ-साथ दूसरे बोझ भी। और क़यामत के दिन उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि जो कुछ वो गढ़ते थे (वो झूठ) उसका हिसाब दो।

सिर्फ़ जन्म देने वाली ही माँ है?

अरबों में **'ज़िहार'** की रिवायत - आदमी गुस्से में बीवी से कहता: "तू मेरी माँ जैसी है"; बीवी तलाक़शुदा भी नहीं मानी जाती थी (ना वो शादी कर सकती थी और ना शौहर उसे फिर से हमबिस्तरी के लिए ले सकता था। यानी बीवी एक तरह से बीच में लटक जाती थी)

खौला बिन्त सलबा (रज़ि) की शादी औस इब्न सामित (रज़ि) से हुई थी। औस को गुस्सा आया तो उन्होंने खौला से कहा: "तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी है।" अब बीवी से रिश्ता हमेशा के लिए हराम। खौला ने इसे जुल्म समझा। वो रोती हुई पैग़म्बर मुहम्मद के पास आईं, और इस पर फ़ैसला माँगा।

इस पर आयत नाज़िल हुई :

क़ुरआन 58:2: तुममें से जो अपनी पत्नियों को 'अपनी माँ' कह बैठते हैं - वे उनकी माँएँ नहीं बन जातीं। उनकी माँ तो वही है जिसने उन्हें जना है..."

** अगर शौहर फिर से नज़दीकी चाहता है तो कफ्फ़ारा देना होगा — एक गुलाम आज़ाद करना, या लगातार दो महीने रोज़े, या साठ ग़रीबों को खाना

क़ुरआन 33:6: ...और उनकी पत्नियाँ (पैग़म्बर की पत्नियाँ) उम्मुल-मुमिनीन (ईमान वालों की माँ) हैं...

क्या एक आदमी कई बीवियों से इंसाफ़ कर सकता है?

कुरान 4:3: और यदि तुम्हें भय हो कि तुम यतीम लड़कियों के साथ न्याय न कर सकोगे, तो अपनी पसन्द की स्त्रियों से विवाह कर लो, दो या तीन या चार, और यदि तुम्हें भय हो कि तुम उनके साथ न्याय न कर सकोगे, तो केवल एक से विवाह कर लो, या (दासियों से) जो आपके दाहिने हाथों में हों। [**पहले की आयत**]

बाद की आयत → कुरान 4:129: तुम कभी भी पत्नियों के बीच पूर्ण न्याय नहीं कर पाओगे, भले ही यह तुम्हारी प्रबल इच्छा हो .....

इस्लाम में पवित्र महीनों (अश्हुर-ए-हर्रम) की गिनती कितनी है?

चार पवित्र महीने —क़ुरआन 9:36: बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद बारह है, अल्लाह की किताब में जिस दिन उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, उनमें से चार पवित्र (हराम) महीने हैं। यही सीधा दीन है, तो उन महीनों में अपने आप पर जुल्म न करो...

[साल में कुल 12 महीने हैं — उनमें से चार महीने 'हराम महीने' कहे जाते हैं, जिनमें लड़ाई-झगड़ा, क़त्ल, लूट वगैरह हराम कर दिए गए हैं। ज़ुलक़ादा, ज़ुलहिज्जा, मुहर्रम, रजब]

एक महीना — क़ुरआन 5:2: ऐ ईमान वालों! अल्लाह के निशानियों का उल्लंघन न करो, **न हराम महीने का,** न काबा में भेजे गए क़ुरबानी जानवरों का...

क्या इस्लाम दूसरों की / दूसरे धर्म का अपमान करने की इजाज़त देता है?

की जाती है — क़ुरआन 47:12: निश्चय ही अल्लाह उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, जन्नत में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहेंगी। और जो काफ़िर हैं, वे (दुनिया में) बस मज़े करते हैं और **जानवरों** की तरह खाते हैं और आख़िरत में उनका ठिकाना जहन्नम ही है।"

कुरान 7:176: अगर हम चाहते तो उसे (हमारी आयतों के कारण) बुलंदी अता कर देते, मगर उसने तो धरती (दुनियावी लालच) से चिपक जाना चाहा और अपनी ख्वाहिशों का पीछा किया। उसका हाल **कुत्ते** जैसा है, चाहे तुम उसे धमकाओ, वह हांफता है; या उसे छोड़ दो, फिर भी हांफता है। यह उन लोगों का उदाहरण है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। सो तुम यह किस्सा बयान करो, शायद वे सोचें।"

कुरान 111:1–5: "**अबू लहब** के दोनों हाथ टूट जाएँ, और वह खुद भी हलाक हो जाएगा। उसका माल और जो उसने कमाया, वह उसके कुछ काम न आएगा। वह जल्द ही भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। और उसकी बीवी जो ईंधन ढोया करती थी, उसकी गर्दन में एक रस्सी (खजूर की रेशों की) होगी।"

कुरान 21:98: "तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो — सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तुम्हें उसमें जरूर जाना होगा।"

अबू लहब पैग़म्बर मुहम्मद (स.) के **सगे** चाचा थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम का कट्टर विरोध किया। पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की दो बेटियों रुक़य्या (रज़ि.) और उम्मे कुलसूम (रज़ि.) का बचपन में निकाह अबू लहब के बेटों से तय कर दिया गया था। जब पैग़म्बर ने पैग़ाम सुनाना शुरू किया, अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि वे पैग़म्बर मुहम्मद (स.) की बेटियों को तलाक़ दे दें। कहा जाता है कि अदसास (सड़न या फोड़ा वाला रोग) से उनका अंत हुआ।

सीरा इब्न हिशाम, वॉल्यूम 2, पेज 280 (अरबी संस्करण): **अबू जहल** का असली नाम **अम्र बिन हिशाम** था, उसकी उपाधि **अबू अल-हकम** थी यानी हिकमत वाला। मक्का के लोग उसे समझदार और बुद्धिमान आदमी मानते थे। जब उसने इस्लाम की हक़ीक़त को झुठलाया: रसूलल्लाह (स.) ने उसकी उपाधि को बदल कर कहा: **अबू जहल** (अज्ञान का बाप) ।

बुरी बात है — कुरान 49:11: "ऐ ईमान वालों! कोई क़ौम किसी क़ौम का मज़ाक न उड़ाए — शायद वे उनसे बेहतर हों। और न औरतें दूसरी औरतों का मज़ाक उड़ाएँ — शायद वे उनसे बेहतर हों। और आपस में एक-दूसरे पर ताने न कसो और न ही एक-दूसरे को बुरे नामों से पुकारो। ईमान के बाद बुरा नाम लेना बहुत बुरी बात है। और जो तौबा न करें, वही ज़ालिम हैं।"

कुरान 6:108: "और जिनको ये लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, उनको गाली मत दो, वरना वे भी हद से बढ़कर नादानी में अल्लाह को गाली देंगे। इसी तरह हमने हर उम्मत को उनके कर्म सुन्दर लगने दिए हैं। फिर उनका लौटना उनके रब की तरफ़ है — वही उन्हें बताएगा कि वे क्या करते थे।"

क़ुरआन किसके लिए भेजा गया?

सिर्फ़ 'उम्मी' यानी अनपढ़ क़ौम — कुरआन 62:2: वही (अल्लाह) है जिसने **उम्मियों** में एक रसूल भेजा, जो उन्हीं में से है — वो उन पर उसकी आयतें सुनाता है, उन्हें पाक करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है हालाँकि वो इससे पहले खुली गुमराही में थे।

सिर्फ़ अरब —कुरआन 41:44: "यदि यह (क़ुरआन) अरबी के अलावा किसी दूसरी भाषा में उतारा जाता, तो वे कहते: 'हम इसकी आयतों को क्यों समझें? क्या यह किताब किसी अजनबी भाषा में है और हम अरबी बोलने वाले?'"

अल-रागिब अल-असफ़हानी (विद्वान): "क़ुरआन का अर्थ अनुवाद में मिल सकता है, लेकिन उसका असर केवल अरबी में ही पूर्ण रूप लेता है।"

पूरी इंसानियत —कुरआन 4:174: ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से एक दलील (रसूल) आ गया है — और हमने तुम्हारी तरफ़ खुला नूर (क़ुरआन) उतारा है। [ऐ लोगों — यानी पूरी इंसानियत]

जिन्नों के लिए भी — कुरआन 55:33: ऐ जिन्नों और इंसानों की जमाअत! अगर तुम आसमानों और ज़मीन की सरहदों से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ — मगर तुम नहीं निकल सकते सिवाय एक ज़बरदस्त क़ुदरत के साथ!

क्या क़ुरआन बिल्कुल साफ़ है या कहीं-कहीं अस्पष्ट भी है?

साफ़ है — कुरआन 11:1: अलिफ़-लाम-रा। (यह) किताब जिसकी आयतें मज़बूत (मुकम्मल) बनाई गई हैं, फिर अच्छी तरह खोल दी गई हैं, एक हिकमत वाले ख़बरदार करने वाले की तरफ़ से।"

क़ुरआन 16:103: और हम जानते हैं कि वो कहते हैं इसे कोई आदमी सिखाता है। वो शख़्स जिसकी तरफ़ वो बात जोड़ते हैं उसकी ज़बान तो अजमी (गैर-अरबी) है, और यह (क़ुरआन) तो साफ़ अरबी ज़ुबान में है।

मगर कुछ आयतें अस्पष्ट भी हैं — क़ुरआन 3:7: "वही है जिसने तुम पर किताब उतारी — उसमें कुछ आयतें साफ़ मायनों वाली (**मुहकमात**) हैं वो किताब की असल हैं और कुछ दूसरी **मुतशाबिहात** (अस्पष्ट अर्थ वाली) हैं। जिनके दिलों में टेढ़ है वो उन्हीं मुतशाबिहात के पीछे पड़ते हैं — फितना ढूंढने के लिए और उनकी तावील ढूंढने के लिए — हालाँकि उनकी असली तावील अल्लाह ही जानता है।"

सबसे पहला मुसलमान कौन था?

पैग़म्बर मुहम्मद —

क़ुरआन 39:12: और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सब से पहले मुसलमान बन जाऊँ।

क़ुरआन 6:14, 6:163: मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं पहला मुसलमान बन जाऊँ।

मूसा (अलै.) — क़ुरआन 7:143): मूसा ने कहा: ऐ मेरे रब! मैं तौबा करता हूँ और मैं सब से पहला ईमान लाने वाला हूँ।

इब्राहीम (अलै.) — क़ुरआन (2:132): और इब्राहीम ने अपने बेटों को इसी की वसीयत की — और याक़ूब ने भी: ऐ मेरे बेटों! अल्लाह ने तुम्हारे लिए यह दीन चुना, तो मरना सिर्फ़ इस्लाम की हालत में।

ईसा (अलै.) — क़ुरआन 3:52: फिर जब ईसा ने उनकी नाफ़रमानी देखी तो कहा: कौन है अल्लाह की राह में मेरा मददगार? हवारी बोले: हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाही दो कि हम मुसलमान हैं!

क़ुरआन 5:111: और जब मैंने हवारीयों के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ — उन्होंने कहा: हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं।

निजात किसके लिए है।

सब नेक ईमानवालों के लिए — क़ुरआन 5:69: बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और सबई और नसारा — उनमें से जो भी अल्लाह और आख़िरत पर ईमान लाए और नेक अमल करे, तो उन पर न कोई डर होगा और न वे ग़मगीन होंगे।

क़ुरआन 2:62: बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसारा और सबई — उनमें से जो भी अल्लाह और आख़िरत पर ईमान लाए और अच्छे काम करे — तो उनके लिए उनके रब के पास अज्र है, और उन पर न कोई ख़ौफ़ होगा और न वे ग़मगीन होंगे।

सिर्फ़ मुसलमानों के लिए — क़ुरआन 3:19: बेशक अल्लाह के यहाँ दीन (मज़हब) सिर्फ़ इस्लाम है। और जिन लोगों को किताब दी गई थी, उन्होंने आपस में हसद और ज़िद से अलग-अलग राह पकड़ी, जब उनके पास इल्म आ चुका था। और जो कोई अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा, तो बेशक अल्लाह हिसाब लेने में तेज़ है।

क़ुरआन 3:85: और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा, तो वो उससे कभी क़ुबूल न किया जाएगा और वह आख़िरत में घाटा उठाने वालों में होगा।

क्या अल्लाह ग़ैर-मुस्लिमों के अच्छे कामों का बदला देगा?

नहीं — ग़ैर-मुस्लिमों के अमल दुनिया में ही हैं

क़ुरआन 9:17: मुशरिकों को ये हक़ नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि वे खुद अपने कुफ़्र के गवाह हैं — ये वही हैं जिनके अमल अकारथ (नष्ट) हो गए, और वे आग में हमेशा रहेंगे।

क़ुरआन 14:18: उनके आमाल धूल की तरह हैं जिसे हवा उड़ाकर ले जाती है...

हाँ — हर अमल का हिसाब होगा

क़ुरआन 99:7-8: तो जिस किसी ने ज़रा बराबर भी नेक़ी की होगी, वह उसे देख लेगा। और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी, वह भी उसे देख लेगा।

क्या ग़ैर-मुस्लिम हमेशा जहन्नम में रहेंगे?

हमेशा — क़ुरआन 6:128: और जिस दिन वह (अल्लाह) उन्हें सबको जमा करेगा — (फरमाएगा:) 'ऐ जिन्नों के गिरोह! तुमने इंसानों में से बहुतों को बहकाया।' और उनके मददगार इंसान कहेंगे — 'ऐ हमारे रब! हमने एक-दूसरे से फायदा उठाया और अब हम

उस वक्त को पहुँच गए जो तूने हमारे लिए मुक़र्रर किया था।' अल्लाह कहेगा — 'तुम्हारा ठिकाना आग है — उसमें हमेशा रहोगे, सिवाय इसके कि अल्लाह कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब हिकमत वाला और जानने वाला है।'"

क़ुरआन 11:106-107: तो जो बदबख़्त हुए वो आग में होंगे — उसमें उनके लिए सिसकियाँ और हाय-हाय होगी। वे उसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे, सिवाय इसके कि तेरा रब कुछ और चाहे — बेशक तेरा रब जो चाहे करता है।

एक लम्बा अरसा — क़ुरआन 78:23: वे उसमें हुक़्बन (एक लम्बा अरसा) रहेंगे।
अरबी में "हुक़्ब" का मतलब होता है — एक लंबा दौर। इब्ने कसीर ने लिखा: **हुक़्ब** = 70 या 80 साल, और एक दिन तुम्हारे हिसाब से 1000 साल जैसा।

अगर किसी के परिवार में शिर्क करने वाले लोग हों, तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए?

क़ुरआन 31:15: और अगर वे (माँ-बाप) तुम पर ज़ोर डालें कि तुम मेरे साथ उसे शरीक करो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, तो उनकी बात न मानो; **लेकिन दुनिया में उनके साथ भले तरीके से रहो** — और उस रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ़ रुजू करे। फिर तुम्हारी वापसी मेरी ही तरफ़ है, फिर मैं तुम्हें बता दूँगा जो तुम करते थे।

क़ुरआन 9:23: ऐ ईमान वालों! **अपने बाप और भाइयों को दोस्त न बनाओ** अगर वे कुफ़्र को ईमान से ज्यादा पसंद करते हैं — और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा, वो ज़ालिम हैं।

क्या मुसलमान ईसाइयों (नसारा) को दोस्त बना सकते हैं या नहीं?

साफ़ मनाही — क़ुरआन 5:51: ऐ ईमान वालों! यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ — ये आपस में ही एक-दूसरे के दोस्त हैं। और तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती करेगा, वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह ज़ालिम क़ौम को हिदायत नहीं देता।

करीब कहा — क़ुरआन 5:82: तू यक़ीनन देखेगा कि ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूद और मुश्रिक हैं और तू यक़ीनन देखेगा कि ईमान वालों से मोहब्बत में सबसे करीब वो हैं जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। क्योंकि उनमें पादरी और साधु हैं और वो घमंड नहीं करते।

पाक स्त्रियों पर आरोप लगाने वालों को अल्लाह की माफी है या नहीं

क़ुरआन 24:23: "निश्चय ही जो लोग पाक-दामन, भोली-भाली और ईमान वाली स्त्रियों पर आरोप लगाते हैं, वे दुनिया और आख़िरत दोनों में धिक्कारे गए हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है।"

क़ुरआन 24:4: "और जो लोग पाक-दामन स्त्रियों पर आरोप लगाएँ, फिर चार गवाह न लाएँ, तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी स्वीकार न करो। और वही लोग अवज्ञाकारी हैं।"

क़ुरआन 24:5: "सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इसके बाद तौबा कर ली और सुधार कर लिया तो निश्चय ही अल्लाह अत्यंत क्षमाशील, दयावान है।"

कुछ और बड़े दावे

सूरत अल-फ़ुरक़ान 25:33: "और (ऐ पैगंबर!) वे आपके पास जो कोई भी मिसाल (या तर्क) लेकर आते हैं, हम उसका सही जवाब (हक़) और बेहतरीन स्पष्टीकरण (तफ़्सीर) आपके पास ले आते हैं।"

यदि कुरान एक **'मुबीन'** (स्पष्ट) किताब है, तो उसे समझने के लिए हज़ारों पन्नों की 'तफ़्सीर' (व्याख्या) की बैसाखी क्यों चाहिए?

कुरान 30:26: और आकाशों और पृथ्वी में जो कोई भी है, उसी का है; सब के सब उसी के आज्ञाकारी (कानितून) हैं।"

कुरान 16:49-50: "और अल्लाह ही के आगे सजदा करते हैं जो कोई भी आकाशों में हैं और जो कोई भी धरती में चलने वाले जीव हैं, और फरिश्ते भी; और वे अहंकार नहीं करते। वे अपने रब से डरते हैं जो उनके ऊपर है, और वही करते हैं जिसका उन्हें आदेश दिया जाता है।"

कुरान 24:41: "क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आकाशों और धरती में है, अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता का वर्णन) करता है, और पंख फैलाए हुए पक्षी भी? हर एक अपनी प्रार्थना (नमाज़) और अपनी तस्बीह को जानता है। और जो कुछ वे करते हैं, अल्लाह उसे भली-भाँति जानता है।"

यदि ब्रह्मांड की हर चीज़ स्वभाव से ही आज्ञाकारी है, तो फिर "अविश्वासी" (काफिर) या "पापी" कौन है?

इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पक्षी अल्लाह की इबादत करते हैं।"

कुरान 7:42: "और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, और हम किसी भी जान (व्यक्ति) पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालते, वही जन्नत वाले हैं और वे उसमें हमेशा रहेंगे।"

इस्लाम में आत्महत्या को 'हराम' माना गया है और कुरान (4:29) स्पष्ट रूप से कहता है, **'अपने आप को कत्ल न करो**।' इसके बावजूद, कुछ मुसलमान आत्महत्या कर लेते हैं, तो धर्म इसका सारा दोष पीड़ित पर ही मढ़ देता है। जबकि ये कदम कोई व्यक्ति परिस्थितियों से हार कर या डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी के कारण अक्सर उठता है। नबी (स.) खुद कई बार परीशान हो कर आत्महत्या करना चाहते थे।

कुरान 62:6: "कह दो: ऐ यहूदियो! यदि तुम यह दावा करते हो कि तुम ही अल्लाह के मित्र हो, दूसरे लोगों को छोड़कर, तो फिर मृत्यु की कामना करो, यदि तुम सच्चे हो।"

यह एक "असंभव मांग" है, हर जीवित प्राणी के भीतर 'जीवन जीने की इच्छा' प्राकृतिक रूप से होती है। चाहे कोई कितना भी धार्मिक क्यों न हो, जीवन उसके लिए अनमोल है।

कुरान 17:107: "कह दो: तुम इस (कुरान) पर ईमान लाओ या न लाओ; हकीकत यह है कि **जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया गया था**, जब यह (कुरान) उन्हें पढ़कर सुनाया जाता है, तो वे अपनी ठुड्डियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं।"

इतिहास गवाह है कि मदीना और उसके आस-पास के अधिकांश यहूदी समुदायों ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने "दबाव में" या "परिस्थितिवश" धर्म परिवर्तन किया।

कुरान 60:2: "अगर वे तुम पर हावी हो जाएँ (तुम्हें पा लें), तो वे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अपने हाथ और अपनी ज़बानें बुराई के साथ तुम्हारी ओर फैलाएंगे; और वे तो यह चाहते हैं कि तुम किसी तरह इनकार करने वाले (काफ़िर) बन जाओ।"

जी नहीं, लोग मुसलमानो से ये नहीं चाहते की वो काफिर हो जाएँ, बल्कि उनमे थोड़ी इंसानियत आ जाये और दूसरों के साथ मिल जुल कर रहें।

कुरान 39:22: "भला वह व्यक्ति जिसका सीना (हृदय) अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वह अपने रब की ओर से एक प्रकाश (नूर) पर हो (क्या वह उस जैसा हो सकता है जो अंधकार में है)? तो तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की याद से (कठोर होकर) पत्थर हो गए हैं। वे खुली गुमराही (भटकाव) में हैं।"

अहमदिया, ख्वारजी, और मज़ार-परस्त सभी कुरान ही पढ़ते हैं, लेकिन इन समूहों को "गुमराह" (भटका हुआ) कहते हैं।

कुरान 2:144: "हम तुम्हारे चेहरे का बार-बार आसमान की ओर उठना देख रहे हैं, अतः हम तुम्हें उस किबले (दिशा) की ओर फेर देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। तो अब अपना चेहरा मस्जिद-अल-हराम (काबा) की ओर फेर लो; और (ऐ मुसलमानों!) तुम जहाँ कहीं भी हो, अपने चेहरे उसी की ओर फेर लिया करो। और हकीकत यह है कि जिन लोगों को किताब दी गई थी (यहूदी और ईसाई), वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह (परिवर्तन) उनके रब की ओर से बिल्कुल सच है। और जो कुछ वे कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है।"

आयत कहती है "यहूदी और ईसाई जानते हैं कि यह सच है, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं जानते थे।

कुरान 7:28: "और जब वे (अविश्वासी) कोई बुरा काम (फ़हशा) करते हैं, तो कहते हैं: 'हमने अपने पूर्वजों को इसी पर पाया है और अल्लाह ने ही हमें इसका आदेश दिया है।' कह दीजिए: 'बेशक, अल्लाह बुराई का आदेश नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के नाम पर वह बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं?'"

कुरान 26:208-209: और हमने किसी बस्ती को नष्ट नहीं किया मगर यह कि उसके लिए सचेत करने वाले (डराने वाले) थे, याद दिलाने के लिए; और हम ज़ालिम (अन्यायी) नहीं हैं।"

फिर अल्लाह बाल विवाह, यौन दासता, मानव तस्करी, लूट और हत्याओं की अनुमति कैसे दे सकता है?

कुरान 30:30: "तो (ऐ पैगंबर) तुम अपना रुख एकनिष्ठ (एकाग्र) होकर उस धर्म की ओर जमा दो जो अल्लाह की बनाई हुई 'फितरत' है, जिस पर उसने तमाम इंसानों को पैदा किया। अल्लाह की बनावट में कोई हेर-फेर नहीं हो सकता। यही सीधा और स्थिर धर्म है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात का ज्ञान नहीं रखते।"

यदि हर बच्चा 'मुस्लिम फितरत' पर पैदा होता है और अल्लाह की बनावट बदली नहीं जा सकती, तो दुनिया में एक भी हिंदू, ईसाई, यहूदी या नास्तिक होना ही नहीं चाहिए, या फिर इंसान अल्लाह की ताकत से बड़ा है।

सूरत अन-नज्म 53:3:"और न वह (पैगंबर) अपनी इच्छा (नफ्स) से कुछ बोलता है।"

जब एक सार्वभौमिक और अनंत सत्य का दावा करने वाली किताब किसी एक व्यक्ति के घर के झगड़ों या निजी वैवाहिक जीवन के मसलों को सुलझाने लगती है, तो उसकी "ईश्वरीय उत्पत्ति" पर सवाल खड़े होते हैं।

कुरान 34:50: "कह दो: 'अगर मैं गुमराह (भटका हुआ) हो जाऊँ, तो मेरी गुमराही का बोझ मेरे अपने ही ऊपर है; और अगर मैं हिदायत (सही रास्ते) पर हूँ, तो यह उस 'वही' (प्रकाशना) के कारण है जो मेरा रब मेरी ओर भेजता है। बेशक वह सब कुछ सुनने वाला और बहुत करीब है।'"

धर्म एक "ट्रेन" की तरह है जिसका ड्राइवर (पैगंबर) अगर पटरी से उतरा, तो उसमें बैठे हर मुसाफिर (अनुयायी) का एक्सीडेंट होना तय है। चूंकि वे पूरी तरह ड्राइवर की "सच्चाई और मानसिक स्थिति" के रहमोकरम पर हैं।

कुरान 36:12: "बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और हम लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो उनके पीछे रह गए (उनके पदचिह्न/निशान)। और हर चीज़ को हमने एक 'इमाम-ए-मुबीन' (स्पष्ट किताब) में दर्ज कर रखा है।"

कुरान 17:1: ".....और हमने हर चीज़ को विस्तार से बयान कर दिया है।"

कुरान में सभी चीजों का हिसाब (विवरण) नहीं है। उदाहरण के लिए, उन सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को देखें जो मुस्लिम कानूनों (शरिया) में हैं। जो लिखा है वह संक्षिप्त रूप में है और उसे समझने के लिए तफ़सीर की आवश्यकता है।

कुरान 17:106: "और हमने कुरान को टुकड़ों-टुकड़ों में अलग-अलग करके उतारा है, ताकि तुम इसे लोगों को ठहर-ठहर कर सुनाओ और हमने इसे क्रमशः (धीरे-धीरे) उतारा है।"

आयतों को ज्यादातर चीजें होने के बाद या समस्याएं आने के बाद पेश किया गया – पहले नहीं, जिससे कि मुसीबत से बचा जा सकता था।

कुरान 12:104: "और आप उनसे इस (तबलीग) पर कोई बदला (मज़दूरी) नहीं मांगते। यह (कुरान) तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए बस एक नसीहत है।"

अध्याय 4: नबी की आजीविका के स्रोत देख सकते हैं।

पहले से ही कैसे मान लिया

कुरान 15:14-15: "और अगर हम उनके लिए आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वे दिन के उजाले में ऊपर चढ़ने भी लगते, तब भी वे यही कहते कि: 'हमारी आँखों को धोखा हुआ है, बल्कि हम पर तो किसी ने जादू कर दिया है।'"

कुरान 13:31: "और यदि कोई ऐसा कुरान होता जिसके माध्यम से पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ते, या जिससे धरती के टुकड़े-टुकड़े हो जाते, या जिससे मुर्दों से बात की जा सकती (तो भी वे ईमान न लाते) । बल्कि सब अधिकार तो अल्लाह ही के हाथ में हैं।..."

कुरान 59:21: "यदि हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते, तो तुम उसे अल्लाह के डर से झुकते हुए और फटे हुए देखते। और ये मिसालें हम लोगों के लिए इसलिए पेश करते हैं ताकि शायद वे सोच-विचार करें।"

कुरान 4:174: हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक ठोस प्रमाण (बुरहान) आ चुका है, और हमने तुम्हारी ओर एक स्पष्ट प्रकाश (नूर-ए-मुबीन) उतार दिया है।

कम से कम कुछ लोग तो विश्वास करने लगते और तलवार की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन यह केवल दावा है, उन्हें कभी भी कोई स्पष्ट प्रमाण या चमत्कार नहीं दिखाया गया।

पैग़म्बर (स.) को चमत्कार न दिए जाने का तर्क

सूरह अल-इसरा 17:59: "और हम कोई निशानी (चमत्कार) भेजने से रुकते हैं, केवल इसलिए कि पहले की पीढ़ियों के लोग उन्हें झूठ मानते थे। हमने थामूद के पास ऊँट भेजा, ताकि वे अपनी आँखें खोलें, लेकिन उन्होंने उसके साथ अन्याय किया। हम केवल निशानियाँ भेजते हैं, भय और चेतावनी के रूप में।"

सूरह अनआम / 6:37: "वे कहते हैं: 'उनके पास उनके पालनहार से कोई निशानी क्यों नहीं भेजी गई?' कहो: 'अल्लाह के पास निशानी भेजने की पूरी ताक़त है, लेकिन उनमें से अधिकांश समझते नहीं।'"

सूरह अल-बकरा 2:118-119: "जो लोग ज्ञानहीन हैं, कहते हैं: 'अल्लाह हमसे क्यों नहीं बोलता? या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती?' इससे पहले उनके सामने भी लोग ऐसी ही बातें कहते थे। उनके दिल समान हैं। हमने निशानियाँ साफ़-साफ़ कर दी हैं उन लोगों के लिए, जो दिल से ईमान रखते हैं। वास्तव में हमने तुम्हें सच्चाई में भेजा है, खुशख़बरी देने और चेतावनी देने के लिए।"

लेकिन आप हदीसों में अक्सर कई चमत्कारों का ज़िक्र पाएँगे, जैसे: पानी का बढ़ना, पानी मीठा होना, बात करने वाला पेड़, बात करने वाला पत्थर, अद्भुत घटनाएँ। क़ुरआन में चाँद के फटने का ज़िक्र मिलता है।

गणितीय गलतियाँ

कुरान की **सूरह 4:11** में विरासत के आवंटन में गणितीय त्रुटि है। "अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के संबंध में हुक्म देता है: बेटे को उस हिस्से का हक है जो दो बेटियों को मिलता है; यदि केवल बेटियाँ हों — दो या उससे अधिक — तो उन्हें कुल विरासत का दो-तिहाई मिलेगा; यदि केवल एक बेटी हो — तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा; और यदि मय्यत (मरने वाले) की संतान हो — तो उसके माता-पिता में से प्रत्येक को विरासत का छठा हिस्सा मिलेगा ..."

** जब कोई व्यक्ति तीन बेटियों, एक पत्नी, एक माँ और एक पिता को छोड़कर मर जाता है तो कुरान द्वारा दिया गया हिस्सा 1 से अधिक होता है। कुरान के अनुसार हिस्से हैं: 2/3 बेटियाँ, 1/6 माँ, 1/6 पिता, 1/8 पत्नी अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आपको 1 के बजाय 1.25 मिलता है जो वास्तव में एक बड़ी समस्या है।

"**अल-अवल**" इस्लामी विरासत का एक फिक़्ही (क़ानूनी) नियम है, जो तब लागू होता है जब: क़ुरआन में दिए गए हिस्सों का कुल योग 100% से ज़्यादा हो जाए।

विज्ञान के साथ टकराव

अबाबील पक्षी से हाथियों पर हमला

अब्रहा अल-हबशी ने सना (यमन) में काबा को ढहाने का इरादा किया और एक विशाल सेना तैयार की जिसमें हाथी भी शामिल थे। मक्का के लोगों ने काबा की हिफ़ाज़त के लिए जंग नहीं की; अब्दुल मुत्तलिब (पैग़म्बर मुहम्मद के दादा) ने कहा कि काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाज़त अल्लाह करेगा। अल्लाह ने अबाबील (छोटे-छोटे परिंदे) से पूरी सेना को नष्ट कर दिया।

कुरान 105: "क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया?" "क्या उसने उनकी चाल नाकाम नहीं कर दी?" "उसने उन पर अबाबील नाम के झुंड-के-झुंड परिंदे भेजे।" "जो उन पर पकाए हुए मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे।" "फिर उसने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा।"

विरोधाभास:-

* **यज़ीद बिन मुआविया** की सेना ने मक्का पर हमला किया। काबा पर मजीनीकों से पत्थर बरसाए गए, आग लगी और काबा का एक हिस्सा गिर गया।

1979 में, **जुहैमानी अल-उतैबी ने दावा किया कि उसके बहनोई मोहम्मद अल-कहतानी महदी हैं और उसके सैकड़ों हथियारबंद अनुयायियों ने काबा पर कब्ज़ा कर लिया और हज़ारों श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया। । इस्लामी मान्यता में 'महदी' आख़िर जमाने में आने वाले एक इमाम माने जाते हैं, पर उलमा के बहुमत ने जुहैमानी के दावे को झूठा माना। उसका दावा था कि सऊदी राजशाही भ्रष्ट हो चुकी है, और क़यामत के नज़दीक महदी प्रकट हो गए हैं । सऊदी सेना और नेशनल गार्ड ने हरम शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रांस के सैन्य सलाहकारों की मदद ली गई। करीब दो सप्ताह तक तक भीषण गोलीबारी,

धमाके और सुरंगों से लड़ाई चली। अल-कहतानी इस संघर्ष में मारा गया। जुहैमानी और उसके करीब 67 साथियों को मौत की सज़ा दी गई। घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, कई हज यात्री भी।

ꙮ पक्षियों द्वारा हाथियों को मारने का विज्ञान क्या है और हाथी 1000 मील तक रेगिस्तान में कैसे चल सकते हैं?

ꙮ उस समय काबा में मूर्तियों की पूजा की जाती थी, अल्लाह इसकी हिफाज़त क्यों कर रहे थे।

शैतान के खिलाफ मिसाइल के रूप में सितारे (फ़रिश्तों की बातचीत सुनने से रोकने के लिए):

इब्न कसीर और अन्य मुफस्सिर कहते हैं कि शैतान (जिन्नों में से) आसमान में फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश करते थे जैसे अल्लाह के आदेश या भविष्य से जुड़ी बातें। लेकिन अल्लाह ने सितारों के शोले (उल्का/शिहाब) को उन पर फेंकने का निज़ाम रखा।

क़ुरआन 15:16–18: और हमने आसमान में बुर्ज (तारों के समूह) बनाए और उसे देखने वालों के लिए सजाया। और हर शापित शैतान से उसकी रक्षा की। जो भी चोरी से सुनना चाहता है, उसका एक स्पष्ट चमकता शोला पीछा करता है।

कुरान 41:12: और हमने सबसे नज़दीकी आसमान को चिरागों (तारों) से सजाया ताकि वह शोभायमान हो और साथ ही (शैतानों से) सुरक्षा भी हो।

कुरान 67:5: और बेशक, हमने सबसे निचले आसमान को चिराग़ों (सितारों) से सजाया और उन्हें शैतानों पर मारने का ज़रिया बनाया, और उनके लिए हमने धधकती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है ।

क़ुरआन 37:6-10: बेशक, हमने निकटतम आकाश को तारों से सजाया है। और हर विद्रोही शैतान से सुरक्षा के लिए। [ताकि] वे उच्च जमात (फ़रिश्तों) की महान सभा की बात न सुनें और हर तरफ़ से उन पर प्रहार किया जाए, उन्हें पीछे धकेला जाए; और उनके लिए निरंतर अज़ाब है, जो चोरी से [कुछ शब्द] चुरा ले, फिर उनका पीछा एक जलती हुई लौ द्वारा किया जाता है, जो [चमक में] चुभती है।

जिन्न आसमान पार कर सकते हैं या नहीं?

पार कर सकते हैं — क़ुरआन 72:8-9: और हम (जिन्न) आसमान को छूने की कोशिश करते थे, तो पाया कि वह कड़ी पहरेदारी और उल्कापिंडों (शोहब) से भर दिया गया है। और पहले हम वहीं (आसमान के पास) बैठते थे, बातें सुनने के लिए, लेकिन अब जो भी सुनने की कोशिश करता है, उसे घात लगाए (तैयार) उल्का मिल जाता है।

नहीं पहुँच सकते — क़ुरआन 55:33: जिन्नों और इंसानों के गिरोह! अगर तुम आसमानों और धरती की सीमाओं से बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ — तुम नहीं निकल सकते सिवाय (अल्लाह के) इजाज़त (या ताक़त) के।

विरोधाभास: तारे और धूमकेतु तो शुरू में ही बने थे, फिर शैतान फ़रिश्तों की आवाज़ कैसे सुन सकता था।

** जब अल्लाह ने इबलीस को जन्नत से निकाल दिया था, फिर वह कैसे जन्नत में जाकर आदम और हव्वा को बहका गया? अगर हम मान लें कि क़ुरान के अवतरण के बाद यह बंद हो गया, तो फिर पैगम्बर पर काला जादू कैसे काम कर गया।

जब मनुष्य चाँद पर गए, तो मुसलमान विश्वास नहीं कर सके और उन्होंने सोचा कि यह अमेरिका की झूठी बात है, क्योंकि इंसान धरती की सीमाओं से बाहर निकल नहीं सकते (**क़ुरआन 55:33)** ।

रोज़ा

क़ुरआन 2:187: ".....और खाओ-पियो, यहाँ तक कि तुम्हें भोर का उजला धागा (रोशनी) काले धागे (अंधेरे) से साफ़ नज़र आ जाए, फिर रात तक रोज़ा पूरा करो..."

ꙮ ध्रुवीय क्षेत्रों या बादलों वाले इलाकों में यह नियम अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि "सफ़ेद और काले धागे" का अंतर देखना व्यावहारिक नहीं।

सभी जीव "समुदाय" में रहते हैं

क़ुरआन 6:38: धरती पर चलने वाला कोई जीव-जंतु और अपने पंखों से उड़ने वाला कोई पक्षी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी तरह समुदाय (उम्मत) न हो। हमने किताब में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर वे सब अपने रब की ओर इकट्ठे किए जाएंगे।

ꕥ प्रकृति में सभी जीव "समुदाय" में नहीं रहते। कई प्रजातियाँ (बाघ, तेंदुआ, मैन्टिस) पूरी तरह एकाकी जीवन जीती हैं।

सारे फल जोड़ों में आते हैं

क़ुरआन 13:3: "और वही है जिसने धरती को फैलाया और उसमें मज़बूत पहाड़ बनाए और नदियाँ बनाई और हर प्रकार के फलों में से उसने उनमें जोड़े बनाए, वह रात को दिन से ढक देता है निस्संदेह इसमें निशानियाँ हैं सोच-विचार करने वालों के लिए"

सारे फल जोड़े में आते हैं और इसका आशय यह है कि हर फल के नर और मादा रूप होते हैं; न कि केवल कुछ पौधों में।

हर चीज़ के जोड़े पैदा किए

क़ुरआन 51:49: और हर चीज़ में हमने जोड़े पैदा किए, ताकि तुम सीखो और नसीहत हासिल करो।

काफ़ी सारी जीवित प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अलैंगिक तरीक़े से प्रजनन करती हैं। इसमें कई पौधे, कवक (फंगी), और अधिकतर एक-कोशिकीय जीव (जैसे बैक्टीरिया आदि) शामिल हैं। कुछ छिपकलियाँ केवल मादाएँ होती हैं और ये पार्थेनोजेनेसिस से प्रजनन करती हैं।

**कुरान में चंद जानवर, चंद पेड़ और कुछ देशों के अलावा, दूर स्थित चीज़ों का कोई विवरण नहीं है

शुद्ध दूध

क़ुरआन 16:66: और निःसंदेह चौपायों में तुम्हारे लिए एक शिक्षा है; हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज़ से जो उनके पेट में है गोबर और ख़ून के बीच से एक शुद्ध दूध, जो पीने वालों के लिए स्वादिष्ट है।"

आधुनिक विज्ञान: दूध पेट में नहीं बनता, बल्कि पाचन के बाद रक्त से पोषण लेकर स्तन ग्रंथियों में बनता है। जो पदार्थ पच नहीं पाता गोबर के रूप में बाहर निकलता है। बिना उबाले दूध में कई तरह के रोग हो सकते हैं: बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, फूड प्वॉइज़निंग, इनकी वजह से कच्चा दूध बीमारी का माध्यम बन सकता है। पहले के समय पाश्चराइजेशन का कोई ज्ञान नहीं था।

छाया स्थिर बना देना

क़ुरआन 25:45: क्या आपने उसे नहीं देखा कि आपके पालनहार ने कैसे छाया को फैला दिया और यदि वह चाहता, तो उसे स्थिर बना देता, फिर हमने सूर्य को उस पर प्रमाण बना दिया।

छाया कभी पूरी तरह से स्थिर नहीं होती; वह हमेशा प्रकाश स्रोत और वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है।

आसमान और धरती हमारे जैसे जीवित हैं

क़ुरआन 99:2: और धरती अपना सारा बोझ बाहर निकाल देगी। उस दिन धरती अपनी ख़बरें सुनाएगी।"
क़यामत के दिन धरती गवाह बनेगी। ये गवाह के तौर पर अल्लाह के हुक्म से बयान करेगी कि इंसान ने उस पर क्या किया था।

क़ुरआन 33:72: हमने यह अमानत (जिम्मेदारी) आसमानों, धरती और पहाड़ों के सामने रखी, तो उन्होंने इसे उठाने से इंकार कर दिया और इससे डर गए। लेकिन इंसान ने इसे उठा लिया। निस्संदेह, वह बड़ा ज़ालिम और बहुत अज्ञानी है।

तफ़्सीर क़ुरआन 33:72 (इब्न क़थीर): अल्लाह ने यह ज़िम्मेदारी (आज्ञापालन) पहले आसमानों, धरती और पहाड़ों के सामने पेश की लेकिन उन्होंने इसे उठाने से मना कर दिया । फिर यह ज़िम्मेदारी इंसान को सौंपी गई, और उसने इसे स्वीकार कर लिया।

ꕥ आसमान और धरती हमारे जैसे जीवित और बोलने वाले नहीं हैं।

बोलने वाले अंग

क़ुरआन 24:24: "उस दिन (क़यामत) उनकी ज़बानें, उनके हाथ और उनके पाँव उनके विरुद्ध गवाही देंगे उन कर्मों के बारे में जो वे किया करते थे।"

क़ुरआन 41:20–21: "जब लोगों को उनके कर्मों का लेखा देना होगा, तब उनके शरीर उनके खिलाफ गवाही देंगे।"

अल्लाह को आकाश और पृथ्वी बनाने में कितना समय लगा?

6 दिन: कुरान 10:3: निश्चित ही तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती को छह दिनों में पैदा किया, फिर 'अर्श' पर इस्तवा हुआ (यानी हुक्मरान हुआ)। वह तमाम मामलों की तदबीर

करता है। उसके इज़्न के बग़ैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। वही अल्लाह तुम्हारा रब है — तो उसी की इबादत करो। क्या तुम नसीहत नहीं लेते?

कुरान 11:7: और वही है जिसने आकाश और धरती को छह दिन में बनाया - और उसका सिंहासन पानी पर था - ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले कि तुममें से कौन सबसे अच्छा कर्म करता है। लेकिन अगर तुम कहो, "बेशक, तुम मरने के बाद फिर से जी उठोगे," तो जो लोग इनकार करते हैं, वे ज़रूर कहेंगे, "यह तो बस एक जादू है।"

कुरान 32:4: अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच है उसे छह दिन में पैदा किया, फिर वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके अलावा तुम्हारा कोई रक्षक या सिफ़ारिश करनेवाला नहीं है, तो क्या तुम्हें याद नहीं दिलाया जाएगा?

कुरान 25:59: वही (अल्लाह) जिसने आकाशों और धरती और जो कुछ इनके बीच है, छह दिनों में पैदा किया, फिर 'अर्श' पर इस्तवा हुआ — वह रहमान है। तो उससे ख़बर रखने वाले से पूछो।

हदीस सहीह मुस्लिम 7054 (INT 2789): अबू हुरैरा (रज़ि) ने बताया कि अल्लाह के रसूल (स.) ने मेरे हाथ पकड़े और कहा: अल्लाह, महान और महिमावान, ने शनिवार को मिट्टी बनाई और उसने रविवार को पहाड़ बनाए और उसने सोमवार को पेड़ बनाए और उसने मंगलवार को श्रम वाली चीजें बनाईं और बुधवार को प्रकाश बनाया और उसने गुरुवार को जानवरों को फैलाया और शुक्रवार को अस्र (दोपहर) के बाद आदम (शांति उस पर हो) को बनाया; शुक्रवार के घंटों के आखिरी घंटे में अंतिम रचना, यानी दोपहर और रात के बीच। यह हदीस दूसरे प्रसारकों के ज़रिए सुनाई गई है।

8 दिन: कुरान 41:9-12: कह दो: क्या तुम उस (अल्लाह) से इंकार करते हो जिसने धरती को दो दिनों में पैदा किया और फिर तुम उसके साथ औरों को जोड़ते हो? वही तो सारे जहानों का रब है। और उसने उसमें ऊँचे-ऊँचे पहाड़ बनाए, उसमें बरकत रखी और उसमें रोज़ी के साधन तय किए, चार दिनों में बराबर सब ज़रूरतमंदों के लिए। फिर उसने आसमान की तरफ़ इरादा किया जब वह धुआँ था, तो उसने उससे और धरती से कहा: 'आओ चाहे राज़ी हो या मजबूर।' दोनों ने कहा: 'हम राज़ी होकर आ गए।' फिर उसने उन्हें दो दिनों में सात आसमान बना दिया और हर आसमान में उसका हुक्म भेज दिया। और हमने नज़दीकी आसमान को चिरागों (सितारों) से सजाया और हिफ़ाज़त का ज़रिया बनाया। यह ताक़दिर है उस ज़बरदस्त, सब कुछ जानने वाले की।

धरती: 2 दिन, रोज़ी का इंतज़ाम + पहाड़ वगैरह: 4 दिन, आसमान: 2 दिन
ꕥ मुस्लिम मुफस्सिरीन जवाब देते हैं: 'चार दिनों में' का मतलब यह है कि पहले दो दिन धरती बनाने के और फिर दो दिन रोज़ी और बरकत तय करने में लगे, कुल मिलाकर चार दिन हुए। इब्न कसीर लिखते हैं: यह कि चार दिन और अलग नहीं हैं। बल्कि इसमें पहले के दो दिन शामिल हैं।

आसमान और ज़मीन दोनों जुड़े हुए थे?

क़ुरआन 21:30: क्या काफ़िरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया...

ꕥ **सूरा 41:9-12** आकाश और धरती पहले अलग-अलग थे और उन्हें एक साथ आने का आदेश दिया गया है, जबकि **21:30** में कहा गया है कि दोनों जुड़े हुए थे, फिर उन्हें फाड़कर अलग कर दिया गया। ꕥ और काफ़िर कैसे देखेंगे कि दोनों जुड़े थे, क्योंकि धरती और आसमान की रचना के बाद इंसान आया।

अल्लाह को कुछ भी बनाने के लिए कोई वक़्त नहीं लगता

उसका हुक्म "**कुन**" (हो जा) ही काफी है।

क़ुरआन 2:117: (वही) आकाशों और धरती का अनोखा पैदा करने वाला है। जब वह किसी चीज़ का हुक्म देता है, तो बस कह देता है 'हो जा'और वह हो जाती है।"

ꕥ "फिर कई कामों में समय लग गया।" धरती बनाने: 2 दिन, रोज़ी का इंतज़ाम + पहाड़ वगैरह: 4 दिन, आसमान: 2 दिन

क्या आकाश पहले बना या पृथ्वी ?

कुरान 2:29: वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती में जो कुछ है, उसे पैदा किया। फिर उसने आकाश की ओर ध्यान किया और सात आकाश बनाए और वह हर चीज़ को जानने वाला है। [**कुरान 41:9-12 भी देखें]**

कुरान 79:27-30: क्या तुम्हारा पैदा किया जाना ज़्यादा कठिन है या आसमान का? उसने उसे बनाया। उसने उसकी छत को ऊँचा उठाया और उसे दुरुस्त किया। और उसकी रात को अँधेरा किया और उसका दिन उजागर किया। और इसके बाद उसने धरती को बिछाया (समतल किया)।

ॐ प्रश्न यह उठता है कि क्या आकाश पहले बना या पृथ्वी पहले बनी। यदि पृथ्वी पहले बनी और फिर प्रकाश बना तो पौधे कैसे जीवित रहे।

क्या पृथ्वी चपटी है?

कुरान 20:53: "जिसने तुम्हारे लिए धरती को कालीन की तरह बिछाया है

कुरान 43:10: जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिस्तर की तरह बनाया है

कुरान 50: 7: और धरती! हमने इसे फैलाया है, और उस पर पहाड़ खड़े कर दिए हैं

कुरान 51:48: और हमने धरती को फैलाया है

कुरान 79:27-32: क्या तुम ज़्यादा मुश्किल रचना हो या आसमान? अल्लाह ने इसे बनाया। उसने इसकी छत को ऊँचा किया और इसे अनुपात दिया। और उसने इसकी रात को अँधेरा किया और इसकी चमक को निकाला। और उसके बाद उसने धरती को फैलाया। उसने इससे पानी और चारागाह निकाले, और पहाड़ों को मज़बूती से स्थापित किया

तफ़सीर कुरान 79:30 (जलालैन): और उसके बाद उसने धरती को फैलाया उसने इसे समतल कर दिया क्योंकि यह आसमान से पहले बनाई गई थी लेकिन फैली नहीं थी;

तफ़सीर कुरान 79:30 (इब्न अब्बास): (और उसके बाद उसने धरती को फैलाया) फिर उसने इसे पानी पर फैलाया; यह भी कहा गया है: 2,000 साल बाद उसने इसे पानी पर फैलाया.

कुरान 68:1: "नून — क़सम है कलम की और उसकी जिससे वे लिखते हैं।"

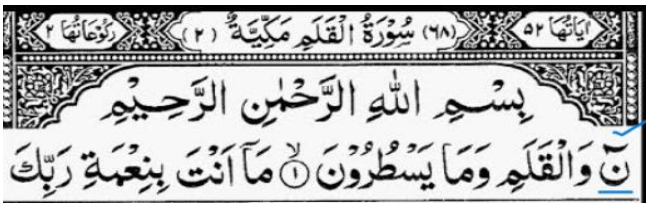

तफ़सीर कुरान 68:1: इब्न अब्बास (रज़ि) के अधिकार पर उनके वर्णन से जो उन्होंने अल्लाह के कथन (नून) की व्याख्या के संबंध में कहा: ' **अल्लाह नून की कसम खाता है**, नून वह व्हेल है जो पानी में धरती को अपनी पीठ पर उठाती है, और जिसके नीचे बैल है और बैल के नीचे चट्टान है और चट्टान के नीचे धूल है और कोई नहीं जानता कि धूल के नीचे क्या है, अल्लाह के अलावा । व्हेल का नाम लिवाश है और कहा जाता है कि इसका नाम लुटियाया है; बैल का नाम बहामुत है और कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम तलहुत या लियोना है। व्हेल 'अदवाद' नामक समुद्र में है और यह एक विशाल समुद्र में एक छोटे बैल की तरह है। समुद्र एक खोखली चट्टान में है जिसमें 4,000 दरारें हैं और प्रत्येक दरार से पानी धरती पर निकलता है।

कुरान 88:20: "और (क्या उन्होंने नहीं देखा) धरती को कि कैसे उसे बिछा दिया गया?"

तफ़सीर कुरान 88:20 (जलालैन): "और पृथ्वी कैसे समतल हो गई? और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अल्लाह की शक्ति और उसकी एकता महान है? ऊँटों के उल्लेख से शुरू होता है क्योंकि वे किसी भी अन्य जानवर की तुलना में पृथ्वी के संपर्क में सबसे करीब हैं। जहाँ तक उनके शब्दों सुतिहात 'समतल बिछाए गए' का सवाल है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि पृथ्वी समतल है, जो कि अधिकांश विद्वानों की राय है और यह गोलाकार नहीं है जैसा कि खगोलशास्त्री अहल अल-हया ने कहा है, भले ही यह कानून के किसी भी स्तंभ का खंडन न करता हो।"

पहाड़ धरती को पूरी तरह से स्थिर बनाते हैं

क़ुरआन 21:31: "और हमने धरती में मज़बूत पहाड़ बनाए ताकि वह (धरती) उनके साथ डगमगाए नहीं, और हमने उनमें चौड़ी राहें बनाई ताकि लोग राह पा सकें।"

तफ़सीर क़ुरआन 21:31 (इब्न कसीर): "और हमने धरती में 'रवासी' (मज़बूत पहाड़) बनाए" — अर्थात ऐसे पहाड़ जिन्हें अल्लाह ने धरती को स्थिर करने के लिए रखा, ताकि वह अपने रहने वालों

के साथ न डगमगाए, यानी वह न हिले और न हिलकर चलने लगे। "और हमने उसमें फिजाज़ (घाटियाँ) बनाए — रास्ते" — अर्थात पहाड़ों के बीच रास्ते और चौड़े मार्ग बनाए, ताकि लोग अपनी यात्राओं में उन पर चल सकें।

वैज्ञानिक दलील: भूविज्ञान के अनुसार: पहाड़ भूकंप **नहीं रोकते,** उल्टा पहाड़ों वाली जगहें भूकंप ज़्यादा आते हैं।

आसमान एक चपटी छत है

क़ुरआन 22:65: क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ वश में कर दिया है जो धरती में है, और नौकाएँ (जहाज़) उसके हुक्म से समुद्र में चलती हैं। और वह आकाश को थामे हुए है कि वह धरती पर न गिर पड़े, सिवाय उसके आदेश के। निश्चय ही अल्लाह लोगों पर बड़ा ही दयालु और कृपालु है।

क़ुरआन 67:3: जिसने सात आसमानों को परत दर परत बनाया। रहमान की रचना में तुम कोई असमानता नहीं पाओगे। फिर नज़र उठाकर देखो, क्या तुम्हें कहीं कोई **दरार** दिखाई देती है?

क़ुरआन 21:32: और हमने आसमान को एक सुरक्षित छत बनाया। लेकिन वे उसकी निशानियों से मुँह मोड़ते हैं।

क़ुरआन 2:22: (वही) जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को एक छतरी (निर्माण) की तरह बनाया।

क़ुरआन 21:104: "जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए काग़ज़ों (या पत्रों) के पुलिंदे को लपेट दिया जाता है। जिस तरह हमने पहली बार सृष्टि की रचना शुरू की थी, उसी तरह हम उसे दोबारा पैदा करेंगे। यह हमारे ज़िम्मे एक वादा है, और हम इसे पूरा करके रहेंगे।"

सात आकाश और सात धरती

क़ुरआन 65:12: "अल्लाह ही है जिसने सात आकाश पैदा किए, और धरती भी उन्हीं के समान।····· "

तफ़सीर कुरान 65:12: इब्न कसीर इस आयत की व्याख्या में सहीह बुखारी (हदीस संख्या: **2453**) का हवाला देता है जिसमें कहा गया है: "जिसने एक बालिश्त ज़मीन भी अन्याय से ली, उसे सात धरतियों तक धंसा दिया जाएगा।"

चाँद का प्रकाश

क़ुरआन 10:5: वही है जिसने सूर्य को चमकदार और चाँद को प्रकाशमय बनाया, और उसके (चाँद के) लिए मंज़िलें तय कीं, ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। .....।

सूरज एक तारा है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, और चाँद स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। चाँद की कलाएं सदियों से समय मापने के लिए उपयोग होती रही हैं। लेकिन सौर वर्ष और ऋतुओं का हिसाब चाँद से संभव नहीं, इसीलिए इस्लामी कैलेंडर, शुद्ध चंद्र कैलेंडर है, जो मौसमों से मेल नहीं खाता और हर साल 11 दिन पीछे हो जाता है।

तफ़सीर 10:5 (जलालैन): वही (अल्लाह) है जिसने सूरज को चमक (तेज़ रौशनी) बनाया और चाँद को नूर (कोमल प्रकाश) बनाया...

अरबी शब्द नूर के कई अर्थ होते हैं, प्राकृतिक रोशनी (सूरज, चाँद, तारे, आग), कृत्रिम रोशनी (दीपक, मशाल, लालटेन), आध्यात्मिक / रूपकात्मक प्रकाश आदि।
ꕥ लेकिन इसका अर्थ डॉ. ज़ाकिर नाइक के दावे के अनुसार "परावर्तित प्रकाश" नहीं होता।

ग़लत खगोलीय अंदाज़े

क़ुरआन 37:6: हमने नज़दीकी आसमान को तारों की सजावट से सजाया।

क़ुरआन 71:15–16: क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने सात आसमान बनाए, एक के ऊपर एक? और उनमें चाँद को एक रोशनी बनाया और सूरज को एक दीपक बनाया।

क़ुरआन 41:12: "..... और हमने सबसे नीचे के आसमान को चिरागों (सितारों) से सजाया और उसे (पूरी तरह) सुरक्षित कर दिया। ...."

ꕥ तारे, चाँद और सूरज की तुलना में अत्यंत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, न कि नज़दीकी आसमान में हैं।

क़ुरआन 75:9: और सूर्य और चाँद को मिला दिया जाएगा।
तफ़सीर 75:9: (इब्न कसीर) सूर्य और चाँद की रोशनी समाप्त कर दी जाएगी और दोनों इकट्ठे कर दिए जाएंगे।

ꕥ चाँद और सूरज, आकार में बहुत ज्यादा अलग हैं, सूर्य चाँद से आकार में लगभग 400 गुना बड़ा है। चाँद की रोशनी समाप्त करने का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि चाँद में स्वयं का प्रकाश नहीं होता।"

सूरज का पीछा करता चाँद

क़ुरआन 21:33: और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चाँद को पैदा किया; सब एक-एक कक्षा (कक्षा) में तैर रहे हैं।

क़ुरआन 36:40: सूरज के लिए उचित नहीं कि वह चाँद को पकड़ ले, और न ही रात दिन से आगे निकल सकती है; और वे सभी अपने-अपने कक्ष में तैर रहे हैं।

क़ुरआन 91:1-2: और (मैं) क़सम खाता हूँ सूरज की और उसकी प्रातःकालीन चमक की। और चाँद की, जब वह उसका पीछा करता है।

क़ुरआन 91:4: "और रात की (क़सम), जब वह उसे (सूरज को) ढाँप ले।"

ꕥ वैज्ञानिक दृष्टि से **रात** कोई चीज़ नहीं है, यह केवल तब होती है जब पृथ्वी का कोई भाग सूरज की सीधी किरणों से वंचित हो जाता है। "रात दिन से आगे नहीं बढ़ सकती", जबकि असल में पृथ्वी के घूमने के कारण "रात और दिन" दोनों एक साथ अलग-अलग हिस्सों में मौजूद होते हैं।
भौतिकी में चाँद सूरज का "पीछा" नहीं करता और उनकी कक्षाएँ अलग-अलग होती हैं। और अगर चाँद सूरज को पकड़ ही नहीं सकता, तो फिर वह सूरज का पीछा क्यों कर रहा है?
**** अल्लाह सूरज की क़सम क्यों खाता है?**

यहाँ (Q36:40) सूरज की "कक्षा" से आशय गैलेक्सी (आकाशगंगा) के चारों ओर घूमने से नहीं है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने से है (**तफ़सीर इब्न कसीर**: भू-केन्द्रित धारणा)।

इंसान को किस चीज़ से पैदा किया गया?

क़ुरआन 19:67: क्या इंसान को यह याद नहीं कि हमने उसे पहले **कुछ भी नहीं से** पैदा किया?

क़ुरआन 21:30: क्या उन लोगों ने नहीं देखा जिन्होंने इनकार किया कि आसमान और ज़मीन दोनों आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया, और हर जीवित चीज़ को **पानी** से पैदा किया। क्या फिर भी वे ईमान नहीं लाएँगे?

क़ुरआन 15:26: और बेशक हमने इंसान को **जली हुई मिट्टी** (खंकारती मिट्टी) से, जो सड़ी हुई काली मिट्टी थी, शक्ल व सूरत में ढालकर पैदा किया।

क़ुरआन 37:11: तो (ऐ नबी!) उनसे पूछिए: क्या उनकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या जिसको हमने पैदा किया है? बेशक हमने उनको **चिकनी मिट्टी** से पैदा किया है।

क़ुरआन 3:59: निस्संदेह ईसा का उदाहरण अल्लाह के पास आदम के जैसा है। उसे उसने **मिट्टी** से पैदा किया, फिर उससे कहा 'हो जा', तो वह हो गया।

क़ुरआन 11:61: और समूद की तरफ उनके भाई सालिह को भेजा। उसने कहा: ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें **ज़मीन** से पैदा किया और उसमें तुम्हें बसाया।

सूरह अज़-ज़ुमर (39:6): "उसने तुम्हें एक ही जान (आदम) से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा (हव्वा) बनाया और तुम्हारे लिए पशुओं (चौपायों) में से आठ नर-मादा जोड़े उतारे। वह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में एक के बाद एक चरणों में बनाता है, तीन अंधेरों के भीतर.....?"

तफसीर इब्न कसीर (39:6): इसका अर्थ है कि अल्लाह ने तुम्हारे लाभ के लिए मवेशियों की आठ किस्में पैदा कीं। जैसा कि सूरह अल-अनआम में विस्तार से बताया गया है, ये आठ किस्में हैं: भेड़ के दो (नर और मादा), बकरी के दो, ऊँट के दो, और गाय/बैल के दो।

मवेशियों की 8 से कही ज्यादा किस्में हैं जैसे, गाय, भैंस, बकरी, गधा, खच्चर, ऊँट, हाथी, भेड़, लामा और अल्पाका, याक, बैल, भैंस, रेनडियर

माँ के गर्भ में शिशु का निर्माण

क़ुरान 86:5-7: तो मनुष्य को देखना चाहिए कि वह किस चीज से पैदा हुआ है। वह एक तरल पदार्थ से पैदा हुआ था, जो रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच से निकलता था।

तफ़सीर क़ुरान 86:7 (इब्न कथिर): अल्लाह कहता है, (वह एक पानी से बना है जो आगे बढ़ता है।) जिसका अर्थ है, वह यौन द्रव जो पुरुष और महिला से फूट कर निकलता है। इस प्रकार, अल्लाह की अनुमति से उन दोनों से बच्चा पैदा होता है। इसके कारण अल्लाह कहता है, (रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच से आगे बढ़ना।) जिसका अर्थ है, पुरुष की रीढ़ (या कमर) और महिला की पसलियाँ, जो उसकी छाती को संदर्भित करती हैं।

क़ुरान 23:12-14: और हमने मनुष्य (आदम) को मिट्टी के अर्क से बनाया। फिर हमने उसे (आदम की संतान को) एक नुत्फा (नर और मादा के यौन स्राव की मिश्रित बूंदें और उसे सुरक्षित स्थान (स्त्री के गर्भ) में रखा) बनाया। फिर हमने नुत्फा (शुक्राणु-बूंद) को एक थक्का (मोटे जमे हुए खून का एक टुकड़ा) बनाया, फिर हमने उस थक्के को मांस का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया, फिर हमने उस मांस के छोटे से टुकड़े से हड्डियाँ बनाईं, फिर हमने हड्डियों को मांस से ढक दिया, फिर हम उसे एक और रचना के रूप में सामने लाए ।

क़ुरआन 16:4: उसने इंसान को नुत्फ़ा (वीर्य की एक बूँद) से पैदा किया, फिर देखो, वही खुलकर झगड़ने वाला बन गया।

क़ुरआन 75:37: क्या इंसान नुत्फ़ा (वीर्य की बूँद) नहीं था, जो टपकाई जाती थी?

क़ुरआन 96:2: जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया।

क़ुरआन 53:45-46: और उसी ने नर और मादा के जोड़े पैदा किए। एक नुत्फ़ा (वीर्य की बूँद) से जब वह टपकाई जाती है।

क़ुरआन 75:38-39: फिर वह एक लोथड़ा (जमा हुआ खून) बना, फिर अल्लाह ने उसे बनाया और सही शक्ल दी। फिर उसी से नर और मादा के जोड़े बनाए।

* कहीं भी **अंडाणु (ओवम)** का स्पष्ट शब्द या उपमा नहीं आती। औरत के अंडाणु की विज्ञान में खोज बहुत बाद में हुई। उस दौर में बीज की पूरी जिम्मेदारी मर्द के शुक्राणु को समझा जाता था।

सहीह मुस्लिम, किताब 33, हदीस 6392: अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है: उन्होंने कहा: "हमसे अल्लाह के रसूल (स.) ने बयान किया और वे सच्चे हैं, जिनकी बात सच्ची ही होती है कि तुम में से किसी एक का निर्माण उसकी माँ के पेट में चालीस दिन तक नुत्फ़ा (वीर्य-बूँद) के रूप में होता है। फिर वही चालीस दिन तक अलक़ा (खून का लोथड़ा) बन जाता है। फिर वही चालीस दिन तक मज़ग़ा (चबाया हुआ मांस) बन जाता है। फिर अल्लाह एक फ़रिश्ता भेजता है वह **उसमें रूह फूँकता है** और उसे चार बातें लिखने का हुक्म दिया जाता है: रिज़्क़ (रोज़ी), मौत (मौत का वक्त), अमल (कर्म), और बदनसीब होगा या खुशकिस्मत....."

***मानव भ्रूण विकास:**

सप्ताह 1 — शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और **ज़ाइगोट** बनता है।

सप्ताह 2 — ब्लास्टोसिस्ट बनता है और गर्भाशय की दीवार में चिपकता है

सप्ताह 4–8 — दिल धड़कना शुरू करता है, आँखें, कान, हाथ-पैर के शुरुआती रूप बनते हैं। इस चरण के अंत में भ्रूण को **फीटस** कहा जाता है।

सप्ताह 9–12 — चेहरे और हड्डियों का निर्माण, भ्रूण हिलना-डुलना शुरू करता है।

ﷺ हदीस के मुताबिक 120 दिन (लगभग 16 सप्ताह) के बाद फ़रिश्ता बच्चे में रूह फूँकता है।

औसत इंसानी गर्भकाल की अवधि

क़ुरआन 2:233: माएँ अपने बच्चों को पूरे दो साल दूध पिलाएँ, जो कोई पूरी मुद्दत पूरी कराना चाहे...

क़ुरआन 31:14: और हमने इंसान को उसके माँ-बाप के साथ भलाई करने की ताकीद की, उसकी माँ ने उसे कमज़ोरी पर

कमज़ोरी झेलकर पेट में रखा, और उसका दूध छुड़ाना दो साल (24 महीने) में है...

क़ुरआन 46:15: और हमने इंसान को उसके माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद की है। उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ के साथ पेट में रखा और तकलीफ़ के साथ ही उसे जना। और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना मिलाकर कुल तीस महीने हैं।

तफ़सीरकार बताते हैं कि: औसतन गर्भकाल **6 महीने** समझा गया। फिर 6 महीने + 24 महीने (दूध छुड़ाना) = 30 महीने।

मेडिकल साइंस: औसत इंसानी गर्भकाल की अवधि लगभग 9 महीने (औसतन 40 हफ़्ते या 280 दिन) मानी जाती है। कभी-कभी 37 से 42 हफ़्तों के बीच पैदा होना भी नार्मल माना जाता है। **6 महीने (24 हफ्ते) में पैदा हुआ बच्चा प्रीमैच्योर बेबी कहलाता है।**

अल्लाह ही जानता है कि गर्भाशयों में क्या है?

क़ुरआन 31:34: निःसंदेह अल्लाह ही के पास क़ियामत का ज्ञान है, वही बारिश उतारता है और गर्भाशयों (रह्म) में जो कुछ है उसे वही जानता है...

अल्ट्रासाउंड से बच्चे की उम्र, जुड़वा, स्थिति, दिल की धड़कन, लिंग, शारीरिक विकृतियाँ या जन्म दोष देखा जाता है। आजकल कई प्रकार के **जेनेटिक टेस्ट** भी हैं, इनसे बच्चे का लिंग, अनुवांशिक बिमारियों का पता लगाया जा सकता है।

मरयम का खजूर के पेड़ को हिलाना

क़ुरआन 19:25: और (मरयम से कहा गया) खजूर के पेड़ के तने को अपनी ओर हिलाओ, तो वह तुम पर ताज़ा और पकी हुई खजूरें गिरा देगा।

ꕥ सामान्य तौर पर किसी एक इंसान ख़ासकर अकेली महिला के लिए अपने दम पर खजूर के पेड़ को इतना हिलाना कि पके खजूर गिर जाएँ, लगभग असंभव है।

प्राकृतिक घटनाओं का "दैवीय अपहरण"

कुरान 7:57: "और वही है जो अपनी 'रहमत' (वर्षा) से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है; यहाँ तक कि जब वे भारी बादलों को उठा लेती हैं, तो हम उन्हें किसी 'मरे हुए शहर' (सूखी ज़मीन) की ओर हाँक देते हैं, फिर वहाँ पानी बरसाते हैं और उसके ज़रिए हर तरह के फल निकालते हैं। इसी तरह हम 'मुर्दों' को (कब्रों से) निकालेंगे, ताकि तुम ध्यान दो।"

कुरान 16:79: "क्या उन्होंने परिंदों (पक्षियों) को नहीं देखा जो आसमान की ऊँचाई (हवा) में अल्लाह के आदेश के अधीन हैं? उन्हें अल्लाह के सिवा कोई थामे हुए नहीं है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो ईमान रखते हैं।"

कुरान 67:19: "क्या उन्होंने अपने ऊपर (उड़ते हुए) पक्षियों को नहीं देखा जो पंख फैलाए रहते हैं और (कभी-कभी) उन्हें सिकोड़ लेते हैं? रहमान (अल्लाह) के सिवा उन्हें कोई नहीं थामे रहता। बेशक वह हर चीज़ को देख रहा है।"

कुरान 55:24: "और समुद्र में ऊँचे उठे हुए पहाड़ जैसे जहाज़ उसी के हैं।"

आयत बारिश और हवा को एक "जादुई" और "दैवीय" प्रक्रिया के रूप में पेश करती है। आप जानते हैं कि वर्षा एक जल-चक्र है जो भौतिक विज्ञान के नियमों से चलती है, न कि किसी फरिश्ते द्वारा बादलों को "हाँकने" से। जहाज़ आर्किमिडीज के सिद्धांत और विज्ञान के नियमों से तैरते हैं, फरिश्ते के 'पकड़ने' से नहीं।

क़ुरआन में पैग़म्बरों की कहानियाँ

1. आदम (अलै.): सूरह: बक़रह (2:30-39), आराफ़ (7:11–27), साद (38:71–85)

इंसानियत के पहले पैग़म्बर और पहले इंसान। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया, फरिश्तों को सज्दा करने को कहा। इब्लीस ने इंकार किया और शैतान बन गया। आदम और हव्वा को जन्नत में रखा गया, फिर शैतान ने बहकाया और धरती पर उतार दिए गए।

2. इदरीस (हनोख) अलै.: सूरह: मरियम (19:56-57), अंबिया (21:85-86)

आदम अलै. के बाद दूसरे बड़े नबी। हुनर, लेखन और सिलाई के पहले शिक्षक माने जाते हैं। माना जाता है कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों में ऊँचा उठाया।

3. नूह (नोह) अलै.: सूरह: हूद (11:25–49), नूह (71 पूरी सूरह), क़मर (54:9–15)
उन्होंने अपनी क़ौम को 950 साल तक तौहीद की दावत दी, पर क़ौम ने न मानी। अल्लाह ने उन्हें एक बड़ी नाव बनाने का हुक्म दिया।अल्लाह ने तूफ़ान भेजा, नाव में सिर्फ़ ईमानवाले और जानवरों के जोड़े बचे, बाकी सब की मौत हो गई।

4. हूद (अलै.): सूरह: हूद (11:50–60), आराफ़ (7:65–72), शुअरा (26:123–140)
क़ौम-ए-आद के लिए भेजे गए। क़ौम बहुत ताक़तवर थी लेकिन घमंड में डूब गई। चेतावनी न मानी — ज़बरदस्त आँधी ने सबको मिटा दिया।

5. सालेह (अलै.): सूरह: हूद (11:61–68), आराफ़ (7:73–79), शुअरा (26:141–159)
क़ौम-ए-समूद को भेजे गए। ऊँटनी का मोजिज़ा — चट्टान से ऊँटनी निकली। क़ौम ने ऊँटनी को मार डाला, इस कारण ज़लज़ले से बर्बाद हो गई।

6. इब्राहीम (अब्राहम) (अलै.): सूरह: बक़रह (2:124-141), अंबिया (21:51-70), साफ़्फ़ात (37:83-113) तौहीद के बड़े पैग़म्बर, मूर्तिपूजा का विरोध किया। आग में डाले गए, अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। बेटे इस्माईल (अलै.) को अल्लाह के लिए क़ुर्बान करने को तैयार हुए, लेकिन अल्लाह ने क़ुर्बानी के समय, इनको दुम्बे (भेड़) से बदल दिया। बेटे इस्माईल के साथ काबा की तामीर की।

इस्लामी विद्वानों के अनुसार क़ुर्बानी के बेटे **इस्माईल** (अलै.) थे। **बाइबल (जेनेसिस, 22:1–2)** में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहीम (अलै.) को आदेश दिया कि वह अपने बेटे **इसहाक़** (अलै.) को क़ुर्बान करें। बाइबल ज्यादा पुरानी किताब है... क्या माना जाए?

क़ुरआन 2:260: "और (याद करो) जब इब्राहीम ने कहा: 'हे मेरे रब! मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिन्दा करता है।' अल्लाह ने फ़रमाया: 'क्या तू ईमान नहीं लाया?' उन्होंने कहा: 'क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल संतुष्ट हो जाए।' अल्लाह ने कहा: 'तो चार परिंदे ले और उन्हें अपने पास कर ले (पाल ले) फिर उन्हें (काटकर) टुकड़ों में कर दे, फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक-एक हिस्सा रख दे। फिर उन्हें पुकार, वो तेरे पास दौड़ते हुए आएँगे। और जान ले कि अल्लाह ग़ालिब और हिकमत वाला है।'"

7. लूत (अलै.): सूरह: हूद (11:77-83), आराफ़ (7:80-84), हिज्र (15:57-77)
इब्राहीम (अलै.) के भतीजे। अपनी क़ौम को बुराइयों से रोका, समलैंगिकता पर चेतावनी दी। क़ौम ने न मानी, अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी और उलट-पलट कर तबाह कर दिया।

8. इस्माईल (अलै.): सूरह: साफ़्फ़ात (37:99–111), बक़रह (2:125–129), मरियम (19:54–55)
इब्राहीम (अलै.) के बेटे। मक्का के बसने का किस्सा।

क़ुरआन 14:37: "ऐ हमारे रब! मैंने अपनी औलाद को तेरे पवित्र घर (काबा) के पास एक ऐसे घाटी में बसाया है, जो बंजर (खेती लायक़ नहीं) है..."

सहीह बुखारी हदीस 3364: अल्लाह के हुक्म से पैग़म्बर इब्राहीम ने अपनी पत्नी हाजरा और नवजात बेटे इस्माईल को उस जगह (आज का मक्का) में छोड़ा जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। जब पानी खत्म हो गया तो हज़रत इस्माईल को प्यास लगी। हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश शुरू की और **सफा** और **मरवा** पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ीं। इसी घटना की याद में हज और उमरा में 'सई' की रस्म अदा की जाती है। अल्लाह ने जिब्रील (अलै.) को भेजा। उन्होंने अपनी एड़ी से ज़मीन पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा ने कहा **"ज़मज़म"** यानी रुक जा, रुक जा! इस तरह इस कुएँ का नाम ज़मज़म पड़ा ।

इब्न माजा, हदीस नं. 3062: "ज़मज़म का पानी वही चीज़ देता है जिसकी नीयत से पीया जाए।"

9. इसहाक (अलै.): सूरह: बक़रह (2:133), साफ़्फ़ात (37:112–113), हूद (11:71–73)
इब्राहीम (अलै.) के दूसरे बेटे, बनी इस्राईल (यहूदी) की नस्ल का सिलसिला। बहुत नेक और सीधे रास्ते वाले।

10. याक़ूब (अलै.): सूरह: बक़रह (2:132–133), यूसुफ़ (12 पूरी सूरह)

इसहाक (अलै.) के बेटे और यूसुफ़ (अलै.) के पिता। बारह बेटों के परिवार से बनी इस्राईल बना।

11. यूसुफ़ (अलै.): सूरह: यूसुफ़ (12 पूरी सूरह)
भाईयों ने कुएँ में फेंक दिया, मिस्र में ग़ुलाम बनाकर बेचा गया। जेल गए, फिर बादशाह के ख़्वाब की व्याख्या दी — मिस्र के कोषाध्यक्ष बने। भाईयों ने पश्चाताप किया, सब मिल गए।

क़ुरआन सूरह यूसुफ़ 12:20: "और उन्होंने उसे बहुत ही कम कीमत पर, गिनी-चुनी **दिरहमों** के बदले बेच दिया; और वे उसके मामले में बिल्कुल बेपरवाह थे।"

दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात सिक्के लगभग 650–600 ईसा-पूर्व लिडिया (आज का पश्चिमी तुर्की) में मिले हैं। बाइबिल में यूसुफ़ वही जोसेफ़ हैं, जिनकी कहानी **जेनेसिस 37–50** में विस्तार से मिलती है। सिक्के का आविष्कार 650–600 ईसा-पूर्व, जोसेफ़ के समय 1800 ईसा-पूर्व से ~1100–1200 साल बाद अस्तित्व में आए। उस समय चाँदी तौलकर लेन-देन होता था, फिर क़ुरआन 12:20 में "दिरहमों" क्यों आया?

12. शुऐब (अलै.): सूरह: हूद (11:84–95), आराफ़ (7:85–93), शुअरा (26:176–191)
क़ौम-ए-मदीयन को भेजे गए। व्यापार में बेईमानी से रोका। क़ौम ने न माना, भूकंप से नष्ट।

13. अय्यूब (अलै.): सूरह: अंबिया (21:83–84), साद (38:41–44)
बहुत धैर्यवान नबी। शैतान ने बीमारी और नुक़सान पहुँचाया। कभी शिकायत नहीं की, अल्लाह ने फिर से सब वापस दिया।

14. धुल-किफ़्ल (अलै.): सूरह: अंबिया (21:85), साद (38:48)
बहुत कम विवरण है। माना जाता है न्यायप्रिय और सब्र वाले नबी।

15. मूसा (अलै.): सूरह: ताहा (20 पूरी), क़सस (28 पूरी), आराफ़ (7), बक़रह (2)
सबसे ज़्यादा क़ुरआन में वर्णित पैग़म्बर मूसा (अलै.) हैं। फिरऔन के ज़ुल्म के ख़िलाफ़ भेजे गए। अल्लाह ने उन्हें लकड़ी (असा) दी, जो अजगर बनती थी। तोरात मिली, लेकिन क़ौम बार-बार भटक गई।

समुद्र में रास्ता बनाना

क़ुरान 26:63: तब हमने मूसा को वह्यी की कि अपनी लाठी से समुंदर पर मारो — तो वह फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया।
-- समुद्र का पानी दो भागों में बंट गया और बीच में सूखी ज़मीन का रास्ता बन गया। मूसा और इस्राइली क़ौम उस रास्ते से पार निकल गए। फिरऔन की फौज भी उसी में घुसी लेकिन जब मूसा की क़ौम पार निकल गई तो पानी वापस मिल गया और फिरऔन अपनी फौज समेत डूब गया।

गाय के टुकड़े की मदद से मृत जी उठना

क़ुरान 2:71-73: मूसा ने कहा, "वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो सधाई हुई नहीं है कि भूमि जोतती हो, और न वह खेत को पानी देती है, ठीक-ठाक है, उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं है।" बोले, "अब तुमने ठीक बात बताई है।" फिर उन्होंने उसे ज़ब्ह किया, जबकि वे करना नहीं चाहते थे। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर उस सिलसिले में तुमने टाल-मटोल से काम लिया (जिसको तुम छिपा रहे थे), अल्लाह उसे खोल देनेवाला था। तो हमने कहा, " इस (गाय) के एक टुकड़े से उस (मृत व्यक्ति) को मारो।" इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, ताकि तुम समझो।

तफ़सीर क़ुरान 2:73 (अल-जलालैन): इसलिए हमने कहा 'मारे गए व्यक्ति को गाय के एक हिस्से से मारो' और इसलिए जब उसे इसकी जीभ या इसकी पूंछ से मारा गया तो वह फिर से जीवित हो गया और कहा 'फलां ने मुझे मार डाला' और अपने दो चचेरे भाइयों की ओर इशारा करने के बाद वह मर गया; दोनों हत्यारों को विरासत से वंचित कर दिया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया।

माँ–माँ की आवाज़ करने वाला सोने का बछड़ा
क़ुरआन 20:88–89: फिर उसने उनके लिए एक बछड़े का पुतला ढाला, जो माँ–माँ की आवाज़ करने लगा। उन्होंने कहा: 'यह तुम्हारा और मूसा का भगवान है, लेकिन मूसा भूल गए!'"

16. हारून (अलै.): सूरह: ताहा (20:29–36), आराफ़ (7:142–150)
मूसा (अलै.) के भाई। बनी इस्राईल में मूसा के सहायक।

17. यूनुस (अलै.) सूरह: सफ़्फ़ात (37:139–148), यूनुस (10:98), अंबिया (21:87–88)
क़ौम ने बात न मानी, नाराज़ होकर चले गए। मछली ने निगल लिया, फिर अल्लाह से माफ़ी माँगी और सुरक्षित निकले - क़ौम ने तौबा की।

18. इलियास (अलै.): सूरह: साफ़्फ़ात (37:123–132), अंबिया (21:85)
मूर्तिपूजा करने वालों को रोका, दावत-ए-तौहीद दी।

19. अल-यसा (एलिशा) (अलै.): सूरह: साफ़्फ़ात (37:123–132), अंबिया (21:85)
नेक, सब्र वाले, सही राह दिखाने वाले।

20. दाऊद (डेविड) (अलै.): सूरह: साद (38:17–26), सबा (34:10–11)
बादशाह और नबी दोनों। गुलियात (गोलियथ) को हराया। **ज़बूर** किताब मिली, बहुत न्यायप्रिय।

21. सुलेमान (अलै.): सूरह: नमन (27:15–44), सबा (34:12–14)
दाऊद (अलै.) के बेटे। जिन्न, हवाओं, जानवरों पर हुकूमत। बिल्क़ीस (सबाईन रानी) का किस्सा।

उड़ता हुआ कालीन

कुरान 21:81: और सुलेमान के लिए हमने तेज़ हवा को वश में किया, जो उसके आदेश पर उस भूमि की ओर उड़ती थी जिसे हमने आशीर्वाद दिया था। और हम हर चीज़ के बारे में जानने वाले हैं।

तफ़सीर कुरान 21:81 (इब्न कथिर): उसके पास लकड़ी की बनी एक चटाई थी जिस पर वह अपने राज के सारे सामान रखते थे; घोड़े, ऊँट, तंबू और सेना, फिर वह हवा को उसे ले जाने का आदेश देते थे, और वह उसके नीचे चले जाते थे, और वह उन्हें ऊपर उठाती थी, उन्हें छाया देती थी और उन्हें गर्मी से बचाती थी, भूमि में जहाँ भी वह जाना चाहते थे, वहाँ पहुँच जाती थी। फिर वह नीचे आती और उनके सामान और साथियों को नीचे उतार देती।

पत्थर, पेड़, भोजन और चींटियाँ इंसानों की तरह बात और व्यवहार

कुरान 27:16-19: और सुलेमान को दाऊद का ज्ञान विरासत में मिला। उन्होंने कहा: "हे लोगों! हमें पक्षियों की भाषा सिखाई गई है, और हमें हर चीज़ प्रदान की गई है। यह वास्तव में (अल्लाह की ओर से) एक स्पष्ट अनुग्रह है।" और सुलेमान के सामने जिन्न और मनुष्य और पक्षी की सेनाएँ एकत्र हुईं, और वे सभी युद्ध क्रम में (आगे बढ़ने के लिए) तैयार थे। यहाँ तक कि जब वे चींटियों की घाटी में पहुँचे, तो चींटियों में से एक ने कहा: "ऐ चींटियों! अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलैमान और उसकी सेनाएँ तुम्हें कुचल डालें, जबकि उन्हें इसका एहसास भी न हो।" तो वह उसकी बात सुनकर हँसा और बोला: "मेरे रब! मुझे वह शक्ति और क्षमता प्रदान कर कि मैं तेरे उन उपकारों का आभारी रहूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माता-पिता पर किए हैं, और ताकि मैं ऐसे अच्छे कर्म करूँ जो तुझे प्रसन्न करें, और अपनी दया से मुझे अपने अच्छे बन्दों में शामिल कर।"

जिन्नात: आग से बनाए गए एक अलग तरह के जीव

कुरान 34:12: और सुलैमान के लिए हमने हवा को वश में कर दिया, उसकी सुबह (सूर्योदय से दोपहर तक) एक महीने की (यात्रा) थी, और उसकी दोपहर (सूर्य के दोपहर से सूर्यास्त तक) एक महीने की (यात्रा) थी यानी एक दिन में वह दो महीने (यात्रा) कर सकता था। और हमने उसके लिए (पिघले हुए) पीतल का एक फव्वारा बहा दिया, और उसके रब की अनुमति से उसके आगे जिन्न काम करते थे। और उनमें से जो कोई हमारे आदेश से विमुख हुआ, हम उसे भड़कती हुई आग की यातना का मज़ा चखाएँगे।

** जिन्नात उनके लिए क़िले, मूर्तियाँ, हौज़ आदि बनाते थे। हज़रत सुलेमान के दरबार में जब उन्होंने कहा कि क़ौम-ए-सबा (सबाईन रानी बिल्क़ीस) का सिंहासन कौन ला सकता है, तो एक इफ़रीत जिन्न ने कहा: "मैं आपको वो तख़्त लाकर दूँगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें।" (**क़ुरआन 27:39**)

22. ज़ुल-करनैन (कुछ उलमा नबी नहीं, बल्कि बादशाह मानते हैं): सूरह: क़हफ़ (18:83–98)
बहुत ताक़तवर बादशाह, पूर्व से पश्चिम तक सफ़र, याजूज माजूज को दीवार बनाकर रोका।

कुरान 18:83-86: और वे तुमसे ज़ुल-क़रनैन के बारे में पूछते हैं। कहो: "मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ।" बेशक, हमने उसे धरती में स्थापित किया और हमने उसे हर चीज़ का ज़रिया दिया। इसलिए वह एक रास्ते पर चल पड़ा। जब वह सूरज के अस्त होने के स्थान

पर पहुंचा, तो उसने उसे काले कीचड़ (या गर्म) पानी के झरने में डूबते हुए पाया।

धुल-क़रनैन सिकंदर महान थे: तफ़सीर कुरान 18:83 (जलालैन): और यहूदी तुमसे धुल-क़रनैन के बारे में पूछते हैं जिसका नाम सिकंदर था; वह कोई पैगम्बर नहीं था। कहो 'मैं तुम्हें उसके बारे में एक ज़िक्र सुनाता हूँ' उसके मामले के बारे में।

तफ़सीर कुरान 18:86 (इब्न अब्बास): (यहाँ तक कि, जब वह सूरज के अस्त होने के स्थान पर पहुँचा) जहाँ सूरज डूबता है, (उसने उसे एक कीचड़ भरे झरने में डूबता हुआ पाया) एक काला, कीचड़ भरा और बदबूदार झरना; यह भी कहा जाता है कि इसका मतलब है: एक गर्म झरना, (और वहाँ लोगों को पाया) ये लोग काफ़िर थे: (हमने कहा: ऐ ज़ुल-क़रनैन!) हमने उसे प्रेरित किया (या तो सज़ा दो) या तो उन्हें मार डालो जब तक कि वे यह मानने को तैयार न हो जाएँ कि अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है (या उन पर दया करो) या आप उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें जाने दो।

अल-तबारी खंड 5, पृष्ठ 173-174: मेरे सामने धूल-करनैन ने खुद को [अल्लाह के सामने] समर्पित कर दिया, एक राजा जिसके सामने अन्य राजा विनम्र हो गए और इस दरबार में भीड़ लगा दी] । उसने पूर्वी और पश्चिमी भूमि पर शासन किया, फिर भी एक बुद्धिमान, सही मार्गदर्शन वाले विद्वान से ज्ञान के साधन मांगे। उसने सूर्य को अपने विश्राम स्थल में काले और दुर्गंधयुक्त कीचड़ के एक कुंड में डूबते हुए देखा।

फुटनोट: **कुरान, 18:82-97** का "**दो सींग वाला आदमी**", जिसे आम तौर पर मुस्लिम विद्या में सिकंदर महान के साथ पहचाना जाता है,

कुरान 36:28: और सूरज अपने रुकने के बिंदु की ओर दौड़ता है

हदीस सहीह बुखारी 3199: अबूज़र से रिवायत है: नबी (स.) ने सूर्यास्त के समय मुझसे पूछा, "क्या तुम जानते हो कि सूरज (सूर्यास्त के समय) कहाँ जाता है?" मैंने जवाब दिया, "अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं।" उन्होंने कहा, "यह यहाँ तक जाता है (यानी यात्रा करता है) कि अर्श के नीचे सजदा कर ले और फिर से उठने की इजाज़त ले ले, और इसे इजाज़त मिल जाती है और फिर (एक समय आएगा) जब यह सजदा करने वाला होगा लेकिन इसका सजदा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और यह अपने रास्ते पर जाने की इजाज़त मांगेगा लेकिन इसे इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि इसे आदेश दिया जाएगा कि जहाँ से यह आया है वहीं वापस चला जाए और इस तरह यह पश्चिम में उदय होगा। और यही अल्लाह के कथन की व्याख्या है: "और सूरज एक निश्चित अवधि (निर्धारित) तक अपने निर्धारित मार्ग पर चलता है। यह अल्लाह का हुक्म है जो अत्यन्त प्रभुत्वशाली, सर्वज्ञ है।" (**Q 36:38**)

हदीस अबू दाऊद 4002: अबू ज़र्र ने बयान किया: मैं अल्लाह के रसूल (स.) के पीछे बैठा था जो सूरज ढलते समय गधे पर सवार थे। उन्होंने पूछा: क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ डूबता है? मैंने जवाब दिया: अल्लाह और उसके रसूल सबसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा: यह गर्म पानी के झरने (हामिया) में डूबता है।

कुरान में यह बात आती है कि सूरज काले कीचड़ (या गर्म) पानी के झरने में डूबता हुआ दिखाई दिया। हदीस से साफ़ साबित होता है कि इस आयत का क्या मतलब है।

क़ुरआन 18:96-97: मेरे पास **लोहे की चादरें** लाओ। फिर जब उसने दोनों पहाड़ों के बीच की जगह को बराबर कर दिया, तो कहा: **फूँको** (आग दहकाओ)। यहाँ तक कि जब उसने उसे **आग** बना दिया, तो कहा: **मेरे पास पिघला हुआ ताँबा** लाओ, ताकि मैं उसे उस पर उँडेल दूँ। वे न उस पर चढ़ सके, न उसमें सुराख़ कर सके।

तफ़सीर क़ुरआन 18:96 (इब्न कसीर): ज़ुल-क़रनैन ने लोगों से लोहे के बड़े-बड़े टुकड़े मँगवाए और उन्हें दोनों पहाड़ों के बीच परत-दर-परत रखवाया, यहाँ तक कि वह दर्रा भर गया और दोनों किनारों के बराबर हो गया। फिर उसने लोगों को आग धौंकने का आदेश दिया, यहाँ तक कि वह लोहा आग की तरह लाल हो गया। उसके बाद उसने पिघला हुआ ताँबा (क़ित्र) मँगवाया और उसे उस लाल-गरम लोहे पर उँडेल दिया, जिससे वह दीवार और अधिक मज़बूत, ठोस और अभेद्य हो गई। इस तरीक़े से बनाई गई दीवार इतनी मज़बूत थी कि **याजूज-माजूज** न तो उस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराख़ कर सके। [**याजूज और माजूज** क़ुरआन में वर्णित दो क़ौमें हैं, जो धरती पर **फ़साद (उपद्रव)** मचाने वाली बताई गई हैं।]

क़ुरआन सूरह अल-कहफ़ 18:99 — क़यामत के क़रीब वह रोक हटा दी जाएगी।

आदर्श रूप में यह दीवार आज भी मौजूद होनी चाहिए क्योंकि इसे क़यामत के दिन ही तोड़ा जाएगा। साथ ही, यह सिकंदर (ज़ुल-क़रनैन) की जीवनी में कहीं भी उल्लेखित नहीं है।

23. ज़करिया (अलै.): सूरह: मरियम (19:2–15), अंबिया (21:89–90)
बूढ़े होने के बावजूद बेटे की दुआ की और अल्लाह ने यह्या दिया।

24. यह्या (जॉन द बैप्टिस्ट) (अलै.): सूरह: मरियम (19:12–15), आले इमरान (3:39)
ज़करिया (अलै.) के बेटे, ईसा (अलै.) के आने की बशारत दी। नेक, सच्चे, बचपन से नबी।

25. ईसा (यीशु) (अलै.)
इस्लाम के अनुसार ईसा मसीह का जन्म चमत्कारिक रूप से हुआ था।

क़ुरआन 19:20-21: उसने (उनकी माता, मरयम) कहा, 'मेरे यहाँ पुत्र कैसे होगा जबकि मुझे किसी पुरुष ने छुआ तक नहीं और न ही मैं कोई बुरी स्त्री हूँ। उसने (फ़रिश्ता जिब्रील (अलै.)) कहा, 'ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने कहा है: यह मेरे लिए आसान है और हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ़ से रहमत बनाएँगे। और यह एक तयशुदा बात है।'

क़ुरआन 3:47: उसने कहा: 'हे मेरे पालनहार! मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि किसी पुरुष ने मुझे छुआ तक नहीं?' उसने कहा: 'ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहे पैदा करता है...'

क़ुरआन के अनुसार, ईसा मसीह ने बचपन में पालने में ही बोलकर अपनी माता की पवित्रता सिद्ध की और अपनी नबूवत का ऐलान किया (**Q 19:29–33**) ।

बनी इस्राईल के लिए नई किताब **इंजील** दी। अल्लाह ने उन्हें जिन्दा आसमानों में उठा लिया। सूरह: मरियम (**19:16–40**), आले इमरान (**3:45–52**), मायिदा (**5:110–120**)

दज्जाल: सहीह हदीसों में पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने बताया कि क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा फ़ितना (परीक्षा) आएगा — वह होगा दज्जाल। दज्जाल एक आंख वाला एक इंसान होगा । वह लोगों को झूठे चमत्कार दिखा कर अपनी खुदाई का दावा करेगा। आख़िर में हज़रत ईसा (यीशु) वापस आएँगे और दज्जाल को मार देंगे।

26. आख़िरी नबी — पैग़म्बर मुहम्मद (स.)
अंतिम रसूल, क़ुरआन नाज़िल हुआ।

इस्रा व मीराज

पैग़म्बर मुहम्मद (स.) मक्का में काबा शरीफ़ के पास आराम कर रहे थे या काबा शरीफ़ के पास हिज्र इस्माईल में लेटे थे। वहीँ जबराईल (अलै.) आये और पैग़म्बर का सीना खोला, दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और हिकमत व ईमान से भर दिया। फिर पैग़म्बर को बुराक़ नाम की दिव्य सवारी पर बिठाया गया — बुराक़ बिजली की रफ़्तार से चलने वाला एक सफ़ेद सवारी जीव था। आपको मस्जिद-ए-हराम (मक्का) से मस्जिद-ए-अक्सा (यरुशलम) लाया गया। यरुशलम में तमाम पूर्व नबियों की रूहों ने हाज़िरी दी और पैग़म्बर मुहम्मद ने सबकी इमामत करवाई। ये हिस्सा **इस्रा** कहलाता है — यानी 'रात्रि यात्रा'। इसका ज़िक्र **सूरह इस्रा 17:1** में है।

क़ुरआन 17:1: "पाक है वह (अल्लाह) जो अपने बन्दे (मुहम्मद स.) को रातों-रात मस्जिद-ए-हराम (मक्का) से मस्जिद-ए-अक़्सा (यरुशलम) तक ले गया — जिसके चारों ओर हमने बरकत दी ताकि हम उसे अपनी निशानियाँ दिखाएँ। निःसंदेह वही सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है।"

इसके बाद जो **मीराज (आसमानों की यात्रा)** है, उसका विवरण सीधे क़ुरआन में खुलकर नहीं है, लेकिन संकेत में सूरह अन-नज्म (53:13-18) में हैं:

क़ुरआन 53:13-18: और निश्चय ही उसने उसे दूसरी बार उतरने के समय देखा, सिदरतुल मुन्तहा के पास। जहाँ पास ही रहने वाला जन्नतुल-मअवा है। जब सिदरतुल मुन्तहा को ढाँक लिया उस चीज़ ने जो ढाँक लिया। नज़र न बहकी और न हद से आगे बढ़ी। वास्तव में उसने अपने रब की सबसे बड़ी निशानियाँ देखीं।

** फिर वहाँ से जबराईल (अलै.) ने पैग़म्बर को सात आसमानों की यात्रा कराई। इसके बाद पैग़म्बर सिदरतुल मुन्तहा (आख़िरी सीद्धान्तिक हद) तक पहुँचे जहाँ जबराईल (अलै.) भी रुक गए। वहाँ पैग़म्बर को अल्लाह की निशानियाँ दिखाई गईं। वहीं पाँच वक़्त की

नमाज़ों का हुक्म दिया गया। पहले पचास नमाज़ें थीं, हज़रत मूसा (अलै.) की सलाह पर पैग़म्बर ने दुआ की तो अल्लाह ने रहमत से घटा कर पाँच कर दीं, लेकिन पाँच का सवाब पचास का ही रहेगा। **सहीह बुख़ारी:** किताब-उल-सलात, किताब-उल-अम्बिया, **सहीह मुस्लिम:** किताब-उल-इमान

हदीस सहीह बुखारी 3887: अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपनी रात की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, "जब मैं अल-हातिम या अल-हिज्र में लेटा हुआ था, अचानक कोई मेरे पास आया और मेरे शरीर को यहाँ से यहाँ तक चीर दिया।" मैंने अल-जरूद से पूछा जो मेरे बगल में था, "उसका क्या मतलब है?" उसने कहा, "इसका मतलब उनके गले से उनके जघन क्षेत्र तक है," या कहा, "छाती के ऊपर से।" पैगंबर ने आगे कहा, "फिर उसने मेरा दिल निकाल लिया। फिर ईमान की एक सोने की ट्रे मेरे पास लाई गई और मेरे दिल को धोया गया और (ईमान से) भर दिया गया और फिर इसे (दिल को) अपनी मूल जगह पर लगा दिया गया। फिर एक सफेद जानवर जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था, मेरे पास लाया गया।" (इस पर अल-जरूद ने पूछा, "क्या यह बुराक था, हे अबू हमजा?" मैंने (यानी अनस ने) सकारात्मक उत्तर दिया)। पैगंबर ने कहा, "जानवर का कदम (इतना चौड़ा था कि) उस दूर के बिंदु तक पहुंच गया जहां जानवर की नज़र पहुंच सकती थी। मुझे उस पर ले जाया गया, और जिब्रिल (फ़रिश्ता) मेरे साथ तब तक चले जब तक हम निकटतम स्वर्ग (आसमान) तक नहीं पहुंच गए।

पारसी धर्म में **'अरदा विराफ'** की कहानी को **'मेराज'** का प्राचीन आधार मानते हैं। यह कहानी एक पहलवी ग्रंथ **'अरदा विराफ नामग'** में मिलती है। 'विराफ' नाम के एक नेक इंसान ने एक विशेष पवित्र पेय पीया, जिसके बाद उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। विराफ के साथ दो दिव्य दूत सरोश और अतर थे जिन्होंने उन्हें पूरा परलोक दिखाया। प्राचीन फारसी काल में पंख वाले घोड़ों को आत्माओं को स्वर्ग ले जाने वाला वाहन माना जाता था।
समानताएं: समय रात की यात्रा, देवदूत, सवारी दिव्य माध्यम/बराग, स्वर्ग-नर्क देखना और ईश्वर (अहुरा मज़्दा) से मिलना, 5 नमाज़ों और धार्मिक नियमों की पुष्टि

सहीह अल-बुख़ारी 349: पैग़म्बर मुहम्मद (स.) पर नमाज़ उस रात फ़र्ज़ हुई जब उन्हें इसरा और मेराज में ले जाया गया। पहले पचास नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं, फिर घटाई जाती रहीं यहाँ तक कि पाँच रह गईं। फिर ऐलान हुआ "ऐ मुहम्मद (स.)! मेरे पास यह फ़ैसला बदला नहीं जाता। तुम्हारे लिए इन पाँच नमाज़ों का सवाब पचास नमाज़ों जितना ही रहेगा।"

क्या यह तर्कहीन नहीं लगता
* अल्लाह ने पहले 50 नमाज़ें फ़र्ज़ कीं, जबकि वो इंसानों के लिए नामुमकिन थीं
* खच्चर जैसे जानवर पर बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा
* फिर दिल निकालकर उसकी जगह लगाना और सीने की सर्जरी करके उसमें ईमान भरना।

आखिरकार, न किसी ने जिब्रील को देखा और न ही किसी ने किसी पैग़म्बर (स.) को आसमान में उड़ते हुए देखा।

इतिहास / पुराने ग्रंथों के साथ टकराव

इब्राहीम ने काबा की नींव रखी

कुरान 2:127: और (याद करो) जब इब्राहीम और इस्माइल, घर (काबा) की नींव रख रहे थे, कह रहे थे, "हमारे रब! हमसे यह सेवा स्वीकार कर। वास्तव में, तू ही सुनने वाला, जानने वाला है।"

बाइबिल जेनेसिस 21:20–21: इस्माइल **पारान के जंगल** में रहे [**सिनाई प्रायद्वीप का रेगिस्तानी क्षेत्र,** मिस्र और कनान (फिलिस्तीन) के बीच] और उनकी माता मिस्र देश से उनके लिए पत्नी लाईं ।

किसी भी इतिहासकार ने चाँद के टूटने की घटना को दर्ज नहीं किया:
मक्का के लोगों ने पैगम्बर मुहम्मद (स.) से अनुरोध किया कि वे उन्हें कोई चमत्कार दिखाएँ, इसलिए उन्होंने उन्हें चाँद का फटना दिखाया।

कुरान 54:1: क़यामत नज़दीक आ गई है, और चाँद फट गया है।

हदीस सहीह बुखारी 3869: जब हम पैगम्बर (स.) के साथ मीना में थे, तब चाँद दो टुकड़ों में बँट गया। उन्होंने कहा, "गवाह बनो।" फिर चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ की ओर चला गया।

हदीस सहीह बुखारी 3870: अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रिवायत किया: अल्लाह के रसूल (स.) के जीवनकाल में चाँद दो टुकड़ों में बँट गया।

नासा की वेबसाइट: ".... कोई भी वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्य यह रिपोर्ट नहीं करता है कि चंद्रमा को दो (या अधिक) भागों में विभाजित किया गया था और फिर अतीत में किसी भी बिंदु पर फिर से जोड़ा गया था।" **ब्रैड बेली, एनएलएसआई स्टाफ साइंटिस्ट, 21 जून, 2010**

यहूदी कहते हैं 'उज़ैर (एजरा) अल्लाह का बेटा है

कुरान 9:30-31: "और यहूदी कहते हैं: 'उज़ैर (एजरा) अल्लाह का बेटा है, और ईसाई कहते हैं: मसीहा अल्लाह का बेटा है ...।"

ॐ यहूदियों के लिए अल्लाह एक और अकेला है, और वह उज़ैर को 'अल्लाह का बेटा' नहीं मानते । यह मान्यता किसी भी यहूदी फिरके (सम्प्रदाय) में नहीं पाई जाती।

सोने के बछड़े की घटना

तफ़सीर क़ुरान 20:92–95 (इब्न कसीर): अल्लाह फरमाता है कि जब मूसा (अलै.) आए और उन्होंने अपनी क़ौम का हाल देखा कि वह गुमराही में पड़ चुके हैं, तो उन्होंने अपने भाई हारून (अलै.) से कहा: "ऐ हारून! तुझे किस चीज़ ने रोका, जब तूने देखा कि ये लोग गुमराही में पड़ गए? क्या तूने मेरी बात की मुख़ालफ़त की? यानी, क्या तूने मेरी नाफ़रमानी की? हारून (अलै.) ने कहा: "ऐ मेरी माँ के बेटे! मेरी दाढ़ी को मत पकड़ और न मेरे सर के बाल को पकड़। मैंने इस डर से ऐसा किया कि कहीं आप यह न कह दे कि मैंने बनी इस्राईल के लोगों के बीच फूट डाल दी और मेरे क़ौल को नहीं माना। यानी, मैं डर गया कि अगर मैं सख़्ती करता और एक गिरोह मेरे साथ रह जाता और एक गिरोह सामरी के साथ, तो बनी इस्राईल के लोग दो हिस्सों में बंट जाते। फिर मूसा (अलै.) ने सामरी की तरफ़ रुख़ किया और कहा: "तो ऐ सामरी! तेरा मामला क्या है? यानी, तूने ऐसा क्यों किया? तूने लोगों को इस बछड़े की पूजा पर क्यों उकसाया?

बाइबिल (ओल्ड टेस्टामेंट, एक्सोडस 32:1–35) के अनुसार, यह क़िस्सा 'गोल्डन काफ़' के नाम से मशहूर है। बाइबिल विवरण में **हारून** ही वह व्यक्ति बताया गया जिसने लोगों के कहने पर उनके गहने लेकर बछड़ा ढाला और पूजा करवाई। **वहाँ सामरी नामक कोई पात्र नहीं है।** कुरान में वर्णित सोने के बछड़े की घटना 1446 ईसा पूर्व में हुई थी, जो 721 ईसा पूर्व में प्रथम सामरी के जन्म से 725 वर्ष पूर्व हुई थी ।

मरियम त्रिदेवों में शामिल नहीं है, बल्कि इसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शामिल हैं:

कुरआन (5:116): और याद करो जब अल्लाह कहेगा: 'ऐ मरयम के बेटे ईसा! क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा दो इलाह (मअबूद) बना लो?'..."

कुरान 4:171: मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह के एक संदेशवाहक और उनके शब्द थे, जो उन्होंने (अल्लाह ने) मरियम को दिए थे, और उनसे (अल्लाह से) निकलने वाली एक आत्मा थी: इसलिए अल्लाह और उसके दूतों पर विश्वास करो। " त्रिदेव" न कहो: रुको: यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा: क्योंकि अल्लाह एक अल्लाह है: उसकी महिमा हो: (वह एक बेटा होने से कहीं ज़्यादा महान है) ।

तफ़सीर कुरान 4:171 (अल-जलालैन): इसलिए अल्लाह और उसके दूतों पर विश्वास करो और यह मत कहो कि देवता 'तीन' हैं अल्लाह, ईसा और उनकी माँ।

कौन सी मरियम यीशु की माता है?

कुरान 19:27-30: फिर वह उसे अपने लोगों के पास ले गई। उन्होंने कहा, "ऐ मरियम, तुमने वाकई एक ऐसा काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐ हारून की बहन, तुम्हारा पिता बुरा आदमी नहीं था, न ही तुम्हारी माँ बदचलन थी।" तो उसने उसकी ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, "हम उससे कैसे बात कर सकते हैं जो पालने में बच्चा है?" [यीशु] ने कहा, "वास्तव में, मैं अल्लाह का सेवक हूँ। उसने मुझे शास्त्र दिया है और मुझे नबी बनाया है।

हारून की बहन (मरियम) वही मरियम नहीं हैं जो यीशु की माँ हैं, (मूसा (मोशेह) के पिता का नाम इमरान (अमराम) था, हारून (आहरोन) मूसा के भाई थे, और उनकी बहन मरियम, यीशु की माँ से 1000 साल से भी पहले रहती थी;
जेम्स की गॉस्पेल में मरियम (मेरी) के पिता का नाम **जोआकीम है।** क़ुरआन के अनुसार, **(मरियम), ईसा (अलै.) की माँ, की पिता का नाम इमरान है।**

हामान फारस का अधिकारी था, मिस्र का नहीं

क़ुरआन 28:38: और फ़िरऔन ने कहा: "ऐ मेरे दरबारियों! मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी और को ईश्वर नहीं जानता। तो ऐ हामान! मेरे लिए मिट्टी पर आग जला (ईंट पकाकर) एक ऊँचा महल बना दे, ताकि मैं मूसा के ईश्वर तक पहुँच सकूँ। और निस्संदेह, मैं उसे झूठों में से समझता हूँ।"

कुरान की कई आयतों (28:6, 28:8, 29:39, 40:24, 40:36) में **हामान** को मूसा के विरोधी गुट का हिस्सा बताया गया है।
बाइबल में **हामान** का उल्लेख पुस्तक एस्तेर में मिलता है। वह फारस के राजा अहशवेरोश (ज़र्क्सेस) का उच्च अधिकारी था, मिस्र का नहीं।

मक्का या बक्का

क़ुरआन में "मक्का" और "बक्का" दोनों शब्द आते हैं और दोनों एक ही जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। **बक्का**-सूरह आल-इमरान 3:96, **मक्का** - सूरह अल-फ़त्ह 48:24

बक्का के बारे बाइबिल में क्या आता है: बक्का एक घाटी है, यरुशलम की यात्रा के मार्ग पर।
बाइबल, भजन संहिता (Psalms) 84:1: प्रभु की घर में निवास करना कितना अच्छा है!
बाइबल, भजन संहिता (Psalms) 84:6: "वे बक्का की घाटी से गुजरते हैं, और उसे झरनों की जगह बना देते हैं; शरद ऋतु की वर्षा भी उसे तालाबों से भर देती है।"

पैग़म्बर की भविष्यवाणी

क़ुरआन 7:157: "जो लोग उस उम्मी (पढ़ा-लिखा न होने वाले) पैग़म्बर का पालन करते हैं, जिसे वे तौरा और इन्जील में लिखित पाते हैं.....।"

अगर मान लें कि इंजील में उम्मी पैग़म्बर की भविष्यवाणी थी, फिर तौरात में हज़रत ईसा के आगमन की भविष्यवाणी होनी चाहिए थी, क्योंकि वही इसके बाद आने वाले पैग़म्बर थे। दोनों ग्रंथों के बीच हज़ारों वर्षों का अंतर था।

पहले की किताबों की सत्यता की पुष्टि

कुरान 6:92: "और यह (कुरान) एक किताब है जिसे हमने उतारा है, जो बरकत वाली है, अपने से पहली (किताबों) की पुष्टि करने वाली है, ..."

कुरान 42:13: "उसने तुम्हारे लिए वही धर्म (दीन) निर्धारित किया है जिसका आदेश उसने नूह को दिया था, और जिसकी 'वही' हमने तुम्हारी ओर भेजी है, और जिसका आदेश हमने इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया था कि इस धर्म को स्थापित करो और इसमें फूट न डालो..."

कुरान 41:43: "(ऐ नबी!) आपसे वही बातें कही जा रही हैं जो आपसे पहले के रसूलों से कही जा चुकी हैं। बेशक आपका रब माफ़ करने वाला भी है और दुखद दर्दनाक सज़ा देने वाला भी।"

ईसा (अ.) और मुहम्मद (स.) की शिक्षाओं के बीच का अंतर "विपरीत ध्रुवों" जैसा है, क्षमा बनाम प्रतिशोध, आध्यात्मिकता बनाम राजनीतिक सत्ता, ईसा ने न कभी सेना बनाई, न ही कोई युद्ध लड़ा। गनीमत (लूट) और युद्ध में जीती गई महिलाओं को 'लौंडी' बनाने की अनुमति पहले नहीं थीं।

कुरान 6:92: "और यह (कुरान) एक किताब है जिसे हमने उतारा है, जो बरकत वाली है, अपने से पहली (किताबों) की पुष्टि करने वाली है, और ताकि आप 'उम्मुल क़ुरा' (मक्का) और उसके आसपास के लोगों को सचेत करें। और जो लोग आख़िरत (परलोक) पर ईमान रखते हैं, वे इस पर भी ईमान लाते हैं और वे अपनी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं।"

दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आख़िरत (मरणोपरांत जीवन) में विश्वास रखते हैं, जैसे यहूदी, ईसाई; लेकिन वे कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते।

कुरान 2:213: "लोग एक ही समुदाय (उम्मत) थे, ..."
कुरान 10:19: "और लोग एक ही समुदाय (उम्मत) थे, फिर उन्होंने मतभेद किया।

कुरान 22:78: "और अल्लाह की राह में वैसा जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुम्हें चुन लिया है और धर्म (दीन) में तुम पर कोई 'तंगी' (कठिनाई) नहीं रखी। यह तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका है। उसने (अल्लाह ने) पहले भी तुम्हारा नाम 'मुस्लिम'

रखा था और इस (कुरान) में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हों और तुम लोगों पर गवाह हो..."

शुरुआत में पूरी मानवता एक ही धर्म (इस्लाम/तौहीद) पर थी। इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है।
अल्लाह ने पहले (पिछली किताबों में) भी नाम 'मुस्लिम' रखा था, इसका कोई भी पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है।

मस्जिद अल-अक्सा

सूरह अल-इसरा (17:1): महान है वह अल्लाह जिसने अपने बन्दे (मुहम्मद स.) को रात में मस्जिद-ए-हराम से मस्जिद अल-अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने आशीर्वाद दिया, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएँ। वह सब सुनने वाला, सब देखने वाला है।

सहीह बुखारी 3366: अबू ज़र (रज़ि) से रिवायत है: मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल (स.)! धरती पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई?" उन्होंने कहा, "अल-मस्जिद-उल-हराम (मक्का)।" मैंने पूछा, "इसके बाद कौन सी बनाई गई?" उन्होंने जवाब दिया "अल-अक्सा (यरूशलेम) की मस्जिद।" मैंने पूछा, "दोनों के निर्माण बीच की अवधि क्या थी?" उन्होंने कहा, "चालीस साल।" उन्होंने कहा, "जहां भी (तुम) हो, और नमाज़ का समय हो जाए, वहीं नमाज़ अदा करो, क्योंकि सबसे अच्छा काम ऐसा करना (यानी समय पर नमाज़ अदा करना) है। [**यही बयान: इब्न माजा 753]**

इतिहास के अनुसार, पैग़म्बर सुलैमान ने यरूशलेम में पहला मंदिर **~957 ईसा पूर्व** बनवाया। पैग़म्बर (स.) के बाद ख़लीफ़ा उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) ने 637 ई. में येरुशलम फ़तह किया। उन्होंने सबसे पहले वहाँ लकड़ी का मस्जिद बनाया । उमय्यद ख़लीफ़ा **अल-वलीद प्रथम** ने क़िबली मस्जिद (मस्जिद अल-अक्सा की मुख्य इमारत) को 705 ई. में पूरा करवाया। यह वही जगह है जहाँ से पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने मेराज़ में आसमानों की सैर शुरू की थी। लेकिन जब पैग़म्बर मुहम्मद (स.) ने मेराज की यात्रा की तब येरुशलम मुस्लिम शासन में नहीं था। उस समय वहां 'मस्जिद' तो थी ही नहीं, फिर क़ुरआन में 'मस्जिद-अल-अक्सा' का नाम कैसे आया?"

क़ुरआन 4:141: ".....और अल्लाह कभी भी ग़ैर मानने वालों (अविश्वासियों) को मुसलमानों पर किसी प्रकार का अधिकार/शासन नहीं देगा।"

आज करोड़ों मुसलमान दूसरों के शासन में भी चैन और अमन के साथ जीवन जी रहे हैं।

(जोड़ लगते गए फ़साने में, राज़ खुलते गए छिपाने में)

अध्याय 16. सारांश

इस्लाम धर्म के कई अमानवीय और हिंसक पहलुओं के बारे में अधिकांश मुसलमान नहीं जानते हैं जबकि ये तथ्य इस्लामी पुस्तकों में मौजूद हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इस्लामी शिक्षा का पालन करते हुए हिंसा करता है, तो इन शिक्षाओं और पुस्तकों को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आतंकवाद से अपने बच्चों को बचाने के लिए मुसलमानों को सच्चाई बतानी ही होंगी। शुरू में उलेमा इन बातों को इस्लाम का हिस्सा होने से इंकार करते हैं; हालांकि, जब संदर्भ दिखाए जाते हैं, तो वे ऐतिहासिक पहलुओं और तर्कों का सहारा लेकर इन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं। भारत में कई बड़े मदरसा-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करते हैं। यह व्यवस्था इन लोगों के लिए आय और रोज़गार का एकमात्र स्रोत है। इसलिए उलेमा, और जो लोग इस्लामी विरासत पर गर्व महसूस करते हैं, वे इन कमियों को कभी स्वीकार नहीं करगे।

प्राकृतिक घटनाएँ किसी अलौकिक शक्ति या निर्माता की ओर इशारा करती हैं लेकिन लोग अतीत में और आज भी अपने फायदे के लिए ईश्वर के नाम का उपयोग करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, पैग़म्बर (स.) के समय मुसैलिमा कज़्ज़ाब और कई अन्य ने ईश्वर के पैग़म्बर होने का दावा किया। मुसैलिमा के लगभग 40,000 अनुयायी थे और उसने कुछ आयतें भी बनाई। अहमदिया आंदोलन की स्थापना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने की थी। उनका दावा था कि वे मसिह और मंहदी के रूप हैं। ईरान के बहाउल्लाह ने स्वयं को ईश्वर का संदेशवाहक बताया और बहाई धर्म के कई अनुयायी हैं। जुहायमन अल-उतैबी सऊदी अरब के एक धार्मिक विद्रोही थे। उन्होंने 1979 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्ज़ा किया और दावा किया कि वे अल-महदी हैं, यानी वह धार्मिक नेता जो इस्लामी परंपरा में भविष्य में प्रकट होगा। सऊदी सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया, और जुहायमन और उनके समर्थक (लगभग 200) मारे गए । ईसाई यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। हाल ही में भारत के "शकील बिन हनीफ" नामक व्यक्ति ने स्वयं को महदी और मसीह होने का दावा किया है। इसके संबंध में 17 प्रमुख उलेमा और मुफ़्ती ने भारत के उर्दू अख़बारों में विज्ञापन प्रकाशित कर चेताया कि यह व्यक्ति "झूठा नबी" है और उसके अनुयायियों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

इन कहानियों से यह समझा जा सकता है कि सभी धर्म और धार्मिक ग्रंथ लोगों में विश्वास जगाने के लिए तर्क और आकर्षण रखती हैं। अन्यथा, बनू कुरैज़ा के 800 यहूदी इस्लाम स्वीकार कर अपनी जान बचा सकते थे। कई ईसाईयों ने अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। अधिकांश धार्मिक ग्रंथ स्वयं को पूर्ण सत्य मानते हैं, कई कहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने प्रेरित किया। अन्यथा, कोई कैसे अपनी पूरी जिंदगी किसी को मारने या खुद को बलिदान करने तक समर्पित कर देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी किसी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा मूर्ख बन सकता है, जो चीज़ों को तर्कसंगत और न्यायसंगत ठहरा सकता है। लेकिन जो नेता और उलेमा आत्मघाती हमले की शिक्षा देते हैं, ये चतुर लोग खुद क्यों नहीं करते और स्वर्ग पहुँचते? ज्यादातर आत्मघाती हमले युवा लड़के या अन्य लोग ही अंजाम देते हैं। तालिबान ने अमेरिका से लड़ने के लिए इस रणनीति का व्यापक उपयोग किया। लेकिन मुख्य नेता छिपे रहे, और जब अमेरिकी चले गए, तो निकलकर सत्ता हथिया ली। हमें किसी धर्म की परीक्षा इस बात से नहीं करनी चाहिए कि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, बल्कि धार्मिक व्यक्तियों और अनुयायियों के मानवता में योगदान से करनी चाहिए।

नफ़रत दिलों में भर दे, वो नहीं है दीन-ए-फ़ितरत;
ज़रा गौर-फ़िक्र करना, मज़हब है या सियासत ।

"अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।"

***

इस्लामिक शब्दकोश

अबू = पिता
अल्लाह = कुरान में ईश्वर के 99 नाम हैं, और अल्लाह उनमें से एक है
अल्लाह-हु-अकबर (तकबीर) = अल्लाह सबसे महान है
अलै. = **अलैहि सलाम**, उन पर अल्लाह की सलामती हो
अविश्वासी = काफ़िर
अहल अल-किताब (किताब के लोग): यहूदी, ईसाई, सबियन

आख़िरत= अंतिम न्याय के बाद जन्नत (स्वर्ग) या नरक में अनंत काल की जिंदगी
आयत (अया) = का अर्थ है धार्मिक श्लोक, **सूरा** (सूरे) = कुरान का अध्याय

इद्दत =एक विशेष अवधि है जिसमें महिला किसी भी अन्य पुरुष से दूसरा निकाह नहीं कर सकती।
इब्न, बिन = बेटा, **बिन्त** का अर्थ है बेटी
इस्लाम के स्तंभ (5) = क़लमा (आस्था की घोषणा), नमाज (प्रार्थना), ज़कात (दान), (रोजा) उपवास, हज
इमाम = मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला व्यक्ति, पुजारी जैसा धर्म का पद
इस्लाम = समर्पण (अल्लाह के प्रति)
इंशाअल्लाह = अल्लाह की इच्छा से

ईमान = यह विश्वास कि अल्लाह एक है, पैगंबर मुहम्मद (स.) ईश्वर के नबी थे, कुरान और हदीस सत्य हैं, और जल्द ही कियामत आएगी। कोई भी मुसलमान इन बातों से इनकार नहीं कर सकता।

उम्मा = मुस्लिम समुदाय
उलेमा = इस्लामी विद्वान

एहराम: हज के समय एक विशेष अवस्था है, जिसमें कुछ चीजें हराम (मना) हो जाती हैं (जैसे, वैवाहिक संबंध, झगड़ा) और सफेद बिना सिले हुए कपड़े पहनने होते हैं ।

अंसार = सहायता करने वाले या मददगार (मदीना के मुसलमान)

काबा = सऊदी अरब के मक्का में प्रसिद्ध पवित्र घनाकार इमारत

काफ़िर = यह एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है "विश्वास (इस्लाम) से इनकार करने वाले" [नास्तिक, अज्ञेयवादी, बहुदेववादी, किताब के वे लोग जो पैगंबर मुहम्मद (स.) के संदेश को उनके पास पहुँचने के बाद अस्वीकार कर देते हैं]

किताब के लोग = यहूदी, ईसाई, सबियन
क़ियामत = (महाप्रलय) विनाशकारी घटनाओं द्वारा दुनिया का अंत

कुफ़्र = अविश्वास, **कुफ़्फ़ार = काफ़िर,** अविश्वासी
कुरान = अल्लाह के सीधे शब्द

खलीफा = इस्लामी राज्य का प्रमुख मुस्लिम शासक

खिलाफत = इस्लामी राज्य, शरिया (कुरान और सुन्नत से प्राप्त कानून) द्वारा शासित
खुमस = युद्ध में प्राप्त माले-गनीमत का 1/5 हिस्सा

गजवा =मुस्लिम क्षेत्र के विस्तार और/या गैर-मुसलमानों के इस्लाम में धर्मांतरण के लिए लड़ाई या छापे का उल्लेख करता है, उदाहरण: गज़वा-ए-हिंद
ग़ुस्ल =पूरा शरीर धोने की प्रक्रिया है, धार्मिक शुद्धि के लिए

ज़कात = मुसलमानों द्वारा दिया गया दान या कर
जन्ना (उर्दू **जन्नत**) = स्वर्ग

ज़ालिमुन = ज़ुल्म करने वाले (संबंधित शब्द, **ज़ुल्म**)
जाहिलियत = इस्लाम से पहले का समय, जिसे अक्सर "अज्ञानता का समय" कहा जाता है

जिज़िया (जजिया) = गैर-मुसलमानों पर लगाया जाने वाला विशेष कर
ज़िम्मी (धिम्मी) = इस्लामिक राज्य में संरक्षित गैर-मुस्लिम नागरिक
ज़िना = शादी से पहले या बाहर यौन-क्रिया
जिहाद = अल्लाह के लिए संघर्ष या पवित्र लड़ाई

ज़ुल्म = अन्यायपूर्ण कार्य, या अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की उपासना

तक़वा = अल्लाह के बारे में जागरूकता
तकाइआ= अल्लाह द्वारा अनुमति प्राप्त झूठ (1) खुद को मौत से बचाने के लिए (2) गैर-मुस्लिमों से (3) पत्नी से (4) दुश्मनों से
तफ़सीर = मुहम्मद (स.) के जीवनकाल के आस-पास रहने वाले सर्वोच्च विद्वानों द्वारा प्रत्येक कुरानिक आयत की व्याख्या/संदर्भ

तौबा = पापों से पश्चाताप
तौहीद = केवल एक अल्लाह (**एकेश्वरवाद**) में विश्वास, केवल अल्लाह ही पूजा के योग्य है और उसका कोई साझी नहीं है।

दावा = तर्क देकर गैर-विश्वासियों को इस्लाम का उपदेश देना।
दाहिने हाथ वाले = महिला गुलाम के रूप में लिए गए बंदी
दैफ (उर्दू **ज़ईफ़**) = कमज़ोर (हदीस/सुन्नत का मूल्यांकन)

धिम्मी = इस्लामिक राज्य में संरक्षित गैर-मुस्लिम नागरिक

पुनरुत्थान (न्याय का दिन) = सृष्टि का वह अन्तिम दिन जब सब मुरदे कब्रों से उठ खड़े होंगे और अल्लाह उनका न्याय करेंगे

फतवा = एक राय जो विद्वानों द्वारा धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त प्रथाओं से जारी किया जाता है

फ़ितना = लोगों को सत्य (विश्वास) से दूर या भ्रमित करना; शिर्क और कुफ्र; मुसलमानों के बीच झगड़े
फ़ितरा (उर्दू **फ़ितरत**) = कुछ ऐसा जो मनुष्य के भीतर स्वाभाविक है (जैसे, महिला का मासिक धर्म)

बनू / बनी = संतान (एक जनजाति का जिक्र जो एक सामान्य पूर्वज का दावा करता है)
बयाह, बैअत = एक नेता के प्रति निष्ठा की शपथ
बिन = बेटा, **बिन्त** का अर्थ है बेटी

मदरसा = इस्लामी सिद्धांतों को सीखने के धार्मिक स्कूल, धार्मिक और राजनीतिक दोनों (**शरिया**)

मुर्तद (धर्मत्यागी) = कोई मुसलमान जिसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया हो (मृत्यु दंड का भागी)
मुलहिद = नास्तिक, धर्मत्यागी, विधर्मी - एक मुसलमान जो इस्लाम की शिक्षाओं के विपरीत विश्वास रखता है।
मुनकिर = इन्कार करने वाला, अस्वीकार करने वाला, या नकारने वाला (संबंधित शब्द **काफ़िर**)
मुनाफ़िक़ (पाखंडी) = वह व्यक्ति है जो बाहरी तौर पर मुसलमान होने का दावा करता है लेकिन अंदर से इनकार करता है या अविश्वास रखता है।
मुशरिक = बहुदेववादी या मूर्तिपूजक (**बुतपरस्त)**
मुहाजिर = मक्का के मुसलमान जिन्होंने घर-बार को छोड़कर पैग़म्बर के साथ मदीना हिजरत की थी
मोमिन = विश्वासी, आस्तिक, ईमानदार मुसलमान

रज़ि. = रज़ि अल्लाहु अन्हु (पुरुष), रज़ि अल्लाहु अन्हा (महिला) = अल्लाह उनसे प्रसन्न हो
रफ़ीदा = मुसलमान जिन्होंने इस्लाम की कुछ बातों को ठुकरा दिया है, शिया लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ

रसूल = अल्लाह की नई किताब या नई शरियत लाने वाला; **नबी** = पिछली रसूल की ही शरियत (क़ानून) को आगे बढ़ाने वाला।

(**पैग़म्बर** = रसूल या नबी दोनों का उर्दू नाम)

वज़ू = नमाज़ से पहले अपने शरीर के कुछ अंगों को धोना

शरिया = इस्लामी सिद्धांतों, धार्मिक और राजनीतिक
शहादा = इस्लाम में धर्मांतरण के लिए एक घोषणा (अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है, मुहम्मद (स.) अल्लाह के नबी हैं.. "ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद-अर-रसूल-अल्लाह")**शिर्क** = अल्लाह के अलावा किसी की पूजा करना (बड़ा पाप)
शिया = मुस्लिम दुनिया का 10% (यानी ईरान आदि)। वे केवल अली (रज़ि) को मुहम्मद (स.) का सही उत्तराधिकारी मानते हैं।
शेख = इस्लामी अध्ययन में विद्वान या सुशिक्षित शिक्षक

सरिय्या = छापेमारी

सलात = प्रार्थना (नमाज)
सहाबा = पैगंबर मुहम्मद (स.) के साथी (सबसे प्रसिद्ध: अबू बकर (रज़ि), उमर (रज़ि), उथमान (रज़ि), अली (रज़ि))
स. = (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह की कृपा और शांति हो उन पर
सहीह हदीस = प्रामाणिक (हदीस/सुन्नत का मूल्यांकन), **हसन** = अच्छा, **दैफ** (उर्दू ज़ईफ़) = कमज़ोर

सुन्नत = पैगंबर (स.) के अभ्यास और जीवनशैली (जैसा कि हदीसों में बताया गया है)
सुन्नी = दुनिया के लगभग 90% मुस्लिम (यानी सऊदी अरब आदि) वे अबू बकर (रज़ि), उमर (रज़ि), उथमान (रज़ि), अली (रज़ि) को मुहम्मद (स.) का सही उत्तराधिकारी मानते हैं।
सूरा (सूरे) = कुरान का अध्याय

हक़ = सत्य
हज = मुसलमानों के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का की अनिवार्य धार्मिक यात्रा
(**उमरा** = एक छोटा हज जिसे साल में कभी भी कर सकते हैं ।)
हदीस = पैगंबर (स.) के अभ्यास और कथन (प्रारंभिक अनुयायियों द्वारा विभिन्न पुस्तकों में दर्ज)
हलाल = अनुमत, जायज़; विपरीत **हराम** = सख़्ती से मना, वर्जित
हसन = अच्छा (हदीस/सुन्नत का मूल्यांकन)

हिजरा (उर्दू **हिजरत**) = मुस्लिम भूमि में रहने के लिए अपनी भूमि छोड़ देना